



वार्षिक रिपोर्ट  
ANNUAL REPORT  
2018 - 2019



*Har Kadam  
aap ke Saath*

इलाहाबाद बैंक  
विश्वास की परंपरा



ALLAHABAD BANK

A tradition of trust

www.allahabadbank.in

इलाहाबाद बैंक  
ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001  
HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA- 700 001  
www.allahabadbank.in

वार्षिक प्रतिवेदन  
ANNUAL REPORT  
2018 - 19

विषय-सूची / Contents

पृष्ठ सं. / Page No.

● निदेशक, लेखापरीक्षक, महाप्रबंधकगण आदि/ Directors, Auditors, General Managers etc.	02-04
● बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट/ Directors' Report of the Bank	14-35
● प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण/ Management Discussion and Analysis	36-54
● व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट/ Business Responsibility Report	55-66
● बासेल - III प्रकटीकरण/ Basel - III Disclosures	67-126
● कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट/ Report on Corporate Governance	127-164
● कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र/ Auditors' Certificate on Corporate Governance	165
● सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र/ Compliance Certificate by CEO and CFO	166-167
● सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट/ Secretarial Audit Report	168-170
● बैंक के वित्तीय विवरण/ Financial Statements of the Bank	171-231
● बैंक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/ Auditors' Report of the Bank	232-236
● समेकित वित्तीय विवरण/ Consolidated Financial Statements	237-269
● समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/ Auditors' Report on Consolidated Financial Statements	270-275

# इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001  
HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA- 700 001

## निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS (यथास्थिति/AS ON 31-03-2019)

1.	श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director and CEO
2.	श्री के. रामचंद्रन Shri K. Ramachandran	कार्यपालक निदेशक Executive Director
3.	श्री पी. आर. राजगोपाल Shri P. R. Rajagopal	कार्यपालक निदेशक Executive Director
4.	श्री राजीव रंजन Shri Rajeev Ranjan	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director
5.	श्री विवेक दीप Shri Vivek Deep	भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director
6.	प्रो. राधा आर. शर्मा Prof. Radha R. Sharma	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non-Official Director
7.	श्री गौतम गुहा Shri Gautam Guha	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non-Official Director
8.	डॉ. बिजय कुमार साहू Dr. Bijaya Kumar Sahoo	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director
9.	श्री सारथ सूरा Shri Sarath Sura	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director
10.	डॉ. पार्थप्रतिम पाल Dr. Parthapratim Pal	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director

## लेखा-परीक्षक/AUDITORS

1.	मे. नंदी हलदर एंड गांगुली M/s Nandy Halder & Ganguli	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
2.	मे. पी.एल. टंडन एंड कं. M/s P. L. Tandon & Co.	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
3.	मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स M/s R. Gopal & Associates	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
4.	मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स M/s JBMT & Associates	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
5.	मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं. M/s Prakash S. Jain & Co.	सनदी लेखाकार Chartered Accountants

## सचिवीय लेखा-परीक्षक/SECRETARIAL AUDITOR

मे. एच. एम. चोरारिया एण्ड कंपनी M/s H. M. Choraria & Co.	प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव Practising Company Secretary
---	---

## रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट/REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि.  
(यूनिट: इलाहाबाद बैंक)  
पी-22 बंडेल रोड,  
कोलकाता-700019  
दूरभाष सं. : 033-40116700,  
फैक्स सं. : 033-40116739  
ईमेल: rta@cbmsl.com

CB Management Services (P) Ltd.  
(Unit: Allahabad Bank)  
P-22, Bondel Road,  
Kolkata-700019.  
Telephone No. : 033-40116700  
Fax No. : 033-40116739  
Email : rta@cbmsl.com

# निदेशक मंडल Board of Directors



श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
**Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao**  
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री के. रामचंद्रन, कार्यपालक निदेशक  
**Shri K Ramachandran**, Executive Director



श्री पी.आर.राजगोपाल, कार्यपालक निदेशक  
**Shri P. R. Rajagopal**, Executive Director



श्री राजीव रंजन  
सरकार द्वारा नामित निदेशक  
**Shri Rajeev Ranjan**  
Government Nominee Director



श्री विवेक दीप  
भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक  
**Shri Vivek Deep**  
RBI Nominee Director



श्री गौतम गुहा  
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक  
**Shri Gautam Guha**  
Part Time Non-Official  
Director



प्रो. राधा आर. शर्मा  
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक  
**Prof. Radha R. Sharma**  
Part Time Non-Official  
Director



डॉ. विजय कुमार साहू  
शेयरधारक निदेशक  
**Dr. Bijaya Kumar Sahoo**  
Shareholder Director



श्री सारथ सूरा  
शेयरधारक निदेशक  
**Shri Sarath Sura**  
Shareholder Director



डॉ. पार्थप्रतिम पाल  
शेयरधारक निदेशक  
**Dr. Parthapratim Pal**  
Shareholder Director

## निदेशक जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पदमुक्त हुए Directors who demitted office during FY 2018-19



श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
**Smt. Usha Ananthasubramanian**  
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री एन. के. साहू  
कार्यपालक निदेशक  
**Shri N.K. Sahoo**  
Executive Director



श्री एस. हरिशंकर  
कार्यपालक निदेशक  
**Shri S. Harisankar**  
Executive Director



श्री उमेश कुमार सिंह  
मुख्य सतर्कता अधिकारी  
**Shri Umesh Kumar Singh**  
Chief Vigilance Officer

## महाप्रबंधकगण **General Managers**



श्री संजय अग्रवाल  
**Shri Sanjay Aggarwal**



श्री विपुल सिंगला  
**Shri Vipul Singla**



श्री विकास कुमार  
**Shri Vikas Kumar**



श्री सुधांशु गौड़  
**Shri Sudhanshu Gaur**



श्री पी.सी. शर्मा  
**Shri P. C. Sharma**



श्री इमरान ए सिद्दिकी  
**Shri Imran A Siddiqui**



श्री एस.वी. एल. एन. नागेश्वर राव  
**Shri S.V.L.N. Nageswara Rao**



श्री एन.एन. कुमार साहा  
**Shri N. N. Kumar Saha**



श्री के. नन्दकुमार  
**Shri K. Nandhakumar**



श्री वि. कु. मित्र  
**Shri B. K. Mitra**



श्री मुक्ति नाथ पटेल  
**Shri Mukti Nath Patel**



श्री सुनील बरन जेना  
**Shri Sunil Baran Jena**



श्री संजीव कुमार सूरी  
**Shri Sanjeev Kumar Suri**



श्री अरुण कुमार पान्डेय  
**Shri Arun Kumar Pandeya**



श्री बानम्बार साहु  
**Shri Banambar Sahoo**



श्री विवेक. एम. पडगौवकर  
**Shri Vivek M. Padegaonkar**



श्री रविन्दर सिंह  
**Shri Ravinder Singh**



श्री राकेश कुमार शर्मा  
**Shri Rakesh Kumar Sharma**



श्री अमय कुमार महापात्रा  
**Shri Avaya Kumar Mohapatra**

## महाप्रबंधकगण जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पदमुक्त हुए **General Managers who demitted office during FY 2018-19**



श्री पार्थदेब दत्त  
**Shri Parthadeb Datta**



श्री आलोक तरफदार  
**Shri Alok Tarafdar**



श्री एस. एल. जैन  
**Shri S. L. Jain**



श्री दिनेश कुमार  
**Shri Dinesh Kumar**

## बैंक के कार्यनिष्पादन की विशिष्टताएं Highlights of the Bank's Performance

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण	मार्च/2010	मार्च/2011	मार्च/2012	मार्च/2013	मार्च/2014
Sl. No. Parameters	March' 2010	March' 2011	March' 2012	March' 2013	March' 2014
1. पूँजी / Capital	446.70	476.22	500.03	500.03	544.61
2. आरक्षित कोष / Reserve	6306.25	8031.17	10006.59	10852.49	11256.12
3. कार्यशील निधियाँ/ Working Funds	121699.21	151286.36	182934.57	204373.19	220434.28
4. कुल निक्षेप/Total Deposits	106055.75	131887.16	159593.08	178741.60	190842.81
5. कुल अग्रिम (सकल)/ Total Advances (Gross)	72437.31	94570.93	112249.74	130936.26	140905.46
6. कुल निवेश (सकल)/ Total Investments (Gross)	38680.43	43544.84	54770.15	58616.94	64347.94
7. कुल आय/ Total Income	9885.10	12385.10	16821.96	18912.60	20912.43
8. कुल व्यय (प्रावधान और आकस्मिता से रहित)/ Total Expenditure (excluding Provisions and Contingencies)	7336.55	9330.52	13052.02	15527.38	16892.00
9. परिचालन लाभ/ Operating Profit	2548.55	3054.58	3769.94	3385.22	4020.43
10. प्रावधान / Provisions	1342.22	1631.47	1903.15	2200.01	2848.41
11. निवल लाभ / Net Profit	1206.33	1423.11	1866.79	1185.21	1172.02
12. पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)*/ Capital Adequacy Ratio (%)*	13.62	12.96	12.83	11.03	9.96
13. निवल अग्रिम में निवल एन पी ए (%)/ Net NPAs to Net Advances (%)	0.66	0.79	0.98	3.19	4.15
14. सकल अग्रिम में सकल एन पी ए (%) / Gross NPAs to Gross Advances (%)	1.69	1.74	1.83	3.92	5.73
15. प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earning per Share	27.01	31.85	39.18	23.70	22.89
16. प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	151.17	178.64	192.93	209.93	201.04
17. औसत निवल सम्पत्ति पर प्रतिफल (%) Return on Average Net Worth	22.21	21.04	19.35	11.77	10.93
18. आस्तियाँ पर प्रतिफल (%) Return on Assets	1.16	1.11	1.02	0.64	0.57

क्रमशः/Contd....

\* वित्तीय वर्ष 2012-13 तक बासेल II के अंतर्गत और वित्तीय वर्ष 2013-14 से बासेल III के अंतर्गत

\* Upto FY2012-13 under Basel II and from 2013-14 onwards under Basel III

## बैंक के कार्यनिष्पादन की विशिष्टताएं Highlights of the Bank's Performance

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण	मार्च/2015	मार्च/2016	मार्च/2017	मार्च/2018	मार्च/2019
Sl. No. Parameters	March' 2015	March' 2016	March' 2017	March' 2018	March' 2019
1. पूँजी / Capital	571.37	613.80	743.69	844.04	2096.84
2. आरक्षित कोष / Reserve	12071.40	13450.23	13552.71	9424.35	7033.48
3. कार्यशील निधियाँ / Working Funds	227096.48	235828.38	237037.88	252662.28	248575.77
4. कुल निक्षेप/Total Deposits	193424.05	200644.40	201870.22	213603.83	214334.07
5. कुल अग्रिम (सकल)/ Total Advances (Gross)	153095.14	157707.24	158103.37	166435.86	163552.33
6. कुल निवेश (सकल)/ Total Investments (Gross)	55282.90	56034.13	55711.96	69036.12	81317.46
7. कुल आय/ Total Income	21712.13	20795.07	20304.72	19051.05	18564.50
8. कुल व्यय (प्रावधान और आकस्मिता से रहित)/ Total Expenditure (excluding Provisions and Contingencies)	17252.42	16661.17	16437.96	15612.73	15797.48
9. परिचालन लाभ/ Operating Profit	4459.71	4133.90	3866.77	3438.32	2767.01
10. प्रावधान / Provisions	3838.81	4877.21	4180.29	8112.69	11100.97
11. निवल लाभ / Net Profit	620.90	-743.31	-313.52	-4674.37	-8333.96
12. पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) */ Capital Adequacy Ratio (%)*	10.45	11.02	11.45	8.69	12.51
13. निवल अग्रिम में निवल एन पी ए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	3.99	6.76	8.92	8.04	5.22
14. सकल अग्रिम में सकल एन पी ए (%) / Gross NPAs to Gross Advances (%)	5.46	9.76	13.09	15.96	17.55
15. प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earning per Share	11.39	-12.68	-4.36	-59.63	-65.34
16. प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	206.41	185.99	157.27	91.36	29.50
17. औसत निवल सम्पत्ति पर प्रतिफल (%) Return on Average Net Worth	5.46	-6.41	-2.71	-48.17	-119.93
18. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets	0.29	-0.33	-0.13	-1.96	-3.48

\* वित्तीय वर्ष 2012-13 तक बासेल II के अंतर्गत और वित्तीय वर्ष 2013-14 से बासेल के अंतर्गत

\* Upto FY2012-13 under Basel II and from 2013-14 onwards under Basel III

**28 जून, 2019 को इलाहाबाद बैंक की 17वीं वार्षिक आम सभा में प्रबंध निदेशक  
एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा शेयरधारकों को संबोधन**

**Address by the Managing Director and CEO to the Shareholders at the  
17<sup>th</sup> Annual General Meeting of Allahabad Bank On 28<sup>th</sup> June, 2019**



**प्रिय शेयरधारको,**

मुझे आप सभी का आपके बैंक की 17वीं आम सभा में स्वागत करते हुए एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आपके बैंक की कार्यनिष्पादन विशिष्टताएं प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर, मैं आपके सतत समर्थन और निष्ठा हेतु आप में से हर एक को धन्यवाद देना चाहूंगा।

आपके बैंक के कार्यनिष्पादन की विशिष्टताएं प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आपको सामान्य समष्टि आर्थिक और बैंकिंग परिवेश के बारे में बताना चाहूंगा जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19 में आपके बैंक ने कार्यनिष्पादन किया है।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा फरवरी, 2019 में प्रकाशित वित्त वर्ष 19 हेतु द्वितीय अग्रिम प्राक्कलनों में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि प्रथम अग्रिम प्राक्कलन के 7.2% से घटकर 7% रह गई है। सार्वजनिक और निजी उपभोग में मंदी के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधियां धीमी हुई हैं। आपूर्ति पक्ष की ओर, सीएसओ के अग्रिम प्राक्कलन में वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि वित्तीय वर्ष 18 के 6.9% की तुलना में वित्तीय वर्ष 19 में घटकर 6.8% होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। विगत वर्ष में कृषि उत्पादन में रिकार्ड स्तर की उपलब्धि के सापेक्ष कृषि उत्पाद में कमी के कारण वित्त वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही में जीवीए वृद्धि घटकर 6.3% रह गई।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वित्त वर्ष 20 हेतु जीडीपी वृद्धि 7.2% होने का पूर्वानुमान है जो समान रूप से संतुलित जोखिम के साथ वित्तीय वर्ष 20 की प्रथम छमाही में 6.8-7.1% एवं वित्तीय वर्ष 20 की दूसरी छमाही में 7.3-7.4% के बीच रहने का अनुमान है। पिछले एक माह के अंदर भारिबैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और एशिया डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) जैसी संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि में 20 से 40 आधार बिंदु की कमी होने का पूर्वानुमान लगाया है। उन्हें वित्तीय वर्ष 20 में भारत में 7.2% से 7.3% तक की वृद्धि की आशा है।

भारत में खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति जनवरी 19 में दो प्रतिशत से कम से फरवरी 19 में बढ़कर 2.6% हो गई एवं मार्च, 19 एवं अप्रैल, 19 दोनों में 2.9% बनी रही। शीर्षक मुद्रास्फीति में वृद्धि पूर्णतया खाद्य उत्पादों की मूल्य वृद्धि के कारण थी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वित्त वर्ष 2020

**Dear Shareholders,**

It gives me great pleasure in welcoming you all to the 17th Annual General Meeting of your Bank and presenting the highlights of your Bank's performance for the year ended 31<sup>st</sup> March 2019. On this occasion, I would like to thank each one of you for your continued support and loyalty.

Before I proceed to present the performance highlights of your Bank, I would like to place before you the general macroeconomic & banking environment under which your bank has performed in FY19.

The second advance estimates for FY19, released by the Central Statistics Office (CSO) in Feb' 19 reduced India's real gross domestic product (GDP) growth to 7.0% from 7.2% in the first advance estimates. Domestic economic activity decelerated due to a slowdown in public and private consumption. On the supply side, the second advance estimates of the CSO projected real gross value added (GVA) growth lower at 6.8% in FY19 as compared with 6.9% in FY18. GVA growth slowed down to 6.3% in Q3FY19 due to a deceleration in agriculture output from the record level achieved in the previous year.

According to RBI, GDP growth for FY20 is projected at 7.2%, in the range of 6.8-7.1% in H1FY20 and 7.3-7.4% in H2FY20 with risks evenly balanced. Institutions like the RBI, International Monetary Fund (IMF) and Asia Development Bank (ADB) have lowered India's economic growth projection by 20 to 40 basis points within the last one month. They expect India to grow in the range of 7.2% to 7.3% in FY20.

Retail price inflation in India increased from less than two per cent in Jan'19 to 2.6% in Feb'19 and remained at 2.9% in both Mar'19 & Apr'19. The increase in headline inflation was entirely on account of rise in prices of food products. According to



के दौरान मुद्रास्फीति की गति का निर्धारण अनेक कारणों से किया जाना है जैसे, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, मानसून का परिणाम और खाद्य कीमतें। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, भारिबैं ने व्यापक रूप से संतुलित जोखिम के साथ सीपीआई मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 20 की प्रथम छमाही में 2.9-3.0% एवं वित्तीय वर्ष 20 की द्वितीय छमाही में 3.5-3.8% के स्तर पर होने का पूर्वानुमान लगाया लगाया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन का कार्यानिष्पादन निवेश के साथ-साथ उपभोग में मंदी का संकेत देते हुए 0.1% संकुचित होकर में 21 माह के अंतराल के बाद मार्च, 2019 में नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2019 में आईआईपी में वृद्धि 3.6% रही जो पिछले वर्ष 4.4% के सापेक्ष तीन वर्षों में सबसे धीमी रही। आम चनावों से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच निम्नतर निवेश गतिविधि के कारण वित्तीय वर्ष 20 के प्रारंभिक कुछ महीनों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि मंद रह सकती है।

### बैंकिंग क्षेत्र

भारत में बैंकिंग उद्योग एक विस्तृत इतिहास है। भारत में बैंकिंग ने एक लम्बा सफर तय किया है और बदलते समय के साथ नई उंचाइयों को छूआ है। अनुपयोज्य आस्तियां, भारतीय बैंकिंग उद्योग की सबसे बड़ी बाधा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में चरम पर थीं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में और अधिक व्यापक थीं। पूंजी में कमी के कारण बैंक ऋण देने में असमर्थ थे। तथापि, दीवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 जैसी सरकार की कुछ पहल विगत वर्ष समुचित रूप से सफल रहीं। इसके साथ ही, सरकार द्वारा समय पर पूंजी इंफ्यूजन से कुछ बैंकों को पीसीए से बाहर आने और सामान्य रूप से व्यवसाय चलाने में मदद मिली। साथ ही साथ कुछ बैंकों के विलय के रूप में समेकन कार्रवाई की गई। भारत में विलय अनिवार्यतः उबारने (बेल आउट) की प्रक्रिया है। किंतु विगत के विपरीत, जहां जमाकर्ताओं के हित के संरक्षण हेतु विफल निजी बैंकों का सार्वजनिक बैंकों में विलय किया गया था, इन हाल का विलय एक ही प्रवर्तक के अंतर्गत बैंकों का समेकन था जिससे किरायायतों को प्राप्त किया जा सके।

प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने बैंकों के परिचालन में क्रांति ला दी है और इस घटनाक्रम के कारण बैंकिंग उद्योग और अधिक तेजी से और अधिक दक्षता के साथ सेवा प्रदान कर पाने में समर्थ हुआ है। अभी भी विभिन्न बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का उपयोग न करने वाली जनसंख्या के बड़े भाग के कारण भारत में पर्याप्त संभावनाएं हैं। जबकि जनधन योजना, आधार और मोबाइल की पैठ ने भारत को विशेष स्थिति में पहुंचा दिया है, इस सफलता का लाभ उठाने की आवश्यकता है। फिनटेक गतिविधियों में तेजी लाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से भुगतान के क्षेत्र में जहां यूपीआई के माध्यम से उपलब्ध आधारभूत अवसरचना विश्वस्तरीय है।

बैंक ऋण में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि के संचालन में प्रमुख कारणों में से एक समझा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि उच्चतर उधार का उपयोग उत्पादक प्रयोजनों के लिए किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक उन्नति होती है। भारिबैं द्वारा 26 अप्रैल, 2019 को जारी एससीबी संबंधी अद्यतन आंकड़ों की स्थिति यह दर्शाती है कि सकल जमा राशियों में वर्ष-दर-वर्ष 10.36% की वृद्धि हुई जबकि बैंक ऋण 12.97% की जबरदस्त वृद्धि का साक्षी रह। वित्तीय वर्ष 19 के दौरान रिटेल खंड (यथा वैयक्तिक, आवास, वाहन) में उच्चतर ऋण उठाव समग्र ऋण मांग में सुदृढ़ तेजी लाने में सहायक रहा।

वित्तीय वर्ष 19 के दौरान भारिबैं ने नीतिगत दरों में तीन बार परिवर्तन किया है। इसने रेपो दर में 6 जून, 18 और फिर 1 अगस्त, 18 को 25

RBI, the inflation path during FY20 is likely to be determined by several factors viz., international crude oil prices, monsoon outcome and food prices. Taking into consideration these factors, the RBI has projected the CPI inflation in the range of 2.9-3.0% in H1FY20 and 3.5-3.8% in H2FY20, with risks broadly balanced.

Performance of industrial production measured by Index of Industrial Production, entered negative territory in Mar'19 after a gap of 21 months, contracting 0.1% signaling a slowdown in consumption, as well as investment. Overall, in FY19, IIP grew 3.6%, which is the slowest in three years, against 4.4% a year ago. The growth in industrial output may remain subdued for first few months of FY20 due to lower investment activity amid uncertainties surrounding the general elections.

### Banking sector:

The banking industry in India has a long history. Banking in India has been through a long journey and has achieved new heights with the changing times. The non-performing assets, the biggest hurdle of Indian banking industry, peaked at the end of the financial year 2017-18 and were more widespread in public sector banks (PSBs). The banks were unable to lend due to shortage of capital. However, some of the Government initiatives such as Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 have had reasonable success in the last year. Along with this, timely capital infusion by the Government has assisted some banks to come out from PCA and carry on business as usual. At the same time, there has been action on the consolidation front with merger of few Banks. Mergers in India are essentially a bail-out exercise. But unlike in the past, where failed private banks were merged with public banks to protect the interest of depositors, the recent merger was consolidation of banks under the same promoter to achieve economies of scale.

The use of technology has brought a revolution in the operations of the banks and because of this development; banking industry has been able to deliver much faster and in a more efficient manner. India has significant potential with large part of population still to utilise various Banking products and services. While Jan Dhan Yojana, Aadhar and mobile penetration put India in a unique position, the fruits of this success need to be reaped. Fintech activity needs to pick up, especially in the payments space where the infrastructure made available through UPI is world class.

Growth in bank credit is considered to be one of the major factors in driving economic growth as it is assumed that higher borrowings are utilized for productive purposes resulting in economic advancement. There has been a structural shift in bank credit from Industry to retail sector. The latest data on SCBs' position released by the RBI as on 10th May 2019 shows that the aggregate deposits increased by 10.36% Y-o-Y while bank credit witnessed a robust growth of 12.97%. During FY19, higher credit off-take to retail segment (like personal, housing, vehicles) supported the robust pick-up in overall credit demand.

During FY19, the RBI has changed the policy rates three times. It increased repo rate by 25 basis points on 6th Jun'18 and

आधार बिंदुओं की बढ़ोतरी की। तथापि, इसने 7 फरवरी 19 को दरों में 25 आधार बिंदुओं की कटौती की और विकास का समर्थन करते हुए 3.2-3.4% की ग्राहक मूल्य सूचकांक(सीपीआई) मुद्रास्फीति के मध्यावधि लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति रुख को केलिब्रेटेड टाइटनिंग से न्यूट्रल करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 20 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में 25 आधार बिंदुओं की कटौती कर इसे 6.25% से 6.00% किया है।

भारिबैं ने 31 मार्च, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक कैपिटल कंजर्वेशन बफर (सीसीबी) के 0.625% के अंतिम ट्रेच के कार्यान्वयन को आस्थगित कर दिया है। इस एक वर्ष की अवधि ने पीएसबी को लगभग ₹35000-38000 करोड़ की अनुमानित राहत का अवसर प्रदान किया है।

सरकार ने ₹65000 के बजटीय लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 19 के दौरान बैंक रिफ्लेक्टिंग एजेंट के रूप में ₹1.06 लाख करोड़ इंफ्यूज किए थे। किंतु वित्तीय वर्ष 20 के अंतरिम बजट बैंक रिफ्लेक्टिंग एजेंट हेतु कोई निधियां आबंटित नहीं की गई थीं। वित्तीय वर्ष 20 के अंतरिम बजट में, बैंक जमाशियों पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस सीमा मौजूदा ₹10000 से बढ़ाकर ₹40000 की गई है जो बैंकों के साथ-साथ ग्राहकों के लिए भी लाभ की स्थिति है।

### वित्तीय वर्ष 19 के दौरान इलाहाबाद बैंक का कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 19 के दौरान बैंक ने बैंक की 3229 घरेलू शाखाओं के नेटवर्क, 1 विदेशी शाखा, 6106 व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) और 836 एटीएम के माध्यम से परिचालन किया है।

#### जमाशियां

31 मार्च, 19 को यथास्थिति वर्ष दर वर्ष 0.34% की वृद्धि दर के साथ बैंक की वैश्विक जमाशियां ₹214335 करोड़ थीं। जबकि बैंक की घरेलू जमाशियां 31 मार्च, 18 के ₹210841 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 19 को ₹214301 करोड़ हो गई, वित्तीय वर्ष 19 के दौरान कासा जमाशियां 7.7% की वृद्धि दर से बढ़कर ₹106070 करोड़ हो गई। 31 मार्च, 19 को यथास्थिति कुल घरेलू जमाशियों में कम लागत की कासा जमाशियों का अंश 49.49% रहा। वर्ष के दौरान बैंक ने थोक जमाशियों में कटौती करने और इसके स्थान पर रिटेल जमाशियों पर ध्यान केंद्रित किया। कुल जमाशियों में थोक जमाशियों का स्तर मार्च, 18 के 1.52% से घट कर मार्च, 19 में 0.85% रह गया। इसके परिणामस्वरूप जमा लागत (सीओडी) मार्च, 18 के 5.33% से घटकर मार्च, 19 में 5.10% रह गई।

#### अग्रिम:

वित्तीय वर्ष 19 में बैंक का वैश्विक अग्रिम ₹163552 करोड़ था जिसमें से वित्तीय वर्ष 19 के दौरान घरेलू अग्रिम वर्ष दर वर्ष 2.53% की वृद्धि दर से ₹160286 करोड़ था। बैंक बड़े कार्पोरेट ऋण देने के प्रति सजग बना रहा और रिटेल ऋण पर ध्यान दिया गया। वित्तीय वर्ष 19 में रिटेल ऋण वर्ष-दर-वर्ष 14.49% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹20150 करोड़ हो गया। रिटेल ऋण सेगमेंट में बैंक ने 16.03% की वृद्धि दर हासिल की। 31 मार्च 19 को यथास्थिति बैंक का औसत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹58000 करोड़ तक पहुंच गया जो 40% के अपेक्षित स्तर के सापेक्ष एएनबीसी का 40.34% है। मुद्रा ऋण के मामले में वित्तीय वर्ष 19 के दौरान बैंक ने ₹2974.59 करोड़ संस्वीकृत किया।

#### लाभप्रदता:

बैंक का परिचालनगत लाभ अग्रिम पोर्टफोलियों पर दबाव और परिणामी रिवर्सल/ ब्याज न लगाने के कारण वर्ष-दर-वर्ष 19.52% कम हुआ है।

again on 1st Aug'18. However, it reduced the rates by 25 basis points on 7<sup>th</sup> Feb'19 and also decided to change the monetary policy stance from calibrated tightening to neutral with the objective of achieving the medium-term target for consumer price index (CPI) inflation of 3.2-3.4%, while supporting growth. Further, in its First Bi-monthly Monetary Policy for FY20, the RBI has reduced the repo rate by 25 basis points to 6.0% from 6.25%.

RBI has deferred the implementation of the last tranche of 0.625% of Capital Conservation Buffer (CCB) from March 31, 2019 to March 31, 2020. This one year window has afforded an opportunity to PSBs by an estimated relief of around ₹35,000-38,000 crore.

Government had infused ₹1.06 lakh crore as bank recapitalization during the FY19 as against the budgeted target of ₹65,000 crore. But no funds were allocated for bank recapitalization in FY20 interim budget. In the FY20 interim budget, the TDS limit on interest earned on bank deposits has been increased to ₹40,000 from ₹10,000 currently which is a win-win position for the Banks as well as its customers.

### Allahabad Bank's performance during FY19

During FY19, the Bank operated through a network of 3229 domestic Bank's branches, 1 overseas branch, 6106 Business Correspondents (BCs) and 836 ATMs.

#### Deposits:

The global deposits of the Bank were at ₹2,14,335 crore as on 31 Mar'19 with a Y-o-Y growth rate of 0.34%. While domestic deposits of the bank increased to ₹2,14,301 crore in 31 Mar'19 from ₹2,10,841 crore in 31 Mar'18, CASA deposits increased to ₹1,06,070 crore with a growth rate of 7.77% during FY19. The share of domestic low cost CASA deposits to total domestic deposits stood at 49.49% as on 31 Mar'19. During the year, the Bank concentrated on reducing the Bulk deposits and replacing it with retail deposits. The level of Bulk deposit to total deposit ratio came down to 0.85% in Mar'19 from 1.52% in Mar'18. As a result, Cost of Deposit (CoD) decreased to 5.10% in FY19 from 5.33% in FY18.

#### Advances:

The global advances of the Bank were at ₹1,63,552 crore in FY19, of which domestic advances of the Bank were at ₹1,60,286 crore during FY19 with a growth rate of 2.53% on a Y-o-Y basis. Bank remained cautious in lending to large corporates and focussed on Retail lending. Retail credit increased by 14.49% Y-o-Y basis to ₹20,150 crore in FY19. Within the Retail loan segment, the Bank achieved 16.03% growth rate in Home Loans. The average Priority Sector Advances of the Bank reached ₹58000 crore as on 31 Mar'19 and accounted for 40.34% of ANBC against the required level of 40%. In case of MUDRA loan, Bank sanctioned ₹2974.59 core during FY19.

#### Profitability:

The Bank's operating profit decreased by 19.52% Y-o-Y on account of stress on advances portfolio and resultant reversal/

यह वित्तीय वर्ष 19 के दौरान ₹2767 करोड़ रहा। निवल लाभ के रूप में, वित्तीय वर्ष 19 में हानि की मात्रा में वृद्धि हुई क्योंकि उच्चतर प्रावधान 36.83% था और गैर ब्याज आय स्तरों में कमी आई थी। पिछले वर्ष की ₹4674 करोड़ की निवल हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 19 में निवल हानि बढ़कर ₹8334 करोड़ हो गई।

#### आस्ति गुणवत्ता:

वर्ष के दौरान, बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता पर अत्यधिक दबाव था और एनपीए में वृद्धि हुई थी जो एकल परिदृश्य नहीं था अपितु समग्रतः उद्योग की प्रवृत्ति का भाग था। सकल एनपीए अनुपात वित्तीय वर्ष 18 के 15.96% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 19 में 17.55% हो गया जबकि उसी अवधि के दौरान निवल एनपीए अनुपात 8.04% से घटकर 5.22% रह गया। इसी अवधि के दौरान प्रावधान कवरेज अनुपात सुधरकर 79.85% हो गया। वित्तीय वर्ष 19 में बैंक ने एनपीए ₹2827 करोड़ की नकद वसूली की रिपोर्ट की है।

#### अन्य प्रमुख वित्तीय अनुपात:

वित्तीय वर्ष 19 में सीआरएआर 12.51% रहा जिसमें टीयर I अनुपात 9.68% और टीयर II अनुपात 2.83% था।

#### वर्ष के दौरान नए उत्पादों का विकास:

संसाधनों के अनुकूलन और परिचालन लागत में कमी को ध्यान में रखते हुए, बैंक अनावश्यक स्थापनाओं को हटा कर, स्थापनाओं के पुनर्गठन हेतु कदम उठा रहा है। नवोदय- “परिवर्तनशील उन्नति-उन्नतिशील परिवर्तन” नामक स्मॉल रणनीति परियोजना का आरंभ एक ऐसा ही कदम है। उक्त परियोजना के अंतर्गत विभिन्न परिवर्तन लागू किए गए हैं जैसे निस्तारण समय, आस्ति गुणवत्ता और ग्राहक सेवा में सुधार हेतु समर्पित प्रोसेसिंग केन्द्र।

बैंक ने अपने ग्राहकों के लाभ के लिए अनेक नए उत्पाद शुरू किए हैं। देयता पक्ष में, आलबैंक जेनेक्स (युवाओं हेतु विशेष रूप से तैयार बचत खाता), आलबैंक किशोर (अवयस्कों की बैंकिंग जरूरतों हेतु विशेष रूप से तैयार बचत खाता) और आलबैंक सलाम बचत खाता (रक्षा कार्मिकों हेतु विशेष रूप से तैयार) आरंभ किए गए थे।

बैंक ने पूंजीगत लाभ से छूट का लाभ उठाने हेतु कर दाताओं के लिए पूंजीगत लाभ खाते भी शुरू किए हैं। मूल्यवान व्यक्तिगत ग्राहकों के अर्जन और उन्हें बनाए रखने में अन्य बैंकों पर तरजीह का लाभ उठाने के लिए बैंक ने 1/1/1 ग्राहक संबंध प्रबंधन पहल की है। बैंक 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को द्वारस्थ बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

#### वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई नई पहल:

##### ग्राम संपर्क कार्यक्रम(वीसीपी)/ मोहल्ला संपर्क कार्यक्रम(एमसीपी):

ग्राहक संपर्क रणनीति के अंतर्गत, बैंक ने 22 अक्टूबर, 2018 को इलाहाबाद से ग्राम/मोहल्ला संपर्क कार्यक्रम आरंभ किया। ये कार्यक्रम सभी जनसंख्या समूह हेतु हमारे बैंक की सभी शाखाओं द्वारा संचालित किया जाना है ताकि एनपीए और दबावग्रस्त आस्तियों(एसएमए) में वसूली और समाधान, कासा की संतृप्ति, डिजिटल और सामाजिक सुरक्षा और डिजीवरी एवं कृषि और एमएसएमई ऋण की निगरानी (समुचित सावधानी सहित) हेतु मौजूदा और भावी ग्राहकों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

non-booking of interest. It stood at ₹2767 crore during FY19. In terms of net profit, the quantum of losses increased in FY19 as provisions were higher by 36.83% and there was a decrease in non-interest income levels. Net loss rose to ₹8334 crore in FY19 as compared to a net loss of ₹4674 crore a year ago.

#### Asset Quality:

During the year, there was severe pressure on quality of assets and the rise of NPA in the Bank, which was not an isolated phenomenon but part of overall Industry trend. The Gross NPA ratio increased to 17.55% in FY19 from 15.96% in FY18, while net NPA ratio decreased to 5.22% from 8.04% in the same period. The Provision Coverage Ratio also improved to 79.85% during the same period. The bank reported ₹2827 core cash recovery in NPA in FY19.

#### Other key financial ratios:

The Bank's CRAR stood at 12.51% in FY19, which constituted Tier I ratio of 9.68% and Tier II ratio of 2.83%.

#### New Product Development During the year:

With a view to optimisation of resources, reducing operating costs, the bank is taking steps for re-organisation of establishments, prune establishments which are not essential. One such move is introduction of Transformation Project namely Navoday - "Rising for a Change-Changing to Rise". Under the said project various initiatives have been introduced like dedicated processing centres to improve the turnaround time, asset quality and customer service.

Bank introduced several new products for the benefit of its customers. On liability side, **AllBank GenX** (specially designed Savings Account for the Youth), **AllBank Kishore** (specially designed savings account for banking needs of Minors) and **AllBank Salaam Savings Account** (specially designed for defence personnel) were launched.

Bank also introduced Capital Gain accounts scheme for the tax payers to avail the benefit of exemption from Capital Gains. In order to enjoy edge over other Banks in acquisition & retention of valuable individual customers, the Bank introduced **1/1/1 Customer Relationship Management** Initiative. Bank is also providing **Doorstep Banking Services** for Senior Citizens of more than 70 years of age and differently-abled persons.

#### New initiatives undertaken by the Bank during the year:

##### Village Contact Program (VCP) / Mohalla Contact Program (MCP):

Under Customer Outreach Strategy, the Bank has launched Village / Mohalla Contact Programmes on 22nd October, 2018 from Allahabad. These programs are meant to be undertaken by all our Branches across all population groups so as to ensure comprehensive coverage of our existing as well as prospective customers for Recovery & Resolution in NPAs and Stressed Assets (SMAs), saturation of CASA, Digital & Social Security and Delivery & Monitoring of Agriculture & MSME Credit (with proper due diligence).

## ईच वन रीच वन अभियान:

एनपीए, राइट ऑफ में वसूली और एसएमए खातों के अपग्रेडेशन/बंद करने हेतु तथा स्लिपेज को रोकने के प्रयास में सक्रिय सहभागिता करने के लिए नवम्बर 2018 के अंतिम सप्ताह के दौरान मंडलीय प्रबंधकों और क्षेत्र महाप्रबंधकों के माध्यम से सभी इलाहाबादियन को प्रेरित करते हुए "ईच वन रीच वन" नामक अभियान शुरू किया गया।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली लक्ष्यों को अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिए "ईच वन रीच वन" के माध्यम से वसूली के प्रयासों में तेजी लाई गई।

## संकेंद्रित वसूली हेतु एसएमए शाखाएं खोलना:

एनपीए खातों की कारगर और समय पर निगरानी हेतु तथा ₹1.00 करोड़ और अधिक के लेजर शेष वाले एनपीए खातों में विधिवत प्रक्रिया का पालन करने हेतु समर्पित कार्यपालकों के साथ प्रधान कार्यालय और क्षेत्र स्तर पर "एसएमएमी - दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल" की अवधारणा लागू की गई है।

बैंक की दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएं भी हैं जो अनन्य रूप से एनपीए का समाधान करती हैं।

## निगरानी:

बैंक भारिबे दिशानिर्देशों के अनुसार खातों को एसएमए में वर्गीकृत कर रहा है और पात्रता के अनुसार सीआरआईएलसी में रिपोर्ट कर रहा है। प्रलेखों की जांच और सत्यापन करने तथा अनियमितताओं, यदि कोई हो, को दूर करने हेतु पूर्व-संवितरण साधन के रूप में प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन और आर्किवल (देवा) का प्रयोग किया जाता है जिससे ऋण की गुणवत्ता के साथ साथ प्रलेखन में भी सुधार हो सके। ऋण आस्ति निगरानी पोर्टल (एलएएमपी) एक अन्य आनलाइन संवितरण-पश्चात साधन है जो सभी ऋण मानिट्रिंग पैरामीटरों के डाटा प्राप्त करता है, खातों की रेटिंग करता है तथा मानिट्रिंग को सुविधाजनक बनाता है जिससे यह और अधिक सटीक और सार्थक बन सके। यह समय पर सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने हेतु पूर्व चेतावनी संकेतों के (ईडब्ल्यूएस) जनरेशन का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

बैंक ने अपने विभिन्न नियंत्रक कार्यालयों (एफजीएमओ और मंका) में ऋण "मानिट्रिंग हेतु नोडल अधिकारियों" को नामोद्दिष्ट किया है जो अपने क्षेत्र में समग्र ऋण मानिट्रिंग प्रकार्यों पर नजर रखते हैं। बैंक खातों की स्थिति में सुधार और स्लिपेज रोकने हेतु 360° ऋण मानिट्रिंग हेतु प्रतिबद्ध है।

## डिजिटल पहल और सोशल मीडिया:

डिजिटल इंडिया के सहयोग हेतु प्रौद्योगिकी के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त करना आज के डिजिटल युग में देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बन रहा है। इसके संवर्धन के लिए बैंक ने अनेक सेवाएं शुरू की हैं अर्थात् इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, शुल्क संग्रहण हेतु आलबैंक क्विक कलेक्ट, पीओएस टर्मिनल, यूपीआई-भीम के माध्यम से भुगतान, एटीएम-सह डेबिट कार्ड आदि। डिजिटल डिलीवरी को कारगर ढंग से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैंक ने एमपावर नामक मोबाइल एप शुरू किया है। यह एप प्लेस्टोर/एप स्टोर में उपलब्ध है जिसे 1 मिलियन से अधिक ग्राहकों द्वारा डाउनलोड किया गया है और इस एप पर दैनिक आधार पर लेनदेन बढ़ रहे हैं। इस एप में व्यापक विस्तार किया जाना है, जैसे चैटबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई-कामर्स भुगतान।

डिजिटल पहल के भाग के रूप में तथा बैंक की दृश्यता बढ़ाने तथा एक टेक सेवी संस्था के रूप में बैंक की सही छवि प्रस्तुत करने हेतु, जो समय

## Each One Reach One Campaign:

A Campaign has been launched during the last week of November 2018 by name "Each One Reach One", exhorting all the Allahabadians through the Zonal Managers and Field General Managers, to actively participate in endeavoring for Recovery in NPA, Write off & SMA accounts for up-gradation / Closure and arresting the slippages.

During current Financial Year efforts for Recovery have been enhanced through "Each One Reach One" to achieve Recovery targets positively.

## Opening of SAM branches for focused recovery:

For effective and timely monitoring of NPA accounts and follow up of due process in NPA accounts having Ledger balance of ₹1.00 Cr and above, concept of "SAMV- Stressed Asset Management Vertical" has been introduced at Head Office level as well as field level with dedicated executives.

The Bank also has Stressed Assets Management Branches which function exclusively for resolving NPAs.

## Monitoring:

The Bank is classifying accounts into SMA as per the RBI guidelines and reporting them in CRILC as per their eligibility. Document Electronic Verification & Archival (DeVA) is used as a pre-disbursement tool to check & verify documentation and to weed out irregularities if any to improve credit quality as well as documentation. Loan Asset Monitoring Portal (LAMP) is another online post-disbursement tool that captures data on all credit monitoring parameters, rates accounts and facilitates monitoring to be more precise, accurate & meaningful. It also leads to generation of Early Warning Signals (EWS) to facilitate implementation of timely corrective measures.

The Bank has designated "Nodal Officers for Credit Monitoring" in its various controlling offices (FGMO and ZO), who oversee all the credit monitoring functions under their jurisdiction. The Bank is committed to 360° Credit Monitoring to improve health of accounts and prevent slippages.

## Digital Initiatives & Social Media:

Empowering the economy with technology to aid Digital India continues to be crucial for country's growth in today's digital era. To promote this, the Bank introduced several services viz. Internet Banking, Mobile Banking, AllBank Qwik Collect for fees collection, PoS terminals, payment through UPI-BHIM, ATM-cum- Debit Cards etc. In order to strengthen the digital delivery effectively, the Bank introduced a mobile app named "emPower". This app is available on Playstore / AppStore which has since been downloaded by over 1 million customers and transactions on this app are increasing on daily basis. The app is scheduled to get major enhancements like Chatbot and Artificial Intelligence based e-Commerce payments.

As a part of Digital Initiative and with a view to enhance the visibility of the Bank and project the Bank's true image as tech savvy financial institution which is fast moving with the times,

के साथ तेजी से बढ़ रहा है, बैंक ने बैंक का आधिकारिक फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल की शुरुआत कर सोशल मीडिया के क्षेत्र में प्रवेश किया है। इन पहलों से बैंक को न केवल मौजूदा और भावी ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क स्थापित करने में अपितु ग्राहक शिकायतों में कमी सुनिश्चित करते हुए, ग्राहकों की अपेक्षाओं और बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के बीच के अंतराल को पाटने में मदद मिलेगी।

### वित्तीय समावेशन:

बैंक वित्तीय रूप से वर्जित नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग की परिधि के अंतर्गत लाते हुए लोगों के समाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में प्रतिबद्ध है। बैंक ने वित्तीय समावेशन हेतु अनेक पहल की हैं, जिससे बैंकिंग सुविधाजनक होगी जैसे तत्काल खाते खोलना, शाखा स्तर पर और बीसी केन्द्रों में आधार सीडिंग, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना में नामांकन।

### मानव संसाधन विकास:

बैंक में सभी संवर्गों के कौशल उन्नयन हेतु बैंक द्वारा बाह्य और आंतरिक विशेषज्ञों के जरिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु बैंक द्वारा पहल की गई है। आंतरिक रूप से तैयार एक डिजिटल प्रशिक्षण वेब पोर्टल आरंभ किया गया है। यह पोर्टल उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करता है और हमारे कर्मचारियों को 24\*7 डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल पर उपलब्ध है। यह पहल लोगों को ज्ञान के पास जाने के बजाय ज्ञान को लोगों के पास लाती है। इससे कर्मचारियों को, हमारे ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, ज्ञान और कौशल का पर्याप्त विकास करने में मदद मिलती है।

कर्मचारियों के मध्य कौशल विकास के अलावा, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि इसके कर्मचारी शारीरिक रूप से फिट और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बैंक 40 वर्ष और अधिक आयु के कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराता है।

### पुरस्कार एवं प्रशस्तियां:

- बैंक को निम्नलिखित क्षेत्रों में आईबीए द्वारा बैंकिंग टेक्नोलॉजी 2019 पुरस्कार प्रदान किए गए थे: (1) सर्वोत्तम भुगतान पहल, (2) सर्वोत्तम वित्तीय समावेशन पहल, (3) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अत्यधिक नवोन्मेषी उत्पाद।
- बैंक को वित्तीय वर्ष 2018-19 में पीएफआरडीए से "मेकर्स ऑफ एक्सिलेंस-एमई-2.0" पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- अभियान अवधि 12.11.2018 से 30.11.2018 के दौरान 27355 नए एपीवाई अंशदाताओं के संग्रहण हेतु बैंक को पीएफआरडीए/डीएफएस से "लीडरशिप कैपिटल" पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- बैंक को औसत आधार जनरेशन और अपडेट के रूप में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। बैंक को दिए गए लक्ष्य के अनुसार आधार केन्द्र खोलने के उच्चतम प्रतिशत हेतु "एचीवर्स अवार्ड" की श्रेणी में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है।

### भारिबैं की पीसीए संरचना और भारत सरकार का पीएसबी सुधार एजेंडा

उच्च अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) और लगातार दो वर्षों हेतु आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) के नकारात्मक होने के कारण भारिबैं द्वारा 2 जनवरी, 2018 को बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) संरचना के अंतर्गत रखा गया था।

the Bank has entered into Social Media space with launch of Bank's Official Facebook page and Twitter Handle. These initiatives will help the Bank to not only establish regular contact with existing and prospective customers, but also bridge the gap between the customers' expectations and action by the bank, ensuring declining customer complaints.

### Financial Inclusion:

The Bank is committed towards the socio-economic development of the people by bringing financially excluded citizens under the ambit of formal banking. Bank has undertaken a number of FI initiatives, which will ease the convenience of banking, such as instant account opening, Aadhar seeding, enrollment in Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana & Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna, Atal Pension Yojna at branches as well as BC points.

### Human Resource Development:

Various training programs by experts internally or externally were undertaken by the Bank to upgrade the skills across the cadre in the Bank. The Bank has taken an initiative for capacity building of the employees through Digital Training. A web portal on Digital Training, developed in-house, has been launched. The portal provides high quality training and is available to our employees 24\*7 on Desktop, Laptop and Mobile. This initiative has brought learning to people instead of people to learning. It helps the employees to develop with adequate knowledge and skills to cater to the varied needs of our customers.

Apart from up skills building among employees, the Bank also ensures that its employees are physically fit and health conscious. The Bank undertakes yearly health check-up of the employees aged 40 years and above.

### Awards and Accolades:

- Bank was awarded Banking Technology 2019 awards by IBA on the following parameters : 1) Best Payment Initiatives (2) Best Financial Inclusion Initiatives (3) Most Innovative Product using Technology
- Bank Received award of "Makers of Excellence-ME-2.0" in Financial year 2018-19 from PFRDA
- The Bank has received "Leadership Capital" award by PFRDA/DFS for mobilising 27355 numbers of new APY subscribers during the campaign period 12.11.2018 to 30.11.2018.
- Bank has been conferred 3rd Rank in the category of Best Performing Public Sector Bank in terms of average Aadhaar Generation and Update. Bank also bagged 7th rank in the category of "Achievers Award" for opening highest percentage of Aadhaar Centres as per given targets.

### PCA framework of RBI & PSBs reform agenda of GOI

Owing to high non-performing assets (NPA) and negative Return on Assets (RoA) for two consecutive years, Bank was brought under Prompt Corrective Action (PCA) framework by RBI on 2nd January 2018.

वित्तीय वर्ष, 19 के दौरान भारत सरकार ने तीन चरणों में ₹11740 करोड़ की पूंजी लगाई है। पूंजी इंफ्यूजन के आधार पर भारिबैं ने 26 फरवरी, 2019 से पीसीए संरचना के अंतर्गत बैंक पर अधिरोपित प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है।

बैंक के टर्नअराउंड हेतु बैंक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार एजेंडा, वर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज) का भी अनुसरण कर रहा है।

#### आगे का मार्ग और भावी रणनीतियां

##### ● व्यवसाय वृद्धि:

बैंक कासा आधार के समेकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए और रिटेल क्षेत्र के अंतर्गत निर्भरता बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 20 के दौरान 9% की मामूली व्यवसाय वृद्धि की अपेक्षा कर रहा है।

##### ● स्लिपेज:

हम मामूली स्लिपेज की अपेक्षा करते हैं और इसे प्रति तिमाही लगभग 1% तक सीमित रखा जाना है।

##### ● वसूली/समाधान:

लगभग ₹2000 करोड़/तिमाही की वसूली सुनिश्चित करने हेतु समर्पित एसएएम वर्टिकल मौजूद हैं।

##### ● अर्जन:

हम अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय वर्ष 20 की प्रथम तिमाही के दौरान बैंक लाभ-अलाभ(ब्रेक ईवन) की स्थिति में आ जाएगा और तत्पश्चात लगातार निवल लाभ दर्ज करेगा। एनआईएम लगभग 2.65% होने और लागत आय अनुपात में स्पष्ट सुधार होने की संभावना है।

##### ● पूंजी उगाहने की योजनाएं:

वर्ष के दौरान बैंक को पूंजी में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसने वर्ष के दौरान विभिन्न तरीकों से ₹4000 करोड़ तक की इक्विटी पूंजी उगाहने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

अंत में, मैं इस विरासत वाली बैंकिंग संस्था के समस्त हितधारकों के साथ-साथ इसके मूल्यवान ग्राहकों, प्रतिबद्ध कर्मचारियों और निदेशकों के सतत समर्थन और अटल विश्वास के लिए उनकी सराहना करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। बैंक भारत सरकार, भारिबैं और अन्य विनियामक प्राधिकरणों और वित्तीय संस्थाओं के सतत सहयोग हेतु उनके प्रति भी आभारी है।

आपका,

(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव)  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

During FY19, Government of India infused capital to the tune of ₹11740 crore in three tranches. The RBI, on the basis of capital infusion, decided to lift the restriction imposed on the Bank under the PCA framework with effect from February 26, 2019.

The Bank is also pursuing the reforms agenda Enhanced Access & Service Excellence (EASE) prescribed by the MOF, GOI for turnaround of the Bank.

#### Way Forward and Future Strategies:

##### ● Business Growth:

Bank is looking at a modest business growth of 9% during FY20 through focus on consolidating CASA base & increasing dependency under retail sector.

##### ● Slippage:

We expect slippage to moderate and to be contained at approximately 1% per quarter.

##### ● Recovery/Resolution:

Dedicated SAM verticals are in place to ensure recovery of around ₹2000 crores/quarter.

##### ● Earnings:

We expect the Bank to break even during Q1FY20 and thereafter to post Net Profits consistently. The NIM is expected to be around 2.65% and visible improvement in Cost to Income Ratio.

##### ● Capital Raising Plans:

The Bank shall be requiring to augment growth capital during the year and has obtained board approval for raising equity capital up to ₹4000 crores through various modes during the year.

To conclude, I extend my appreciation and gratitude to all stakeholders of this heritage banking institution along with its valued customers, committed employees and directors for their persistent support and untiring trust. The Bank is also grateful to the GOI, RBI and other regulatory authorities and financial institutions for their continued cooperation.

Yours sincerely,

(CH. S. S. Mallikarjuna Rao)  
Managing Director and CEO

वित्तीय वर्ष 2018-19 (वित्तीय वर्ष 19) के दौरान, बैंक का वैश्विक व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष 0.57% का हास दर्ज करते हुए ₹377887 करोड़ (₹3.77 लाख करोड़) तक पहुंच गया। बैंक का अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष विदेशी अग्रिम में 67.69% की गिरावट और वर्ष-दर-वर्ष विदेशी जमा में 98.80% की गिरावट के कारण ₹3299 करोड़ रहा और इसने वर्ष-दर-वर्ष 74.37% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। बैंक शीघ्र ही अपनी एकमात्र विदेशी शाखा बंद करने वाला है। मार्च, 19 के अंत में बैंक की वैश्विक जमा राशि 0.34% की वृद्धि के साथ ₹214335 करोड़ रही और सकल अग्रिम 1.73% की गिरावट के साथ ₹163552 करोड़ रहा। आपका बैंक कम लागत की जमाराशियों पर ध्यान केंद्रित करता रहा जिसके परिणामस्वरूप कासा जमा में वर्ष-दर-वर्ष 7.77% की अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है और 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति ₹106070 करोड़ रही। तदनंतर, यथास्थिति 31 मार्च, 19 को कासा अंश पिछले वर्ष के 46.50% की तुलना में बढ़कर 49.49% हो गया है।

बैंक का परिचालनगत लाभ अग्रिम पोर्टफोलियों पर दबाव और परिणामी रिवर्सल/ ब्याज न लगाने के कारण वर्ष-दर-वर्ष 19.52% कम हुआ है। यह वित्तीय वर्ष 19 के दौरान ₹2767 करोड़ रहा। निवल लाभ के रूप में, वित्तीय वर्ष 19 में हानि की मात्रा में वृद्धि हुई क्योंकि उच्चतर प्रावधान 36.83% था और निवल ब्याज आय स्तरों में कमी आई थी। पिछले वर्ष की ₹4674 करोड़ की निवल हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 19 में निवल हानि बढ़कर ₹8334 करोड़ हो गई। बैंक का सीआरएआर वित्तीय वर्ष 18 के 8.69% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 19 में 12.51% रहा। थोक जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 43.87% की कटौती के कारण, जमा लागत वित्तीय वर्ष 18 के 5.33% से कम होकर वित्तीय वर्ष 19 में 5.10% हो गई।

इस पृष्ठभूमि में, आपके निदेशकों को 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों सहित बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

**हमारा कार्यनिष्पादन**

**ए. वित्तीय विशिष्टताएं**

**ए.1. तुलनपत्र**

मानदंड / Parameter	31 मार्च '18	31 मार्च '19	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %
	31 <sup>ST</sup> MAR'18	31 <sup>ST</sup> MAR'19	Y-O-Y GROWTH %
कुल व्यवसाय / Total Business	380040	377887	-0.57
कुल जमाराशियां / Total Deposits	213604	214335	0.34
सकल अग्रिम / Gross Advances	166436	163552	-1.73

**ए.2. लाभ**

मानदंड / Parameter	31 मार्च '18	31 मार्च '19	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %
	31 <sup>ST</sup> MAR'18	31 <sup>ST</sup> MAR'19	Y-O-Y GROWTH %
परिचालनगत लाभ / Operating Profit	3438	2767	-19.52
प्रावधान / Provision	8113	11101	36.83
निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss)	-4674	-8334	

During the financial year 2018-19 (FY19), the Bank's global business reached the level of Rs. 377887 crore (₹ 3.77 lakh crore), registering a Y-o-Y de-growth of 0.57%. The Bank's international business stood at ₹3,299 crore and recorded a negative Y-o-Y growth of 74.37% on account of 67.69% Y-o-Y drop in overseas advances and 98.80% drop in overseas deposit. The Bank is about to wind up its sole international branch soon. Global deposits of the Bank stood at ₹ 214335 crore which increased by 0.34% and gross advances decreased by 1.73% and stood at ₹163552 crore as at the end of Mar'19. Your Bank's continued focus on low cost deposits resulted in a healthy Y-o-Y growth of 7.77% in CASA deposits and the build-up stood at ₹106070 crore as on 31st Mar'19. Subsequently, CASA share improved to 49.49% as on 31<sup>st</sup> Mar'19 from 46.50% a year ago.

The Bank's operating profit decreased by 19.52% Y-o-Y on account of stress on advances portfolio and resultant reversal/non-booking of interest. It stood at ₹2767 crore during FY19. In terms of net profit, the quantum of losses increased in FY19 as provisions were higher by 36.83% and there was a decrease in non-interest income levels. Net loss rose to ₹8334 crore in FY19 as compared to a net loss of ₹4674 crore a year ago. The Bank's CRAR stood at 12.51% in FY19 as compared to 8.69% in FY18. Owing to reduction in bulk deposits by 43.87% Y-o-Y, the cost of deposits decreased to 5.10% during FY19 from 5.33% in FY18.

Against this backdrop, your Directors take pleasure in placing the Bank's Annual Report for 2018-19 along with audited annual financial statements.

**OUR PERFORMANCE**

**A. FINANCIAL HIGHLIGHTS**

**A.1. BALANCE SHEET**

(राशि ₹ करोड़ में)/(Amount ₹ in Crore)

**A.2. PROFIT**

(राशि ₹ करोड़ में)/(Amount ₹ in Crore)

### ए.3. प्रमुख अनुपात

### A.3. KEY RATIOS

मानदंड / Parameter	मार्च '18/Mar'18	मार्च '18/Mar'19
जमा लागत/Cost of Deposits	5.33	5.10
निधि लागत/Cost of Funds	5.23	5.05
निधि पर प्रतिफल/Yield on Funds	7.61	7.89
उधार लागत/Cost of Borrowings	4.15	4.44
निवल ब्याज मार्जिन/Net Interest Margin	2.20	2.58
आस्तियों पर प्रतिफल/Return on Assets	-1.96	-3.48
आय के सापेक्ष लागत अनुपात/Cost to Income Ratio	53.69	61.63

#### बी. आस्ति गुणवत्ता

विभिन्न समष्टि आर्थिक और अन्य कारकों के कारण आस्ति गुणवत्ता में सतत दबाव का सामना करने के कारण वित्तीय वर्ष 19 भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष था। यथास्थिति 31 मार्च, 2019 को बैंक का सकल एनपीए ₹28704.78 करोड़ (विव18: ₹26562.79 करोड़) और निवल एनपीए ₹7419.31 करोड़ (विव18: ₹12229.13 करोड़) रहा। अनुपात के रूप में सकल एनपीए प्रतिशत और निवल एनपीए प्रतिशत क्रमशः 17.55% (विव18: 15.96%) और 5.22% (विव 18: 8.04%) था।

बैंक ने नए स्लिपेज रोकने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए और इसे विव '18 में ₹12903.28 करोड़ की तुलना में विव19 में ₹10726.32 करोड़ तक सीमित रखा। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) भी विव18 में 62.91% की तुलना में विव19 में बढ़कर 79.85% हुआ।

आस्ति गुणवत्ता सुधारने हेतु बैंक ने सतत वसूली अभियान शुरू किए और 36.43% की वृद्धि के साथ ₹4288.83 करोड़ की वसूली की, इसमें से, टोस प्रयासों, दैनिक मॉनिटरिंग और खाता विनिर्दिष्ट समाधान योजना के कारण ₹2826.71 करोड़ की नकद वसूली हुई। उपर्युक्त अवधि के दौरान एनपीए खातों में कुल कमी ₹8584.33 करोड़ रही।

बैंक ने छोटे उधार खातों में समाधान में तेजी लाने हेतु ₹1.00 लाख से ₹15.00 लाख तक के एनपीए खातों हेतु थंब रूल मॉड्यूल के अंतर्गत ओटीएस मॉड्यूल में स्लैबों को युक्तिसंगत बनाते हुए मौजूदा ओटीएस योजनाओं में समुचित संशोधन भी किए हैं।

इसके अतिरिक्त ऋण मुक्ति शिविर के माध्यम से समझौता समाधान वार्ता और उधारकर्ताओं के साथ परस्पर बैठक के रूप में एनपीए से निपटने हेतु एक अन्य महत्वपूर्ण साधन को अपनाया है। इसके लिए वर्ष 2018-19 के दौरान “ग्राम/मोहल्ला संपर्क कार्यक्रम” और “ईच वन रीच टेन” अभियान शुरू किए गए हैं।

एनपीए खातों की कारगर और समय से मानिटरिंग तथा ₹1.00 करोड़ और अधिक के लेजर शेष वाले एनपीए खातों में विधिवत प्रक्रिया के अनुवर्तन हेतु प्रधान कार्यालय स्तर और क्षेत्र स्तर पर समर्पित कार्यपालकों के साथ “दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल (एसएएमवी)” अवधारणा आरंभ की गई है।

बैंक की आस्ति वसूली प्रबंधन शाखाएं भी हैं, जो अनन्य रूप से एनपीए समाधान का कार्य करती हैं।

#### वित्तीय वर्ष 19 में शुरू की गई पहल

- बैंक ने प्रोजेक्ट नवोदय का आरंभ किया है जिसमें एनपीए के प्रबंधन हेतु कार्पोरेट स्तर पर दो अलग वर्टिकल बनाए गए हैं।
- बैंक ने ₹25.00 करोड़ और अधिक के बकाया वाले एनपीए खातों पर केंद्रित अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल (एसएएम-वृहद) को सक्रिय

#### B. ASSET QUALITY

FY19 was a challenging year for the Indian Banking Industry due to continued stress faced in asset quality on account of various macroeconomic and other factors. As on 31<sup>st</sup> Mar'19, Gross NPA of the Bank stood at ₹28704.78 crore (FY18: ₹26562.79 crore) and Net NPA stood at ₹7419.31 crore (FY18: ₹12229.13 crore). In terms of ratio, Gross NPA Percentage and Net NPA Percentage were 17.55% (FY18: 15.96%) & 5.22% (FY18: 8.04%) respectively.

The Bank initiated various measures to arrest fresh slippage and restricted it to ₹10726.32 crore during the FY19 compared to ₹12903.28 crore for the FY18. Provision Coverage Ratio (PCR) also improved to 79.85% in FY19 from 62.91% in FY18.

To improve asset quality, the Bank initiated consistent recovery drive and recovered ₹4288.83 crore, out of which Cash Recovery was ₹2826.71 crore with a growth of 36.43 % due to concerted efforts, daily monitoring and account specific resolution plan. During the aforesaid period, total reduction in NPA accounts stood at ₹8584.33 crore.

The Bank also made suitable amendments in existing OTS schemes by rationalizing the slabs in OTS module under Thumb Rule for NPA accounts having balance of ₹1.00 lac upto ₹15.00 Lac to accelerate settlement of small borrowal accounts.

Further, compromise/negotiated settlement approach has been adopted through Rin Mukti Shivir and one-to-one meeting with borrowers as another vital tool to tackle NPAs. For this **Village Mohalla Contact Programme** and **"Each One Reach Ten"** campaigns were initiated during the year 2018-19.

For effective and timely monitoring of NPA accounts and follow up of due process in NPA accounts having Ledger balance of ₹1.00 Cr and above, concept of "Stressed Asset Management Vertical (SAMV)" has been introduced at Head Office level as well as field level with dedicated executives.

The Bank also has Stressed Assets Management Branches which function exclusively for resolving NPAs.

#### Initiatives taken during FY 19

- Bank has launched Project Navoday wherein two separate verticals at corporate level have been formed for management of NPA.
- The Bank has activated Stressed Assets Management Vertical (SAM-Large) for focused follow up & Recovery of NPA accounts with O/s of ₹25.00 Cr & above at HO level.



किया है। इसके अतिरिक्त केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ₹1.00 करोड़ से अधिक और ₹25.00 करोड़ से कम बकाया वाले एनपीए खातों के समाधान हेतु बैंक की एसएएम शाखाएं हैं।

- ग्राहकों/गारंटीकर्ताओं तक सहज पहुंच हेतु ओटीएस माड्यूल को कार्यान्वित किया गया है जिससे उन्हें ओटीएस का प्रस्ताव दिया जा सके साथ ही उनकी स्थिति जानने में सुविधा हो।
- एनपीए खातों में पैठ बढ़ाने हेतु मंडलों/एफजीएमओ के साथ दैनिक वसूली की मॉनिटरिंग शुरू की गई।
- बैंक ने सभी शाखाओं को सम्मिलित कर 16 वसूली कैम्पों का आयोजन किया। इसमें ₹3579.82 करोड़ की वसूली हुई, जो वसूली की दृष्टि से बहुत ही सफल रहा। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के विपणन हेतु वसूली एजेंसियों और बैंकिंग प्रतिनिधियों की सेवाओं का समुचित उपयोग किया गया।
- वित्तीय वर्ष 19 के दौरान बैंक ने ₹2738.03 करोड़ के लेजर शेष वाले और ₹1760.38 करोड़ की समझौता राशि के 71958 समझौता प्रस्ताव संस्वीकृत किए हैं।
- बैंक ने राष्ट्रीय लोक अदालत/जिला लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता की और ₹527.47 करोड़ के बकाया वाले 35812 मामलों का निपटान किया।
- वर्ष भर प्रभारित अचल और चल प्रतिभूतियों की ई-नीलामी की गई। संशोधित सरफेसी अधिनियम का लाभ उठाते हुए या तो प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से या संबंधित डीएम/सीएमएम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अचल संपत्तियों के वास्तविक कब्जे पर बल दिया गया। इस कार्रवाई से बैंक के पास वास्तविक कब्जे के अंतर्गत संपत्तियों की नीलामी में वृद्धि हुई है।
- क्रॉनिक/कठिन दबावग्रस्त खातों को एआरसी को बेचना एक अन्य विकल्प था जिसका 42 दबावग्रस्त खातों में उपयोग किया गया और वित्तीय वर्ष 19 के दौरान विभिन्न एआरसी को ₹398.97 करोड़ की राशि वाले एनपीए खाते बेचे गए।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु पहल की गई। समुचित सावधानी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, पहचान किए गए उधारकर्ताओं को बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया और यथास्थिति 31.03.2019 को अब यह संख्या 341 है।
- प्रभावी और बेहतर मानिटरिंग हेतु, सभी एमपीए उधारखातों को मुख्यतः चार शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात् (i) ₹50,000 से कम (ii) ₹50,000 से ₹15.00 लाख (iii) ₹15.00 लाख से ₹1.00 करोड़ और (iv) ₹1.00 करोड़ से अधिक। जबकि प्रथम दो श्रेणियों में ओटीएस पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था, अन्य अतिरिक्त विकल्प जैसे सरफेसी के अंतर्गत बिक्री, इरादतन चूककर्ता की घोषणा, रिस्ट्रक्चरिंग, डीआरटी में वाद दाखिल करना अगली दो श्रेणियों में अत्यंत विधिवत रूप से अपनाया गया था। उच्च मूल्य के एनपीए खातों में वसूली हेतु महत्वपूर्ण साधन के रूप में आईबीसी/एनसीएलटी के माध्यम से समाधान का भी प्रयोग किया था। इसके अतिरिक्त, ₹1.00 करोड़ से अधिक के बकाया वाले उधार खातों में मंडलीय प्रमुखों और एफजीएम के साथ मासिक वीसी बैठकें की गई थी और "साध्य" खाता की पहचान की गई जिसमें तिमाही के अंदर बदलाव/वसूली की संभावना हो। समाधान सुनिश्चित करने हेतु इन खातों के संबंध में दैनिक आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी।
- वित्तीय वर्ष 19 के दौरान बैंक ने आईबीसी के अंतर्गत समाधान हेतु ₹18322.55 करोड़ की राशि वाले 156 एनपीए खाते एनसीएलटी को भेजे हैं।

Further, the Bank has SAM Branches for resolving NPA accounts with outstanding above ₹1.00 Cr to below ₹25.00 Cr with a focused approach.

- Online OTS module has been implemented for easy access to borrowers/guarantors for offering OTS along with facility to track status thereof.
- Monitoring of daily recovery was introduced with Zones/FGMOs to improve penetration in NPA accounts.
- The Bank organized 16 Recovery Camps involving all the branches. This step was very successful in terms of recovery that amounted to ₹3579.82 crore. Services of Recovery Agencies and Banking Correspondents were properly utilized for marketing of One Time Settlement Schemes (OTS).
- During the FY19 Bank sanctioned 71958 Compromise cases with ledger balance of ₹2738.03 Cr and compromise amount of ₹1760.38 Cr.
- The Bank participated in National Lok Adalat/District Lok Adalat actively and settled 35812 cases having outstanding of ₹527.47 Cr.
- E-auctions of charged immovable & movable securities were carried out through-out the year. Special thrust was given in taking physical possession of immovable properties either with the help of Enforcement Agencies or by moving application before the concerned DM/CMM taking advantage of amended SARFAESI Act. This step resulted into increased auction of properties under physical possession of the Bank.
- Sale of chronic/difficult stressed accounts to ARC was another option utilized in 42 Stressed accounts and NPA accounts involving amount of ₹398.97 Cr were sold to various ARCs during the FY19.
- Initiatives for identifying Wilful Defaulters were undertaken in terms of guidelines of Reserve Bank of India. On completion of due diligence exercise, identified borrowers were declared as Wilful Defaulter by the Bank and the number now stands at 341, as on 31.03.2019.
- For effective and better monitoring, all NPA borrowal accounts were categorized under four broad heads, viz. (i) Below Rs.50,000 (ii) ₹50,000 to ₹15,00 lakhs (iii) ₹15.00 lakhs to 1.00 crore and (iv) above ₹1.00 crore. While OTS was the main focus in first two categories, other additional options like sale under SARFAESI, declaration of willful Defaulter, restructuring, suit with DRT were followed very methodically for next two categories. Resolution through IBC/ NCLT was also used as important tools for recovery in high value NPA accounts. Further, for borrowal accounts having outstanding balance above ₹1.00 crore, monthly VC meetings were held with Zonal Heads and FGMs and 'Doable' accounts were identified where turnaround/recovery was expected within the quarter. These accounts were then followed-up on daily basis to ensure resolutions.
- Bank has referred 156 NPA borrowal cases involving an amount of ₹18322.55 Cr to NCLT for resolution under IBC during FY19.

## सी. ऋण निगरानी

वित्तीय वर्ष 19 के दौरान एनपीए में नया स्लिपेज ₹10726 करोड़ था जिसमें कृषि क्षेत्र में ₹2786 करोड़, एमएसएमई क्षेत्र में ₹2361 करोड़ और रिटेल ऋण (योजनागत) क्षेत्र में ₹1141 करोड़ का स्लिपेज था। मार्च, 18 और मार्च, 19 में एसडीआर के अंतर्गत बकाया शून्य था।

मार्च 18 को यथास्थिति एस4ए के अंतर्गत ₹498 करोड़ बकाया था जो मार्च 19 में घटकर ₹279 करोड़ रह गया।

मार्च 19 में कुल मानक पुनःसंरचित अग्रिम ₹495 करोड़ रहे (एसएमई में 149 करोड़ और अन्य में 346 करोड़) जो मार्च 18 में ₹945 करोड़ थे (एसएमई में 44 करोड़ और अन्य में 901 करोड़)। एमएसएमई के अंतर्गत ₹122 करोड़ की नए सिरे से पुनः संरचना की गई, ₹172 करोड़ का पुनः संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन, मौजूदा बकाया/समापन में ₹91 करोड़ की कमी, ₹262 करोड़ से संतोषजनक सूची में संचलन और ₹391 करोड़ के एनपीए में स्लिप होने से मार्च 19 में मानक पुनःसंरचित अग्रिमों के अंतर्गत निवल बकाया ₹495 करोड़ रहा।

मार्च,19 तिमाही के दौरान सकल स्लिपेज दिसंबर, 18 तिमाही के ₹2540 करोड़ की तुलना में ₹2826 करोड़ था। इसमें से कृषि क्षेत्र में स्लिपेज ₹886 करोड़ ( कुल स्लिपेज का 31.36%), एमएसएमई क्षेत्र में ₹790 करोड़ ( कुल स्लिपेज का 27.95%), रिटेल ऋण- योजनागत में ₹283 करोड़ ( कुल स्लिपेज का 10.00%)। इसके अतिरिक्त मार्च, 19 तिमाही के दौरान ₹10.00 करोड़ और अधिक के उच्च मूल्य के ऋण खातों में ₹918 करोड़ की राशि स्लिप हुई।

## डी. डिजीटलाइजेशन

### वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल

#### इंटरनेट बैंकिंग

बैंक अपने ग्राहकों को रिटेल इंटरनेट बैंकिंग और कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। 31 मार्च, 2019 को बैंक के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों की संख्या 14.90 लाख तक पहुंच गई। बैंक ने वित्तीय वर्ष 19 के दौरान अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को अद्यतन किया है जो निम्नानुसार है:

#### व्यक्ति/व्यक्तिगत और कॉरपोरेट ग्राहकों दोनों को उपलब्ध सुविधाएं

- खाता शेष और लेनदेन देखना
- नामोद्दिष्ट खातों के बीच निधि अंतरण
- चेकबुक अनुरोध
- स्टॉप/रिवोक चेक
- चेक स्थिति की पृष्ठताछ
- डाउनलोड स्टेटमेंट
- बिल भुगतान/ऑनलाइन भुगतान और ई-कामर्स-व्यक्ति/रिटेल ग्राहक
- बिल भुगतान/ऑनलाइन भुगतान –कॉरपोरेट ग्राहक
- प्रत्यक्ष कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, ईपीएफओ और राज्य करों का भुगतान
- सभी ग्राहकों को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से और आईएमपीएस के माध्यम से धनराशि अंतरण। ग्राहक भावी तिथियों (केवल एक माह तक) हेतु एनईएफटी/आरटीजीएस की अनुसूची बना सकता है।
- बीबीपीएस के माध्यम से युटिलिटी बिल भुगतान
- थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के माध्यम से युटिलिटी बिल भुगतान (अर्थात् बिल डेस्क, टेक प्रोसेस/इंजेनिको, एसबीआईईपे, सीसी एवेन्यू, एटम टेक्नोलोजी, पेयू/सिटरस एवं रेजरपे आदि)

## C. CREDIT MONITORING

Fresh slippage to NPA during FY19 was ₹10726 crore comprising ₹2786 crore in Agriculture sector, ₹2361 crore in MSME sector and ₹1141 crore in Retail Credit (Schematic) sector. The outstanding was NIL under SDR in Mar'18 as well as in Mar'19.

Outstanding was ₹498 crore under S4A Standard category as on Mar'18 which came down to ₹279 crore in Mar'19.

Total standard restructured advances remained at ₹495 crore (₹149 crore in SME & ₹346 crore in Others) in Mar'19 against ₹945 crore (₹44 crore in SME & ₹901 crore in Others) in Mar'18. There was fresh restructuring of ₹122 crore under MSME, upgradation of ₹172 crore to restructured standard category, decrease in existing outstanding/ closure by ₹91 crore, moved to satisfactory list by ₹262 crore and slipped to NPA by ₹391 crore resulting in net outstanding at ₹495 crore in Mar'19 under standard restructuring advances.

During Mar'19 quarter, gross slippage was ₹2826 crore as compared to ₹2540 crore in Dec'18 quarter. Out of which, slippage in Agriculture Sector was ₹886 crore (31.36% of total slippage), ₹790 crore in MSME sector (27.95% of total slippage) and ₹283 crore in Retail Credit - Schematic (10.00% of total slippage). Further, a sum of ₹918 crore slipped in high value loan accounts of ₹10.00 crore & above during Mar'19 quarter.

## D. DIGITALIZATION

### Alternate Delivery Channels

#### Internet Banking:

The Bank is providing Retail Internet banking & Corporate Internet banking facilities to its customers. The Internet Banking Customers of the Bank reached 14.90 lacs as on 31<sup>st</sup> March 2019. The Bank updated its Internet Banking Services during FY19 as under:

#### Facilities available to both Personal/Individual and Corporate customers

- View account balances and transactions
- Transfer funds between designated accounts
- Cheques Book request
- Stop/Revoke cheque
- Cheque Status Enquiry
- Download statement
- Bill Payment/Online Payment & e-Commerce -Personal/ Retail customer
- Bill Payment/Online Payment -Corporate customers
- Payment of Direct Tax, GST, Customs Duty, EPFO and State Taxes
- Money transfer through RTGS/NEFT to all customers and through IMPS. Customer can also schedule NEFT/RTGS for future date ( Upto 1 month only ).
- Utility Bill Payment through BBPS.
- Utility Bill Payment through Third Party integration (i.e. BillDesk, Tech Process/ Ingenico, SBlePay, CCAvenue , Atom Technologies, PayU/Citrus and Razorpay etc.).

- ई-विवरण
- मोबाइल बैंकिंग हेतु रजिस्ट्रेशन/डीरजिस्ट्रेशन
- मीयादी जमा खाते खोलना/बंद करना
- डेबिट कार्ड संबंध सुविधाएं (हॉटलिस्टिंग, लॉकिंग/अनलॉकिंग, पिन जनरेशन और एटीएम कार्ड अनुरोध)
- फेमा दिशानिर्देशों के अनुसार एनआर आई ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा। वर्तमान में एनआरआई/एनआरओ/सामान्य को एनईएफटी, एनआरआई और एनआरओ को एनआरओ/सामान्य खातों में निधि अंतरण की सुविधा।
- लॉगइन और/अथवा लेनदेन अधिप्रमाणन हेतु डिजिटल प्रमाणन के रजिस्ट्रेशन की सुविधा।
- ई-टैक्स फाइलिंग/फार्म 26एस
- फार्म 15जी/एच प्रस्तुत करना
- जमा खातों में नामांकन जोड़ना
- अटल पेंशन योजना हेतु (एपीवाई) हेतु नामांकन
- स्थायी अनुदेश(एसआई) सृजन/संशोधन
- एसएमएस बैंकिंग अनुरोध
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेशन
- सॉवरेन गोल्ड बांड(एसजीबी) खरीदना
- फाइल अपलोड के माध्यम से थोक निधि अंतरण (केवल कॉरपोरेट आईबी)
- आईपीओ हेतु आवेदन
- इंटरनेट बैंकिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

#### मोबाइल बैंकिंग और एमपावर एप्प

बैंक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में दो मोबाइल एप्लिकेशन हैं। (i) आल मोबाइल (मौजूदा मोबाइल बैंकिंग) और (ii) एमपावर। आल मोबाइल में उपलब्ध सभी सुविधाएं एमपावर में भी उपलब्ध हैं और इसमें अतिरिक्त मूल्यवर्धित सेवाएं हैं। आल मोबाइल एप्लिकेशन को हटा दिया जाएगा। बैंक एमपावर एप्लिकेशन के माध्यम से लगभग 4.5 लाख ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

ग्राहक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से एकल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

#### एमपावर की विशेषताएं और कार्यप्रणाली

- पिछले पांच लेनदेनों के विवरण के साथ खाते का सार
- निधि/धनराशि अंतरण सुविधा(आईएमपीएस, एनईएफटी और यूपीआई के माध्यम से इंटर बैंक और इंटर बैंक)
- पिछले लेनदेन का विवरण
- यूपीआई कलेक्ट अनुरोध के माध्यम से धनराशि प्राप्त करना
- एमपासबुक(इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पासबुक) नरेशन तथा सर्चिंग और सार्टिंग विशेषता सहित
- मोबाइल/डीटीएच रीचार्ज
- एफडी/आरडी खाते खोलना और बंद करना
- चेक बुक जारी करने का अनुरोध
- बिल भुगतान सुविधा-प्रक्रियाधीन और शीघ्र उपलब्ध होगी

- E-Statements.
- Registration/ Deregistration for Mobile Banking.
- Opening/closing of the Term Deposit accounts.
- Debit Card related facilities (Hotlisting, locking /unlocking, PIN generation and ATM card request).
- Internet Banking facility to NRI customers as per FEMA guidelines. Presently NEFT, NRE to NRE/NRO/Normal and NRO to NRO/Normal account fund transfer facility .
- Facility of Registration of digital certification for login and/ or transaction authentication.
- E-Tax filing/Form 26AS
- Submission of form 15G/H.
- Add Nomination for Deposit accounts.
- Enrolment for Atal Pension Yojana (APY)
- Standing Instruction (SI) creation/modification.
- SMS banking request.
- Mobile number and Email id updation.
- Purchase of Sovereign Gold Bond (SGB).
- Bulk Fund transfer through File upload. ( Corporate IB only )
- Apply for IPO
- Online Registration of Internet banking.

#### Mobile Banking and empower app

Bank is providing banking services through mobile application. At present there are two mobile applications: (i) All Mobile (existing Mobile Banking) and (ii) emPower. All facilities available in All Mobile application are also available in emPower in addition to more value added services. All Mobile application will be phased out. The Bank is providing Mobile Banking services to around 4.5 lakh customers through empower application.

Customers may access different banking and value added services in a convenient and secured manner on a single platform.

#### Features & functionalities of emPower:

- Account summary with last five transaction details
- Funds/Money Transfer facility (Intra-bank and Inter-bank through IMPS, NEFT & UPI).
- Transaction History.
- Collect Money through UPI Collect Request.
- mPassbook (passbook in electronic format) with narration and searching & sorting features.
- Mobile/DTH recharge
- Opening and Closure of FD/RD account.
- Cheque Book Issue Request.
- Bill Payment facility - Under process and will be available shortly.

- डेबिट कार्ड लेनदेन और इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन की लॉकिंग और अनलॉकिंग
- डेबिट कार्ड की हॉटलिस्टिंग
- डेबिट कार्ड पिन जनरेशन
- डेबिट कार्ड अनुरोध
- इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन
- स्थायी अनुदेश बनाना/संशोधन करना
- जमा खातों में नामिती बनाना/संशोधन करना
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेशन
- स्टॉप/रिवोक चेक
- चेक की स्थिति की पृष्ठताछ
- आईपीओ हेतु आवेदन-प्रक्रियाधीन और शीघ्र उपलब्ध होगी
- फार्म 15जी/एच प्रस्तुत करना-प्रक्रियाधीन और शीघ्र उपलब्ध होगी
- भारत क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से भुगतान
- Locking and Unlocking of Debit Card transactions & Internet Banking transactions.
- Hotlisting of Debit Card
- Debit Card Pin Generation
- Debit Card Request
- Internet Banking registration
- Creation/Amendment of Standing Instruction.
- Creation/Amendment of nominee in deposit accounts.
- Mobile number and Email id updation.
- Stop/Revoke cheque
- Cheque Status Enquiry.
- Apply for IPO - Under process and will be available shortly.
- Submission of Form 15G/H - - Under process and will be available shortly.
- Payment through Bharat QR code scanning

### यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस(यूपीआई)

बैंक ने “आलबैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस”, एक मोबाइल एप शुरू किया है जो एक खाते से दूसरे खाते में निधि अंतरण सुविधा की अनुमति देता है। बैंक का कोई भी खाताधारक एप में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एप्लीकेशन के माध्यम से भुगतान कर सकता है और ले सकता है। यूपीआई एप्लीकेशन की विशेषताएं और कार्यप्रणाली:

- लाभार्थी खाता विवरण प्रदान करने के विपरीत धनराशि भेजने और प्राप्त करने हेतु पेमेंट आइडेंटिफायर के रूप में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए)
- प्रेषक (पुश) और प्राप्तकर्ता(पुल) के जरिए सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से लेनदेन कर सकता है।
- शेष की जांच
- 24x7 आधार पर निधियों का तत्काल अंतरण और संग्रहण
- यूपीआई में सहभागी विभिन्न बैंकों के ग्राहक को बहुविध बैंक खाते जोड़ने की सुविधा
- वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) वाले ग्राहक से तत्काल धनराशि संग्रहण की सुविधा
- भारत क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन और भुगतान
- वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए), खाता नं. और आईएफएससी, मोबाइल नंबर और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर (एमएमआईडी) में से किसी का प्रयोग कर धनराशि भेजने की सुविधा। एमएमआईडी मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से जेनरेट की जा सकती है।

### रुपे प्रीपेड कार्ड

बैंक ने रुपे प्रीपेड कार्ड आरंभ किया है। विनिर्दिष्ट राशि के साथ कार्ड की रीलोडिंग के बाद यूजर कार्ड का प्रयोग एटीएम, पीओएस मशीन और आनलाइन साइट पर कर सकता है। जो बैंक का ग्राहक नहीं है, वह भी प्रयोग हेतु कार्ड खरीद सकता है।

### प्वाइंट आफ सेल(पीओएस)

बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अपने ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों हेतु प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों (पीओएस) के माध्यम से व्यापारियों से व्यवसाय अर्जित करना आरंभ किया है। पीओएस में सभी कार्ड (रुपेकार्ड, मास्टर कार्ड और वीजा) स्वीकार किए जाते हैं। 31.03.2019 को यथास्थिति लगभग 2995 पीओएस मशीनें लगाई गईं।

### Unified Payment Interface (UPI)

The Bank has launched "AllBank Unified Payment Interface", a Mobile App which allows funds transfer facility through Mobile from one account to another account. Any Bank account holder, after registration in the app, can pay or pull funds through the application. Features & Functionalities of UPI Application:

- Virtual Payment Address (VPA) as payment identifier for sending and collecting money in contrast to providing Beneficiary Account details.
- Sender initiated (PUSH) and receiver initiated (PULL) transactions in secured and convenient manner.
- Balance Enquiry
- Instant Transfer and Collection of funds on 24x7 basis.
- Facility to add multiple bank accounts of a customer of different banks participating in UPI.
- Facility to collect money instantly from any customer having Virtual Payment Address (VPA).
- Scan & Pay through BHARAT QR Code
- Facility to send money using either of Virtual Payment Address (VPA), Account Number and IFSC, Mobile Number and Mobile Money Identifier (MMID). MMID may be generated through Mobile Banking.

### RuPay Prepaid Card:

The Bank has launched RuPay Prepaid card. After reloading the card with a specified amount, the user can use the card at ATMs, POS machines & Online sites. A non bank customer can also purchase the card for use.

### Point of Sale (PoS):

The Bank has launched merchant acquiring business through Point of Sale machines (PoS) for the merchants to accept payments from its customers through electronic means. All card (RuPay, MasterCard & VISA) are accepted in the PoS. Around 2995 PoS machines have been installed as on 31.03.2019.

## बीसी चैनल (ईपीएस और कार्ड आधारित)

वित्तीय समावेशन परियोजना के अंतर्गत बैंक ने माइक्रो एटीएम का प्रयोग कर 6106 बैंक मित्र केन्द्रों पर ऑनलाइन इंटर-ऑपरेबल कियोस्क बैंकिंग सॉल्यूशन के रूप में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की हैं। ग्रामीण और शहरी जनता दोनों हेतु वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए बायो-मेट्रिक अधिप्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से ईपीएस लेनदेन और पिन पैड डिवाइस का प्रयोग कर कार्ड आधारित लेनदेन किए जा सकते हैं। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, माइक्रो बीमा और माइक्रो पेंशन नामांकन सहित भारत सरकार के पीएमजेडीवाई कार्यक्रम को मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरी ओर निधिक बचत बैंक खाते खोलने, कम लागत की खुदरा जमा राशियों और ₹15.00 लाख तक बैंक बकाय की वसूली, ऋण खातों में ईएमआई/ब्याज की वसूली के साथ-साथ शेष राशि की जानकारी, पासबुक प्रिंटिंग आदि जैसी गैर वित्तीय सेवाओं हेतु बीसी चैनल का भी उपयोग किया जाता है।

## नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी)

बैंक वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहकों हेतु डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में ऑफलाइन वॉलेट के साथ रुपये ईवीएम चिप डुअल इंटरफेस कॉन्टैक्टलेस एनसीएमसी कार्ड जारी कर रहा है।

## एसएमएस अलर्ट सेवाएं

- एसएमएस अलर्ट बचत बैंक और चालू खाताधारकों को खाते के निष्क्रिय होने से पहले/बाद में भेजे जाते हैं।
- न्यूनतम शेष से कम राशि होने पर दंडिक प्रभार की कटौती के संबंध में ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।
- ग्राहकों को मीयादी जमा राशियों की परिपक्वता के संबंध में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

## एटीएम

31 मार्च, 19 को यथास्थिति बैंक के कुल 836 एटीएम/सीडी थे।

## चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)

समग्र भारत को कवर करते हुए सभी तीन ग्रिडों (उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी) में सीटीएस का सफल कार्यान्वयन किया गया है। पिछले वर्ष के दौरान उपर्युक्त ग्रिडों में 67 नए केन्द्र जोड़े गए। सीटीएस के कार्यान्वयन और बैंकिंग परिचालनों के समेकन तथा परिचालन लागत को कम करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 18 के दौरान 15 सेवा शाखाओं को भंग कर दिया गया था।

सीटीएस आधारित समाशोधन बैंकों के समाशोधन परिमाण का 95% कवर करता है। आवक और जावक समाशोधन दोनों का मिलाकर हमारे बैंक के सीटीएस की मात्रा लगभग 1 लाख चेक प्रतिदिन है। सीटीएस परिचालन का प्रबंधन नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नै स्थित सेवा शाखाओं द्वारा किया जाता है जो संबंधित ग्रिडों हेतु बैंकों के गेटवे के रूप में कार्य कर रहे हैं।

हमारे बैंक के आवक समाशोधन परिमाण को उत्तरी ग्रिड हेतु सेवा शाखा नई दिल्ली और लखनऊ द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, सेवा शाखा मुंबई पश्चिमी और केन्द्रीयकृत सीटीएस परिचालन (सीसीओसी) हेतु तथा भुवनेश्वर दक्षिणी ग्रिड हेतु प्रोसेसिंग कर रहे हैं।

जावक चेकों को 245 हब शाखाओं, जो अपने संबंधित ग्रिड से जुड़ी हैं, द्वारा प्रोसेस किया जाता है।

दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत में कटौती करने हेतु एकल एसआई/सॉफ्टवेयर के साथ सीटीएस परिचालनों को समेकित किया गया है। दक्षिण और पश्चिमी ग्रिड को अब मल्टीग्रिड में माइग्रेट किया गया है और उत्तरी ग्रिड का मल्टीग्रिड में माइग्रेशन प्रक्रियाधीन है और शीघ्र पूरा किया जाएगा।

## BC Channel (AEPS & Card Based)

Under Financial Inclusion Project, the bank has provided Banking Facilities on line Inter-operable Kiosk Banking Solutions at 6106 Bank Mitra locations using Micro ATMs. The AEPS based transactions through Bio-metric authentication process & Card based transactions using Pin Pad device do happen to promote financial inclusion for both Rural & Urban masses. The PMJDY programme of GOI is being implemented in mission mode along with Financial Literacy Programme, Micro Insurance & Micro Pension Enrollment. At the other hand BC channel is also used for funded SB account opening, low cost retail deposits, recovery of Bank's dues up to Rs.15.00 Lakh, Collection of EMI/Interest in Loan accounts as well as for Non financial services like of Balance Enquiry, Pass book Printing etc.

## National common Mobility Card (NCMC):

Bank is issuing RuPay EMV Chip Dual Interface Contactless NCMC Card with offline wallet as a default option to customers as per directive received from Ministry of Finance.

## SMS Alert Services

- SMS alert is being sent prior to/after account becomes inoperative to the SB & Current account holders.
- Customers are being intimated through SMS regarding deduction of penal charges for fall in minimum balance.
- Customers are being intimated through SMS regarding maturity of the Term Deposit.

## ATMs

The Bank has 836 ATMs/CDs as on 31<sup>st</sup> Mar'19.

## Cheque Truncation System (CTS)

CTS has been successfully implemented in all the three grids (Northern, Western & Southern) covering pan India. 67 new centers were added in the above grids during last year. With the implementation of CTS and to consolidate banking operations and reduce operating costs, 15 service branches were dismantled during FY18.

CTS based clearing is covering about 95% of clearing volume of Banks. The CTS volume in our Bank, including both inward and outward clearing, is about 1 Lac cheques per day. CTS operations are being managed by our Service Branches at New Delhi, Mumbai and Chennai, working as Banks gateway for respective Grids.

The inward clearing volume of our Bank is being processed at Service branch, New Delhi and Lucknow for Northern Grid, Service Branch Mumbai for western and Centralized CTS Operations Centers (CCOC), Bhubaneswar for Southern Grid.

Outward cheques are processed at about 245 hub branches, linked to their respective grid.

To improve efficiency and cut the operations cost, consolidation of CTS operations with a single SI/software was done. Southern and Western Grid have now been migrated to Multigrad and Northern Grid migration to Multigrad is under process and shall be completed shortly.

## सूचना सुरक्षा

- बैंक की सुप्रलेखित, बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईटी सुरक्षा नीति और आईटी सुरक्षा प्रक्रिया है जिसे नवीनतम रुझानों और सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुसार अद्यतन करने हेतु वार्षिक रूप से समीक्षा की जा रही है।
- आईटी सुरक्षा नीति और आईटी सुरक्षा प्रक्रिया के अलावा बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना भी अलग से लागू की गई है।
- बैंक ने अपनी आईटी आस्तियों की सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा घटनाओं की पहचान, निगरानी और प्रबंधन के लिए बारह प्रमुख सुरक्षा समाधान के साथ अपना साइबर सुरक्षा परिचालन केन्द्र (सीएसओसी) स्थापित किया है।
- बैंक ने विभिन्न सुरक्षा संकटों के उपशमन हेतु विभिन्न सुरक्षा साधन अभिनियोजित किए हैं जैसे फायरवाल, अतिक्रमण पहचान प्रणाली (आईडीएस), अतिक्रमण निवारण प्रणाली (आईपीएस), ई-मेल सिक्क्योरिटी गेटवे, एंटीवायरस साल्यूशन आदि।
- बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग हेतु हाइपर टेक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्क्योर, (एचटीटीपीएस), एक्सटेंडेड वैलिडेशन सिक्क्योर साकेट्स लेयर (ईवी एसएसएल) को कार्यान्वित किया है।
- सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन (वन टाइम पासवर्ड/ग्रिडकार्ड), वर्चुअल की बोर्ड और केप्चा को इंटरनेट बैंकिंग में कार्यान्वित किया जाता है।
- तिमाही वीएपीटी (वल्नरबिलिटी एसेसमेंट एंड पेनीट्रेशन टेस्टिंग) और वार्षिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा भी सुरक्षा से संबंधित अंतराल, यदि कोई हो, को रोकने हेतु सीबीएस और संबद्ध अवसंरचनाओं हेतु संचालित की जाती है।

## व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा की भरपाई

- व्यवसाय निरंतरता हेतु बैंक का 4 टीयर डेटा सेंटर (डीसी) में डेटा सेंटर है और इसके कोर बैंकिंग साल्यूशन तथा अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों हेतु एक डिजास्टर रिकवरी साइट (डीआरएस) तथा नियर डीआर साइट (एनडीआर) भी है।
- बैंक के पास अपने डीसी और डीआर साइट हेतु आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन है।
- आकस्मिकता की स्थिति में ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंक की सुप्रलेखित, बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना है।
- किसी आपातकाल के मामले में डीआर साइट की कार्यात्मक तैयारी की जांच हेतु तिमाही आधार पर डीआर ड्रिल संचालित किया जाता है।

## अन्य पहल

- सीबीएस में सीकेवाईसीआर कार्यान्वित किया गया है।
- यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार बायोमेट्रीक अधिप्रमाणन हेतु सीबीएस में पंजीकृत डिवाइस (आरडी) सेवाएं।
- राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य हेतु पीएफएमएस आधारित ई-भुगतान प्रणाली का एकीकरण।
- ग्राहकों को पसंदीदा भाषा में एसएमएस भेजने की सुविधा लागू की गई है।
- सीबीएस में फार्म 60 भरना।
- सीबीएस में इनलैंड बैंक गारंटी फंक्शनेलिटी का कार्यान्वयन।
- जीएसटी साफ्टवेयर माड्यूल का कार्यान्वयन.: बैंक ने जीएसटी साफ्टवेयर “सरलजीएसटी” को कार्यान्वित किया है और यह माड्यूल 01.07.2017 से लाइव है।

## Information Security

- The Bank has a well documented, Board approved IT security policy and an IT security procedure in place that is being reviewed annually to keep it updated as per latest trend and best practices.
- Board approved Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan have also been introduced separately apart from IT Security Policy and IT Security Procedure.
- Bank has set up its Cyber Security Operation Centre (CSOC) with twelve major security solutions to detect, monitor and manage cyber security events to protect its IT assets.
- The Bank has deployed various security tools such as firewall, Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS), e-Mail Security Gateway, Antivirus Solution etc. to mitigate various security threats.
- The Bank has implemented Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS), Extended Validation Secure Sockets Layer (EV SSL) for internet banking.
- Second Factor Authentication (One Time Password /Grid Card), Virtual Keyboard and CAPTCHA are implemented in Internet Banking.
- Quarterly VAPT (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) and yearly Information System Audit are also conducted for CBS & allied infrastructures to plug in gaps related to security, if any

## Business Continuity Plan and Disaster Recovery

- The Bank has its Data Centre in Tier 4 Data Centre (DC) and a Disaster Recovery Site (DRS) for its core banking solution and other critical applications as well as a Near DR site (NDR) for business continuity.
- The Bank has ISO 27001:2013 Certification for its DC and DR site.
- The Bank has well documented, Board Approved Business Continuity Plan to provide un-interrupted Customer Services in case of any exigency.
- DR Drill is conducted on a quarterly basis to keep testing DR site's functional preparedness for any emergency.

## Other Initiatives

- CKYCR implemented in CBS.
- Registered Device (RD) Services incorporated in CBS for biometric authentication as per UIDAI guidelines.
- Integration of PFMS based e-payment system for the state of Rajasthan and Madhya Pradesh.
- Facility of sending SMS in preferred language of the customer has been implemented.
- Filling form 60 in CBS.
- Implementation of Inland Bank Guarantee Functionality in CBS.
- Implementation of GST Software Module: Bank has implemented GST software "SaraGST" and the module went live on 01.07.2017

- विभिन्न एजेंसियों और कार्पोरेटों को थोक भुगतान सुविधा
- नया एफआई गेटवे कार्यान्वित किया गया है और सीबीएस के साथ एकीकृत किया गया है।

#### स्विफ्ट

सीबीएस, एक्जिम बिल, ट्रेजरी और अन्य प्रणालियों सहित स्विफ्ट का इंटरफेस: भारिबैं के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने एक्जिम बिल और सीबीएस को स्विफ्ट के साथ एकीकरण की प्रक्रिया 10.04.2018 से पूरी कर ली है।

#### डिजिटलाइजेशन-नया व्यावसायिक मूल मंत्र

बैंक ने अपनी व्यावसायिक प्रक्रिया के डिजिटलाइजेशन में लंबी छलांग लगाई है। सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार हेतु नई आईटी पहल की गई हैं। यूपीआई, माइक्रो एटीएम और आधार भुगतान जैसे नए डिजिटल उत्पाद शुरू किए गए हैं। बैंक के पास 10171 आउटलेट का मजबूत नेटवर्क है जो देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आईटी समर्थित आनलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक ग्राहक हितैषी विकल्प के साथ नवोन्मेषी वैकल्पिक ई-डिलीवरी चैनलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

आगे, लेनदेनों के डिजिटलाइजेशन पर सरकार द्वारा बल देने और लेस-कैश समाज के निर्माण हेतु बैंक ने अनेक उत्पाद शुरू किए हैं।

- आधार सीडेड खातों में एईपीएस ऑन-अस और ऑफ-अस लेनदेन।
- रुपेकार्ड का प्रयोग करते हुए पिन आधारित ऑन-अस और ऑफ-अस लेनदेन।
- बीसी केन्द्रों में तृतीय पक्ष जमा की अनुमति।
- बीसी केन्द्रों में आधार सीडिंग सुविधा।
- ऑनलाइन खाता खोलना(ग्राहक नामांकन) माड्यूल
- ई-केवाईसी के माध्यम से खाता खोलना और ऑटो पापुलेशन को लाइव करना।
- बीसी केन्द्रों में पासबुक मुद्रण सुविधा लाइव है।
- व्यापारिक केन्द्रों में भुगतान करने हेतु, आधार आधारित भुगतान सॉल्यूशन, आधार पे सॉल्यूशन को लाइव किया गया है।
- बीसी केन्द्रों में लघु मीयादी जमा खाते (आरडी/एफडी/डीडीपी/एमआईपी) खाते खोलने की सुविधा आरंभ की गई है।
- बीसी केन्द्रों में रियल टाइम/ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा आरंभ की गई है।
- पीएनआर स्टेटस इन्क्वायरी (बीसी केन्द्रों में खाता खोलने की स्थिति की जांच-12 अंक की संदर्भ संख्या)
- भीम आधार पे मर्चेन्ट ऑन बोर्डिंग (मोबाइल एप) सॉल्यूशन

अपने मौजूदा उत्पादों को हमारे ग्राहकों के लिए अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु नई विशेषताएं शुरू की गई हैं।

- ई-कामर्स लेनदेन में बेहतर सुरक्षा हेतु ओटीपी अधिप्रमाणन
- ईएफपीओं को ऑनलाइन कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान।
- उत्पाद शुल्क का ऑनलाइन भुगतान (आईसीईजीएटीई)।
- ऑनलाइन विद्यार्थी शुल्क संग्रहण।

- Bulk payment Facility for various agency and Corporates.
- New FI Gateway implemented & integrated with CBS

#### SWIFT

Interface of SWIFT application with CBS, Exim Bills, treasury and Other Systems: To comply with the RBI regulatory guidelines, Bank has completed the process of integrating EximBills and CBS with SWIFT w.e.f 10.04.2018.

#### Digitalisation- New Business Buzz Word

The Bank has taken leap forward in digitization of its business processes. New IT initiatives have been put in place to improve delivery of services. New Digital products like UPI, Micro ATM and Aadhar Pay have been launched. The Bank has a strong network of 10171 outlets providing IT enabled online Banking Facilities with special focus on rural and remote areas of country. The Bank is focusing to innovate alternate e-delivery channels with customer friendly options.

Moving forward with Government's thrust on digitization of transactions and gearing up for less cash society, the Bank has introduced a number of products.

- AEPS On-Ups & Off-Ups transactions in Aadhaar seeded accounts.
- PIN based On-Ups & Off-Ups transactions using RuPay cards
- Third party Deposits are allowed at BC locations.
- Aadhaar seeding facility at BC Point.
- Online account opening (Customer Enrolment ) Module.
- Account opening is enabled through e-KYC and auto population is live.
- Passbook Printing Facility is live at BC locations.
- Aadhaar based payment solution, Aadhaar Pay solution has been made live for making payment at Merchant Locations.
- Small Term Deposit (RD/FD/DDP/MIP) account opening facility is enabled at BC locations.
- Real time/Online SB account opening facility is enabled at BC locations.
- PNR Status enquiry (to check the status of account opening at BC location -12 digit reference number enquiries).
- Bhim Aadhar Pay Merchant On boarding (Mobile App) Solution.

New features have been introduced to make our existing e-products more and more convenient for our customers.

- OTP authentication for better security in e-commerce transaction
- On-line employees PF payment to EPFO
- On-line payment of customs-duty (ICEGATE)
- On-line student fee collection

## वर्चुअलाइजेशन

बैंक ने डीसी और डीआरएस में नॉन-कोर एप्लिकेशनों हेतु वर्चुअलाइजेशन परिवेश को कार्यान्वित किया है। वर्तमान में चालीस (40) एप्लिकेशनों यथा मेल मैसेजिंग, सीएमएस, एडीएस एंड डीएनएस, यूपीआई, जीएसटी, देवा, निरीक्षण, ओएसएमसी, एएसबीए आदि को वर्चुअलाइजेशन में सफलतापूर्वक माइग्रेट किया गया है। सर्वर के वर्चुअलाइजेशन से निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

- भौतिक सर्वरों की संख्या में पर्याप्त कमी जो स्वामित्व की कुल लागत में कटौती में योगदान देंगे
- संसाधनों का इष्टतम उपयोग अर्थात् कोर, स्टोरेज, मेमोरी आदि
- संसाधनों की गतिशील स्केलेबिलिटी
- विकास और परीक्षण परिवेश हेतु दक्षता में वृद्धि
- उपलब्धता और व्यवसाय निरंतरता में सुधार

## सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी)

बैंक की साइबर स्थिति में सुधार लाने और 24x7x365 आधार पर बैंक की आईटी आस्तियों को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए कारगर साइबर सुरक्षा कवच प्राप्त करने हेतु बैंक ने अपने डीसी और डीआरएस में पूर्णकृत साइबर सुरक्षा परिचालन केन्द्र (सीएसओसी) स्थापित किया है और अब वह निम्नलिखित 12 समाधान के साथ परिचालन में है:

- डेटा हानि/लीकेज निवारण (डीएलपी)
- सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन समाधान (एसआईईएम) के साथ साइबर सुरक्षा परिचालन केन्द्र (सी-एसओसी)
- वेब एप्लिकेशन फायरवाल (डब्ल्यूएफ)
- डेटाबेस एक्टिविटी मानिट्रिंग (डीएएम)
- प्रॉक्सी एंड वेब गेटवे
- प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन (पीआईएम)
- एंटी-एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट (एंटी-एपीटी)
- वल्नरबिलिटी एसेसमेंट स्केनर्स (वीएस)
- नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी)
- एंड प्वाइंट बिहेवरियल बेस्ड प्रोटेक्शन सॉल्यूशन
- मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (एमडीएम)
- एंटी-डीडीओएस

## काल सेंटर सेटअप

- बैंक ने पूर्णतया आउटसोर्सड मॉडल पर सेवा काल सेंटर सेवा आरंभ की है। काल सेंटर सेटअप विभिन्न सेवाओं/प्रकार्यों हेतु सुविधाजनक होगा जैसे इनबाउंड काल (ग्राहकों से) आउटबाउंड काल (नए उत्पाद संवर्धन, सॉफ्ट रिकवरी हेतु), आईवीआर आदि।

## शाखावार रिक्त लाकरों की स्थिति:

- रिक्त लाकरों की शाखावार स्थिति बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है।

## ई. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

भारिबैं को निर्बाध रूप से एमआईएस प्रदान करने हेतु बैंक ने आटोमेटेड डेटा फ्लो (एडीएफ) लागू किया है। विभिन्न हितधारकों को प्रदान किए गए डेटा में शुद्धता और संगति बनाए रखने के लिए बैंक ने जमा, अग्रिमों

## Virtualization

Bank has implemented Virtualization environment for the non-core applications at DC & DRS. Currently Forty (40) applications such as Mail Messaging, CMS, ADS & DNS, UPI, GST, DeVA, Inspection, OSMC, ASBA etc. have been successfully migrated to Virtualization environment. Virtualization of the servers will provide the following benefits:

- Reduce the total number of physical servers considerably which interns contributes to reduction on Total cost of ownership
- Optimum utilization of resources viz. cores, storage, memory etc.
- Dynamic Scalability of the resource
- Increase efficiency for development and test environments
- Improve availability and business continuity

## Security Operation Center (SOC)

To improve cyber security posture of the bank and to achieve an effective cyber security shield against numerous threats to Bank's IT Asset on a 24x7x365 basis, a full fledged Cyber Security Operation Centre (CSOC) has been set up by the Bank at its DC & DRS and the same is now operational with following 12 solutions:

- Data Loss/Leakage Prevention (DLP)
- Cyber Security Operations Center (C-SOC) with Security Information and Event Management solution (SIEM)
- Web Application Firewall (WAF)
- Database Activity Monitoring (DAM)
- Proxy and WEB Gateway
- Privilege Identity Management Solution (PIM)
- Anti-Advanced Persistent Threat (Anti-APT)
- Vulnerability Assessment Scanners (VAS)
- Network Access Control (NAC)
- End-point Behavioral Based Protection Solution
- Mobile Device Management (MDM)
- Anti-DDoS

## Call Centre Setup

- Bank has launched the service Call Centre facility in Complete outsourced model. The call centre setup facilitate various services/functionalities such as Inbound Calls (from customer), Outbound Calls (for new product promotions, soft recovery), IVR etc

## Branch-wise Vacant Locker Status:

- Branch-wise position of vacant locker is being displayed in the Bank's website.

## E. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)

The Bank has its Automated Data Flow (ADF) system developed in-house to provide MIS to RBI seamlessly. Bank has set up Data Repositories for Deposits, Advances and



और ग्राहक सूचना हेतु डेटा रिपॉजिटरी स्थापित की है। एमआईएस नई लेखा प्रणाली इन्ड एस के माध्यम से तुलनपत्र की तैयारी हेतु सूचना भी प्रदान करता है।

बैंक वर्तमान एमआईएस सेटअप आंतरिक रूप से विकसित किए जाने का परिणाम है और यह बैंक के विभिन्न कार्यालयों और सभी विनियामकों की सभी अनुसूचित और तदर्थ डेटा अपेक्षाओं को पूरा करता है।

हाल ही में एमआईएस विभाग ने बैंक की निर्णय लेने की प्रक्रिया के समर्थन हेतु डेटा विश्लेषण प्रौद्योगिकी में कदम रखा है।

### इन्ड एस के कार्यान्वयन की स्थिति

इन्ड एस के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, समय-समय पर इन्ड एस के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए प्रधान कार्यालय में कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में स्टीयरिंग समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त इन्ड एस के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु प्रधान कार्यालय में एक पृथक कक्ष की स्थापना की गई है। आईटी परिवर्तनों सहित यथापेक्षित प्रणालीगत परिवर्तनों पर विचार किया गया है और इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

भारिबैंक के पिछले दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से अपेक्षित था कि वे वित्तीय वर्ष 2019-20 से पिछले वर्ष की तुलना में भारतीय लेखा मानकों (इन्ड एस) का पालन करें। भारिबैंक ने दिनांक 22.03.2019 की अपनी अधिसूचना के तहत अगली सूचना तक इन्ड एस के कार्यान्वयन को स्थगित रखने के अपने निर्णय की सूचना दी है क्योंकि उनके द्वारा संशोधित विधायी संशोधन अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक इन्ड एस के अनुसार प्रोफार्मा इन्ड एस वित्तीय विवरण भारिबैंक को प्रत्येक तिमाही में, तिमाही परिणामों की घोषणा के 15 दिनों के अंदर अथवा तिमाही की समाप्ति से 60 दिनों के अंदर, जो भी पहले हो प्रस्तुत करता रहा है। ऐसा पिछला प्रोफार्मा इन्ड एस वित्तीय विवरण 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त अवधि हेतु प्रस्तुत किया गया था।

### एफ. शाखाएं और कार्यालय नेटवर्क

#### घरेलू उपस्थिति

बैंक की संपूर्ण भारत में 3229 शाखाएं हैं। 3229 घरेलू शाखाओं में से 1205 ग्रामीण, 759 अर्ध-शहरी, 647 शहरी एवं 618 महानगरीय केन्द्रों में हैं। वित्तीय वर्ष 19 के दौरान 1 नई शाखा ग्रामीण केन्द्र में खोली गई है। इसके अतिरिक्त, निकटवर्ती स्थानीय केन्द्रों के व्यवसाय को समेकित करने हेतु 8 मेट्रो और 2 शहरी, 5 अर्ध-शहरी और 2 ग्रामीण शाखाओं को समामेलित किया गया है।

#### अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति

बैंक की हांगकांग में डीलिंग रूम सहित एक विदेशी शाखा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, इसके परिचालन को समेकित करने के उद्देश्य से बोर्ड ने अपने हांगकांग परिचालन को बंद करने का अनुमोदन कर दिया है। तदनुसार हांगकांग शाखा का व्यवसाय 31 मार्च, 18 को यथास्थिति ₹12871.38 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 19 को यथास्थिति घटकर ₹3299.29 करोड़ रह गया। शाखा के व्यवसाय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 74.37% की कमी हुई। 31 मार्च, 19 को यथास्थिति कुल जमा राशियां ₹33.15 करोड़ रही जबकि अग्रिम ₹3266.14 करोड़ रहे। हांगकांग शाखा ने वित्तीय वर्ष 19 में ₹57.59 करोड़ का परिचालनगत लाभ और ₹46.06 करोड़ की निवल हानि दर्ज की है। एनपीए खातों में प्रावधान में वृद्धि के कारण निवल हानि हुई।

Customers information for maintaining accuracy and consistency in data provided to various stake holders. The MIS also provides data for preparation of Balance Sheet through new accounting system IndAS.

The present MIS setup of the Bank is the result of in-house development and caters to all the scheduled and adhoc data requirements of the various offices of the Bank and that of all the regulators as well.

Recently the MIS department has stepped into data analytics technology to support the decision making process of the Bank.

### Status of Implementation of Ind AS

For effective implementation of Ind AS, a Steering Committee headed by an Executive Director has been formed at Head Office, to monitor the progress of implementation of Ind AS from time to time. Moreover, a separate Ind AS Cell to handle various activities pertaining to implementation of Ind AS has been formed at Head Office. Necessary system changes, including IT, have been envisaged and the steps for implementation of such changes are in progress.

As per earlier RBI guidelines, banks were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from Financial Year 2019-20, with comparatives of previous year. RBI vide its notification dated 22.03.2019, has advised their decision to defer the implementation of Ind AS till further notice, since the legislative amendments recommended by them are still under consideration of the Government of India.

Bank has been submitting Proforma Ind AS financial statements as per Ind AS to RBI every quarter, within 15 days of declaration of quarterly results or within 60 days from the end of the quarter, whichever is earlier, as per directives of RBI. The last such Proforma Ind AS Financial Statements submitted was for the period ended 31<sup>st</sup> December 2018.

### F. BRANCH AND OFFICE NETWORK

#### Domestic Presence

The Bank has pan India presence of 3229 branches. Out of 3229 domestic branches, 1205 are at Rural, 759 at Semi-urban, 647 at Urban and 618 in Metropolitan Centres. 1 new branch has been opened during FY19 at Rural center. Further, 8 Metro, 2 Urban, 5 semi-urban and 2 Rural branches have been merged to consolidate the business of closely located centres.

#### International Presence

The Bank is having one overseas branch with a dealing room at Hong Kong. In the current financial year, in order to consolidate its operations the Board has approved for the closure of its Hong Kong operations. Accordingly the business of Hong Kong branch has decreased from ₹12,871.38 crore as on 31<sup>st</sup> Mar'18 to ₹3,299.29 crore as on 31<sup>st</sup> Mar'19. The business of the branch decreased by 74.37% on Y-o-Y basis. The total deposit as on 31<sup>st</sup> Mar'19 stood at ₹33.15 crore, whereas advances stood at ₹3,266.14 crore. The Hong Kong branch earned operating profit of ₹57.59 crore and net loss of ₹46.06 crore in FY'19. The net loss is due to increase in provisions on NPA accounts.

## जी. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

वर्ष के दौरान बैंक ने कोलकाता और मुम्बई में अपने विदेशी मुद्रा प्रोसेसिंग कक्षों के माध्यम से विदेशी विनिमय व्यवसाय को केन्द्रीकृत करने का विकल्प चुना है। बैंक की एकीकृत ट्रेजरी शाखा मुम्बई में एक केन्द्रीकृत पूर्णतया सुसज्जित फारेक्स डीलिंग रूम है जो 9 करेंसियों में विदेशी मुद्रा लेनदेनों का संचालन करता है और 13 नोस्ट्रो एवं 1 वोस्ट्रो खाते का रखरखाव करता है। 31 मार्च, 19 को यथास्थिति बैंक का निर्यात ऋण 31 मार्च, 18 को यथास्थिति ₹2424.65 करोड़ के सापेक्ष ₹2434.57 करोड़ रहा। बैंक निर्यातकों को और अधिक ऋण प्रदान करने हेतु सभी कदम उठा रहा है। बैंक ने प्रमुख विदेशी बैंकों के साथ कार्र्सपोर्ट संबंध बनाए रखा है। बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जमा और ऋण उत्पाद प्रदान कर अनिवासी भारतीयों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है जैसे एफसीएनआर, एनआरई और एनआरओ जमाराशियां आवास ऋण आदि। वर्तमान में विदेशों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से धनराशि प्राप्त करने वाले घरेलू ग्राहकों को मुद्रा अंतरण सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने मे. यूनीमोनी फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के साथ व्यवस्था की है। भारतीय रिजर्व बैंक की एमटीएसएस योजना के अंतर्गत वैश्विक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान बैंक ने मे. ईबीआईएक्स मनी एक्सप्रेस प्रा.लि. (ईबीआईएक्ससीएसएसएच) के साथ नया करार करने की प्रक्रिया आरंभ की है।

## एच. परिचालन प्रभाग

### व्यवसाय प्रक्रिया

व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) संगठनात्मक कार्यनिष्पादन, मुख्यतः उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने हेतु मुख्य क्षमता को अधिकतम करने के लिए सतत आधार पर बैंक की मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं, उत्पादों और व्यवसाय में वांछित परिवर्तन लाने के प्रयोजन से कार्य कर रहा है।

संसाधनों को अनुकूल बनाने, परिचालन लागत को कम करने हेतु बैंक स्थापनाओं का पुनर्गठन करने और अनावश्यक स्थापनाओं को हटाने हेतु कदम उठा रहा है। एक ऐसा ही प्रयास **नवोदय-उन्नतिशील परिवर्तन-परिवर्तनशील उन्नति** नामक परिवर्तनकारी परियोजना को लागू करना है।

उक्त परियोजना के अंतर्गत विभिन्न परिवर्तन लागू किए गए हैं जैसे निस्तारण समय, आस्ति गुणवत्ता और ग्राहक सेवा में सुधार हेतु समर्पित प्रोसेसिंग केन्द्र। समर्पित रिटेल और एमएसएमई प्रोसेसिंग केन्द्र ऋण संस्वीकृति और अपनाई गई प्रक्रिया में एकरूपता लाएंगे।

शाखाओं में नकदी लेनदेन हेतु ग्रीन चैनल लागू करके लैस पेपर बैंकिंग पर और अधिक बल दिया गया है जिसका नाम है **सुगम**।

बैंक ने ऐसे अनेक क्षेत्रों की पहचान की है जहां नई प्रणालियां और प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैं। इससे ग्राहकों की सुविधा और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

### आई. व्यवसाय विविधीकरण

#### ए. बीमा व्यवसाय

संपत्ति उत्पादों के विपणन से अर्जित कुल आय 31.03.2019 को यथास्थिति ₹74.44 करोड़ रही जो 31.03.2018 तक ₹53.43 करोड़ अर्जित की गई थी यह 39.32% की वृद्धि दर्शाती है अर्थात् पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान अर्जित आय से ₹21.01 करोड़ अधिक है।

#### i. जीवन बीमा

बैंक की मे. लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ कार्पोरेट एजेंसी है।

## G. INTERNATIONAL BANKING

During the year Bank has opted for centralization of foreign exchange business through its Forex Processing Cells at Kolkata and Mumbai. The Bank also has a centralized fully equipped Forex dealing room at Integrated Treasury Branch, Mumbai which handles forex transactions in 9 currencies and maintains 13 Nostro accounts and 1 Vostro account. Export Credit of the Bank as on 31<sup>st</sup> Mar'19 stood at ₹2,434.57 crore as compared to ₹2,424.65 crore as on 31<sup>st</sup> Mar'18. The Bank is taking all steps to increase the credit flow to exporters. The Bank maintains correspondent relationship with prime banks abroad. The Bank is also catering to the needs of Non-Resident Indians through its branches by providing various types of deposit & loan products e.g. FCNR, NRE & NRO deposits, Housing Loan etc. Presently Bank is having an arrangement with M/s. Unimoni Financial Services Ltd. to facilitate Money Transfer Services to the domestic customers receiving remittances from their relatives residing abroad. Bank during the year has also initiated the process for entering into fresh agreement with M/s EBIX Money Express Pvt. Ltd.(EBIXCASH) in order to increase global reach under MTSS scheme of Reserve Bank of India.

## H. OPERATIONS DIVISION

### Business Processes

Business Process Re-engineering (BPR) Cell is functioning with the purpose of bringing desired changes in the existing systems and processes, products and business processes of the bank on a continuous basis for maximizing performance, mainly productivity and efficiency.

With a view to optimisation of resources, reducing operating costs, the bank is taking steps for re-organisation of establishments, prune establishments which are not essential. One such move is introduction of Transformation Project namely Navoday - Rising for a Change-Changing to Rise.

Under the said project various changes have been introduced like dedicated processing centres to improve the turnaround time, asset quality and customer service. The dedicated Retail and MSME Processing centres will bring uniformity in loan sanctions and procedures followed.

More stress is laid upon less paper banking by introduction of green channel for cash transactions at the branches namely Sugam.

The bank has identified a number of areas where new systems & processes are under development. This will improve the customer convenience and quality of customer service.

### I. BUSINESS DIVERSIFICATION

#### a. Insurance Business:

Total income earned from marketing of wealth products stands at ₹74.44 Cr as on 31.03.2019 against ₹53.43 Crore earned till 31.03.2018 registering a growth of 39.32% i.e. ₹21.01 Cr in excess to that earned for similar period in last financial year.

#### i. Life Insurance:

Bank has a corporate agency with M/S Life Insurance Corporation of India and SBI Life Insurance.

जीवन बीमा व्यवसाय के अंतर्गत आय में वर्ष-दर- वर्ष आधार पर 49.12% की वृद्धि देखी गई जिसने पिछले वर्ष 31.03.2018 तक ₹7.92 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2019 को यथास्थिति ₹11.81 करोड़ की आय दर्ज की है। ₹3.89 करोड़ की वृद्धि निरपेक्ष रूप में है।

## ii. गैर जीवन बीमा

बैंक ने मैसर्स यूनियर्सल सोम्पो जेनरल इश्योरेंस कंपनी लि. के कॉरपोरेट एजेंट के रूप में वित्तीय वर्ष 18 के दौरान ₹17.05 करोड़ के सापेक्ष ₹17.53 करोड़ (एचसीपी सहित) का राजस्व अर्जित किया है।

स्वास्थ्य बीमा सेगमेंट के अंतर्गत हेल्थ केयर प्लस योजना ने 32.34% की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹2.35 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2019 को यथास्थिति ₹3.11 करोड़ की आय अर्जित की है।

## बी. म्यूचुअल फंड

बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से 6 एएमसी की म्यूचुअल फंड योजनाओं का संवितरण कर रहा है अर्थात् रिलायंस निप्पोन एएमसी, पीएनबी प्रिंसिपल एएमसी, कोटक म्यूचुअल फंड एएमसी, यूटीआई एमएफ एएमसी, फ्रेंकलिन टेंपलटन एएमसी और एस्सेल एएमसी (पूर्व में पीयरलेस के नाम से ज्ञात)।

बैंक ने म्यूचुअल फंड व्यवसाय के वितरण से ₹53 लाख का कमीशन अर्जित किया।

## सी. डिपाजिटरी सेवाएं:

31.03.2019 को यथास्थिति डिपाजिटरी परिचालन से आय ₹0.69 करोड़ रही जिसमें पिछले वर्ष अर्थात् 31.03.2018 को यथास्थिति ₹0.54 करोड़ की तुलना में 27.18% की वृद्धि हुई है।

हमारे चैनल पार्टनर आदित्य बिरला मनी लि. के साथ ट्रेडिंग खाता खोलने की ऑनलाइन सुविधा को लाइव किया गया है।

## डी. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लाकड एमाउंट (एएसबीए) सेवाएं:

स्व प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) के रूप में पब्लिक इश्यू (आईपीओ/एफपीओ/राइट इश्यू) में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु इस सुविधा को अब बैंक की समस्त शाखाओं के साथ-साथ रिटेल ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है।

बैंक की 92 नामोद्दिष्ट शाखाओं में ब्रोकर बिडेड आईपीओ फार्म की प्रोसेसिंग हेतु एएसबीए सुविधा सिंडिकेट/सब सिंडिकेट सदस्यों हेतु भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 206 आईपीओ हेतु ग्राहकों के आवेदनों को प्रोसेस किया।

## ई. नकदी प्रबंधन सेवाएं

सीएमएस व्यवसाय के अंतर्गत की गई गतिविधियों ने पिछले वर्ष की समान अवधि हेतु ₹27.37 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2019 को यथास्थिति ₹43.88 करोड़ की आय अर्जित की है। ₹16.51 करोड़ की निरपेक्ष वृद्धि दर्ज की गई है जो पिछले वर्ष से 60.32% अधिक है।

## नए उत्पाद एवं पहल

### ए. 1/1/1 नई शुरु की गई ग्राहक संबंध प्रबंधन पहल

बहुमूल्य व्यक्तिगत ग्राहकों के अर्जन और उन्हें बनाए रखने में अन्य बैंकों पर तरजीह पाने के उद्देश्य से ऐसी पहल आरंभ की गई थी जिसमें शाखा प्रमुख से अपेक्षित है कि वह लक्ष्य समूह के अंतर्गत निम्नानुसार नए ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क करे/संपर्क बनाए रखे:

- खाता खोलने के 1 दिन बाद  
-बैंक में रुचि दर्शाने हेतु उसका धन्यवाद करने के लिए

Income under Life Insurance business witnessed a growth of 49.12% on Y-O-Y basis registering an income of ₹11.81 Cr as on 31.03.2019 against ₹7.92 Cr in the preceding year up to 31.03.2018. An increase of ₹3.89 Cr is achieved in absolute terms.

## ii. Non Life Insurance:

Bank, as a corporate agent of M/s. Universal Sompo General Insurance Company Limited, earned revenue of ₹17.53 crore (including HCP) as against ₹17.05 crore, during FY18.

Under Health Insurance segment, Health Care Plus Scheme has generated an income of ₹3.11 Crore as on 31.03.2019 against ₹2.35 Cr for the similar period last year registering a growth of 32.34%

## b. Mutual Funds:

Bank is distributing the Mutual Fund schemes of 6 AMCs i.e. Reliance Nippon AMC, PNB Principal AMC, Kotak Mutual Fund AMC, UTI MF AMC, Franklin Templeton AMC and Essel AMC (formerly known as Peerless) through Bank branches.

Bank earned commission of ₹53 lacs from distribution of Mutual Fund.

## c. Depository Services:

Income in Depository Operations stood at ₹0.69 Cr as on 31.03.2019 which has grown 27.78% in comparison to the income earned last year i.e. ₹0.54 Cr as on 31.03.2018.

Online facility to open Trading account has been made live with our channel partner Aditya Birla Money Ltd.

## d. Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) Services:

Being Self Certified Syndicate Bank (SCSB) for submitting of application in public issues (IPO/FPO/ Right Issue), this facility has now been made available from all the branches of the Bank and also through Internet Banking for Retail Customers.

ASBA facility is also available for Syndicate/Sub syndicate Members for processing broker bided IPO forms at 92 designated bank branches. During FY 2017-18, the Bank processed applications of the customers for 206 IPOs.

## e. Cash Management Services:

Activities undertaken under CMS business have earned an income of ₹43.88 Cr. as on 31.03.2019 against ₹27.37 Cr for the similar period in last fiscal. An absolute growth of ₹16.51 Cr. is registered which is 60.32% higher than the previous year.

## New Products & Initiatives

### a. 1/1/1 Newly launched Customer Relationship Management Initiative

In order to enjoy edge over other Banks in acquisition & retention of valuable individual customers such an initiative was launched in which the Branch Head is required to personally contact/get in touch with the new customer under target group as under:

- After 1 Day of opening of account:  
-For thanking him/her for showing interest in the Bank.

- खाता खोलने के 1 सप्ताह बाद  
-इस बात की पुष्टि करने के लिए कि उसे डेबिट कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग किट, मोबाइल बैंकिंग सुविधा आदि प्राप्त हो गई है
- खाता खोलने के एक माह बाद  
-इस बात की पुष्टि करने के लिए कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है और किसी भी प्रकार की विसंगति का समाधान कर दिया गया है।

### बी. एमएसीटी दावा एसबी खाता एवं मोटर दुर्घटना दावा जमा खाता

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार एवं आईबीए द्वारा निर्मित मॉडल योजना अनुरूप, हमारे बैंक ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को हर्जाना राशि के भुगतान हेतु विशेष जमा उत्पाद तैयार किये हैं, ताकि दावा न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार को हर्जाने की राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा सके।

मोटर दुर्घटना में पीड़ित को कोर्ट/न्यायाधिकरण द्वारा निर्मित हर्जाने की राशि एकमुश्त रूप में विशेष मीयादी जमा खाता में दावेदार के नाम पर इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में जमा की जाएगी, जिसे "मोटर दुर्घटना दावा वार्षिकी जमा (एमएसीएडी)" कहा जाता है। दावेदार बैंक से इस राशि को समान मासिक किस्त (ईएमआई) के रूप में प्राप्त करेगा जिसमें मूलधन एवं ब्याज शामिल होगा। कोर्ट के निर्णय के अनुसार बैंक इस ईएमआई को निश्चित समयावधि में बैंक द्वारा दावेदार के नाम पर खोले गए विशेष एसबी खाता में जमा करेगा जिसका नाम "एमएसीटी दावा एसबी खाता" है।

### सी. पूंजीगत लाभ खाता योजना 1988

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि को या उससे पहले पूंजीगत लाभ से छूट प्राप्त का लाभ उठाने हेतु कर दाताओं के लिए पूंजीगत लाभ खाता योजना, 1988 तैयार की है। उक्त योजना के अनुसार बैंक ने दो पृथक प्रकार के खाते जमा खाता प्रकार ए (बचत खाता) और जमा खाता प्रकार बी (मीयादी जमा खाता) शुरू किए हैं जो संचयी अथवा गैर संचयी हो सकते हैं। पात्र करदाता जो दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों की बिक्री से प्राप्त आय से छूट का दावा, निर्धारित समयावधि के अंदर किसी विनिर्दिष्ट आस्ति के अर्जन हेतु पुनर्निवेश के रूप में, करने के इच्छुक हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

### डी. आलबैंक जेनेक्स -युवाओं हेतु विशेष रूप से तैयार जमा खाता

18-40 वर्ष के आयु समूह के राष्ट्र के युवाओं की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की अपार संभावना का लाभ उठाने और उनकी गतिशील आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक ने उनके लिए एक विशेष रूप से निर्मित उत्पाद "आलबैंक जेनेक्स" लाने का निर्णय लिया है।

इस उत्पाद में बहुविध लाभ शामिल हैं जैसे एमएसएमई ऋणों और शिक्षा ऋणों पर रियायती दरें, आवास ऋण और कार ऋण पर प्रोसेसिंग प्रभार में छूट, लॉकर किराए में डिस्काउंट और वैकल्पिक हैल्थ इश्योरेंस प्रीमियम, प्रथम वर्ष हेतु निशुल्क विप्रेषण और डिमेट खाता तथा और भी बहुत कुछ।

इस प्रकार यह उत्पाद न केवल आज के युवाओं में बचत की आदत विकसित करता है अपितु अपनी बचत, निवेश और जीवनशैली की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन्हें वृहत्तर "वित्तीय स्वतंत्रता" हासिल करने में भी समर्थ बनाता है।

- After 1 Week of opening of account:  
-For confirming that he/she has received Debit Card, Cheque Book, Internet Banking Kit, Mobile Banking facility etc.
- After one month of opening of account:  
-For confirming that everything is going on fine and trouble shoot in case of any deficiency.

### b. MACT Claims SB Account and Motor Accident Claims Deposit Account

In terms of the direction of Hon'ble Delhi High Court and in line with the model scheme drafted by IBA, our Bank has formulated special Deposit Products for disbursement of compensation amount to the victims of road accidents, so that compensation amount may be disbursed by the Claims Tribunals to the claimant(s) in a phased manner.

The one time lump sum amount, as decided by the Court/Tribunal as compensation to the motor accident victims, will be deposited in a special Term Deposit Account in the name of the claimant to be opened for the purpose, known as "Motor Accident Claims Annuity Deposit (MACAD)". The amount will be received by the claimant from the Bank in Equated Monthly Installments (EMIs) comprising a part of principal amount as well as interest. Bank will deposit the EMIs over a certain period, as decided by Court, to a special SB Account of the claimant to be opened by the Bank, named "MACT Claims SB Account."

### c. Capital Gains Accounts Scheme 1988

Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes) formulated a Scheme called the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 for the tax payers to avail the benefit of exemption from Capital Gains on or before due date of filing return of income. In terms of the said scheme, our Bank has introduced two separate types of accounts Deposit Account Type A (Savings Account) and Deposit Account Type B (Term Deposit Account) which may be cumulative or non-cumulative. Eligible taxpayers who wish to claim exemption from income arising on sale of long term Capital Assets, meant for re-investment by way of acquisition of any other specified asset within stipulated time frame, may avail the scheme.

### d. AllBank GenX - A specially designed Savings Account for the Youth

In order to tap the huge potential for economic and social progress of youth of the nation in the age group of 18-40 years and to meet their dynamic financial needs and aspirations, Bank has decided to offer a specially designed product, "AllBank GenX" for them.

The product encompasses multiple benefits, viz. concessional rates on MSME loans and education loans, waiver of processing charges on housing loan and car loan, discount on locker rentals and optional health insurance premium, free remittances and demat account for first year and much more.

The product thus not only inculcates the habit of Savings in today's Youth but also empowers them to achieve greater 'Financial Freedom' by catering to their Savings, investment and lifestyle needs.

### ई. आलबैंक किशोर

10-18 वर्ष के आयु समूह के अवयवों की बैंकिंग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने उन्हें "बचत" की कला और वित्तीय अनुशासन के सिद्धांत की शिक्षा देने हेतु आलबैंक किशोर की शुरुआत की है। उत्पाद में विभिन्न लाभों पर विचार किया गया है जैसे खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि ₹500/- जिसमें औसत न्यूनतम शेष अपेक्षित नहीं है, ₹10000/- प्रतिदिन की नकदी आहरण सीमा, ₹10000/- प्रतिदिन की लेनदेन सीमा सहित इंटरनेट बैंकिंग और एमपावर सुविधा। प्रथम वर्ष हेतु अनुरक्षण प्रभार रहित ₹5000/- प्रतिदिन की लेनदेन सीमा सहित रुपये डेबिट कार्ड की सुविधा और शिक्षा ऋणों में रियायती ब्याज दर। 18 वर्ष पूरे होने पर खाता स्वतः आलबैंक जेनेक्स में संपरिवर्तित हो जाएगा।

### एफ. आलबैंक सलाम बचत खाता

बैंक ने आलबैंक सलाम नाम का एक नया बचत बैंक खाता आरंभ किया है, जो विशेष रूप से भारतीय सैनिकों के लिए तैयार किया गया है जो राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

इस उत्पाद के आरंभ होने से, रक्षा कार्मिक आसानी से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, रक्षा कार्मिकों को राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा हेतु बैंक द्वारा "आलबैंक सलाम" खाताधारकों के लिए विशेष पेशकश और डिस्काउंट एक अद्भुत लाभ है।

"आलबैंक सलाम" में अनेक विशेषताएं, लाभ और रियायतें हैं जिसमें जीवन भर विशिष्ट शून्य शेष बचत खाता शामिल है। रक्षा कार्मिक शाखा प्रबंधक के माध्यम से संपत्ति संबंधी सलाहकार सेवाएं भी ले पाएंगे जो बैंकिंग, निवेश, बीमा और अन्य विशेष जरूरतों सहित सभी वित्तीय सेवा जरूरतों के लिए एकल संपर्क केन्द्र होगा।

### जी. आलबैंक एफडीडी-स्थापना दिवस जमा 155 और 333 दिनों के लिए

बड़ी मात्रा में घरेलू खुदरा जमाराशियों के संग्रहण और थोक जमाराशियों के वर्गीकरण की राशियों में हाल में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बैंक ने बैंक की 155वीं वर्षगांठ के उत्सव हेतु 31.03.2020 तक वैध, 155 दिनों हेतु स्थापना दिवस जमा राशि (एफडीडी) उत्पाद तथा खुदरा मीयादी जमा में वृद्धि हेतु 31.03.2020 तक वैध 333 दिनों हेतु उत्पाद आरंभ किया है जिसके अनेक लाभ हैं अर्थात् को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ऋण/ओवरड्राफ्ट की सुविधा। यह उत्पाद ग्राहकों की सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध है।

### एच. नए बचत खाते, चालू खाते, टीएससीजी (ट्रस्ट, एसोसिएशन, सोसाइटी, क्लब और सरकार) खाते का आरंभ

संसाधन संग्रहण की लागत तथा उच्च लागत की थोक जमाराशियों पर निर्भरता को कम करने हेतु पर्याप्त रूप से कम लागत की जमाराशि में वृद्धि करने के उद्देश्य से नए बचत खाते (सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम), चालू खाते (सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम) और टीएससीजी (ट्रस्ट, एसोसिएशन, सोसाइटी, क्लब और सरकार) खाते आरंभ किए गए थे। इन उत्पादकों की लाभकारी विशेषताएं हैं जैसे नए ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु सेवा प्रभाओं, रिटेल ऋणों में प्रोसेसिंग शुल्क, एनईएफटी/आरटीजीएस में डिस्काउंट तथा और भी बहुत कुछ।

### आई. द्वारस्थ बैंकिंग सेवाएं- 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और विशेष रूप से सक्षम अथवा अशक्त व्यक्ति

70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों (चिकित्सीय रूप से प्रमाणित विरकालिक रुग्णता अथवा अशक्तता वाले) जिसमें दृष्टि विकलांग व्यक्ति शामिल हैं, को सुविधाजनक और

### e. AllBank Kishore

Keeping in mind the Banking needs of Minors in the Age Group of 10-18 years, Bank has introduced AllBank Kishore for educating them the art of 'Saving' and tenets of financial discipline. The product envisages various benefits like minimum opening amount of ₹500/- with no average minimum balance requirement, Cash withdrawal limit of ₹10000/- per day, internet banking & empower facility with transaction limit of ₹10000/- per day. Facility of Rupay debit card with transaction limit of ₹5000/- per day with no maintenance charge for the 1<sup>st</sup> year and concessions in interest rate of education loans. The account will be converted to AllBank Gen-X automatically on attainment of 18 years.

### f. AllBank Salaam Savings Account

The Bank has introduced a new Savings Banks account named as AllBank Salaam, specially designed for Indian Soldiers who work in far flung locations of the country to ensure national security.

With the introduction of this product, Defence Personnels can get an easy access of the banking facilities. Moreover, special offer and discounts for the "AllBank Salaam" account holders is a wonderful gift by the Bank to the Defence Personnel for their selfless service to the nation.

"AllBank Salaam" Account offers a host of features, benefits, and concessions, including the life time unique zero balance Savings Account. Defence Personnels will also be able to get wealth advisory services through Branch Manager, who will be a one point contact for all financial services needs including banking, investments, insurance, and other special needs.

### g. AllBank FDD-Foundation Day Deposit for 155 days & 333 days

With a view to mobilise sizeable volume of Domestic Retail Term Deposits and with recent increase in the amount for classification of Bulk Deposits, the Bank has decided to introduce a Foundation Day Deposit (FDD) products for 155 days, valid up to 31.03.2020, to celebrate 155th Anniversary of the Bank and 333 days, valid up to 31.03.2020, to generate the growth of Retail Term Deposits that bundles many benefits viz. co- branded credit card, facility of loan/overdrafts. The product is available to all the customer categories.

### h. Introduction of new Savings Account, Current Account, TASCG (Trust, Association, Society, Club and Government) Accounts

In order to augment low cost deposits in a substantial manner to reduce the cost of resource mobilization and dependence on high cost bulk deposits new Savings Account (Silver, Gold & Platinum), Current Account (Silver, Gold & Platinum) and TASCG (Trust, Association, Society, Club and Government) Accounts were introduced. The products have lucrative features like discount on service charges, processing fees of retail loans, NEFT/RTGS and many more to attract new customers.

### i. Doorstep Banking Services- Senior Citizens more than 70 years of age and differently-abled or infirm persons

In order to provide convenient and friendly Banking services to Senior Citizens of more than 70 years of age and differently-abled persons (having medically certified chronic illness or

हितैषी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हमारे बैंक द्वारा एक योजना तैयार की गई है। ऐसी द्वारस्थ बैंकिंग सुविधा में ऐसे ग्राहकों के परिसरों/ निवास पर रसीद के सापेक्ष नकदी और लिखतों का पिकअप, खाते से आहरण के सापेक्ष नकदी सुपुर्दगी, आईओआई की सुपुर्दगी, केवाईसी दस्तावेजों और जीवन प्रमाणपत्र की प्रस्तुति शामिल है। द्वारस्थ बैंकिंग सेवाएं पात्र ग्राहकों को उनके निवास/कार्यालय अथवा आवेदन पत्र में उनके द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। पिकअप और सुपुर्दगी का पता बाद में ग्राहक द्वारा इसके लिए किए गए अनुरोध पर बदला जा सकता है। तथापि, पिकअप/सुपुर्दगी केन्द्र की दूरी शाखा से 10 किमी के अंदर सीमित होगी।

#### जे. एमपावर

डिजिटल सुपुर्दगी को कारगर ढंग से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैंक ने "एमपावर" नाम एक मोबाइल एप लागू किया है। यह एप प्लेस्टोर/ एपस्टोर में उपलब्ध है जिसे 1 मिलियन से अधिक ग्राहकों द्वारा डाउनलोड किया गया है और इस एप पर लेनदेनों की संख्या दैनिक आधार पर बढ़ रही है। इस एप को चैटबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई-कामर्स भुगतानों में व्यापक रूप से विस्तारित किया जाना है।

#### जे. सरकारी व्यवसाय

##### ए. अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

आरंभ से लेकर 31.03.2019 को यथास्थिति अटल पेंशन योजना के अंतर्गत हमने 4.08 लाख सब्सक्राइबर का संग्रहण किया है। वर्ष 2018-19 में 1.74 लाख एपीवाई सब्सक्राइबर का संग्रहण किया गया

- हमारे बैंक के माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एपीवाई अभियान "लीडरशिप कैपिटल" में पीएफआरडीए/डीएफएस द्वारा पुरस्कार और बधाई के योग्य पाए गए।
- हमारे बैंक के माननीय कार्यपालक निदेशक "मेकर्स ऑफ एक्सिलेंस 2.0" और "बिग बिलीवर्स" अभियान में पीएफआरडीए/डीएफएस द्वारा पुरस्कार और बधाई के योग्य पाए गए।
- हमारे बैंक कार्पोरेट महाप्रबंधक "एकजेमप्लेरी एट" अभियान में पीएफआरडीए/डीएफएस द्वारा पुरस्कार और बधाई के योग्य पाए गए।
- "मंडलीय प्रमुख, गुवाहाटी" और "शाखा प्रमुख बनगांव शाखा" को एपीवाई अभियान "आर्ट ऑफ इंकलूजन" में असाधारण कार्यनिष्पादन हेतु पीएफआरडीए/डीएफएस से पुरस्कार प्राप्त करने हेतु नामित किया गया।

##### बी. राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (एनपीएस)

हमारे बैंक में तीन एनपीएस कार्पोरेट क्लाइंट है अर्थात इलाहाबाद बैंक, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) और राही इंफ्राटेक लि. इलाहाबाद बैंक हेतु 31.03.2019 को यथास्थिति 13782 कार्पोरेट खाते संग्रहीत किए गए। हम और अधिक एनपीएस ऑल सिटीजन तथा कार्पोरेट खातों के संग्रहण हेतु विभिन्न केन्द्रों पर सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

##### सी. सुकन्या समृद्धि खाता

आरंभ से लेकर 31.03.2019 को यथास्थिति हमने 28187 खाते जुटाए हैं जिनमें कुल शेष ₹128 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमने 12542 खाते जुटाए हैं।

##### डी. लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)

आरंभ से लेकर 31.03.2019 को यथास्थिति हमने कुल 121406 पीपीएफ खातों का संग्रहण किया है जिसमें कुल शेष ₹2893 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हमने 33588 खातों का संग्रहण किया है।

disability) including those who are visually impaired, a Scheme has been formulated by our Bank. Such Door-Step banking facility includes pickup of cash and instruments against receipt, delivery of cash against withdrawal from account, delivery of IOIs, submission of KYC documents and Life Certificate at the premises/ residence of such customers. Door-Step Banking services will be provided at the residence/office of the eligible customer or at any place as specified by him/her in the application form. The Pickup and delivery address may be changed by the customer subsequently by giving a written request for the same. However, the distance of the pickup/delivery point will be restricted to 10 kms. from the branch.

#### j. emPower

In order to strengthen the digital delivery effectively, the Bank has introduced a mobile app named "empower". This app is available on Playstore / AppStore which has since been downloaded by over 1 million customers and transactions on this app are increasing on daily basis. The APP is scheduled to get major enhancements like Chatbot and Artificial Intelligence based e-Commerce payments.

#### J. GOVERNMENT BUSINESS

##### a. Atal Pension Yojana (APY)

Since inception, we have mobilized 4.08 lac subscribers under Atal Pension Yojana as on 31.03.2019. In FY 2018-19 number of APY subscribers mobilized is 1.74 lac.

- Hon'ble MD & CEO of our Bank qualified for award & felicitation by PFRDA / DFS in APY campaign "Leadership Capital".
- Hon'ble Executive Director of our Bank qualified for award & felicitation by PFRDA / DFS in campaigns "Makers of Excellence-2.0" & "Big Believers".
- Corporate General Manager of our Bank qualified for award & felicitation by PFRDA / DFS in APY campaign "Exemplary Eight".
- "Zonal Head, Guwahati" and "Branch Head Bongaon branch" nominated to receive award from PFRDA / DFS for exemplary performance in APY campaign "Art of Inclusion".

##### b. National Pension System (NPS)

There are three NPS corporate clients in our bank namely Allahabad Bank, Tenughat Vidyut Nigam Limited (TVNL) and Rahee Infratech Ltd. For Allahabad Bank total 13782 corporate accounts have been mobilized as on 31.03.2019. We are conducting sensitization programme at various locations to mobilize more NPS All Citizen & Corporate accounts.

##### c. Sukanya Samridhi Accounts (SSA)

Since inception we have mobilized total 28187 accounts having total balance of ₹128 crore as on 31.03.2019. In FY- 2018-19 we mobilized 12542 accounts.

##### d. Public Provident Fund (PPF)

Since inception we have mobilized total 121406 PPF accounts having total balance of ₹2893 Crore as on 31.03.2019. During FY- 2018-19 we mobilized 33588 accounts.

## ई. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

आरंभ से लेकर 31.03.2019 को यथास्थिति हमने 20965 एससीएसएस खातों का संग्रहण किया है जिसमें ₹1074 करोड़ शेष है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमने 17402 खातों का संग्रहण किया है।

## एफ. सीबीडीटी

सीबीडीटी संग्रहण हेतु हमारी कुल 1012 अधिकृत शाखाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमारे बैंक के माध्यम से कुल 5.50 लाख के सीबीडीटी लेनदेन किए गए जिनमें से 3.26 लाख लेनदेन भौतिक पद्धति से और शेष 2.24 लाख लेनदेन ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से किए गए।

## जी. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)

हमारी सभी शाखाएं जीएसटी कलेक्शन हेतु सुसज्जित हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमारे बैंक के माध्यम से 3.45 लाख जीएसटी लेनदेन किए गए जिनमें से 0.20 लाख लेनदेन भौतिक रूप में और 3.25 लाख लेनदेन ऑनलाइन लेनदेन के रूप में किए गए।

## एच. पेंशन संवितरण

हमारा बैंक वर्तमान में 1.08 लाख केंद्रीय पेंशनरों को एवं 0.70 लाख राज्य पेंशनरों को पेंशन संवितरित कर रहा है। केंद्रीय पेंशन का संवितरण केंद्रीय पेंशन प्रसंकरण केंद्र, लखनऊ से किया जा रहा है। हम राज्य सरकार पेंशनरों के संवितरण को सीपीपीसी, लखनऊ के माध्यम से माइग्रेट करने की प्रक्रिया में हैं।

## के. ट्रेजरी -परिचालन विशिष्टताएं

### घरेलू परिचालन

वित्तीय वर्ष 19 के दौरान ट्रेजरी ने ₹267.44 करोड़ की ट्रेडिंग हानि दर्ज की और इसने वित्तीय वर्ष 18 में वर्ष-दर-वर्ष 56.71 % की डी-ग्रोथ दर्ज की। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 19 के दौरान अर्जित ब्याज आय ₹4937.61 करोड़ थी, जो पिछली अवधि के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष 20.59 % प्रतिशत की वृद्धि है। घरेलू निवेश पोर्टफोलियो में ₹12257.36 करोड़ की वृद्धि हुई अर्थात् मार्च, 2018 में ₹68738.24 करोड़ से मार्च 19 में ₹80,995.60 करोड़।

### पोर्टफोलियो विशिष्टताएं

31.03.2019 को यथास्थिति बैंक का वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो ₹81,317.46 करोड़ रहा जिसमें ₹80,995.60 करोड़ का घरेलू निवेश और हमारी हांगकांग शाखा द्वारा विदेशी निवेश एचकेडी 365.33 एमआईओ अर्थात् ₹321.86 करोड़ (1 एचकेडी = 8.81 की दर से परिवर्तित) रहा।

₹81,317.46 करोड़ के पोर्टफोलियो को ₹49,816.08 करोड़ (अर्थात् 61.26%) के एचटीएम वर्ग, ₹31,501.38 करोड़ (अर्थात् 38.74%) के एएफएस वर्ग और ₹0.00 करोड़ (अर्थात् 0.00%) के एचएफटी वर्ग, में विभाजित किया गया है।

31.03.2019 को यथास्थिति ₹2,22,220.51 करोड़ के प्रभावी एनडीटीएल हेतु बैंक ने ₹56,218.31 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूति बनाए रखी है जो 19.25% की आवश्यकता के सापेक्ष एनडीटीएल की 25.30% है। हमारी एसएलआर होल्डिंग में से ₹36,386.28 करोड़ जो एनडीटीएल का 16.37% था एचटीएम वर्ग में 19.50% की सीमा के सापेक्ष रखा गया है।

बैंक के ₹25,099.15 करोड़ के एनएसएलआर पोर्टफोलियो में मुख्यतः ₹13,240.00 करोड़ के रि-केपिटलाइजेशन बांड, ₹4,088.74 करोड़ के बांड/ डिबेंचर, ₹1,836.26 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्तियों और ₹1,311.77 करोड़ के शेयरों, ₹1,318.00 करोड़ की सीडी और ₹25.62 के विशेष एसडीएल बांड्स, ₹156.27 करोड़ के अनुषंगी और जेवी, अनुषंगी और संयुक्त उद्यम ₹321.86 करोड़ की एचकेबीटी अन्य हेतु ₹500.44 करोड़ सम्मिलित हैं। बैंक का इक्विटी पोर्टफोलियो ₹13,18.80 करोड़ रहा जिसमें सीडीआर/ एसडीआर/ एस4ए योजनाओं के तहत ऋण समपरिवर्तन के माध्यम से प्राप्त ₹930.13 करोड़ के शेयर सम्मिलित हैं।

## e. Senior Citizen Savings Scheme (SCSS)

Since inception we have mobilized total 20965 SCSS accounts having total balance of ₹1074 Crore as on 31.03.2019. In FY- 2018-19 we mobilized 17402 accounts.

## f. CBDT

We have total 1012 authorized branches for CBDT collection. In FY 2018-19 total 5.50 lac CBDT transaction was done through our bank out of which 3.26 lac transactions were in physical mode and remaining 2.24 lac transactions were online transactions.

## g. Goods & Services Tax (GST)

All of our branches are equipped for collection of GST. In FY 2018-19 total 3.45 lac GST transactions were done through our bank out of which 0.20 lac transactions were in physical mode and remaining 3.25 lac transactions were online transactions.

## h. Pension Disbursement

Our bank is presently disbursing pension to 1.08 lac Central Pensioners & 0.70 lac state pensioners. Central pension is being disbursed through Central Pension Processing Centre, Lucknow. We are in the process of migrating disbursement of State Government Pensioners through CPPC, Lucknow.

## K. TREASURY - OPERATIONAL HIGHLIGHTS

### Domestic Operations:

The treasury booked a trading loss of ₹267.44 crores during FY19, thereby posting a Y-o-Y de-growth of 56.17% over FY18. Further, the Interest Income earned during FY19 was ₹4937.61 crores, a 20.59% Y-o-Y growth over the previous period. There was an increase in domestic Investment portfolio of ₹12,257.36 crores, i.e., from ₹68,738.24 crores in Mar'18 to ₹80,995.60 crores in Mar'19.

### Portfolio Highlights:

The global investment portfolio of the Bank as on 31.03.2019 stood at ₹81,317.46 crores, which included domestic investment of ₹80,995.60 crores and Overseas investment by our HongKong Branch to the tune of HKD 365.33 mio, i.e., ₹321.86 crores (converted @ 1HKD = ₹8.81).

The portfolio of ₹81,317.46 crores was split in to HTM category carrying ₹49,816.08 crores (i.e., 61.26%), AFS Category carrying ₹31,501.38 crores (i.e., 38.74%) and HFT category carrying ₹0.00 crores (i.e. 0.00%).

On an effective NDTL of ₹2,22,220.51 crores as on 31.03.2019, the Bank maintained SLR securities of ₹56,218.31 crores which was 25.30% of NDTL against a requirement of 19.25%. Out of our SLR holdings, ₹36,386.28 crores, which was 16.37% of NDTL, was held in HTM category against a limit of 19.50%.

The Bank's NSLR portfolio of ₹25,099.15 crores comprised mainly of ₹13,240.00 Cr of GOI Recapitalization Bond, ₹4,088.74 crores of Bonds/ Debentures, ₹1,836.26 crores of Security Receipts and ₹1,318.80 crores of shares, ₹3,611.77 crores of CD and ₹25.02 crores of Special SDL Bonds, Subsidiary & JV of ₹156.27 crore, HKTB of ₹321.86 Cr and Others for ₹500.44 crore. The equity portfolio of the Bank stood at ₹13,18.80 crores, which included ₹930.13 crores of shares received through conversion of Debt under CDR/SDR/S4A schemes.

## एल. ग्राहक सेवा

बैंक ने ग्राहक केन्द्रित नीतियां जैसे ग्राहक अधिकार नीति, जमा नीति, चेक संग्रहण नीति और क्षतिपूर्ति नीति बनायी है तथा इनको बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। बैंक ने बीसीएसबीआई द्वारा बनाए गए "ग्राहकों हेतु बैंक वचनबद्धता कोड" और "सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु बैंक वचनबद्धता कोड" अपनाया है। बैंक द्वारा नागरिक अधिकार पत्र अपनाया गया है और यह बैंक की शाखाओं और वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने हेतु मासिक आधार पर प्रत्येक शाखा और मंडलीय कार्यालय में ग्राहक सेवा समिति बैठक आयोजित करता है। ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर बैंक ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति की तिमाही बैठक आयोजित करता है और इसे तिमाही आधार पर बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

## ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष

सेवा में विसंगतियों संबंधी बैंक के विरुद्ध शिकायतों को दर्ज करने हेतु ग्राहकों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु एक वेब आधारित पोर्टल बैंक की वेबसाइट [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) में कस्टमर केयर के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। प्रधान कार्यालय में सीधे प्राप्त शिकायतें भी मानिटरिंग, रिकार्ड और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जाती हैं। शिकायतों की प्राथमिकता और तीव्र निवारण के उद्देश्य से सभी शिकायतों को 3 बास्केटों अर्थात् ए, बी और सी. में वर्गीकृत किया जाता है। एमओएफ, डीपीजी (सीपीग्राम पोर्टल), आरबीआई, बीसीएसबीआई, सांसदों/विधायकों, अन्य विनियामकों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को तीव्रता से निपटाने हेतु बास्केट ए में रखा जाता है। प्रधान कार्यालय में बैंक का समर्पित ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष है। बैंक द्वारा नामोद्दिष्ट महाप्रबंधक स्तर का नोडल अधिकारी समग्र बैंक की ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण व्यवस्था तंत्र के कार्यान्वयन की मानिटरिंग करता है। ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का निवारण किया जा रहा है और ग्राहकों को समुचित उत्तर दिया जाता है। आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया अस्वीकृत शिकायतों को ग्राहक शिकायतों पर निष्पक्ष राय हेतु आंतरिक लोकपाल को भेजा जाता है।

## ग्राहक सेवा में सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 19 के दौरान की गई पहल

ग्राहक शिकायतों के समय पर और गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। शिकायतों के व्यवस्थित और समय से निस्तारण हेतु शिकायतों के ऑटो-एस्केलेशन को कार्यान्वित किया गया है। सीजीआरसी पोर्टल में शिकायतों की रियल टाइम ट्रेकिंग और ग्राहक फीडबैक प्राप्त करने के प्रावधान को भी कार्यान्वित किया गया है। फोन काल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने हेतु हैदराबाद में 24\*7 संपर्क केन्द्र भी खोला गया है।

### शिकायतों का प्रकटन / Disclosure of Complaints

वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या No. of Complaints pending at the beginning of the year	134
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of Complaints received during the year	39081
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या No. of Complaints redressed during the year	35978
वर्ष अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of Complaints pending at the end of the year	3237

\* एयूपीजीबी को छोड़कर / Excluding AUPGB

## L. CUSTOMER CARE

The Bank has formulated customer centric policies, such as Customer Rights Policy, Deposit Policy, Cheque Collection Policy, and Compensation Policy and these are displayed in Bank's website. The Bank has adopted "The Code of Bank's Commitment to Customers" & "Code of Bank's Commitment to Micro & Small Enterprises" formulated by BCSBI. Citizen Charter is adopted by the Bank and is available at the branches and website of the Bank. The Bank also conducts Customer Service Committee meetings at every branch and Zonal Office on monthly basis for providing better customer service. Based on the feedback received and issues raised by the customers, the Bank also conducts a quarterly meeting of Standing Committee on Customer Service and the same is placed before the Customer Service Committee of the Board on quarterly basis.

## Customer Grievance Redressal Cell

A web based Portal, aimed at providing the customers with a platform to lodge their grievances against the Bank for deficiency in services, has been provided on the Bank's website, [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in), under Customer Care. Complaints received directly at Head Office are also lodged through this portal for monitoring, record & follow up. In order to prioritise & expedite the redressal, all Complaints are categorized into 3 Baskets viz, A, B & C. Complaints received through MOF, DPG (CPGRAMS portal), RBI, BCSBI, MPs/ MLAs and other regulators are put in the Basket A for their expeditious redressal. Bank has a dedicated Customer Grievance Redressal Cell at Head Office. The Principal Nodal Officer, of the rank of General Manager designated by the Bank, monitors the implementation of customer service and complaint handling mechanism for the entire Bank. Complaints received from customers are being redressed and suitable replies are sent to the customers. The partially or wholly rejected complaints are escalated to the Internal Ombudsman for obtaining an impartial view of the customers' grievances.

## Initiatives taken during FY19 for improvement in customer service

Several initiatives were taken to provide timely and quality redressal to customer complaints. Auto-escalation of complaints has been made functional for systematic and timely redressal of complaints. Real-time tracking of complaints and provision for receiving customer feedback has also been implemented in the CGRS Portal. A 24\*7 Contact Centre has also been opened in Hyderabad to take complaints through phone call.



<b>बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड</b> <b>Awards passed by the Banking Ombudsman</b>	<b>पारित अवार्ड की कुल संख्या</b> <b>No. of Awards passed</b>
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए अवार्ड की संख्या No. of unimplemented awards at the beginning of the year वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किये गये अवार्ड की संख्या No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गये अवार्ड की संख्या No. of Awards implemented during the year वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गये अवार्ड की संख्या No. of unimplemented awards at the end of the year	शून्य/NIL

#### एम. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

भारतीय संसद ने वर्ष 2013 में “कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” पारित किया था। अधिनियम में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण और निवारण तथा यौन उत्पीड़न और इससे संबंधित अथवा इससे प्रासंगिक शिकायतों के समाधान का प्रावधान है।

बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत समिति गठित की है और पीड़ित (तों) द्वारा की गई शिकायत (तों) के समाधान और उनका समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने हेतु एक शिकायत तंत्र तैयार किया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और अनुकूल कार्य परिवेश प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष के दौरान दाखिल शिकायतों की संख्या No. of complaints filed during the financial year	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending as at end of the financial year
3	0

#### एन. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

बैंक राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और इसने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित सभी मानदंडों में सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त बैंक सभी स्तरों पर हिन्दी पत्राचार आदि के लिए यूनिकोड फॉन्ट्स का उपयोग कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को हिन्दी के प्रयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साथ ही देश के विभिन्न स्थानों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा भी बैंक कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया। इसमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता, द्वारा प्रधान कार्यालय को प्राप्त प्रथम पुरस्कार भी शामिल है। रांची और गोंडा में भारत सरकार द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का बैंक सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) रांची, को पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2017-18 हेतु भाषा क्षेत्र क में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 03.05.2018 को रुद्रप्रयाग शाखा, मंडलीय कार्यालय देहरादून एवं दिनांक 29.08.2018 सनातन धर्म मंदिर मार्ग शाखा ग्वालियर, मंडलीय कार्यालय, भोपाल का राजभाषा प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा न केवल हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए बैंक के प्रयासों के प्रति संतोष व्यक्त किया गया अपितु बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की माननीय समिति द्वारा सराहना की गई। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा भी दिनांक 30.07.2018 को मंडलीय कार्यालय, दिल्ली एनसीआर एवं 19.11.2018 को मंडलीय कार्यालय नागपुर का राजभाषा प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया गया और बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की सराहना की।

#### M. PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE

The Parliament of India passed the "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013" in the year 2013. The Act provides protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for the matters connected therewith or incidental thereto.

The Bank has constituted committee under the sexual harassment of women at workplace (prevention, prohibition and Redressal) Act, 2013 and has devised a Complaint Mechanism to redress the complaint(s) made by the victim(s) and to ensure time bound treatment of the same.

The Bank is committed to provide a safe and conducive work environment to its employees during the financial year.

#### N. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

The Bank has been leading in the area of implementation of Official Language and achieved all targets in all parameters prescribed by Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language for FY19. In addition, the Bank is using Unicode Fonts for Hindi correspondence at all level.

During FY19, the Bank has been bestowed various awards for its excellent performance for the use of Hindi. Further Town Official Language Committees situated in different locations of the country have also awarded the Bank offices including First Prize to our Head Office by Town Official Language Implementation Committee (Bank), Kolkata. The bank is successfully convening the Town Official Language Implementation Committee constituted by the Government of India in Ranchi and Gonda. Town Official Language Implementation Committee (Bank), Ranchi has been awarded with Third Prize in Eastern Zone under Region "A" for the year 2017-18.

The third sub-committee of Committee of Parliament on Official Language visited our Rudrapryag Branch under ZO Dehradun on 03.05.2018 and Sanatan Dharm Mandir Marg Gwalior Branch under ZO Bhopal on 29.08.2018. The Committee not only expressed satisfaction but also appreciated the efforts made by the Bank for progressive use of Hindi. Officials of DFS, MOF, GOI also inspected our Zonal Office, Delhi NCR on 30.07.2018 and ZO Nagpur on 09.11.2018 regarding implementation of Official Language and appreciated the work being done by the Bank for implementation of Rajbhasha.

बैंक प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह को "हिंदी माह" के रूप में मनाता है। अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिसमें सभी संवर्गों के कर्मचारी उत्साह सहित भाग लेते हैं। विजेताओं को राजभाषा समारोह में पुरस्कारों से सम्मनित किया जाता है। इस वर्ष भी बैंक ने "हिंदी माह" एवं अन्य कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और विजेताओं को हिंदी दिवस के मुख्य समारोह में पुरस्कार प्रदान किये गये।

इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता के चयनित निबंधों के संकलन को "अवसर और चुनौतियाँ: एनपीए वसूली, ई-बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन" नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया जिसका विमोचन हिंदी दिवस समारोह के दौरान किया गया।

बैंक द्वारा 28-29 मार्च, 2019 को स्टाफ कालेज, कोलकाता में अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन एवं वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन करने वाले कार्यालयों को माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा शील्ड एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

### ओ. अनुषंगी संस्था एवं संयुक्त उद्यम

- बैंक की आस्ति प्रबंधन कंपनी एएसआरईसी (इंडिया) लि. में अन्य बैंकों/संस्थाओं के साथ 27.04% की इक्विटी धारिता है।
- बैंक की 'यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' नामक बीमा कंपनी में इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटक बैंक लि., डबल इन्वेस्टमेंट लि. और जापानी बीमा कंपनी "सोम्पो जापान निप्पोनकोआ इंश्योरेंस आईएनसी" के साथ 28.52% की इक्विटी धारिता है।
- इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक (एयूपीजीबी) जिसका प्रधान कार्यालय बांदा (उप्र) में है।

### ओ. इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक (एयूपीजीबी)

31.03.2019 तक हमारे बैंक द्वारा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक (एयूपीजीबी) था जिसका प्रधान कार्यालय बांदा (उप्र) में था भारत सरकार ने दिनांक 25.01.2019 की अपनी अधिसूचना सं.7/8/2017-आरआरबी (उत्तर प्रदेश II) के तहत इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक और ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त (बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) को एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विलय हेतु अधिसूचित किया है। 01.04.2019 से एयूपीजीबी, हमारे द्वारा प्रायोजित आरआरबी इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का व्यवसाय समाप्त हो गया है और बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त में विलय किया गया है।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एयूपीजीबी का कुल व्यवसाय मार्च, 18 के ₹16541 करोड़ से बढ़कर मार्च, 19 में ₹18204 करोड़ हो गया था जो वर्ष-दर-वर्ष 10.05% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 19 में हमारे प्रायोजित आरआरबी की निवल हानि वित्तीय वर्ष, 18 के ₹35.32 करोड़ के लाभ के सापेक्ष ₹459 करोड़ रही।

### पी. पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

- हमारे बैंक के महाप्रबंधक श्री एसवीएलएन नागेश्वर राव को पीएफआरडीए द्वारा एपीवाई पंजीकरण अभियान हेतु जनवरी 2019 में "एक्जमप्लरी एट" सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन करने वाले महाप्रबंधक के रूप में पुरस्कृत किया गया।
- बैंक को निम्नलिखित पैरामीटरों में आईबीए द्वारा बैंकिंग प्रौद्योगिकी अवार्ड 2019 प्रदान किया गया था - 1) सर्वोत्तम भुगतान पहल 2) सर्वोत्तम वित्तीय समावेशन पहल 3) प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अत्यधिक नवोन्मेष उत्पाद।
- एफजीएम, नई दिल्ली श्री विकास कुमार ने अभियान अवधि 12.11.2018 से 30.11.2018 के दौरान 27355 नए एपीवाई सब्सक्राइबर का संग्रहण करने हेतु 23.01.2019 को नई दिल्ली

The Bank observes "Hindi Maah" in the month of September every year. Various competitions are organized at all India level in which staff members of all cadres participate enthusiastically. The winners are awarded with prizes in Rajbhasha function. This year also, the Bank organized Hindi Maah and other programmes/competitions and winners were awarded in the main function of Hindi Diwas.

Further, selected Hindi essays from All India Inter Bank Hindi Essay Writing Competition organized by the bank have been compiled and published namely "Avasar Aur Chunaution: NPA Vasooli, E-Banking Aur Jokhim Prabandhan" and same has been released during Hindi Diwas programme.

Akhil Bhartiya Rajbhasha Adhikari Sammelan was organized by the Bank at Staff College Kolkata on 28-29 March, 2019. Offices which performed remarkably well in implementation of Official Language have been awarded with Shield and Certificates by our Hon'ble Managing Director and Chief Executive Officer.

### O. JOINT VENTURES & ASSOCIATES

- The Bank holds 27.04% equity stake in Asset Management Company "ASREC (India) Ltd.", along with other Banks/ Institutions.
- The Bank holds 28.52% equity stake in insurance company namely "Universal Sompo General Insurance Company Limited" along with Indian Overseas Bank, Karnataka Bank Ltd., Dabur Investment Ltd. and Japanese insurance major "Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc"
- Allahabad UP Gramin Bank (AUPGB) with Head Office at Banda (UP).

### Allahabad UP Gramin Bank (AUPGB)

Allahabad UP Gramin Bank (AUPGB) with Head Office at Banda (UP) was sponsored by our Bank till 31.03.2019.

The Government of India vide notification no. 7/8/2017-RRB (Uttar Pradesh II) dated 25.01.2019 has notified the amalgamation of AUPGB and Gramin Bank of Aryawart (sponsored by Bank of India) into a single Regional Rural Bank. The AUPGB, our sponsor RRB has ceases the business w.e.f 01.04.19 and amalgamated to Gramin Bank of Aryawart, sponsored by Bank of India (BOI).

During the last financial year, total business of AUPGB rose to ₹18204 crore in Mar'19 from ₹16541 crore in Mar'18 showing Y-o-Y growth of 10.05%. The Net loss of our sponsored RRB in FY19 stood at Rs 459 crore as against profit of ₹35.32 crore in FY18.

### P. AWARDS AND ACCOLADES

- Shri SVLN Nageswara Rao, General Manager of our Bank has been awarded by PFRDA as "Exemplary Eight" Best Performing General Manager for their APY registration campaign in January 2019.
- Bank was awarded Banking Technology 2019 awards by IBA at a function held at Mumbai on the following parameters : 1) Best Payment Initiatives (2) Best Financial Inclusion Initiatives (3) Most Innovative Product using Technology
- FGM New Delhi Shri Vikas Kumar received "Leadership Capital" award on behalf of our Hon'ble MD & CEO Shri CH S S Mallikarjuna Rao conferred by PFRDA/DFS

में पीएफआरडीए/डीएफएस द्वारा प्रदत्त “लीडरशिप कैपिटल” पुरस्कार हमारे माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से ग्रहण किया।

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में पीएफआरडीए से “मेकर्स ऑफ एक्सिलेंस-एमई-2.0” पुरस्कार प्राप्त किया।
- बैंक को औसत आधार जनरेशन और अपडेट के रूप में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। बैंक को दिए गए लक्ष्य के अनुसार आधार केन्द्र खोलने के उच्चतम प्रतिशत हेतु “एचीवर्स अवार्ड” की श्रेणी में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है।

#### **व्यू. भारिबैं की पीसीए संरचना और भारत सरकार का पीएसबी सुधार एजेंडा**

उच्च अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) और लगातार दो वर्षों हेतु आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) के नकारात्मक होने के कारण भारिबैं द्वारा 2 जनवरी, 2018 को बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) संरचना के अंतर्गत रखा गया था।

वित्तीय वर्ष, 19 के दौरान भारत सरकार ने तीन चरणों में ₹11740 करोड़ की पूंजी लगाई है। पूंजी इंफ्यूजन के आधार पर भारिबैं ने 26 फरवरी, 2019 से पीसीए संरचना के अंतर्गत बैंक पर अधिरोपित प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया।

बैंक के टर्नअराउंड हेतु बैंक वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार एजेंडा (ईज) का भी अनुसरण कर रहा है।

#### **आर. बैंक की भावी व्यवसाय योजना**

##### **व्यवसाय वृद्धि:**

बैंक कासा आधार के समेकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए और रिटेल क्षेत्र के अंतर्गत निर्भरता बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 20 के दौरान 9% की मामूली व्यवसाय वृद्धि की अपेक्षा कर रहा है।

##### **स्लिपेज:**

हम मामूली स्लिपेज की अपेक्षा करते हैं और इसे प्रति तिमाही लगभग 1% तक सीमित रखा जाना है।

##### **वसूली/समाधान:**

लगभग ₹2000 करोड़/तिमाही की वसूली सुनिश्चित करने हेतु समर्पित एसएएम वर्टिकल मौजूद हैं।

##### **अर्जन:**

हम अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय वर्ष 20 की प्रथम तिमाही के दौरान लाभ-अलाभ (ब्रेक ईवन) की स्थिति में आ जाएगा और तत्पश्चात लगातार निवल लाभ दर्ज करेगा। एनआईएम लगभग 2.65% होने और लागत आय अनुपात में स्पष्ट सुधार होने की संभावना है।

##### **पूंजी उगाहने की योजनाए:**

वर्ष के दौरान बैंक को पूंजी में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसने वर्ष के दौरान विभिन्न तरीकों से ₹4000 करोड़ तक की इक्विटी पूंजी उगाहने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

##### **एस.निदेशक मंडल**

31.03.2019 को यथास्थिति बैंक के बोर्ड में 3 पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् एक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशकों सहित 10 निदेशक थे। वित्तीय वर्ष 19 के दौरान निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

- श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव ने 19 सितम्बर, 2018 से बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया।

on 23.01.2019 at New Delhi for mobilizing 27355 number of new APY Subscribers during the Campaign period 12.11.18 to 30.11.18

- Bank Received award of "Makers of Excellence-ME-2.0" in Financial year 2018-19 from PFRDA
- Bank has been conferred 3rd Rank in the category of Best Performing Public Sector Bank in terms of average Aadhaar Generation and Update. Bank also bagged 7th rank in the category of "Achievers Award" for opening highest percentage of Aadhaar Centres as per given targets.

#### **Q. PCA FRAMEWORK OF RBI & PSBs REFORM AGENDA OF GOI**

Owing to high non-performing assets (NPA) and negative Return on Assets (RoA) for two consecutive years, Bank was brought under Prompt Corrective Action (PCA) framework by RBI on 2<sup>nd</sup> January 2018.

During FY19, Government of India infused capital to the tune of ₹11740 crore in three tranches. The RBI, on the basis of capital infusion, decided to lift the restriction imposed on the Bank under the PCA framework with effect from February 26, 2019.

The Bank is also pursuing the reforms agenda (EASE) prescribed by the MOF, GOI for turnaround of the Bank.

#### **R. FUTURE BUSINESS PLAN OF THE BANK**

##### **Business Growth:**

Bank is looking at a modest business growth of 9% during FY20 through focus on consolidating CASA base & increasing dependency under retail sector.

##### **Slippage:**

We expect slippage to moderate and to be contained at approximately 1% per quarter.

##### **Recovery/Resolution:**

Dedicated SAM verticals are in place to ensure recovery of around ₹2000 crores/quarter.

##### **Earnings:**

We expect the Bank to break even during Q1FY20 and thereafter to post Net Profits consistently. The NIM is expected to be around 2.65% and visible improvement in Cost to Income Ratio.

##### **Capital Raising Plans:**

The Bank shall be requiring to augment growth capital during the year and has obtained board approval for raising equity capital up to ₹4000 crores through various modes during the year.

#### **S. BOARD OF DIRECTORS**

As on 31.03.2019, there were 10 Directors on the Board of the Bank including 3 whole time Directors, i.e., one Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and two Executive Directors. During FY19, following changes took place in the composition of Board of Directors.

- Shri CH. S. S. Mallikarjuna Rao took over as the MD & CEO of the Bank w.e.f 19<sup>th</sup> September 2018.

- श्री के. रामचंद्रन 26.12.2018 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- श्री पी.आर. राजगोपाल 01.03.2019 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- प्रो. राधा आर. शर्मा 27.01.2019 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 01.03.2019 से अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित हुई।
- श्री एस. हरिशंकर बैंक के बोर्ड में भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक 19.09.2018 से पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए।
- श्री एन.के. साहु भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक 28.02.2019 को सेवानिवृत्त हुए।
- श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन, भूतपूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डीएफएस, एमओएफ की अधिसूचना सं.एफ.सं.16/13/2018-बीओ.आई दिनांक 13.08.2018 के तहत तत्काल प्रभाव से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद से हटाई गई।

#### टी. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखाओं की तैयारी में:

- महत्वपूर्ण अपक्रम, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखानीतियों को संगत रूप से लागू किया गया है।
- उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और पूर्वानुमान लगाए गए हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ/हानि का सही और उचित अवलोकन हो सके।
- भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाली प्रयोज्य विधियों के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव हेतु समुचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया है।
- लेखा 'गतिशील संस्था' आधार पर तैयार किए गए हैं।

#### यू. आभार

निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और भारत सरकार तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों तथा वित्तीय संस्थाओं को उनके उनके सहयोग, प्रबल समर्थन और मार्गदर्शन हेतु आभार प्रकट करता है। बोर्ड अपने शेयरधारकों को उनके समर्थन के लिए और अपने सम्मानित क्लाइंटों और ग्राहकों को उनके द्वारा दिए गए सतत संरक्षण हेतु उनके प्रति भी आभार प्रकट करता है। बोर्ड सभी क्षेत्रों में बैंक के कार्यनिष्पादन में समर्थन हेतु इसके कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के लिए उनकी भी हार्दिक प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव)  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- Shri K. Ramachandran was appointed as the Executive Director of the Bank w.e.f 26.12.2018.
- Shri P.R. Rajagopal was appointed as the Executive Director of the Bank w.e.f 01.03.2019.
- Prof Radha R Sharma was re-nominated as Part Time Non-Official Director w.e.f 01.03.2019 after completion of her tenure on 27.01.2019.
- Shri S. Harisankar Ex-Executive Director on the Board of the Bank was appointed as MD & CEO of Punjab & Sind Bank on 19.09.2018.
- Shri N.K. Sahoo Ex-Executive Director retired on 28.02.2019.
- Smt Usha Ananthasubramanian Ex- MD & CEO demitted office on 13.08.2018 as per GOI directive vide DFS, MOF notification No- F. No. 16/13/2018-BO.I dated 13.08.2018.

#### T. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2019:

- The applicable Accounting Standards were followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit/loss of the Bank for the year ended March 31, 2019;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India, and
- The accounts have been prepared on the principle of "going concern" basis.

#### U. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Reserve Bank of India, Securities Exchange Board of India, and Government of India and other regulatory authorities and financial institutions for their co-operation, strong support and guidance. The Board acknowledges the support of shareholders and also places on record its sincere thanks to its valued clients and customers for their continued patronage. The Board also expresses its deep sense of appreciation for the commitment shown by the employees in supporting the Bank in its performance on all fronts.

For and on behalf of the Board of Directors,

(CH. S. S. Mallikarjuna Rao)  
Managing Director and CEO

## प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

### क. उद्योग संरचना और विकास

भारत में बैंकिंग उद्योग का एक विस्तृत इतिहास है। भारत में बैंकिंग ने एक लम्बा सफर तय किया है और बदलते समय के साथ नई उंचाइयों को छूआ है। अनुपयोज्य आस्तियां, भारतीय बैंकिंग उद्योग की सबसे बड़ी बाधा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में चरम पर थीं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में और अधिक व्यापाक थीं। पूंजी में कमी के कारण बैंक ऋण देने में असमर्थ थे। तथापि, दीवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 जैसी सरकार की कुछ पहल विगत वर्ष समुचित रूप से सफल रही। इसके साथ ही, सरकार द्वारा समय पर पूंजी इंफ्यूजन से कुछ बैंकों को पीसीए से बाहर आने और सामान्य रूप से व्यवसाय चलाने में मदद मिली। साथ ही साथ कुछ बैंकों के विलय के रूप में समेकन कार्रवाई की गई। भारत में विलय अनिवार्यतः उबारने (बेल आउट) की प्रक्रिया है। किंतु विगत के विपरीत, जहां जमाकर्ताओं के हित के संरक्षण हेतु विफल निजी बैंकों का सार्वजनिक बैंकों में विलय किया गया था, हाल का विलय एक ही प्रवर्तक के अंतर्गत बैंकों का समेकन था जिससे किरायातों को प्राप्त किया जा सके।

प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने बैंकों के परिचालन में क्रांति ला दी है और इस घटनाक्रम के कारण बैंकिंग उद्योग और अधिक तेजी से और अधिक दक्षता के साथ सेवा प्रदान कर पाने में समर्थ हुआ है। जन धन योजना की सफलता के बावजूद बैंकिंग सेवाओं का उपयोग न करने वाली जनसंख्या के बड़े भाग के कारण भारत में पर्याप्त संभावनाएं हैं। जबकि जनधन योजना, आधार और मोबाइल की पैठ ने भारत को विशेष स्थिति में पहुंचा दिया है, इस सफलता का लाभ उठाना आवश्यकता है। इन आस्तियों में पूंजीकरण आवश्यक है। फिनटेक गतिविधियों में तेजी लाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से भुगतान के क्षेत्र में जहां यूपीआई के माध्यम से उपलब्ध आधारभूत अवसंरचना विश्वस्तरीय है।

बैंक ऋण में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि के संचालन में प्रमुख कारकों में से एक समझा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि उच्चतर उधार का उपयोग उत्पादक प्रयोजनों के लिए किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक उन्नति होती है। बैंक ऋण का उद्योग से रिटेल क्षेत्र में संरचनात्मक अंतरण हुआ है। भारिबैं द्वारा 10 मई, 2019 को जारी एससीबी संबंधी अद्यतन आंकड़ों की स्थिति यह दर्शाती है कि सकल जमा राशियों में वर्ष-दर-वर्ष 10.36% की वृद्धि हुई जबकि बैंक ऋण 12.97% की जबरदस्त वृद्धि का साक्षी रह। वित्तीय वर्ष 19 के दौरान रिटेल खंड (यथा वैयक्तिक, आवास, वाहन) में उच्चतर ऋण उठाव समग्र ऋण मांग में सुदृढ़ तेजी लाने में सहायक रहा।

वित्तीय वर्ष 19 के दौरान भारिबैं ने नीतिगत दरों में तीन बार परिवर्तन किया है। इसने रेपो दर में 6 जून, 18 और फिर 1 अगस्त, 18 को 25 आधार बिंदुओं की बढ़ोतरी की। तथापि, इसने 7 फरवरी 19 को दरों में 25 आधार बिंदुओं की कटौती की और विकास का समर्थन करते हुए 3.2-3.4% की ग्राहक मूल्य सूचकांक(सीपीआई) मुद्रास्फीति के मध्यावधि लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति ऋण को केलिब्रेटेड टाइटनिंग से न्यूट्रल करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 20 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में 25 आधार बिंदुओं की कटौती कर इसे 6.25% से 6.0% किया है।

भारिबैं ने 31 मार्च, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक कैपिटल कंजर्वेशन बफर (सीसीबी) के 0.625% के अंतिम ट्रेच के कार्यान्वयन को आस्थगित कर दिया है। इस एक वर्ष की अवधि ने पीएसबी को लगभग ₹35,000-38,000 करोड़ की अनुमानित राहत का अवसर प्रदान किया है।

सरकार ने ₹65,000 करोड़ के बजटीय लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 19 के दौरान बैंक रिफ्लेक्शन के रूप में ₹1.06 लाख करोड़ इंफ्यूज किए थे। किंतु वित्तीय वर्ष 20 के अंतरिम बजट में बैंक रिफ्लेक्शन हेतु कोई निधियां आबंटित नहीं की गई थीं। वित्तीय वर्ष 20 के अंतरिम बजट में, बैंक जमा राशियों पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस सीमा मौजूद

## MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

### A. Industry Structure and Development

The banking industry in India has a long history. Banking in India has been through a long journey and has achieved new heights with the changing times. The non-performing assets, the biggest hurdle of Indian banking industry, peaked at the end of the financial year 2017-18 and were more widespread in public sector banks (PSBs). The banks were unable to lend due to shortage of capital. However, some of the Government initiatives such as Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 have had reasonable success in the last year. Along with this, timely capital infusion by the Government has assisted some banks to come out from PCA and carry on business as usual. At the same time, there has been action on the consolidation front with merger of few Banks. Mergers in India are essentially a bail-out exercise. But unlike in the past, where failed private banks were merged with public banks to protect the interest of depositors, the recent merger was consolidation of banks under the same promoter to achieve economies of scale.

The use of technology has brought a revolution in the operations of the banks and because of this development; banking industry has been able to deliver much faster and in a more efficient manner. India has significant potential with large part of population not utilizing banking services in spite of success of Jan Dhan Yojana. While Jan Dhan Yojana, Aadhar and mobile penetration puts India in a unique position, the fruits of this success need to be reaped. Fintech activity needs to pick up, especially in the payments space where the infrastructure made available through UPI is world class.

Growth in bank credit is considered to be one of the major factors in driving economic growth as it is assumed that higher borrowings are utilized for productive purposes resulting in economic advancement. There has been a structural shift in bank credit from Industry to retail sector. The latest data on SCBs' position released by the RBI as on 10<sup>th</sup> May 2019 shows that the aggregate deposits increased by 10.36% Y-o-Y while bank credit witnessed a robust growth of 12.97%. During FY19, higher credit off-take to retail segment (like personal, housing, vehicles) supported the robust pick-up in overall credit demand.

During FY19, the RBI has changed the policy rates three times. It increased repo rate by 25 basis points on 6<sup>th</sup> Jun'18 and again on 1<sup>st</sup> Aug'18. However, it reduced the rates by 25 basis points on 7<sup>th</sup> Feb'19 and also decided to change the monetary policy stance from calibrated tightening to neutral with the objective of achieving the medium-term target for consumer price index (CPI) inflation of 3.2-3.4%, while supporting growth. Further, in its First Bi-monthly Monetary Policy for FY20, the RBI has reduced the repo rate by 25 basis points to 6.0% from 6.25%.

RBI has deferred the implementation of the last tranche of 0.625% of Capital Conservation Buffer (CCB) from March 31, 2019 to March 31, 2020. This one year window has afforded an opportunity to PSBs by an estimated relief of around ₹35,000-38,000 crore.

Government had infused ₹1.06 lakh crore as bank recapitalization during the FY19 as against the budgeted target of ₹65,000 crore. But no funds were allocated for bank recapitalization in FY20 interim budget. In the FY20 interim budget, the TDS limit on interest earned on bank deposits has

₹10000 से बढ़ाकर ₹40000 की गई है जो बैंकों के साथ-साथ ग्राहकों के लिए भी लाभ की स्थिति है।

## ख. अवसर और आशंकाएं

आने वाले वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष विभिन्न चुनौतियां और अवसर आ सकते हैं, जैसे उच्च परिचालन लागत, आईटी क्रांति, समय से प्रौद्योगिकीय उन्नयन, घोर प्रतिस्पर्धा, निजता और सुरक्षा, वैश्विक बैंकिंग, वित्तीय समावेशन आदि। वैश्विक बैंकों से प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष ने भारतीय बैंकों को अपनी नीतियों और रणनीतियों पर पुनर्विचार करने हेतु बाध्य किया है। विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए विभिन्न उत्पादों ने भारतीय बैंकों को अपने उत्पादों में विविधता लाने और उन्हें अपग्रेड करने हेतु विवश किया है जिससे ये बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें और बने रहें। बैंकिंग उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता और व्यापक बाजार को सेवा प्रदान करने की है। कंपनियां उत्पाद केंद्रित की अपेक्षा ग्राहक केंद्रित हो गई हैं। हम अपने ग्राहकों को जितना बेहतर समझ सकेंगे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में हम उतने ही अधिक सफल होंगे। उपर्युक्त चुनौतियों का शमन करने के उद्देश्य से भारतीय बैंकों को अपनी सेवाओं की लागत में कटौती करना आवश्यक है।

चुनौतियों का सामना करने का एक अन्य पहलू है, उत्पाद विविधीकरण। पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं के अलावा, भारतीय बैंकों को उत्पादों में कुछ नवीनता लानी होगी ताकि वे प्रतिस्पर्धा की होड़ में बने रह सकें। प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन चुनौतियों का सामना करने का अपरिहार्य पहलू है।


## ग. खंड-वार या उत्पाद-वार कार्यनिष्पादन

बैंक का व्यवसाय मुख्यतः जमा, ऋण और निवेश से आता है। इस खंड में कुछ प्रमुख व्यवसाय खंड जैसे संसाधन संग्रहण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, रिटेल ऋण, वित्तीय समावेशन, एमएसएमई आदि का विश्लेषण किया जाता है।

### i. संसाधन संग्रहण

31 मार्च, 2019 की समाप्ति पर बैंक की कुल जमा राशियां ₹214335 करोड़ रहीं और वर्ष-दर-वर्ष 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई। सकल जमा राशियों में कासा जमा राशियों का अंश पिछले वर्ष के 46.50% की तुलना में मार्च 19 के अंत में बढ़ कर 49.49% हो गया।

मार्च 19 के दौरान बैंक ने अपनी थोक जमा राशियों को वर्ष-दर-वर्ष 43.87% घटाकर ₹3247 करोड़ से ₹1823 करोड़ किया है। बचत बैंक जमा राशियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर कासा जमा राशियां महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 19 के दौरान कासा जमा राशियों में वर्ष-दर-वर्ष 7.77% की वृद्धि हुई और बचत बैंक जमा राशियों में 6.89% की वृद्धि हुई।



been increased to ₹40,000 from ₹10,000 currently which is a win-win position for the Banks as well as its customers.

## B. Opportunities and Threats

Indian banking sector may face various challenges and opportunities in coming years, like high transaction costs, IT revolution, timely technological up-gradation, intense competition, privacy & safety, global banking, financial inclusion etc. The competition from global banks and technological innovation has compelled Indian banks to rethink their policies and strategies. Different products provided by foreign banks to Indian customers have forced the Indian banks to diversify and upgrade themselves so as to compete and survive in the market. The biggest challenge for banking industry is to serve the mass and huge market of India. Companies have become customer centric than product centric. The better we understand our customers, the more successful we will be in meeting their needs. In order to mitigate above mentioned challenges Indian banks must cut the cost of their services.

Another aspect to encounter the challenges is product differentiation. Apart from traditional banking services, Indian banks must adopt some product innovation so that they can compete in gamut of competition. Technology up gradation is an inevitable aspect to face challenges.


## C. Segment-wise or Product-wise Performance

The Bank's business broadly comes from deposits, credit and investment. Some major business segments like Resource mobilization, Priority Sector Lending, Retail Lending, Financial Inclusion, MSME, etc. are analyzed in this section.

### i. Resource Mobilization

The Bank's total deposits stood at ₹214335 crores as at the end of 31<sup>st</sup> Mar'19 registering a Y-o-Y growth of 0.34%. The share to CASA deposits in aggregate deposits increased to 49.49% as at the end of Mar'19 as compared to 46.50% a year ago.

The Bank reduced its bulk deposits by 43.87% Y-o-Y from ₹3247 crores to ₹1823 crores during Mar'19. CASA deposits with special focus on SB deposits were the focus areas at the ground level. Consequently, CASA deposits increased by 7.77% Y-o-Y during FY19 and SB deposits increased by 6.89%.



## ii. ऋण अभिनियोजन एवं सुपुर्दगी

31 मार्च, 19 को यथास्थिति बैंक का कुल अग्रिम 1.73% घटकर ₹163552 करोड़ रह गया। ऋण जमा अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष के 78.64% के सापेक्ष 76.32% रहा। वित्तीय वर्ष 19 के दौरान बैंक के अग्रिमों पर प्रतिफल 8.07% रहा।

## iii. रिटेल ऋण

31.03.2019 को यथास्थिति औसत रिटेल ऋण के अंतर्गत पोर्टफोलियो वर्ष-दर-वर्ष 14.5% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2018 को यथास्थिति ₹17599 करोड़ के सापेक्ष ₹20149 करोड़ हो गया। आवास ऋण, रिटेल ऋण के अंतर्गत एक प्रमुख घटक में वर्ष-दर-वर्ष 16% की गति से वृद्धि हुई।

अब बैंक के पास देश के विभिन्न केंद्रों में फैले हुए 53 रिटेल और एमएसएमई प्रोसेसिंग केन्द्र (आरएमपीसी) हैं जो विशेष रूप से विनिर्दिष्ट रिटेल ऋणों का त्वरित और झंझट मुक्त तरीके से निपटान करते हैं।

## iv प्राथमिकता क्षेत्र

31 मार्च, 19 को यथास्थिति औसत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ₹58000 करोड़ रहा, जो 40% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40.34% था।

## ii. Credit Deployment and Delivery

Total advances of the Bank plunges by 1.73% to ₹163552 crores as on 31<sup>st</sup> Mar'19. Credit-Deposit ratio stood at 76.32% as against 78.64% in the last financial year. Yield on advances for the Bank stood at 8.07% during FY19.

## iii. Retail Credit

The portfolio under Retail Credit as on 31.03.2019 stood at ₹20149 crores as against ₹17599 crores as on 31.03.2018, registering Y-o-Y growth of 14.5%. Housing Loan, a key constituent under Retail Credit grew at a pace of 16% Y-o-Y.

The Bank has now a total of 53 Retail & MSME Processing Centres (RMPCs) spread over different parts of the country specially catering to specified retail & MSME loans for quick & hassle free disposal.

## iv. Priority Sector

Average Priority Sector Credit stood at ₹58000 crores as on 31<sup>st</sup> Mar'19, which was 40.34% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the stipulated norm of 40%.

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	31.03.2018	31.03.2019
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, जिसमें से/Priority Sector Credit, of which:	62265	56449
ए)/a) कृषि / Agriculture	27782	26212
ख)/b) एमएसएमई / MSME	29574	24436
ग)/c) अन्य / Others	10164	11601
छोटे किसान/ सीमांत किसान सूक्ष्म उद्यम/Small Farmers/Marginal Farmers	15015	16057
सूक्ष्म उद्यम / Micro Enterprises	12775	12304
कमजोर वर्ग / Weaker Sections	19214	20260
महिला लाभार्थी / Women Beneficiaries	9401	10526

\*\* 2018-19 में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और कृषि ऋण का तिमाही औसत क्रमशः ₹58000 करोड़ और ₹26721 करोड़ रहा है। Quarterly average of Priority Sector Credit and Agriculture Credit has been ₹58000 Crore and ₹26721 Crore respectively in 2018-19.

# प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यथास्थिति 31.03.18 और 31.03.19 को पीएसएलसी ट्रेडिंग के प्रभाव को समायोजित करने के बाद रिपोर्ट किया गया है। पहले रिपोर्ट किए गए आंकड़े पीएसएलसी ट्रेडिंग के प्रभाव से रहित थे।

Priority Sector Credit as on 31.03.18 & 31.03.19 is reported after adjusting effect of PSLC trading. Previously reported figures were without taking effect of PSLC trading.

## लक्ष्य उपलब्धियां/ Target Achievements

एएनबीसी का % /% to ANBC	लक्ष्य / Target	31.03.2018 ##	31.03.2019**
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, जिसमें से / Priority Sector Credit, of which:	40%	42.44%	36.84%
ए)/a) कृषि/Agriculture	18%	18.94%	17.11%
ख)/b) कृषि/SF/MF	8%	10.23%	10.48%
सी)/c) सूक्ष्म उद्यम / Micro Enterprises	7.50%	8.70%	8.03%
डी)/d) कमजोर वर्ग/Weaker Sections	10%	13.10%	13.22%
इ)/e) महिला लाभार्थी/Women Beneficiaries	5.00%	6.41%	6.87%

\*\* दिनांक 7 जुलाई, 2016 को जारी और 4 दिसम्बर, 2018 को अद्यतित भारिबैं मास्टर दिशानिर्देश एफआईडीडी.सीओ.प्लान.1/04.09.01/2016-17 के अनुसार प्राक्षेत्र और कृषि का तिमाही औसत 2018-19 के दौरान क्रमशः 40% के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 40.34% और 18% के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 18.08% रहा है।

In terms of RBI Master Direction FIDD.CO.Plan.1/04.09.01/2016-17 dated July7, 2016 and updated as on Dec 4, 2018 quarterly average of PSC and Agriculture has been 40.34% against the Stipulated target of 40% and 18.08% against the Stipulated Target of 18% respectively during 2018-19 .

## एएनबीसी के सापेक्ष प्रतिशत उपलब्धि पीएसएलसी व्यापार के प्रभाव को समायोजित करने के बाद रिपोर्ट की गई है। इससे पूर्व यह पीएसएलसी व्यापार प्रभाव के बिना ही रिपोर्ट की गई थी।

Percentage Achievement against ANBC is reported after adjusting effect of PSLC trading. Previously it was reported without taking effect of PSLC trading.

## कृषि हेतु ऋण

31 मार्च, 19 को यथास्थिति कृषि ऋण ₹26212 करोड़ रहा, जो 18% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी का 17.11% रहा। तथापि, कृषि के तहत तिमाही औसत उपलब्धि ₹25997 करोड़ रही जो औसत एएनबीसी का 18.08% है। लघु और सीमांत किसानों को ऋण ₹16057 करोड़ रहा जो 8% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी का 10.48% है। विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत बैंक ने वित्तीय वर्ष 18-19 हेतु ₹12660 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹10506 करोड़ के कृषि ऋण संवितरित किए।

## कमजोर वर्ग और अजा/अजजा हेतु ऋण

31 मार्च, 19 को यथास्थिति कमजोर वर्गों को ऋण ₹20260 करोड़ रहा जो 10.00% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी का 15.80% है। 31 मार्च, 19 को यथास्थिति अजा/अजजा को अग्रिम ₹6969 करोड़ रहा और इस अवधि के अंदर कमजोर वर्ग के अंतर्गत अजा/अजजा को अग्रिम का अंश 29% था।

## महिला लाभार्थियों को ऋण

31 मार्च, 19 को यथास्थिति महिला लाभार्थियों को ऋण ₹10526 करोड़ रहा जो 5.00% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी का 6.87% था।

## अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण

31 मार्च, 19 को यथास्थिति अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण ₹10349 करोड़ रहा जो 15.00% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष प्राक्षेक के अंतर्गत कुल अग्रिम का 15.78% है।

## माइक्रो ऋण

वित्तीय वर्ष 18-19 के दौरान माइक्रो ऋण के अंतर्गत 705.70 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 61314 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) खातों में ₹790.15 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया। एसएचजी को बकाया ऋण राशि मार्च 18 को यथास्थिति ₹870.76 करोड़ से वर्ष-दर-वर्ष 18.61% वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 19 को यथास्थिति बढ़कर ₹1032.77 करोड़ हो गई है। पश्चिम बंगाल में इसके उत्कृष्ट कार्यानिष्ठादन हेतु बैंक को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया।

## ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की ग्रेडिंग

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 21 आरसेटी में से 17 को "एए" ग्रेड (उच्चतम ग्रेड) प्रदान किया गया और बाकी 4 को "बीए" ग्रेड प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 18-19 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या दोनों दृष्टियों से हमारे आरसेटी ने लक्ष्य को पार कर लिया था।

## v. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

बैंक का एमएसएमई पोर्टफोलियो 31 मार्च, 18 को यथास्थिति ₹31547 करोड़ से घटकर 31 मार्च, 19 को यथास्थिति ₹26385.54 करोड़ हो गया। पोर्टफोलियो आकार में कमी का कारण भारिबैं के निर्देशानुसार एमएसएमई पोर्टफोलियो से खातों को गैरवर्गीकृत करना और कुछ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कृषि में वर्गीकृत किया जाना है। उपर्युक्त के बावजूद माइक्रो सेगमेंट के तहत अग्रिम में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। (अर्थात् 31.03.2018 को यथास्थिति ₹14015 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2019 को यथास्थिति ₹14254.50 करोड़)

## Credit to Agriculture

Credit to Agriculture stood at ₹26212 crores as on 31<sup>st</sup> Mar'19, which was 17.11% of ANBC against the stipulated norm of 18%. However quarterly average achievement under Agriculture was 25997 crore which is 18.08% of average ANBC. Credit to Small & Marginal Farmers stood at ₹16057 crores, which was 10.48% of ANBC against the stipulated norm of 8%. Under Special Agricultural Credit Plan (SACP), the Bank disbursed ₹10506 crores agricultural credit against the target of ₹12660 crores for FY18-19.

## Credit to Weaker Sections and SC/ST

Advances to Weaker Section stood at ₹20260 crores as on 31<sup>st</sup> Mar'19, constituting 15.80% of ANBC against the stipulated norm of 10.00%. Advances to SC/ST were at ₹6969 crores as on 31<sup>st</sup> Mar'19, share of advances to SC/ST under weaker section was 29% in the same period.

## Credit to Women Beneficiaries

As on 31<sup>st</sup> Mar'19, credit to woman beneficiaries stood at ₹10526 crores, which was 6.87% of ANBC against the stipulated norm of 5.00%.

## Credit to Minority Communities

Credit to Minority Community stood at ₹10349 crores as on 31<sup>st</sup> Mar'19 which was 15.78% of total advances under PSC against the stipulated norm of 15.00%.

## Micro Credit

Under Micro Credit during FY18-19, loan of ₹790.15 crore disbursed in 61314 Self Help Group (SHG) accounts against the target of ₹705.70 crore. Loan outstanding to SHG increased from ₹870.76 crores as on March'18 to ₹1032.77 Crores as on March'19 registering Y-o-Y growth of 18.61%. The Bank was awarded for its outstanding performance in the State of West Bengal by the State Government.

## Grading of Rural Self-Employment Training Institutes (RSETIs)

Out of 21 RSETIs 17 have been awarded graded as "AA" (Highest Grade) and remaining 4 have been graded BA by Ministry of Rural Development (MoRD) for Financial Year 2017-18. Both the targets against number of training programmes organized & number of candidates trained were surpassed by our RSETIs during FY18-19.

## v. Micro, Small and Medium Enterprises

The portfolio of MSME loans of the Bank reduced from ₹31,547 crores as on 31<sup>st</sup> Mar'18 to ₹26385.54 crores as on 31<sup>st</sup> Mar'19. The reason for reduction in portfolio size is declassification of accounts from MSME portfolio as directed by RBI and some food processing units have been classified in agriculture. In spite of above the advance under Micro segment has shown positive growth. (i.e ₹14254.50 crore as on 31.03.2019 against ₹14015 crore as on 31.03.2018).



## मुद्रा ऋण

बैंक ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत निर्धन में निर्धनतम को वित्तीय वर्ष 18 के ₹2766 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 19 के दौरान ₹2958 करोड़ का मुद्रा ऋण प्रदान किया।

### vi. आस्ति गुणवत्ता

31 मार्च, 19 को यथास्थिति बैंक का सकल एनपीए वित्तीय वर्ष 18 के ₹26563 करोड़ के सापेक्ष ₹28705 करोड़ रहा और निवल एनपीए एक वर्ष पूर्व के ₹12229 करोड़ के सापेक्ष ₹7419 करोड़ रहा। प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए प्रतिशत और निवल एनपीए प्रतिशत क्रमशः 17.55% (वित्तीय वर्ष 18: 15.96%) और 5.22% (वित्तीय वर्ष 18: 8.04%) रहा। बैंक का प्रावधान कवरेज एक वर्ष पूर्व के 62.91% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 19 के दौरान 79.85% हो गया।

### vii. वित्तीय समावेशन

निम्नलिखित छह स्तंभों के माध्यम से मिशन मोड में समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से 28.08.2014 को प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) का आरंभ किया गया था।

#### स्तंभ 1 : बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच

- कुल 4580 उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) को बैंक द्वारा 4355 बैंक मित्रों का अभिनियोजन कर पूर्णतया शामिल किया गया है एवं शेष 225 एसएसए को शाखाओं के माध्यम से शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त एसएसए अवधारणा के माध्यम से शहरी वार्डों में 750 बैंक मित्रों का अभिनियोजन किया गया।

#### स्तंभ 2 : वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

- बैंक हमारे सभी अग्रणी जिलों में स्थित वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) और बैंक मित्रों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान करता है।

#### स्तंभ 3 : बुनियादी बैंकिंग खाते खोलना

- 31 मार्च, 19 को यथास्थिति बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 106.55 लाख खाते खोले और इन खातों में बकाया शेष ₹3534.92 करोड़ था इस प्रकार 65.35% की जमा वृद्धि दर्ज की गई।

#### स्तंभ 4 : माइक्रो ऋण उपलब्धता

31 मार्च, 19 को यथास्थिति पीएमजेडीवाई ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा की स्थिति निम्नानुसार है:-

पात्र खाते	संस्वीकृत ओडी	उपभोग किए गए ओडी खाते	उपभोग की गई ओडी की राशि (लाख)
2072391	2072391	643472	1238.95

#### स्तंभ 5 : माइक्रो बीमा (पीएमजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई)

- 31.03.2019 तक प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत बीमाकर्ता को 3606820 ग्राहकों के ₹4.32 करोड़ के बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया। तथापि, पॉलिसी वर्ष 2018-19 हेतु नवीकरण के लिए पात्र मामले 2267891 हैं।

## MUDRA Loans

The Bank extended MUDRA loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) to the poorest of the poor amounting to ₹2958 crores during FY19 against ₹2766 crores during FY18.

### vi. Asset Quality

As on 31<sup>st</sup> Mar'19, Gross NPA of the Bank stood at ₹28,705 crores as against ₹26,563 crores during FY18 and Net NPA was at ₹7,419 crores as against ₹12,229 crores a year ago. In terms of ratio, Gross NPA Percentage and Net NPA Percentage were 17.55% (FY18: 15.96%) & 5.22% (FY18: 8.04%) respectively. The provision coverage of the Bank improved to 79.85% during FY19 from 62.91% a year ago.

### vii. Financial Inclusion

The Prestigious Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched on 28.08.2014 with basic objective of achieving inclusive growth in Mission Mode through the following Six Pillars:

#### Pillar-1: Universal Access to Banking facilities

- A total of 4580 Sub Service Area (SSAs) has been fully covered by the Bank through deployment of 4355 Bank Mitras and remaining 225 SSAs covered through Branches. Additionally 750 Bank Mitras have been deployed in urban wards through SSA approach.

#### Pillar-2: Financial Literacy Programme

- The Bank provides financial literacy through Financial Literacy Centers (FLC) located in all our Lead Districts and Bank Mitras.

#### Pillar-3: Providing Basic Banking Accounts

- As on 31<sup>st</sup> Mar'19, the Bank opened 106.55 lakh accounts under PMJDY and the outstanding balance in these accounts stood at ₹3534.92 Crore registering 65.35% deposit growth.

#### Pillar-4: Micro Credit availability

Status of Overdraft facility to PMJDY customers as on 31<sup>st</sup> Mar'19 was as under:

Eligible A/Cs	OD Sanctioned	OD Aailed A/c	OD Aailed Amt (Lac)
2072391	2072391	643472	1238.95

#### Pillar-5: Micro Insurance (PMJJBY & PMSBY)

- Insurance Premium cumulatively had been remitted to the Insurer for 36,06,820 customers involving premium amount of Rs.4.32 crore under PMSBY up to 31.03.2019. However, the eligible cases for renewal for the policy year 2018-19 stands at 22, 67,891.

- 01.06.2018 से 31.03.2019 तक नया नामांकन 793816 रहा और वर्तमान वर्ष हेतु स्वतः नवीकरण की वार्षिक कट-ऑफ तिथि 31.05.2018 तक हमारे बैंक में 2215557 पॉलिसियों का स्वतः नवीकरण किया गया। नये और स्वतः नवीकरण की कुल 3049017 पॉलिसियों से हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 31.03.2019 तक ₹65.54 लाख का शुल्क आधारित कमीशन अर्जित किया। स्वतः नवीकरण की सफलता की प्रतिशत 97.69% था।
- 31.03.2019 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) के अंतर्गत बीमाकर्ता को 1016673 ग्राहकों के ₹31.11 करोड़ के बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया। तथापि, पॉलिसी वर्ष 2018-19 हेतु नवीकरण के लिए पात्र मामले 505582 हैं।
- 01.06.2018 से 31.03.2019 तक नया नामांकन 207479 रहा और वर्तमान वर्ष हेतु स्वतः नवीकरण की वार्षिक कट-ऑफ तिथि 31.05.2018 तक हमारे बैंक में 505582 पॉलिसियों का स्वतः नवीकरण किया गया। नये और स्वतः नवीकरण की कुल 721270 पॉलिसियों से हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 31.03.2019 तक ₹266.48 लाख का शुल्क आधारित कमीशन अर्जित किया। स्वतः नवीकरण की सफलता की प्रतिशत 85.92% था।
- 31.03.2019 तक पीएमजेजीबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 3378 और 555 दावों का निपटान किया गया। पीएमजेजीबीवाई और पीएमएसबीवाई हेतु हमारे बैंक का दावा भुगतान अनुपात क्रमशः 93.31% और 91.88% रहा।
- Fresh Enrolment from 01.06.2018 to till 31.03.2019 stands at 793816 and auto renewal of 22, 15, 557 policies happened at our bank till 31.05.2018-Annual cut-off date for Auto Renewal for the current year. Considering the total 30, 49, 017 no. of fresh and auto renewal policies our bank earned fee based commission of ₹65.54 Lakh up to 31.03.2019 for FY 2018-19. Auto renewal success percentage was 97.69%.
- Insurance Premium cumulatively had been remitted to the Insurer for 10, 16,673 customers involving premium amount of ₹31.11 crore under PMJJBY up to 31.03.2019. However, the eligible cases for renewal for the policy year 2018-19 stand at 5, 05, 582.
- Fresh Enrolment from 01.06.2018 to 31.03.2019 stands at 2, 07,479 and auto renewal of 5, 05, 582 policies happened at our bank till 31.05.2018-Annual cut-off date for Auto Renewal for the current year. Considering the total 7, 21,270 no. of fresh and auto renewal policies our bank earned fee based commission of ₹266.48 Lakh up to 31.03.2019 for FY 2018-19. Auto renewal success percentage was 85.92%.
- A total of 3378 and 555 claims under PMJJBY and PMSBY respectively as on 31.03.2019 have been settled. The Claim settled/ disposed ratio for PMJJBY & PMSBY respectively stands at 93.31% & 91.88% of our bank.

**स्तंभ 6 : असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना (एपीवाई)**

- 31.03.2019 को यथास्थिति अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर 4.08 लाख प्रस्तावों का संग्रहण किया गया।

**Pillar-6: Unorganised sector Pension schemes like Atal Pension Yojana (APY)**

- Since inception, the Bank has mobilized 4.08 Lakh proposals under APY till 31.03.2019.

**वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन / Performance of Bank under Financial Inclusion:**

क्रम सं./SI. विवरण/ Particulars	31.03.2018	31.03.2019	अंतर/Variation	वृद्धि%/Growth
1. पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या (लाख में) No. of A/Cs opened under PMJDY (in Lakh)	75.98	106.55	30.57	40.23%
2. खातों में शेष (₹ करोड़ में)/ Balance in the A/Cs ( ₹ in Crore)	2137.90	3534.92	1397.02	65.34%
3. शेष वाले खातों की संख्या (लाख में)/ No of A/Cs with balance (in Lakh)	73.69	104.26	30.57	41.48%
4. शेष वाले खातों का %/ % of With Balance A/Cs	96.99%	97.85%	0.86	—
5. संचयी आईपीएस लेनदेन (लाख में)/ Cumulative AEPS Transaction (in Lakh)	411.19	741.35	330.16	80.29%
6. आधार सीडेड खाते (लाख में)/ Aadhaar Seeded Accounts (in Lakh)	66.04	88.91	22.87	34.63%
7. आधार सीडिंग का %/ % of Aadhaar Seeding	86.93%	83.44%	—	—
8. जारी रुपये कार्ड (लाख में)/ Rupay Card Issued (in Lakh)	58.43	64.59	6.17	—

## वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वैकल्पिक बुनियादी चैनल के माध्यम से बैंकिंग और नई पहल:

- माइक्रो एटीएम का प्रयोग करके एसएसए/ सांविधिक अवधारणा के माध्यम से 5133 बैंक मित्र लोकेशनों पर आनलाइन इंटर-आपरेबल कियोस्क बैंकिंग साल्यूशन। इसके अतिरिक्त बैंक ने गैर-एसएसए अवधारणा के माध्यम से बैंक मित्र संचालित 893 ग्रामीण तथा 80 शहरी बैंकिंग आउटलेट स्थापित किए हैं। अतः बैंक मित्रों के नेतृत्व में 31.03.2019 को यथास्थिति बैंकिंग आउटलुक 6106 रहे।
- खाता खोलने हेतु कागजी दस्तावेजों के बिना ग्राहक सत्यापन हेतु ई-केवाईसी सुविधा कार्यान्वित की गई।
- ऑन-अस एवं ऑफ-अस लेनदेनों हेतु आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) और सभी बैंक मित्र लोकेशनों पर रुपये एटीएम कार्ड की स्वीकृति को पासबुक प्रिंटिंग सुविधा के साथ अनिवार्य बनाया गया है, इस प्रकार लेनदेन की लागत, मुद्रण और लेखन सामग्री आदि की लागत और ब्रिक एंड मोर्टार शाखाओं की स्थापना की लागत में कटौती हुई साथ ही परिचालनगत जोखिम भी कम हुआ है क्योंकि आहरण और निधियों का अंतरण या तो आधार या कार्ड आधारित है।
- नई पहल योजना के अंतर्गत बैंक मित्र लोकेशनों पर पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा कार्यान्वित की गई है। इससे मुद्रण और लेखन सामग्री आदि की लागत घटने के साथ-साथ कोई पूंजीगत लागत भी नहीं आई है क्योंकि समस्त स्थिर लागतों का वहन बैंक मित्रों द्वारा किया गया है।
- शाखाओं में प्रतिदिन बचत बैंक खातों की संख्या बढ़ाने और जमा लागत में कमी करने हेतु बैंक मित्र लोकेशनों पर आनलाइन निधिक खाते खोलना।
- बैंक मित्र लोकेशनों पर आरडी/एफडी खोलने का कार्य पहले ही आरंभ हो गया है।
- वित्तीय समावेशन चैनलों के माध्यम से कुल जमा राशि आधार 174.24 लाख खातों के साथ ₹7616.97 करोड़ तक पहुंच गया है।
- बैंक बकाया (₹15.00 लाख तक) की वसूली को बैंक मित्र चैनल के माध्यम से परिचालित किया गया है और बैंक 818 खातों में ₹19.76 करोड़ के बकाया के सापेक्ष ₹6.26 करोड़ वसूली कर सका।

## घ. दृष्टिकोण

आस्ति गुणवत्ता, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की, में भारी गिरावट हुई है, बैंकों के उच्च-दर वाले कॉर्पोरेट व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निधियों के और अधिक किफायती स्रोतों, जैसे बॉण्ड की ओर चला गया; बैंकों ने अपना ध्यान रिटेल खंड की ओर केंद्रित किया। विशेषकर शहरी क्षेत्रों और युवाओं में डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती लोकप्रियता से बैंक अपने व्यवसाय माडलों और विस्तार रणनीतियों को फिर से तैयार कर रहे हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र में तरलता संकुचन द्वारा आंशिक रूप से प्रेरित, गैर-खाद्य बैंक ऋण वृद्धि में भरपाई में इजाफा होने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में रिटेल ऋण में तेजी से वृद्धि हुई थी। अब कॉर्पोरेट ऋण की वापसी की संभावनाएं हैं। आधारभूत अवसंरचना (विशेषकर सड़क, मेट्रो आदि), जिंस (स्टील, सीमेंट आदि) और उपभोग कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है। एनपीए लगभग चरम पर हैं। क्योंकि बैंकों ने दबावग्रस्त आस्तियों हेतु भारी मात्रा में प्रावधान किया है, वर्ष 2019 में कुछ लाभ का प्रतिलेखन किया जा सकता है क्योंकि

## Basic banking through alternate delivery channels and new initiatives under Financial Inclusion:

- Online Inter-operable Kiosk Banking Solution at 5133 Bank Mitra locations using Micro ATMs through SSA/Statutory approach. Bank has further set up 893 Rural & 80 Urban Bank Mitra led Banking Outlets through Non SSA approach. Thus, the total bank mitras led Banking Outlets stood at 6106 as on 31.03.2019.
- For opening of account, e-KYC facility has been implemented for customer verification without any paper documents.
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) for on-us & off-us transactions and RuPay ATM card acceptance at all Bank Mitra locations have been made mandatory along with Passbook printing facility, thus cutting down transaction cost, cost towards printing & stationery etc. and capital expenditure for setting up brick & mortar branches as well as reducing operational risk, as withdrawal and fund transfers happen either through Aadhaar or Card based.
- Under New Initiative Plan, Pass Book Printing Facility at Bank Mitra Locations has been implemented. This has resulted in reduction of cost towards printing & stationery etc. as well as there has been no capital cost as all fixed costs have been incurred by Bank Mitras.
- On line Funded Account Opening at Bank Mitra Locations implemented to improve per day SB account Opening of Branches and Reduce Cost of Deposit.
- RD/FD Opening Functionality at Bank Mitra Locations have already been commenced.
- The Total Deposit Base through FI Channel has reached ₹7616.97 Crore with 174.24 Lakh No of accounts.
- Recovery of Bank's Dues (Up to ₹15.00 Lakh) got operational from Bank Mitra Channel and Bank could recover ₹6.26 Crore against outstanding of ₹19.76 Crore in 818 Accounts.

## D. Outlook

Asset quality, especially of PSBs has deteriorated drastically; a significant chunk of banks' high-rated corporate business has switched to more cost-effective sources of funds such as bonds; the banks have shifted their focus to the retail segment. With digital banking becoming increasingly popular, especially in the urban areas and with the youth, banks are re-drawing their business models and expansion strategies.

There seems to have been an uptick in recovery of non-food bank credit growth, driven partly by the liquidity squeeze in the non-banking financial company (NBFC) sector. In the last few years, the retail credit was growing robustly. There are now expectations of corporate lending to make a comeback. Infrastructure (especially roads, metro etc), commodities (steel, cement etc) and consumption companies are expected to be benefitted. The NPAs are almost peaking. As the banks have made huge provisions for stressed assets, year 2019 may see

आस्तियों के समाधान में भी तेजी आएगी। इसके साथ ही सरकार की पीएसबी के रिफैपिटलाइजेशन योजना से अर्थव्यवस्था में ऋण प्रावह बढ़ सकता है जिससे वृद्धि को गति मिल सकती है।

जीडीपी के 3.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने की संभावनाएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि क्या सरकार वस्तु और सेवा कर, लाभांश आय और विनिवेश प्राप्तियों, साथ ही संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु अपेक्षित निधि, आयुष्मान भारत योजना और बैंक रिफैपिटलाइजेशन से संबंधित बजटीय राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। किंतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण संतोषजनक नहीं था। इसके साथ ही, आम चुनाव से पहले लोकप्रिय उपायों यथा किसानों को नकदी प्रदान करना और कर में छूट से राजकोषीय बोझ और अधिक बढ़ सकता है। उच्चतर राजकोषीय घाटे की संभावनाओं के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति उच्चतर हो सकती है और एफआईआई भारतीय अर्थव्यवस्था से धनराशि निकाल सकते हैं।

आगे देखें तो, हम प्राथमिक उत्पादों में मुद्रास्फीति आरंभ होने की आशा करते हैं। विनिर्मित उत्पादों हेतु निम्नतर मुद्रास्फीति भी बाजार में मंद मांग परिस्थितियों का संकेतक है। जिस प्रकार से तेल की अर्थव्यवस्था विकास करती है यह आगामी महीनों में व्यापक रूप से ईंधन की कीमतों को निर्धारित कर सकती है। आगामी महीनों में मुद्रास्फीतिपरक रुझान साधारण मानसून और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर आश्रित हो सकती है।

## ड. जोखिम और चिंताएं

बैंक का जोखिम प्रबंधन दर्शन और नीति विनियामक मानकों, उद्योग की सर्वोत्तम परिपाटियों और बैंक की गतिविधियों के मान और जटिलता के अनुपात के अनुरूप हैं। इसमें जोखिम और आस्तियों पर प्रतिफल के बीच संतुलन कायम करते हुए अधिकतम प्रतिफल, शेरधारकों के मूल्य में सुधार हेतु बाजार अंश बढ़ाने का प्रयास, गुणवत्तापूर्ण आस्तियों के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि और पूंजी का संरक्षण सुनिश्चित करना शामिल है। बासेल III पूंजी विनियम संबंधी भारिबैं के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया गया है और बैंक पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है। जोखिम मापन, मानिट्रिंग और नियंत्रण कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु उद्योग की सर्वोत्तम परिपाटी के अनुसार एक स्वतंत्र जोखिम गवर्नेंस संरचना स्थापित की गई है।

बैंक का एक सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचा है और इसने कॉरपोरेट और रिटेल क्लाइंट दोनों को शामिल करते हुए ऋण जोखिम रेटिंग माडल (जोखिम निर्धारण माडल-आरएएम) और स्कोर कार्ड विकसित किया है। ये माडल ऋण जोखिम के निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति उपलब्ध कराते हैं। आरएएम माडल की प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने और सुदृढ़ता हेतु माइग्रेसन विश्लेषण करने हेतु आवधिक रूप से इसका विधिमान्यकरण किया जाता है। क्लाइंटों की आंतरिक रेटिंग पोर्टफोलियो समीक्षा और सतत आधार पर मानिट्रिंग के अलावा विभिन्न स्तरों पर विवेकाधीन शक्तियों और ऋण मूल्यन से संबद्ध होती हैं। कारपोरेट पोर्टफोलियो के चूक की संभावना का आवधिक विश्लेषण किया जाता है और चूक की ऐसी संभावना इन्ड एएस 109 के अंतर्गत संभावित ऋण हानि के अनुमान का आधार होती हैं और ऋण जोखिम प्रीमियम की मात्रा बताती हैं। बैंक के रिटेल उत्पादों कृषि क्षेत्र, एसएमई क्षेत्र, और अन्य में छोटे अग्रिमों, हेतु स्कोर कार्ड माडल जोखिम का त्वरित और सटीक निर्धारण करने, और निर्बाध ऋण सुपुर्दगी हेतु लाभदायक है।

एकल उधारकर्ता, समूह उधारकर्ता, अप्रतिभूत और पर्याप्त निवेश मानदंड हेतु विवेकपूर्ण निवेश मानदंडों की मानिट्रिंग नियमित रूप से की जा रही है।

एक विशेषीकृत बाजार जोखिम प्रबंधन डिवीजन ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम की निगरानी करता है। बाजार जोखिम नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन, माडिफाइड ड्यूरेशन, पीवी01, स्टाप लास, वीएआर

writing back of some profits as resolution of assets will also gather steam. Along with these, government recapitalization plan of PSBs may increase credit flow to the economy which may push the growth momentum.

The possibilities meeting the fiscal deficit target of 3.4% of GDP will depend on whether government can achieve the budgeted revenue targets related to the goods and services tax, dividend income and disinvestment proceeds, as well as fund requirements for revised minimum support prices, the Ayushman Bharat scheme and bank recapitalization. But direct and indirect tax collection was not satisfactory. Along with this, populist measure ahead of general election like cash handouts to farmers and tax exemptions may further increase the fiscal burden. Possibilities of higher fiscal deficit may result in higher inflation and FIIs may pull out money from Indian economy.

Going ahead we expect inflation in primary products to start moving up. Lower inflation for manufactured products is also indicative of sluggish demand conditions in the market. The way the economics of oil develops may largely determine the movement in fuel prices in the coming months. The inflationary trajectory in the coming months may be contingent upon normal monsoon and global crude oil prices.

## E. Risks and Concerns

The Risk Management Philosophy and Policy of the Bank is aligned with regulatory standards, industry best practices and proportional to the scale and complexity of Bank's activity. This include optimizing the return by striking a balance between the risk and the return on assets, striving towards increasing market share to improve shareholders' value, augmenting business through quality assets and ensuring conservation of capital. RBI guidelines on Basel III Capital Regulations have been implemented. An independent Risk Governance Structure, in line with Industry best practices has been put in place to ensure independence of Risk Measurement, Monitoring and Control functions.

The Bank has sound Credit Risk Management Framework and developed Credit Risk Rating Models (Risk Assessment Model-RAM) and score card covering both Corporate and Retail Client. These models provide scientific method of assessing credit risk. The validation of the Rating models are undertaken periodically to ensure their efficacy and conduct migration analysis for the robustness. The internal ratings of the clients are linked with Discretionary Powers at various levels, loan pricing, apart from portfolio review and monitoring on ongoing basis. The Probability of Default for the corporate portfolio is analyzed periodically and such PD is the basis for estimation of Expected Credit Loss under IndAs 109 and quantifying the credit risk premium. The Score Card Models for Bank's retail products, small advances in Agriculture Sector, SME Sector and others are useful in achieving quick and accurate assessment of risk, smooth delivery of credit.

The monitoring of Prudential Exposure Norms for Single Borrower, Group Borrower, Unsecured and substantial exposure norms is being done regularly.

A Specialized Market Risk Management Division looks into Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk. The Market Risk is controlled through Net Overnight Open Position, Modified

आदि के माध्यम से नियंत्रित होता है। विनिर्दिष्ट आस्तियों पर ब्याज दरें वैज्ञानिक आधार पर आधारित होती हैं। बैंक की आकस्मिकता निधियन योजना भी है जिससे तरलता संकट, यदि उत्पन्न हो, से निपटा जा सके।

एएलएम कक्ष विभिन्न विनियामक अनुपातों की मानिट्रिंग कर रहा है अर्थात् तरलता कवरेज अनुपात, निवल स्थिर निधियन अनुपात, आस्ति देयता असंतुलन, एमसीएलआर गणना, विभिन्न जमा उत्पादों पर ब्याज दर आदि।

एक समर्पित परिचालन जोखिम प्रभाग परिचालन जोखिम प्रबंधन के सुपरिभाषित ढांचे के अंतर्गत समग्रतः परिचालन जोखिम प्रबंधन की देखरेख करता है। परिचालन जोखिम की पहचान, मापन, मानिट्रिंग और नियंत्रण परिचालन डाटा हानि, जोखिम और नियंत्रण स्वयं निर्धारण(आरसीएसए), मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) आदि के मूल कारक विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है।

### विनियामक दिशानिर्देश

बैंक ने बासेल II और III के अंतर्गत जोखिम भारत आस्तियों और पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना हेतु ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है। विनियामक अपेक्षा के अनुसार संरचना/नीतियां बनाई गई हैं जिसमें ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम उपशमन और संपार्श्विक प्रबंधन नीति, निवेश नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, समेकित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, प्रतिष्ठा जोखिम प्रबंधन नीति, समूह जोखिम प्रबंधन नीति, केन्द्रीय प्रतिपक्षकारों को एक्सपोजर संबंधी नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी), दबाव परीक्षण नीति, माडल जोखिम और रेटिंग दिशानिर्देश, आईटी सुरक्षा नीति आदि शामिल हैं।

### कार्यान्वित अन्य प्रमुख पहलें

- बैंक में जोखिम आधारित कीमत निर्धारण लागू किया गया है।
- बैंक ने भारिबैं के वृहद एक्सपोजर संरचना को अपनाया है।
- वृहद एक्सपोजर संरचना के अंतर्गत रूढ़िवादी आंतरिक ऋण एक्सपोजर सीमा, भारिबैं द्वारा निर्धारित सीमा से कम, को ऋण संकेंद्रित जोखिम के प्रबंधन हेतु बैंक के ऋण अनुभाग को आर्बटित किया जाता है।
- बैंक में संकेंद्रण जोखिम के प्रबंध हेतु उद्योगवार एक्सपोजर उच्चतम सीमाओं को संशोधित किया गया था और उद्योगवार सकल एक्सपोजर सीमाओं को निर्धारित किया गया है।
- विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में प्रति उधारकर्ता अधिकतम ऋण एक्सपोजर सीमा को भी बैंक में लागू किया गया है।
- ऋण संस्वीकृति प्रक्रिया और प्रस्ताव की आंतरिक रेटिंग से दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से बैंक में उच्चतर स्तरीय रेटिंग वैधिकरण प्रक्रिया अपनाई गई है।
- विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में, जोखिम सीमाएं यथा सकल गैर निधि एक्सपोजर, ऋण की भारत औसत परिपक्वता, योजनागत रिटेल ऋण, कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण और सम्पार्श्विक प्रतिभूति विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए बैंक द्वारा तिमाही आधार पर निर्धारित मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाती है।
- क्षेत्र स्तर पर जोखिम प्रबंधन प्रकार्यों की देखरेख हेतु प्रत्येक नियंत्रण कार्यालय (मंडलीय कार्यालय और क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय) में मंडलीय जोखिम अधिकारी पदस्थ हैं। जेडआरओ को प्रधान कार्यालय,

Duration, PV01, Stop Loss, VaR etc. Bank is also having contingency funding plan so as to take care liquidity crisis, if at all arises.

The ALM Cell is monitoring various Regulatory ratios viz., Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio, Asset Liability Mismatch, MCLR Calculation, Rate of Interest on various Deposit products, etc.

A dedicated Operational Risk Management division takes care of overall management of operational risk within well defined framework of operational risk management. The identification, measurement, monitoring and control of operational risk is done through root cause analysis of operational loss data, Risk and Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) etc.

### Regulatory Guidelines

The Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk for computation of Risk Weighted Assets and Capital Adequacy Ratio under Basel II & III. In terms of regulatory requirement, the frame work/policies are in place, which include Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Investment Policy, Asset Liability Management Policy, consolidated Operational Risk Management Policy, Reputation Risk Management policy, Group Risk Management policy, Policy on exposure to Central Counterparties, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Stress Testing Policy, Model Risk & Rating Guidelines, IT Security Policy etc.

### Other major recent initiatives undertaken:

- Risk based pricing has been introduced in Bank.
- Bank has adopted the large exposure frame work guideline of the RBI.
- Conservative internal credit exposure limits under large exposure framework, below the level prescribed by RBI are allotted for credit sanction in bank to manage the Credit concentration risk.
- In order to manage the concentration risk in bank, Industry wise exposure ceilings were revised and Industry wise aggregate exposure limits are prescribed.
- Per borrower maximum credit exposure cap in different industry sectors are also introduced in Bank.
- A higher level rating validation process has been adopted in Bank in order to maintain arms length distance from credit sanction process and internal rating of the proposal.
- Risk limits on various parameters, like aggregate non-fund exposure, weighted average maturity of loan, schematic Retail loans, Agriculture loans, MSME loans and collateral security are fixed, monitored and reviewed on quarterly basis by the Bank covering different geographical areas.
- Zonal Risk Officers are posted at each controlling offices (Zonal Office & Field General Manager Office) to look after the risk management function at the field level. The ZROs

जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समुचित जोखिम प्रबंधन इनपुट और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- बैंक में जोखिम प्रणाली और शिष्टता प्रदान करने के लिए क्षेत्र स्तरीय प्रबंधकों के लिए बैंक में विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। औद्योगिक उत्तम जोखिम प्रबंधन पद्धति बताने के उद्देश्य से बैंक में बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ भी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
- पूंजी संरक्षण उपायों और एक्सपोजर प्रबंधन की मानिट्रिंग हेतु एप्स के रूप में विभिन्न निगरानी साधन विकसित किए जाते हैं।
- इन्ड एस दिशानिर्देशों के अनुसार आस्तियों के विभिन्न चरणों हेतु संभावित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना की पद्धति विकसित की है जिसमें 12 माह ईसीएल और लाइफ टाइम ईसीएल शामिल है। प्रति पक्षकार एक्सपोजर हेतु संरचना लागू है।
- परिचालन जोखिम की बेहतर निगरानी और नियंत्रण हेतु बैंक में देश की सभी शाखाओं हेतु सिस्टम जनरेटेड मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) लागू किए गए हैं।

आरसीएसए तैयार किया गया है और एफजीएमओ तथा प्रका विभागों सहित सभी नियंत्रक कार्यालयों में संचालित किया जाता है। इन कार्यालयों के हैल्थ इंडेक्स की प्रबंधन लेखापरीक्षा रिपोर्ट से तुलना की जाती है।

#### च. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

##### i. ऋण निगरानी

बैंक संशोधित भारिबे दिशानिर्देशों के अनुसार खातों को एसएमए में वर्गीकृत कर रहा है और उनकी पात्रता के अनुसार सीआरआईएलसी पर रिपोर्ट कर रहा है। गैर सहकारी उधारकर्ताओं, इरादतन चूककर्ताओं, आरएफए/फ्रॉड खातों (₹50 करोड़ और अधिक), रिटन ऑफ खाते (₹5 करोड़ और अधिक) तथा चालू खाते (₹1 करोड़ और अधिक) को भी सीआरआईएलसी पोर्टल में अपलोड किया जाता है। एसएमए-0 स्तर से ही खातों की मानिट्रिंग की जाती है। शाखाएं/कार्यालय विभिन्न ऋण मानिट्रिंग साधनों के प्रयोग के माध्यम से ऋण मानिट्रिंग में गति लाने हेतु सतत अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं जैसे यूनिट का दौरा, स्टॉक विवरण, डीपी निर्धारण, स्टॉक सत्यापन, अंतिम उपयोग का सत्यापन, प्रतिभूति का दौरा और मूल्यांकन, क्यूआईएस मानिट्रिंग, खाते का संचालन, स्टॉक लेखापरीक्षा, ऋण समीक्षा तंत्र, आवधिक विधिक लेखापरीक्षा, निरीक्षण और समवर्ती लेखापरीक्षा, सीआरआईएलसी, दैनिक एसएमए ट्रेकिंग, पूर्व चेतावनी संकेत आदि।

प्रलेखों की जांच और सत्यापन करने तथा अनियमितताओं, यदि कोई हो, को दूर करने हेतु पूर्व-संवितरण साधन के रूप में प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन और आर्किवल (देवा) का प्रयोग किया जाता है। एलएएमपी एक अन्य आनलाइन संवितरण-पश्चात साधन है जो सभी ऋण मानिट्रिंग पैरामीटरों के डाटा प्राप्त करता है, खातों की रेटिंग करता है तथा मानिट्रिंग को सुविधाजनक बनाता है। जिससे यह और अधिक सटीक और सार्थक बन सके। यह समय पर सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने हेतु पूर्व चेतावनी संकेतो (इडब्ल्यूएस) भी जनरेट करने में मदद करता है।

बैंक ने अपने विभिन्न नियंत्रक कार्यालयों (एफजीएमओ और मंका) में ऋण "मानिट्रिंग हेतु नोडल अधिकारियों" को नामोद्दिष्ट किया है जो अपने क्षेत्र में समग्र ऋण मानिट्रिंग प्रकार्यों पर नजर रखते हैं।

बैंक खातों की स्थिति में सुधार और स्लिपेज रोकने हेतु 360° ऋण मानिट्रिंग हेतु प्रतिबद्ध है।

are imparted with proper risk management inputs, training by the Head Office Risk Management Department.

- Various workshops are organized in Bank for the field level managers to impart the risk practices and culture in Bank. Workshops in association with external training organizations are also conducted in Bank in order to impart industry best risk management practices.
- Various monitoring tools in form of Apps are developed to monitor the capital conservation measures and exposure management.
- As per IND AS guidelines, the Bank has developed methodology for computation of expected credit loss (ECL) for various stages of the assets, which include 12 months ECL and lifetime ECL. The frame work for counter party exposure is in place.
- System generated Key Risk Indicators (KRI) for all the branches across the country have been introduced in Bank for better monitoring and control of Operational Risk.

RCSA has been devised and conducted for all Controlling offices including FGMOs, and HO departments. The Health Index of these offices is compared with the Management Audit report.

#### F. Internal Control System and their Adequacy

##### i. Credit Monitoring

The Bank is classifying accounts into SMA as per the revised RBI guidelines and reporting them on CRILC as per their eligibility. Information about Non Cooperative borrowers, Willfull defaulters, RFA/ Fraud accounts (₹ 50 crore and above), written off accounts (₹ 5 crore & above) and current accounts (₹1 crore & above) is also uploaded in CRILC portal. Monitoring of accounts is done right from SMA-0 level. The Branches / Offices are continuously followed up from Head Office for stepping up credit monitoring as well as improving asset quality through use of various credit monitoring tools such as Unit Visit, Stock statement & DP assessment, Stock verification, End use verification, Security Visit & Valuation, QIS monitoring, Conduct of account, Stock Audit, Loan review Mechanism, Periodic Legal Audit, Inspection & Concurrent Audit, CRILC, Daily SMA tracking, Early Warning Signals, etc.

Document Electronic Verification & Archival (DeVA) is used as a pre -disbursement tool to check & verify documentation and to weed out irregularities if any to improve credit quality as well as documentation. LAMP is another online post-disbursement tool that captures data on all credit monitoring parameters, rates accounts and facilitates monitoring to be more precise accurate & meaningful. It also leads to generation of Early Warning Signals (EWS) to facilitate implementation of timely corrective measures.

The Bank has designated "Nodal Officers for Credit Monitoring" in its various controlling offices (FGMO and ZO), who oversee all the credit monitoring functions under their jurisdiction.

The Bank is committed to 360° Credit Monitoring to improve health of accounts and prevent slippage.

## ii. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/एंटी-मनी लाउंडरिंग (एएमएल)

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 2018-19 की अवधि हेतु अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/एंटी मनी लाउंडरिंग (एएमएल) मानकों, कम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी)/पीएमएलए 2002 के अंतर्गत बाध्यताओं से संबंधित संशोधित व्यापक नीतिगत दिशानिर्देशों का पालन किया है। यह नीति एक ऐसा आधार है जिस पर बैंक का “केवाईसी मानदंडों, एएमएल मानकों, सीएफटी उपायों और प्रीवेंशन आफ मनी लाउंडरिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक की बाध्यता का अनुपालन” आधारित है।

बैंक समय समय पर भारिबैं द्वारा जारी केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करता है और बैंक द्वारा केवल केवाईसी अनुपालित ग्राहकों को स्वीकार किया जाता है। एक अपग्रेडेड एएमएल साफ्टवेयर संस्थापित किया गया है जो वाच लिस्ट स्केनिंग, ग्राहकों की पहचान का सत्यापन, और संदिग्ध स्वरूप के लेनदेन की संवीक्षा हेतु स्वचालित अलर्ट जनरेशन सुविधा हेतु समर्थ बनाता है। “एएमएल साफ्टवेयर” ग्राहकों के खाते में हुए लेनदेन के आधार पर सिस्टम-आधारित एसटीआर अलर्ट जनरेट करता है। आईबीए कार्यदल की सिफारिश के अनुसार अतिरिक्त अलर्ट परिभाषाओं की संभावना को और व्यापक बनाया गया है। अनन्यरूप से एएमएल साल्यूशन में जनरेट लेनदेनों/अलर्ट की मानिट्रिंग और संदिग्ध पाए जाने पर एसटीआर दाखिल करने हेतु आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में केंद्रीय लेनदेन मानिट्रिंग दल (एएमएल एवं केवाईसी कक्ष) कार्य कर रहा है। एएमएल की समर्पित टीम एएमएल द्वारा जनरेट किए गए अलर्ट की जांच करती है, संवीक्षा करती है और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) फार्नेशियल इंटेलीजेंस युनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) को प्रस्तुत करती है। शाखा स्तर पर किए गए लेनदेनों के साथ साथ विधि प्रवर्तन एजेंसियों/समाचार पत्रों की रिपोर्टों से सूचना के आधार पर भी ऑफ-लाइन एसटीआर रिपोर्ट एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत की जाती है यदि कोई खाता बैंक के डाटाबेस में पाया जाता है। अन्य सांविधिक रिपोर्टों का सृजन अर्थात् गैर-लाभप्रद संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर), नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), क्रास बार्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट (सीडब्ल्यूटीआर), पर भी एएमएल साफ्टवेयर में विचार किया जाता है। ये रिपोर्ट तदनंतर प्रधान कार्यालय, एएमएल एवं केवाईसी कक्ष द्वारा एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत की जाती है। बैंक निर्धारित समय के अंदर प्रतिमाह एफआईयू-आईएनडी को काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट (सीसीआर) प्रस्तुत करता है।

बैंक के हर एक ग्राहक के सिस्टम आधारित जोखिम श्रेणीकरण को कार्यान्वित किया गया है और प्रतिवर्ष जोखिम श्रेणीकरण की समीक्षा प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक आधार पर अर्थात् अगस्त और फरवरी में की जाती है।

बैंक द्वारा केवाईसी का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी मंडलीय कार्यालयों और एफजीएमओ से नोडल अधिकारियों को सक्रिय रूप से शामिल करते हुए प्रधान कार्यालय, एएमएल एवं केवाईसी कक्ष द्वारा नियमित मानिट्रिंग की जाती है। जाली पैन कार्ड के प्रस्तुतीकरण को रोकने के बड़े कदम के रूप में एनएसडीएल से पैन के आनलाइन सत्यापन को कार्यान्वित किया गया है और इससे मनी लाउंडरिंग गतिविधियों का सामना किया जाता है। बैंक ने यूआईडीएआई के सहयोग से आधार आधारित ईकेवाईसी को कार्यान्वित किया है।

सीएफटी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ग्राहकों के आन-बोर्डिंग के समय यूएनएससीआर सूची से वास्तविक समय में नामों की स्केनिंग के कार्य को सीबीएस मेन्यू में कार्यान्वित किया गया है। नामों की यही स्केनिंग मौजूदा ग्राहक में किसी संशोधन के समय सिस्टम द्वारा भी निष्पादित की जाती है।

## ii. Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML)

The Bank has implemented revised comprehensive policy guidelines on 'Know Your Customer (KYC) norms/Anti Money Laundering (AML) standards /Combating Financing of Terrorism (CFT) / Obligations of Bank under PMLA 2002' for the period 2018-19 in pursuance with the directives of Reserve Bank of India and Govt. of India. This Policy is the foundation on which the Bank's "implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and obligation of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002" is based.

The Bank strictly observes KYC and AML guidelines issued by RBI from time to time and only KYC compliant customers are accepted by the Bank. An upgraded AML Software has been installed which enables watch list scanning, verifies customer identity and facilitates generation of automated alerts for scrutiny of transactions of suspicious nature. The "AML Software" generates system-based STR alerts on the basis of transactions in the accounts of the customers is in place. The scope has been further widened with addition of more alert scenario definitions as per recommendations of IBA working group. Central Transaction Monitoring Team (AML & KYC Cell) is functioning at the Bank's Head Office for exclusive monitoring of the transactions/alerts generated in AML Solution and filing of STRs, if found suspicious. This dedicated AML team screens alerts generated by the AML software, scrutinizes and submit Suspicious Transaction Reports (STRs) to the Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). Off-line STRs for attempted transactions at Branch level as well as STRs on the basis of information from Law Enforcing Agencies/New Paper Reports are also submitted to FIU-IND if any account found in Bank's database. Generation of other statutory reports viz., Non-profit Organizations Transactions Report (NTR), Cash Transaction Report (CTR), Cross-border Wire Transfer Report (CWTR), is also taken care by the AML software. These reports are in turn submitted to FIU-IND by Head Office AML & KYC Cell. Bank files Counterfeit Currency Report (CCR) every month to FIU-IND within the stipulated time frame.

System-based Risk Categorization of Bank's each and every customer has been implemented and review of Risk Categorization is carried out on half yearly basis i.e. in August and February every year.

Regular monitoring is done by the Head Office AML & KYC Cell with active involvement of the Nodal Officers from all the Zonal Offices and FGMOs to ensure total KYC compliance of the Bank. Online verification of PAN from NSDL has been implemented as a major step to prevent submission of forged PAN cards and thereby to tackle money laundering activities. Bank has implemented Aadhaar based e-KYC in collaboration with UIDAI.

Functionality of Real-time scanning of names from UNSCR list while customer on-boarding has been implemented in CBS menu as a step forward towards CFT. The same name scanning is also performed by the system at the time of any modification of existing customer.

हमारे एएमएल/केवाईसी/सीएफटी अनुपालित कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के हमारे प्रयास में बैंक ने शाखा स्तर पर पकड़े गए संदिग्ध लेनदेनों अथवा गतिविधियों की औपचारिक रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने हेतु एक समर्पित एएमएल पोर्टल “आलवाच” विकसित किया है।

केवाईसी/एएमएल/सीएफटी विषयों पर क्षेत्र कार्याधिकारियों को सुग्राही/शिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों/कालेजों (एसटीसी) और डिजिटल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एएमएल और केवाईसी का एक सत्र अनिवार्य बनाया गया है।

### iii. आंतरिक और प्रबंधन लेखापरीक्षा

आंतरिक निरीक्षण और प्रबंधन लेखापरीक्षा शीर्ष प्रबंधन हेतु पर्यवेक्षीय साधन हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि शाखाएं/कार्यालय निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाविधियों का पालन कर रही हैं। बैंक के परिचालन से संबद्ध जोखिम के शमन हेतु अनुपालन संस्कृति का निर्माण समय की मांग है।

शाखाओं के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है। लेखापरीक्षा संसाधनों का उपयोग अनियमितताओं की पहचान करने, वर्तमान और भावी जोखिमों का मूल्यांकन करने, विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों की लेखापरीक्षा और निरीक्षण के माध्यम से तत्काल हस्तक्षेप/समयपूर्व सुधारात्मक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने हेतु किया जाता है। यह बैंक परिचालन में जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण ढांचे की पर्याप्तता और कारगरता के बारे में बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पूरे देश में 2604 शाखाएं आंतरिक निरीक्षण के अधीन थीं। 1194 शाखाओं/कार्यालयों में जोखिम आधारित समवर्ती लेखापरीक्षा (आरबीसीए) संचालित की गई जो हमारे कुल व्यवसाय के 76.86% को कवर करती है। समवर्ती लेखापरीक्षा और आंतरिक निरीक्षण की अभिमुखता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी अंतर्निहित जोखिमों का स्वीकार्य स्तरों के अंदर प्रबंधन हो जाए।

हमारे सभी 49 मंडल, 8 एफजीएम कार्यालय दो वर्ष में एक बार प्रबंधन लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

विहंगावलोकन के साथ व्यवसाय लेनदेनों का ट्रैक रखने हेतु प्रधान कार्यालय, एफजीएम कार्यालय और विभिन्न मंडलों में ऑफसाइट मॉनिटरिंग कक्ष कार्यरत हैं। इस कक्ष की संभावना और कवरेज को संरचित और व्यापक बनाया गया है। कक्ष लेनदेनों/ महत्वपूर्ण मदों के संबंध में समीक्षा करता है जैसे उच्च मूल्य के/असामान्य लेनदेन और यदि कोई विपथन नजर में आता है तो ये शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों/प्रकाश विभागों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के विषय में जानकारी देते हैं।

बैंक ने कतिपय क्षेत्रों को “जीरो टालरेंस क्षेत्र” एवं “फ्राड सेंसिटिव क्षेत्र” के रूप में निर्धारित किया है। इससे शाखाओं में प्रणाली और नियंत्रण में और मजबूती सुनिश्चित करने के साथ-साथ चूक और अनियमितताओं को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद मिलगी। निरीक्षण और लेखापरीक्षा नीति, आरबीआईए माड्यूल, प्रबंधन लेखापरीक्षा फॉर्मेट की परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति/प्रधान कार्यालय लेखापरीक्षा उपसमिति/बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति/बैंक के निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की गई है।

हमारे सभी निरीक्षण अधिकारियों को वर्ष में एक बार पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम कराया जाता है। इसी प्रकार हमारे सभी समवर्ती लेखापरीक्षकों को भी मंडलों/प्रधान कार्यालय के शीर्ष कार्यपालकों द्वारा स्थानीय संवादमूलक प्रशिक्षण दिया जाता है।

In our continuous endeavor to strengthen our AML/KYC/CFT compliance programme, the Bank has developed a dedicated AML portal "AllWatch" to establish a formal reporting system for reporting of attempted suspicious transactions or activities detected at the Branch level.

In order to sensitize/educate the field functionaries on KYC/AML/ CFT issues, training is imparted through the Training Centers/Colleges (STCs) and through digital platform. One session on AML & KYC has been made mandatory in all the training programmes.

### iii. Internal and Management Audit

Internal Inspection and Management Audit are supervisory tools for top Management to ensure the branches /offices are following laid down systems and procedures. Building compliance culture is the need of the hour to mitigate risk associated with the operation of the Bank.

The Annual Audit Plan is chalked out based on the Risk profile of the branches. The audit resources are utilized for identifying the irregularities, evaluating the present and future risks, facilitating prompt intervention /early corrective actions through Audit & Inspection of various branches/offices. This provides a reasonable assurance to the Board & top Management about the adequacy & effectiveness of the risk management and control framework in the Bank's operations.

2604 branches across the country were subjected to internal inspection during FY 2018-19. The Risk Based Concurrent Audit (RBCA) in 1194 Branches/offices was conducted covering 76.86% of our total business of the Bank. By convergence of Concurrent Audit & Internal Inspection, it is ensured that all the inherent risks are managed within the acceptable levels.

All our 49 Zones and 8 FGM Offices are subjected to management audit once in two years.

Offsite Monitoring Cell at Head Office, FGM Offices & different Zones has been in operation to keep a track of business transactions with a bird's eye view. The scope and coverage of the Cell has since been structured and broad based. The Cell is reviewing the transactions/ critical items like high value / abnormal transactions and sensitizing the Branches / Controlling Offices / HO Departments for corrective action, if any deviation is observed.

The Bank has also identified certain areas as 'Zero Tolerance Areas' & 'Fraud Sensitive Area'. These will foster and ensure further robustness of the system and control in the branches as well as to keep the serious lapses and irregularities at minimum level. Inspection and Audit Policy, RBIA Module, Management Audit Format have been modified / reviewed by the Operational Risk Management Committee/ Head office Audit Sub Committee/ Audit Committee of the Board/ Board of Directors of the Bank.

All our Inspecting Officials are subjected to a refresher course once in a year. Similarly, all our Concurrent Auditors are also given interactive locational training by top management from Zones / Head Office.



आरबीआईए और समवर्ती लेखापरीक्षा की प्रभावोत्पादकता हेतु शाखाओं की जोखिम रेटिंग मूल्यांकन में सुधार, ऋण संरचना में अंश संशोधन, समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा स्विफ्ट लेनदेनों/संदेशों के सत्यापन हेतु दिशानिर्देशों को लागू करने, विदेशी विनिमय और फेमा लेखापरीक्षा वाले लेनदेनों की संवीक्षा पर बल देने हेतु जोखिम मेट्रिक्स में परिवर्तन के माध्यम से आरबीआईए स्कोरिंग में संशोधन।

प्रणाली में पर्याप्त और गुणवत्तापरक जनशक्ति नियोजित करते हुए हमारी निरीक्षण और लेखापरीक्षा कार्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।

#### iv. अनुपालन

प्रधान कार्यालय में अनुपालन कक्ष उप महाप्रबंधक बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की अध्यक्षता में गठित है जिसे बैंक के अनुपालन जोखिम की पहचान और प्रबंधन करने तथा बैंक के स्टाफ के अनुपालन के पर्यवेक्षण का समग्र दायित्व सौंपा गया है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्यापक अनुपालन नीति बनाई गई है और अनुपालन मैनुअल तैयार किया गया है। बैंक की अनुपालन नीति के अनुसरण में बैंक ने एक स्वतंत्र अनुपालन संरचना गठित की है जो बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालनों, दोनों को कवर करती है। बैंक की अनुपालन जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार शाखा, नियंत्रक कार्यालय के प्रमुख और प्रधान कार्यालय में विभागों के प्रमुख को बैंक के अनुपालन कार्य की देखरेख हेतु नामोद्दिष्ट किया गया है। बैंक विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन में शून्य सहनशीलता नीति हेतु प्रतिबद्ध है और विनियामकों/लेखापरीक्षकों के प्रेक्षकों को प्राथमिकता के अधार पर निस्तारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर अनुपालन कार्य और रिपोर्टिंग तंत्र के सुपरिभाषित क्षेत्रों के साथ सुदृढ़ अनुपालन संरचना स्थापित की गई है। बैंक के व्यापक अनुपालन कार्य की आवधिक समीक्षा की जाती है और विस्तृत रिपोर्ट सूचना और आवश्यक निर्देशों हेतु बोर्ड/बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति/ वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है। सभी प्रयोज्य विधियों, विनियामक दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम परिपाटी कोड आदि के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित प्रणालियां और प्रक्रियाविधियां निर्धारित की गई हैं। बैंक की नीति के अनुसार अनुपालन कक्ष आवधिक रूप से शाखाओं और प्रधान कार्यालयों के विभागों में विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच और सत्यापन द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित करता है। भारिबैं ने 01.04.2016 से बैंक में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण शुरू किया है और 31.03.2018 को यथास्थिति अनुपालन कक्ष भारिबैं के 290 विनियामक दिशानिर्देशों की अनुपालन लेखापरीक्षा करता है और बैंक के अनुपालन की स्थिति भारिबैं को ट्रेच III रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

#### v. सतर्कता

बैंक सहित किसी भी संगठन में सतर्कता प्रबंधन का अभिन्न अंग होती है। सतर्कता गतिविधि का उद्देश्य संगठन के प्रकार्यों को अशक्त बनाना नहीं अपितु निर्णय लेने में दक्षता और प्रभावशालिता बढ़ाना है। संगठन के समग्र विकास के लिए प्रभावी सतर्कता अपेक्षित है। बैंक ग्राहक के धन के अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है और दूसरी ओर उक्त निधियां विभिन्न श्रेणी के उधारकर्ताओं को ऋण देकर जोखिम उठाता है। दो अत्यंत भिन्न प्रकार्यों की मौजूदगी होने से संगठन में एक जीवन्त और सतर्क प्रणाली अपेक्षित होती है। एक कारगर सतर्कता प्रणाली न केवल वित्तीय क्षरण से सुरक्षा प्रदान करती है अपितु संगठन की लाभार्जन क्षमता भी बढ़ाती है। एक कारगर संरचना यह प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने का कारगर साधन है, हितधारकों में विश्वास पैदा करता है और अपने बहु-आयामी तथा सतत विकास हेतु अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस की आदत विकसित करता है।

Revision of RBIA scoring through changes in Risk Matrix to improve assessment of risk rating of the branches, calibration of credit framework, introduction of guidelines for verification of SWIFT transactions /messages by Concurrent Auditors, emphasis on scrutiny of transactions involving foreign exchange & FEMA Audit are introduced for efficacy of RBIA and Concurrent Audit.

All efforts are being made to strengthen our Inspection & Audit function by deploying adequate & quality man power in the system.

#### iv. Compliance

The Compliance Cell at Head Office is headed by Chief Compliance Officer in the rank of Deputy General Manager who has been entrusted with overall responsibilities of coordinating identification and management of Compliance Risk of the Bank and supervising the compliance staff Bank wide. A comprehensive Compliance policy & Compliance manual in line with RBI Guidelines has been put in place. In pursuance of Bank's compliance policy, Bank has instituted an independent Compliance structure which covers both domestic and overseas operations of the Bank. In terms of Bank's Compliance Risk Management Policy, head of branch, controlling office and Head of Departments at HO have been designated as Compliance officer to look after the Compliance function of the Bank. The Bank is committed to the policy of zero tolerance with respect to non-compliance with regulatory guidelines and observations of regulators/auditors are redressed on priority basis. Further, a robust compliance structure with well defined areas of compliance functions and reporting mechanism have been established at various levels. Bank wide Compliance functions are reviewed periodically and comprehensive report is placed to Board/ Audit Committee of the Board/ Senior Management for information and necessary directions. Requisite systems and procedures have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws, regulatory guidelines and Best practices codes etc. Compliance Cell conducts compliance audit by testing and verifying the compliance of regulatory directives and Bank's internal guidelines in branches and Head Office departments periodically as per Bank's policy. RBI has rolled out Risk Based Supervision in our Bank from w.e.f. 01.04.2016 and compliance cell conducted compliance audit of 290 regulatory directives of RBI as of 31.03.2018 and submitted the compliance position of the Bank through Tranche III report to RBI.

#### v. Vigilance

Vigilance in any organisation including Bank is an integral part of management. The objective of vigilance activity is not to cripple the functioning of the organisation but to enhance its efficiency and effectiveness in decision making. Effective vigilance is required for overall growth of an organisation. Bank function as custodian of customers' money, and on the other hand, undertake risk by lending the said fund to different category of borrowers. The existence of two very different functions requires a vibrant and vigilant system in the organisation. An effective vigilance set up not only provides guard against financial erosions but also enhances the profit earning capacity of the organisation. It is an effective tool to enhance the efficiency of the management, create confidence amongst the stakeholders and inculcate the habit of good corporate governance for its multi-dimensional and sustained growth.

सतर्कता भ्रष्टाचार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करती है और भ्रष्टाचार की बुराई को समाप्त करने हेतु अतिसक्रिय, सहभागी और निवारक उपाय करती है और साथ ही यह सुनिश्चित करने पर बल देती है कि विभिन्न निवारक उपाय (चेक एंड बैलेंस) किए गए हैं तथा बैंक के दैनंदिन के प्र कार्यों में प्रणालियों और प्रक्रियाविधियों का पालन किया जाता है। सतर्कता ढांचा भ्रष्टाचार अथवा कदाचार की संभावनाओं को समाप्त करने अथवा न्यूनतम करने हेतु धोखाधड़ी की संभावना वाले क्षेत्रों में मौजूदा नियमों और प्रक्रियाविधियों की जांच कर रहा है।

**वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा की गई विभिन्न सतर्कता पहल:-**

**सतर्कता के क्षेत्र में संचालित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम**

ए. वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा विभिन्न केन्द्रों में निवारक सतर्कता के क्षेत्र में विभिन्न संवादमूलक सत्र संचालित किए गए थे जिसमें सीवीओ भी उपस्थित थे जैसे लखनऊ (मंडल स्तरीय सतर्कता संपर्क अधिकारी), चित्रकूट, उप्र में ( इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के अधिकारियों के साथ), कोलकाता (प्रवेश स्तरीय परिवीक्षाधीन अधिकारी) और शाखा प्रमुख तथा एफजीएमओ और मंका के अधिकारियों हेतु, मुम्बई, नई दिल्ली, चेन्नै, अमृतसर, पटना, सिलीगुड़ी आदि में।

बी. भ्रष्टाचार निरोधी उपायों/निवारक सतर्कता पहल/व्हीसल ब्लोअर तंत्र के संबंध में कार्यबल को सुग्राही बनाने हेतु, हमारे विभिन्न प्रशिक्षण कालेजों और केन्द्रों में 174 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 6500 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सी. वर्ष के दौरान, सीवीओ अन्वेषण कार्यपालों हेतु विशेष कार्यशाला और ईओ/पीओ (जांच दल के अधिकारियों) हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित रहे जिसमें अन्वेषण/जांच प्रक्रिया समय से पूरी करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

डी. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ तिमाही संरचित बैठकें 05.04.2018, 19.07.2018, 29.11.2018 और 07.03.2019 को आयोजित की गईं जिनमें सतर्कता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और जहां अपेक्षित था समुचित सलाह दी गई और अनुभागों के वर्टिकल प्रमुखों को उनके स्तर पर कार्रवाई करने हेतु रिपोर्ट की गई। ऐसी बैठकों की रिपोर्ट सीवीसी और डीएफएस को नियमित रूप से प्रस्तुत की गई थीं।

सत्यनिष्ठा संधि का अंगीकरण- स्वतंत्र बाह्य मानिटरर्स (आईईएम) की नियुक्ति- सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने और साथ ही सत्यनिष्ठा संधि के अंगीकरण के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की संस्तुति के अनुरूप। आयोग के नामांकन के आधार पर दो सेवानिवृत्त आईएएस को हमारे बैंक में आईईएम के रूप में नियुक्त किया गया है। सत्यनिष्ठा संधि हमारे बैंक में अंगीकृत और लागू की गई है और सभी संबंधितों को 17.11.2018 को अनुदेश परिपत्रित किए गए हैं जिसमें ₹50.00 लाख के आरंभिक मूल्य से अधिक और समतुल्य हेतु भावी खरीद/संविदा के संबंध में प्रस्तावों/निविदा दस्तावेजों हेतु सभी अनुरोधों समतुल्य में सत्यनिष्ठा संधि के प्रावधान शामिल किए जाने की सूचना दी गई है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन- सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, 29 अक्टूबर, 2018 से सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन किया गया जो 03 नवम्बर, 2018 को समाप्त हुआ। विस्तृत रिपोर्ट सीवीसी को प्रस्तुत की गई थी, तथापि इसका सार निम्नानुसार है।

Vigilance focuses on identifying the areas prone to corruption and taking various proactive, participative and preventive measures to eradicate the evil of corruption and also emphasizes to ensure that various checks and balances are in place and systems & procedures are observed in day to day functioning of the bank. Vigilance set up has been examining the existing rules and procedures, in areas prone to fraud, to eliminate or minimize the scope for corruption or malpractices.

**Various preventive vigilance initiatives taken by the Bank during the year 2018-19 :-**

**Workshop / training programmes undertaken in area of Vigilance:-**

A. During the year 2018-19, various special interactive sessions in the area of preventive Vigilance were conducted by the Bank and attended by CVO in centers like, Lucknow (with Zonal Level Vigilance Link Officer), at Chitrakut, UP (with officials of Allahabad UP Gramin Bank), Kolkata (Entry Level Probationary Officers), and for Branch Heads and officials of FGMO and ZO at Mumbai, New Delhi, Chennai, Amritsar, Patna, Siliguri etc.

B. To sensitize the workforce on anti-corruption measures/ preventive vigilance initiative/ whistle blower mechanism, 174 training programmes were conducted at our various training colleges and centers where more than 6500 officials were imparted training.

C. During the year, CVO has also attended a special workshop for Investigating Executives, and specials training programmes for EO/PO (Officials of enquiry team) where focus was given on timely completion of investigation / enquiry process.

D. Quarterly structured meetings with MD & CEO were held on 05.04.2018, 19.07.2018, 29.11.2018 & 07.03.2019 where various matters pertaining to vigilance were discussed and wherever required suitable advisories were given & reports were provided to vertical heads of sections for action to be taken at their level. Reports of these meets were submitted to CVC & DFS regularly.

Adoption of Integrity Pact- appointment of Independent External Monitors (IEMs)- In order to ensure transparency, equity and competitiveness in public procurement & also in line with the recommendation of the Central Vigilance Commission regarding adoption of integrity pact. On the basis of Commission's nominations, two retired IAS were appointed as IEMs in our Bank. Integrity pact has been adopted and implemented in our bank & instructions were circulated to all concerned on 17.11.2018 advising the provision for the integrity pact is to be included in all requests for proposal/ tenders documents in respect of procurement/ contract in future which are more than or equal to the threshold value of ₹50.00 lacs.

Observance of Vigilance Awareness Week- In pursuance to CVC directives, Vigilance Awareness Week was observed commencing from 29<sup>th</sup> Oct, 2018 which ended on 3<sup>rd</sup> Nov, 2018. Detailed report was submitted to CVC, however a brief is reiterated here.

सप्ताह का आरंभ प्रतिज्ञा के साथ हुआ जो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सी.एच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव द्वारा मुंबई में और श्री एन.के. साहु, कार्यपालक निदेशक एवं श्री ए.के. वर्मा, सीवीओ द्वारा प्रधान कार्यालय, कोलकाता में दिलाई गई। बैंक के शीर्ष कार्यपालक, अधिकारियों और कर्मचारियों ने 29 अक्टूबर, 2018 को पूर्वाह्न 11 बजे मुंबई और कोलकाता में प्रतिज्ञा समारोह में सहभागिता की। इसी प्रकार, देश भर में बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों में 29 अक्टूबर, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे संबंधित शाखाओं/कार्यालयों के सभी कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2018 के दौरान आयोजित गतिविधियां - कर्मचारियों और ग्राहकों द्वारा सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा के अलावा देश भर में शिकायत निवारण शिविर, विद्यार्थियों हेतु निबंध एवं चित्रकला संबंधी प्रतियोगिताओं, स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं/ सुग्राहीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय था "भ्रष्टाचार उन्मूलन-नए भारत का निर्माण" जिसे 7200 ग्राम सभाओं के माध्यम से 20000 विद्यार्थियों के मध्य विभिन्न संपर्क गतिविधियों के माध्यम से प्रचारित किया गया। 3257337 ग्राहकों को थोक ई-मेल/एसएमएस भेजे गए और विभिन्न केन्द्रों में मेराथन/पदयात्रा के माध्यम से कर्मचारियों और जनसाधारण ने इसमें सहभागिता की। बैंक ने देश के नागरिकों में जागरूकता फैलाने हेतु बैंक के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्वीटर हैंडल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आदि का व्यापक रूप से प्रयोग किया है।

#### सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के अनुसरण में बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय सहित सभी मंडलीय कार्यालयों में 50 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और 8 अपीलीय अधिकारियों को नामोद्दिष्ट किया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के दिशानिर्देशानुसार बैंक हेतु एक पारदर्शिता अधिकारी भी नामोद्दिष्ट किया गया है। बैंक अपनी वेबसाइट पर स्वतः प्रकटीकरण के माध्यम से भारत के नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराता है और इसके साथ-साथ अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध के निपटान स्वरूप भी सूचना उपलब्ध कराता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना हेतु 3413 अनुरोध प्राप्त किए और प्रथम अपील हेतु 582 आवेदन प्राप्त किए जिनमें से 3317 आरटीआई आवेदनों एवं 558 प्रथम अपीलों का निस्तारण किया गया। शेष आवेदन और अपीलों प्रक्रियाधीन थीं और अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत यथा अनुमत निपटान करने की निर्धारित अवधि के अंदर ही थे।

#### छ. बैंक का व्यवसाय

बैंक का कुल व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 0.57% की डीग्रोथ दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के ₹380040 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 19 को यथास्थिति घटकर ₹377887 करोड़ रह गया। इसी वित्तीय वर्ष में बैंक के विदेशी व्यवसाय में वर्ष-दर-वर्ष 74.37% की कमी हुई और समग्र व्यवसाय में इसका अंश पिछले वर्ष के 3.39% की तुलना में 31 मार्च, 19 को यथास्थिति घटकर 0.01% रह गया।

The week commenced with the pledge, administered by MD & CEO Shri CH. S.S. H Mallikarjuna Rao at Mumbai and by Sri N.K.Sahoo, Executive Director & Shri A.K.Verma, CVO at the Head Office, Kolkata. Top Executives of the Bank, officers & employees participated in the pledge ceremony at Mumbai and Head Office, Kolkata at 11 a.m. on 29<sup>th</sup> October'2018. Similarly all Branches/offices of the bank across the country observed Integrity Pledge with all employees of their respective branches/offices at 11.00 AM on 29<sup>th</sup> October, 2018.

Activities conducted during Vigilance awareness Week'2018:- Apart from integrity pledge by employees and customers, Grievance redressal camps, competitions on Essay & Drawing and Slogan writing among students, workshops/ sensitization programmes were organized across the Country. The theme of VAW-2018 "Eradicate Corruption - Build A New India" was disseminated to public through 7200 Gram Sabhas, through various outreach activities among more than 20000 students. Bulk e-mail/SMS to 3257337 customers and through marathon/ walkathon various centers with participation of employees and public. Bank also extensively used of social media like, Bank's official Facebook page, Tweeter handle, electronic and print media etc for spreading awareness among citizens of country.


#### Right to Information Act

In pursuance of the enactment of Right to Information Act, 2005, the Bank has designated 50 Central Public Information Officers at all its Zonal Offices and Eight Appellate Authorities including Head Office. Further, as per the directions of Central Information Commission (CIC), a Transparency Officer for the Bank, has also been designated. The Bank is providing information to the citizens of India through suo-moto disclosures on website as well as through disposal of requests for information received under the Act. During FY 2018-19, the Bank received 3413 requests for information and 582 First Appeals under the Act, out of which 3317 RTI applications and 558 RTI appeals were disposed of. The rest number of applications and appeals were under process and well within the stipulated period of disposal as allowed under the provisions of the Act.


#### G. Business of the Bank

The Bank's total business decreased to ₹3,77,887 crores as on 31<sup>st</sup> Mar'19 as against ₹3,80,040 crores in the previous year, registering a Y-o-Y degrowth of 0.57%. The Bank's overseas business declined by 74.37% Y-o-Y during the same financial year and its share to overall business came down to 0.01% as on 31<sup>st</sup> Mar'19 as compared to 3.39% a year ago.

(राशि करोड़ ₹ में)



(Amount in ₹ crore)



## ज. नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के सम्मुख महत्वपूर्ण विकास

### जनशक्ति नियोजन

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने जनशक्ति योजना को अंतिम रूप देते समय आसन्न सेवानिवृत्तियों की संख्या, संभावित एट्रिशन, और अन्य क्षय पर विचार किया है और प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली गई है। पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ पांच वर्ष की अनुक्रमण योजना तैयार है जिसकी बैंक की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए “टर्नअराउंड योजना के प्रमुख क्षेत्र” के संबंध में डीएफएस, एमओएफ से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार समीक्षा की जाती है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगले तीन वर्षों में निवल कर्मचारी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ये वार्षिक जनशक्ति योजना के मुख्य बिंदु हैं।

### भर्ती योजना

सावधानीपूर्वक नियोजित शाखा/कार्यालय वार अपेक्षाओं तथा सेवानिवृत्तियों, एट्रिशन और अन्य क्षय के कारण होने वाली कमी के माध्यम से संवर्गवार जनशक्ति अपेक्षा का निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2018-19 हेतु भर्ती योजना बनाते समय निवल कर्मचारी में वृद्धि न करने संबंधी दिशानिर्देशों पर भी विचार किया गया है। पिछले चार वर्षों के दौरान भर्तियां निम्नानुसार हैं:

पद/ Posts	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
परिदीक्षाधीन अधिकारी(पीओ)/Probationary Officers (PO)	138	452	474	226
विशेषज्ञ अधिकारी / Specialist Officers	18	145	91	64
<b>कुल अधिकारी / Total Officers</b>	<b>156</b>	<b>597</b>	<b>565</b>	<b>290</b>
<b>लिपिकीय स्टाफ / Clerical Staff</b>	<b>624</b>	<b>660</b>	<b>793</b>	<b>323</b>

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 980 अधिकारियों और 850 एसडब्ल्यूओ 'ए' की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की है जिसमें से 92 अधिकारियों की भर्ती विशेषज्ञ अधिकारियों की सीधी भर्ती परियोजना के माध्यम से भरे जाएंगे।

### कर्मचारियों की आयु प्रोफाइल

रणनीतिपरक भर्ती नीति ने 31.03.2018 को यथास्थिति कार्यबल की औसत आयु 39.54 वर्ष बनाए रखने में मदद की है जो है। पिछले पांच

## H. Material Developments in Human Resources/ Industrial Relations front including number of people employed

### Manpower Planning

During the year 2018-19, the Bank had taken into consideration, the number of impending retirements, expected attrition and other wastages while finalizing the Manpower Plan. A five year succession plan with a holistic approach is in place which is reviewed according to the requirements of the Bank keeping in mind, the direction from DFS, MOF regarding "Key areas of turnaround plan" clearly stating that no net employee addition will take place for next 3 years. These are keys to the annual Manpower Planning.

### Recruitment Planning

Cadre wise manpower requirement was assessed through a meticulously planned Branch/office wise requirement vis-à-vis deficit arising due to retirements, attrition and other wastages. Guidelines' regarding no net employee addition was also considered while making recruitment plan for FY 2018-19. Recruitments during the last four years were as under:

The Bank has also initiated the process of recruiting 980 officers and 850 SWO-A during the FY 2019-20 out of which 92 officers will be recruited through Direct Recruitment project of Specialist Officers.

### Age Profile of Employees

The strategic manpower planning has helped the Bank to maintain the average age of workforce at 39.54 years as on

वर्षों में संवर्ग वार आयु प्रोफाइल(वर्षों में) निम्नानुसार है:-

31.03.2019. Cadre wise age profile (in years) in the last five years was as under:

संवर्ग / Cadre	31.03.2015 को यथास्थिति As on 31.03.2015	31.03.2016 को यथास्थिति As on 31.03.2016	31.03.2017 को यथास्थिति As on 31.03.2017	31.03.2018 को यथास्थिति As on 31.03.2018	31.03.2019 को यथास्थिति As on 31.03.2019
अधिकारी / Officers	39.3	39.25	38.66	38.16	38.03
लिपिक / Clerical	43.2	42.17	41.2	40.29	39.62
अधीनस्थ स्टाफ / Sub-staff	41.5	39.85	40.23	40.46	40.96
समग्रतः कर्मचारी / Employee as a whole	40.9	40.2	39.64	39.10	39.54

#### स्टाफ हेतु कल्याणकारी योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जारी रखीं जैसे इलाहाबाद बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समूह जीवन बीमा पालिसी, विभिन्न स्थानों पर होलीडे होम और मुम्बई, कोलकाता, लखनऊ और वेल्लोर में रोगियों के उपचार हेतु ट्रांजिट क्वार्टर, अधिकारियों/अवार्ड स्टाफ और उनके दंपति हेतु वार्षिक सामान्य स्वास्थ्य जांच सुविधा, सेवा के दौरान अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार हेतु अनुग्रह राशि के भुगतान की मृत्यु राहत योजना, प्रधान कार्यालय, मंडलीय कार्यालयों और स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में चिकित्सा परामर्श की सुविधा। बैंक अपने कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर पर विभिन्न ऋण भी प्रदान करता है जैसे आवास ऋण, कार ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधा, बाढ़ ऋण आदि।

#### आरक्षण नीति

बैंक अजा/अजजा/ओबीसी कर्मचारियों के आरक्षण और कल्याण के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करता है। 31.03.2019 को यथास्थिति बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या में अजा/अजजा/ओबीसी का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:-

संवर्ग / Cadre	कुल संख्या Total Strength	अजा/अजजा/ओबीसी का प्रतिनिधित्व Representation of SC/ST/OBC					
		अजा/ SC	%	अजजा/ST	%	ओबीसी/OBC	%
अधिकारी / Officers	13557	2599	19.17	1142	8.42	3194	23.56
लिपिक / Clerks	5984	1644	27.47	495	8.27	1234	20.62
सफाई कर्मचारियों को छोड़कर अधीनस्थ स्टाफ Sub-staff excluding sweepers	1888	975	51.64	84	4.45	213	11.28
सफाई कर्मचारी / Sweepers	1781	1038	58.28	146	8.19	430	24.14
<b>कुल / Total</b>	<b>23210</b>	<b>6256</b>	<b>26.95</b>	<b>1867</b>	<b>8.04</b>	<b>5071</b>	<b>21.84</b>

#### औद्योगिक संबंध

बैंक में औद्योगिक संबंध परिवेश सौहार्दपूर्ण है और बैंक यूनियनों/ऐसासिएशनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है। अधिकारी संवर्ग और अवार्ड स्टाफ संवर्ग की यूनियनों के साथ नियमित रूप से औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

#### पदोन्नतियां

वित्तीय वर्ष 18-19 के दौरान वित्तीय वर्ष की प्रथम और द्वितीय तिमाही में लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति और अधिकारी संवर्ग

#### Welfare Scheme for Staff

During the financial year 2018-19, the Bank continued its various welfare schemes viz. Scheme for Group Life Insurance Policy for officers/employees of Allahabad Bank; Holiday homes at various places and transit quarters for treatment of patients at Mumbai, Kolkata, Lucknow and Vellore; Annual General Health Check up facility for officers/award staff and their spouse; Death Relief Scheme for payment of Ex-gratia to the family of Officers/Employees who die in harness; facility of medical consultancy at Head Office, Zonal Offices, Staff Colleges and Staff Training Centers. The Bank also provides various loans to the employees viz. Housing Loan, Car Loan, Overdraft facility, flood loan, etc at concessional rate of interest.

#### Reservation Policy

The Bank meticulously follows the Government guideline regarding reservation and welfare of SC/ST/OBC employees. The representation of SC/ST/OBC employees in the total strength of the Bank as on 31.03.2019 was as under:

#### Industrial Relations

The industrial relations climate in the Bank is harmonious and the Bank maintains a cordial relationship with the unions/associations. Formal and informal meetings are held regularly with the unions in Officers' cadre as well as Award Staff cadre.

#### Promotions

During the FY18-19, Promotions from Clerical to Officers' cadre and promotions in various scales of officer cadre were

के विभिन्न वेतनमानों में पदोन्नति की गई; पिछले पांच वर्षों के दौरान दी गई पदोन्नतियां निम्नानुसार हैं।

conducted in the first and second quarter of the financial year; the promotions effected over the last five years were as under:

पदोन्नति / Promotion To	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टीईजी स्केल / TEG Scale VII	7	4	4	5	6
टीईजी स्केल / TEG Scale VI	19	8	11	12	15
एसएमजी स्केल / SMG Scale V	61	36	26	27	27
एसएमजी स्केल / SMG Scale IV	117	164	83	76	78
एमएमजी स्केल / MMG Scale III	209	600	319	253	306
एमएमजी स्केल / MMG Scale II	530	899	451	370	529
लिपिक से अधिकारी / Clerk to Officer	644	303	503	524	234
अधीनस्थ स्टाफ से लिपिक / Sub-staff to Clerk	-	117	89	-	170

### प्रशिक्षण गतिविधियां

हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास विभाग ने समय समय पर कॉरपोरेट उद्देश्यों और संगठन की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं।

बैंक के छः प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें से तीन प्रशिक्षण कालेज कोलकाता, लखनऊ और पंचकुला में हैं, तथा तीन स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद, भुवनेश्वर और पटना में हैं जो कार्यपालकों, अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सभी प्रशिक्षण कालेजों / स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में अनन्य रूप से कोर बैंकिंग साल्यूशन हेतु एक आईटी लैब है। तथापि, वर्तमान में, सभी अन्य चैनलों को भी आईटी अवसंरचना से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि सैद्धांतिक प्रशिक्षण सत्रों के साथ-साथ व्यावहारिक B@ncslinc का प्रशिक्षण दिया जा सके।

नए भर्ती हुए परिवीक्षाधीन अधिकारियों (पीओ) और सिंगल विंडो ऑपरेटर्स (एसडब्ल्यूओ) को सीधे स्टाफ कालेजों और स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जाता है जहां उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान उन्हें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाता है।

उच्चतर ग्रेड/स्केल में पदोन्नति के आकांक्षी अजा/अजजा/पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण केन्द्रों में पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया जबकि ओबीसी/एमसी अभ्यर्थियों को विशेष रूप से तैयार ई-कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी प्रकार विभिन्न ग्रेड/स्केल में नए पदोन्नत अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे उच्चतर उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम हो सकें।

इसके अतिरिक्त मौजूदा अधिकारियों/कर्मचारियों को महत्वपूर्ण विषयों में प्रशिक्षण दिया गया जैसे ऋण, रिटेल ऋण, कृषि वित्त, एमएसएमई, फारेक्स, आईटी, एनपीए प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, ऋण निगरानी, निरीक्षण आदि।

समग्र एवं उम्र के रैंक में नए पदोन्नत हुए कार्यपालकों को भी एससीआई में कंपीटेंसी मैपिंग के साथ लीडरशिप प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

एनआईबीएम, सीएबी और भारतीय स्टेट बैंक के शीर्ष कालेजों जैसी प्रमुख संस्थाओं में एमएसएमई, आईटी, ऋण, कृषि वित्त और फॉरेक्स के क्षेत्र में अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं में अधीनस्थ-स्टाफ हेतु प्रेरणा संबंधी दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

### Training Activities

The HRD department has designed the training programs as per the corporate objectives and the priorities of the organization from time to time for capacity building of our officers/ employees.

The Bank has six training establishments, consisting of three Training Colleges at Kolkata, Lucknow and Panchkula and three Staff Training Centres located at Hyderabad, Bhubaneswar, Patna which cater to the training needs of Executives, Officers and Award Staff. All the training colleges/ staff training centres are having one IT lab. However, at present, all other channels are also being equipped with IT infrastructure so as to complement the theoretical training sessions with practical B@ncslinc exercises.

The newly recruited Probationary Officers (POs) and Single Window Operators (SWOs) are directly on-boarded at Staff Colleges and Staff Training Centres where they are imparted in-depth training. Further, they are also subjected to refresher courses during their probation period.

The officers/ employees belonging to SC/ST/PWD categories aspiring for promotion to higher grade/ Scale were provided Pre-promotional training at the training centres while the OBC / MC candidates were given on-line pre promotional training through a specially designed e-program. Similarly newly promoted employees/officers in different grade/scale were provided training, so as to equip themselves to take up higher responsibilities.

In addition, for the existing officers/employees training in key subject areas like Credit, Retail lending, Agri-finance, MSME, Forex, IT, NPA Management, Risk Management, Credit Monitoring, Inspection etc. were imparted.

Newly promoted executives in the rank of AGMs and DGMS were also imparted Leadership Training with Competency Mapping at ASCI.

Customized programs in the areas of MSME, IT, Credit, Agri-finance and Forex were conducted at premier institutions like NIBM, CAB and Apex Colleges of State Bank of India.

A two-day special program for Sub-staff on motivation was conducted at all the training establishments.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एफजीएमओ, नई दिल्ली के अंतर्गत महिला शाखा प्रमुखों हेतु विशेष कार्यक्रम संचालित किया गया।

“ट्रांजिशन टू इंडियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (इन्ड एएस): इश्यूज एंड चैलेंजेज” से परिचित कराने हेतु आईसीएआई के विशेषज्ञों द्वारा ऋण अधिकारियों हेतु इंड एएस संबंधी एक इन-कंपनी कार्यक्रम स्टाफ कालेज कोलकाता और लखनऊ में आयोजित किया गया।

जोखिम अधिकारियों हेतु जोखिम प्रबंधन संबंधी इन-कंपनी कार्यक्रम स्टाफ कालेज, कोलकाता में रिसर्जेंट इंडिया द्वारा संचालित किया गया।

संकायों को समृद्ध बनाने हेतु हमारे प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों और संकायों हेतु “संकाय विकास कार्यक्रम” स्टेट बैंक इंस्टीच्यूट ऑफ लीडरशिप, कोलकाता में आयोजित किया गया था।

कार्यपालकों और अधिकारियों को बेहतर एक्सपोजर देने हेतु बैंक बाह्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे सीएएफआरएएल, एनआईबीएम, सीएबी, आईडीआरबीटी, एएससीआई, एफईडीएआई, आईआईबीएम, आईआईबीएफ आदि के माध्यम से विशेषीकृत क्षेत्रों में भी अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

बैंक ने दो (2) कार्यपालकों को अपने ज्ञान को समृद्ध करने हेतु विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु भी नामित किया है।

#### **स्थानीय प्रशिक्षण**

मंडलों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने हेतु उनके संबंधित मंका स्थलों पर हमारे प्रशिक्षण संस्थाओं के संकायों द्वारा स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

#### **ई-लर्निंग**

बैंक ने डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण हेतु पहल की है। डिजिटल प्रशिक्षण हेतु आंतरिक रूप से तैयार किया गया वेब पोर्टल आरंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बैंकिंग विषयों को शामिल करते हुए ई-पाठ उपलब्ध होंगे जैसे रिटेल बैंकिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, वित्तीय समावेशन, विदेशी मुद्रा, डिजीवरी चैनल, जोखिम प्रबंधन, सुरक्षा, निवारक सतर्कता, वसूली और एनपीए प्रबंधन, ग्राहक सेवा आदि आदि।

पोर्टल उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करता और हमारे कर्मचारियों को 24\*7 डेस्कटाप, लैपटाप और मोबाइल पर उपलब्ध है। यह वेबसाइट हमारे कर्मचारियों को इंटरनेट और इंटरनेट दोनों के माध्यम से उपलब्ध है।

इस पहल से लोगों को ज्ञान की ओर जाने की बजाय ज्ञान लोगों तक पहुंचा है। इससे हमारे कर्मचारियों में पर्याप्त ज्ञान और कौशल विकसित करने और ग्राहकों की विविध जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

#### **क्षमता निर्माण**

भारिबैंक/आईबीए के निर्देशों/परामर्श के अनुसार “क्षमता निर्माण-प्रमाणन पाठ्यक्रम” संबंधी नीति तैयार की गई है। प्रस्तावित नीति के अनुसार 5 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् i) ट्रेजरी परिचालन, ii) जोखिम प्रबंधन, iii) लेखा और लेखापरीक्षा, iv) ऋण प्रबंधन और v) विदेशी मुद्रा परिचालन में कार्य करनेवाले अधिकारियों हेतु यह प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है।

तदनुसार, उपर्युक्त अधिकांश अधिकारी अब नामित हैं और प्रमुख क्षेत्रों में “प्रमाणन पाठ्यक्रम” पूरा कर रहे हैं।

A special program for women branch heads under FGMO, New Delhi was conducted on the International Women's Day.

To familiarize with the "Transition to Indian Accounting Standard (IND AS): Issues and Challenges" an In-Company program was conducted on IND-AS for the Credit Officers at Staff College, Kolkata and Lucknow by the experts from ICAI.

In-company program on Risk Management was conducted for the Risk Officers at Staff College, Kolkata by M/S Resurgent India.

In order to enrich the faculties, "Faculty Development Program" was conducted for Principals & faculties of our training establishment. at State Bank Institute of Leadership, Kolkata.

The Bank also provided training to its officers in different centres in specialized areas through outside reputed training institutions like CAFRAL, NIBM, CAB, IDRBT, ASCI, FEDAI, IIBM, IIBF etc. for providing better exposure to the executives and officers.

Bank also nominated two (2) executives to attend overseas training programs to enrich their knowledge.

#### **On Location Training**

Locational programs were conducted by faculties of our training establishments to meet the training needs of the Zones in their respective ZO location.

#### **e-Learning**

The Bank has taken an initiative for capacity building of our employees through Digital Training. A WEB Portal on Digital Training, developed in-house, has been launched. Through this portal, e-programs and e-lessons have been made available covering Banking topics on various focus areas viz. Retail Banking, Priority Sector Credit, Financial Inclusion, Foreign Exchange, Delivery Channels, Risk Management, Security, Preventive Vigilance, Recovery & NPA Management, Customer Service etc.

The Portal provides high quality training and is available to our employees 24\*7 on Desktop, Laptop and Mobile. This website is accessible to our employees both through Bank's Intranet as well as internet.

This initiative has brought learning to people instead of people to learning. It helps our employees to develop with adequate knowledge and skills to cater to the varied needs of our customers.

#### **Capacity Building**

As per RBI/IBA directives/ advices, a policy on "Capacity Building - Certification Courses" has been prepared. As per the proposed policy the acquiring of certification is mandatory for the officers working in 5 key areas viz. i) Treasury Operations, ii) Risk Management, iii) Accounts and Audit, iv) Credit Management, and v) Foreign Exchange Operations.

Accordingly, majority of the aforesaid officers are now enrolled and completing "Certification Courses" in the key areas.

## व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट-मार्च 2019

इलाहाबाद बैंक की स्थापना एक यूरोपीय समुदाय द्वारा 1865 में इलाहाबाद के ऐतिहासिक नगर में की गई थी। आज यह देश का प्राचीनतम संयुक्त स्टॉक बैंक है। 1923 में बैंक के प्रधान कार्यालय को कोलकाता स्थानांतरित किया गया।

सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आने हेतु 1969 में 13 वाणिज्यिक बैंकों के साथ बैंक का इसकी 151 शाखाओं के साथ राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक ने भौगोलिक और उत्पाद विविधिकरण दोनों के माध्यम से वित्तीय बुनियाद को मजबूत करने के इरादे से अनेक रणनीतिपरक योजनाएं बनाई हैं। संपूर्ण भारत में फैली 3229 शाखाओं के अतिरिक्त हांगकांग में बैंक की एक शाखा है।

### खंड क: कंपनी के संबंध में सामान्य सूचना

1. कंपनी की कारपोरेट पहचान सं. (सीआईएन): अप्रयोज्य
2. कंपनी का नाम : इलाहाबाद बैंक
3. पंजीकृत पता: इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2 एन.एस. रोड, कोलकाता-700001
4. वेबसाइट: www.allahabadbank.in
5. ईमेल आईडी: md@allahabadbank.in
6. रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष : 2018-19
7. कंपनी किस क्षेत्र में कार्यरत है (औद्योगिक गतिविधि कोड वार)

### वित्तीय सेवाएं, मुख्यतः बैंकिंग

8. तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जो कंपनी विनिर्माण/प्रदान करती है (तुलनपत्र में उल्लिखित)
  - (1) जमाराशियां (2) अग्रिम और (3) अनुषंगी सेवाएं
9. कंपनी द्वारा की गई व्यवसाय गतिविधियों के स्थानों की कुल संख्या
  - i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या: वर्तमान में बैंक की एक शाखा हांगकांग(चीन) में हैं
  - ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या: 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति इलाहाबाद बैंक के 8 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय (एफजीएमओ), 49 मंडलीय कार्यालय, 3229 शाखाएं और 836 एटीएम हैं।
10. कंपनी द्वारा बाजार सेवा-राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार, जैसा कि बिंदु सं 9 (i) में उल्लिखित है।  
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शाखा नेटवर्क

### खंड ख: कंपनी के वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (आईएनआर) : ₹2096.84 करोड़
2. कुल टर्नओवर(आईएनआर): कुल व्यवसाय ₹377887 करोड़ (कुल जमाराशियां: ₹214335 करोड़ + सकल अग्रिम ₹163552 करोड़)
3. कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर): ₹8334 करोड़ की हानि।
4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल व्यय (%): वर्ष के दौरान बैंक को हानि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान सामुदायिक विकास में ₹922.73 लाख खर्च किया गया। इसका विवरण निम्नानुसार है:

## BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT- MARCH 2019

Allahaba Bank was founded in the year 1865 by a group of Europeans in the historic city of Allahabad. Today, it is one of India's oldest joint stock banks. The Bank's Head Office was shifted to Kolkata in 1923.

The Bank with its 151 branches was nationalized in 1969 with 13 major commercial banks to come under the ownership of Government of India. The Bank has undertaken strategic planning in order to strengthen financial foundation through both geographical and product diversification. In addition to 3229 branches across the length and breadth of India, the Bank has its overseas branch at Hong Kong.

### Section A: General Information about the Company

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company : Not Applicable
2. Name of the Company : Allahabad Bank
3. Registered address : Allahabad Bank, Head Office, 2 NS Road, Kolkata - 700001
4. Website : www.allahabadbank.in
5. E-mail id : md@allahabadbank.in
6. Financial Year reported : 2018-19
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise) :

### Financial Services, mainly banking

8. List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)
  - (1) Deposits (2) Advances (3) Ancillary services
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company
  - i. Number of International Locations : Presently, the Bank has one branch in Hong Kong (China)
  - ii. Number of National Locations: Allahabad Bank has 8 Field General Manager Offices (FGMOs), 49 Zonal Offices, 3229 branches and 836 ATMs as on 31<sup>st</sup> March 2019.
10. Markets served by the Company - National and International market as mentioned in point no 9 (i)  
Both national and international markets with large branch network at national level.

### Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR) : ₹2096.84 crores
2. Total Turnover (INR) : Total Business: 377887 crores, (Total Deposits : ₹214335 crores + Gross Advances : ₹163552 crores)
3. Total profit after taxes (INR): Loss. of ₹8334 crores
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%): The Bank has incurred losses during the year.

During FY19, expenditure of ₹922.73 lakh was incurred towards community development. The details are as under:



योजना/निधि Scheme/ Funds	राशि (लाख में)/ Amount (₹ lakh)
21 आरसेटी और 19एफएलसी को वित्तीय सहायता Financial Assistance to 21 RSETIs & 19 FLCs	872.24
हैल्पेज इंडिया को अंशदान Contribution to Helpage India	1.00
लीडर्स फॉर टूमॉरो फाउंडेशन को अंशदान Contribution to Leaders for Tomorrow Foundation	1.44
जी शेखरबाबु, पर्वतारोही G Sekharbabu, Mountaineer	3.10
अग्रणी जिला में ऑलबैंक बालिका छात्रवृत्ति योजना AllBank Girl Child Scholarship Scheme in Lead District	43.68
उद्यान केयर Udyan Care	0.24
पीओएस डेवलपमेंट डीआईटी POS Development DIT	1.03
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>922.73</b>

#### खंड ग: अन्य विवरण

- क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां हैं?  
कंपनी के दो संयुक्त उद्यम हैं यथा  
क) युनिवर्सल सोम्पो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी  
ख) असरेक
- क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर गतिविधियों में सहभागिता करती हैं? यदि हां तो ऐसी अनुषंगी कंपनियों की संख्या बताएं  
नहीं
- क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरणार्थ सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर) जिसके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी की बीआर गतिविधियों में सहभागिता करती हैं? यदि हां, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें? (30% से कम, 30-60% 60% से अधिक)  
नहीं

#### खंड घ: बीआर सूचना

- बीआर हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण  
क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण
  - डीआईएन संख्या : अग्रयोज्य
  - नाम: श्री के. रामचंद्रन
  - पदनाम: कार्यपालक निदेशक
- ख) बीआर प्रमुख का विवरण

#### Section C: Other Details

- Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?  
The company has two joint ventures viz.  
a) Universal Sompo General Insurance Company  
b) ASREC
- Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)  
No
- Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with; participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]  
No

#### Section D: BR Information

- Details of Director/Directors responsible for BR  
a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/policies  
● DIN Number : NA  
● Name : Shri K Ramachandran  
● Designation : Executive Director  
b) Details of the BR head

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

b) Details of the BR head

क्रम सं. S.No.	विवरण/ Particulars	ब्यौरा/Details
1.	डीआइएन संख्या(यदि प्रयोज्य हो) DIN Number (if applicable)	अप्रयोज्य Not Applicable
2.	नाम/Name	
3.	पदनाम/Designation	
4.	टेलीफोन नं. /Telephone number	
5.	ईमेल आईडी/e-mail id	gmpd@allahabadbank.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां या नहीं में दें)

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

क्रम सं. S.No.	प्रश्न Questions	कारोबार नैतिकता Business Ethics	उत्पाद उत्तरदायित्व Product Responsibility	कर्मचारी कल्याण Wellbeing of Employees	शेयरधारक से संबद्धता एवं सीएसआर Stakeholder Engagement & CSR	मानवाधिकार Human Rights	पर्यावरण Environment	सार्वजनिक नीति Public Policy	सीएसआर CSR	ग्राहक संबंध Customer Relations
		पी/P 1	पी/P 2	पी/P 3	पी/P 4	पी/P 5	पी/P 6	पी/P 7	पी/P 8	पी/P 9
1.	क्या आपकी नीति/नीतियां हैं...? Do you have policy/policies for....?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
2.	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है? Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हां तो विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्दों में) Does the policy conform to any national/international standards? If yes, specify? (50 words)	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है? यदि हां तो क्या इस पर एमडी/स्वामी/सीईओ/समुचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner/CEO/ appropriate Board Director?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की देखरेख हेतु कंपनी के बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है? Does the company have a specified committee of the Board/Director/Official to oversee the implementation of the policy?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
6.	नीति को ऑनलाइन देखने हेतु इसका लिंक बताएं Indicate the link for the policy to be viewed online?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
7.	क्या नीति के बारे में सभी आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक सूचना दी जाती है ? Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु कंपनी की कोई आंतरिक संरचना है ? Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y

9.	क्या नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के समाधान हेतु नीति/नीतियों से संबंधित कंपनी का कोई शिकायत निवारण तंत्र है ? Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies.	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
10.	क्या कंपनी किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से नीति के कार्यान्वयन के संबंध स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन कराती है ? Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N

2. क. यदि क्रम संख्या 1 में किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' में है तो कारण स्पष्ट करें:  
(दो विकल्पों तक चिह्न लगाएं)

2a. If answer to S.No. 1 against any principle, is 'No', please explain why:  
(Tick up to 2 options)

क्रम सं. S.No.	प्रश्न Questions	पी P 1	पी P 2	पी P 3	पी P 4	पी P 5	पी P 6	पी P 7	पी P 8	पी P 9
1.	कंपनी सिद्धांतों को नहीं समझ पाई The company has not understood the Principles									
2.	कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वह विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार कर कार्यान्वित कर सके। The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	कंपनी के पास इस कार्य हेतु कोई वित्तीय अथवा जनशक्ति स्रोत नहीं हैं The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	इसे अगले छह महीनों में कार्यान्वित करने की योजना है। It is planned to be done within next 6 months									
5.	इसे अगले एक वर्ष में कार्यान्वित करने की योजना है। It is planned to be done within the next 1 year									
6.	कोई अन्य कारण(कृपया विनिर्दिष्ट करें) Any other reason (please specify)									

अप्रयोज्य  
Not Applicable

### 3. बीआर से संबंधित गवर्नेंस

- कंपनी के बीआर कार्यानिष्ठादन का निर्धारण करने हेतु निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ की बैठकों की बारंबारता बताएं। 3 माह के अंदर, 3-6 माह के अंदर, वार्षिक, एक वर्ष से अधिक।

#### वार्षिक रूप से

- क्या कंपनी बीआर अथवा सरस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की बारंबारता क्या है?  
कंपनी वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन के भाग के रूप में बीआर रिपोर्ट प्रकाशित करेगी और यह हाइपरलिंक [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) पर उपलब्ध होगा।

### 3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

#### Annually

- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

The company will be publishing BR report as a part of Annual Report for 2018-19 and the same will be available under the hyperlink [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in)

## खंड ड : सिद्धांत वार कार्यनिष्पादन

### सिद्धांत 1: व्यवसाय का संचालन और अधिशासिता नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के अनुरूप किया जाना चाहिए।

1. क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी तक सीमित है? हां/नहीं -  
हां  
क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/सप्लायर्स/ठेकेदारों/एनजीओ/ अन्य तक है? -  
नहीं
2. विगत वित्तीय वर्ष में शेयरधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण किया गया? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

## Section E: Principle-wise performance

### Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No.  
Yes  
Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/NGOs /Others?  
No
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

The details of Complaints during FY19 were as under:-

	वित्तीय वर्ष 19 के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Complaints pending at the beginning of the FY 19	वित्तीय वर्ष 19 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Complaints received during FY 19	वित्तीय वर्ष 19 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या Complaints resolved during FY 19	31.03.2019 को यथास्थिति लंबित शिकायतों की संख्या Complaints pending as on 31.03.2019
ग्राहक/Customers	134	39081	35978	3237
निवेशक/ Investors	0	135	134	01*
<b>कुल/ Total</b>	<b>134</b>	<b>39216</b>	<b>36112</b>	<b>3238</b>

\*31.03.2019 को यथास्थिति लंबित एक शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है/One complaint pending as on 31.03.2019 has since been resolved.

हितधारकों को तत्पर और कारगर सेवा प्रदान करना सहज बनाने के उद्देश्य से इलाहाबाद बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष (सीजीआरसी) एवं शेयर एवं बॉण्ड विभाग स्थापित किया है। ग्राहक, शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इन कक्षों से संपर्क कर सकते हैं।

\*उल्लिखित स्थिति में इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक (एयूजीबी) की शिकायतें शामिल नहीं है।

### सिद्धांत 2. व्यवसाय को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हो और उनके पूरे जीवन चक्र तक निरंतरता प्रदान करे।

1. अपने तीन उत्पादों और सेवाओं की सूची बताएं जिनके डिजाइन में सामाजिक अथवा पर्यावरणजन्य सरोकार, जोखिमों और/अथवा अवसरों को समाविष्ट किया गया है।  
क. ई-केवाईसी पद्धति के माध्यम से खाता खोला जाता है और ऑटो पॉपुलेशन सक्रिय है। पासबुक प्रिंटिंग को न्यूनतम करने के लिए ई-मेल के माध्यम से खाते का ई-विवरण शुरू किया गया है।  
ख. नए डिजिटल उत्पाद जैसे कि यूपीआई, माइक्रो एटीएम, एमपॉवर और आधार पे प्रारंभ किया गया है। बैंक के पास 9335 आउटलेट्स (3229 ब्रिक एवं मोर्टार शाखाएं एवं 6106 सक्रिय बैंक मित्र) के साथ सुदृढ़ नेटवर्क है जो देश के ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए आईटी समर्थित ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है।  
ग. हम एक बैंकिंग संस्थान हैं जो ऋण उत्पादों का व्यवसाय करता है जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए छोटे बचत खातों में ओरड्राफ्ट सुविधा और

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Customers' Grievances Redressal Cell (CGRC) and Shares & Bonds Department at its Head Office, Kolkata. Customers, Shareholders and investors may contact these Cells for any assistance.

\*The position given is excluding complaints of Allahabad UP Gramin Bank (AUGB).

### Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.
  - a. Account opening is enabled through e-KYC and auto population is live. E-statement of account through e-mail introduced to minimise Passbook Printing.
  - b. New Digital products like UPI, Micro ATM, emPower and Aadhar Pay have been launched. The Bank has a strong network of 9335 outlets (3229 Brick and Mortar Branches and 6106 Active Bank Mitras) providing IT enabled online banking facilities with special focus on rural and remote areas of country.
  - c. Ours is a Banking Institution dealing in credit products such as Kisan Credit Cards, Self Help Group, Overdraft to small savings accounts opened under PMJDY and various agri products, which directly address social

विभिन्न कृषि उत्पाद जो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सरोकारों से संबंधित हैं। हमारे उत्पाद समग्रतः समाज के लिए कोई जोखिम पैदा नहीं करते हैं। अपितु हम तो मुद्रा, पीएमईजीपी, स्टैंड-अप इंडिया और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे बैंक मित्र उनकी दैनिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ उनके कियोस्क प्वाइंट पर आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने हेतु बीसी वित्तपोषण के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद हेतु उत्पाद की प्रति इकाई संसाधन के प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक)
  - i. पिछले वर्ष से पूरी मूल्य श्रृंखला में प्राप्त स्रोत/उत्पादन/वितरण में कमी।  
सेवा संगठन होने के कारण यह खंड प्रयोज्य नहीं है।
  - ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा किए गए उपयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान हुई कमी  
सेवा संगठन होने के कारण यह खंड प्रयोज्य नहीं है।
3. क्या स्रोतों की निरंतरता (ट्रांसपोर्टेशन सहित) हेतु कंपनी की कोई कार्यप्रणाली है?
  - i. यदि हां तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्रोत धारणीय था? साथ ही लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण उपलब्ध कराएं।

वित्तीय संस्था हेतु अप्रयोज्य

4. क्या कंपनी ने उसके कार्यस्थल के आसपास स्थित समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाएं क्रय करने हेतु कोई कदम उठाए हैं?
 

यदि हां तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्तीय संस्था और सेवा संगठन होने के नाते स्थानीय और छोटे विक्रेताओं से माल और सेवाएं क्रय करने की संभावना सीमित है। बैंक एमएसएमई उधारकर्ताओं को अपने निवेश हेतु माइक्रो उद्यमों से मदद लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करता है।
5. क्या उत्पादों और अवशेष को रिसाइकिल करने हेतु कंपनी का कोई तंत्र है। यदि हां तो उत्पादों और अवशेष को रिसाइकिल करने का प्रतिशत क्या (पृथक रूप से यथा <5%, 5-10%, >10%) साथ ही लगभग 50 शब्दों में विवरण उपलब्ध कराएं।

अप्रयोज्य

**सिद्धांत 3. व्यवसाय का संवर्धन सभी कर्मचारियों की भलाई के लिए होना चाहिए।**

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएं: 23210
2. कृपया अस्थाई/संविदागत/दैनिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं: 1
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं: 5002
4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं: 648
5. क्या प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कर्मचारी संगठन है?

concerns. Our products do not pose any risk to the society at large. Rather we help society by providing employment opportunity to unemployed persons through MUDRA, PMEGP, Stand-Up India and various other self employment schemes. Moreover, our Bank Mitras are provided assistance through BC Financing Scheme for meeting their daily cash requirements as well as for setting up of infrastructure facilities at their Kiosk Points. Remuneration to our Bank Mitras help in employment generation and sustainable living.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):
  - i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?  
Being a service organization this section is not applicable
  - ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?  
Being a service organization this section is not applicable.
3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?
  - i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.  
Not Applicable for a Financial Institution
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local and small producers, including communities surrounding their place of work?
 

If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

Being a financial institution and a service organization, the scope to procure goods and services from local and small vendors is limited. The Bank encourages the MSME borrowers to source their inputs from micro enterprises.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.  
Not Applicable

**Principle 3 Businesses should promote the wellbeing of all employees**

1. Please indicate the Total number of employees : 23210
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis : 1
3. Please indicate the Number of permanent women employees : 5002
4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities : 648
5. Do you have an employee association that is recognized by management?

हां, इनमें से दो मान्यताप्राप्त हैं, एक अधिकारी से संबंधित हैं एवं दूसरा अवॉर्ड स्टाफ से संबंधित है।

6. स्थाई कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं।

- क. अवॉर्ड स्टाफ यूनियन: 69.05%  
ख. अधिकारी एसोसिएशन 78.12%

7. पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल श्रमिक, जबरन मजदूरी, अस्वैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएं।

Yes, two of them are recognized; one pertaining to Officers and the other pertaining to Award Staff.

6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

- a. Award Staff Union : 69.05%  
b. Officers' Association : 78.12%

7. Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

क्रम सं. Sl. No.	श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या No of complaints filed during the financial year	वित्तीय वर्ष के अंत में यथास्थिति लंबित शिकायतों की संख्या No of Complaints pending as on end of the financial year
1.	बाल श्रमिक/जबरन मजदूरी/अस्वैच्छिक मजदूरी Child labour/forced Labour/involuntary labour	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2.	यौन उत्पीड़न / Sexual harassment	03	शून्य/NIL
3.	रोजगार में भेदभाव/ Discriminatory employment	शून्य/NIL	शून्य/NIL

8. आपके निम्नलिखित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 19) सुरक्षा और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया था ?

- स्थायी कर्मचारी : 38.30%
- स्थायी महिला कर्मचारी : 25.44%
- अनियमित /अस्थायी /संविदागत कर्मचारी : शून्य
- विकलांग कर्मचारी : 27.15%

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety and skill up-gradation training in the last year? (FY19)

- Permanent Employees : 38.30%
- Permanent Women Employees : 25.44%
- Casual/Temporary/Contractual Employees : Nil
- Employees with Disabilities : 27.15%

**सिद्धांत 4: व्यवसाय सभी हितधारकों को विशेषकर वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहनेवालों के हितों का सम्मान करने वाला और उनके प्रति अनुकूल होना चाहिए।**

**Principle 4: Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized**

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों का खाका तैयार किया है? हां/नहीं

हां, बैंक के हितधारकों में सरकार, निवेशक, बैंक के कर्मचारी और ग्राहक शामिल हैं।

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No

Yes. The stake holders of the Bank include Government of India, Investors, and Employees and Customers of the Bank.

2. उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहनेवाले हितधारकों की पहचान की है।

बैंक अपने ग्राहकों को बीसीएसबीआई कोड के अनुसार सावधानीपूर्वक सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक ने वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहनेवाले हितधारकों की पहचान की है। इन्हें मुख्यतः कमजोर वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.2019 को यथास्थिति कमजोर वर्गों पर बकाया ऋण समायोजित निवल बैंक ऋण का 13.22% था जो कमजोर वर्गों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जबकि भारतीय बैंक की नियामक अपेक्षा केवल 10% है।

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders?

The Bank is committed to serve its customers meticulously as per the BCSBI code. The Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. They are broadly classified as weaker section. Our special emphasis is evident from outstanding credit to weaker section as on 31.03.2019, which was 13.22% of Adjusted Net Bank Credit as against RBI's regulatory requirement of 10% only.

3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहने वाले हितधारकों को काम दिलाने के लिए कोई विशेष पहल की है। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

- आरसेटी बेरोजगार ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- एफएलसी ग्रामीण जनता को वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हैं।

#### सिद्धांत 5: व्यवसाय मानव अधिकारों के सम्मान और संवर्धन हेतु होना चाहिए

1. क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी को शामिल करती है अथवा इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/सप्लायर्स/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी है?

बैंक भारत के संविधान में उल्लिखित मानव अधिकारों से अवगत है और एसोसिएशनों की स्वतंत्रता और सामूहिक वार्ता का सम्मान करता है। बैंक मूल राष्ट्रीयता, नागरिकता, रंग, जाति, आस्था, धर्म, वंशक्रम, वैवाहिक स्थिति, लिंग, विकलांगता, उम्र, यौन अभिविन्यास, जन्मस्थान, सामाजिक स्तर या विधि द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक निस्तारण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 19 के दौरान ग्राहकों से कुल प्राप्त और निस्तारित शिकायतों की संख्या क्रमशः 39081 और 35978 है (पिछले वित्तीय वर्ष के शिकायतों सहित)। 91.74% निस्तारित

वित्तीय वर्ष 19 के दौरान शेयरधारकों से कुल 135 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वित्तीय वर्ष 19 के प्रारंभ में 0 शिकायत लंबित थी और इन सभी 134 शिकायतों का वित्तीय वर्ष के दौरान संतोषजनक निस्तारण किया गया। 99.99% निस्तारित

#### सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा करनी चाहिए और इसे पुनःस्थापित करने का प्रयास करना चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है अथवा इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/सप्लायर्स/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी है?

हां

2. क्या कंपनी ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वॉर्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणजन्य मुद्दों के समाधान हेतु कोई रणनीति बनाई है/पहल की है? हां/नहीं। यदि हां तो वेबपेज आदि का हाइपर लिंक दें।

नहीं।

3. क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरणजन्य जोखिमों की पहचान और निर्धारण किया है? हां/नहीं

नहीं। तथापि बैंक अपने परिचालन स्थलों पर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

4. क्या कंपनी की स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें। साथ ही यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है?

बैंक द्वारा शुरू की गई विभिन्न ग्रीन बैंकिंग पहलों में ई-केवाईसी पद्धति के माध्यम से खाता खोलना, पासबुक प्रिंटिंग से हटने के लिए ई-मेल के माध्यम से खाते का ई-विवरण लागू करना, आधार आधारित भुगतान समाधान, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) मोबाइल एप्लीकेशन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अलावा, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एटीएम कार्ड हेतु ग्रीन पिन जनरेशन, एटीएम, बायोमेट्रिक एटीएम शामिल है और पेपरलेस बैंकिंग के संवर्धन हेतु शाखाओं में ई-लॉबियां और स्टाफ और प्रशासनिक क्षेत्रों हेतु ई-गवर्नेंस भी शामिल है।

- RSETIs provide vocational training to unemployed rural youth and women.

- FLCs are imparting financial literacy to rural masses.

#### Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining. The Bank does not discriminate on the basis of national origin, citizenship, color, race, belief, religion, ancestry, marital status, gender, disabilities, age, sexual orientation, place of birth, social status, or any other basis prohibited by the law.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

The total number of customer complaints received and redressed during FY19 was 39081 and 35978 (including spill-over complaints of the previous financial year) respectively. Resolved 91.74%.

Number of investors' complaints received during FY19 was 135 and 0 complaint was pending at the beginning of FY19; and all 134 complaints were resolved satisfactorily during the financial year itself. Resolved 99.99%

#### Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/others.

Yes

2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

No

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

No. However, the Bank is committed to reducing its carbon footprint at its places of operation.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?

Various green banking initiatives undertaken by the Bank include Account opening through e-KYC methodology, e-statement of account through e-mail introduced to do away Passbook printing, Aadhaar based payment solution, Unified Payment Interface (UPI) Mobile Application apart from core banking solution, Green PIN generation for ATM Cards through Internet Banking, ATMs, biometric ATM, and e-lobbies in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking.

5. क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नॉलोजी, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में कोई अन्य पहल की है। हां/नहीं। यदि हां तो कृपया इस वेब पेज का हाइपर लिंक बताएं।  
नहीं, तथापि बैंक अनेक सौर ऊर्जा परियोजनाओं, बायोमास, लघु जल और वायु शक्ति परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है ये सभी परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं।
6. क्या वित्त वर्ष हेतु सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के अंदर कंपनी द्वारा किए गए उत्सर्जन/कचरे के संबंध में रिपोर्ट की जा रही है?  
बैंक सेवा आधारित संगठन है अतः सीपीसीबी /एसपीसीबी इसमें प्रयोज्य नहीं है।
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात् संतोषजनक ढंग से निस्तारित न किए गए) कारण बताओं/विधिक नोटिसों की संख्या।

अप्रयोज्य

**सिद्धांत 7: व्यवसाय जब प्रभावकारी सार्वजनिक और विनियामक नीति से संबद्ध हो तो जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए।**

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेम्बर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख संस्थाओं का नाम दें जिनके साथ आप कारोबार करते हैं।

बैंक निम्नलिखित का सदस्य है

- क. भारतीय बैंक संघ(आईबीए)
- ख. एसोचेम
- ग. कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई)
- घ. इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स (आईसीसी)
- ङ. एमसीसी चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
- च. बंगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री

2. क्या आपने सार्वजनिक माल में उन्नति या सुधार हेतु उक्त एसोसिएशनों के माध्यम से वकालत/लॉबी की है? हां/नहीं यदि हां तो व्यापक क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स, गवर्नेंस एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)  
समय-समय पर आईबीए से प्राप्त दिशानिर्देशों का बैंक द्वारा समुचित अनुपालन किया जाता है।

**सिद्धांत 8: व्यवसाय को समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास का समर्थन करना चाहिए**

1. क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विनिर्दिष्ट कार्यक्रम:पहल/परियोजनाएं हैं यदि हां तो उसका विवरण दें।

किसी भी देश का विकास तब तक अधूरा है जब तक वह समावेशी नहीं है और समाज के वंचित वर्ग को शामिल नहीं करता। बैंक अपनी विभिन्न पहलों से इन वर्गों तक पहुंचने और इन्हें बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की परिधि में लाने का प्रयास कर रहा है।

- बैंक ने सक्रिय रूप से वित्तीय समावेशन को संवर्धित किया है और 17732 आंबिट्ट ग्रामों को ग्रामीण क्षेत्रों में 4355 (उप सेवा क्षेत्रों-एसएसए) कियोस्क और शहरी क्षेत्रों में 750 कियोस्क द्वारा कवर किया है ताकि अपने छः सेवा प्रदाताओं, जो व्यवसाय प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, के माध्यम से समाज के बैंक रहित, वंचित और

5. Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

No. However the Bank has financed many Solar Power projects, Biomass, Small Hydro and Wind Power projects, all of which are renewable energy projects.

6. Is the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

The Bank is a service based organization and hence the CPCB/ SPCB is not applicable to it.

7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/ SPCB which is pending (i.e. not resolved to satisfaction) as end of Financial Year.

Not applicable

**Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner**

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

The Bank is a member of:

- a. Indian Banks' Association (IBA)
- b. ASSOCHAM
- c. Confederation of Indian Industries (CII)
- d. Indian Chambers of Commerce (ICC)
- e. MCC Chamber of Commerce and Industry
- f. Bengal Chamber of Commerce and Industry

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/ No; if yes specify the broad areas ( drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

Guidelines received from IBA from time to time are followed meticulously by the Bank.

**Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development**

1. Does the company have specified programmes/initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

Development in any country is incomplete if it is not inclusive and does not cover the underprivileged strata of the society. Banks through its various initiatives are striving to reach and bring these sections into the fold of basic banking services.

- The Bank has actively promoted financial inclusion programme and has covered 17732 allocated villages mapped to 4355 (Sub Service Areas-SSAs) Kiosks in Rural areas and 750 Kiosks in urban areas to reach the unbanked, deprived, underprivileged segment of the society through its Six Service Providers who engage



- अल्पसुविधा वाले वर्ग तक पहुंच बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त बैंक को 81 अनकवर्ड ग्राम आबटित किए गए हैं जिन्हें 28 नए बीसी और ग्रामीण क्षेत्रों में 11 मौजूदा बीसी के अभिनियोजन से कवर किया गया है जिसमें 16 जिले और 8 राज्य शामिल हैं।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को 24x7 ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फिक्स्ड प्वाइंट कियोस्क के माध्यम से बैंक मित्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - पीएमजेडीवाई योजना और बीएसबीडी खाते खोलने के अंतर्गत हमारे कमान क्षेत्र में सभी परिवारों को समाविष्ट किया गया है।
  - 31.03.2019 तक बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कुल 106.55 लाख खाते खोले जो ₹3534.92 करोड़ शेष सहित 90.96% सक्रिय खाते हैं। प्रति सक्रिय खाते में औसत शेष ₹3658.00 है।
  - बैंक ने "प्रति परिवार कवरेज" से "प्रति वयस्क कवरेज" का रुख करते हुए पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन और डिजिटलाइजेशन में गहरी पैठ बनाई है। बैंक मित्र केन्द्रों पर डिजिटल उत्पादों के साथ-साथ बैंक देयताओं की वसूली सहित बहुतायत जमा उत्पाद जैसे कि एसबी, आरडी और एफडी प्रस्तुत करता है और डिजिटल उत्पादों से बैंक मित्र मॉडल की दृढ़ता बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 19 के दौरान वित्तीय समावेशन जमाराशियां ₹4676.69 करोड़ के सापेक्ष तेजी से बढ़कर ₹7616.97 हो गई और प्रकार 62.87% की वृद्धि दर्ज की गई।
  - 31 मार्च, 2019 तक किए गए संवयी ईपीएस लेनदेन की संख्या 741.35 लाख रही।
  - 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति पीएमजेडीवाई के अंतर्गत आधार सीडेड खातों की संख्या 88.91 लाख तक पहुंच गई जो कुल पीएमजेडीवाई खातों का 83.44% है जबकि उद्योग औसत लगभग 78% है। जहां आधार नंबर उपलब्ध है/सत्यापन योग्य है वहां सभी पीएमजेडीवाई खातों में आधार सीडिंग पूरी कर ली गई है।
  - सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः व्यक्तिगत दुर्घटना और किसी प्रकार से मृत्यु होने पर कवरेज हेतु 36.46 लाख जनसंख्या को पीएमएसबीवाई के अंतर्गत और 10.24 लाख को पीएमजेडीबीवाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। माइक्रो पेंशन हेतु एपीवाई (अटल पेंशन योजना) वित्तीय वर्ष 19 में दो गुणा बढ़कर 4.08 लाख सब्सक्रिप्शन हो गया है।
  - बैंक 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) और 5105 समर्पित बैंक मित्र चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों में वित्तीय साक्षरता का प्रसार कर रहा है। ग्राम और मोहल्ला संपर्क कार्यक्रमों से वित्तीय समावेशन को और बल मिला है।
  - बैंक मुख्यतः हमारे अग्रणी जिलों में स्थित 21 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और उनकी उत्पादकता और रोजगार क्षमता को उन्नत कर रहा है।
  - बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण में सक्रिय योगदान कर रहा है।
2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आंतरिक टीम/स्वयं के फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/ सरकारी तंत्र/किसी अन्य संगठन द्वारा किए जाते हैं?

आरसेटी के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और एफएलसी/बैंक मित्र चैनल के माध्यम से वंचित लोगों की सहायता करने के अलावा बैंक ने दो समाजोन्मुख योजनाओं अर्थात् अग्रणी जिलों में आलबैंक बालिका छात्रवृत्ति योजना और अग्रणी

Business Correspondents. Additionally Bank has been allotted 81 uncovered villages which have been covered by deployment of 28 new BCs and 11 existing BCs in rural areas consisting of 16 districts and 8 states.

- Financial Inclusion programme is being implemented by Bank Mitras through 24 x7 online interoperable fixed point kiosks.
  - All the households in our command area have been covered under PMJDY scheme and opening BSBD Accounts.
  - Bank has opened a total of 106.55 lac accounts under PMJDY up to 31.03.2019, with 90.96% active accounts ₹3534.92 crores. Average Balance per operative account is ₹3658.00.
  - Bank has embraced Deepening of Financial Inclusion & Digitalization process by shifting from "coverage of every household" to "coverage of every adult" under PMJDY scheme. Bank offers Plethora of Deposit Products like SB, RD & FD at Bank Mitra points along with Recovery of Bank's Dues and with Digital Products the sustainability of Bank Mitra Model has been increased. The FI deposits have surged to ₹7616.97 crores, from ₹4676.69 Crore, registering 62.87% growth during the FY19.
  - The number of cumulative AEPS transactions taken place up to 31st March 2019 stood at 741.35 lakhs.
  - The number of total Aadhaar seeded accounts under PMJDY reached 88.91 lac as on 31.03.2019 which was 83.44 % of total PMJDY accounts, against the industry average of 78% approximately. Aadhaar seeding has been completed in all PMJDY accounts where Aadhaar number is available/ verifiable.
  - Under Social Security Schemes, 36.46 lakh populations have been covered under PMSBY and 10.24 lakh under PMJJBY for coverage against Personal accident and any other casualty respectively. The APY (Atal Pension Yojana) for Micro Pension has been increased two fold in FY 19 to 4.08 Lakh No of Subscription.
  - Bank is spreading awareness about banking among the villagers through 19 Financial Literacy Centers (FLCs) and 5105 dedicated Bank Mitra channel. Village and Mohalla Contact Programmes have been given further impetus to Financial Literacy.
  - Bank is imparting vocational training to rural women and youth and improving their productivity and employability through our 21 Rural Self Employment Training Institutes spread mostly in our lead districts.
  - The Bank is actively associated with financing under various governments sponsored schemes.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/ any other organization?

Apart from providing vocational training to village youth through RSETIs and helping underprivileged through FLCs/ Bank Mitra Channel, the Bank has helped school children through its two socially oriented programmes viz. 'All Bank Girl Child Scholarship Scheme in Lead Districts' and

जिलों के सरकारी विद्यालयों में विद्युत पंखों को उपलब्ध कराने की योजना के माध्यम से स्कूली बच्चों की मदद की है।

3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का निर्धारण किया है ?
- बैंक की पहुंच बढ़ने के कारण कम लागत की जमा राशियों के संग्रहण में बैंक मित्रों का योगदान उल्लेखनीय रहा।
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना बैंक में सफलतापूर्वक लागू की गई।
  - वित्तीय वर्ष 19 में पीईसी, माइक्रो बीमा, माइक्रो पेंशन डीबीटी जैसे क्षेत्रों से एनएफएनआई आय वर्ष-दर-वर्ष 218.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹28.76 करोड़ तक पहुंच गई।
  - बैंक की पहल के त्वरित प्रभाव का निर्धारण इसके प्रभाव क्षेत्र और बड़ी संख्या में अर्ध साक्षर/साक्षर व्यक्तियों द्वारा पूरे विश्वास के साथ बैंक खातों का परिचालन किए जाने से स्पष्ट है। आरसेटी द्वारा दिए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण से बड़ी संख्या में (विशेषकर महिलाएं) उद्यमी बन गई हैं और उनमें से अधिकांश ने सफलतापूर्वक बैंक ऋण प्राप्त किया है।
4. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है। राशि भारतीय रूप में और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा।
- वित्तीय वर्ष 19 के दौरान सामुदायिक विकास में ₹922.73 लाख खर्च किया गया। इसका विवरण निम्नानुसार है:

'Scheme for providing Electric Fans in Govt. Schools of Lead Districts'.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?
- Due to improved outreach, contribution by Bank Mitras for mobilization of low cost deposits has been phenomenal.
  - Direct Benefit Transfer scheme has already been rolled out and gained momentum in the Bank.
  - NFNI Income from various verticals like of PEC, Micro Insurance, Micro Pension and DBT etc in the FY19 has reached ₹28.76 Crore registering 218.37% increase YOY
  - A quick impact assessment of Bank's initiatives is evident from a larger number of semi-literate/illiterate customers are now confidently operating their Bank accounts. The vocational trainings given by the RSETIs have allowed large numbers of youth (especially women) to become entrepreneurs and most of them have also successfully availed bank credit.
4. What is your company's direct contribution to community development projects-Amount in INR and the details of the projects undertaken?
- During FY19, expenditure of ₹922.73 lakh was incurred towards community development. The details are as under:

योजना/निधि Scheme/ Funds	राशि (लाख में)/ Amount (₹ lakh)
21 आरसेटी और 19 एफएलसी को वित्तीय सहायता Financial Assistance to 21 RSETIs & 19 FLCs	872.24
हैल्पेज इंडिया को अंशदान Contribution to Helpage India	1.00
लीडर्स फॉर टूमॉरो फाउंडेशन को अंशदान Contribution to Leaders for Tomorrow Foundation	1.44
जी शेखरबाबू, पर्वतारोही G Sekharbabu, Mountaineer	3.10
अग्रणी जिला में ऑलबैंक बालिका छात्रवृत्ति योजना AllBank Girl Child Scholarship Scheme in Lead District	43.68
उद्यान केयर Udyan Care	0.24
पीओएस डेवलपमेंट डीआईटी POS Development DIT	1.03
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>922.73</b>

5. आपने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।
- हमारे अग्रणी बैंक कक्ष (एलबीसी), बैंक द्वारा की गई उपर्युक्त पहल की प्रगति और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए इन पर नजर रखते हैं कि उक्त पहल से वांछित सामाजिक बदलाव आए। अग्रणी बैंक से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हम अपनी सामुदायिक पहल में समुचित रूप से संशोधन करते हैं। बैंक एसएलबीसी/सरकार की वार्षिक कार्य योजना में सहभागिता करता है।

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.
- Our Lead Bank Cells (LBCs) track the progress and effect of the aforesaid social initiative taken by the Bank to ensure that the same are bringing about the desired social changes. Depending upon the feedback from LBCs, we suitably modify our community development initiatives. The Bank participates in annual action plan of SLBC/ Government.

**सिद्धांत 9: व्यवसाय को चाहिए कि यह अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से मान दे।**

1. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत क्या है?  
वित्तीय वर्ष 19 के अंत में 8.25% (3237) ग्राहक शिकायतें लंबित थी।
2. क्या कंपनी उत्पाद लेवल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है जो स्थानीय विधि के अनुसार अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त हो? हां/नहीं/अप्रयोज्य/अभ्युक्तियां (अतिरिक्त सूचना)  
हां। बैंक द्वारा प्रस्तुत उत्पाद और सेवाओं के बारे में सूचना पम्फलेट और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध है और इसे बैंक की वेबसाइट ([www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in)) पर भी उपलब्ध कराया गया है।
3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापार परिपाटी/गैर जिम्मेदारान विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में कोई मामला दायर किया है और जो वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित हो। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।  
शून्य।
4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि रुझान जानने का कार्य किया है?  
हां।

**Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.**

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?  
8.25% (3237) customer complaints were pending at the end of FY19.
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)  
Yes. The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and are also made available in the Bank's website ([www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in)).
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as at the end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.  
NIL
4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?  
Yes.

**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बासेल-III  
पूंजी विनियमन के अन्तर्गत समेकित प्रकटीकरण**

**1.1. प्रयोज्यता की संभावना**

**बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचना प्रयोज्य है: इलाहाबाद बैंक**

<b>सारणी डीएफ-1</b>	<b>प्रयोज्यता की संभावना</b>
---------------------	------------------------------

**(i). गुणात्मक प्रकटीकरण**

**ए. समेकन हेतु विचार किए गए संस्थाओं के समूह की सूची**

संस्था का नाम/ निगमन का देश	समेकन की लेखा संभावना के अंतर्गत समावेशन	समेकन की पद्धति	समेकन की विनियामक संभावना के अंतर्गत समावेशन	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	समेकन की किसी एक संभावना के अंतर्गत समेकन किया गया है, तो उसका कारण
असरेक (इंडिया) लि. (भारत)	हां	एस 27 के अनुसार समेकित	हां	एस 27 के अनुसार समेकित	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एस 23 के अनुसार समेकित	हां	एस 23 के अनुसार समेकित	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
यूनिवर्सल सोमो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. [भारत]	हां	एस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	विनियामक दिशानिर्देश

**बी. लेखा और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई संस्थाओं के समूह की सूची**  
लेखा और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई संस्थाओं का कोई समूह नहीं है।

**(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

**सी. समेकन हेतु विचार किए गए समूह संस्थाओं की सूची**

**(₹ मिलियन में)**

संस्था का नाम	संस्था की मूल गतिविधि	कुल तुलनपत्र इक्विटी (लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)
असरेक (इंडिया) लि.	आस्ति वसूली कंपनी	980	1,668
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	619	1,22,010

**डी: सभी अनुषंगी कंपनियों में पूंजी विसंगतियों की कुल राशि जिसे समेकन विनियामक संभावना में शामिल नहीं किया गया है**  
किसी अनुषंगी कंपनी में पूंजी विसंगतियां नहीं हैं, जिसे समेकन विनियामक संभावना में शामिल नहीं किया गया है।

**ई: बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की सकल राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है।**

इंश्योरेंस संस्था का नाम	संस्था की मूल गतिविधि	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था की लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)	कुल इक्विटी/मताधिकार के अनुपात में बैंक का धारण %	जोखिम भारित पद्धति बनाम पूर्ण कटौती पद्धति के प्रयोग में विनियामक पूंजी का परिमाणात्मक प्रभाव
यूनिवर्सल सोमो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	साधारण बीमा	3682	28.52%	सीआरएआर में 2 बीपीएस की कमी

**एफ: बैंकिंग समूह के अंतर्गत निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा बाधा: बैंकिंग समूह के अंतर्गत निधियों के अंतरण**  
अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा बाधा नहीं है।

## CONSOLIDATED DISCLOSURES UNDER BASEL-III CAPITAL REGULATIONS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2019

### 1. SCOPE OF APPLICATION

**Name of the head of the banking group to which the framework applies: ALLAHABAD BANK**

<b>TABLE DF – 1</b>	<b>SCOPE OF APPLICATION</b>
---------------------	-----------------------------

#### (I) Qualitative Disclosures

##### A: List of group entities considered for consolidation

Name of the entity [Country of incorporation]	Inclusion under accounting scope of consolidation	Method of consolidation	Inclusion under regulatory scope of consolidation	Method of consolidation	Reasons for difference in method of consolidation	Reasons for consolidation under only one of the scope of consolidation
ASREC (India) Ltd. [India]	Yes	Consolidated in accordance with AS27	Yes	Consolidated in accordance with AS27	Not Applicable	Not Applicable
Allahabad UP Gramin Bank [India]	Yes	Consolidated in accordance with AS23	Yes	Consolidated in accordance with AS23	Not Applicable	Not Applicable
Universal Sampo General Insurance Company Limited [India]	Yes	Consolidated in accordance with AS27	No	Not Applicable	Not Applicable	Regulatory guidelines

**B: List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation.**  
There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

#### (II) Quantitative Disclosures

##### C: List of Group Entities Considered for Consolidation

(₹ in Millions)

Name of the entity	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as per accounting balance sheet)	Total balance sheet assets (as per accounting balance sheet)
ASREC (India) Ltd.	Asset Recovery Company	980	1,668
Allahabad UP Gramin Bank	Banking	619	1,22,010

**D: The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation:** There is no capital deficiency in any subsidiary, which is not included in the regulatory scope of consolidation.

**E: The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted**

(₹ in Millions)

Name of the insurance entity	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as per accounting balance sheet)	Bank's holding in the total equity or proportion of voting power (%)	Quantitative impact of regulatory capital of using risk weighting methods versus using the full deduction method
Universal Sampo General Insurance Company Limited	General Insurance	3,682	28.52%	Decrease in CRAR by 2 bps.

**F: Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:** There are no restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

## पूंजी पर्याप्तता

- बैंक को भारिबैं द्वारा इसके बासेल III संबंधी मास्टर परिपत्र के तहत निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के अधीन रखा गया है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति न्यूनतम 5.5% कामन इक्विटी टीयर I (सीईटी 1) (सीसीबी) के साथ 9% { पूंजी कंजर्वेशन बफर(सीसीबी) सहित 10.875% } के जोखिम भारित आस्ति अनुपात(सीआरएआर) में न्यूनतम पूंजी बनाए रखे। बासेल III संबंधी इन दिशानिर्देशों को 1 अप्रैल, 2013 से चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक द्वारा अनुरक्षित किए जाने हेतु अपेक्षित न्यूनतम पूंजी अपेक्षा 7.375 % कामन इक्विटी टीयर I (सीईटी 1) सहित 10.875% है (1.875% के सीसीबी सहित)
- बैंक जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु निश्चित पूंजी बनाए रखने हेतु एवं किसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाली हानि के जोखिम के सापेक्ष गुंजाइश रखने के लिए नियमित रूप से अपनी पूंजी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करता है जिससे सभी हितधारकों का हित सुरक्षित रह सके। बैंक भविष्य में अपनी गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु अपेक्षित पूंजी की समीक्षा के लिए वार्षिक आधार पर पूंजी नियोजन का कार्य करता है। साथ ही, सभी जोखिम का व्यापक रूप से निदान करने और आवश्यक अतिरिक्त पूंजी बनाए रखने हेतु बैंक की सुपिरभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएपी) है।
- बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर की गणना हेतु ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत ड्यूरेशन दृष्टिकोण को अपनाया है।
- 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति, ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम हेतु बैंक की पूंजी अपेक्षा का सार और पूंजी पर्याप्तता अनुपात नीचे प्रस्तुत है:

(₹ मिलियन में)

क्रम संख्या	विभिन्न जोखिमों हेतु पूंजी अपेक्षाएं	पूंजी अपेक्षा *
<b>ए</b>	<b>ऋण जोखिम</b>	<b>110,072</b>
ए 1	अप्रतिभूत पोर्टफोलियो हेतु	110,072
ए 2	प्रतिभूत पोर्टफोलियो हेतु	-
<b>बी</b>	<b>बाजार जोखिम</b>	<b>14,702</b>
बी 1	ब्याज दर जोखिम हेतु	10,419
बी 2	इक्विटी जोखिम हेतु	4,195
बी 3	विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु (स्वर्ण सहित)	88
बी 4	जिन्स जोखिम हेतु	-
बी 5	आप्टान जोखिम हेतु	-
<b>सी</b>	<b>परिचालन जोखिम</b>	<b>15,690</b>
सी 1	मूल संकेतक दृष्टिकोण	15,690
सी 2	मानकीकृत दृष्टिकोण यदि प्रयोज्य हो	-
<b>डी</b>	<b>कुल पूंजी अपेक्षा</b>	<b>140,464</b>

\*पूंजी अपेक्षा की गणना जोखिम भारित आस्ति के 10.875% पर की गई है।

विवरण	एकल	समेकित
सामान्य इक्विटी टीयर 1(सीईटी 1)	9.65%	9.72%
टीयर 1 सीआरएआर	9.68%	9.75%
<b>कुल सीआरएआर</b>	<b>12.51%</b>	<b>12.59%</b>

## TABLE DF – 2

## CAPITAL ADEQUACY

**CAPITAL ADEQUACY**

- The Bank is subject to the capital adequacy guidelines stipulated by RBI vide its master circular on Basel-III. As per the said guidelines, the Bank is required to maintain a minimum Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of 9% {10.875% including Capital Conservation Buffer (CCB)}, with minimum Common Equity Tier I (CET1) of 5.5% (7.375% including CCB) as on 31st March 2019. These guidelines on Basel III have been implemented since 1st April 2013 in a phased manner. The minimum capital required to be maintained by the Bank for the quarter ended 31st March 2019 is 10.875% with minimum Common Equity Tier 1 (CET1) of 7.375% (including CCB of 1.875%)
- The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements to maintain a comfortable Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) and to cushion against the risk of losses against any unforeseen events so as to protect the interest of all stakeholders. The Bank conducts exercise of Capital Planning on an annual basis to review the capital required to carry out its activities smoothly in the future. Also, the Bank has well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under which the Bank also assesses the adequacy of capital under stress to comprehensively assess all risks and maintain necessary additional capital.
- The Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR, as per the guidelines of RBI.
- A summary of the Bank's capital requirement for credit, market and operational risk and the capital adequacy ratio as on 31st March 2019 is presented below:

(Amount ₹ in Million)

S.No.	Capital Requirements for Various Risks	Capital Requirement*
<b>A</b>	<b>CREDIT RISK</b>	<b>110,072</b>
A.1	For non- securitized portfolio	110,072
A.2	For Securitized portfolio	-
<b>B</b>	<b>MARKET RISK</b>	<b>14,702</b>
B.1	For Interest Rate Risk	10,419
B.2	For Equity Risk	4,195
B.3	For Forex Risk (including gold)	88
B.4	For Commodities Risk	-
B.5	For Options risk	-
<b>C</b>	<b>OPERATIONAL RISK</b>	<b>15,690</b>
C.1	Basic Indicator Approach	15,690
C.2	Standardized Approach if applicable	-
<b>D</b>	<b>TOTAL CAPITAL REQUIREMENT</b>	<b>140,464</b>

\*Consolidated Capital requirement is computed at 10.875% of RWA

Particulars	Standalone	Consolidated
Common Equity Tier I (CET I)	9.65%	9.72%
Tier 1 CRAR	9.68%	9.75%
<b>Total CRAR</b>	<b>12.51%</b>	<b>12.59%</b>

**3. ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण**

**ए. जोखिम प्रबंधन: उद्देश्य और संगठन संरचना**

**ए.1.** बैंक कारगर रूप से जोखिमों की पहचान, मापन, नियंत्रण, निगरानी और रिपोर्ट करता है। बैंक की जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के प्रमुख पैरामीटर बोर्ड अनुमोदित नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर जोखिम अभिशासन संरचना, व्यापक प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर निर्भर करता है।

**बी. बैंक की संरचना और प्रणालियां**

**बी.1.** बैंक ने मुख्य जोखिम अधिकारी को नियुक्त किया है जो प्रबंध निदेशक एव मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट करता है।

**बी.2.** विशेष रूप से बैंक के जोखिम प्रबंधन प्रकार्यों का सर्वेक्षण और समन्वय करने हेतु जोखिम प्रबंधन समिति(आरएमसी) नामक निदेशक मंडल की एक उप-समिति गठित की गई है।

**बी.3.** ऋण नीति सहित विभिन्न ऋण जोखिम रणनीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन तथा नियमित आधार पर बैंक के जोखिम प्रबंधन प्रकार्यों की निगरानी हेतु कार्यपालकों की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है।

**बी.4.** बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों को नियमित रूप से प्रबंधन और मॉनिटर करने के लिए कार्यपालकों की एक बाजार जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है।

**बी.5.** बैंक के परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्यों को नियमित रूप से नियंत्रित और मॉनिटर करने के लिए कार्यपालकों की एक परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है।

**सी. ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम को उधार, व्यापार, समझौते या अन्य वित्तीय लेनदेनों के संबंध में उत्पन्न प्रतिबद्धताओं को उधारकर्ता अथवा प्रतिपक्षकारों द्वारा पूरा करने की असमर्थता या अनिच्छा के कारण स्पष्ट रूप से चूक करने से उत्पन्न उधारकर्ताओं अथवा प्रतिपक्षकारों द्वारा चूक करने या ऋण गुणवत्ता में अवमूल्यन से संबद्ध संभावित हानि अथवा उधारकर्ताओं अथवा प्रतिपक्षकारों की ऋण गुणवत्ता में वास्तविक अथवा मानी गई गिरावट से उत्पन्न पोर्टफोलियों के मूल्य में कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऋण जोखिम व्यक्तियों, गैर-कारपोरेट, कारपोरेट, बैंक, वित्तीय संस्था अथवा अधिराज्य के साथ बैंक के लेनदेन से उत्पन्न होता है

**डी. बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति :**

**डी.1.** बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक सुव्यवस्थित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति दस्तावेज संगठनात्मक संरचना, भूमिका एवं दायित्व तथा प्रक्रियाओं को परिभाषित करती हैं जिसके माध्यम से बैंक को होने वाले ऋण जोखिमों की पहचान, आकलन करने में मदद मिलती है और उनका प्रबंधन उस संरचना के अंतर्गत किया जाता है जिसे बैंक अपने अधिदेश एवं जोखिम वहनशीलता के अनुरूप उपयुक्त समझता है।

**डी.2.** बैंक द्वारा खातावार ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं/एक्सपोजर कैप के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता की भी निगरानी की जाती है और ऋण जोखिम से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने हेतु आंतरिक दक्षता विकसित की जाती है।

**डी.3.** उत्तम ऋण जोखिम प्रबंधन परिपाटियां विकसित करने हेतु बैंक ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अतिरिक्त, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति, निवेश नीति, देश जोखिम प्रबंधन नीति वसूली नीति, वसूली प्रबंधन नीति आदि भी है जो ऋण जोखिम की निगरानी के अभिन्न अंग हैं और विभिन्न नियामक अपेक्षाओं का विशेष रूप से भारिबै/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के निवेश मानदंडों, प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों, आय अभिज्ञान और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन आदि संबंधी दिशानिर्देशों के संदर्भ में अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

**डी.4.** इसके अतिरिक्त बैंक की ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति भी है जिसमें बैंक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूतियों और ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित किए गए हैं। ये प्रतिभूतियाँ उस ऋण जोखिम के विरुद्ध उपशमन के रूप में कार्य करती हैं जिसमें बैंक एक्सपोज्ड हो।

**ई. ऋण मूल्यांकन /आंतरिक रेटिंग :**

**ई.1.** बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक उधारकर्ता एवं संविभाग स्तर पर जोखिमों के सतत मापन एवं निगरानी के माध्यम से करता है। बैंक के पास एक सशक्त आंतरिक क्रेडिट रेटिंग संरचना और सुव्यवस्थित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रणाली है।

**ई.2.** आंतरिक जोखिम रेटिंग/ग्रेडिंग मॉड्यूल में प्रबंधन जोखिम से संबंधित परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मुद्दे, व्यवसाय जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम एवं परियोजना जोखिम शामिल हैं। बाजार स्थितियों के आधार पर उद्योग जोखिम के आँकड़े निरंतर अद्यतन किये जाते हैं।

**ई.3.** प्रत्येक उधारकर्ता की रेटिंग की समीक्षा की जाती है। सशक्त ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर संस्वीकृत ऋण प्रस्तावों हेतु त्रिस्तरीय क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया और मंडलीय कार्यालय/शाखा स्तर पर संस्वीकृत प्रस्तावों हेतु क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया की द्विस्तरीय प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें ऋण विभाग से इतर रेटिंग की वैधता (तीसरा चरण) शामिल है। बैंक के प्रधान कार्यालय की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के मामले में रेटिंग की वैधता जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा की जाती है।

**ई.4.** बैंक ऋणों की संस्वीकृति हेतु सुव्यवस्थित बहु-स्तरीय विवेकाधीन शक्ति संरचना का अनुसरण करता है। मंडलीय कार्यालय, क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय स्तर पर अनेक समितिया गठित की गई हैं। मंडल प्रमुख, समप्र/उमप्र की अध्यक्षता में जैडएलसीसी समप्र/उमप्र/मप्र, क्षेत्र महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एफजीएमएलसीसी, मप्र (ऋण) की अध्यक्षता में एचएलसीसी मप्र, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एचएलसीसी कानि, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अध्यक्षता में सीएसी और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अध्यक्षता में एमसीबीओडी (बोर्ड की प्रबंधन समिति)। विनिर्दिष्ट कट-ऑफ से अधिक के नए ऋण प्रस्तावों पर सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रबंध



**3. CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURE****A. RISK MANAGEMENT: OBJECTIVES AND ORGANISATION STRUCTURE**

**A.1.** The Bank identifies, measures, control, monitor and report risk effectively. The key parameters of the Bank's risk management activities rely on the risk governance architecture, comprehensive processes and internal control mechanism based on Board approved policies and guidelines.

**B. ARCHITECTURE AND SYSTEMS OF THE BANK**

**B.1.** The Bank has nominated Chief Risk Officer, who reports to the Managing Director and CEO.

**B.2.** A Sub-Committee of Board of Directors termed as Risk Management Committee (RMC) has been constituted to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.

**B.3.** A Credit Risk Management Committee of executives has been set up to formulate and implement various credit risk strategies including lending policy and to monitor Bank's Credit Risk Management functions on a regular basis.

**B.4.** A Market Risk Management Committee of executives has been set up for management and to monitor Bank's Market Risk Management functions on a regular basis.

**B.5.** An Operational Risk Management Committee of executives has been set up for control and monitoring of Bank's Operational Risk Management functions on a regular basis.

**C. CREDIT RISK**

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with default by or diminution in the credit quality of Borrowers or Counterparties arising from outright default due to inability or unwillingness of a borrower or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions; or Reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality of borrowers or counterparties. Credit Risk emanates from a bank's dealings with an individual, non-corporate, corporate, bank, financial institution or sovereign.

**D. BANK'S CREDIT RISK MANAGEMENT POLICY**

**D.1.** The Bank has put in place a well-structured Credit Risk Management Policy duly approved by the Board. The Policy document defines organizational structure, role and responsibilities and the processes whereby the Credit Risks carried by the Bank can be identified, quantified, managed and controlled within the framework which the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance limits.

**D.2.** Credit Risk is monitored by the Bank account wise and compliance with the risk limits / exposure cap approved by the Board is ensured. The quality of internal control system is also monitored and in-house expertise has been built up to tackle all the facets of Credit Risk.

**D.3.** The Bank has taken earnest steps to put in place best Credit Risk Management practices. In addition to Credit Risk Management Policy, the Bank has also framed Board approved Lending Policy, Investment Policy, Country Risk Management Policy, Credit Monitoring Policy, Recovery Management Policy etc. which form integral part in monitoring of credit risk and ensures compliance with various regulatory requirements, more particularly in respect of Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Statutory Authorities.

**D.4.** Besides, the Bank has also put in place a Board approved policy on Credit Risk Mitigation & Collateral Management which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interests of the Bank. These securities act as mitigants against the credit risk to which the Bank is exposed.

**E. CREDIT APPRAISAL / INTERNAL RATING**

**E.1.** The Bank manages its credit risk by continuously measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has robust internally developed credit risk grading / rating modules and well-established credit appraisal / approval processes.

**E.2.** The internal risk rating / grading modules capture quantitative and qualitative issues relating to management risk, business risk, industry risk, financial risk and project risk. The data on industry risk is constantly updated based on market conditions.

**E.3.** The rating for every borrower is reviewed. As a measure of robust credit risk management practices, the bank has implemented a four-tier system of credit rating process for the loan proposals sanctioned at Head Office Level, three tier systems at Circle office/ Zonal Office level. Validation of rating for proposals sanctioned at Branch level is done at Zonal office level/Circle office level. For the proposals falling under the powers of Bank's Head Office, the validation of ratings is done at Risk Management Department.

**E.4.** The Bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans. Various committees have been formed at ZO, FGMO & HO Level. ZLCC AGM/DGM headed by Zonal Head, FGMLCC headed by Field General Manager, HLCC GM headed by GM (Credit), HLCC ED headed by ED (Executive Director), CAC headed by MD & CEO and MCBOD (Management Committee of the Board) headed by MD& CEO. A structure named New Business Group (NBG) headed by MD& CEO has been constituted at Head Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposals above a specified cut-off point.

**ई.5.** बैंक ने रिटेल एवं एमएसएमई ऋणों के केन्द्रीय रूप से प्रोसेस और संस्वीकृति हेतु रिटेल एवं एमएसएमई प्रोसेसिंग कक्ष की शुरुआत की है। इसी तरह, बैंक के विशिष्ट ऋणों को प्रोसेस करने और संस्वीकृत करने के लिए बैंक ने कॉर्पोरेट वित्त शाखा, बड़ी कॉर्पोरेट शाखा, व्यापार वित्त शाखा और कृषि वित्त शाखा की शुरुआत की है।

**एफ. पिछला देय और ह्रासित की परिभाषा (लेखा प्रयोजन हेतु)**

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का पालन करता है जिसका सारांश निम्नानुसार है

**एफ.1. अनर्जक आस्तियां**

पट्टाकृत आस्ति सहित कोई आस्ति तब अनर्जक हो जाती है जब यह बैंक के लिए आय सृजित करना बंद कर देती है।

**ऋण अथवा अग्रिम में अनर्जक आस्तियां वे हैं जहां**

- I. मीयादी ऋण के संबंध में जहां ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि हेतु अतिदेय रहती है।
- II. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिनों तक अनियमित रहता है जैसा की नीचे उल्लिखित है।
  - क. यदि नियमित/ तदर्थ सीमाओं का नवीकरण/समीक्षा नवीकरण/समीक्षा अथवा तदर्थ सीमा की संस्वीकृति से 180 दिनों के अंदर नहीं की जाती।
  - ख. यदि स्टॉक विवरण लगातार 90 दिनों की अवधि हेतु प्रस्तुत नहीं किए जाते और लगातार 90 दिनों तक ऐसे अनियमित आहरण पर सीमाओं/आहरण की अनुमति दी जाती है
- III. क्रय किए गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहते हैं।
- IV. अल्पावधि फसलों हेतु बकाया तिथि के बाद मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज दो फसल मौसम तक अदत्त रहता है।
- V. दीर्घावधि फसलों हेतु बकाया तिथि के बाद मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज एक फसल मौसम तक अदत्त रहता है।
- VI. दिनांक 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के संबंध में लिक्विडिटी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहती है।
- VII. किसी खाते को केवल तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के अंदर पूर्णतया जमा नहीं हो जाता।

**एफ. 2. अनियमित(आउट आफ आर्डर) स्थिति**

किसी खाते को “अनियमित” तब माना जाता है यदि बकाया शेष लगातार संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक बना रहे। उन मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो या तुलनपत्र की तिथि से 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं हुआ हो अथवा जमा की गई राशि उस अवधि के दौरान नामे लिखी गई राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो ऐसे खातों को “अनियमित” माना जाता है।

**एफ.3. अतिदेय**

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब अतिदेय हो जाती है जब बैंक द्वारा निर्धारित की गई अवधि के दौरान उसका भुगतान नहीं किया जाता। बैंक ने विशिष्ट उल्लिखित खातों (एसएमए) की पहचान की है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान या अन्य राशि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से एक दिन के लिए भी अतिदेय है।

**एफ.4. अनर्जक निवेश**

प्रतिभूतियों के संबंध में जहां ब्याज/मूलधन बकाया में है, बैंक प्रतिभूतियों पर आय को गणना में नहीं लेता और निवेश के मूल्य में हुए ह्रास हेतु समुचित प्रावधान करता है।

**अनर्जक अग्रिमों(एनपीए) की भांति अनर्जक निवेश(एनपीआई) वह होता है जहां:**

- I. ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहती है।
- II. यह आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिमानी शेरों पर लागू होता है जहां तय लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता।
- III. इक्विटी शेरों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण यदि किसी कंपनी के शेरों में निवेश का मूल्य रु.1 प्रति कंपनी है तो इन शेरों की गणना भी एनपीआई के रूप में की जाती है।
- IV. बैंक की बहियों में निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा एनपीए है, उस निर्गमकर्ता द्वारा जारी किन्ही प्रतिभूतियों में निवेश एनपीआई और विलोमतः होता है।
- V. डिबेंचरों/बांड में निवेश, जिन्हें अग्रिम स्वरूप का माना जाना है, निवेशों पर यथाप्रयोज्य एनपीआई मानकों के अधधीन हैं।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

**ए. सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर के भौगोलिक संवितरण सहित**

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	एक्सपोजर का * प्रकार	घरेलू (बकाया)	विदेशी (बकाया)	कुल
1.	निधि आधारित	2,189,358	39,523	2,228,881
2.	गैर-निधि आधारित	238,196	35	238,231
3.	कुल	2,427,554	39,558	2,467,112

\* निधि आधारित एक्सपोजर में अग्रिम पोर्टफोलियो शामिल है जबकि गैर-निधि आधारित एक्सपोजर में बैंक गारंटी और साख पत्र के कारण एक्सपोजर शामिल है।

**E.5.** Bank is introducing Retail & MSME processing cell to centralize the process and sanction of Retail & MSME loans. Similarly Bank is also introducing Corporate Finance Branches, Large Corporate Branches, Trade Finance Branches and Agriculture Finance Branches for processing and sanction of specialised loans of the Bank.

**F. DEFINITION OF PAST DUE AND IMPAIRED (FOR ACCOUNTING PURPOSES)**

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below.

**F.1. NON-PERFORMING ASSETS**

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

**A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;**

- I. Either Interest and/ or installment of principal dues remain 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- II. The account remains 'out of order' for 90 days as indicated below at paragraph F.2, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). Besides this CC/OD accounts can also be declared NPA in undernoted condition.
  - a. If the regular/ad-hoc limits are not reviewed/ renewed within 180 days from the due date of review/renewal or sanctioning of adhoc limit,
  - b. If the stock statements are not submitted continuously for a period of 90 days and limits/ drawings are allowed on such irregular drawing power continuously for 90 days.
- III. The bill remains overdue and unpaid for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- IV. The installment of principal or interest thereon remains unpaid for two crop seasons beyond the due date for short duration crops,
- V. The installment of principal or interest thereon remains unpaid for one crop season beyond the due date for long duration crops.
- VI. The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- VII. An account is classified as NPA only if the interest due & charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

**F.2. 'OUT OF ORDER' STATUS**

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power for 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

**F.3. OVERDUE**

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the Bank. The Bank identifies Special Mention Accounts (SMA) having principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue even for one day.

**F.4. NON-PERFORMING INVESTMENTS**

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

**A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:**

- I. Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- II. This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- III. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- IV. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, the investments in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI and vice versa.
- V. The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

**Quantitative Disclosures**

**A. Gross Credit Risk Exposure Including Geographic Distribution of Exposure (Amount ₹ in Million)**

SL No	Exposure* Type	Domestic	Overseas	Total
1.	Fund Based	2,189,358	39,523	2,228,881
2.	Non-Fund Based	238,196	35	238,231
3.	Total	<b>2,427,554</b>	<b>39,558</b>	<b>2,467,112</b>

\*Exposure for Fund based includes advance portfolio whereas non-fund based includes exposure due to Bank guarantee and Letter of Credit.

बी. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

बकेट	नकद एवं भारिबैं जमाशेष	बैंक जमाशेष #	अग्रिम	निवेश	स्थिर आस्तियां	अन्य आस्तियां	सकल योग
अगला दिन	8814	3459	6908	134652	0	93	153926
2 - 7 दिन	2736	12415	20908	16145	0	366	52570
8 - 14 दिन	2752	0	21433	13244	0	399	37828
15 - 30 दिन	770	0	49075	3148	0	541	53534
> 1 माह - 2 माह	950	0	36787	26980	0	1197	65914
> 2 माह - 3 माह	1274	0	90997	28000	0	1702	121973
> 3 माह - 6 वर्ष	2778	0	88884	14287	0	3389	109338
> 6 माह - 1 वर्ष	4935	0	129295	27456	0	6327	168013
> 1 वर्ष - 3 वर्ष	28959	23343	344470	161371	0	23985	582128
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	14547	6395	176903	78214	0	22085	298144
> 5 वर्ष	28208	0	456461	290107	35383	29884	840043
<b>कुल</b>	<b>96723</b>	<b>45612</b>	<b>1422121</b>	<b>793604</b>	<b>35383</b>	<b>89968</b>	<b>2483411</b>

#अन्य बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन सहित

सी. अनर्जक आस्तियां(एनपीए) और उनका संचलन

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
<b>ए.</b>	<b>एनपीए की सकल राशि</b>	<b>287,048</b>
ए.1	अवमानक	65,589
ए.2	संदिग्ध 1	43,265
ए.3	संदिग्ध 2	80,322
ए.4	संदिग्ध 3	40,220
ए.5	हानिगत	57,652
<b>बी.</b>	<b>निवल एनपीए</b>	<b>74,193</b>
सी.	एनपीए अनुपात	
सी.1	सकल अग्रिम में सकल एनपीए	17.55%
सी. 2	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	5.22%
<b>डी.</b>	<b>एनपीए का संचलन (सकल)</b>	
डी.1	वर्ष के आरंभ में अथ शेष	2,65,628
डी.2	वर्ष के दौरान वृद्धि	107,263
डी. 3	वर्ष के दौरान कमी	85,843
डी.4	अवधि की समाप्ति पर यथास्थिति इतिशेष	2,87,048

डी. गैर निष्पादक निवेश (एनपीआई) और निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान का संचलन

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
<b>ए.</b>	<b>अनर्जक निवेश की राशि</b>	<b>6,405</b>
<b>बी.</b>	<b>अनर्जक निवेश हेतु किए गए प्रावधानों की राशि</b>	<b>6,078</b>
<b>सी.</b>	<b>निवेश के मूल्यहास हेतु प्रावधानों का संचलन</b>	<b>-</b>
सी.1	वर्ष के आरंभ में अथ शेष	13,221
सी.2	तिमाही के दौरान किया गया प्रावधान	4,374
सी.3	राइट ऑफ	-
सी.4	अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	0.00
<b>सी.5</b>	<b>वर्ष के अंत में इति शेष</b>	<b>17,595</b>

**B. Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets**

Buckets	Cash & RBI Balances	Bank Balances #	Advances	Investments	Fixed Assets	Other Assets	Grand Total
Next day	8814	3459	6908	134652	0	93	153926
2 – 7 days	2736	12415	20908	16145	0	366	52570
8 –14 days	2752	0	21433	13244	0	399	37828
15 – 30 days	770	0	49075	3148	0	541	53534
Over 1 month – 2 months	950	0	36787	26980	0	1197	65914
Over 2 months – 3 months	1274	0	90997	28000	0	1702	121973
Over 3 months – 6 months	2778	0	88884	14287	0	3389	109338
Over 6 months – 1 years	4935	0	129295	27456	0	6327	168013
Over 1 years – 3 years	28959	23343	344470	161371	0	23985	582128
Over 3 years – 5 years	14547	6395	176903	78214	0	22085	298144
Over 5 years	28208	0	456461	290107	35383	29884	840043
<b>Total</b>	<b>96723</b>	<b>45612</b>	<b>1422121</b>	<b>793604</b>	<b>35383</b>	<b>89968</b>	<b>2483411</b>

# Includes Balances with other banks and money at call & short notice.

**C. Non Performing Assets (NPA) and its Movement.****(Amount ₹ in Million)**

S. No.	Particulars	Amount
<b>A.</b>	<b>Amount of Gross NPA</b>	<b>287,048</b>
A. 1	Substandard	65,589
A. 2	Doubtful 1	43,265
A. 3	Doubtful 2	80,322
A. 4	Doubtful 3	40,220
A. 5	Loss	57,652
<b>B</b>	<b>Net NPA</b>	<b>74,193</b>
<b>C</b>	<b>NPA Ratios</b>	
C. 1	Gross NPAs to Gross Advances	17.55%
C. 2	Net NPAs to Net Advances	5.22%
<b>D</b>	<b>Movement of Gross NPA</b>	
D. 1	<b>Opening balance at the beginning of the year</b>	<b>2,65,628</b>
D. 2	Additions during the period	107,263
D. 3	Reductions during the period	85,843
D. 4	<b>Closing balance as at end of the period</b>	<b>2,87,048</b>

**D. Non Performing Investments (NPI) and Movement of Provision for Depreciation on Investments****(Amount ₹ in Million)**

S. No.	Particulars	Amount
<b>A.</b>	<b>Amount of Non-Performing Investments</b>	<b>6,405</b>
<b>B</b>	<b>Amount of Provision held for Non Performing Investments</b>	<b>6,078</b>
<b>C</b>	<b>Movement of provisions for depreciation on investments</b>	<b>-</b>
C. 1	<b>Opening balance at the beginning of the year</b>	<b>13,221</b>
C. 2	Provisions made during the period	4,374
C. 3	Write-off during the period	-
C. 4	Write-back of excess provisions during the period	0.00
C. 5	<b>Closing balance as at end of the period</b>	<b>17,595</b>

## ई. विशिष्ट एवं सामान्य प्रावधान का संचलन

(₹ मिलियन में)

प्रावधान का संचलन	विशिष्ट प्रावधान#	सामान्य प्रावधान @
वर्ष के आरंभ में अथ शेष	1,43,081	7512
तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	117,612	-
वर्ष के दौरान राइट ऑफ	12,911	-
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	21	1374
वर्ष के दौरान प्रावधानों के बीच समायोजन/अंतरण *	35,146	31
<b>वर्ष के अंत में इतिशेष</b>	<b>2,12,615</b>	<b>6,169</b>

# एनपीए हेतु प्रावधान का प्रतिनिधित्व, @ मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान का प्रतिनिधित्व

\* एनपीए की बिक्री हेतु और पीडब्ल्यूओ खाते में अंतरण हेतु प्रावधान

## एफ. आय विवरण में सीधे बुक किए गए राइटऑफ और वसूलियों का विवरण

(₹ मिलियन में)

आय विवरण में सीधे बुक किया गया राइट ऑफ	-
आय विवरण में सीधे बुक की गई वसूलियां (राइट ऑफ में)	7,576

## जी. एनपीए और प्रावधानों का भौगोलिक वितरण

(₹ मिलियन में)

क्रम सं. विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
1. सकल एनपीए	286,983	65	2,87,048
2. एनपीए हेतु प्रावधान	212,550	65	212,615
3. मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान	5967	202	6,169

## एच. पिछले बकाया ऋणों की अवधि

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	31 मार्च, 2019 को यथास्थिति विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
1.1	31-90 दिन	-	-	-
1.2	91-365 दिन	69,161	65	69,226
1.3	1-2 वर्ष	55,643	-	55,643
1.4	2-4 वर्ष	98,486	-	98,486
1.5	4 वर्ष से अधिक	63,693	-	63,693
<b>1.6</b>	<b>कुल</b>	<b>2,86,983</b>	<b>65</b>	<b>2,87,048</b>

**E. Movement of Specific & General Provision**

(Amount ₹ in Million)

<b>Movement of provisions</b>	<b>Specific Provisions<sup>#</sup></b>	<b>General Provisions<sup>@</sup></b>
<b>Opening balance at the beginning of the year</b>	<b>1,43,081</b>	<b>7512</b>
Provisions made during the year	117,612	-
Write-off during the year	12,911	-
Write-back of excess provisions during the year	21	1374
Adjustments/Transfers between provisions during the year*	35,146	31
<b>Closing Balance as at end of the period</b>	<b>2,12,615</b>	<b>6,169</b>

#Represents provisions for NPA, @Represents provisions for Standard Advances

\*Amount utilized towards sale of NPAs and transfer to PWO account.

**F. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement**

(Amount ₹ in Million)

Write offs that have been booked directly to the income statement	-
Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement	7,576

**G. Geographic Distribution of NPA & Provisions**

(Amount ₹ in Million)

<b>SL No</b>	<b>Particulars</b>	<b>Domestic</b>	<b>Overseas</b>	<b>Total</b>
1.	Gross NPA	286,983	65	<b>2,87,048</b>
2.	Provisions for NPA	212,550	65	<b>212,615</b>
3.	Provisions for Standard Advances	5967	202	<b>6,169</b>

**H. Ageing of past due loans**

(Amount ₹ in Million)

<b>SL No</b>	<b>Particulars as on 31<sup>st</sup> March, 2019</b>	<b>Domestic</b>	<b>Overseas</b>	<b>Total</b>
1.1	31-90 days	-	-	-
1.2	91-365 days	69,161	65	<b>69,226</b>
1.3	1-2 years	55,643	-	<b>55,643</b>
1.4	2-4 years	98,486	-	<b>98,486</b>
1.5	Over 4 years	63,693	-	<b>63,693</b>
1.6	<b>Total</b>	<b>2,86,983</b>	<b>65</b>	<b>2,87,048</b>

## आई. एक्सपोजर का उद्योगवार संवितरण

(₹ मिलियन में)

उद्योग	31 मार्च 2019 को यथास्थिति			31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही हेतु			
	एक्सपोजर		सकल एनपीए	प्रावधान		राइट-आफ	एनपीए हेतु प्रावधान
	निधिक*	गैर निधिक		एनपीए	मानक अग्रिम		
सावधी जमा के सापेक्ष अग्रिम	59262	0	52	25	14	0	24
शेयर, बॉण्ड आदि के सापेक्ष व्यक्तिगत अग्रिम	15	0	3	1	0	0	0
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	291794	0	32654	14762	577	1129	7688
टेलिकम	0	1131	0	0	0	0	0
पॉवर	116697	21690	18373	15697	393	0	3087
लौह एवं इस्पात	84148	8952	39272	27730	180	3338	4250
कपड़ा	42956	3468	14041	11764	93	298	965
विनिर्माण	36166	75871	19904	17273	70	0	5774
आधारभूत संरचना रोड एवं बंदरगाह	78447	2940	12332	7969	246	0	4522
अन्य आधारभूत संरचना	99732	17870	5056	4526	470	0	1461
खाद	3764	104	4	1	2	0	1
औषधि	14090	764	9112	9082	52	0	1188
इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	11807	336	11687	9375	0	0	527
रत्न एवं जवाहरात	10732	2742	6530	6110	9	0	160
विमानन एवं शीपिंग	8281	0	0	0	45	0	0
वाणिज्यिक स्थावर संपदा	21756	0	4953	3511	190	0	1186
सीमेंट	14079	0	1307	1138	42	2	584
एनबीएफसी(एचएफसी को छोड़कर)	134867	0	1908	729	532	0	161
खुदरा व्यापार	95131	0	7348	4101	221	89	2526
थोक व्यापार	84618	76	15710	14790	276	806	536
चाय	337	38	1	0	2	0	0
आवास प्रत्यक्ष	159066	0	5040	1573	471	213	947
आवास अप्रत्यक्ष	72282	0	0	0	289	0	0
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	1495	40	99	60	2	1	17
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	4177	1195	716	614	14	2	570
पेपर एवं पेपर उत्पाद	9503	1415	3202	2932	55	5	986
पेट्रोरसायन, अन्य रसायन एवं उनके उत्पाद	17835	4322	137	64	71	11	34
पेट्रोलियम, कोयला एवं नाभिकीय इंधन	25014	4369	0	0	100	0	0
रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	6433	11	1013	782	14	2	92
कांच एवं कांच के सामान	1331	288	9	3	2	0	2
अन्य धातु एवं उत्पाद	12386	7930	3129	1920	33	16	609
पेय एवं तंबाकू	3474	193	457	372	9	0	220
खाद्य तेल एवं वनस्पति	2835	18755	411	365	7	1863	24
खाद्य प्रसंस्करण (अन्य)	20511	873	4470	3631	64	25	1145
खनन एवं उत्खनन	25647	93	11067	10326	58	609	39
वाहन और वाहन के पूर्ण	7735	1617	5616	5565	6	1122	1523
अन्य उद्योग/सेक्टर जो ऊपर शामिल नहीं हैं	650478	61148	51435	35824	1560	2067	11721
<b>कुल</b>	<b>2,228,881</b>	<b>238,231</b>	<b>287,048</b>	<b>212,615</b>	<b>6,169</b>	<b>11,598</b>	<b>52,569</b>

\* निधिक एक्सपोजर में ऋण एक्सपोजर एवं निवेश एक्सपोजर शामिल है।

# गैर-निधिक एक्सपोजर में बैंक गारंटी, साख पत्र और वायदा संविदा शामिल हैं।



**I. Industry Type Distribution of Exposures**
**(Amount ₹ in Million)**

Industry	As on 31.03.2019					For quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2019	
	Exposure		Gross	Provision for		Write -offs	Provisions for NPA
	Funded*	Non-Funded*	NPA	NPA	Standard Advances		
Advances against Fixed Deposits	59262	0	52	25	14	0	24
Advances to Individuals against Shares, Bonds, etc.	15	0	3	1	0	0	0
Agriculture & Allied activities	291794	0	32654	14762	577	1129	7688
Telecom	0	1131	0	0	0	0	0
Power	116697	21690	18373	15697	393	0	3087
Iron & Steel	84148	8952	39272	27730	180	3338	4250
Textiles	42956	3468	14041	11764	93	298	965
Construction	36166	75871	19904	17273	70	0	5774
Infrastructure Road & Port	78447	2940	12332	7969	246	0	4522
Infrastructure Other	99732	17870	5056	4526	470	0	1461
Fertilizer	3764	104	4	1	2	0	1
Pharmaceutical	14090	764	9112	9082	52	0	1188
Engineering & Electronics	11807	336	11687	9375	0	0	527
Gems & Jewellery	10732	2742	6530	6110	9	0	160
Aviation & Shipping	8281	0	0	0	45	0	0
Commercial Real State	21756	0	4953	3511	190	0	1186
Cement	14079	0	1307	1138	42	2	584
NBFC (excluding HFC)	134867	0	1908	729	532	0	161
Retail Trade	95131	0	7348	4101	221	89	2526
Wholesale Trade	84618	76	15710	14790	276	806	536
Tea	337	38	1	0	2	0	0
Housing Direct	159066	0	5040	1573	471	213	947
Housing Indirect	72282	0	0	0	289	0	0
Leather & Leather Products	1495	40	99	60	2	1	17
Wood & Wood Products	4177	1195	716	614	14	2	570
Paper & Paper Products	9503	1415	3202	2932	55	5	986
Petrochemical, Other Chemical & their Products	17835	4322	137	64	71	11	34
Petroleum,Coal & Nuclear Fuel	25014	4369	0	0	100	0	0
Rubber, Plastics and their product	6433	11	1013	782	14	2	92
Glass & Glassware	1331	288	9	3	2	0	2
Other Metal & Products	12386	7930	3129	1920	33	16	609
Beverage & Toboacco	3474	193	457	372	9	0	220
Edible Oil & Vanaspati	2835	18755	411	365	7	1863	24
Food Processing (other)	20511	873	4470	3631	64	25	1145
Mining & Quarrying	25647	93	11067	10326	58	609	39
Veheil and Vehicle Component	7735	1617	5616	5565	6	1122	1523
Other Industry/ sectors not included above	650478	61148	51435	35824	1560	2067	11721
<b>Total</b>	<b>2,228,881</b>	<b>238,231</b>	<b>287,048</b>	<b>212,615</b>	<b>6,169</b>	<b>11,598</b>	<b>52,569</b>

\*Funded Exposure include Credit exposure and investment exposure

#Non-Funded Exposure includes Bank Guarantee, LC and Forward Contract

31 मार्च, 2019 को यथास्थिति उद्योग में बैंक के कुल निधिक और गैर-निधिक के 5% से अधिक एक्सपोजर

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	उद्योग	सकल ऋण का %
1.	आधारभूत अवसंरचना	13.67%
1.1	जिसमें से: विद्युत	5.61%
2.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	8.39%

**सारणी डीएफ-4**

**ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण**

बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो की जोखिम भारित आस्तियों की गणना हेतु भारिबैं के बासेल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे घरेलू प्रतिपक्षकारों के संबंध में जोखिम भार दावों हेतु बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरए) अर्थात् ब्रिकवर्क्स, केयर, क्रिसिल, इकरा, इंडिया रेटिंग्स, एसएमईआरए तथा विदेशी प्रतिपक्षकारों हेतु स्टैंडर्ड एंड पूअर्स, मूडीज एवं फिच द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग करें।

बैंक भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार इश्यूअर रेटिंग तथा अल्पावधि और दीर्घावधि लिखत/बैंक सुविधाओं की रेटिंग का प्रयोग कर रहा है जिसे मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों अर्थात् ईसीआरए द्वारा समनुदेशित किया जाता है, जो जोखिम -भार के समनुदेशन हेतु पब्लिक डोमेन में प्रकाशित किए जाते हैं। अनिवासी कारपोरेट और विदेशी बैंकों के दावों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् स्टैंडर्ड एंड पूअर्स, मूडीज एवं फिच द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग किया जाता है।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

तीन प्रमुख जोखिम बकट में बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर (रेटेड और अनरेटेड) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	जोखिम भार	निधिक	गैर निधिक
1	100% से कम जोखिम भार	1,466,949	126,771
2	100% जोखिम भार	205,488	64,682
3	100% से अधिक जोखिम भार	556,444	46,778
4	पूंजीगत निधियों से कटौती	-	-
	कुल एक्सपोजर	2,228,881	238,231

**सारणी डीएफ-5**

**ऋण जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण**

बैंक बोर्ड अनुमोदित ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन के आधार पर विभिन्न संपार्श्विक वित्तीय और गैर-वित्तीय, गारंटियों और ऋण बीमा का ऋण जोखिम शमन हेतु प्रयोग करता है जिसमें जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन के विस्तृत दिशानिर्देश शामिल हैं। नीति बैंक द्वारा स्वीकार्य जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन के स्वरूप, संपार्श्विक हेतु प्रलेखन एवं अभिरक्षण करार, और मूल्यांकन दृष्टिकोण एवं आवधिकता जैसे पहलुओं को शामिल करती है।

ऋण जोखिम हेतु पूंजी अपेक्षा की गणना के प्रयोजन हेतु बैंक केवल उन संपार्श्विकों को मान्यता देता है जो मानकीकृत दृष्टिकोण संबंधी भारिबैं बासेल III में जोखिम शमन हेतु पात्र है जो निम्नलिखित हैं।

- बैंक में नकद जमा
- सर्राफा और जवाहरात सहित स्वर्ण
- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
- किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

**Exposures to industries in excess of 5% of total Funded & Non Funded of the Bank as on Mar 31, 2019**

(Amount ₹ in Million)

S. No.	Industry	% of Funded & Non Funded Exposure
1.	Infrastructure	13.67%
1.1	Out of which: Power	5.61%
2.	Non-Banking Finance Companies	8.39%

**TABLE DF – 4**

**CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH**

The Bank has used the Standardized Approach under the RBI's Basel III capital regulations for calculation of risk-weighted assets of its credit portfolio. The RBI guidelines require banks to use ratings assigned by specified External Credit Rating Agencies (ECRA) namely Brickworks, CARE, CRISIL, ICRA, India Ratings, SMERA and Infomeric for domestic counterparties and Standard & Poor's, Moody's and Fitch for foreign counterparties.

The Bank is using issuer ratings and short-term and long-term instrument/bank facilities' ratings which are assigned by the accredited rating agencies, i.e. ECRA, published in the public domain to assign risk-weights in terms of RBI guidelines. In respect of claims on non-resident corporates and foreign banks, ratings assigned by international rating agencies i.e. Standard & Poor's, Moody's and Fitch is used.

**QUANTITATIVE DISCLOSURES**

The Bank's exposure on its advance portfolio (rated and unrated) bifurcated in three major risk buckets are as follows:

(Amount ₹ in Million)

Sl. No.	Risk Weight	Fund Based	Non Funded Based
1	Below 100% risk weight	1,466,949	126,771
2	100% risk weight	205,488	64,682
3	More than 100% risk weight	556,444	46,778
4	Deduction from capital funds	-	-
5	Total Exposure	2,228,881	238,231

**TABLE DF – 5**

**CREDIT RISK: MITIGATION : DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACHES**

The Bank uses various collaterals both financial as well as non-financial, guarantees and credit insurance as credit risk mitigants based on its board approved Credit Risk Mitigation and Collateral Management policy which include detailed guidelines for risk mitigation and collateral management. The policy covers aspects such as the nature of risk mitigants/ collaterals acceptable to the Bank, the documentation and custodial arrangement of the collateral, the valuation approach and periodicity etc.

For the purpose of computation of capital requirement for Credit Risk, the Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in the RBI Basel III guidelines on standardized approach, which are as follows:

- Cash deposit with the Bank
- Gold, including bullion and jewelry
- Securities issued by Central and State Governments
- Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

- घोषित अभ्यर्पण मूल्य सहित जीवन बीमा नीतियाँ
- ऋण प्रतिभूतियाँ कम-से-कम बीबीबी(-)/पीआर3/पी3/एफ3/ए3 रेटेड
- म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ

बैंक पूंजी निर्धारण हेतु व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। व्यापक दृष्टिकोण में जब संपार्श्विक लिया जाता है तो बैंक संपार्श्विक के प्रभाव को निवल कर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन हेतु प्रतिपक्ष के समायोजित एक्सपोजर की गणना करता है। बाजार संचलन के कारण प्रतिभूति के मूल्य में संभावित भावी उतारचढ़ाव को ध्यान में रखते हुए बैंक भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित हेयरकट द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य को समायोजित करता है।

पूंजी गणना के प्रयोजन हेतु बैंक ऋण संरक्षण को मान्यता देता है अर्थात् निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दी गई गारंटियों को भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार मात्र माना गया है:

- संप्रभुता अर्थात् केन्द्र और राज्य सरकारें
- संप्रभु संस्थाएं जैसे निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी), क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल एन्टरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई), और राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लि., सीजीएफईएल सीआरजीएलआईएच के अंतर्गत अन्य गारंटियां

ऋण जोखिम शमन मुख्यतः बैंक के पास रखी नकद जमाराशि से किया जाता है और इस प्रकार जोखिम (ऋण एवं बाजार) शमन संकेन्द्रण निम्न रहता है।

#### परिमाणात्मक प्रकटीकरण

##### ऋण शमन द्वारा सुरक्षित निवेश

विवरण	(₹ मिलियन में)
पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित कुल एक्सपोजर	132,530
गारंटियों द्वारा सुरक्षित कुल एक्सपोजर	97,863

##### सारणी डीएफ-6

##### प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक/समूह का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

- Life insurance policies with a declared surrender value
- Debt securities rated at least BBB (-)/PR3/P3/F3/A3
- Units of Mutual Funds

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. The Bank adjusts the value of any collateral by a haircut, as prescribed by RBI, to take into account possible future fluctuations in the value of the security occasioned by market movements.

For purposes of capital calculation, the Bank recognizes the credit protection i.e. guarantees, given by the following entities, considered eligible as per RBI guidelines:

- Sovereigns i.e. Central and State Governments
- Sovereign entities which include Export Credit Guarantee Corporation (ECGC), Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) and other guarantees covered under National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC).

The credit risk mitigation taken is largely in the form of cash deposit with the Bank and thus the risk (credit and market) concentration of the mitigants is low.

#### Quantitative Disclosures

##### Exposure covered by Credit Mitigation

Particulars	( ₹ in Million)
Total exposure covered by eligible financial collateral	132,530
Total exposure covered by guarantees	97,863

#### TABLE DF – 6

#### SECURITIZATION: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH QUALITATIVE DISCLOSURES:

The Bank/Group does not have any securitization exposure.

**सारणी डीएफ-7****व्यापार बही में बाजार जोखिम**

- बाजार जोखिम को ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्य और पण्य वस्तुओं के मूल्य जैसे बाजार के उतार-चढ़ाव वाले परिवर्तनों/संचलनों से उत्पन्न स्थिति के कारण बैंक को होने वाले हानि की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का एक्सपोजर व्यवसाय बहियों (एएफएस और एचएफटी श्रेणी) में घरेलू निवेशों (ब्याज संबंधी लिखतों एवं इक्विटियों), विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य आगम एवं इक्विटी पर हानि के प्रभाव को कम करना।
- बैंक में कारगर बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु निवेश, विदेशी मुद्रा परिचालन, फारेक्स मार्केट में ट्रेडिंग डिराइवेटिव, आस्ति देयता प्रबंधन एवं तनाव परीक्षण संबंधी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं। नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि स्थिर आय वाली प्रतिभूतियों, इक्विटियों, विदेशी मुद्रा और डिराइवेटिव में परिचालन सुदृढ़ व्यवसाय परिपाटियों और मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जाता है।
- बैंक ने बाजार जोखिम के मापन, मॉनिटरिंग और प्रबंधन हेतु विभिन्न सीमाएं तय की हैं, जैसे - मॉडिफाइड ड्यूरेशन लिमिट, डे लाइट लिमिट, ओवरनाइट लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, वीएआर लिमिट, डील साइज लिमिट, काउंटर पार्टी लिमिट, इंस्ट्रूमेंट-वाइज लिमिट, डीलर-वाइज लिमिट, स्टाप लास लिमिट आदि। इन सीमाओं की दैनिक आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है तथा निर्धारित समयसीमा के अनुसार शीर्ष प्रबंधन को इसकी रिपोर्टिंग की जाती है।

**बाजार जोखिम पूंजी अपेक्षा**

- बैंक ने बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना हेतु भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण: बाजार जोखिम हेतु कुल पूंजी अपेक्षा****(₹ मिलियन में)**

विवरण	कुल
ब्याज दर जोखिम	10,419
इक्विटी स्थिति जोखिम	4,195
विदेशी विनिमय जोखिम	88
<b>कुल पूंजी अपेक्षा</b>	<b>14,702</b>

**TABLE DF – 7****MARKET RISK IN TRADING BOOK****7. MARKET RISK IN TRADING BOOK**

- Market Risk is defined as the possibility of loss caused by changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to Market risk arises from investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.
- The Bank has put in place Board approved Policies on Investments, Foreign Exchange Operations, Trading in Forex Market, Derivatives, and Stress Testing for effective management of market risk. The policies ensure that operations in fixed income securities, equities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound business practices and as per extant regulatory guidelines.
- The Bank has put in place various limits to measure, monitor and manage market risk, viz., Modified duration Limits, Day Light Limits, Overnight Limits, Aggregate Gap Limits, VaR Limit, Deal Size Limits, Counterparty Limits, Instrument-wise Limits, Stop Loss Limits etc. The limits are monitored on daily basis and reported to the top management as per stipulated timelines.

**MARKET RISK CAPITAL REQUIREMENT**

- The Bank has adopted Standardized Duration Approach as prescribed by RBI for computation of capital charge for Market Risk.

**Quantitative Disclosures: Total Capital Requirement for Market Risk****(Amount ₹ in Million)**

<b>Particulars</b>	<b>Amount</b>
Interest rate risk	10,419
Equity position risk	4,195
Foreign exchange risk	88
<b>Total Capital required</b>	<b>14,702</b>

**सारणी डीएफ-8**

**परिचालन जोखिम**

**परिचालन जोखिम**

- परिचालन जोखिम से तात्पर्य, अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों या प्रविधियों या बाहरी घटनाओं के कारण होने वाली हानि के जोखिम से है। परिचालनगत जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक या प्रतिष्ठागत जोखिम शामिल नहीं है।
- बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित रूप में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति निरूपित की है। परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन से जुड़ी हुई बोर्ड द्वारा अंगीकृत अन्य समर्थक नीतियाँ हैं : (ए) अनुपालन जोखिम प्रबंधन नीति (बी) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति (सी) अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) और एन्टी मनी लॉन्डरिंग (एएमएल) से संबंधित नीतिगत दस्तावेज (डी) व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा निवारण योजना (ई) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति आदि।
- बैंक द्वारा अंगीकृत परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक संरचना एवं परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन हेतु ब्योरेवार प्रक्रियाओं को सुस्पष्ट किया गया है। इस नीति का मूल उद्देश्य परिचालनगत जोखिमों को प्रभावी रूप से नियंत्रित, समाप्त, अभिज्ञात, मूल्यांकित एवं चिह्नित करने और भौतिक परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम की समय पर रिपोर्टिंग हेतु दायित्वों के सुस्पष्ट समनुदेशन के द्वारा बैंक के दिन-प्रतिदिन की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालनगत जोखिम प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक ने परिचालनगत जोखिमों को व्यापक एवं सुसम्बद्ध, आंतरिक नियंत्रक फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया है।

**पूँजी अपेक्षा**

- बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूँजी के आकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम हेतु पूँजी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथापरिभाषित विगत 3 वर्षों के घनात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के बराबर है।
- तदनुसार यथास्थिति 31.03.2019 को परिचालनगत जोखिम हेतु पूँजी अपेक्षा ₹15690 मिलियन है।

**सारणी डीएफ - 9**

**बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी):**

**बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी):**

- ब्याज दर जोखिम, जोखिम की ऐसी स्थिति है जिसमें बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। ब्याज दरों में परिवर्तनों का तत्काल प्रभाव बैंक के अर्जन अर्थात् निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर पड़ता है। ब्याज दरों में परिवर्तन का दीर्घावधि प्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) अथवा निवल संपत्ति पर पड़ता है क्योंकि बैंक की आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र बाह्य स्थितियों का आर्थिक मूल्य बाजार ब्याज दर में अंतर आने से प्रभावित होता है।
- आय पर प्रभाव (लाभार्जन दृष्टिकोण) को परम्परागत अंतराल विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से मापा जाता है जो दर संवेदी देयताओं और दर संवेदी आस्तियों (तुलनपत्र बाह्य स्थिति सहित) के बीच बेमेलता को विभिन्न समय अंतराल पर किसी दी गई तारीख को मापता है। एनआईआई पर ब्याज दर जोखिम को बैंक की एएलएम पालिसी में यथानिर्धारित एक विभिन्न समय सीमा के संबंध में 100,200,300 बीपीएस की आनुमानिक दर लगाते हुए निर्धारित किया जाता है।
- बैंक ने आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में अपने तुलन पत्र में बाजार दर जोखिम के मापन हेतु डूरेशन गैप ऐनालिसिस को अपनाया है। बैंक भारिबैं/ बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य परिपक्वता, कूपन और आगम पैरामीटरों का उपयोग करते हुए दर संवेदी देयताओं और आस्तियों का बकेट वार संशोधित अवधि की गणना करता है। संशोधित अवधि अंतराल की गणना कुल दर संवेदी आस्तियों और देयताओं की भारित औसत संशोधित अवधि से किया जाता है निवल संपत्ति पर ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण 100,200 और 300 बीपीएस की आनुमानिक ब्याज दर शॉक को लगाते हुए किया जाता है।
- ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण और रिपोर्टिंग बैंक द्वारा मासिक आधार पर की जाती है।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

(₹ मिलियन में)

क्रम सं		
1.	ब्याज दर में परिवर्तन 1.00%	जोखिम पर अर्जन (एनआईआई) 1161
2.	ब्याज दर में परिवर्तन 1.00%	जोखिम पर इक्विटी का आर्थिक मूल्य (नेटवर्थ) 7776



TABLE DF – 8

## OPERATIONAL RISK

**Operational Risk**

- Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.
- The Bank has framed Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Compliance Risk Management Policy (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy Document on Know Your Customers (KYC) and Anti Money Laundering (AML) Procedures (d) Business Continuity and Disaster Recovery Policy (e) Fraud Risk Management Policy etc.
- The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control frameworks.

**CAPITAL REQUIREMENT**

- The Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk. As per the guidelines, the capital for operational risk is equal to 15% of average positive annual Gross Income of previous three years as defined by RBI.
- Accordingly the Capital requirement for Operational Risk as on 31.03.2019 is ₹15690 million.

TABLE DF – 9

## INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

- Interest Rate Risk is the risk where changes in market interest rates might adversely affect a Bank's financial condition. The immediate impact of changes in interest rates is on Bank's earnings i.e. Net Interest Income (NII). A long -term impact of changing interest rates is on Bank's Market Value of Equity (MVE) or Net Worth as the economic value of Bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates.
- The impact on income (Earnings perspective) is measured through use of Traditional Gap analysis, which measures mismatch between rate sensitive liabilities and rate sensitive assets (including off-balance sheet positions) over different time intervals, as at a given date. The impact of interest rate risk on NII is assessed by applying notional rate shock of 100,200 & 300 bps on gaps in various time bucket up to a period of one year as prescribed in Bank's ALM Policy.
- The Bank has adopted Duration Gap Analysis (DGA) to measure interest rate risk in its balance sheet from the economic value perspective. The Bank computes bucket-wise Modified Duration of Rate Sensitive Liabilities and Assets using the suggested common maturity, coupon and yield parameters, prescribed by RBI/BOARD. The Modified Duration Gap is computed from weighted average modified duration of total rate sensitive assets and rate sensitive liabilities. The impact of change in interest rate on net worth is analyzed by applying a notional interest rate shock of 100, 200 & 300 bps.
- The analysis & reporting of Interest rate risk is done by the Bank on a monthly basis.

**Quantitative Disclosures**

(₹ in Million)

S.No.		
1.	<b>Change in Interest Rate</b> 1.00%	<b>Earnings at Risk (NII)</b> 1161
2.	<b>Change in Interest Rate</b> 1.00%	<b>Economic Value of Equity at Risk (Net Worth)</b> 7776

**प्रतिपक्ष ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर हेतु सामान्य प्रकटीकरण.**

- प्रतिपक्ष ऋण जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय संविदा में शामिल प्रतिपक्ष संविदा की समाप्ति से पूर्व चूक करता है एवं संविदा के अनुसार सारा भुगतान नहीं करता है।
- ओवर-दी-काउंटर (ओटीसी) डिराइवेटिव एवं प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी) से उत्पन्न केन्द्रीय प्रतिपक्ष को एक्सपोजर केन्द्रीय प्रतिपक्ष पर प्रयोज्य पूंजी प्रभार को आकर्षित करता है।
- केन्द्रीय प्रतिपक्षियों द्वारा गारंटीकृत व्यापार हेतु प्रयोज्य जोखिम भार, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सेबी द्वारा क्वालीफाइंग केन्द्रीय प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है, ओटीएस डील की तुलना में कम होता है।
- भारत में वर्तमान में चार क्यूसीसीपी है अर्थात् क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआईएल), नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कारपोरेशन लि.(एनएससीसीएल), इंडियन क्लियरिंग कारपोरेशन लि.(आईसीसीएल) और एमसीएक्स-एसएक्स क्लियरिंग कारपोरेशन लि.(एमसीएक्स - एसएक्ससीसीएल)। ये क्यूसीसीपी सीपीएसएस-आईओएससीओ के वित्तीय बाजार अवसंरचना सिद्धांतों के अनुरूप सतत आधार पर नियमों और विनियमों के अधीन हैं।
- बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता। डेरिवेटिव एक्सपोजर की गणना चालू एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करके की जाती है।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	
1.	संविदाओं का सकल धनात्मक मूल्य	22,818
2.	लाभों की निवल राशि	-
3.	निवल चालू ऋण एक्सपोजर	22,818
4.	धारित संपार्श्विक	-
5.	निवल डिराइवेटिव: ऋण एक्सपोजर	22,818

मद	नोशनल राशि	चालू ऋण एक्सपोजर (धनात्मक एमटीएम)	कुल ऋण एक्सपोजर (सीईएम के अनुसार)
वायदा संविदाएं	1,298,628	22,818	48,877

**GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK**

- Counterparty Credit risk is the risk that the counterparty to a financial contract will default prior to the expiration of the contract and will not make all the payments required under the contract.
- Exposure to Central counterparties arising from over-the-counter derivative trades, exchange traded derivatives transactions and security financing transactions (SFTs), attracts capital charges applicable to Central Counterparty.
- Applicable risk weights for trades, guaranteed by central counterparties, which are recognized as qualifying central counterparty (QCCP) by Reserve Bank of India or SEBI, are comparatively lower than OTC deals.
- In India, presently there are four QCCPs viz. Clearing Corporation of India (CCIL), National Securities Clearing Corporation Ltd (NSCCL), Indian Clearing Corporation Ltd (ICCL) and MCX-SX Clearing Corporation Ltd (MCX-SXCCL). These QCCPs are subjected, on an ongoing basis, to rules and regulations that are consistent with CPSS-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures.
- The Bank does not recognize bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM).

**Quantitative Disclosures****(Amount in ₹ Millions)**

S. No.	Particulars	Amount
1.	Gross positive value of contracts	22,818
2.	Netting Benefits	-
3.	Netted current credit exposure	22,818
4.	Collateral held	-
5.	<b>Net Derivative: Credit Exposure</b>	<b>22,818</b>

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure (Positive MTM)	Total Credit Exposure (as per CEM)
Forward Contracts	1,298,628	22,818	48,877

सारणी डीएफ - 11

पूंजी का गठन

(₹ मिलियन में)

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
<b>सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षितियां</b>			
1 प्रत्यक्ष रूप से जारी सामान्य शेयर पूंजी + संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	112,850		ए 1+ ए 2
2 प्रतिधारित उपाार्जन	(135,740)		ए3
3 संचित अन्य समग्र आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	166.439		बी1+ बी2 + बी3 + बी4+ बी5 + बी6 + बी7
4 प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी, सीईटी1 से फेज आउट के अध्यधीन (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)	-		
<b>1 जनवरी, 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र हेतु प्राप्त होने वाली पूंजी</b>	-		
5 अनुबंधितों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (राशि समूह सीईटी1 में अनुमत)	-		-
<b>6 विनियामक समायोजन पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी</b>	<b>143,549</b>		
<b>सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन</b>			
7 विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-		-
8 गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
9 बंधक-सर्विसिंग अधिकार को छोड़कर अन्य अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	502	-	सी1
10 आस्थगित कर आस्तियां	11,290		सी2 का भाग
11 नकदी-प्रवाह हैज आरक्षिति	-		
12 प्रत्याशित हानि के संबंध में प्रावधानों की कमी	-		
13 विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	-		
14 उचित मूल्य वाली देयताओं पर निजि ऋण जोखिम में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि	-		
15 परिभाषित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	-		
16 अपने शेयरों में निवेश (अगर प्रतिवेदित तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी पहले ही समंजित नहीं की गई हो)	-		
17 सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग	1,036	-	सी3
18 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
19 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में प्रमुख निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
20 बंधक सर्विसिंग अधिकार (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
21 अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि संबंधित कर देयता का निवल)	4,161		

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
22 न्यूनतम 15% से अधिक की राशि	-		
23 जिसमें से: सामान्य वित्त स्टॉक में प्रमुख निवेश	-		
24 जिसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार	-		
25 जिसमें से: अस्थायी अंतरो से उत्पन्न आस्थायित कर आस्तियां	-		
26 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	1,050		
26ए जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	1,050		सी5 का भाग
26बी जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश			
26सी जिसमें से: बहुलांश स्वाधिकृत ऐसी वित्तीय संस्थाओं में शेयर पूंजी की कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं है।			
26डी जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय			
बासेल-III पूर्व प्रतिपादन के अधीन की राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 किए गए विनियामक समायोजन जिसमें से: समेकित वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी निवेश	-		
27 कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 में किए गए विनियामक समायोजन	-		
28 सामान्य टियर 1 पर किए गए कुल विनियामक समायोजन	18,039		
29 सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	125,510		
<b>अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखतें</b>			
30 प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+ 32)	-		
31 जिसमें से : प्रयोज्य लेखा मानकों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी असंचयी अधिमानित शेयर)	-		
32 जिसमें से : प्रयोज्य लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (वर्गीकृत ऋण लिखतें)	-		ई5
33 प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखतें बशर्ते अतिरिक्त टियर 1 से लिया गया हो	450		ई1
34 अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों (ग्रुप एटी1 में अनुमत राशि) द्वारा रखी गई अतिरिक्त टियर-1 की लिखतें (और पंक्ति 5 में शामिल न की गई सीईटी1 की लिखतें)	-		
35 जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें बशर्ते उनका समय समाप्त हो गया हो	-		
36 विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टियर-1 पूंजी	450		
<b>अतिरिक्त टियर-1 पूंजी: विनियामक समायोजन</b>			
37 अपने अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	-		
38 अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में आपसी प्रतिधारिता	-	-	

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
39 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विमियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
40 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विमियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में प्रमुख निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति )	-		
41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी)	-		
41ए असमेकित बीमा अनुबंधियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	-		
41बी बहुलांश स्वाधिकृत ऐसी वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं है।	-		
<b>बासेल-III पूर्व प्रतिपादन के अधीन की राशियों के संबंध में</b>	-		
<b>अतिरिक्त टियर 1 किए गए विनियामक समायोजन</b>	-		
42 कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में किए गए विनियामक समायोजन	-		
43 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किए गए कुल विनियामक समायोजन	-		
44 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	450		
45 टियर 1 पूंजी (टी 1= सीईटी1 + एटी1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44 ए)	125,960		
<b>टियर 2 पूंजी : लिखतें और प्रावधान</b>			
46 प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	25,000		ई4
47 प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखतें बशर्ते अतिरिक्त टियर 2 से लिया गया हो	5,000		ई2+ ई3
48 अनुबंधियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों (ग्रुप टियर 2 में अनुमत राशि) द्वारा धारित टियर 2 की लिखतें (और सीईटी 1 एवं पंक्ति 5 या 34 में शामिल न की गई की लिखतें )	-		
49 जिसमें से: अनुबंधियों द्वारा जारी लिखतें बशर्ते उनका समय समाप्त हो गया हो	-		
50 प्रावधान	6,716		डी1+ डी2 + डी3 का भाग
51 विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टियर 2 पूंजी	36,716		
<b>टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन</b>			
52 स्वयं की अतिरिक्त टियर 2 लिखतों में निवेश	-		
53 अतिरिक्त टियर 2 लिखतों में आपसी प्रतिधारिता	50		सी4
54 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विमियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
55 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में प्रमुख निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति )	-		
56 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए + 56बी)	-		

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
56ए जिसमें से :असमेकित बीमा अनुषंगियों के अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश	-		
56बी बहुलांश स्वाधिककृत ऐसी वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टीयर 1 में की कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं है। बासेल III पूर्व प्रतिपादन के अधीन की राशियों के संबंध में टियर 2 पर किए गए विनियामक समायोजन	-		
57 टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	50		
58 टियर 2 पूंजी (टी2)	36,666		
58ए विनियामक पूंजी प्रयोजन हेतु अनुज्ञेय कुल टीयर पूंजी	36,666		
59 कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी 2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58सी) पूर्व-बासेल III के प्रतिपादन के अध्यधीन राशियों के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां	162,626		
60 जोखिम भारित कुल आस्तियां (पंक्ति 60ए + पंक्ति 60बी +पंक्ति 60सी)	1,291,619		
60ए जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	1,012,154		
60बी जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	135,189		
60सी जिसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	144,276		
<b>पूंजी अनुपात</b>			
61 सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में )	9.72%		
62 टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.75%		
63 कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.59%		
64 संस्था विशेष की बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता और पूंजी कनसर्वेशन तथा प्रति चक्रीय बफर आवश्यकताएं जो जोखिम भारित आस्तियों के रूप में व्यक्त की गईं )	7.375%		
65 जिसमें से : पूंजी कनसर्वेशन बफर आवश्यकता	1.875%		
66 जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	-		
67 जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	-		
68 बफर पूरा करने हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.72%		
<b>राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासेल III से भिन्न हो)</b>			
69 राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III से भिन्न हो)	5.50%		
70 राष्ट्रीय इक्विटी टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III से भिन्न हो )	7.00%		
71 राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) कटौती के लिए सीमा से कम राशियां (जोखिम भार से पूर्व)	9.00%		
72 अन्य वित्तीय की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	788		
73 वित्तीय के सामान्य स्टॉक में विशिष्ट निवेश	-		
74 बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
75 अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	17,674		
<b>टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर प्रयोज्य उच्चतम सीमा</b>			
76 एक्सपोजर के संबंध में टियर-2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान बशर्ते यह मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन हो (उच्चतम सीमा लागू करने से पूर्व)	6,716		
77 मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर-2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	12,652		
78 एक्सपोजर के संबंध में टियर-2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान बशर्ते यह आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण पर हो (उच्चतम सीमा लागू करने से पूर्व)	NA		

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
79 आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर-2 में शामिल करने हेतु प्रावधान की उच्चतम सीमा। <b>फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2021 के बीच प्रयोज्य)</b>	NA		
80 फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन सीईटी 1 लिखत पर चालू उच्चतम सीमा	NA		
81 उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	NA		
82 फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन एटी1 लिखत पर चालू उच्चतम सीमा	NA		
83 उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	NA		
84 फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन टी 2 लिखत पर चालू उच्चतम सीमा	NA		
85 उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल नहीं की गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	NA		

टेम्पलेट संबंधी नोट

टेम्पलेट की पंक्ति सं.	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानि से सहबद्ध आस्थगित कर आस्तियां आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानि से सहबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	11,290 17,674
	पंक्ति 10 में यथा इंगित कुल	28,964
19	बीमा अनुषंगियों में निवेश को यदि पूंजी में से पूरी तरह घटाया नहीं गया और इसकी बजाए घटाव हेतु 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत माना गया हो, बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि	1,050
	जिसमें से : सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी में वृद्धि	1,050
	जिसमें से : अतिरिक्त टियर-1 पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से : टियर-2 पूंजी में वृद्धि	-
26बी	असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश को यदि घटाया नहीं गया हो और इसलिए, जोखिम भारित, तब:	-
	(i) कॉमन इक्विटी टीयर-1 पूंजी में वृद्धि	-
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	-
44ए	अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी को पूंजी पर्याप्तता हेतु परिगणित नहीं किया गया (पंक्ति 44 में यथा सूचित अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी तथा पंक्ति 44ए में यथा सूचित अनुमत अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी के बीच का अंतर)	-
	जिसमें से : अधिक अतिरिक्त टियर-1 पूंजी जो पंक्ति 58बी के अन्तर्गत टीयर-2 पूंजी मानी गई	-
50	टियर-2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	6,716
	टियर-2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि	-
	<b>पंक्ति 50 का कुल</b>	<b>6,716</b>
58 ए	पूंजी पर्याप्तता हेतु अपरिचालित अत्यधिक टियर-2 पूंजी (पंक्ति 58 में यथा सूचित टियर-2 पूंजी तथा पंक्ति 58ए में यथा सूचित टियर-2 पूंजी के बीच का अंतर)	-



TABLE DF – 11

## Composition of Capital

(₹ in million)

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref No.
<b>Common Equity Tier 1 Capital: Instruments and Reserves</b>			
1 Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	112,850		A1 + A2
2 Retained earnings	(135,740)		A3
3 Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	166,439		B1 + B2+ B3+ B4 + B5 + B6+ B7
4 Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-		
<b>Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018</b>	-		
5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	-	
6 <b>Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>143,549</b>		
<b>Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>			
7 Prudential valuation adjustments		-	
8 Goodwill (net of related tax liability)	-		
9 Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	502	-	C1
10 Deferred tax assets	11,290		Part of C2
11 Cash-flow hedge reserve	-		
12 Shortfall of provisions to expected losses	-		
13 Securitization gain on sale	-		
14 Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-		
15 Defined-benefit pension fund net assets	-		
16 Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17 Reciprocal cross-holdings in common equity	1,036	-	C3
18 Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-		
19 Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-		
20 Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-		
21 Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	4,161		

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref. No.
22 Amount exceeding the 15% threshold	-		
23 of which: significant investments in the common stock of financials	-		
24 of which: mortgage servicing rights	-		
25 of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
26 National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	1,050		
26a Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	1,050		Part of C5
26b Of which: Investment in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries			
26c Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank			
26d Of which: Unamortized pension funds expenditures			
REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO COMMON EQUITY TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
OF WHICH: Investment in the equity capital of consolidated financial subsidiaries	-		-
27 Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28 <b>Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1</b>	<b>18,039</b>		
29 <b>Common Equity Tier 1 capital (CET1)</b>	<b>125,510</b>		
<b><u>Additional Tier 1 capital: instruments</u></b>			
30 Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	-		
31 of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-		
32 of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	-		E5
33 Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	450		E1
34 Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-		
35 of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
36 <b>Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>450</b>		
<b><u>Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments</u></b>			
37 Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38 Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	-	-	

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-BaseI III Treatment	Ref. No.
39 Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-		
40 Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
41 National specific regulatory adjustments (41a + 41b)	-		
41a Investments in Additional Tier I Capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41b Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	-		
REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO ADDITIONAL TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	-		
42 Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43 <b>Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital</b>	-		
44 <b>Additional Tier 1 capital (AT1)</b>	<b>450</b>		
45 <b>Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)</b>	<b>125,960</b>		
<b><u>Tier 2 capital: instruments and provisions</u></b>			
46 Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	25,000		E4
47 Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	5,000		E2+ E3
48 Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-		
49 of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
50 Provisions	6,716		D1+ Part of D2+D3
51 <b>Tier 2 capital before regulatory adjustments</b>	<b>36,716</b>		
<b><u>Tier 2 capital: regulatory adjustments</u></b>			
52 Investments in own Tier 2 instruments	-		
53 Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	50		C4
54 Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-		
55 Significant investments in the capital Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref No.
56 National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-		
56a Of which: Investments in the Tier II capital of unconsolidated subsidiaries	-		
56b Of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	-		
REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	-		
57 <b>Total regulatory adjustments to Tier 2 capital</b>	<b>50</b>		
58 <b>Tier 2 capital (T2)</b>	<b>36,666</b>		
58A <b>Tier 2 capital admissible for regulatory capital purposes</b>	<b>36,666</b>		
59 <b>Total capital (TC = T1 + T2) {(row 45+row 58 (A))}</b>	<b>162,626</b>		
RISK WEIGHTED ASSETS IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
60 <b>Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)</b>	<b>1,291,619</b>		
60a <b>of which: total credit risk weighted assets</b>	1,012,154		
60b <b>of which: total market risk weighted assets</b>	135,189		
60c <b>of which: total operational risk weighted assets</b>	144,276		
<b>Capital ratios</b>			
61 <b>Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)</b>	<b>9.72%</b>		
62 <b>Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)</b>	<b>9.75%</b>		
63 <b>Total capital (as a percentage of risk weighted assets)</b>	<b>12.59%</b>		
64 <b>Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)</b>	<b>7.375%</b>		
65 <b>of which: capital conservation buffer requirement</b>	1.875%		
66 <b>of which: Bank specific countercyclical buffer requirement</b>	-		
67 <b>of which: G-SIB buffer requirement</b>	-		
68 <b>Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)</b>	<b>9.72%</b>		
<b>National minima (if different from Basel III)</b>			
69 National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70 National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71 National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
<b>Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)</b>			
72 Non-significant investments in the capital of other financials	788		
73 Significant investments in the common stock of financials	-		
74 Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-		
75 Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	17,674		
<b>Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2</b>			
76 Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	6,716		

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref No.
77 Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	12,652		
78 Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA		
79 Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA		
<b>Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2021)</b>			
80 Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81 Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82 Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
83 Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
84 Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA		
85 Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		

#### Notes to the Template

Row No. of the Template	Particular	₹ in million
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	11,290
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	17,674
	<b>Total as indicated in row 10</b>	28,964
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	1,050
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	1,050
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Tier 2 capital	-
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	-
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	(ii) Increase in risk weighted assets	-
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	-
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	-
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	6,716
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	-
	<b>Total of row 50</b>	6,716
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	-

चरण - 1

(₹ मिलियन में)

क्र. सं. विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संविधिक अपेक्षा के अनुरूप तुलनपत्र
<b>ए. पूंजी एवं देयताएं</b>		
<b>i. प्रदत्त पूंजी</b>	20,968	20,968
आरक्षितियां एवं अधिशेष	72,989	71,513
जिसमें से :		
सांविधिक आरक्षितियां	32,261	32,261
पूंजी आरक्षितियां	5,103	4,625
राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां	31,956	31,956
निवेश आरक्षित निधि खाता	1,386	1,386
शेयर प्रीमियम	91,881	91,881
विशेष आरक्षितियां	14,500	14,500
पुनर्मूल्यन आरक्षितियां	29,437	29,437
लाभ एवं हानि खाते में शेष	(134,742)	(135,740)
जिसमें से : पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में शेष	(50,168)	(50,779)
विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व	1,188	1,188
आई आर एस रिजर्व	19	19
अल्पांश ब्याज	-	-
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	68,960	68,960
<b>कुल पूंजी</b>	<b>162,917</b>	<b>161,441</b>
<b>ii. जमा</b>	<b>2,143,301</b>	<b>2,143,341</b>
जिसमें से : बैंकों से जमा	266	266
जिसमें से : ग्राहकों से जमा	<b>2,143,035</b>	<b>2,143,075</b>
<b>iii. उधार</b>	124,957	124,957
जिसमें से : भा.रि.बैं से	51,500	51,500
जिसमें से : बैंकों से	67	67
जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	6,270	6,270
जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर)	31,120	31,120
जिसमें से : पूंजी लिखत	36,000	36,000
जिसमें से : गौण नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत	1,500	1,500
	-	-
जिसमें से : गौण ऋण - अपर टियर 2 पूंजी	5,000	5,000
जिसमें से : गौण ऋण - टियर 2 पूंजी	4,500	4,500
जिसमें से : गौण ऋण - टियर 2 बैसल III पूंजी	25,000	25,000
जिसमें से : गौण नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत बासेल III अनुपालित एटी1 पूंजी.	64,592	57,269
<b>iv. अन्य देयताएं एवं प्रावधान</b>		
<b>कुल</b>	<b>2,495,767</b>	<b>2,487,008</b>

चरण - 1

(₹ मिलियन में)

क्र. सं. विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र (एकल)	संविधिक अपेक्षा के अनुरूप तुलनपत्र (एकल)
<b>बी. आस्तियां</b>		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	96,725 45,775	96,723 45,645
ii. निवेश :	802,377	796,742
जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	696,479	694,142
जिसमें से : अन्य अनुमोदित आस्तियां	-	-
जिसमें से : शेयर	5,471	5,394
जिसमें से : डिबेंचर एवं बांड	55,523	53,359
जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट	1,312	2,362
जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	43,592	41,486
iii. ऋण एवं अग्रिम	<b>1,422,122</b>	<b>1,422,122</b>
जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	26,392	26,392
जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1,395,730	1,395,730
iv. अचल आस्तियां	35,523	35,410
v. अन्य आस्तियां	93,245	90,367
जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां	509	502
जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	28,966	28,968
vi. समेकन पर साख	-	-
vii. लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-
<b>कुल आस्तियां</b>	<b>2,495,767</b>	<b>2,487,008</b>

चरण - 2

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संविधिक अपेक्षा के अनुरूप तुलनपत्र	संदर्भ सं.
<b>ए. पूंजी एवं देयताएं</b>				
i. प्रदत्त पूंजी		<b>20,968</b>	<b>20,968</b>	
जिसमें से : सीईटी1 हेतु पात्र राशि		-	20,968	ए 1
जिसमें से : एटी1 हेतु पात्र राशि		-	-	
आरक्षितियां एवं अधिशेष		72,989	71,513	
जिसमें से :				
सांविधिक आरक्षितियां		32,261	32,261	बी1
पूंजी आरक्षितियां		5,103	4,625	बी2
राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां		31,956	31,956	बी3
निवेश आरक्षित निधि खाता		1,386	1,386	डी1
शेयर प्रीमियम		91,881	91,881	ए 2
विशेष आरक्षितियां		14,500	14,500	बी4
पुनर्मूल्यन आरक्षितियां		29,437	29,437	
जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि		-	13247	बी5

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संदर्भ सं.
	जिसमें से : टियर 2 हेतु पात्र राशि	-	-	
	लाभ एवं हानि खाते में शेष	(134,742)	(135,740)	ए3
	जिसमें से : पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार			
	लाभ एवं हानि खाते में शेष अल्पांश ब्याज	(50,168)	(50,779)	
	विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व	1,188	1,188	
	जिसमें से : पूंजीगत निधि के अन्तर्गत मानी गई	-	891	बी6
	आई आर एस रिजर्व	19	19	
	शेयर आवेदन राशि लम्बित आबंटन	68,960	68,960	बी7
	अल्पांश ब्याज	-	-	-
	<b>कुल पूंजी</b>	<b>162,917</b>	<b>161,441</b>	-
ii.	जमा	<b>2,143,301</b>	<b>2,143,341</b>	-
	जिसमें से : बैंकों से जमा	266	266	-
	जिसमें से : ग्राहकों से जमा	2,143,035	2,143,075	-
iii.	उधार	124,957	124,957	-
	जिसमें से : भा.रि.बैंक से	51,500	51,500	-
	जिसमें से : बैंकों से	67	67	-
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	6,270	6,270	-
	जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर)	31,120	31,120	-
	जिसमें से : पूंजी लिखत	36,000	36,000	-
	जिसमें से : गौण नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत			
	जिसमें से : ए टी आई पूंजी हेतु पात्र	1,500	1,500	
		-	450	ई1
	जिसमें से : गौण ऋण — अपर टियर 2 पूंजी	5,000	5,000	ई2
	जिसमें से : गौण ऋण — टियर 2 पूंजी	4,500	4,500	
	जिसमें से : पात्र गौण ऋण — टियर 2 बैसल III पूंजी	-	-	ई3
	जिसमें से : गौण ऋण — टियर 2 बैसल III पूंजी	25,000	25,000	ई4
	जिसमें से : गौण नवोन्मेषी स्थायी ऋण			
	लिखत-बासेल III अनुपालित एटी1 पूंजी	64,592	57,269	ई5
iv.	<b>अन्य देयताएं एवं प्रावधान</b>	<b>64,592</b>	<b>57,269</b>	
	जिसमें से : मानक अग्रिम हेतु प्रावधान	6,169	6,169	डी2
	जिसमें से : अनहेज्ड विदेशी मुद्रा हेतु प्रावधान	7	7	डी3
	जिसमें से : साख संबंधी डीटीएल	-	-	-
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों संबंधी डीटीएल	-	-	-
	जिसमें से : विशेष आरक्षतियां संबंधी डीटीएल	4,997	4,997	
	<b>कुल</b>	<b>2,495,767</b>	<b>2,487,008</b>	
B.	<b>आस्तियां</b>			
i.	<b>भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष</b>	<b>96,725</b>	<b>96,723</b>	-
	<b>बैंकों के पास मांग तथा अल्प सूचना पर धन</b>	<b>45,775</b>	<b>45,645</b>	-
ii.	<b>निवेश</b>	<b>802,377</b>	<b>796,742</b>	-
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	<b>696,479</b>	<b>694,142</b>	
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित आस्तियां	-	-	-



क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संदर्भ सं.
	जिसमें से : शेयर	5,471	5,394	
	जिसमें से : रेसीप्रोकल क्रॉस होल्डिंग	1,038	1,038	सी3
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बांड	55,523	53,359	
	जिसमें से : एटी-1 के अंतर्गत रेसीप्रोकल क्रॉस होल्डिंग	-	-	
	जिसमें से : टियर II के अंतर्गत रेसीप्रोकल क्रॉस होल्डिंग	50	50	सी4
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट	1,312	2,362	सी5
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	43,592	41,486	-
iii.	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>1,422,122</b>	<b>1,422,122</b>	-
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	26,392	26,392	-
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1,395,730	1,395,730	-
iv.	अचल आस्तियां	35,523	35,410	-
v.	अन्य आस्तियां	93,245	90,367	-
	जिसमें से : साख	-	-	-
	अमूर्त आस्तियां	-	-	सी1
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	509	502	
vi.	समेकन पर साख	28,966	28,968	सी2
vii.	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-	-
	<b>कुल आस्तियां</b>	<b>2,495,767</b>	<b>2,487,008</b>	

### चरण - 3

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का सार (अतिरिक्त कॉलम के साथ) - सारणी डीएफ - 11

साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षितियां

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक चरण 2 समेकन फॉर्म के विनियामक गुंजाईश के अंतर्गत तुलनपत्र की संदर्भ संख्याओं/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी पात्र सामान्य शेयर (एवं गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु समतुल्य) पूंजी + संबंधित स्टॉक अधिशेष	112,850	ए1अए2
2	प्रतिधारित उपार्जन	(135,740)	ए 3
3	संचित अन्य समग्र आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	166,439	वि1अवि2अवि3अवि4अवि5 अवि6अवि7
4	प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी सीईटी 1 से फेज आऊट के अध्यक्षीन (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)	-	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (राशि समूह सीईटी1 में अनुमत)	-	
6	विनियामक समायोजन पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	143,549	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-	

TABLE DF – 12

## Composition of Capital-Reconciliation Requirements

## Step - 1

(₹ in millions)

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory scope of consolidation
<b>A.</b>	<b><u>Capital &amp; Liabilities</u></b>		
i.	Paid-up Capital	20,968	20,968
	Reserves & Surplus	72,989	71,513
	of which:		
	Statutory Reserve	32,261	32,261
	Capital Reserve	5,103	4,625
	Revenue & Other Reserves	31,956	31,956
	Investment Reserve Account	1,386	1,386
	Share Premium	91,881	91,881
	Special Reserve	14,500	14,500
	Revaluation Reserve	29,437	29,437
	Balance in Profit & Loss Account	(134,742)	(135,740)
	of which: Balance in Profit & Loss Account as per last financial Year	(50,168)	(50,779)
	Foreign Currency Translation Reserves	1,188	1,188
	I R S Reserve	19	19
	Minority Interest	-	-
	Share application money pending allotment	68,960	68,960
	<b><u>Total Capital</u></b>	<b>162,917</b>	<b>161,441</b>
ii.	Deposits	<b>2,143,301</b>	<b>2,143,341</b>
	of which: Deposits from Banks	266	266
	of which: Customer deposits	2,143,035	2,143,075
iii.	<b><u>Borrowings</u></b>	<b>124,957</b>	<b>124,957</b>
	of which: From RBI	51,500	51,500
	of which: From Banks	67	67
	of which: From other institutions & agencies	6,270	6,270
	of which: Others (Outside India)	31,120	31,120
	of which: Capital instruments	36,000	36,000
	of which: Subordinated Innovative Perpetual Debt Instruments	1,500	1,500
	of which: Subordinated Innovative Perpetual Debt Instruments Basel III Compliant.	-	-
	of which: Subordinated Debt - Upper Tier II Capital	5,000	5,000
	of which : Subordinated Debt - Tier II Capital	4,500	4,500
	of which : Subordinated Debt - Tier II Bael III Capital	25,000	25,000
iv.	<b><u>Other liabilities &amp; provisions</u></b>	<b>64,592</b>	<b>57,269</b>
	<b>Total</b>	<b>2,495,767</b>	<b>2,487,008</b>

**Step - 1**

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory scope of consolidation
B.	<b>Assets</b>		
i.	<b>Cash and balances with Reserve Bank of India</b>	96,725	96,723
	<b>Balance with Banks and money at call and short notice</b>	45,775	45,645
ii.	<b>Investments:</b>	802,377	796,742
	of which: Government securities	696,479	694,142
	of which: Other approved securities	-	-
	of which: Shares	5,471	5,394
	of which: Debentures & Bonds	55,523	53,359
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1,312	2,362
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	43,592	41,486
iii.	<b>Loans and advances</b>	<b>1,422,122</b>	<b>1,422,122</b>
	of which: Loans and advances to Banks	26,392	26,392
	of which: Loans and advances to customers	1,395,730	1,395,730
iv.	<b>Fixed assets</b>	<b>35,523</b>	<b>35,410</b>
v.	<b>Other assets</b>	<b>93,245</b>	<b>90,367</b>
	of which: Goodwill and intangible assets	509	502
	of which: Deferred tax assets	28,966	28,968
vi.	Goodwill on consolidation	-	-
vii.	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	<b>Total Assets</b>	<b>2,495,767</b>	<b>2,487,008</b>

**Step - 2**

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory scope of consolidation	Ref. No.
A.	<b>Capital &amp; Liabilities</b>			
i.	Paid-up Capital	20,968	20,968	
	<i>of which: Amount eligible for CET1</i>	-	20,968	A1
	<i>of which: Amount eligible for AT1</i>	-	-	
	Reserves & Surplus	72,989	71,513	
	of which:			
	Statutory Reserve	32,261	32,261	B1
	Capital Reserve	5,103	4,625	B2
	Revenue & Other Reserves	31,956	31,956	B3
	Investment Reserve Account	1,386	1,386	D1
	Share Premium	91,881	91,881	A2
	Special Reserve	14,500	14,500	B4
	Revaluation Reserve	29,437	29,437	
	<i>of which: Amount eligible for CET1</i>	-	13247	B5

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory requirement	Ref. No.
	<i>of which: Amount eligible for Tier II</i>	-	-	
	Balance in Profit & Loss Account	(134,742)	(135,740)	A3
	<i>of which: Balance in Profit &amp; Loss Account as per last financial Year</i>	(50,168)	(50,779)	
	Foreign Currency Translation Reserves	1,188	1,188	
	<i>of which: Considered under Capital fund</i>	-	891	B6
	IRS Reserve	19	19	
	Share application money pending allotment	68,960	68,960	B7
	Minority Interest	-	-	-
	<b>Total Capital</b>	<b>162,917</b>	<b>161,441</b>	-
ii.	Deposits	<b>2,143,301</b>	<b>2,143,341</b>	-
	<i>of which: Deposits from Banks</i>	266	266	-
	<i>of which: Customer deposits</i>	<b>2,143,035</b>	<b>2,143,075</b>	-
iii.	Borrowings	<b>124,957</b>	<b>124,957</b>	
	<i>of which: From RBI</i>	51,500	51,500	-
	<i>of which: From Banks</i>	67	67	-
	<i>of which: From other institutions &amp; agencies</i>	6,270	6,270	
	<i>of which: Others (Outside India)</i>	31,120	31,120	
	<i>of which: Capital instruments</i>	36,000	36,000	
	<i>of which: Subordinated Innovative Perpetual Debt Instruments</i>	1,500	1,500	
	<i>of which: Eligible AT1 Capital</i>	-	450	E1
	<i>of which: Subordinated Debt - Upper Tier II Capital</i>	5,000	5,000	E2
	<i>of which: Subordinated Debt - Tier II Capital</i>	4,500	4,500	
	<i>of which: Eligible Subordinated Debt Tier II Capital</i>	-	-	E3
	<i>of which: Basel III Tier II Capital</i>			
	<i>of which: Subordinated Innovative Perpetual Debt Instruments - as per Basel III Compliant.</i>	25,000	25,000	E5
iv.	<b>Other liabilities &amp; provisions</b>	<b>64,592</b>	<b>57,269</b>	
	<i>Of which: provision for Standard Advances</i>	6,169	6,169	D2
	<i>Of which: provision for Unhedged Foreign Currency Exposure</i>	7	7	D3
	<i>of which: DTLs related to goodwill</i>	-	-	
	<i>of which: DTLs related to Intangible Assets</i>	-	-	
	<i>of which: DTLs related to Special Reserve</i>	4,997	4,997	
	<b>Total</b>	<b>2,495,767</b>	<b>2,487,008</b>	
B.	Assets			
i.	<b>Cash and balances with Reserve Bank of India</b>	96,725	96,723	-
	<b>Balance with Banks and money at call and short notice</b>	45,775	45,645	-
ii.	<b>Investments:</b>	<b>802,377</b>	<b>796,742</b>	-
	<i>of which: Government securities</i>	<b>696,479</b>	<b>694,142</b>	-
	<i>of which: Other approved securities</i>	-	-	-

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory requirement	Ref. No.
	of which: Shares	5,471	5,394	
	<i>of which: Reciprocal Cross Holding</i>	1,038	1,038	C3
	of which: Debentures & Bonds	55,523	53,359	
	<i>of which: Reciprocal Cross Holding under AT-1</i>	-	-	
	<i>of which: Reciprocal Cross Holding under Tier-II</i>	50	50	C4
	<i>of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates</i>	1,312	2,362	C5
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	43,592	41,486	-
iii.	<b>Loans and advances</b>	<b>1,422,122</b>	<b>1,422,122</b>	-
	of which: Loans and advances to Banks	26,392	26,392	-
	of which: Loans and advances to customers	<b>1,395,730</b>	<b>1,395,730</b>	-
iv.	Fixed assets	35,523	35,410	-
v.	Other assets	93,245	90,367	-
	of which: Goodwill	-	-	-
	of which: Intangible Assets	509	502	C1
	of which: Deferred tax assets	28,966	28,968	C2
vi.	Goodwill on consolidation	-	-	-
vii.	Debit balance in Profit & Loss account	-	-	-
	<b>Total Assets</b>	<b>2,495,767</b>	<b>2,487,008</b>	

### Step - 3

#### Extract of Basel III common disclosure template (with added column) - Table DF-11

#### Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	112,850	A1 + A2
2	Retained earnings	(135,740)	A3
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	166,439	B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6	<b>Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>143,549</b>	
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	

सारणी डी एफ - 13

विनियामक पूँजी की प्रमुख विशेषताएं

ए. इक्विटी पूँजी

इक्विटी पूँजी की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	विवरण	इक्विटी
1	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक
2	विशिष्ट पहचान	ISIN: INE428A01015
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय कानून
<b>विनियामक उपचार</b>		
4	ट्रांजिशनल बैसल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
5	पोस्ट-ट्रांजिशनल बैसल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्रता	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	कॉमन इक्विटी
8	विनियामक पूँजी में अभिज्ञात राशि (नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि तक)	₹ 20968.36 मिलियन
9	लिखत का सममूल्य	₹ 20968.36 मिलियन (₹10 प्रति शेयर)
10	लेखा वर्गीकरण	शेयरधारक की निधि
11	जारी किए जाने की मूल तिथि	विविध
12	स्थायी या दिनांकित	स्थायी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता की मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथि तथा मोचन राशि	अप्रयोज्य
16	परवर्ती मांग तिथियां, यदि प्रयोज्य हो	अप्रयोज्य
<b>कूपन/लाभांश</b>		
17	स्थिर या चल लाभांश/कूपन	विवेकाधीन डिविडेंड
18	कूपन दर एवं कोई संबंधित इंडेक्स	अप्रयोज्य
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अप्रयोज्य
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	पूर्णतः विवेकाधीन
21	स्टेप अप का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	अप्रयोज्य
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अप्रयोज्य
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन का उत्प्रेरक (कों)	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्ण या आंशिक	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तनीय लिखत का प्रकार बताएं	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तित लिखत का जारीकर्ता बताएं	अप्रयोज्य
30	अवलिखित विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलेखन उत्प्रेरक (कों)	अप्रयोज्य
32	यदि अवलेखन, पूर्णता आंशिक	अप्रयोज्य
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य
34	यदि अस्थायी अवलेखन, आलेख प्रणाली का विवरण	अप्रयोज्य
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम में स्थिति (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	अप्रयोज्य
36	अनअनुपालित रूपांतरित विशेषताएं	अप्रयोज्य
37	यदि हां, अन-अनुपालित विशेषताएं बताएं	नहीं
		अप्रयोज्य

बी. बासेल II अनुपालित अतिरिक्त टियर I पूँजी लिखत

अतिरिक्त टियर I पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	विवरण	स्थायी बॉण्ड सीरीज II
1	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक
2	विशिष्ट पहचान	INE428A09125
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि
<b>विनियामक उपचार</b>		
4	ट्रांजिशनल बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1
5	पोस्ट-ट्रांजिशनल बासेल III नियम	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्रता	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	स्थायी
8	विनियामक पूँजी में अभिज्ञात राशि (₹ मिलियन में, नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि को)	₹ 600 मिलियन
9	लिखत का सममूल्य	₹1,500 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉण्ड)
10	लेखा वर्गीकरण	देयता
11	जारी किए जाने की मूल तिथि	18 दिसम्बर, 2009
12	स्थायी या दिनांकित	स्थायी

क्र. सं.	विवरण	स्थायी बॉड सीरीज II
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता की मांग	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथि और मोचन राशि	वैकल्पिक मांग तिथि पर 18 दिसम्बर, 2019 और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि आकस्मिक मांग तिथि : अप्रयोज्य सममूल्य पर मोचन
16	परवर्ती मांग तिथियां, यदि प्रयोज्य हों	18 दिसम्बर, 2019 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि
	<b>कूपन / लाभांश</b>	
17	अचल या चल लाभांश / कूपन	अचल
18	कूपन दर एवं अन्य संबंधित इंडेक्स	पहली मांग विकल्प तिथि तक निर्गम तिथि से वार्षिक रूप से देय 9.08% और यदि बैंक मांग विकल्प का उपयोग नहीं करता है, 9.08% प्रति वर्ष के कूपन दर के अतिरिक्त 50 बेसिस प्वाइंट अर्थात 18 दिसम्बर, 2019 के बाद 9.58% प्रति वर्ष
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	स्टेप अप का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	हां
22	असंचयी या संचयी	अपरिवर्तनीय
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन का उत्प्रेरक (को)	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्ण या आंशिक	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तनीय लिखत का प्रकार बताएं	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तित लिखत का जारीकर्ता बताएं	अप्रयोज्य
30	अवलिखित विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलेखन उत्प्रेरक (को)	अप्रयोज्य
32	यदि अवलेखन, पूर्णतया आंशिक	अप्रयोज्य
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य
34	यदि अस्थायी अवलेखन, राइट-अप प्रणाली का विवरण	अप्रयोज्य
35	परिसमापन में गौण अनुक्रम में स्थिति	बॉण्डधारकों के दावे (ए) इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावे से श्रेष्ठतर और (बी) अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण

सी. टियर II पूंजी लिखत

ए. अपर टियर II पूंजी लिखत

अपर टियर II पूंजी लिखत की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	विवरण	सीरीज II
1	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक
2	विशिष्ट पहचान	INE428A09117
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय कानून
<b>विनियामक उपचार</b>		
4	ट्रांजिशनल बासेल III नियम	टियर 2
5	पोस्ट-ट्रांजिशनल बासेल III नियम	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्रता	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	अपर टियर II
8	विनियामक पूंजी में अभिज्ञात राशि (₹ मिलियन में, नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि को )	₹5000 मिलियन
9	लिखत का सममूल्य	₹5000 मिलियन(₹ 1 मिलियन प्रति बॉण्ड)
10	लेखा वर्गीकरण	देयता
11	जारी किए जाने की मूल तिथि	18 दिसम्बर, 2009
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	18 दिसम्बर, 2024
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता की मांग	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथि और मोचन राशि और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि पर आकस्मिक मांग तिथि अप्रयोज्य: मोचन सममूल्य पर	वैकल्पिक मांग तिथि: 18 दिसम्बर 2019
16	परवर्ती मांग तिथियां, यदि प्रयोज्य हों	वैकल्पिक मांग तिथि अर्थात् 18.12.2019 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि
<b>कूपन / लाभांश</b>		
17	अचल या चल लाभांश कूपन	अचल
18	कूपन दर एवं अन्य संबंधित इंडेक्स	पहली मांग तक जारी तिथि से वार्षिक भुगतान 8.58% प्रति वर्ष और यदि बैंक मांग विकल्प का उपयोग नहीं करता है, 8.58% प्रति वर्ष के कूपन दर के अतिरिक्त 50 बेसिस प्वाइंट अर्थात् 18 दिसम्बर, 2019 के अर्थात् 9.08% प्रति वर्ष
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	आंशिक विवेकाधीन
21	स्टेप अप का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	हां
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन केका उत्प्रेरक	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्ण या आंशिक	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तनीय लिखत का प्रकार बताएं	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तित लिखत का जारीकर्ता बताएं	अप्रयोज्य
30	अवलिखित विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलेखन उत्प्रेरक	अप्रयोज्य
32	यदि अवलेखन, पूर्णतया आंशिक	अप्रयोज्य
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य
34	यदि अस्थायी अवलेखन, राइट-अप प्रणाली का विवरण	अप्रयोज्य



क्र. सं.	विवरण	सीरीज II
35	परिसमापन में गौण क्रम में स्थिति (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत बताएं)	इन बांडों में निवेशकों के दावे (ए) टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से श्रेष्ठतर और (बी) अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण
36.	अन-अनुपालित परिवर्तित विशिष्टियां	हां
37.	यदि हां, अन-अनुपालित विशिष्टियां बताएं	स्टेप अप, कोई बैसल III हानि अवशोषण
<b>बी. गौण बांड, लोअर टीयर II</b> गौण बांड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :		
<b>क्र. सं.</b>	<b>विवरण</b>	<b>सीरीज IX</b>
1.	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक
2.	विशिष्ट पहचान	INE428A09109
3.	लिखत के शासी नियम	भारतीय कानून
<b>विनियामक उपचार</b>		
4.	ट्रांजिशनल बैसल १९९९ नियम	टियर 2
5.	पोस्ट-ट्रांजिशनल बैसल १९९९ नियम	अपात्र
6.	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्रता	एकल एवं समूह
7.	लिखत का प्रकार	अपर टियर 2
8.	विनियामक पूंजी में अभिज्ञात राशि (₹मिलियन में, नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि को)	₹4500 मिलियन (₹1 मिलियन प्रति बाँड)
9.	लिखत का सममूल्य	देयता
10.	लेखा वर्गीकरण	04 अगस्त, 2009
11.	जारी किए जाने की मूल तिथि	दिनांकित
12.	स्थायी या दिनांकित	04 अगस्त, 2019
13.	मूल परिपक्वता तिथि	नहीं
14.	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता की मांग	नहीं
15.	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथि और मोचन राशि	नहीं
16.	परवर्ती मांग तिथियां, यदि प्रयोज्य हों	प्रयोज्य
<b>कूपन / लाभांश</b>		
17.	अचल या चल लाभांश कूपन	अचल
18.	कूपन दर एवं अन्य संबंधित इंडेक्स	8.45% प्रव वार्षिक रूप से देय
19.	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं
20.	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21.	स्टेप अप का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	नहीं
22.	असंचयी या संचयी	असंचयी
23.	परिवर्तनीय या अ-परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24.	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन का उत्प्रेरक (को)	अप्रयोज्य
25.	यदि परिवर्तनीय, पूर्ण या आंशिक	अप्रयोज्य
26.	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	अप्रयोज्य
27.	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	अप्रयोज्य
28.	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तनीय लिखत का प्रकार बताएं	अप्रयोज्य
29.	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तित लिखत का जारीकर्ता बताएं	अप्रयोज्य
30.	अवलिखित विशेषताएं	नहीं
31.	यदि अवलिखित, अवलेखन उत्प्रेरक (को)	अप्रयोज्य
32.	यदि अवलेखन, पूर्णतया आंशिक	अप्रयोज्य
33.	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य
34.	यदि अस्थायी अवलेखन, राइट अप प्रणाली का विवरण	अप्रयोज्य
35.	परिसमापन में गौण क्रम में स्थिति (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत बताएं)	इन बांडों में निवेशकों के दावे (ए) टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से श्रेष्ठतर और (बी) अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण
36.	अन-अनुपालित परिवर्तित विशेषताएं	हां
37.	यदि हां, अन-अनुपालित विशेषताएं बताएं	कोई बासेल III हानि अवशोषण नहीं

**सी. बासेल III अनुपालित टियर 2 बॉण्ड**

बासेल III अनुपालित टियर 2 बॉण्ड की मुख्य विशेषताएं :

क्रम सं. विवरण	शृंखला I	शृंखला II	शृंखला III
1. जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक
2. यूनीक आइडेंटिफायर (उदाहरणार्थ सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट हेतु ब्लूमबर्ग आइडेंटिफायर)	INE428A08028	INE428A08044	INE428A08051
3. लिखत के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
<b>विनियामक उपचार</b>			
4. ट्रांजीशनल बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5. पोस्ट ट्रांजीशनल बासेल III नियम	पात्र	पात्र	पात्र
6. सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो एवं ग्रुप	सोलो एवं ग्रुप	सोलो एवं ग्रुप
7. लिखत का प्रकार	गौण टीयर II	गौण टीयर II	गौण टीयर II
8. नियामक पूंजी में अभिज्ञात राशि (₹ मिलियन में, नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि को)	₹ 5000 मिलियन	₹ 10000 मिलियन	₹ 10000 मिलियन
9. लिखत का सम मूल्य	₹ 5000 मिलियन (₹1 मिलियन प्रति बॉन्ड)	₹ 10000 मिलियन (₹1 मिलियन प्रति बॉन्ड)	₹ 10000 मिलियन (₹1 मिलियन प्रति बॉन्ड)
10. लेखा वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11. जारी करने की मूल तिथि	20 जनवरी 2015	21 दिसम्बर 2015	25 जनवरी 2017
12. स्थायी अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13. मूल परिपक्वता तिथि	20 जनवरी 2025	20 दिसम्बर 2025 *21 दिसम्बर 2025 रविवार होने के कारण	25 जनवरी 2027
14. पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता की मांग	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
15. आषानल काल तिथि, आकस्मिक काल तिथि और मोचन राशि	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
16. परवर्ती काल दरें यदि प्रयोज्य हो	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
<b>कूपन/लाभांश</b>			
17. स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18. कूपन रेट और संबंधित सूचकांक	8.78% प्र.व. बांडों की परिपक्वता तक वार्षिक रूप से देय नहीं	8.64% प्र.व. बांडों की परिपक्वता तक वार्षिक रूप से देय नहीं	8.15% प्र.व. बॉण्ड की परिपक्वता तक वार्षिक रूप से देय नहीं
19. लाभांश स्टापर का अस्तित्व	अंशतः विवेकाधीन नहीं	अंशतः विवेकाधीन नहीं	अंशतः विवेकाधीन नहीं
20. पूर्णतया विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन नहीं	अंशतः विवेकाधीन नहीं	अंशतः विवेकाधीन नहीं
21. मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य प्रोत्साहन का अस्तित्व	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
22. गैर-संचयी या संचयी	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
23. परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
24. यदि परिवर्तनीय है, कन्वर्जन ट्रिगर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
25. यदि परिवर्तनीय है, पूर्णतया या अंशतः	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
26. यदि परिवर्तनीय है, कन्वर्जन दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
27. यदि परिवर्तनीय है, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक कन्वर्जन	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
28. यदि परिवर्तनीय है, परिवर्तन किए जाने वाले लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
29. यदि परिवर्तनीय है, कन्वर्ट किए जाने हेतु लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
30. अवलेखन विशेषताएं	हां	हां	हां

क्रम सं. विवरण	शृंखला I	शृंखला II	शृंखला III
31. यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर (एस)	बॉण्ड भारिबैं के आप्शन पर 'प्वाइंट ऑफ नान वायब्लिटी ट्रिगर' नामक इवेंट के घटित होने पर स्थायी रूप से अपलिखित हो सकते हैं। पीओएनवी ट्रिगर इवेंट निम्नलिखित से पहले होगा: क) यह निर्णय की स्थायी अपलेखन, जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य हो जाएगा, अनिवार्य है, जैसा कि भारिबैं द्वारा निर्धारित किया गया है ; और ख) पूंजी के सार्वजनिक क्षेत्र अंतःक्षेपण अथवा समतुल्य सहायता का निर्णय जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य बन जाएगा जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे निर्णय में यह अपरिहार्य रूप से अंतर्निहित होगा कि ट्रिगर इवेंट के परिणामस्वरूप हुआ अपलेखन सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण से पहले घटित हुआ हो जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को प्रदान की	बॉण्ड भारिबैं के आप्शन पर 'प्वाइंट ऑफ नान वायब्लिटी ट्रिगर' नामक इवेंट के घटित होने पर स्थायी रूप से अपलिखित हो सकते हैं। पीओएनवी ट्रिगर इवेंट निम्नलिखित से पहले होगा: क) यह निर्णय की स्थायी अपलेखन, जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य हो जाएगा, अनिवार्य है, जैसा कि भारिबैं द्वारा निर्धारित किया गया है ; और ख) पूंजी के सार्वजनिक क्षेत्र अंतःक्षेपण अथवा समतुल्य सहायता का निर्णय जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य बन जाएगा जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे निर्णय में यह अपरिहार्य रूप से अंतर्निहित होगा कि ट्रिगर इवेंट के परिणामस्वरूप हुआ अपलेखन सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण से पहले घटित हुआ हो जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को प्रदान की गई पूंजी डाइल्यूट न हो।	बॉण्ड भारिबैं के आप्शन पर 'प्वाइंट ऑफ नान वायब्लिटी ट्रिगर' नामक इवेंट के घटित होने पर स्थायी रूप से अपलिखित हो सकते हैं। पीओएनवी ट्रिगर इवेंट निम्नलिखित से पहले होगा: क) यह निर्णय की स्थायी अपलेखन, जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य हो जाएगा, अनिवार्य है, जैसा कि भारिबैं द्वारा निर्धारित किया गया है; और ख) पूंजी के सार्वजनिक क्षेत्र अंतःक्षेपण अथवा समतुल्य सहायता का निर्णय जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य बन जाएगा जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे निर्णय में यह अपरिहार्य रूप से अंतर्निहित होगा कि ट्रिगर इवेंट के परिणामस्वरूप हुआ अपलेखन सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण से पहले घटित हुआ हो जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को प्रदान की गई पूंजी डाइल्यूट न हो।
32. यदि अवलेखन, पूर्णतः या अंशतः	पूर्णतः	पूर्णतः	पूर्णतः
33. यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
34. यदि अस्थायी अवलेखन, राइट-अप प्रणाली तंत्र का विवरण	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
35. परिसमापन में सबार्डिनेशन अनुक्रम की स्थिति (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	बॉण्ड धारकों के दावे (क) टियर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे और (ख) और बैंक के अन्य सभी जमाकर्ताओं और लेनदारों के दावों से गौण होंगे और (ग) बैंक अथवा संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यवस्था जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों के दावों की वरिष्ठता को बढ़ाती है, की गारंटी द्वारा न तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर होंगे। भावी चुकौती (कूपन अथवा मूलधन) अनुसूची बढ़ाने का बॉण्डधारकों को कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय दिवालियापन और परिसमापन में।	बॉण्ड धारकों के दावे (क) टियर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे और (ख) और बैंक के अन्य सभी जमाकर्ताओं और लेनदारों के दावों से गौण होंगे और (ग) बैंक अथवा संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यवस्था जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों के दावों की वरिष्ठता को बढ़ाती है, की गारंटी द्वारा न तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर होंगे। भावी चुकौती (कूपन अथवा मूलधन) अनुसूची बढ़ाने का बॉण्डधारकों को कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय दिवालियापन और परिसमापन में।	बॉण्ड धारकों के दावे (क) टियर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे और (ख) और बैंक के अन्य सभी जमाकर्ताओं और लेनदारों के दावों से गौण होंगे और (ग) बैंक अथवा संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यवस्था जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों के दावों की वरिष्ठता को बढ़ाती है, की गारंटी द्वारा न तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर होंगे। भावी चुकौती (कूपन अथवा मूलधन) अनुसूची बढ़ाने का बॉण्डधारकों को कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय दिवालियापन और परिसमापन में।
36. गैर-अनुपालन ट्रांजिशन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
37. यदि हां, गैर-अनुपालित विशेषताएं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

TABLE DF – 13

## Main Features of Regulatory Capital

**A. Equity Capital**

The main features of Equity Capital are as follows:

S.No.	Particulars	Equity
1	Issuer	Allahabad Bank
2	Unique identifier	ISIN: INE428A01015
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
<b>Regulatory treatment</b>		
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier I
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Common Equity
8	Amount recognized in regulatory capital (as of most recent reporting date)	₹ 20968.36 million
9	Par value of instrument	₹ 20968.36 million (₹ 10 per share)
10	Accounting classification	Shareholder's Fund
11	Original date of issuance	Various
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
<b>Coupons / dividends</b>		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Discretionary Dividend
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	NA
22	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	NO
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	NA
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA

**B. Basel II Compliant Tier I Capital instruments**

The main features of Additional Tier I Capital Instruments are as follows :

S.No.	Particulars	Perpetual Bond Series II
1	Issuer	Allahabad Bank
2	Unique identifier	INE428A09125
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
<b>Regulatory treatment</b>		
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual
8	Amount recognized in regulatory capital	₹ 600 million
9	Par value of instrument	₹1,500 million (₹ 1 million per Bond)
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	18th December, 2009
12	Perpetual or dated	Perpetual

S. No.	Particulars	Perpetual Bond Series II
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Optional Call Date: 18 <sup>th</sup> December 2019 and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	On each anniversary date after 18 <sup>th</sup> December 2019
<b>Coupons / dividends</b>		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.08% p.a., payable annually from issue date till first call option date and if the Bank does not exercise the call option, 50 bps over and above coupon rate of 9.08% i.e. 9.58% p.a. after 18 <sup>th</sup> December, 2019
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation	The claims of the Bondholders shall be (a) superior to the claims of investors in equity shares and (b) subordinated to the claims of all other creditors

## C. Tier II Capital Instruments

### i. Upper Tier II Capital Instruments

The main features of Upper Tier II Capital Instruments are as follows:

S.No. Particulars	Series II
1. Issuer	Allahabad Bank
2. Unique identifier	INE428A09117
3. Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
<b>Regulatory treatment</b>	
4. Transitional Basel III rules	Tier 2
5. Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6. Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7. Instrument type	Upper Tier II
8. Amount recognized in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	₹5,000 million
9. Par value of instrument	₹5,000 million (₹1 million per Bond)
10. Accounting classification	Liability
11. Original date of issuance	18th December 2009
12. Perpetual or dated	Dated
13. Original maturity date	18th December 2024
14. Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15. Optional call date, contingent call dates and redemption amount and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption at Par	Optional Call Date: 18th December 2019
16. Subsequent call dates, if applicable	On each anniversary date after optional call date i.e. 18.12.2019.
<b>Coupons / dividends</b>	
17. Fixed or floating dividend / coupon	Fixed
18. Coupon rate and any related index	8.58% p.a. payable annually from issue date till the first call option date and if the call option is not exercised by the Bank then 50 bps over and above coupon rate of 8.58% i.e. 9.08% p.a. payable annually after 18th December 2019
19. Existence of a dividend stopper	No
20. Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21. Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22. Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative
23. Convertible or non-convertible	Non-Convertible
24. If convertible, conversion trigger(s)	NA
25. If convertible, fully or partially	NA
26. If convertible, conversion rate	NA
27. If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28. If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29. If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30. Write-down feature	No
31. If write-down, write-down trigger(s)	NA
32. If write-down, full or partial	NA
33. If write-down, permanent or temporary	NA
34. If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35. Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these Bonds shall be (a) superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital; and (b) subordinate to the claims of all other creditors.



### C. Basel III Compliant Tier II Bonds

The main features of Basel III Compliant Tier II Bonds are as follows:

S.No.	Particulars	Series I	Series II	Series III
1.	Issuer	Allahabad Bank	Allahabad Bank	Allahabad Bank
2.	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE428A08028	INE428A08044	INE428A08051
3.	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
<b>Regulatory treatment</b>				
4.	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5.	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible	Eligible
6.	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group
7.	Instrument type	Subordinate Tier II	Subordinate Tier II	Subordinate Tier II
8.	Amount recognized in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	₹5000 million	₹10000 million	₹10000 million
9.	Par value of instrument	₹5000 million (₹1 million per Bond)	₹10000 million (₹1 million per Bond)	₹10000 million (₹1 million per Bond)
10.	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11.	Original date of issuance	20 <sup>th</sup> January 2015	21 <sup>st</sup> December 2015	25 <sup>th</sup> January 2017
12.	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13.	Original maturity date	20 <sup>th</sup> January 2025	20 <sup>th</sup> December 2025 *21 <sup>st</sup> December 2025, being Sunday	25 <sup>th</sup> January 2027
14.	Issuer call subject to prior supervisory approval	NA	NA	NA
15.	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA
16.	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA
<b>Coupons / dividends</b>				
17.	Fixed or floating dividend / coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18.	Coupon rate and any related index	8.78% p.a. payable annually till maturity of Bonds	8.64% p.a. payable annually till maturity of Bonds	8.15% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19.	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20.	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary	Partially discretionary
21.	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22.	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23.	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24.	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25.	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26.	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27.	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28.	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29.	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30.	Write-down feature	YES	YES	YES



S. No.	Particulars	Series I	Series II	Series III
31.	If write-down, write-down trigger(s)	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "Point of Non-Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) a decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p> <p>b) the decision to make a public-sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public-sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.</p>	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "Point of Non-Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) a decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p> <p>b) the decision to make a public-sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public-sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.</p>	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "Point of Non-Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) a decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p> <p>b) the decision to make a public-sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public-sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.</p>
32.	If write-down, full or partial	Full	Full	Full
33.	If write-down, permanent or temporary	Permanent	Permanent	Permanent
34.	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
34.	If Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	<p>The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.</p>	<p>The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.</p>	<p>The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.</p>
36.	Non-compliant transitioned features	NO	NO	NO
37.	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

सारणी डीएफ – 14	विनियामक पूंजी लिखतों की पूर्ण शर्तें
-----------------	---------------------------------------

विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण निबंधनों एवं शर्तों से संबंधित प्रकटन बैंक की वेबसाइट में विनियामक प्रकटन के अंतर्गत पृथक रूप से प्रकट किए गए हैं। इस सेक्शन का लिंक है [https://www.allahabadbank.in/english/Capital\\_Instruments.aspx](https://www.allahabadbank.in/english/Capital_Instruments.aspx)

सारणी डीएफ – 15	परिलब्धियों हेतु प्रकटीकरण अपेक्षाएं
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हेतु अप्रयोज्य	

सारणी – 16	इक्विटी-बैंकिंग बही स्थिति हेतु प्रकटीकरण
------------	---

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश को क्रय की तारीख को व्यापार हेतु धारित (एचएफटी), विक्रय हेतु उपलब्ध(एएफएस), और परिपक्वता तक धारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेश को बैंकिंग बही में पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु वर्गीकृत किया जाता है।
- भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुषंगी और एसोसिएट के इक्विटी में निवेश को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है। इन्हें व्यावसायिक प्रयोजन हेतु संबंध बनाए रखने के रणनीतिपरक उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम के अंतर्गत धारित निवेशों को उनकी अर्जित लागत पर लिया जाता है न कि मार्केट टू मार्केट हेतु। इक्विटी निवेश के मूल्य में यदि कोई कमी, अस्थायी से इतर, होती है तो उसका प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के निवेश की बिक्री से हुई किसी हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। एचटीएम श्रेणी के निवेश की बिक्री से हुए किसी लाभ को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है और भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी रिजर्व में कर और सांविधिक रिजर्व के निवल के रूप में विनियोजित किया जाता है।

#### परिमाणात्मक प्रकटीकरण

#### क. निवेशों का मूल्य

(₹ मिलियन में)

निवेश	तुलनपत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	सार्वजनिक रूप से कोटेड शेयर मूल्य (यदि उचित मूल्य से काफी भिन्न है)
अन कोटेड	1,644	2,883	अप्रयोज्य
कोटेड	शून्य	शून्य	अप्रयोज्य

ख. निवेशों का प्रकार और स्वरूप

(₹ मिलियन में)

सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड	-
निजी रूप से धारित	1,617

ग. लाभ/ हानि विवरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	राशि
रिपोर्टिंग अवधि में विक्रय और परिसमापन से उत्पन्न होने से हुए संचयी लाभ (हानि)	-
वसूल न किए गए कुल लाभ (हानि)	1,239
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यन लाभ (हानि)	-
पूंजी में शामिल वसूल न किए गए कुल लाभ (हानि)	-
पूंजी में शामिल अव्यक्त पुनर्मूल्यन लाभ (हानि)	-

घ. बैंकिंग बहियो हेतु पूंजी अपेक्षा

(₹ मिलियन में)

इक्विटी समूहन	बासेल III के अंतर्गत उपचार	पूंजी अपेक्षा
पीएसयू/कॉरपोरेट के अन्य शेयर, जो भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार 2 मार्च 2004 को यथास्थिति एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत बैंक की बहियों में थे, इस प्रकार रखे जा सकते हैं।	जोखिम भारित	15

सारणी डीएफ 17	लेवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय बनाम लेखा आस्तियों के मिलान का सारांश
---------------	---

(₹ मिलियन में)

मद	31 मार्च 2019 को यथास्थिति
1 प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2,487,008
2 बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखा प्रयोजन हेतु समेकित किया जाता है किंतु विनियामक समेकन की परिधि से बाहर है।	(1,050)
3 परिचालनगत लेखा ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र मानी गईं में प्रत्ययी आस्तियों का समायोजन किंतु जिसे लेवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से बाहर रखा जाता है	(502)
4 डेरिवेटिव वित्तीय विवरणों का समायोजन	54,971
5 प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेनों का समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी प्रकार के प्रतिभूत ऋण)	302
6 तुलनपत्र बाह्य मदों का समायोजन (अर्थात् तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य राशि का संपरिवर्तन)	132,733
7 अन्य समायोजन	(16,888)
<b>8 लेवरेज अनुपात एक्सपोजर</b>	<b>2,656,573</b>

सार्वजनिक वित्तीय विवरणों का समाधान

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को यथास्थिति
1	वित्तीय विवरण के अनुसार कुल आस्तियां	2,487,008
2	प्रतिभूति वित्तीय विवरण हेतु समायोजन	(12,000)
3	अन्य समायोजन	(18,440)
<b>4</b>	<b>लेवरेज अनुपात के अंतर्गत तुलन पत्र एक्सपोजर</b>	<b>2,456,568</b>

**सारणी डीएफ 18**

**लेवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट**

लेवरेज अनुपात जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षा हेतु विश्वसनीय अनुपूरक उपाय है। बैंक से अपेक्षित है कि वह न्यूनतम 4.5% का लेवरेज अनुपात बनाए रखे। समेकित ढांचे के अंतर्गत भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलित बैंक का लेवरेज अनुपात निम्नानुसार है:

(₹ मिलियन में)

मद	31 मार्च 2019 को यथास्थिति
<b>तुलनपत्र एक्सपोजर</b>	
1 तुलनपत्र मदें (डेरिवेटिव और एसएफटी रहित किंतु संपार्श्विक सहित)	2,475,008
2 (बासेल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण हेतु घटाई गई आस्ति की राशि)	(18,440)
3 कुल तुलनपत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी रहित) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	<b>2,456,568</b>
<b>डेरिवेटिव एक्सपोजर</b>	
4 सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबद्ध पुनर्स्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी अंतर मार्जिन का निवल)	24,195
5 सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबद्ध पीएफई हेतु एड आन राशि	30,776
6 परिचालन लेखा संरचना के अनुसरण में डेरिवेटिव सांपार्श्विक प्रावधान का सकल जहां तुलनपत्र आस्तियों से घटाया गया है	-
7 (नकदी अंतर मार्जिन हेतु डेरिवेटिव लेनदेन में प्रावधान हेतु प्राप्य आस्तियों से कटौती)।	-
8 (क्लाइंट क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	-
9 (रिटन क्रेडिट डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि)	-
10 रिटन क्रेडिट डेरिवेटिव हेतु आनसेट आफसेट हेतु समायोजित प्रभावी नोशनल कटौती	-
11 कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का योग)	<b>54,971</b>
<b>प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर</b>	
12 विक्रय लेखा लेनदेनों के समायोजन के बाद सकल एसएफटी आस्तियां(बिना निवल किए)	12,000
13 (सकल एसएफटी आस्तियों की नकद देय और नकद प्राप्य राशियों का निवल)	-
14 एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोजर	302
15 एजेंट ट्रांजेक्शन एक्सपोजर	-
16 कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर(पंक्ति 12 से 15 का योग)	12,302
<b>अन्य तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर</b>	
17 सकल नोशनल राशि पर तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर	582,542
18 समतुल्य ऋण राशि में संपरिवर्तन हेतु समायोजन	(449,809)
<b>19 तुलनपत्र बाह्य मदें (पंक्ति 17 और 18 का योग)</b>	<b>132,733</b>
<b>पूंजी और कुल एक्सपोजर</b>	
20 टियर I पूंजी	125,960
21 कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3,11,16 और 19 का योग)	2,656,573
<b>लेवरेज अनुपात</b>	
22 बासेल III लेवरेज अनुपात	4.74%

**लेवरेज अनुपात प्रकटीकरण**

(₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 दिसम्बर, 2018	30 सितम्बर, 2018	30 जून, 2018
टियर 1 पूंजी	125,960	92,745	67,519	65,623
एक्सपोजर उपाय	2,656,573	2,541,885	2,606,228	2,552,193
लेवरेज अनुपात	4.74%	3.65%	2.59%	2.57%

<b>TABLE DF – 14</b>	<b>FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS</b>
----------------------	--

Disclosures pertaining to the terms and conditions of regulatory capital instruments have been disclosed separately on the Bank's website under the Regulatory Disclosures Section.

The link to this section is: [https://www.allahabadbank.in/english/Capital\\_Instruments.aspx](https://www.allahabadbank.in/english/Capital_Instruments.aspx)

<b>TABLE DF – 15</b>	<b>DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR REMUNERATION</b>
<b>Not Applicable For Public Sector Bank</b>	

<b>TABLE DF – 16</b>	<b>EQUITIES—DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS</b>
----------------------	---

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

### Quantitative Disclosures

#### A. Value of Investment

(₹ in millions)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	1,644	2,883	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

**B. Types And Nature of Investment**

(₹ in millions)

Publicly traded	–
Privately held	1,617

**C. Gain/ Loss Statement**

(₹ in millions)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	1,239
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

**D. Capital Requirement for Banking Book**

(₹ in millions)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2 <sup>nd</sup> March 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted	15

TABLE DF – 17

**SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE**

(₹ in millions)

Item	As on Mar 31, 2019
1 Total consolidated assets as per published financial statements	2,487,008
2 Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(1,050)
3 Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	(502)
4 Adjustments for derivative financial instruments	54,971
5 Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	302
6 Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	132,733
7 Other adjustments	(16,888)
<b>8 Leverage ratio exposure</b>	<b>2,656,573</b>

**Reconciliation with public financial statements**

(₹ in millions)

Particulars	As on Mar 31, 2019
1 Total assets as per financial statement	2,487,008
2 Adjustments for securities financial statement	(12,000)
3 Other adjustments	(18,440)
<b>4 On-Balance Sheet exposure under Leverage Ratio</b>	<b>2,456,568</b>

TABLE DF – 18

## LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

The leverage ratio act as a credible supplementary measure to the risk-based capital requirement. The Bank is required to maintain a minimum leverage ratio of 4.5%. The Bank's leverage ratio, calculated in accordance with the RBI guidelines under consolidated framework is as follows: (₹ in millions)

Item	As on Mar 31, 2019
<b>On-balance sheet exposures</b>	
1 On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2,475,008
2 (Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(18,440)
3 Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	<b>2,456,568</b>
<b>Derivative exposures</b>	
4 Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	24,195
5 Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	30,776
6 Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	–
7 (Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	–
8 (Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	–
9 Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	–
10 (Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	–
11 <b>Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)</b>	<b>54,971</b>
<b>Securities financing transaction exposures</b>	
12 Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	12,000
13 (Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	–
14 CCR exposure for SFT assets	302
15 Agent transaction exposures	–
16 Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	<b>12,302</b>
<b>Other off-balance sheet exposures</b>	
17 Off-balance sheet exposure at gross notional amount	582,542
18 (Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(449,809)
19 <b>Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)</b>	<b>132,733</b>
<b>Capital and total exposures</b>	
20 Tier 1 capital	125,960
21 <b>Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)</b>	<b>2,656,573</b>
<b>Leverage ratio</b>	
22 <b>Basel III leverage ratio</b>	<b>4.74%</b>

## LEVERAGE RATIO DISCLOSURE

(₹ in millions)

Particulars	Mar 31, 2019	Dec 31, 2018	Sep 30, 2018	June 30, 2018
Tier 1 capital	125,960	92,745	67,519	65,623
Exposure Measure	2,656,573	2,541,885	2,606,228	2,552,193
Leverage Ratio	4.74%	3.65%	2.59%	2.57%

**1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का दर्शन :**

इलाहाबाद बैंक की कॉर्पोरेट नीति, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सुदृढ़ सिद्धान्तों पर आधारित है जिसका उद्देश्य है, अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा कॉर्पोरेट विकास की जिम्मेदारी लेते समय शेयरधारकों के मूल्य को अत्यधिक महत्व देते हुए अपने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना। बैंक अपने प्रकार्यों में सतत उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उच्च नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। बैंक खुलेपन तथा पूरी स्पष्टता के साथ सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रचलित मानदंडों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है जिससे बैंक को ग्राहकों, शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों के "विश्वास की परम्परा" हासिल होगी। बैंक निम्नलिखित के माध्यम से कॉर्पोरेट उत्कृष्टता हासिल करना चाहता है।

- देश के कानूनी ढाँचे तथा नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों के अधीन शेयरधारकों का मान बनाए रखना तथा इसे बढ़ाना।
- अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना।
- अपने ग्राहकों तथा कर्मचारियों, निवेशकों और समग्रतः समाज के अन्य तबकों के लिए एक खुली एवं साफ-सुथरी परिस्थिति तैयार करना।
- समाज के सभी वर्गों के लिए निरपेक्ष एवं समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए अतिसक्रिय प्रबंधन सुनिश्चित करना।

**2. निदेशक मंडल :**

**2.1** निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। निदेशकगण बोर्ड को निपुणता की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं। अन्य निदेशकों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (ए) निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :
- i) भारत सरकार
  - ii) कामगार कर्मचारी (वर्तमान में पद रिक्त है)
  - iii) अधिकारी कर्मचारी (वर्तमान में पद रिक्त है)
- (बी) वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन अथवा पर्यवेक्षण के मामलों के संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले एक निदेशक को भारतीय रिज़र्व बैंक की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- (सी) तीन स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक
- (डी) भारत सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार निदेशक (वर्तमान में पद रिक्त है)
- (ई) तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक ( 31.03.2019 को यथास्थिति एक पद रिक्त है)

**2.2. बोर्ड की समितियाँ :**

बोर्ड ने निम्नानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है जो बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष एवं संकेन्द्रित गवर्नेंस प्रदान करती हैं

**1. Corporate Governance Philosophy:**

Allahabad Bank's corporate policy envisages sound principles of Corporate Governance aimed at protecting the interests of all its stakeholders, giving utmost importance to shareholders' value while catering to the needs of the economy, national priorities and corporate growth. The Bank believes in highest standard of ethical values, transparency and disciplined approach to achieve sustainable excellence in its functioning. It is committed to comply with the best international practices coupled with continued openness and fairness and thereby enjoying "A Tradition of Trust" from its customers, shareholders and all other stakeholders. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by-

- Upholding and enhancing the shareholders' value within the principles of ethics and legal framework of the country.
- Extending best of services to its customers.
- Proclaiming a free and fair environment for its customers, employees, investors and other sections of the society at large.
- Ensuring a proactive management free from bias, ensuring fair and equitable justice to all sections of the society.

**2. Board of Directors:**

**2.1** The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Managing Director & CEO and two Executive Directors are the whole time Directors appointed by the Government of India. The other Directors include the following:-

- (a) A representative each of:
- i) Government of India (GOI),
  - ii) Workmen Employees (Post presently lying vacant),
  - iii) Officer Employees (Post presently lying vacant).
- (b) One director possessing necessary expertise and experience in the matter relating to regulation or supervision of commercial bank, to be nominated by the Central Govt. on the recommendation of RBI.
- (c) Three Independent Shareholder Directors.
- (d) One Chartered Accountant Director appointed by Government of India (Post presently lying vacant).
- (e) Three part-time Non-Official Directors (One post was vacant as on 31.03.2019).

**2.2 Committees of Board:**

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder for specific and focussed approach



एवं बैंक के मामलों में समुचित दिशानिर्देश देती हैं, कारगर मॉनिटरिंग और नियंत्रण करती हैं :-

- बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबीओडी)
  - बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
  - जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
  - सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति (सीओडी) [पूर्व में निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी) के रूप में ज्ञात]
  - हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
  - आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन और साइबर सुरक्षा समिति(आईटी समिति) [पूर्व में आईटी समिति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति के रूप में ज्ञात (आईटी समिति)]
  - धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)
  - ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
  - परिलब्धि समिति (परि.समि)
  - नामांकन समिति (नामां. समि)
  - शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति (एसआईएसी)
  - ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
  - वसूली समिति (आरसीबी)
  - निर्वाचन समिति (ईसीबी)
  - एचआर संबंधी स्टीयरिंग समिति (एचआर समिति) [पूर्व में बोर्ड की एचआर समिति (एचआर समिति) के रूप में ज्ञात]
  - इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी)
  - विनिवेश संबंधी निदेशकों की समिति (सीओडी विनिवेश)
- 2.3 बोर्ड के दायित्वों में नीतियों का निर्धारण, कॉर्पोरेट समिति और योजना, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न कार्याधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर पड़ने वाले मामलों की संस्वीकृति शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।
- 2.4 बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं और बैंक को इसके उद्देश्यों को विवेकपूर्ण एवं कारगर ढंग से प्राप्त करने हेतु मागदर्शन देती हैं जिससे नैतिक परिपाटियों और व्यावसायिक प्रबंधन के माध्यम से कार्यनिष्पादन का उच्च मानक सुनिश्चित किया जा सके।
- 2.5 31.03.2019 को यथास्थिति निदेशक मंडल का गठन निम्नवत है:-

towards governance of some of the important functional areas of the Bank, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank :-

- Management Committee of the Board (MCBOD)
  - Audit Committee of the Board (ACB)
  - Risk Management Committee (RMC)
  - Committee of Directors (COD) on Vigilance [previously known as Directors' Promotion Committee (DPC)]
  - Stakeholders' Relationship Committee (SRC)
  - IT Strategy, Digital Payment Promotion & Cyber Security Committee (IT Com.) [Previously known as IT Committee & Digital Payment Promotion Committee (IT Com.)]
  - Fraud Monitoring Committee (FMC)
  - Customer Service Committee (CSC)
  - Remuneration Committee (Remu. Com.)
  - Nomination Committee (Nom. Com.)
  - Share Issue and Allotment Committee (SIAC)
  - Credit Approval Committee (CAC)
  - Recovery Committee (RCB)
  - Election Committee (ECB)
  - Steering Committee on HR (HR Comm.) [previously known as HR Committee of the Board (HR Com.)]
  - Willful Defaulters Review Committee (WDRC)
  - Committee of Directors on Disinvestment (COD Disinvest)
- 2.3 The responsibilities of the Board include formulation of policies, corporate strategy and planning, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas.
- 2.4 The Board and its committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner and to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.
- 2.5 The composition of the Board of Directors as on 31.03.2019 was as under:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/नामांकन की तिथि	बैंक के बोर्ड स्तरीय समितियों की सदस्यता	अन्य बोर्ड और समितियों की सदस्यता	धारित शेयरों की संख्या
Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board Level Committees	Membership of other Board and Committees	No. of Shares held
1.	श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	19.09.2018	एमसीबी, आरएमसी, एफएमसी, सीएससी, डब्ल्यूडीआरसी, आरसीबी, ईसीबी, एसआईएसी, एचआर समिति, सीएसी, सतर्कता संबंधी सीओडी, विनिवेश संबंधी सीओडी, आईटी समिति में विशेष आमंत्रित	शून्य	शून्य
	Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO		MCB, RMC, FMC, CSC, WDRC, RCB, ECB, SIAC, HR Comm., CAC, COD on Vigilance, COD on Disinvestment Special Invitee - IT Comm.	Nil	Nil

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/नामांकन की तिथि	बैंक के बोर्ड स्तरीय समिति की सदस्यता	अन्य बोर्ड और समितियों की सदस्यता	धारित शेयरों की संख्या
Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board Level Committees	Membership of other Board and Committees	No. of Shares held
2.	श्री के. रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक	26.12.2018	एमसीबी, आरएमसी, एसआरसी, आईटी समिति, सीएससी, आरसीबी, ईसीबी, एसआईएसी, एचआर. समि., सीएसी, विनिवेश संबंधी सीओडी, विशेष आमंत्रित-डब्ल्यूडीआरसी, एसीबी, एफएमसी	शून्य	शून्य
	Shri K. Ramachandran	Executive Director		MCB, RMC, SRC, IT Comm, CSC, RCB, ECB, SIAC, HR Comm, CAC, COD on Disinvestment, Special Invitee - WDRC, ACB, FMC	Nil	Nil
3.	श्री पी. आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक	01.03.2019	एमसीबी, आरएमसी, एसआरसी, सीएससी, आईटी समिति, आरसीबी, ईसीबी, एसआईएसी, एचआर. समि., एसीबी, सीएसी, विनिवेश संबंधी सीओडी, विशेष आमंत्रित-डब्ल्यूडीआरसी, एफएमसी	शून्य	शून्य
	Shri P. R. Rajagopal	Executive Director		MCB, RMC, SRC, CSC, IT Comm, RCB, ECB, SIAC, HR Comm, ACB, CAC, COD on Disinvestment, Special Invitee - WDRC, FMC	Nil	Nil
4.	श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक	17.08.2017	परिलब्धि समिति, एसीबी, एफएमसी, नामांकन समि., आईटी समि., आरसीबी एवं एचआर समिति, सतर्कता संबंधी सीओडी	शून्य	शून्य
	Shri Rajeev Ranjan	Government Nominee Director		Remu. Comm., ACB, Nil FMC, Nom. Comm., IT Comm., RCB & HR Comm, COD on Vigilance	Nil	Nil
5.	श्री विवेक दीप	भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	06.12.2016	एमसीबी, एसीबी, परि.समिति, सतर्कता संबंधी सीओडी	शून्य	शून्य
	Shri Vivek Deep	RBI Nominee Director		MCB, ACB, Remu. Comm., COD on Vigilance	Nil	Nil
6.	प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	01.03.2019	एसीबी, एफएमसी, एसआरसी, आईटी समि. नामां.समि. एवं एचआर समि.	शून्य	शून्य
	Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non-Official Director		ACB, FMC, SRC, IT Comm., Nom. Comm. & HR Com.	Nil	Nil
7.	श्री गौतम गुहा*	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	25.04.2016	विनिवेश संबंधी सीओडी	शून्य	शून्य
	Shri Gautam Guha*	Part Time Non-Official Director		COD on Disinvestment	Nil	Nil

क्र. सं. Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति/नामांकन की तिथि Date of Appointment/ Nomination	बैंक के बोर्ड स्तरीय समिति की सदस्यता Membership of Bank's Board Level Committees	अन्य बोर्ड और समितियों की सदस्यता Membership of other Board and Committees	धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held
8.	डॉ. बिजय कुमार साहू Dr. Bijaya Kumar Sahoo	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	22.03.2018	एसीबी, आरएमसी, एफएमसी, आरसीबी विनिवेश संबंधी सीओडी ACB, RMC, FMC, RCB, COD on Disinvestment	1. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. 2. जेएसएस सॉफ्टवेयर एंड पार्क्स लि. 3. जेएसएस आईटी सॉल्यूशन्स प्रा.लि. 4. संत शिरडी साई एड्युकेशन सोसाइटी प्रा.लि. 5. एसआरबी टेक्नोलॉजिस प्रा.लि. 1. Hindustan Shipyard Ltd. 2. JSS Software & Parks Pvt. Ltd. 3. JSS IT Solutions Pvt. Ltd. 4. St. Shirdi Sai Education Society Pvt. Ltd. 5. SRB Technologies Pvt. Ltd.	पाँच सौ 500
9.	श्री सारथ सुरा Shri Sarath Sura	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	22.03.2018	आईटी समि., एमसीबी., एसआरसी, सीएससी, आरसीबी, एसआईएसी और डब्ल्यूडीआरसी IT-Comm., MCB, SRC, CSC, RCB, SIAC & WDRC	ग्रेकैम्पस एडुटेक प्रा. लि. हैदराबाद Greycampus Edutech Pvt. Ltd., Hyderabad.	एक सौ 100
10.	डॉ. पार्थप्रतिम पाल Dr. Parthapratim Pal	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	22.03.2018	एमसीबीओडी, आरएमसी, एफएमसी, सीएससी, डब्ल्यूडीआरसी, आईटी समि., एसआईएसी MCBOD, RMC, FMC, CSC, WDRC, IT-Comm, SIAC	शून्य Nil	एक सौ 100

\* नियुक्ति की अवधि पूरी होने पर सेवानिवृत्त / Since retired on completion of term of appointment.

**नोट :**

- (i) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों अर्थात् लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति के सदस्य नहीं है अथवा उन समस्त कंपनियों में, जिनके वे निदेशक हैं, में 5 से अधिक समितियों अर्थात् लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं।
- (ii) निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।
- (iii) निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंक के व्यवसाय और समग्र कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है और सूचीबद्ध संरचना की रिपोर्टिंग औपचारिक और अनौपचारिक इसके अनुरूप है।
- (iv) बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

**Note:**

- (i) None of the directors on the Board is member in more than 10 committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee or act as Chairman of more than 5 Committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee across all companies in which he/she is a director.
- (ii) There is no inter-se relationship between Directors.
- (iii) The Board of Directors has been responsible for the business and overall affairs of the Bank in the FY2018-19 and that the reporting structures of the listed entity, formal and informal are in consistent with the same.
- (iv) In the opinion of the Board the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI (LODR) regulations, 2015 and are independent of the management.

(v) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा त्यागपत्र देने की घटना नहीं हुई।

(v) During FY2018-19, there has been no instance of resignation by any of the Independent Directors.

**2.5.1 निदेशक मंडल के सदस्यों का परिचय**

**2.5.1 Credentials of members of Board of Directors:**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	निदेशक की श्रेणी	शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता	दक्षता/विशेषज्ञता
Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Skill/ Expertise
1	सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO	कार्यपालक Executive	बीएससी, एलएलबी, सीएआईआईबी B.Sc., LL.B., CAIIB	बैंकिंग Banking
2	श्री के. रामचंद्रन Shri K. Ramachandran	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक Executive	एम.एससी. M.Sc.	बैंकिंग Banking
3	श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P. R. Rajagopal	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक Executive	बी.कॉम., बी.एल. B.Com., B.L.	बैंकिंग Banking
4	श्री राजीव रंजन Shri Rajeev Ranjan	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director	गैर कार्यपालक – नामिती Non Executive-Nominee	एम.एससी. (रसायन शास्त्र) M.Sc. (Chemistry)	लोक प्रशासन Public Administration
5	श्री विवेक दीप Shri Vivek Deep	भारिबैं द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director	गैर कार्यपालक – नामिती Non Executive-Nominee	बीए(ऑनर्स), सीएआईआईबी, डीआईबीएफ BA (Hons), CAIIB, DIBF	अर्थशास्त्र Economics
6	प्रो. राधा आर. शर्मा Prof. Radha R. Sharma	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Part Time Non-Official Director	गैर कार्यपालक – नामिती Non Executive-Nominee	पीएचडी, एमए(मनोविज्ञान) Ph.D., MA(Psy)	संगठनात्मक व्यवहार, एचआर. Organisational Behavior, HR
7	श्री गौतम गुहा * Shri Gautam Guha*	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Part Time Non-Official Director	गैर कार्यपालक – नामिती Non Executive-Nominee	एम.ए. M.A.	लेखापरीक्षा एवं लेखा Audit & Accounts
8	डॉ. बिजय कुमार साहू Dr. Bijaya Kumar Sahoo	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र Non Executive-Independent	पीएचडी., बी.कॉम(ऑनर्स), एलएल.बी., एफसीए, आईसीडब्ल्यूआई, एमबीए, आईएसए Ph.D., B.Com(Hons), LL.B., FCA, ICWAI, MBA, ISA	लेखापरीक्षा Audit
9	श्री सारथ सूरा Shri Sarath Sura	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र Non Executive-Independent	बी.ई.(ऑनर्स), एमटेक B.E. (Hons), M.Tech	आईटी IT
10	डॉ. पार्थप्रतिम पाल Dr. Parthapratim Pal	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र Non Executive-Independent	पीएच.डी., एम.फिल, एम.ए. Ph.D., M.Phil, M.A.	अर्थशास्त्र Economics

\* नियुक्ति की अवधि पूरी होने पर सेवानिवृत्त / Since retired on completion of term of appointment.

2.6. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (19.09.2018 को कार्यभार ग्रहण) और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त/नामित निदेशकों का ब्यौरा एवं कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशक का विवरण नीचे दिया गया है।

2.6 The profiles of the Managing Director & CEO of the Bank (assumed office on 19.09.2018 and the directors who were appointed/nominated on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2018-19 are furnished hereunder:

**2.6.1 सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी :**

श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव ने 19 सितम्बर 2018 को इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। बैंक में कार्यग्रहण करने से पूर्व उन्होंने 15.09.2016 से सिंडिकेट बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 33 वर्षों से अधिक समय तक पेशेवर बैंकर के रूप में कार्य किया है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स में महाप्रबंधक एवं सीएफओ के रूप में पदस्थ रहे। उन्होंने पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने अपना कैरियर 1985 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में आरंभ किया था। उनका ऋण, वसूली, ट्रेजरी, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन सूचना प्रणाली, रिटेल बैंकिंग, मार्केटिंग, प्रचार तथा वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रहा है।

**2.6.2 के. रामचंद्रन, कार्यपालक निदेशक:**

श्री के. रामचंद्रन ने 26 दिसम्बर, 2018 को इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वह विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने कंप्यूटर एप्लिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। उन्होंने मई, 1985 में कार्पोरेशन बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और शाखाओं, कार्पोरेट कार्यालयों तथा अन्य नियंत्रक कार्यालयों में कार्य किया है। वे कार्पोरेशन बैंक में संपूर्ण शाखा स्वचालन (ब्रांच ऑटोमेशन), इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन तैयार करने, इसके विकास और कार्यान्वयन से संबंध कोर टीम का हिस्सा थे। सहायक महाप्रबंधक, प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में उन्होंने वॉयस इनेबल्ड प्वाइंट ऑफ ट्रांजेक्शन, बिजनेस कॉरिसपोन्डेंट द्वारा प्रयुक्त हैंड हेल्ड टर्मिनल को कार्यान्वित करने में अपना अहम योगदान दिया। श्री रामचंद्रन वैकल्पिक चैनलों और क्रेडिट मॉनिटरिंग वर्टिकल के स्वतंत्र प्रभारी थे और कार्पोरेशन बैंक के थाणे मंडल के प्रमुख रहे। महाप्रबंधक संवर्ग में पदोन्नति होने पर वे अप्रैल, 2016 से कार्पोरेशन बैंक के चेन्नै सर्कल कार्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे।

**2.6.3 श्री पी. आर. राजगोपाल, कार्यपालक निदेशक**

श्री पी.आर. राजगोपाल ने 1 मार्च, 2019 को इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे वाणिज्य स्नातक तथा विधि स्नातक (बीएल) हैं। उन्होंने अपना बैंकिंग कैरियर 1985 में बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी के रूप में आरंभ किया और 2000 में वरिष्ठ प्रबंधक बने। उन्होंने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) में विधिक सलाहकार के रूप में सेवाएं प्रदान की थी और 2004 में बैंक ऑफ इंडिया में प्रत्यावर्तन (रिप्रेटिएशन) होने तक वे आईबीए से जुड़े रहे। उन्होंने 2004 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण किया और वर्ष 2016 में महाप्रबंधक के पद पर पहुँचे।

**2.6.4 प्रो. राधा आर शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक**

प्रो.राधा आर. शर्मा ने 1 मार्च, 2019 को एक वर्ष की अवधि हेतु इलाहाबाद बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में पुनः कार्यभार ग्रहण किया। वह 28.01.2016 से 27.01.2019 तक तीन वर्षों की अवधि हेतु बैंक की अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक रहीं। प्रो. शर्मा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, गुडगांव में चेयर प्रोफेसर हैं और एचएचएल लिपजिग ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जर्मन में आईसीसीआर चेयर प्रोफेसर रही हैं और ईएससीपी यूरोप(टोरिनो), यूरोपियन बिजनेस स्कूल, जर्मन के विजिटिंग प्रोफेसर और अन्य के साथ साथ लेपजिग युनिवर्सिटी, विट्टनबर्ग सेन्टर

**2.6.1 CH. S.S. Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO:**

Shri CH. S. S. Mallikarjuna Rao assumed charge as Managing Director and CEO of Allahabad Bank on 19<sup>th</sup> September 2018 Prior to joining the Bank, he served as Executive Director of Syndicate Bank since 15.09.2016. He has been a professional banker for over 33 years having held position as General Manager & CFO in Oriental Bank of Commerce. He had also worked as Assistant Vice President in erstwhile Global Trust Bank. He started his career in 1985 as a Probationary Officer in Bank of Maharashtra. He has vast exposure in Credit, Recovery, Treasury, Risk Management, Information Technology, Management Information System, Retail Banking, Marketing, Publicity & Alternative Delivery Channels.

**2.6.2 K. Ramachandran, Executive Director:**

Shri K. Ramachandran has assumed the office of Executive Director of Allahabad Bank on 26<sup>th</sup> December 2018. He is a Post Graduate in Science with Post Graduate Diploma in Computer Application. He joined Corporation Bank as Probationary Officer in May 1985 and had worked in Branches, Corporate Office and other Controlling Offices. He was part of the core team involved in the design, development and implementation of the total Branch Automation, Internet Banking and Mobile Banking application of Corporation Bank. As Asst. General Manager, Priority Sector he had implemented the voice enabled Point of Transaction, Hand Held Terminals used by Business Correspondents. Shri Ramachandran held independent charge of Alternate Channels, Credit Monitoring verticals and had headed Thane Zone of Corporation Bank. On elevation to General Manager Cadre, he was heading Chennai Circle of Corporation Bank from April 2016.

**2.6.3 Shri P. R. Rajagopal, Executive Director:**

Shri P.R. Rajagopal has assumed the office of Executive Director of Allahabad Bank on 1<sup>st</sup> March, 2019. He is a commerce graduate and Bachelor in Law (BL). He started his career in Bank of India as an Officer in 1995 and became a Senior Manager in 2000. Seconded to Indian Banks Association as Legal Adviser and was with IBA till 2004 till repatriation to Bank of India. He joined Union Bank of India in 2004 and elevated to the rank of General Manager in the Year 2016.

**2.6.4 Prof. Radha R. Sharma, Part time Non-Official Director:**

Prof. Radha R. Sharma re-joined as Part-Time Non-Official Director of Allahabad Bank on 01<sup>st</sup> March, 2019 for a period of one year. She has been Part-Time Non-Official Director of the Bank for a period of 3 years from 28.01.2016 to 27.01.2019. Prof. Sharma is a Chair Professor at Management Development Institute, Gurgaon and has been ICCR Chair Professor at HHL Leipzig Graduate School of Management, Germany & visiting Professor to ESCP Europe (Torino), European Business School, Germany and Guest Professor to Leipzig University, Wittenberg Centre for

फॉर ग्लोबल एथिक्स ह्यूमेनिस्टिक मैनेजमेंट सेंटर, युनिवर्सिटी ऑफ सेंट गेलेन स्विट्जरलैंड के गेस्ट प्रोफेसर रही हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता में चार स्वर्ण पदक पाने वाली डॉ. शर्मा एसोसिएशन ऑफ पर्सनेलिटी टाइप से एमबीटीआई में एडवांस्ड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्राप्त है, ईआई लर्निंग सिस्टम्स (यूएसए) से ईआई सर्टिफिकेशन प्राप्त हैं। उन्हें अन्य के साथ साथ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यूएसए से पार्टिसिपेंट सेन्टर्ड लर्निंग में प्रमाणपत्र प्राप्त है। उन्होंने ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स,सेबी के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं और भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अपोलो म्यूनिख इंश्योरेंस, बेरकाडिया, इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए प्रशिक्षण/परामर्श और अनुसंधान कार्य किए हैं।

Global Ethics, Humanistic Management Centre; University of St. Gallen, Switzerland among others. A recipient of four gold medals for academic excellence, several international and national academic awards and Dr. Sharma has Advanced Professional Certification in MBTI from Association of Personality Type, EI certification from EI Learning Systems (USA). She has received certification in participant-centered learning from Harvard Business School, USA among others. She has organized Management development programmes for Oriental Bank of Commerce, SEBI, and done training/consulting and research work for State Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Apollo Munich Insurance, Berkadia, India, Life Insurance Corporation of India, Reserve Bank of India, among other.

### 3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड / समिति की बैठक का विवरण :

#### 3.1 बैठकों में वर्तमान एवं पिछले निदेशकों की उपस्थिति का विवरण (01.04.2018 से 31.03.2019):-

### 3. Details of the Board/Committee meeting held during financial year 2018-19:

#### 3.1 Details of the meetings attended by Present and Past Directors (from 01.04.2018 to 31.03.2019):-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड	एमसीबी	एसीबी	आरएमसी	सीओडी (विधि)	एस आर सी	आईटी	एफएमसी	सीएससी	परिलिखित समि.	एसआई	सीएसी	आर सीबी	ईसीबी	नामा. समि.	एचआर समि.	डब्ल्यूडी आरसी	सीओडी (विनि)
Sl. No.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	COD (Vig)	SRC	IT Com.	FMC	CSC	Remu. Com.	SIAC	CAC	RCB	ECB	Nomn. Com.	HR Com.	WDRC	COD (Disinvest)
1	श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	9	7	-	3	1	-	2	2	3	-	2	14	7	-	-	1	3	2
2	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन Smt. Usha Ananthasubramanian*	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
3	श्री एन.के. साहू Shri N K Sahoo**	14	12	10	3	-	1	6	2	4	-	3	27	9	-	-	1	5	1
4	श्री एस. हरिशंकर Shri S. Harisankar***	6	6	5	1	-	-	4	1	1	-	1	15	3	-	-	-	2	1
5	श्री के. रामचंद्रन Shri K. Ramachandran	5	3	3	1	-	-	2	2	2	-	1	7	4	-	-	1	2	1
6	श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P.R. Rajagopal	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
7	श्री राजीव रंजन Shri Rajeev Ranjan	8	-	5	-	2	-	1	1	-	-	-	-	4	-	-	0	-	-
8	श्री विवेक दीप Shri Vivek Deep	13	13	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	प्रो. राधा आर. शर्मा Prof. Radha R. Sharma	10	5	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	2	-
10	श्री गौतम गुहा Shri Gautam Guha	12	-	9	3	-	-	3	3	3	-	1	-	6	-	-	-	2	2
11	डॉ. बिजय कुमार साहू Dr. Bijaya Kumar Sahoo	15	-	11	1	-	1	3	1	2	-	-	-	3	-	-	-	3	2
12	श्री सारथ सूरा Shri Sarath Sura	11	8	-	3	-	-	7	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
13	डॉ. प्रार्थप्रतिम पाल Dr. Parthapratim Pal	12	9	-	0	-	1	4	2	1	-	2	-	7	-	-	-	1	-

(सतर्कता संबंधी सीओडी) पूर्व में डीपीसी के रूप में ज्ञात। \*12.08.2018 तक एमडी एवं सीईओ। \*\*28.02.2019 तक ईडी। \*\*\*19.09.2018 तक ईडी। (COD on Vigilance) Previously known as DPC. \* MD& CEO upto 12.08.2018. \*\* ED upto 28.02.2019. \*\*\* ED upto 19.09.2018.

3.2 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम छह बैठकों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की पंद्रह(15) बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

3.2 During the financial year 2018-19, fifteen (15) Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum six meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details are given below:-

क्रम सं SI. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड में निदेशकों की संख्या Number of Directors on Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1	11.05.2018	10	9
2	11.05.2018	10	9
3	15.05.2018	9	9
4	28.06.2018	9	7
5	27.07.2018	9	9
6	14.08.2018	9	6
7	28.09.2018	9	8
8	12.11.2018	9	7
9	13.11.2018	9	7
10	06.12.2018	9	8
11	29.12.2018	10	6
12	05.02.2019	9	8
13	06.02.2019	9	8
14	27.02.2019	9	8
15	26.03.2019	10	9

#### 4. बोर्ड की समितियां :

#### 4. Committees of the Board:

##### 4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

##### 4.1 Management Committee of the Board:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 यथासंशोधित के अनुसार बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन किया गया। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया।

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended, read with the directives of the Ministry of Finance, Government of India. The committee is re-constituted from time to time.

##### 4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन :

##### 4.1.1 Composition of the Management Committee of the Board:

यथास्थिति 31.03.2019 को बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

The composition of Management Committee of the Board as on 31.03.2019 stands as under:

1.	श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO
2.	श्री के. रामचंद्रन Shri K. Ramachandran	कार्यपालक निदेशक Executive Director
3.	श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P. R. Rajagopal	कार्यपालक निदेशक Executive Director
4.	श्री विवेक दीप Sri Vivek Deep	भारिबैं द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director
5.	श्री सारथ सूरा Shri Sarath Sura	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director
6.	डॉ. प्रार्थप्रतिम पाल Dr. Parthapratim Pal	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director

13.04.2018 को आयोजित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन द्वारा की गई। 18.09.2018 तक परवर्ती बैठकों की अध्यक्षता श्री एन.के. साहु, तत्कालीन कार्यपालक निदेशक द्वारा की गई। 18.09.2018 के बाद की सभी बैठकों की अध्यक्षता श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई।

#### 4.1.2 बोर्ड की प्रबंधन समिति के कार्य :

प्रबंधन समिति का कार्य उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों की संस्वीकृति, समझौता/बट्टे खाते डालना, पूंजीगत तथा राजस्व व्यय की संस्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों पर विचार करना तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक(कों) को प्रत्यायोजित अधिकार के उपयोग की समीक्षा करना है। समिति निवेश संविभाग, अनुपयोज्य आस्तियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड द्वारा समिति को संदर्भित अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों की समीक्षा भी करती है।

#### 4.1.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की तेरह (13) बैठकें आयोजित की गई :-

क्र.सं. Sl. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Management Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1.	13.04.2018	6	6
2.	07.06.2018	5	5
3.	27.06.2018	5	4
4.	27.07.2018	5	5
5.	13.08.2018	5	4
6.	18.09.2018	5	5
7.	28.09.2018	4	4
8.	01.11.2018	4	4
9.	06.12.2018	5	5
10.	24.12.2018	5	5
11.	24.01.2019	6	6
12.	18.02.2019	6	6
13.	19.03.2019	6	6

#### 4.2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने 31.05.1994 को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया तथा उसे समय-समय पर पुनर्गठित किया।

1<sup>st</sup> meeting of the Committee held on 13.04.2018 was chaired by the then Managing Director & CEO, Smt. Usha Ananthasubramanian. Subsequent meetings held till 18.09.2018 was chaired by Shri N.K. Sahoo, the then Executive Director. Post 18.09.2018, all meetings were chaired by Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO.

#### 4.1.2 Function of the Management Committee of the Board:

The function of the Management Committee is to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise/write off, sanction of capital and revenue expenditure and review the exercise of delegated authority by the Chairman and Managing Director / Managing Director & CEO and the Executive Director(s). The Committee also reviews the performance of key areas like investment portfolio, non-performing assets and other important management decisions referred to the Committee by the Board.

#### 4.1.3 Details of meetings:

The Committee met thirteen (13) times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 as detailed below:-

#### 4.2 Audit Committee of the Board (ACB):

As per the directives of Reserve Bank of India and having regard to the fundamentals of Corporate Governance, the Bank originally constituted an Audit Committee on 31.05.1994 and reconstituted the same from time to time.



#### 4.2.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2019 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नोक्त सदस्य थे:-

1. डॉ. बिजय कुमार साहू (सनदी लेखाकार)  
Dr. Bijaya Kr. Sahoo (Chartered Accountant)
2. श्री के. रामचंद्रन  
Shri K. Ramachandran
3. श्री पी. आर. राजगोपाल  
Shri P. R. Rajagopal
4. श्री राजीव रंजन  
Shri Rajeev Ranjan
5. श्री विवेक दीप  
Shri Vivek Deep
6. प्रो. राधा आर. शर्मा  
Prof Radha R. Sharma

#### 4.2.1 Composition of the Audit Committee of the Board:

The composition of Audit Committee of the Board as on 31.03.2019 stands as under:-

- शेयरधारक निदेशक एवं एसीबी के अध्यक्ष  
Shareholder Director & Chairman of the ACB
- कार्यपालक निदेशक (विशेष आमंत्रित)  
Executive Director (Special Invitee)
- कार्यपालक निदेशक  
Executive Director
- सरकार द्वारा नामित निदेशक  
Government Nominee Director
- भारिबैं द्वारा नामित निदेशक  
RBI Nominee Director
- अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक  
Part Time Non Official Director

डॉ. बिजय कुमार साहू, शेयरधारक निदेशक और सनदी लेखाकार को निदेशक मंडल द्वारा 24.12.2016 से 03.03.2018 तक से एसीबी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। पुनः 22.03.2018 से शेयरधारक निदेशक के रूप में उनके निर्वाचन के बाद 22.03.2018 से एसीबी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया क्योंकि उनके अलावा बैंक के बोर्ड में कोई सनदी लेखाकार नहीं है।

Dr. Bijaya Kr. Sahoo, Shareholder Director & Chartered Accountant was nominated to the ACB as Chairman by the Board of Directors w.e.f. 24.12.2016 till 03.03.2018. After his election as Shareholder Director w.e.f. 22.03.2018, Dr. Bijaya Kr. Sahoo was again nominated to the ACB as Chairman w.e.f. 22.03.2018 since no Director under Chartered Accountant category is there on the Board of the Bank except him.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 24 सितम्बर 2015 के पत्रांक आरबीआई/2016-17/181 डीबीएस.एआरसी.बीसी 4/08.91.020/2016-17 के दिशानिर्देशों के अनुसार श्री के. रामचंद्रन, कार्यपालक निदेशक को एसीबी की बैठक में तभी आमंत्रित किया जाता है जब उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित कार्यसूची मद पर बैठक में चर्चा की जानी हो।

In terms of RBI guidelines vide RBI/2016-17/181 DBS.ARC.BC 4/ 08.91.020/2016-17 dated 24th September, 2015, Shri K. Ramachandran, Executive Director is invited to ACB, only if any agenda belonging to his domain is to be discussed in that particular ACB meeting.

#### 4.2.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के कार्य :

लेखापरीक्षा समिति का कार्य अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का मूल्यांकन एवं उसकी समीक्षा करना है ताकि विवरणों की सत्यता, पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले समिति प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय परिणामों की समीक्षा करती है।

#### 4.2.2 Function of the Audit Committee of the Board:

The function of Audit Committee inter alia includes assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank so as to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews with the management the annual financial statements before their submission to the Board.

लेखापरीक्षा समिति निदेश भी देती है तथा बैंक के अंतर्गत संगठन, परिचालन, कार्यनिष्पादन, स्वतंत्रता, कारगरता तथा आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण सहित बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण करती है तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा एवं भारिबैं के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

The Audit Committee provides direction and oversees the operations of total audit function of the Bank including the organization, operation, performance, independence, effectiveness and quality control of internal audit and inspection within the Bank, follow up on the Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसके स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त यह बैंक की वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की भी समीक्षा करती है।

The Committee also reviews the adequacy of internal control system, structure of internal audit department, its staffing pattern and discussion with the internal auditors/Inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करती है। यह बैंक के व्हीसल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा भी करती है।

Audit committee evaluates internal financial controls and risk management system. It also reviews Whistle Blower mechanism of the Bank.

सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में, लेखापरीक्षा समिति वार्षिक/तिमाही वित्तीय लेखाओं और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

#### 4.2.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की निम्नानुसार ग्यारह(11) बैठकें आयोजित की गईं:-

क्र.सं. Sl.No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Audit Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors attended the meeting
1.	10.05.2018	6	5
2.	11.05.2018	6	5
3.	27.07.2018	6	5
4.	06.08.2018	6	5
5.	14.08.2018	6	5
6.	15.10.2018	5	5
7.	12.11.2018	5	4
8.	13.11.2018	5	4
9.	05.02.2019	6	5
10.	06.02.2019	6	5
11.	26.03.2019	6	5

Regarding Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Annual/ Quarterly Financial Accounts and Reports. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

#### 4.2.3 Details of meetings:

During the period from 01.04.2018 to 31.03.2019, eleven (11) meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below:-

#### 4.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूलतः 04 मार्च, 2003 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया एवं समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है।

##### 4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2019 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

#### 4.3 Risk Management Committee of the Board:

As per the directives of the Reserve Bank of India, a Risk Management Committee of the Board was originally constituted on 04.03.2003 and the same has been reconstituted from time to time.

##### 4.3.1 Composition of the Risk Management Committee of the Board:

The members of the Risk Management Committee of the Board as on 31.03.2019 were as under:-

1.	श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO
2.	श्री के. रामचंद्रन Shri K. Ramachandran	कार्यपालक निदेशक Executive Director
3.	श्री पी. आर. राजगोपाल Shri P. R. Rajagopal	कार्यपालक निदेशक Executive Director
4.	डॉ. बिजय कुमार साहू Dr. Bijaya Kumar Sahoo	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director
5.	डॉ. प्रार्थप्रतिम पाल Dr. Parthapratim Pal	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director

27.06.2018 को आयोजित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता श्री एन.के. साहु, तत्कालीन कार्यपालक निदेशक द्वारा की गई और शेष 3 बैठकों की अध्यक्षता श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई।

#### 4.3.2 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के कार्य :

जोखिम प्रबंधन समिति ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम निवेशों से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन हेतु नीति तथा रणनीति निरूपित करती है।

#### 4.3.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं. बैठक की तिथि SI.No. Date of Meeting	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Risk Management Committee of Board.	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors attended the meeting
1. 27.06.2018	4	3
2. 15.10.2018	4	4
3. 24.12.2018	4	4
4. 19.03.2018	5	5

#### 4.4 सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति(सीओडी) [पूर्व में निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी) के रूप में ज्ञात]

बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के निदेशों के अनुसरण में निदेशक पदोन्नति समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

#### 4.4.1 सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति(सीओडी) का गठन :

यथास्थिति 31.03.2019 को सतर्कता संबंधी निदेशकों की पदोन्नति समिति (सीओडी) में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री राजीव रंजन	: सरकार द्वारा नामित निदेशक
3. श्री विवेक दीप	: भारिबैं द्वारा नामित निदेशक

दिनांक 11.05.2018 को आयोजित समिति की बैठक की अध्यक्षता, श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन, तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई थी और 06.12.2018 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, वर्तमान प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई थी।

#### 4.4.2 सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति(सीओडी) के कार्य :

सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति(सीओडी) [पूर्व में निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी) के रूप में ज्ञात] का गठन सतर्कता एवं गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों के निपटान की समीक्षा करने एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिमहत्वपूर्ण अन्य मामलों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

1<sup>st</sup> meeting of the Committee held on 27.06.2018 was chaired by Shri N.K Sahoo, the then Executive Director and the remaining 3 meetings were chaired by Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO.

#### 4.3.2 Function of Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee devises the policy and strategy for integrated risk management pertaining to various risk exposures of the Bank including Credit, Market and Operational Risk.

#### 4.3.3 Details of meetings:

The Committee met four (4) times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 as detailed below:

#### 4.4 Committee of Directors (COD) on Vigilance [previously known as Directors' Promotion Committee (DPC)]:

The Bank in pursuance to the directives of Govt. of India, Ministry of Finance (Banking Division) constituted Directors Promotion Committee (DPC) and the same has been reconstituted from time to time.

#### 4.4.1 Composition of the Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The composition of Committee of Directors (COD) on Vigilance as on 31.03.2019 stands as under:

1. Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO
2. Shri Rajeev Ranjan	Government Nominee Director
3. Shri Vivek Deep	RBI Nominee Director

The Committee was chaired by Smt. Usha Ananthasubramanian, the then Managing Director & CEO in the meeting dated 11.05.2018 and the meeting held on 06.12.2018 was chaired by Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao, present Managing Director & CEO.

#### 4.4.2 Function of the Committee of Directors (COD) on Vigilance:

Committee of Directors (COD) on Vigilance [previously known as Directors' Promotion Committee (DPC)] has been constituted to review disposal of vigilance and non-vigilance disciplinary cases and other cases of strategic importance in terms of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) guidelines on Corporate Governance and Risk Management System.

#### 4.4.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान निम्नोक्त तिथियों को समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं :-

#### 4.4.3 Details of meetings:

The Committee held two meetings during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 as detailed below:

क्र.सं. बैठक की तिथि Sl.No. Date of Meeting	निदेशकों की समिति (सीओडी) में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Committee of Directors(COD)	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1. 11.05.2018	03	03
2. 06.12.2018	03	03

#### 4.5 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति :

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित के अनुसरण में 09.11.2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा बैंक की हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया।

#### 4.5 Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The Stakeholders' Relationship Committee of the Bank was constituted by the Board in its meeting dated 09.11.2015 pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

#### 4.5.1 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति का गठन:

31.03.2019 को यथास्थिति हितधारक संबंध समिति के निम्नोक्त सदस्य थे :-

#### 4.5.1 Composition of the Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The composition of Stakeholders' Relationship Committee of the Board as on 31.03.2019 stands as under:-

1. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
2. श्री के. रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक
3. श्री पी.आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक
4. श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक

1. Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non Official Director & Chairperson
2. Shri K. Ramachandran	Executive Director
3. Shri P. R. Rajagopal	Executive Director
4. Shri Sarath Sura	Shareholder Director

समिति की अध्यक्ष प्रो. राधा आर. शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं।

The Chairperson of the Committee is Prof. Radha R. Sharma, Part Time Non Official Director.

#### 4.5.2 हितधारक संबंध समिति के कार्य :

समिति की भूमिका में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है।

#### 4.5.2 Function of Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The role of the committee shall inter-alia include the following:

- (1) शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित सूचीबद्ध संस्था के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना।
- (2) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के कारगर प्रयोग हेतु उपायों की समीक्षा करना।
- (3) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाई गई मानक सेवाओं के अनुपालन की समीक्षा।
- (4) अदावी लाभांशों की मात्रा को कम करने और कंपनियों के शेयरधारकों को समय पर लाभांश वारंट/वार्षिक प्रतिवेदन/सांविधिक सूचनाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सूचीबद्ध संस्था द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।

- (1) Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- (2) Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- (3) Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- (4) Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

The details of shareholders' complaints are as under:

31.03.2018 को यथास्थिति लंबित Pending as on 31.03.2018	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the Year	वर्ष के दौरान निस्तारित Resolved during the Year	31.03.2019 को यथास्थिति लंबित Pending as on 31.03.2019
शून्य/Nil	135	134	01*

\* 31.03.2019 को यथास्थिति लंबित एक शिकायत का समाधान कर दिया गया है/  
One complaint pending as on 31.03.2019 has since been resolved.

#### 4.5.3 बैठकों का विवरण

01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	हितधारक संबंध समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of Meeting	Number of Directors on the Stakeholders' Relationship Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	12.11.2018	04	04

**4.6 आईटी रणनीति, डिजीटल भुगतान संवर्धन और साइबर सुरक्षा समिति(आईटी समि.) [पूर्व में आईटी समिति और डिजीटल भुगतान संवर्धन समिति (आईटी समि.) के रूप में ज्ञात]**

बैंक ने 24 अप्रैल 2003 को आईटी समिति गठित की जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया। 12.12.2017 से समिति का पुनर्गठन किया गया और इसे आईटी रणनीति और डिजीटल भुगतान संवर्धन समिति (आईटी समि.) का नाम दिया गया। इसके अतिरिक्त 28.06.2018 को आयोजित बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति का नाम बदलकर आईटी रणनीति, डिजीटल भुगतान संवर्धन और साइबर सुरक्षा समिति (आईटी समिति) किया जाए।

**4.6.1 आईटी रणनीति, डिजीटल भुगतान संवर्धन और साइबर सुरक्षा समिति (आईटी समि.) का गठन:**

यथास्थिति 31.03.2019 को आईटी रणनीति और डिजीटल भुगतान संवर्धन समिति(आईटी समि.) में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक एवं अध्यक्ष
2. श्री सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विशेष आमंत्रिती)
3. श्री के. रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक
4. श्री पी.आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक
5. श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
6. प्रो. राधा आर.शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
7. डॉ. प्रार्थप्रतिम पाल	शेयरधारक निदेशक

समिति के अध्यक्ष श्री सारथ सूरा, शेयरधारक निदेशक हैं।

**4.6.2 आईटी रणनीति, डिजीटल भुगतान संवर्धन और साइबर सुरक्षा समिति (आईटी समि.) के कार्य :**

समिति का गठन बैंक की विभिन्न आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु किया गया है।

**4.6.3 बैठकों का विवरण :**

01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान इस समिति की सात बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई:-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की आईटी समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of meeting	Number of Directors on the IT Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	13.04.2018	6	5
2	07.06.2018	5	5
3	27.06.2018	5	4
4	13.08.2018	6	4
5	04.12.2018	6	6
6	27.02.2019	7	6
7	19.03.2019	7	5

#### 4.5.3 Details of meetings

The Committee held one meeting during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 as detailed below:

**4.6 IT Strategy, Digital Payment Promotion & Cyber Security Committee (IT Com.) [Previously known as IT Committee & Digital Payment Promotion Committee (IT Com.)]:**

The Bank constituted the IT Committee on April 24<sup>th</sup>, 2003 and it was further reconstituted from time to time. The Committee was reconstituted w.e.f. 12.12.2017 as rechristened as IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee (IT Com.). Further in the Board meeting dated 28.06.2018, it was decided to rename the Committee as IT Strategy, Digital Payment Promotion & Cyber Security Committee (IT Com.).

**4.6.1 Composition of the IT Strategy, Digital Payment Promotion & Cyber Security Committee (IT Com.):**

The members of the IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee (IT Com.) as on 31.03.2019 were as under:

1. Shri Sarath Sura	Shareholder Director & Chairperson
2. Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO (Special Invitee)
3. Shri K. Ramachandran	Executive Director
4. Shri P.R. Rajagopal	Executive Director
5. Shri Rajeev Ranjan	Government Nominee Director
6. Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non- Official Director
7. Dr. Parthapratim Pal	Shareholder Director

The Chairperson of the Committee is Shri Sarath Sura, Shareholder Director.

**4.6.2 Function of the IT Strategy, Digital Payment Promotion & Cyber Security Committee (IT Com.):**

This Committee was constituted to monitor the implementation of various IT projects of the Bank.

**4.6.3 Details of meetings:**

This Committee held seven meetings during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019, as detailed below:

#### 4.7 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति :

बैंक ने एक करोड़ रुपए और अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु 28.02.2004 को धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

##### 4.7.1 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2019 को धोखाधड़ी निगरानी समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री के. रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक (विशेष आमंत्रित)
3. श्री पी. आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक (विशेष आमंत्रित)
4. श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
6. डॉ. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक
7. डॉ. पार्थप्रतिम पाल	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई एवं बैंक के कार्यपालक निदेशक समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित हुए। 28.06.2018 को आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता श्री एन.के. साहू, तत्कालीन कार्यपालक निदेशक द्वारा की गई और शेष दो बैठकों की अध्यक्षता श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई।

##### 4.7.2 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति के कार्य :

धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं अर्थात् धोखाधड़ी का पता लगाना, नियामक और प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करना, तथा धोखाधड़ी को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में होने वाले विलम्ब को देखते हुए अनन्य रूप से रुपये एक करोड़ रुपए और अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की मॉनिटरिंग और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु समिति का गठन किया गया।

##### 4.7.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति की दो बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई :-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति के निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of Meeting	Number of Directors on the Fraud Monitoring Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	28.06.2018	6	6
2.	05.02.2019	7	6
3.	05.03.2019	7	6

#### 4.8 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

निदेशक मंडल ने 09.09.2004 को आयोजित बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के दिनांक 14 अगस्त, 2004 के पत्र के अनुपालन में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है। समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया ताकि सतत आधार पर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

#### 4.7. Fraud Monitoring Committee of the Board:

The Bank has constituted Fraud Monitoring Committee on 28.02.2004 and reconstituted it from time to time with a purpose to monitor and follow up cases of frauds involving amount of rupees one crore and above.

##### 4.7.1 Composition of the Fraud Monitoring Committee of the Board:

The members of the Fraud Monitoring Committee of the Board as on 31.03.2019 were as under:-

1. Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO
2. Shri K. Ramachandran	Executive Director (Special Invitee)
3. Shri P. R. Rajagopal	Executive Director (Special Invitee)
4. Shri Rajeev Ranjan	Government Nominee Director
5. Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non Official Director
6. Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholder Director
7. Dr. Parthapratim Pal	Shareholder Director

The Executive Director (s) of the Bank attended the meeting of committee as special invitee and the meetings of the committee were chaired by Managing Director & CEO. 1st meeting of the Committee held on 28.06.2018 was chaired by Shri N.K Sahoo, the then Executive Director and the remaining 2 meetings were chaired by Shri CH. S. S. Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO.

##### 4.7.2 Function of the Fraud Monitoring Committee of the Board:

The Fraud Monitoring Committee has been constituted exclusively for monitoring, review and follow up cases of frauds involving amount of Rupees one crore and above, keeping in view the delay caused in various aspects of fraud like detecting, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against perpetrators of the fraud.

##### 4.7.3 Details of meetings:

The Fraud Monitoring Committee held three meetings during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 as detailed below:-

#### 4.8 Customer Service Committee of the Board:

In compliance with RBI letter dated August 14<sup>th</sup>, 2004, the Board of Directors in its meeting held on 09.09.2004 constituted Customer Service Committee and reconstituted it from time to time. The committee has been constituted with a view to bring out improvements in the quality of customer service in the Bank on a continuous basis.

#### 4.8.1 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन :

31.03.2018 को ग्राहक सेवा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. श्री सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री के. रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक
3. श्री पी. आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक
4. श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक
5. डॉ. प्रार्थप्रतिम पाल	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक द्वारा की गई। 27.07.2018 को आयोजित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता श्री एन.के. साहु, तत्कालीन कार्यपालक निदेशक द्वारा की गई। और शेष 3 बैठकों की अध्यक्षता श्री सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक द्वारा की गई।

#### 4.8.2 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के कार्य:

हर समय सभी प्रकार के ग्राहकों के ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार करने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नवीन उपाय करना।

#### 4.8.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई :-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of Meeting	Number of Directors on the Customer Service Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	27.07.2018	4	4
2	28.09.2018	4	3
3	29.12.2018	5	5
4	27.02.2019	5	5

#### 4.9 बोर्ड की परिलब्धि समिति :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 9 मार्च 2007 की अधिसूचना एफ. सं. 20/1/2005-बीओआई के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के पात्र होंगे बशर्ते कि लक्ष्य और गुणात्मक पैरामीटर संबंधी आशय विवरण और पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों से संबंधित बैंचमार्क पर आधारित कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स हेतु तय मात्रात्मक पैरामीटरों को बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो। कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन बोर्ड की उप समिति- "परिलब्धि समिति" द्वारा किया जाएगा जिसमें सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक तथा दो अन्य निदेशक शामिल होंगे।

4.9.1 निदेशक मंडल ने 23.03.2007 की अपनी बैठक में कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के प्रयोजन हेतु पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से परिलब्धि समिति का गठन किया। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

#### 4.8.1 Composition of Customer Service Committee of the Board:

The composition of Customer Service Committee of the Board as on 31.03.2019 stands as under:-

1. Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO
2. Shri K. Ramachandran	Executive Director
3. Shri P. R. Rajagopal	Executive Director
4. Shri Sarath Sura	Shareholder Director
5. Dr. Parthapratim Pal	Shareholder Director

The Committee is chaired by Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO. 1st meeting of the Committee held on 27.07.2018 was chaired by Shri N.K Sahoo, the then Executive Director and the remaining 3 meetings were chaired by Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO.

#### 4.8.2 Function of the Customer Service Committee of the Board:

To innovate measures for enhancing the quality of customer service and improve the level of customer satisfaction to all categories of clientele at all times.

#### 4.8.3 Details of meetings:

The Committee held four meetings during the period 01.04.2018 to 31.03.2019 as detailed below:

#### 4.9 Remuneration Committee of the Board:

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) notification F. No. 20/1/2005-BOI dated 9<sup>th</sup> March, 2007, whole time directors of the Public Sector Banks will be entitled to performance linked incentives, subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix, based on the Statement of Intent on goals and qualitative parameters and bench marks based on various compliance reports during the last year. Sub Committee of the Board called "Remuneration Committee" consisting of Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Directors would do the evaluation of performance.

4.9.1 The Board of Directors in its meeting dated 23.03.2007 constituted the Remuneration Committee to evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives. The Committee has since been reconstituted from time to time.

#### 4.9.2. बोर्ड की परिलिखि समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2019 को बोर्ड की परिलिखि समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :-

1. श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2. श्री विवेक दीप	भारिबैं द्वारा नामित निदेशक

समिति के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन, सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

#### 4.9.3. बोर्ड की परिलिखि समिति के कार्य :

कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के प्रयोजनार्थ पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना।

#### 4.9.4. बैठक का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

#### 4.10 बोर्ड की नामांकन समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 नवम्बर 2007 के पत्रांक डीबीओडी सं. बीसी.सं. 47/29.32.001/2007-08 के अनुसार 21.04.2008 को बोर्ड की नामांकन समिति का गठन किया गया। समिति का समय समय पर पुनर्गठन किया गया है।

#### 4.10.1 बोर्ड की नामांकन समिति का गठन :

31.03.2019 को यथास्थिति बोर्ड की नामांकन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

#### 4.10.2 बोर्ड की नामांकन समिति के कार्य :

नामांकन समिति को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निर्वाचित निदेशकों/निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के “योग्य एवं उचित” स्तर का सम्यक तत्परता के साथ निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

#### 4.10.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

#### 4.11 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति:

4.11.1 बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 18.02.2011 को आयोजित अपनी बैठक में शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति का गठन किया। समिति को समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

#### 4.9.2 Composition of Remuneration Committee of the Board:

The members of the Remuneration Committee of the Board as on 31.03.2019 were as under:-

1. Shri Rajeev Ranjan	Govt. Nominee Director
2. Shri Vivek Deep	RBI Nominee Director

The Chairperson of the Committee is Shri Rajeev Ranjan, Govt. Nominee Director.

#### 4.9.3 Function of Remuneration Committee of the Board:

To evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives.

#### 4.9.4 Details of meetings:

No meeting of the Committee was held during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019.

#### 4.10 Nomination Committee of the Board:

In terms of Reserve Bank of India letter DBOD No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007, the Bank constituted Nomination Committee of the Board on 21.04.2008. The Committee has been reconstituted from time to time.

#### 4.10.1 Composition of Nomination Committee of the Board:

The composition of the Nomination Committee of the Board as on 31.03.2019 stands as under:-

1. Shri Rajeev Ranjan	Govt. Nominee Director
2. Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non Official Director

#### 4.10.2 Function of Nomination Committee of the Board:

The Nomination Committee have to undertake a process of due diligence to determine the "Fit and Proper" status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec. 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

#### 4.10.3 Details of meetings:

No meeting of the Committee was held during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019.

#### 4.11 Share Issue and Allotment Committee:

4.11.1 The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 18.02.2011 constituted Share Issue Allotment Committee. The Committee has been re-constituted from time to time.



#### 4.11.2 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति का गठन :

31.03.2019 को शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री के रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक
3. श्री पी.आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक
4. श्री सारथ सूर	शेयरधारक निदेशक
5. डॉ. प्रार्थप्रतिम पाल	शेयरधारक निदेशक

समिति की पहली बैठक दिनांक 19.09.2018 को श्री एन. के. साहु, तत्कालीन कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई तथा इसके बाद बाकी 2 बैठकें श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

#### 4.11.3 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति के कार्य :

समिति अधिमानी/क्यूआईपी आबंटन आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आबंटन के संबंध में यथापेक्षित सभी कार्य करने और इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाने के लिए प्राधिकृत है।

#### 4.11.4 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान समिति की निम्नानुसार तीन बैठकें आयोजित की गई :-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of Meeting	Number of Directors on the Share Issue and Allotment Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	19.09.2018	4	4
2	15.10.2018	4	4
3	18.02.2019	5	5

#### 4.12 ऋण अनुमोदन समिति :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 05.12.2011 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या 13/1/2006 और इस संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण के अनुसार बैंक ने ₹400.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन और ₹2.50 करोड़ तक के ऋण समझौता/राइट-ऑफ प्रस्तावों के अनुमोदन के उद्देश्य से 22.02.2012 को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है।

#### 4.12.1 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन :

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन निम्नानुसार था

- (ए) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- (बी) दो कार्यपालक निदेशक
- (सी) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
- (डी) महाप्रबंधक (ऋण)
- (ई) महाप्रबंधक (आईआरएम)

#### 4.11.2 Composition of Share Issue and Allotment Committee:

The members of the Share Issue and Allotment Committee of the Board as on 31.03.2019 were as under:

1. Shri CH. S.S.	Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO
2. Shri K. Ramachandran		Executive Director
3. Shri P.R. Rajagopal		Executive Director
4. Shri Sarath Sura		Shareholder Director
5. Dr. Parthapratim Pal		Shareholder Director

1<sup>st</sup> meeting of the Committee held on 19.09.2018 was chaired by Shri N.K Sahoo, the then Executive Director and the remaining 2 meetings were chaired by Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO.

#### 4.11.3 Function of Share Issue and Allotment Committee:

The committee is authorized to do all such acts, deeds and things as may be required in connection with the issue and allotment of Equity Shares on preferential/QIP allotment basis and get the same listed with the NSE and BSE.

#### 4.11.4 Details of meetings:

The Committee held three meetings during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 as detailed below:

#### 4.12 Credit Approval Committee of the Board:

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance Notification vide Gazette Notification no. 13/1/2006 dated 05.12.2011 and further clarification in this regard, the Bank has constituted a Credit Approval Committee of the Board on 22.02.2012 for the purpose of approval of the credit proposals upto ₹400.00 Crore and Loan Compromise/Write-Off proposals upto ₹2.50 Crore.

#### 4.12.1 Composition of the Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee of the Board consists of the following:-

- (a) Chairman and Managing Director/Managing Director & CEO
- (b) Two Executive Director(s)
- (c) General Manager (F & A)
- (d) General Manager (Credit)
- (e) General Manager (IRM)

**4.12.2 ऋण अनुमोदन समिति के कार्य :**

- ए) ₹400.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों (निधिक एवं गैर-निधिक) की संस्वीकृति
- बी) ₹2.50 करोड़ तक के ऋण समझौता/राइट आफ प्रस्तावों का अनुमोदन

**4.12.3 बैठकों का विवरण :**

01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 29 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:-

**4.12.2 Function of Credit Approval Committee of the Board:**

- a) Sanctioning of Credit Proposals of upto ₹400.00 Crore [Funded and Non-Funded]
- b) Approval of Loan Compromise/Write-Off proposals of upto ₹2.50 Crore

**4.12.3 Details of meetings:**

The Credit Approval Committee held twenty nine meetings during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019, as detailed below:-

क्र.सं. Sl. No.	बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में सदस्यों की संख्या Number of members on the Credit Approval Committee of Board	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या Number of Members Attended the meeting
1.	05.04.2018	6	6
2.	13.04.2018	6	6
3.	27.04.2018	6	5
4.	05.05.2018	6	6
5.	04.06.2018	6	5
6.	07.06.2018	6	5
7.	14.06.2018	6	5
8.	21.06.2018	6	5
9.	28.06.2018	6	5
10.	13.07.2018	6	5
11.	01.08.2018	6	5
12.	08.08.2018	6	5
13.	20.08.2018	6	5
14.	24.08.2018	6	5
15.	07.09.2018	6	5
16.	28.09.2018	6	5
17.	29.09.2018	6	5
18.	25.10.2018	6	5
19.	08.11.2018	6	5
20.	14.11.2018	6	5
21.	19.11.2018	6	5
22.	13.12.2018	6	5
23.	28.12.2018	6	6
24.	19.01.2019	6	6
25.	30.01.2019	6	6
26.	11.02.2019	6	6
27.	22.02.2019	6	6
28.	16.03.2019	6	6
29.	28.03.2019	6	6

#### 4.13 बोर्ड की वसूली समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 27.11.2012 को आयोजित बोर्ड बैठक में वसूली प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने और नियमित आधार पर बैंक के वसूली तंत्र की समीक्षा करने हेतु बोर्ड की वसूली समिति का गठन किया गया। बोर्ड द्वारा समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

##### 4.13.1 बोर्ड की वसूली समिति का गठन:

31.03.2019 को बोर्ड की वसूली समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :-

1. श्री सी.एच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री के. रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक
3. श्री पी. आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक
4. श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक
6. डॉ. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक

दिनांक 11.05.2018 को आयोजित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन ने की। इसके बाद दिनांक 18.09.2018 तक की बैठकों की अध्यक्षता तत्कालीन कार्यपालक निदेशक श्री एन.के.साहू ने की। दिनांक 18.09.2018 के पश्चात सभी बैठकों की अध्यक्षता श्री सी.एच. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई।

##### 4.13.2 बोर्ड की वसूली समिति के कार्य:

वसूली समिति का कार्य वसूली प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने और नियमित आधार पर बैंक के वसूली तंत्र की समीक्षा करना है।

##### 4.13.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान समिति की निम्नानुसार दश (10) बैठकें आयोजित की गई :-

क्र.सं. Sl.No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की वसूली समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Recovery Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1.	11.05.2018	6	6
2.	28.06.2018	5	5
3.	14.08.2018	5	3
4.	28.09.2018	5	4
5.	13.11.2018	5	5
6.	06.12.2018	5	4
7.	29.12.2018	6	5
8.	05.02.2019	6	5
9.	27.02.2019	6	5
10.	26.03.2019	6	5

#### 4.13 Recovery Committee of the Board:

As per the directives of the Ministry of Finance, Government of India, Recovery Committee of the Board was constituted at the Board Meeting held on 27.11.2012 to monitor the progress of recovery and to review the recovery mechanisms of the Bank on regular basis. The committee has been reconstituted by the Board from time to time.

##### 4.13.1 Composition of the Recovery Committee of the Board:

The composition of the Recovery Committee of the Board as on 31.03.2019 stands as under:

1. Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO
2. Shri K. Ramachandran	Executive Director
3. Shri P. R. Rajagopal	Executive Director
4. Shri Rajeev Ranjan	Government Nominee Director
5. Shri Sarath Sura	Shareholder Director
6. Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholder Director

1<sup>st</sup> meeting of the Committee held on 11.05.2018 was chaired by the then Managing Director & CEO, Smt. Usha Ananthasubramanian. Subsequent meetings held till 18.09.2018 was chaired by Shri N.K. Sahoo, the then Executive Director. Post 18.09.2018, all meetings were chaired by Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO.

##### 4.13.2 Function of the Recovery Committee of the Board:

The function of the Recovery Committee is to monitor the progress of recovery and to review the recovery mechanisms of the Bank on regular basis.

##### 4.13.3 Details of meetings:

The Committee met ten (10) times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 as detailed below:-

#### 4.14 बोर्ड की निर्वाचन समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 30.05.2012 को आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड की निर्वाचन समिति का गठन किया गया। समिति महाप्रबंधक (ट्रेजरी) को प्राधिकृत करती है कि वे बैंक के किसी अधिकारी को उन कंपनियों की वार्षिक आम सभा और असाधारण आम सभा में बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करे जिसमें हमारा बैंक शेयर और वोट धारित करता है।

##### 4.14.1 बोर्ड की निर्वाचन समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2019 को बोर्ड की निर्वाचन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. श्री सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री के. रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक
3. श्री पी.आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक द्वारा की गई।

##### 4.14.2 बोर्ड की निर्वाचन समिति के कार्य

समिति अपने शेयरधारकों में से सबसे उचित उम्मीदवार के चयन को अनुमोदित करती है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं, जिनमें बैंक के शेयर हैं, का निदेशक बनने हेतु चुनाव में उतारा जा सके इसके लिए समिति ने महाप्रबंधक (ट्रेजरी) को प्राधिकृत किया है कि वे बैंक के किसी अधिकारी को ऐसी कंपनियों, अपने बैंक को छोड़कर, की वार्षिक आम सभा और असाधारण आम सभा में बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करे।

##### 4.14.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

##### 4.15 एच.आर. संबंधी स्टीयरिंग समिति (एचआर समि.) [पूर्व में बोर्ड की एचआर समिति (एचआर समि.) के रूप में ज्ञात]:

बैंक के बोर्ड ने समय समय पर मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा करने और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक एवं बैंक के अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों हेतु भी क्षतिपूर्ति संरचना की समीक्षा हेतु 15.07.2005 को आयोजित अपनी बैठक में मानव संसाधन एवं प्रतिफल समिति का गठन किया है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 09.03.2007 की अधिसूचना संख्या एफन. 20/1/2005-बीओआई के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक की क्षतिपूर्ति संरचना पर विचार करने हेतु 23.03.2007 को बोर्ड की परिलब्धि समिति गठित की गई। इसके साथ साथ बोर्ड की मानव संसाधन एवं क्षतिपूर्ति का नाम परिवर्तित कर इसे बोर्ड की मानव संसाधन समिति के नाम से पुनर्गठित किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 28.02.2014 को उक्त समिति का पुनर्गठन किया गया ताकि उद्योग में सर्वोत्तम परिपाटियों के संदर्भ में बैंक की मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा की जा सके।

#### 4.14 Election Committee of the Board:

As per the directives of the Ministry of Finance, Government of India, Election Committee of the Board was constituted at the Board Meeting held on 30.05.2012. The Committee authorizes the General Manager (Treasury) to authorize an officer of the Bank to represent the Bank in Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings of the Companies in which our Bank holds Shares and vote as per its decision.

##### 4.14.1 Composition of the Election Committee of the Board:

The members of the Election Committee of the Board as on 31.03.2019 were as under:

1. Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO
2. Shri K. Ramachandran	Executive Director
3. Shri P.R. Rajagopal	Executive Director

The Committee was chaired by the Managing Director & CEO.

##### 4.14.2 Function of the Election Committee of the Board:

The Committee approves selection of most suitable candidates(s) amongst shareholders contesting election to become Directors in Public Sector Banks, Insurance Companies and Financial Institutions (FIs) where the Bank holds shares by authorizing the General Manager (Treasury) to authorize an officer of the Bank to represent the Bank in Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings of such Companies, except our own Bank.

##### 4.14.3 Details of meetings:

No meeting of the Committee was held during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019.

##### 4.15 Steering Committee on HR (HR Comm.) [Previously known as HR Committee of the Board (HR Comm.)]:

The Bank's Board in its meeting held on 15.07.2005 constituted the HR & Compensation Committee to review the HR policies of the Bank from time to time & the compensation structure of the C&MD and ED as also other senior executives.

As per Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) notification F.No. 20/1/2005-BOI dated 09.03.2007, Remuneration Committee of the Board was constituted on 23.03.2007 for looking after the compensation structure of the C&MD and ED. Simultaneously, HR & Compensation Committee of the Board was reconstituted with changed name as Human Resource Committee of the Board.

The said committee was reconstituted further on 28.02.2014 as per directives of Reserve Bank of India so as to review HR policies of the Bank in the context of best practices in the industry.

निदेशक मंडल द्वारा 10.11.2017 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित पुनर्गठन के दौरान खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के अनुसार बोर्ड की एचआर समिति का नाम एच.आर. संबंधी स्टीयरिंग समिति(एच.आर.समि.) रखा गया था।

हाल ही में, 26.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का कोरम एक बाहरी एचआर प्रोफेशनल सहित 03 सदस्य है।

#### 4.15.1 बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन :

बोर्ड की मानव संसाधन समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:-

1. श्री सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री के. रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक
3. श्री पी.आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक
4. श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
6. श्रीमती सरबारी साह	बाह्य एचआर प्रोफेशनल (विशेष रूप से आमंत्रित)

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई थी।

#### 4.15.2 एचआर संबंधी स्टीयरिंग समिति के कार्य :

उद्योग में सर्वोत्तम परिपाटियों के संदर्भ में बैंक की मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा करती है।

#### 4.15.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान समिति की एक बैठक निम्नानुसार आयोजित हुई।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	एचआर संबंधी स्टीयरिंग समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of Meeting	Number of Directors on the Steering Committee on HR	Number of Directors Attended the meeting
1.	29.12.2018	4	3

#### 4.16 बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने "इरादतन चूककर्ताओं संबंधी मास्टर परिपत्र के संशोधन" के संबंध में दिनांक 01.07.2014 के अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/73 डीबीआर सं. सीआईडी.बीसी. 57/20.16.003/20145-15 के तहत बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति के गठन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष/सीईओ और प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी और इसमें बैंक के दो स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

तदनुसार 30.03.2015 के संकल्प के तहत निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति का गठन किया गया। समिति का समय समय पर पुनर्गठन किया गया।

HR Committee of the Board was renamed as Steering Committee on HR (HR Comm.) during the reconstitution approved by the Board of Directors in its meeting dated 10.11.2017, as per Khandelwal Committee recommendations.

The Committee was reconstituted by the Board of Directors in its meeting dated 26.03.2019. The quorum of the committee is 03 members including one Non executive Director.

#### 4.15.1 Composition of the Steering Committee on HR:

The members of the HR Committee of the Board were as under:

1. Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO
2. Shri K. Ramachandran	Executive Director
3. Shri P.R. Rajagopal	Executive Director
4. Shri Rajeev Ranjan	Govt. Nominee Director
5. Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non Official Director
6. Smt Sarbari Saha	External HR Professional (Spl Invitee)

The Committee was chaired by the Managing Director & CEO.

#### 4.15.2 Function of the Steering Committee on HR:

The Committee reviews HR policies of the Bank in the context of best practices in the industry.

#### 4.15.3 Details of meetings:

The Committee met once during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 as detailed below:

#### 4.16 Willful Defaulters Review Committee of the Board:

Reserve Bank of India vide Circular Letter No. RBI/2014-15/73 DBR No. CID.BC.57/20.16.003/20145-15 Dated 01.07.2014 on "Modifications of Master Circular on Willful Defaulters" has issued guidelines for formation of Willful Default Review Committee of the Board headed by Chairman/CEO and MD and consisting, in addition, of two independent directors of the Bank.

Accordingly, Willful Defaulters Review Committee was constituted by the Board of Directors vide its Resolution dated 30.03.2015. The Committee was reconstituted from time to time.

#### 4.16.1 बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति का गठन :

31.03.2019 को यथास्थिति बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

1. श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री के. रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक (विशेष आमंत्रिती)
3. श्री पी. आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक (विशेष आमंत्रिती)
4. श्री सारथ सुरा	शेयरधारक निदेशक
5. श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई। 28.06.2018 और 13.08.2018 को आयोजित बैठकों की अध्यक्षता श्री एन.के. साहु, तत्कालीन कार्यपालक निदेशक द्वारा की गई थी और शेष 3 बैठकों की अध्यक्षता श्री सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई।

#### 4.16.2 बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति के कार्य :

समिति एक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली और दो महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक की इरादतन चूककर्ता संबंधी आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करती है और इरादतन चूक के तथ्यों और उसके कारणों का अभिलेख रखती है।

#### 4.16.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान समिति की निम्नानुसार 5 बैठकें आयोजित की गईं:-

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Willful Defaulters Review Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	28.06.2018	4	3
2	13.08.2018	4	4
3	15.10.2018	4	4
4	15.01.2019	5	5
5	27.02.2019	5	5

#### 4.17 विनिवेश संबंधी निदेशकों की समिति (सीओडी):

बैंक के संयुक्त उद्यमों अर्थात् यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. और आसरेक (इंडिया) (गैर-कोर आस्तियां) में बैंक के हित के विनिवेश की प्रक्रिया पर नजर रखना, बैंक के निदेशक मंडल की 14.08.2018 को आयोजित बैठक में विनिवेश संबंधी निदेशकों की समिति का गठन किया गया।

#### 4.16.1 Composition of the Willful Defaulters Review Committee of the Board:

The members of the Willful Defaulters Review Committee of the Board as on 31.03.2019 were as under:

1. Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO
2. Shri K. Ramachandran	Executive Director (Spl. Invitee)
3. Shri P. R. Rajagopal	Executive Director (Spl. Invitee)
4. Shri Sarath Sura	Shareholder Director
5. Dr. Parthapratim Pal	Shareholder Director

The Committee was chaired by the Managing Director & CEO. Meetings dated 28.06.2018 & 13.08.2018 was chaired by Shri N.K. Sahoo, the then Executive Director and remaining 3 meetings were chaired by Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO.

#### 4.16.2 Function of the Willful Defaulters Review Committee of the Board:

The Committee reviews the order of the Internal Committee on Willful Default headed by an Executive Director and two GM/DGM recording the fact of Willful Default and the reasons of the same.

#### 4.16.3 Details of meetings:

The Committee held five meetings during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 as detailed below:-

#### 4.17 Committee of Directors (COD) on Disinvestment:

To oversee the process of disinvestment of the Bank's stake in its Joint Ventures namely Universal Sompo General Insurance Co. Ltd. and ASREC (India) Ltd. (Non-Core Assets), the Board of Directors of the Bank in its meeting dated 14.08.2018 constituted the Committee of Directors on Disinvestment.

#### 4.17.1 विनिवेश संबंधी निदेशकों की समिति का गठन:

31.03.2019 को यथास्थिति विनिवेश संबंधी निदेशकों की समिति का गठन निम्नानुसार है:

1. श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री के. रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक
3. श्री पी. आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक
4. श्री गौतम गुहा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
5. डॉ. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई।

#### 4.17.2 विनिवेश संबंधी निदेशकों की समिति(सीओडी) के कार्य:

विनिवेश संबंधी निदेशकों की समिति (सीओडी) का गठन बोर्ड द्वारा 14.08.2018 को आयोजित अपनी बैठक में किया गया। समिति को बैंक के संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में हितों के विनिवेश से संबंधित प्रस्तावों के मामले में निर्णय लेने का अधिकार है और साथ ही विनिवेश संबंधी बैंक की नीति की समग्र संरचना के भीतर तथा प्रयोज्य सांविधिक/नियामक निर्धारणों के अनुसार अपने संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में बैंक के हित के विनिवेश के संबंध में बैंक के सर्वोत्तम हित में यथोचित ऐसे समस्त कार्य, विलेख, मामलों और कृत्यों को करने का अधिकार होगा।

#### 4.17.3 बैठकों का विवरण:

01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि में कि दौरान समिति की दो बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:

क्र. सं. Sl. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	विनिवेश संबंधी निदेशकों की समिति (सीओडी) में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Committee of Directors(COD) on Disinvestment	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1	12.11.2018	4	4
2	05.02.2019	5	5

#### 5. निदेशकों की परिलब्धियाँ :

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दी जाने वाली परिलब्धियों का भुगतान भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही हैं।

#### 4.17.1 Composition of the Committee of Directors (COD) on Disinvestment:

The composition of Committee of Directors (COD) on Disinvestment as on 31.03.2019 stands as under:

1. Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO
2. Shri K. Ramachandran	Executive Director
3. Shri P.R. Rajagopal	Executive Director
4. Shri Gautam Guha	Part Time Non Official Director
5. Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholder Director

The Committee was chaired by the Managing Director & CEO.

#### 4.17.2 Function of the Committee of Directors (COD) on Disinvestment:

Committee of Directors (COD) on Disinvestment has been constituted by the Board in its meeting dated 14.08.2018. The Committee is empowered to take decisions on the matters pertaining to proposals of disinvestment of stakes in the Bank's Joint Ventures and Associates and shall have power to do all such acts, deeds, matters and things as may be expedient and in the best interest of the Bank with respect to disinvestment of the Bank's stake in its Joint Ventures and Associates within the overall framework of the Bank's Policy on Disinvestments and in compliance with the applicable statutory/ regulatory prescriptions.

#### 4.17.3 Details of meetings:

The Committee held two meetings during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 as detailed below:

#### 5. Remuneration to Directors & Familiarization Programmes:

The remuneration including traveling and halting expenses to the Non- Executive Directors is paid as per Government of India /RBI guidelines.

5.1 वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के विगत एवं वर्तमान पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक को भुगतान किए गए वेतन एवं प्रोत्साहन का विवरण निम्नानुसार है:

5.1 The details of salary including incentives paid to the Whole-Time Directors of the Bank past and present, i.e. Managing Director & CEO and Executive Directors (EDs) during the financial year 2018-19 are as under:

क्रम सं. SI. No.	नाम Name	मूल वेतन Basic Pay (₹)	मंहगाई भत्ता Dearness Allowance (₹)	बकाया Arrear (₹)	प्रोत्साहन Incentives (₹)	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment (₹)	कुल Total (₹)
1.	श्री सीएच एस.एस. मल्लिकार्जुन राव (प्रनि एवं मुकाअ) Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao (MD & CEO)	1314560.00	136796.00	-----	-----	-----	1451356.40
2.	श्री के रामचंद्रन (का.नि.) Shri K Ramachandran (ED)	564619.00	66728.00	-----	-----	-----	631347.09
3.	श्री पी.आर. राजगोपाल (का.नि.) Shri P R Rajagopal (ED)	176800.00	21216.00	-----	-----	-----	198016.00
4.	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन (भू.पू.-प्रनि एवं मुकाअ) Smt. Usha Ananthasubramanian (Ex-MD & CEO)	991703.00	82883.23	*6370.00	-----	-----	1080956.46
5.	श्री एन. के. साहु (भू.पू.-का.नि.) Shri N. K. Sahoo (Ex-ED)	2108400.00	189756.00	*11592.00	-----	2163840.00**	4473588.00
6.	श्री एस. हरिशंकर (भू.पू.-का.नि.) Shri S. Harisankar (Ex-ED)	1041730.00	83529.00	*9591.00	-----	-----	1134850.10

\* मंहगाई भत्ता बकाया

\* Dearness Allowance Arrear.

\*\* ₹2163840.00 अवकाश नकदीकरण राशि में से ₹10,48,295.77 राशि केनरा बैंक से प्राप्त हुई।

\*\* Out of Leave Encashment amount of ₹2163840.00, ₹10,48,295.77 was received from Canara Bank.

वर्तमान में अपने निदेशकों के लिए बैंक का कोई स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है।

At present, the Bank does not have Stock Option Plan for its directors.

पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन और प्रोत्साहन राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

The Salary and incentives paid to the Whole Time Directors are as per Government of India guidelines.

5.2 भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 18.01.2019 से गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने हेतु ₹40,000/- और बोर्ड की समिति की बैठकों में उपस्थित होने हेतु ₹20,000/- बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता हेतु अतिरिक्त ₹10,000/- तथा समिति की बैठकों की अध्यक्षता हेतु अतिरिक्त ₹5000/- का भुगतान (₹15 लाख प्रतिवर्ष के अध्यक्षीन) किया जा रहा है। तथापि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(बी) और 9(3)(सी) के अंतर्गत क्रमशः बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और सरकार तथा भारिबैं द्वारा नामित निदेशकों, को सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

5.2 As per Government of India guidelines, the Non-Executive Directors are being paid a sitting fee of ₹40,000/- for attending Board Meetings and ₹20000/- for Committee Meetings, ₹10,000/- extra for chairing Board Meetings and ₹5000/- for chairing Committee Meetings with effect from 18.01.2019 (Subject to ₹15 lakh per annum). Sitting fees are, however, not paid to the Managing Director & CEO, Executive Directors of the Bank, Government Nominee Director and Government nominated RBI Nominee Director appointed/nominated under Section 9(3)(b) & 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 respectively.

5.3 स्वतंत्र निदेशकों के लिए किए गए फेमिलियराइजेशन कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) पर उपलब्ध है।

5.3 Details of familiarization programmes imparted to independent Directors is available on Bank's website [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in)



**6. जनरल बॉडी बैठकें:**

**6.1** बैंक की विगत तीन वार्षिक आम सभाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

**6. General Body Meetings:**

**6.1** Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank.

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	तारीख एवं समय Date and Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
चौदहवीं वार्षिक आम सभा  Fourteenth Annual General Meeting	बुधवार 29 जून 2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे  Wednesday, the 29 <sup>th</sup> June 2016, 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड अलीपुर, कोलकाता-700027  Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027	31.03.2016 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण।  To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31.03.2016, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2016, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report.
पंद्रहवीं वार्षिक आम सभा  Fifteenth Annual General Meeting	बुधवार 28 जून 2017 पूर्वाह्न 10.30 बजे  Wednesay, the 28 <sup>th</sup> June 2017, 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड अलीपुर, कोलकाता-700027  Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027	1. 31.03.2017 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। 2. क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू आदि के माध्यम से पूंजी जुटाना। 1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31.03.2017, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report and 2. To raise equity capital through QIP/FPO/ Rights issue etc.
सोलहवीं वार्षिक आम सभा  Sixteenth Annual General Meeting	बुधवार 27 जून 2018 पूर्वाह्न 10.30 बजे  Wednesay, the 27 <sup>th</sup> June 2018, 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड अलीपुर, कोलकाता-700027  Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027	1. 31.03.2018 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। 2. क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू आदि के माध्यम से पूंजी जुटाना। 1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31 <sup>st</sup> March 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and 2. To raise equity capital through QIP/ FPO/ Rights issue etc.

**6.2** दिनांक 28.06.2017 और 27.06.2018 की वार्षिक आम सभा में क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू आदि के माध्यम से पूंजी जुटाने से संबंधित विशेष संकल्प के अलावा, उपर्युक्त तीन वार्षिक आम सभाओं में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था।

**6.2** Except the Special Resolution related to raising of equity capital through QIP/ FPO/ Rights issue etc. passed in the Annual General Meeting dated 28.06.2017 and 27.06.2018, No other special resolution was passed in aforementioned three Annual General Meetings.

**6.3** 27.06.2018 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :-

श्री एन.के. साहु	कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष)
श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक
प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक एवं एसआरसी की अध्यक्ष
श्री गौतम गुहा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
डॉ. बिजय कुमार साहु	शेयरधारक निदेशक

**6.4** वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पोस्टल बालट द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। तथापि बैंक के शेयरधारकों ने निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित किए:

**6.4.1 18.09.2018 को आयोजित असाधारण आम सभा में :**

यथा संशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर ₹35.99 (रुपये पैंतीस एवं पैसे निन्यानवे मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹45.99 (रुपये पैंतालीस एवं पैसे निन्यानवे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 38,92,15,046 (अड़तीस करोड़ बानबे लाख पंद्रह हजार छियालीस) इक्विटी शेयरों का नकद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर संकलित ₹1790 करोड़ (रुपये एक हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करना।

**6.4.2 10.01.2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में :**

सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर ₹36.78 (रुपये छत्तीस एवं पैसे अठहत्तर मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹46.78 (रुपये छियालीस एवं पैसे अठहत्तर मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 65,28,43,095 (पैंसठ करोड़ अट्ठाईस लाख तैतालीस हजार पंचानबे) इक्विटी शेयरों का नकद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर संकलित ₹3054.00 करोड़ (रुपये तीन हजार चौवन करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करना।

**6.4.3 26.03.2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में :**

सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर ₹32.44 (रुपये बत्तीस एवं पैसे चवालीस मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹42.44 (रुपये बयालीस एवं पैसे चवालीस मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 162,48,82,186 (एक सौ बासठ करोड़ अड़तासील लाख बयासी हजार एक सौ छियासी) इक्विटी शेयरों का नकद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर

**6.3** The following Directors were present in the last Annual General Meeting held on 27.06.2018:

Shri N. K. Sahoo	Executive Director (In the chair)
Shri S Harisankar	Executive Director
Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non-official Director & Chairperson SRC
Shri Gautam Guha	Part Time Non-official Director
Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholder Director & Chairman ACB

**6.4** No Special Resolution was passed by postal ballot during the financial year 2018-19. However, the shareholders of the Bank passed the following Special Resolutions:

**6.4.1 In the Extraordinary General Meeting held on 18.09.2018:**

To create, offer, issue and allot upto 38,92,15,046 (Thirty eight crore ninety two lakh fifteen thousand forty six) equity shares of face value of ₹10/-(Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹45.99 (Rupees forty five and paise ninety nine only) per equity share including a premium of ₹35.99 (Rupees thirty five and paise ninety nine only) per equity share determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹1790.00 crore (Rupees one thousand seven hundred ninety crore only) on preferential basis to the Government of India (President of India).

**6.4.2 In the Extraordinary General Meeting held on 10.01.2019:**

To create, offer, issue and allot upto 65,28,43,095 (Sixty five crore twenty eight lakh forty three thousand ninety five) equity shares of face value of ₹10.00(Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹46.78 (Rupees forty six and paise seventy eight only) per equity share including a premium of ₹36.78 (Rupees thirty six and paise seventy eight only) per equity share determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, aggregating upto ₹3054.00 crore (Rupees three thousand fifty four crore only) on preferential basis to the Government of India (President of India).

**6.4.3 In the Extraordinary General Meeting held on 26.03.2019:**

To create, offer, issue and allot upto 162,48,82,186 (One hundred sixty two crore forty eight lakh eighty two thousand one hundred eighty six) new equity shares of face value of ₹10.00 (Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹42.44 (Rupees forty two and paise forty four only) per equity share including a premium of ₹32.44 (Rupees thirty two and paise forty four only) per equity share determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, aggregating upto ₹6896.00 crore (Rupees six thousand eight hundred

संकलित ₹6896.00 करोड़ (रुपये छह हजार आठ सौ छियानबे करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करना।

## 7. व्हिसल ब्लोअर नीति :

बैंक अपनी सभी गतिविधियों और परिचालन में, जो यह संचालित करता है, सर्वोच्च नीतिपरक मानदंडों, निष्ठा एवं व्यावसायिकता के लिए प्रतिबद्ध है और इसने बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालियां और प्रक्रिया विधियां निर्धारित की हैं। बैंक ने स्टाफ सदस्यों/अधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आने वाली आम जनता के सदस्यों के बीच कार्य करते समय अथवा लेनदेन करते समय मुक्त एवं पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित किया है।

बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आता है और इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की है। पॉलिसी का नाम है **आल बैंक व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी** जिसका उद्देश्य है विपथन का तुरंत पता लगाना और उसका न्यूनतम संभव समय में निपटान करना। बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में यह प्रचारित किया गया है कि उनके द्वारा नामों के प्रकटीकरण की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी और व्हिसल ब्लोअर को किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिशोध, जैसे अपमानित करना, परेशान करना अथवा अन्य अनुचित कार्रवाई करना अथवा उसके सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के कारण हुई हानि की भरपाई कराने जैसी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नीति की विषयवस्तु बैंक के वेबसाइट [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) पर उपलब्ध है।

बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से मिलने से वंचित नहीं किया गया है।

## 8. प्रकटीकरण :

बैंक ने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में किए जाने वाले कार्यों से इतर अपने प्रमोटर/निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रबंधन और उनके संबंधियों आदि के साथ कोई ऐसे महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया हैं जिनसे समग्रतः बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।

बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा अन्य स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों हेतु यथाप्रयोज्य सीमा तक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अपेक्षा का बैंक ने पालन किया है।

वर्ष 2018-19 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति के अनुपालन पर सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी का, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(8) के साथ पठित विनियम 33(2) में यथानिर्धारित प्रमाणपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का अंश है।

ninety six crore only) on preferential basis to the Government of India (President of India).

## 7. Whistle Blower Policy:

The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees/ officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff/officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank.

The Bank comes within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely 'ALL-Bank Whistle Blower Policy' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures. The content of the policy is made available on Bank's website [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in).

No personnel of the Bank have been denied access to the Audit Committee.

## 8. Disclosures:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter/Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market and no penalty or stricture whatsoever has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI.

The Bank has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable to Nationalized Banks.

A certificate of the Statutory Central Auditors on Corporate Governance for the year 2018-19 is annexed to this report.

A Compliance Certificate from the Managing Director & CEO of the Bank and Chief Financial Officer as stipulated in Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before the Board and annexed to the Annual Report.

Management discussion and analysis report forms part of the Directors' Report.

## 9. संप्रेषण के माध्यम :

बैंक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् एनएसई और बीएसई को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित करता है जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं। वित्तीय परिणाम सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में तथा एक कोलकाता स्थित क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2018-2019 के दौरान तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं अर्थात् "हिंदू बिजनेस लाइन" (अंग्रेजी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी), बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी), आई सोमय (बंगला) और आज कल (बंगला) आदि में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक की वेबसाइट [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) पर भी प्रदर्शित किया गया।

विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों को किए गए प्रेजेन्टेशन बैंक की वेबसाइट [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) पर दिए गए हैं।

## 10. शेयरधारकों हेतु सामान्य जानकारी:

### 10.1 17वीं वार्षिक आम सभा का विवरण:

दिन और दिनांक	शुक्रवार, 28 जून, 2019
समय	पूर्वाह्न 10.30
स्थान	भाषा भवन आडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड अलीपुर, कोलकाता - 700027

### 10.2 वित्तीय परिणामों के प्रकाशन हेतु वित्तीय वर्ष एवं कलेंडर (अंतिम) :

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है।

निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन

30 जून, 2019	-	जुलाई-अगस्त 2019
30 सितम्बर 2019	-	अक्तूबर-नवम्बर 2019
31 दिसम्बर 2019	-	जनवरी-फरवरी 2020
31 मार्च 2020	-	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा अप्रैल-मई 2020

### 10.3 वार्षिक आम सभा हेतु वार्षिक बुक क्लोजर :

बुक-क्लोजर शनिवार 22 जून, 2019 से शुक्रवार 28 जून, 2019 (दोनों दिन शामिल हैं)

### 10.4 लाभांश:

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

## 9. Means of Communication:

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognizes the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly/half yearly/ annual financial results of the Bank are submitted to the Stock Exchanges namely NSE and BSE, where the equity shares of the Bank are listed. The Financial Results are published in one national newspaper and one regional language newspaper based at Kolkata as per statutory requirement. During the financial year 2018-19, the quarterly/half yearly financial results were published in leading newspapers namely "Hindu Business Line (English), Financial Express (English), Business Standard (English), Jansatta (Hindi), Business Standard (Hindi), Aei Somay (Bengali) and Aajkal (Bengali) etc. The results are also displayed on the web site of the Bank [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in).

The presentation made to the analysts/institutional investors if any, are hosted on the Bank's Website [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in)

## 10. General Shareholders Information:

### 10.1 Particulars of 17<sup>th</sup> Annual General Meeting:

Day and Date	Friday, the 28 <sup>th</sup> June, 2019
Time	10.30 A.M.
Venue	Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027

### 10.2 Financial Year and Calendar for Publication of Financial Results (Tentative):

The Financial Year of the Bank is April to March

Approval of quarterly results for the period ending

June 30, 2019	-	July- August, 2019
September 30, 2019	-	October- November, 2019
December 31, 2019	-	January- February, 2020
March 31, 2020	-	Audited Annual Accounts: April- May, 2020

### 10.3 Date of Annual Book Closure for the purpose of AGM: Book closure- Saturday, the 22<sup>nd</sup> June, 2019 to Friday, the 28<sup>th</sup> June, 2019 (Both days inclusive)

### 10.4 Dividend:

The Board of directors of the Bank has not recommended any dividend for Financial Year 2018-19.

**10.5 लिस्टिंग :**

बैंक के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:-

**10.5 Listing:**

The equity shares of the Bank are listed with National Stock Exchange of India (NSE) and BSE Ltd. (BSE). The other details are as under:-

स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange	स्टॉक कोड Stock Code	लिस्टिंग की तिथि Date of Listing
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लि.(एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा प्लॉट नं. सी/1, जी-ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(ई) मुम्बई 400051 National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	एएलबीके  ALBK	27.11.2002
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुम्बई 400001 BSE Limited (BSE), P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400001	532480	27.11.2002

वित्त वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

The advance annual listing fee for the financial year 2019-20 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

**10.6 अनुपालन अधिकारी :**

श्री दीनानाथ कुमार बैंक के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं।

**10.6 Compliance Officer**

Shri Dina Nath Kumar is the Company Secretary and Compliance Officer of the Bank.

**10.7 बाजार मूल्य डेटा :**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशनों का विवरण निम्नवत रहा:

**10.7 Market Price Data:**

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange Ltd.(NSE) and BSE Ltd. (BSE) during the financial year 2018-19 were as under:

माह / Month	एनएसई / NSE			बीएसई / BSE		
	इति मूल्य/Closing Price		मात्रा (ट्रेडेड शेयरों की संख्या) Volume (Number of shares Traded)	इति मूल्य/Closing Price		मात्रा (ट्रेडेड शेयरों की संख्या) Volume (Number of shares Traded)
	उच्च High (₹)	निम्न Low (₹)		उच्च High (₹)	निम्न Low (₹)	
अप्रैल/Apr -18	54.80	47.15	80318849	54.85	47.20	5381791
मई/May -18	48.30	37.75	106747595	48.30	37.75	5689370
जून/Jun -18	46.60	39.65	106890000	46.60	39.65	5434503
जुलाई/Jul -18	46.30	39.65	132626639	46.35	39.40	6810477
अगस्त/Aug -18	46.30	39.55	107093905	46.15	39.45	6920880
सितम्बर/Sep -18	42.80	35.50	88434817	42.75	35.55	5537353
अक्टूबर/Oct -18	44.20	33.85	80569296	44.20	33.80	8630031
नवम्बर/Nov -18	48.55	37.40	163947811	48.40	37.45	14019145
दिसम्बर/Dec -18	48.85	43.10	107380453	48.70	43.15	8406622
जनवरी/Jan -19	47.55	42.05	87029097	47.45	41.90	7054486
फरवरी/Feb -19	48.00	39.25	156164937	47.95	39.45	12175491
मार्च/Mar -19	57.85	50.30	207327388	57.05	49.95	15951146

**10.8 इन्डेक्स (एस एंड पी बीएसइ सेनसेक्स एवं निफ्टी-50) की गतिविधि की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यनिष्पादन निम्नवत है:**

**10.8 Performance of Bank's share in comparison with the movement of INDEX (Nifty-50 & S&P BSE Sensex) is shown hereunder:**

दिनांक Date	एनएसई में बैंक के शेयरों का अंतिम मूल्य (₹) Closing Share Price of Bank at NSE (₹)	निफ्टी-50 (अंतिम) Nifty-50 (Closing)	एस एंड पी बीएसइ सेनसेक्स (अंतिम) S&P BSE Sensex (Closing)
02-अप्रैल/Apr-18	49.65	10211.80	33255.36
02-मई/May-18	47.90	10718.05	35176.42
01-जून/Jun-18	40.10	10696.20	35227.26
02-जुलाई/Jul-18	41.80	10657.30	35264.41
01-अगस्त/Aug-18	45.60	11346.20	37521.62
03-सितम्बर/Sep-18	42.80	11582.35	38312.52
01-अक्तूबर/Oct-18	36.10	11008.30	36526.14
01-नवम्बर/Nov-18	43.30	10380.45	34431.97
03-दिसम्बर/Dec-18	48.85	10883.75	36241.00
01-जनवरी/Jan-19	46.70	10910.10	36254.57
01-फरवरी/Feb-19	44.40	10893.65	36469.43
01-मार्च/Mar-19	50.30	10863.50	36063.81
29-मार्च/Mar-19	54.60	11623.90	38672.91

**10.9 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट :**

मेसर्स सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि. पी-22 बंडेल रोड कोलकाता - 700019, बैंक का रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट है।

**10.9 Registrar and Share Transfer Agent:**

CB Management Services Private Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata- 700019 is Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

**10.10 शेयर अंतरण प्रणाली :**

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 17.12.2012 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि बोर्ड स्तरीय शेयर अंतरण समिति को जारी न रखा जाए और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को एक कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति का गठन करने हेतु प्राधिकार दिया गया। तदनुसार बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन अनुरोध और गुम हुए/चोरी हुए शेयरों की रिपोर्ट मिलने पर उनके बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने का अनुमोदन देने के लिए एक कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति के गठन का अनुमोदन किया। कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त अनुसमर्थन हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

**10.10 Share Transfer System:**

The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 17.12.2012 decided to discontinue the Board level Share Transfer Committee and authorised the Chairman and Managing Director/ Managing Director & CEO to constitute an Executive Level Share Transfer Committee. Accordingly, the Chairman and Managing Director of Bank, approved constitution of an Executive Level Share Transfer Committee for approving Share Transfer, Transmission requests and issue of duplicate shares against the shares reported to have been lost/misplaced/stolen. The minutes of the Executive Level Share Transfer Committee meetings are placed before the Board of Directors for ratification.

सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिभूतियों के प्रेषण और ट्रांसपोजिशन के मामलों को छोड़कर, प्रतिभूतियों के अंतरण को तब तक प्रोसेस नहीं किया जाएगा जब तक कि धारित प्रतिभूतियां डिपॉजिटरी के पास डीमैटिरियलाइज्ड फॉर्म में न हों। यह उपाय 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है। तथापि-

As per SEBI directives, except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository. This measure has come into effect from April 01, 2019. However-

1. तथापि उक्त निर्णय निवेशक को भौतिक रूप में शेयर धारण करने से निषिद्ध नहीं करता है, निवेशक के पास 1 अप्रैल, 2019 के बाद भी भौतिक रूप में शेयर रखने का विकल्प है।
2. जो निवेशक शेयरों के अंतरण का इच्छुक है (जो भौतिक रूप में हैं) 1 अप्रैल, 2019 के बाद ऐसा तभी कर सकता है जब वे डीमैटिरियलाइज्ड फॉर्म में हों।

1. The above decision does not prohibit the investor from holding the shares in physical form; investor has the option of holding shares in physical form even after April 01, 2019.
2. Any investor who is desirous of transferring shares (which are held in physical form) after April 01, 2019 can do so only after the shares are dematerialized.

3. निर्धारित तिथि से पहले दाखिल अंतरण विलेख जो प्रलेख में विसंगति के कारण लौटा दिए जाते हैं 1 अप्रैल, 2019 की निर्धारित तिथि के बाद भी पुन. दाखिल किए जा सकते हैं।

सेबी का उपर्युक्त निर्णय, शेयरों के डीमेट, प्रेषण (अर्थात शेयरों के दाय/भाग/उत्तराधिकार द्वारा अंतरण) और ट्रांसपोजिशन (अर्थात पुनर्व्यवस्था/शेयरधारकों के नामों के क्रम में परिवर्तन) के मामलों में प्रयोज्य नहीं है।

#### 10.11 31.03.2019 को यथास्थिति शेयरधारिता का वितरण:

शेयरधारिता Shareholding	शेयरधारकों की संख्या Number of shareholders	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत (%) Percentage of Total shareholders (%)	शेयरों की संख्या Number of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत (%) Percentage of Total shares (%)
1 - 500	177046	80.39	30460079	1.45
501 - 1000	18404	8.36	13533868	0.64
1001 - 2000	10039	4.56	13993264	0.67
2001 - 3000	9422	4.28	23431214	1.12
3001 - 4000	2627	1.19	10133341	0.48
4001 - 5000	1182	0.54	5630295	0.27
5001 - 10000	1039	0.47	6871317	0.33
10001 - 50000	344	0.16	6879401	0.33
50001 - 100000	50	0.02	3677464	0.18
Above 100000 / एवं अधिक	70	0.03	198222562	94.53
<b>कुल/Total</b>	<b>220223</b>	<b>100.00</b>	<b>2096835805</b>	<b>100.00</b>

3. The transfer deed(s) once lodged prior to deadline and returned due to deficiency in the document may be re-lodged for transfer even after the deadline of April 01, 2019.

The above decision of SEBI is not applicable for demat of shares, transmission (i.e. transfer of title of shares by way of inheritance/succession) and transposition (i.e. rearrangement/interchanging of the order of name of shareholders) cases.

#### 10.11 Distribution of shareholding as on 31.03.2019:

#### 10.12 शेयरों का डिमेटेरियलाइजेशन :

बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डिमेट फॉर्म में की जाती है। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कोड INE428A01015 है।

31.03.2019 को यथास्थिति बैंक के 2082982463 इक्विटी शेयर, डिमेटेरियलाइज हैं जो इक्विटी शेयरों का 99.34% है।

31.03.2019 को यथास्थिति शेयरधारकों द्वारा डीमैट और फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

#### 10.12 Dematerialization of shares:

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is INE428A01015.

As on 31.03.2019, 2082982463 equity shares constituting 99.34% of the equity shares are in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31.03.2019 are as under:

शेयरधारण Shares held in	शेयरधारकों की संख्या Number of shareholders	शेयरधारकों का % % of shareholders	शेयरों की संख्या Number of shares	शेयरधारिता का % % of shareholding
<b>भौतिक रूप / Physical form</b>	44925	20.40	13853342	0.66
<b>डीमैट रूप / Dematerialized form</b>				
एनएसडीएल / NSDL	118875	53.98	259253868	12.36
सीडीएसएल / CDSL	56423	25.62	1823728595	86.98
<b>कुल /TOTAL</b>	<b>220223</b>	<b>100.00</b>	<b>2096835805</b>	<b>100.00</b>

31.03.2019 को यथास्थिति भारत सरकार द्वारा धारित ₹10 के अंकित मूल्य वाले कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 1799524582 है जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 85.82% है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 19.02.2019 के अपने पत्र सं. एफ सं. 7/23/2019-बीओए-1 के तहत सरकारी निवेश के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों के

The Equity holding of Govt. of India as on 31.03.2019 is 1799524582 equity shares of ₹10/- each, which constitutes 85.82% of the paid up capital of the Bank.

The Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide their letter No. F.No. 7/23/2019-BOA-I dated 19.02.2019 has conveyed the sanction of the

अधिमानी आबंटन में केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में इलाहाबाद बैंक में ₹6896 करोड़ (रुपए छह हजार आठ सौ छियानबे करोड़ मात्र) निर्मुक्त करने हेतु भारत के राष्ट्रपति की संस्वीकृति की सूचना दी है। भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति), बैंक के संवर्धक ने ₹6896 करोड़ (रुपए छह हजार आठ सौ छियानबे करोड़ मात्र) की राशि का पूंजी अंशदान पहले ही शेयर आवेदन राशि के रूप में 21.02.2019 विप्रेषित कर दिया है। उपर्युक्त पूंजी इंप्यूजन के सापेक्ष बैंक ने सभी सांविधिक/विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को 24.04.2019 को 162,48,82,186 नए इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। उक्त शेयरों के आबंटन के बाद भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) की शेयरधारिता बढ़कर 92.01% हो गई है।

**10.13 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं है।**

**10.14 विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां:**

विदेश में उपस्थिति के साथ बैंकिंग व्यवसाय करते हुए बैंक को विदेशी मुद्रा जोखिम हो सकता है। तथापि, विदेशी मुद्रा में बैंक का महत्वपूर्ण निवेश नहीं है और मुद्रा अंतराल अंतरराष्ट्रीय विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर है। तुलन पत्र की तिथि को यथास्थिति बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और फॉरवर्ड संविदाएं और व्यापार हेतु धारित मुद्रा का क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट और फॉरवर्ड दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदाओं हेतु इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है।

अनहेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश के संबंध में बैंक ने उधारकर्ताओं द्वारा की गई घोषणा के आधार पर अपनी देयता का अनुमान लगाया है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने इसके लिए प्रावधान किया है। उपलब्ध डेटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं, जहां प्राप्त हुई हैं, के आधार पर बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 और परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 दिनांक 3 जून 2014 के परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार बैंक ने अनहेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश के संबंध में 31 मार्च 2019 तक अपने संघटकों के लिए ₹0.67 करोड़ (विगत वर्ष ₹2.25 करोड़) की देयता का अनुमान लगाया है। समूची अनुमानित राशि का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

**10.15 अधिमानी आबंटन के माध्यम से जुटाई गई निधियों का उपयोग:**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने इक्विटी शेयरों का निम्नानुसार आबंटन किया है:

1. ₹61.18 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित ₹71.18 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर 29.05.2018 को भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर ₹10.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर कुल ₹1500.00 करोड़ के 21,07,33,352 नए इक्विटी शेयरों का आबंटन किया है।
2. ₹35.99 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित ₹45.99 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर 15.10.2018 को भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर ₹10.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर कुल ₹1790.00 करोड़ के 38,92,15,046 नए इक्विटी शेयरों का आबंटन किया है।

President of India for release of ₹6896.00 crore (Rupees six thousand eight hundred ninety six crore only) in Allahabad Bank towards contribution of the Central Government in the Preferential Allotment of equity shares of the Bank during the financial year 2018-19 as Government's Investment. Government of India (President of India), the promoter of the Bank has already remitted the capital contribution amount of ₹6896.00 crore (Rupees six thousand eight hundred ninety six crore only) on 21.02.2019. Against the said capital infusion, the Bank has allotted 162,48,82,186 new shares to Government of India (President of India) on 24.04.2019 after receipt of all Statutory/Regulatory approvals. After allotment of said shares, the shareholding of Government of India (President of India) has increased to 92.01%.

**10.13 There are no outstanding GDRs /ADRs /Warrants or any Convertible instruments as on date.**

**10.14 Foreign Exchange Risk and Hedging Activities:**

Being in banking business with overseas presence, the Bank is exposed to Foreign Exchange Risk. However, exposure of the Bank to foreign currencies is not significant and currency gaps are within its internal prudential limits. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

With regard to unhedged Foreign Currency Exposure, the Bank has estimated its liability on the basis of declaration from borrowers and the same has been provided for as per RBI guidelines. Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹0.67 crore up to 31<sup>st</sup> March, 2019 (previous year ₹2.25 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15<sup>th</sup> January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3<sup>rd</sup> June, 2014. The entire estimated amount has been fully provided for.

**10.15 Utilization of funds raised through Preferential Allotment:**

During the financial year 2018-19, the Bank made the following allotment of equity shares:-

1. 21,07,33,352 new equity shares of face value of ₹10.00 each on preferential basis to the Government of India (President of India) on 29.05.2018 for cash at an issue price of ₹71.18 per equity share including a premium of ₹61.18 per equity share aggregating upto ₹1500.00 crore.
2. 38,92,15,046 new equity shares of face value of ₹10.00 each on preferential basis to the Government of India (President of India) on 15.10.2018 for cash at an Issue Price of ₹45.99 per equity share including a premium of ₹35.99 per equity share aggregating upto ₹1790.00 crore.



3. ₹36.78 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित ₹46.78 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर 18.02.2019 को भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर ₹10.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर कुल ₹3054.00 करोड़ के 65,28,43,095 नए इक्विटी शेयरों का आबंटन किया है।

बैंक ने उपर्युक्त अधिमानी निर्गम की समस्त आय का प्रयोग बैंक के पूंजी आधार को बढ़ाने और मजबूत करने तथा बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं के निधियन हेतु किया है।

#### 10.16 लाभांश वितरण नीति:

बैंक की लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) पर उपलब्ध है।

#### 11. शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण :

बैंक ने सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि., कोलकाता, को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण/ प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें बैंक के प्रधान कार्यालय, कोलकाता में भी स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं:-

सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि.  
(यूनिट: इलाहाबाद बैंक)  
पी-22 बंडेल रोड, कोलकाता-700019  
दूरभाष सं. : 033-40116700, फैक्स सं. : 033-40116739  
ईमेल: [rta@cbmsl.com](mailto:rta@cbmsl.com)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी  
निवेशक सेवा कक्ष  
शेयर और बांड विभाग  
इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय  
2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001  
दूरभाष सं. : 033-22420878, फैक्स सं. : 033-22623279  
ईमेल: [investors.grievance@allahabadbank.in](mailto:investors.grievance@allahabadbank.in)

#### 11.1 प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

शेयरधारकों से बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों के निवारण हेतु इसे बैंक के आरटीए अग्रेषित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित तथा दिनांक 31.03.2019 को लंबित अनुरोधों / शिकायतों का विवरण निम्नवत है :-

यथास्थिति 31.03.2018 को लंबित	2018-19 के दौरान प्राप्त	2018-19 के दौरान निस्तारित	31.03.2019 को यथास्थिति लंबित
Pending as on 31.03.2018	Received during 2018-19	Resolved during 2018-19	Pending as on 31.03.2019
शिकायतों/अनुरोधों की संख्या Number of Complaints/requests	शून्य Nil	135	134
			01*

\* यथास्थिति 31.03.2019 को लंबित एक शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

3. 65,28,43,095 new equity shares of face value of ₹10.00 each on preferential basis to the Government of India (President of India) on 18.02.2019 for cash at an Issue Price of ₹46.78 per equity share including a premium of ₹36.78 per equity share aggregating upto ₹3054.00 crore.

The Bank has utilized the entire proceeds of the aforesaid Preferential Issue for enhancing and strengthening the capital base of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

#### 10.16 Dividend Distribution Policy:

Dividend Distribution Policy of the Bank is available on the Bank's website [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in)

#### 11. Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance:

The Bank has appointed M/s CB Management Services Private Limited as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders' requests, resolution of investors' grievances, amongst other activities connected with the change of address, transfer/transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors, grievance/ complaints from them are also accepted at the Bank' Head Office in Kolkata.

The shareholders may lodge their requests/complaints either with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with the Bank at the following address:-

CB Management Services (P) Ltd.  
(Unit: Allahabad Bank)  
P-22, Bondel Road, Kolkata-700019.  
Tel; 033-40116700, Fax : 033-40116739  
Email: [rta@cbmsl.com](mailto:rta@cbmsl.com)

The Company Secretary and Compliance Officer  
Investors' Service Cell,  
Shares and Bonds Department  
Allahabad Bank, Head Office ,  
2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001.  
Tele: 033-22420878, Fax: 033-22623279  
Email: [investors.grievance@allahabadbank.in](mailto:investors.grievance@allahabadbank.in)

#### 11.1 Number of complaints received, resolved and pending :

The shareholders' complaints received by the Bank are forwarded to Bank's RTA for redressal. The details of requests/ complaints received and resolved during the financial year 2018-19 and pending as on 31.03.2019 are as follows:-

\* One complaint pending as on 31.03.2019 has since been resolved.

**12. डीमैट उचंत खाता/अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटीकरण**

डीमैट उचंत खाता में रखे अदावी शेयरों का विवरण:

**12. Disclosure with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account**

The details of unclaimed shares lying in the Demat Suspense Account are as under:

वर्ष के आरंभ में अर्थात् 01.04.2018 को उचंत खाते में रखे गए शेयरधारकों और बकाया शेयरों की कुल संख्या	शेयरधारक-13 शेयर-3791
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year i.e. on 01.04.2018	Shareholders-13 Shares-3791
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के अंतरण हेतु सूचीबद्ध संस्था से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
Number of shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year	Nil
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	Nil
वर्ष के अंत में अर्थात् 31.03.2019 को उचंत खाते में रखे गए शेयरधारकों और बकाया शेयरों की कुल संख्या	शेयरधारक-13 शेयर-3791
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the end of the year i.e. 31.03.2019	Shareholders-13 Shares-3791

वैध स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार अवरुद्ध रहेगा।

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

वैध स्वामी से वैध दावा प्राप्त होने पर डीमैट उचंत खाते में रखे गए शेयरों को दावेदार को क्रेडिट किया जाता है।

On the receipt of valid claim from the rightful owner the shares lying in the Demat Suspense account are credited to the claimant.

**13. शेयरधारिता संरचना (31.03.2019 को यथास्थिति)**

**13. Shareholding Pattern (as on 31.03.2019)**

श्रेणी Category	शेयर धारकों की संख्या Number of shareholders	धारित शेयरों की संख्या Number of shares held	शेयरधारिता % % of shareholding
भारत सरकार / Govt. of India	1	1799524582	85.82
बीमा कंपनियों / Insurance Companies	5	107579077	5.13
भारतीय म्युचुअल फंड / Indian Mutual Funds	3	27986163	1.34
बैंक / Banks	7	489693	0.02
विदेशी संस्थागत निवेशक / Foreign Port folio Investors	60	34844009	1.66
आईएफआई/IFI	1	325000	0.02
कर्मचारी / Employees	21709	40754062	1.94
निगमित निकाय / Bodies Corporate	786	7612269	0.36
अनिवासी भारतीय / Non-resident Indians	1137	1156324	0.06
न्यास/एचयूएफ / Trusts/HUFs	10	67819	0.00
निवासी भारतीय / Resident Individuals	196292	71513420	3.41
निदेशक एवं संबंधी / Directors and Relatives	3	700	0.00
क्लियरिंग सदस्य / Clearing Members	209	4982687	0.24
<b>कुल / Grand Total</b>	<b>220223</b>	<b>2096835805</b>	<b>100.00</b>

**14. नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से लाभांश का भुगतान :**

नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कार्यान्वित लाभांश के भुगतान की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली है जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करा रहा है। तथापि शेयरधारक का बैंक खाता बैंक/बैंकों की केन्द्रीयकृत बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

**15. संबंधित पक्षकार लेनदेन :**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत परिभाषित कोई तात्त्विक संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन की पॉलिसी बैंक की वेबसाइट [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) पर उपलब्ध है।

**16. बैंक द्वारा जारी बॉण्ड का विवरण:**

यथास्थिति 31.03.2019 को बैंक द्वारा जारी बकाया बॉण्ड का विवरण निम्नानुसार है-

**14. Payment of Dividend through National Automated Clearing House (NACH):**

National Automated Clearing House is a centralized system implemented by National Payment Corporation of India which facilitates direct credit of the dividend amount to the investors into his/ her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However the Bank account of the shareholders should be in Core Banking Solution (CBS) Branch of Bank/s.

**15. Related Party Transactions:**

Bank has not entered into any material related party transaction as defined under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 during FY 2018-19. The policy on dealing with related party transactions is available on Bank's website [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in)

**16. Details of Bonds issued by the Bank:**

Details of Bonds issued by the Bank outstanding as on 31.03.2019 are as under:-

विवरण Particulars	आइएसआईएन ISIN	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	बॉण्ड ट्रस्टी का नाम और पता Name & Address of Bond Trustee	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (यों) का नाम Name of Credit Rating Agency (ies)	यथास्थिति 31.03.2019 को बकाया रेटिंग Outstanding Rating as on 31.03.2019
सबॉर्डिनेट डेट टियर 2 बॉण्ड सीरीज IX Subordinated Debt Tier 2 Bonds Series IX	INE428A09109	450.00	आईडीबीआई ट्रस्टीपि सर्विसेज लि. पता- एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट मुम्बई - 400 001.	केयर लि. एवं क्रिसिल लि.  CARE Ltd. & CRISIL Ltd.	CARE A+/ Negative CRISIL AA-/ Negative
अपर टियर 2 बॉण्ड सीरीज II Upper Tier 2 Bonds Series II	INE428A09117	500.00	IDBI Trusteeship Services Limited Address- Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001.		CARE A/ Negative CRISIL A+/ Negative
अपर टियर 1 बॉण्ड सीरीज II Perpetual Bonds Tier 1 Series II	INE428A09125	150.00			CARE A/ Negative CRISIL A+/ Negative
बासेल III अनुपालित टियर 2 बॉण्ड सीरीज I Basel III compliant Tier 2 Bonds Series I	INE428A08028	500.00		क्रिसिल लि. एवं ब्रिकवर्क रेटिंग्स प्रा. लि.	CRISIL AA-/ Negative BWR A+/ Stable
बासेल III अनुपालित टियर 2 बॉण्ड सीरीज II Basel III compliant Tier 2 Bonds Series II	INE428A08044	1000.00	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लि. पता- एक्सिस हाउस, भूतल, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई - 400025	CRISIL Ltd. & Brickwork Ratings Pvt. Ltd.	CRISIL AA-/ Negative BWR A+/ Stable
बासेल III अनुपालित टियर 2 बॉण्ड सीरीज III Basel III compliant Tier 2 Bonds Series III	INE428A08051	1000.00	Axis Trustee Services Limited Address- Axis House, Ground Floor, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400025	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्रा. लि. एवं केयर लि.  India Ratings and Research Pvt. Ltd. & CARE Ltd.	IND AA-/ Negative CARE A+/ Negative

### 17. आचार संहिता :

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य "आचार संहिता" तैयार की है और इसे 17.10.2005 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस प्रतिवेदन का अंश है।

### 18. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की स्थितियों के अनुपालन का प्रमाणपत्र :

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की स्थितियों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

### 17. Code of Conduct:

The Bank has framed the "Code of Conduct" applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board at its meeting held on 17.10.2005 and the same is available on the Bank's website viz. [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in)

The Board members and senior management have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Managing director & CEO of the Bank, forms part of this report.

### 18. Certificate of compliance of conditions of Corporate Governance:

The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is attached.

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

For and on behalf of the Board of Directors

दिनांक: 10.05.2019  
स्थान: कोलकाता

(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव)  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Date: 10.05.2019  
Place: Kolkata

(CH. S. S. Mallikarjuna Rao)  
Managing Director & CEO

**सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची V के पैरा डी के अनुसरण में घोषणा**

यह घोषणा की जाती है कि बैंक ने बोर्ड के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (अर्थात् महाप्रबंधकगण) ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 26 (3) की शर्तों के अनुसरण में 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है।

उक्त आचार संहिता, बैंक की वेबसाइट [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) पर उपलब्ध है।

**DECLARATION PURSUANT TO PARA- D OF SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015**

It is to declare that the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank (i.e. General Managers) have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> March, 2019 in terms of Regulation 26(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The said Code of Conduct is available on the Bank's website, [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in)

दिनांक: 10.05.2019  
स्थान: कोलकाता

(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव)  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Date: 10.05.2019  
Place: Kolkata

**(CH. S. S. Mallikarjuna Rao)**  
Managing Director & CEO

**कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की स्थिति के अनुपालन पर  
लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र**

सेवा में,

**इलाहाबाद बैंक के सदस्यगण**

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 से विनियम 27 और विनियम 46(2) (बी से आई) में यथानिर्धारित अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु **इलाहाबाद बैंक**, के कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की स्थितियों के अनुपालन की जाँच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

बैंक के द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

- (ए) हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन किया है, जहाँ तक कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता।
- (बी) हमें यह कहना है कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथाप्रमाणित एवं हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेश की कोई शिकायत एक माह से अधिक समय तक लम्बित नहीं है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली  
For M/s Nandy Halder & Ganguli  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E  
(सीए राणा प्रताप नंदी)  
(CA Rana Pratap Nandy)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स  
For M/s R. Gopal & Associates  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000846C  
(सीए गोपाल दास अग्रवाल)  
(CA Gopal Das Agarwala)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051609

कृते मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स  
For M/s JBMT & Associates  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 320232E  
(सीए बासुदेव ओझा)  
(CA Basudev Ojha)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.055193

कृते मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं.  
For M/s Prakash S. Jain & Co.  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 002423C  
(सीए गौरव थपाडिया)  
(CA Gaurav Thepadia)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.405326

**Auditors' Certificate on Compliance of Conditions  
of Corporate Governance**

To,

**The Members of Allahabad Bank**

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **ALLAHABAD BANK** for the year ended on March 31<sup>st</sup>, 2019, as stipulated in Regulation 17 to Regulation 27 and Regulation 46(2) (b to i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

- (a) We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent these do not violate RBI/Government of India guidelines.
- (b) We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee and as certified by the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of Bank.

**सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र**

**{सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं)}**

**विनियम 2015 के विनियम 17(8) के साथ पठित विनियम 33(2) के अनुसरण में}**

सेवा में,  
निदेशक मंडल,  
इलाहाबाद बैंक

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

(ए) हमने वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बैंक के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

- i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है।
- ii) ये विवरण बैंक के क्रियाकलापों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं।

(बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की रूपरेखा या परिचालन की उन विसंगतियों को, यदि कोई हो, जो हमारी जानकारी में हैं और इन विसंगतियों के परिशोधन हेतु हमने जो कदम उठाए हैं या उठाया जाना प्रस्तावित है, उसे लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है।

(डी) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को यह दर्शाया है कि-

- (i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।
- (ii) पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपनायी गई लेखा नीतियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अंगीकृत लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है। इन्हें वित्तीय विवरणों के नोट में प्रकट किया गया है।
- (iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाएं जिनकी हमें जानकारी हुई और जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

(संजय अग्रवाल)  
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ

(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव)  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता  
दिनांक : 10.05.2019

## COMPLIANCE CERTIFICATE BY CEO AND CFO

{Pursuant to Regulation 33 (2) read with Regulation 17 (8) of SEBI  
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015}

To  
The Board of Directors,  
Allahabad Bank

This is to certify that:

- (A) We have reviewed the financial statements and the cash flow statement of the Bank for the financial year 2018-19 and that to the best of our knowledge and belief:
- (1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
  - (2) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (B) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (C) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to the financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (D) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:
- (1) that no significant change in internal control over financial reporting has been made during the financial year 2018-19;
  - (2) that there has been no significant changes in accounting policies during the financial year 2018-19 as compared to those followed in preceding financial year 2017-18. The same has been disclosed in the notes to the financial statements; and
  - (3) the instances of significant fraud of which we become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(Sanjay Aggarwal)  
General Manager (F&A) and CFO

(CH. S. S. Mallikarjuna Rao)  
Managing Director & CEO

Place: Kolkata  
Date: 10.05.2019



31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

सेवा में

इलाहाबाद बैंक के सदस्य/शेयरधारक,

हमने इलाहाबाद बैंक (इसके बाद "सूचीबद्ध संस्था" कहा गया है) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट परिपाटियों के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी जिससे हमें कॉर्पोरेट संचालन/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय देने का समुचित आधार प्रदान किया गया।

बैंक द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फार्म और दाखिल विवरणियों तथा बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों, बैंक की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंजों को बैंक द्वारा की गई फाइलिंग/प्रस्तुतीकरणों और साथ ही बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत सूचना के सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध सांविधिक उपबंधों का अनुपालन किया है और यह कि बैंक की समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक और उस रूप में और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु इलाहाबाद बैंक द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फार्म और दाखिल विवरणियों की जाँच की है:

- (i) प्रयोज्य सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (iii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) और इसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश;
- (iv) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;
- (vi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-
  - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;
  - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 1992 और 2015;
  - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015;

For the Financial year ended on 31<sup>st</sup> March, 2019

Report on the Financial Statements

To

The Members/Shareholders of Allahabad Bank

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Allahabad Bank (hereinafter called "the listed entity"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank, the website of the Bank, the filings and submissions made by the Bank to the Stock Exchanges and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31<sup>st</sup> March, 2019 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Allahabad Bank for the financial year ended on 31<sup>st</sup> March, 2019 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder, to the extent applicable;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (iii) The Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act) and the regulations, circulars, guidelines issued thereunder;
- (iv) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (v) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (vi) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
  - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
  - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 and 2015;
  - (c) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और क्लॉट के साथ डीलिंग के संबंध में;
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009; और
- (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998.

(vii) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में प्रचलित अनुपालन प्रणाली पर विचार करने के बाद और बैंक द्वारा अनुरक्षित प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों की हमारी परीक्षण जांच के बाद, इसने बैंक पर विशेष रूप से प्रयोज्य निम्नलिखित विधियों का पालन किया है:

(vii) We further report that after considering the compliance system prevailing in the Bank, and after carrying out test checks of the relevant records and documents maintained by the Bank, it has complied with the following laws that are applicable specifically to the Bank:

- 1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970,
- 2) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
- 3) इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999.
- 4) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970
- 1) The Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act, 1970.
- 2) The Banking Regulation Act, 1949.
- 3) Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999.
- 4) Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970.

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानदंड, बैंक पर प्रयोज्य सीमा तक और
- (ii) बैंक द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015
- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India, to the extent applicable to the Bank and
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों, दिशानिर्देशों, मानदंडों का अनुपालन किया है:

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above:

#### हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

#### We further report that:

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत किया गया है जिसमें बोर्ड में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों के इष्टतम संतुलन का ध्यान रखा गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में हुआ परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में है।

The Board of Directors of the Bank is constituted under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act, 1970 which envisage optimum balance of Executive and Non-Executive Directors on the Board. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review happened in compliance with the provisions of the Act.

बोर्ड बैठकों की अनुसूची हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची एवं कार्यसूची नोट संबंधी विवरण कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पहले और बैठक में सार्थक

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the

सहभागिता हेतु कार्यसूची मदों के संबंध में अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

सभी निर्णयों पर कार्रवाई की गई थी और किसी भी सदस्य की कोई विपरीत राय नहीं थी।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया है और अब तक इनके अंतर्गत परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए हैं जैसा कि उन अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई विशेष घटना नहीं हुई है और/अथवा ऊपर संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानदंडों के अनुसरण में बैंक के कार्यों पर बड़ा प्रभाव डालने के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है सिवाय निम्नलिखित के:

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारिबैं ने बैंक के उधारकर्ता के संबंध में खातों की पुनर्संरचना के दौरान भारिबैं का अनुपालन न करने पर ₹15.00 मिलियन का अर्थ दंड लगाया है और स्विफ्ट संबंधित परिचालन नियंत्रण से संबंधित भारिबैं दिशानिर्देशों का पालन न करने पर ₹20.00 मिलियन का अर्थ दंड लगाया है। बैंक ने इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू की है।
2. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति), बैंक के प्रवर्तक को अधिमानी आधार पर नकद रूप में नए इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:
  - 2.1 29.05.2018 को ₹71.18 प्रतिशेयर के निर्गम मूल्य पर ₹10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 21,07,33,352 इक्विटी शेयर।
  - 2.2 15.10.2018 को ₹45.99 प्रतिशेयर के निर्गम मूल्य पर ₹10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 38,92,15,046 इक्विटी शेयर।
  - 2.3 18.02.2019 को ₹46.78 प्रतिशेयर के निर्गम मूल्य पर ₹10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 65,28,43,095 इक्विटी शेयर।

agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions were carried through and there were no dissenting members' views.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that the Bank has maintained proper records under the provisions of the above Regulations and circulars/guidelines issued thereunder insofar as it appears from our examination of those records.

We further report that during the audit period no specific event has happened and / or no action has been taken against the Bank having a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. save and except:-

1. During the period under review, RBI has imposed penalty of ₹15.00 million for non-adherence with RBI guidelines during restructuring of accounts in respect of one of its borrowers and a penalty of ₹20.00 million for non-compliance of the RBI direction pertaining to SWIFT related operational controls. The Bank has put internal control system in place to prevent its recurrence.
2. During the year under review, the Bank has issued and allotted new equity shares for cash on Preferential basis to the Government of India ( President of India), the promoter of the Bank as detailed below:
  - 2.1. 21,07,33,352 equity shares of face value of ₹10/- each at an issue price of ₹71.18 per share on 29.05.2018.
  - 2.2. 38,92,15,046 equity shares of face value of ₹10/- each at an issue price of ₹45.99 per share on 15.10.2018.
  - 2.3. 65,28,43,095 Equity shares of face value of ₹10/- each at an issue price of ₹46.78 per share on 18.02.2019.

एच.एम. चोरारिया एण्ड कंपनी  
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव  
एच.एम. चोरारिया

स्थान: कोलकाता  
दिनांक: 09 मई 2019

प्रोपराइटर  
एफसीएस सं. 2398, सी पी सं. 1499

H. M. Choraria & Co.  
Practising Company Secretary  
H. M. Choraria  
Proprietor

Place : Kolkata  
Date : 09<sup>th</sup> May 2019

FCS No. 2398, C P No.: 1499

**इ ला हा बा द बैंक**  
**ALLAHABAD BANK**  
31 मार्च, 2019 को यथास्थिति तुलन-पत्र  
**BALANCE SHEET AS ON 31<sup>ST</sup> MARCH, 2019**

पूंजी एवं देयताएं Capital and Liabilities	अनुसूची Schedule	यथास्थिति/As on 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
पूंजी / Capital	1	20,968,358	8,440,443
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	70,334,819	94,243,472
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन / Share application money pending allotment		68,960,000	15,000,000
जमाराशियाँ / Deposits	3	2,143,340,675	2,136,038,278
उधार / Borrowings	4	124,889,410	214,005,155
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	57,264,447	58,895,403
<b>कुल /Total:</b>		<b>2,485,757,709</b>	<b>2,526,622,751</b>
<b>आस्तियाँ /ASSETS</b>			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India			
	6	96,723,216	92,508,755
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice			
	7	45,611,942	121,309,226
निवेश /Investments	8	795,579,133	677,140,245
अग्रिम /Advances	9	1,422,121,630	1,520,607,442
अचल आस्तियाँ /Fixed Assets	10	35,382,578	31,320,863
अन्य आस्तियाँ /Other Assets	11	90,339,210	83,736,220
<b>कुल /Total:</b>		<b>2,485,757,709</b>	<b>2,526,622,751</b>
आकस्मिक देयताएँ /Contingent Liabilities	12	1,766,365,663	2,121,472,384
समाहरण के लिए बिल /Bills for Collection		94,520,543	128,770,524
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा पर टिप्पणी /Notes on Accounts	18		
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे का अभिन्न अंग हैं The schedules referred to above form an integral part of the accounts			

**सी.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव**  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
**CH. S. S. Mallikarjuna Rao**  
Managing Director & CEO

श्री के. रामचंद्रन  
कार्यपालक निदेशक  
**K. Ramachandran**  
Executive Director

श्री पी. आर. राजगोपाल  
कार्यपालक निदेशक  
**P. R. Rajagopal**  
Executive Director

एस. अग्रवाल  
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ)  
**S. Aggarwal**  
General Manager  
(Finance & Accounts and CFO)

बी. के. साहू  
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)  
**B. K. Sahoo**  
Asstt General Manager(F&A)

राम स्वरूप सरकार  
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)  
**Ram Swarup Sarkar**  
Asstt General Manager(F&A)

**निदेशक / Directors:**

श्री राजीव रंजन/Shri Rajeev Ranjan  
श्री विवेक दीप /Shri Vivek Deep  
श्री सारथ सुरा/Shri Sarath Sura  
डॉ. बिजय कुमार साहू/Dr. Bijaya Kumar Sahoo  
डॉ. पार्थप्रतिम पाल/Dr. Parthapratim Pal  
प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली  
**For M/s Nandy Halder & Ganguli**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E  
(सीए राणा प्रताप नंदी)  
(CA Rana Pratap Nandy)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. पी.एल. टंडन एंड कं.  
**For M/s P L Tandon & Co.**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000186C  
(सीए अनिल कुमार अग्रवाल)  
(CA Anil Kumar Aggarwal)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.071548

कृते मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स  
**For M/s R. Gopal & Associates**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000846C  
(सीए गोपाल दास अग्रवाल)  
(CA Gopal Das Agarwala)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051609

कृते मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स  
**For M/s JBMT & Associates**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 320232E  
(सीए बासुदेव ओझा)  
(CA Basudev Ojha)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.055193

कृते मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं.  
**For M/s Prakash S. Jain & Co.**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 002423C  
(सीए गौरव थपाडिया)  
(CA Gaurav Thepadia)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.405326

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata  
दिनांक / Date: 10.05.2019

# इ ला हा बा द बैं क ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एव हानि लेखा  
Profit and Loss Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2019

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
<b>I. आय /INCOME</b>			
अर्जित ब्याज /Interest earned	13	168,642,937	163,584,926
अन्य आय /Other income	14	17,002,043	26,925,602
<b>कुल /Total :</b>		<b>185,644,980</b>	<b>190,510,528</b>
<b>II. व्यय /EXPENDITURE</b>			
व्यय किया गया ब्याज /Interest expended	15	113,534,834	116,261,027
परिचालन व्यय /Operating expenses	16	44,440,010	39,866,261
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & contingencies		111,009,748	81,126,919
<b>कुल /Total :</b>		<b>268,984,592</b>	<b>237,254,207</b>
<b>III. निवल लाभ/(हानि) /Net Profit/(Loss) for the year</b>		(83,339,612)	(46,743,679)
अग्रानीत लाभ/(हानि) /Profit/(Loss) brought forward		(52,906,877)	(6,163,198)
<b>कुल /Total :</b>		<b>(136,246,489)</b>	<b>(52,906,877)</b>
<b>IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण /Transfer to Statutory Reserve		शून्य/NIL	शून्य/NIL
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण /Transfer to Revenue & Other Reserve		शून्य/NIL	शून्य/NIL
पूंजी प्रारक्षिति-अन्य को अंतरण/Transfer to Capital Reserve - Others		शून्य/NIL	शून्य/NIL
विशेष प्रारक्षितियों को अंतरण, आइटी एक्ट की धारा 36(1)(viii) के अनुसार/ Transfer to Special Reserve (in terms of Sec 36(1)(viii) of IT Act, 1961)		शून्य/NIL	शून्य/NIL
आईआरएस प्रारक्षिति को/से अंतरण / Transfer to / from IRS Reserve		शून्य/NIL	शून्य/NIL
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		शून्य/NIL	शून्य/NIL
लाभांश पर कर /Tax on Dividend		शून्य/NIL	शून्य/NIL
तुलन पत्र में अग्रणीत शेष/Balance carried to Balance Sheet		(136,246,489)	(52,906,877)
<b>कुल /Total :</b>		<b>(136,246,489)</b>	<b>(52,906,877)</b>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
लेखा पर टिप्पणियाँ /Notes on Accounts	18		
प्रति शेयर अर्जन (बेसिक व डाइल्यूटेड) (₹)/ Earnings per share (Basic and Diluted) (₹)		(65.34)	(59.63)
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे का अभिन्न अंग हैं The schedules referred to above form an integral part of the accounts			

**सी.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव**  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
**CH. S. S. Mallikarjuna Rao**  
Managing Director & CEO

श्री के. रामचंद्रन  
कार्यपालक निदेशक  
**K. Ramachandran**  
Executive Director

श्री पी. आर. राजगोपाल  
कार्यपालक निदेशक  
**P. R. Rajagopal**  
Executive Director

एस. अग्रवाल  
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ)  
**S. Aggarwal**  
General Manager  
(Finance & Accounts and CFO)

बी. के. साहू  
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)  
**B. K. Sahoo**  
Asstt General Manager(F&A)

राम स्वरूप सरकार  
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)  
**Ram Swarup Sarkar**  
Asstt General Manager(F&A)

**निदेशक / Directors:**

श्री राजीव रंजन/Shri Rajeev Ranjan  
श्री विवेक दीप /Shri Vivek Deep  
श्री सारथ सूर्य/Shri Sarath Sura  
डॉ. बिजय कुमार साहू/Dr. Bijaya Kumar Sahoo  
डॉ. पार्थप्रतिम पाल/Dr. Parthapratim Pal  
प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma

कृते मे. नंदी हलदर एंड गंगुली  
**For M/s Nandy Halder & Ganguli**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E  
(सीए राणा प्रताप नंदी)  
(CA Rana Pratap Nandy)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. पी.एल. टंडन एंड कं.  
**For M/s P L Tandon & Co.**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000186C  
(सीए अनिल कुमार अग्रवाल)  
(CA Anil Kumar Aggarwal)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.071548

कृते मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स  
**For M/s R. Gopal & Associates**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000846C  
(सीए गोपाल दास अग्रवाल)  
(CA Gopal Das Agarwala)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051609

कृते मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स  
**For M/s JBMT & Associates**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 320232E  
(सीए बासुदेव ओझा)  
(CA Basudev Ojha)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.055193

कृते मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं.  
**For M/s Prakash S. Jain & Co.**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 002423C  
(सीए गौरव थपाडिया)  
(CA Gaurav Thepadia)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.405326

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata  
दिनांक / Date: 10.05.2019

## अनुसूची

## SCHEDULE

	यथास्थिति/As on 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
<b>अनुसूची 1 - पूँजी</b>		
<b>SCHEDULE 1 - CAPITAL</b>		
<b>प्राधिकृत पूँजी /AUTHORISED CAPITAL</b>		
₹10/- प्रत्येक के 3,00,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	30,000,000	30,000,000
<b>निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी</b>		
<b>ISSUED, SUBSCRIBED &amp; PAID UP CAPITAL</b>		
केन्द्र सरकार द्वारा धारित ₹10/- प्रत्येक 179,95,24,582 (विगत वर्ष 54,67,33,089) इक्विटी शेयर 179,95,24,582 (Previous Year 54,67,33,089) Equity Shares of ₹10/- each held by Central Government	17,995,246	5,467,331
जनता एवं अन्य द्वारा धारित ₹10/- प्रत्येक के 29,73,11,223 (विगत वर्ष 29,73,11,223) इक्विटी शेयर 29,73,11,223 (Previous Year 29,73,11,223) Equity Shares of ₹10/- each held by Public & Others	2,973,112	2,973,112
<b>कुल /Total :</b>	<b>20,968,358</b>	<b>8,440,443</b>
<b>अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष</b>		
<b>SCHEDULE 2 - RESERVES &amp; SURPLUS</b>		
<b>I. सांविधिक प्रारक्षितियां/Statutory Reserves</b>		
i) अथ शेष / Opening Balance	32,043,870	32,043,870
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल /Total :</b>	<b>32,043,870</b>	<b>32,043,870</b>
<b>II. पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves</b>		
<b>ए/आ) पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां /Revaluation Reserves</b>		
i) अथ शेष /Opening Balance	25,569,242	26,004,674
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	4,282,449	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती /Deduction during the year	(414,882)	(435,432)
iv) लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण /Transfer to Profit & Loss Account	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल /Total :</b>	<b>29,436,809</b>	<b>25,569,242</b>
<b>बी/बी) स्थिर आस्तियों के विक्रय में से प्रारक्षितियां</b>		
<b>Reserve out of sale of Fixed Assets</b>		
i) अथ शेष /Opening Balance	103,251	103,251
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती /Deduction during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल /Total :</b>	<b>103,251</b>	<b>103,251</b>

	यथास्थिति/As on 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
सी/C) अन्य / Others		
i) अथ शेष /Opening Balance	4,124,627	4,124,627
ii) लाभ एवं हानि खाते से अंतरण / Transfer from Profit & Loss Account	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल /Total :</b>	<b>4,124,627</b>	<b>4,124,627</b>
<b>कुल (ए+बी+सी) /Total (A+B+C)</b>	<b>33,664,687</b>	<b>29,797,120</b>
III. शेयर प्रीमियम /Share Premium		
i) अथ शेष / Opening Balance	40,969,334	34,640,641
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	50,912,085	6,328,693
<b>कुल /Total :</b>	<b>91,881,419</b>	<b>40,969,334</b>
IV. राजस्व प्रारक्षितियां/Revenue Reserves		
A) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां / Revenue and Other Reserves		
i) अथ शेष / Opening Balance	27,577,885	28,583,242
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	4,320,677	2,900,439
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	शून्य/NIL	(3,905,796)
<b>कुल /Total :</b>	<b>31,898,562</b>	<b>27,577,885</b>
B) विनिधान प्रारक्षिती खाता / Investment Reserve Account		
i) अथ शेष / Opening Balance	1,385,855	1,385,855
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the period	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) लाभ एवं हानि खाते में अंतरण/Transfer to Profit & Loss Account	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल /Total :</b>	<b>1,385,855</b>	<b>1,385,855</b>
C) विशेष प्रारक्षितियां (आय कर अधिनियम, 1961की धारा 36(1)(viii) के तहत)/ Special Reserve (U/S 36(1)(viii) of I T Act,1961)		
i) अथ शेष / Opening Balance	14,500,000	14,500,000
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Additions during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल /Total</b>	<b>14,500,000</b>	<b>14,500,000</b>
D) विदेशी मुद्रा परिवर्तन प्रारक्षिति /Foreign Currency Translation Reserve		
i) अथ शेष / Opening Balance	857,222	857,855
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Additions during the year	330,630	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन / Deduction/Adj. during the year	शून्य/NIL	(633)
<b>कुल /Total:</b>	<b>1,187,852</b>	<b>857,222</b>
E) आई. आर. एस. प्रारक्षिती / I R S Reserve		
i) अथ शेष / Opening Balance	19,063	19,063
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल /Total :</b>	<b>19,063</b>	<b>19,063</b>
<b>कुल (ए+बी+सी+डी+ई) /Total: (A+B+C+D+E)</b>	<b>48,991,332</b>	<b>44,340,025</b>
V. लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss Account	(136,246,489)	(52,906,877)
<b>कुल /Total: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>70,334,819</b>	<b>94,243,472</b>

	यथास्थिति/As on 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
<b>अनुसूची 3 - जमा</b>		
<b>SCHEDULE 3 - DEPOSITS</b>		
I. मांग जमा /Demand Deposits		
i) बैंकों से /From Banks	151,215	201,437
ii) अन्य से /From Others	119,713,379	103,823,361
कुल /Total :	<b>119,864,594</b>	<b>104,024,798</b>
II. बचत बैंक जमा /Savings Bank Deposits	<b>940,837,537</b>	<b>880,168,369</b>
III. मीयादी जमा /Term Deposits		
i) बैंकों से /From Banks	114,937	19,503,133
ii) अन्य से /From Others	1,082,523,607	1,132,341,978
कुल /Total :	<b>1,082,638,544</b>	<b>1,151,845,111</b>
<b>कुल /Total : (I+II+III)</b>	<b>2,143,340,675</b>	<b>2,136,038,278</b>
i) भारत में स्थित शाखाओं के जमा / Deposits of branches in India	2,143,013,773	2,108,417,008
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के जमा / Deposits of branches outside India	326,902	27,621,270
<b>कुल /Total :</b>	<b>2,143,340,675</b>	<b>2,136,038,278</b>

#### अनुसूची 4 - उधार

#### SCHEDULE 4 - BORROWINGS

##### I. भारत में उधार / Borrowings in India

i) भारतीय रिज़र्व बैंक /Reserve Bank of India	51,500,000	79,543,600
ii) अन्य बैंक /Other Banks	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण /Other Institutions and Agencies	6,269,660	5,016,567
iv) गौण नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत / Subordinated Innovative Perpetual Debt Instrument	1,500,000	3,000,000
v) गौण ऋण-अपर टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Upper Tier 2 Capital	5,000,000	10,000,000
vi) गौण ऋण - टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Tier 2 Capital	4,500,000	8,500,000
vii) गौण ऋण-बासेल III अनुपालित टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Tier 2 Capital (Basel III Compliant)	25,000,000	25,000,000
viii) गौण ऋण-बासेल III अनुपालित टियर 1 पूँजी / Subordinated Perpetual Debt - Additional Tier 1 Capital (Basel III Compliant)	शून्य/NIL	15,000,000
<b>कुल /Total :</b>	<b>93,769,660</b>	<b>146,060,167</b>
II. भारत के बाहर उधार /Borrowings outside India	31,119,750	67,944,988
<b>कुल /Total : (I+II)</b>	<b>124,889,410</b>	<b>214,005,155</b>

उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार

Secured borrowings included in I & II above

शून्य/NIL

शून्य/NIL

#### अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ एवं प्रावधान

#### SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. संदेय बिल /Bills Payable	6,095,457	7,409,529
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter Office Adjustment (Net)	245,706	1,427,692
III. उपचित ब्याज /Interest Accrued	3,188,219	4,653,276
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल) /Deferred Tax Liabilities (Net)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
V. अन्य (प्रावधान सहित) /Others (including provisions)	47,735,065	45,404,906
<b>कुल /Total :</b>	<b>57,264,447</b>	<b>58,895,403</b>



	यथास्थिति/As on 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
--	---	---

### अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष

#### SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I. रोकड़ शेष / Cash in hand (विदेशी करेंसी नोट सहित)(including foreign currency notes)	5,450,929	5,787,987
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष /Balances with Reserve Bank of India		
- चालू खाते में / -in Current Account	91,272,287	86,720,768
- अन्य खातों में -/in Other Accounts	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल /Total :</b>	<b>96,723,216</b>	<b>92,508,755</b>

### अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

#### SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

##### I. भारत में /In India

i. बैंकों में शेष /Balances with Banks		
a) चालू खातों में /in Current Accounts	164,573	257,394
b) अन्य जमा खातों में /in Other Deposit Accounts	29,737,750	44,980,375
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन /Money at Call and Short Notice		
ए/a) बैंकों में / With Banks	12,000,000	39,584,581
बी/b) अन्य संस्थाओं में /With Other Institutions	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल /Total : ( i + ii )</b>	<b>41,902,323</b>	<b>84,822,350</b>

##### II. भारत के बाहर /Outside India

i. बैंकों में शेष /Balances with Banks		
ए/a) चालू खातों में /in Current Accounts	3,294,689	10,156,116
बी/b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन /Money at Call and Short Notice	414,930	26,330,760
<b>कुल /Total : ( i + ii )</b>	<b>3,709,619</b>	<b>36,486,876</b>
<b>कुल /Total : (I+II)</b>	<b>45,611,942</b>	<b>121,309,226</b>

### अनुसूची 8 - निवेश

#### SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

##### I. भारत में निवेश /Investments in India in

i. सरकारी प्रतिभूतियाँ /Government Securities	690,923,162	625,284,005
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ /Other Approved Securities	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii. शेयर/Shares	5,393,879	8,160,364
iv. डिबेंचर और बंध पत्र /Debentures & Bonds	53,358,818	37,994,616
v. अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उद्यमों Subsidiaries and / or Joint Ventures	1,562,746	1,557,913
vi. अन्य (म्यूच्युअल फंड, यूटीआई आदि) / Others ( Mutual Funds, UTI etc. )	41,121,979	1,164,528
<b>कुल /Total :</b>	<b>792,360,584</b>	<b>674,161,426</b>

	यथास्थिति/As on 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
<b>II. भारत के बाहर निवेश/Investments Outside India in</b>		
i. सरकारी प्रतिभूतियां /Government Securities (including local authorities)	3,218,549	2,978,819
ii. अनुषंगियों और/ अथवा संयुक्त उद्यमों Subsidiaries and / or Joint Ventures abroad	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii. अन्य / Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल /Total :</b>	<b>3,218,549</b>	<b>2,978,819</b>
<b>सकल योग /GRAND TOTAL (I and II)</b>	<b>795,579,133</b>	<b>677,140,245</b>
<b>III. भारत में निवेश /Investments in India</b>		
(i) निवेशों में सकल लागत/Gross Value of Investments	809,956,007	687,382,353
(ii) घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Less: Provision for Depreciation	17,595,423	13,220,927
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त I के तहत) / Net Investments (vide I above)	<u>792,360,584</u>	<u>674,161,426</u>
<b>IV. भारत के बाहर निवेश /Investments Outside India</b>		
(i) निवेशों में सकल लागत/Gross Value of Investments	3,218,549	2,978,819
(ii) घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Less: Provision for Depreciation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त II के तहत) / Net Investments (vide II above)	<u>3,218,549</u>	<u>2,978,819</u>
<b>सकल योग /GRAND TOTAL (III and IV)</b>	<b>795,579,133</b>	<b>677,140,245</b>

	यथास्थिति/As on 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
<b>अनुसूची 9 - अग्रिम</b>		
<b>SCHEDULE 9 - ADVANCES</b>		
ए/A i. क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	5,238,163	13,952,850
ii. नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण / Cash credits, Overdrafts and loans repayable on demand	652,786,810	719,877,640
iii. मीयादी ऋण /Term Loans	764,096,657	786,776,952
<b>कुल /Total :</b>	<b>1,422,121,630</b>	<b>1,520,607,442</b>
बी/B मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित)		
i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	1,248,667,595	1,186,391,814
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	23,313,252	61,847,435
iii) अप्रतिभूत /Unsecured	150,140,783	272,368,193
<b>कुल /Total :</b>	<b>1,422,121,630</b>	<b>1,520,607,442</b>
सी/C. I. भारत में अग्रिम /Advances in India		
i. प्राथमिकता क्षेत्र /Priority Sector	564,490,300	622,652,000
ii. सार्वजनिक क्षेत्र /Public Sector	128,709,650	98,013,951
iii. बैंक /Banks	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iv. अन्य /Others	696,324,831	699,721,965
<b>कुल /Total :</b>	<b>1,389,524,781</b>	<b>1,420,387,916</b>
II. भारत से बाहर अग्रिम / Advances outside India		
ए/a) बैंक से प्राप्य / Due from Bank	26,391,844	73,696,683
बी/b) अन्य से प्राप्य / Due from others		
i) क्रय किए गए एवं भुनाए गए बिल / Bills Purchased & Discounted	75,938	2,144,943
ii) सामूहिक ऋण/Syndicated Loan	6,012,944	22,259,095
iii) अन्य /Others	116,123	2,118,805
<b>कुल /Total :</b>	<b>32,596,849</b>	<b>100,219,526</b>
<b>कुल /Total :(CI+CII)</b>	<b>1,422,121,630</b>	<b>1,520,607,442</b>

	यथास्थिति/As on 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
<b>अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ</b>		
<b>SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS</b>		
<b>I. परिसर</b>		
<b>Premises</b>		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकित राशि पर		
At cost / Revalued amount as on 31 <sup>st</sup> March of the preceding year	29,456,407	29,408,849
ii. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित /Revalued during the year	4,282,449	शून्य/NIL
iii. वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1,214	47,624
	<u>33,740,070</u>	<u>29,456,473</u>
iv. वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन / Deductions/ Adjustment during the year	शून्य/NIL	66
	<u>33,740,070</u>	<u>29,456,407</u>
v. पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन/ Adjustment Related to previous year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	<u>33,740,070</u>	<u>29,456,407</u>
vi. बही मूल्य की तिथि को मूल्यहास/ Depreciation to date on book value	661,264	599,702
	<u>33,078,806</u>	<u>28,856,705</u>
vii. पुनर्मूल्यन तिथि को मूल्यहास/ Depreciation to date on revaluation	1,956,902	1,542,020
	<u>31,121,904</u>	<u>27,314,685</u>
viii. निर्माणाधीन परिसर/Premises under Construction	2,914	104,189
<b>कुल /Total</b>	<b><u>31,124,818</u></b>	<b><u>27,418,874</u></b>
<b>II. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित) / Other Fixed Assets (including Furniture &amp; Fixtures)</b>		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर/ At cost as on 31 <sup>st</sup> March of the preceding year	15,167,061	14,339,326
ii. वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	1,292,042	863,660
	<u>16,459,103</u>	<u>15,202,986</u>
iii. वर्ष के दौरान कटौती /Deductions during the year	31,621	35,925
	<u>16,427,482</u>	<u>15,167,061</u>
iv. विगत वर्ष से संबंधित समायोजन / Adjustment Related to previous year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	<u>16,427,482</u>	<u>15,167,061</u>
v. तिथि को मूल्यहास /Depreciation to date	12,169,722	11,265,072
<b>कुल /Total:</b>	<b><u>4,257,760</u></b>	<b><u>3,901,989</u></b>
<b>कुल /Total :(I+II)</b>	<b><u>35,382,578</u></b>	<b><u>31,320,863</u></b>

	यथास्थिति/As on 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
<b>अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ</b>		
<b>SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS</b>		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter Office Adjustment (Net)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
II. उपचित ब्याज /Interest Accrued	12,556,655	11,373,583
III. अग्रिम रूप में संदत्त कर/ स्रोत पर काटा गया कर (निवल) Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	28,970,629	18,967,896
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प /Stationery and Stamps	223,145	234,392
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	355,460	355,460
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)/Deferred Tax Assets (Net)	28,952,377	28,657,816
VII. अन्य (विविध एवं उचंत)/ Others (Sundries and Suspense)	19,280,944	24,147,073
<b>कुल/Total :</b>	<b>90,339,210</b>	<b>83,736,220</b>

<b>अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं</b>		
<b>SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES</b>		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अपीलाधीन विवादित आयकर मांगों सहित) Claims against the bank, not acknowledged as debts (including disputed Income Tax demands under appeals)	33,577,650	20,167,125
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता/Liability for partly paid investments	1,600	1,600
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता/ Liability on account of outstanding forward exchange contracts	1,586,967,667	1,925,905,107
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(i) भारत में /In India	89,903,983	86,199,723
(ii) भारत के बाहर /Outside India	8,834,958	30,339,889
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं/ Acceptances, endorsements and other obligations	42,643,966	56,749,571
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	4,435,839	2,109,369
<b>कुल /Total :</b>	<b>1,766,365,663</b>	<b>2,121,472,384</b>

	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
<b>अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज</b>		
<b>SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED</b>		
I) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा /Interest/discount on advances / bills	111,857,305	110,285,356
II) निवेशों पर आय /Income on investments	49,428,325	40,973,393
III) भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	4,136,495	9,686,567
IV) अन्य/Others	3,220,812	2,639,610
<b>कुल /Total :</b>	<b>168,642,937</b>	<b>163,584,926</b>

**अनुसूची 14 - अन्य आय**  
**SCHEDULE 14 - OTHER INCOME**

I) कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज / Commission, exchange & brokerage	9,188,080	10,006,330
II) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ / Profit on sale of investments घटाएं: निवेश के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of Investment	1,173,040 (3,847,447)	7,689,662 (1,583,925)
III) भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Land, Building and Other Assets घटाएं: भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of Land, Building and Other Assets	148 (193)	155 (219)
IV) विनिमय लेनदेनों पर लाभ Profit on exchange transactions घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि Less : Loss on exchange transaction	1,546,728 (1,362,313)	2,578,641 (692,413)
V) भारत में अनुषंगियों /कंपनियों तथा / अथवा संयुक्त उद्यमों इत्यादि से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries/ companies and / or joint ventures etc. in India.	63,539	76,767
VI) विविध आय / Miscellaneous Income	10,240,461	8,850,604
<b>कुल /Total :</b>	<b>17,002,043</b>	<b>26,925,602</b>

**अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज**  
**SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED**

I) जमाराशियों पर ब्याज /Interest on deposits	106,590,986	108,600,273
II) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI/Inter bank borrowings	606,521	1,368,503
III) अन्य/Others	6,337,327	6,292,251
<b>कुल /Total :</b>	<b>113,534,834</b>	<b>116,261,027</b>

	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2019 (₹ '000 omitted)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018 (₹ '000 omitted)
<b>अनुसूची 16 - परिचालन व्यय</b>		
<b>SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES</b>		
I) कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	25,298,697	21,581,041
II) भाड़ा, कर एवं रोशनी /Rent, Taxes and Lighting	4,350,713	4,350,152
III) मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	391,533	404,028
IV) विज्ञापन और प्रचार /Advertisement and publicity	79,009	104,187
V) बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षय /Depreciation on Bank's property	1,381,095	1,431,018
VI) निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	15,025	15,094
VII) लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	262,365	260,787
VIII) विधि प्रभार /Law charges	217,779	223,484
IX) डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postages, Telegrams, Telephones etc	927,016	788,375
X) मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	1,351,953	1,246,747
XI) बीमा /Insurance	2,278,342	2,252,632
XII) अन्य व्यय / Other expenditure	7,886,483	7,208,716
<b>कुल /Total :</b>	<b>44,440,010</b>	<b>39,866,261</b>

## अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

### 1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण को, जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखा की परंपरागत लागत परिपाटी एवं उपचित आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों एवं सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है।

वित्तीय विवरणियाँ बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं) द्वारा आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित विषयों पर जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देश भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एवं अन्य उद्घोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा पद्धति के अनुरूप भी हैं।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में सांविधिक प्रावधानों एवं संबंधित विदेश में प्रचलित परिपाटी का अनुपालन किया जाता है।

### 2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित है कि वह वित्तीय विवरण की तिथि को आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि पर विचार करते हुए प्राक्कलन करे एवं अनुमान लगाए। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं समुचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा प्राक्कलन में किसी संशोधन की, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, चालू एवं भावी अवधि हेतु भविष्यप्रभावी रूप से पहचान की जाती है।

### 3. निवेश

#### 3.1 वर्गीकरण

(i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'क' की अपेक्षा के अनुसार निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित छह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है :

- (ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
- (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
- (सी) शेयर,
- (डी) डिबेंचर एवं बॉण्ड,
- (ई) अनुषंगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम तथा
- (एफ) अन्य

(ii) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है,

- (ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- (बी) विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- (सी) व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)

#### 3.2 वर्गीकरण का आधार

- (ए) निवेश जिसे बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (बी) निवेश जिसे क्रय की तिथि से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनर्विक्रय हेतु धारित किया जाता है, के व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

## Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### 1. Basis of Preparation:

The financial statements are prepared under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and generally accepted accounting principles.

The financial statements are prepared in accordance with requirements prescribed under the Banking Regulation Act, 1949 and conform to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect to income recognition, asset classification, provisioning and other related matters and Accounting Standards and other pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India and accounting practices prevalent in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

### 2. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively unless otherwise stated.

### 3. Investments:

#### 3.1 Classification

(i) In conformity with the requirements of Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, Investments are classified into the following six groups :

- (a) Government Securities,
- (b) Other Approved Securities,
- (c) Shares,
- (d) Debentures & Bonds,
- (e) Subsidiaries/ Joint Ventures and
- (f) Others

(ii) The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,

- (a) Held to Maturity (HTM)
- (b) Available for Sale (AFS)
- (c) Held for Trading (HFT)

#### 3.2 Basis of classification

- (a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- (b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.



- (सी) निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (डी) निवेश के क्रय के समय उसे परिपक्वता तक धारित, व्यवसाय हेतु धारित अथवा विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं श्रेणियों में तत्पश्चात शिफ्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।
- (ई) आनुषंगिकों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्था में निवेश को परिपक्वता हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### 3.3 मूल्यांकन

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं;
- (ए) (i) 'एचटीएम' में धारित प्रतिभूति- अर्जन लागत पर अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- मूल्यहास, अस्थायी से इतर, यदि कोई हो, ऐसे निवेश के मूल्यांकन हेतु प्रावधान किया जाता है।
- (बी) 'एफएएस' एवं 'एचएफटी' श्रेणियों में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन स्क्रिपवार किया जाता है। वृद्धि/हास को प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी में जोड़ा जाता है और प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार लाभ-हानि खाते में निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है जबकि निवल वृद्धि को संज्ञान में नहीं लिया जाता है।
- (ii) अनुपयोज्य प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो) के मामलों में आय अभिज्ञात नहीं की जाती है तथा आस्ति वर्गीकरण का विवेकपूर्ण मानदण्ड अपनाते हुए प्रतिभूतियों के मूल्य में अवक्षय हेतु समुचित प्रावधान किया जाता है और ऐसे अवक्षय को अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में वृद्धि के बदले सेट-आफ नहीं किया जाता है।
- (iii) निवेशों की प्राप्ति की लागत
- सब्सक्राइब की गई प्रतिभूतियों के मामले में प्रोत्साहन तथा कमीशन और फ्रंट-एंड शुल्क का निवल है।
  - कमीशन, दलाली, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है।
- (iv) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ के मामले में समतुल्य राशि (कर का निवल और सांविधिक आरक्षितियों के अंतरण का निवल) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।
- (v) निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन या एफआईएमएमडीए/पीडीएआई द्वारा प्रस्तुत दरों को अपनाया जाता है। ऐसे कोटेशन/दरों के अभाव में बाजार मूल्य का निर्धारण एफआईएमएमडीए/पीडीएआई अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित परिपक्वता प्रतिफल दरों पर किया जाता है।

### 3.4 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण

श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के कमतर मूल्य पर निकाला जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है।

- (c) Investments which are not classified in the above two categories are classified as Available for sale.
- (d) An investment is classified as Held to Maturity or Held for Trading or Available for sale at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
- (e) Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

### 3.3 Valuation

- (i) As per RBI guidelines, the following principles are adopted for the purpose of valuation;
- (a) (i) Securities held in 'HTM' - at acquisition cost  
The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity,
- (ii) Investments in Regional Rural Banks, Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.
- Diminution, other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- (b) Securities held in 'AFS' and 'HFT' categories are valued scrip-wise. Appreciation/Depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognized in the Profit and Loss Account, whereas net appreciation is ignored.
- (ii) In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of assets classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.
- (iii) Cost of acquisition of investments:
- is net of incentives/commission and front-end fee received in case of securities subscribed and
  - excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.
- (iv) Profit/Loss on sale of investments in any category is recognized in the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.
- (v) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per the norms laid down by the Reserve Bank of India.

### 3.4 Transfer of Securities between categories

The transfer of securities between categories are carried out at the lower of acquisition cost / book value /market value as on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.5 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के स्वैप का मूल्यन निम्नानुसार किया जाता है।

● **हेज स्वैप**

ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है।

स्वैप के निरसन पर होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

● **ट्रेडिंग स्वैप**

ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिन्हित किया जाता है।

**4. अग्रिम**

(i) भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानिगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं में किए गए अग्रिमों के संबंध में इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों और जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं उनके स्थानीय कानूनों, जो अधिक कड़ा हो, के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) प्रकटित अग्रिम अनर्जक अग्रिमों हेतु किए गए प्रावधान और संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के बदले किए गए प्रावधानों का निवल होता है। संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के प्रावधान को भारिबे के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों हेतु किए गए प्रावधान को "अन्य देयताएँ एवं प्रावधान" के तहत शामिल किया जाता है।

**5. विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन**

5.1 विदेशी मुद्रा वाले लेनदेनो का लेखा आईसीएआई द्वारा जारी एएस 11 के अनुसार किया जाता है।

5.2 बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को एएस 11 में यथानिर्धारित (क) इंटीग्रल परिचालनों और (ख) नॉन इंटीग्रल परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विदेशी शाखाओं को नॉन इंटीग्रल परिचालनों के रूप में माना जाता है और विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों और प्रतिनिधि कार्यालयों को इंटीग्रल परिचालन माना जाता है।

**5.3 नॉन इंटीग्रल परिचालनों के संबंध में ट्रांसलेशन:**

(क) मौद्रिक और गैर मौद्रिक आस्तियों दोनों के साथ-साथ आकस्मिक देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (फेडाई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों पर आंका जाता है।

(ख) राजस्व मदों को संबंधित तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत क्लोजिंग दर पर आंका जाता है।

(ग) सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व' में रखा जाता है।

3.5 As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:

● **Hedge Swaps**

Interest rate swap which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements.

Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

● **Trading Swaps**

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

**4. Advances:**

(i) Advances in India are classified as Standard, Sub Standard, Doubtful or Loss Assets and provision for advances are made as per Prudential Norms of the RBI. In respect of advances made in overseas branches, the same are classified in accordance with prudential norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

(ii) Advances disclosed are net of provisions made for Non Performing Advances and provisions in lieu of diminution in the fair value of Restructured Advances. The provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.

(iii) The provision made for standard advances in terms of RBI guidelines is included in "Other Liabilities and Provisions".

**5. Foreign Currency transactions:**

5.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11 issued by ICAI .

5.2 The foreign currency operations of the bank are classified as (a) integral operations and (b) non integral operations as stipulated in AS 11. Overseas branches are treated as non Integral operations and domestic operations in foreign exchange and representative offices are treated as integral operation.

**5.3 Translation in respect of Non Integral operations;**

(a) Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities are translated at the end of each quarter at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

(b) Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.

(c) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve'.

#### 5.4 इंटीग्रल परिचालनों के संबंध में ट्रांसलेशन

- (i) विदेशी मुद्रा शेष भले ही आस्ति अथवा देयताएँ हों (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना इत्यादि के अंतर्गत संग्रह की गई जमा राशियों सहित) और बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा यथासूचित दरों पर संपरिवर्तित किया जाता है।  
फेडाई के दिशानिर्देशानुसार वायदा विनिमय करार के पुनर्मूल्यन से जनित लाभ/हानि तथा नोस्ट्रो खातों को राजस्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय तथा व्यय मदों को लेनदेन के दिन लागू विनियम दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- (iii) गारंटियों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा सूचित प्रचलित बाजार दर पर आंका जाता है।

#### 6. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास

- (i) फ्रीहोल्ड भूमि और लीज होल्ड भूमि सहित परिसरों को उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि में दर्शाया गया है और अन्य स्थिर आस्तियों को उनकी परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है। जब कभी कतिपय आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो बैंक इस संबंध में भारिबैं द्वारा जारी दिशानिर्देशों को अपनाता है और लेखा मानकों का अनुपालन करता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन में किसी प्रकार की वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर प्रभारित अतिरिक्त मूल्यहास को सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व और अन्य रिजर्व में अंतरित किया जाता है।
- (ii) निर्माणाधीन परिसरों को पृथक शीर्ष "निर्माणाधीन परिसर" के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों को "अन्य आस्तियाँ" के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (iii) जहां भूमि की पृथक लागत उपलब्ध नहीं है वहां भूमि और भवन की संमिश्र लागत पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।
- (iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान घटते शेष पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया जाता है जैसा कि प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 और आगे हेतु निर्णय लिया गया है।

#### 5.4 Translation in respect of integral operations;

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).  
The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.
- (ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rates prevailing as on the date of transactions.
- (iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

#### 6. Fixed Assets and Depreciation:

- (i) Premises including Freehold land and leasehold land are stated at their revalued amount and other Fixed Assets are stated at their historical cost. Whenever certain Assets are revalued, the Bank adopts the guidelines issued by RBI and compliances of Accounting Standards issued in this regard. Any upward revision on such revaluation is credited to Revaluation Reserve. The amount equivalent to additional depreciation on revalued assets is directly transferred from Revaluation Reserve to Revenue & Other Reserve.
- (ii) Premises under construction is shown under a separate heading "Premises under Construction". Advances to contractors are shown under the head "Other Assets".
- (iii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- (iv) Depreciation on Fixed Assets including revalued assets is provided as per the following rates on diminishing balance method as decided by the Management from the Financial year 2014-15 and onwards.

क्रम संख्या Sr. No.	आस्तियों की श्रेणी / CATEGORY OF ASSET	मूल्यहास दर [%] DEPRECIATION RATE [%]
1	भवन एवं परिसर//Building and Premises	5.00
2	सामान्य फर्नीचर मदें यथा मेज, कुर्सी, अलमारी, केबिनेट, स्ट्रॉंग रूम दरवाजे इत्यादि (सुरक्षित जमा लाकर से इतर) General Furniture items viz., Table, Chair, Almirah, Cabinet, Strong room doors etc. (other than Safe Deposit Lockers).	18.10
3	इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, पंखे, लाइट, एयरकंडीशनिंग मशीनरी- रूम एयरकंडीशनर सहित Electrical Installation, Fan, Light, Air-conditioning Machinery including- Room Air-conditioners etc.	13.91
4	फ्रेंकिंग मशीन, कार्यालय मशीनरी, भारोत्तोलन मशीन, टाइपराइटर, एडिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन और अन्य कार्यालयीन उपकरण Franking machine, office machinery, weighing machine, typewriter, adding machine, Duplicating Machine & other office equipments.	13.91
5	सेफ डिपोजिट लाकर/Safe Deposit Lockers	13.91
6	मोटरकार//Motor Car	25.89
7	साइकिल//Cycle	20.00
8	मोटर वैन(कैश वैन)/Motor Van (Cash Van)	30.00

- (v) कम्प्यूटरों, डाटा प्रोसेसिंग मशीनों एएलपीएम पर अवक्षय का प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है जिससे तीन वर्षों में आस्ति का मूल्य अवलिखित किया जा सके।
- (vi) लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित) को लीज की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।
- (vii) जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहां लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम को लीज की अवधि के दौरान लागत अथवा अवलिखित मूल्य पर परिशोधित किया जाता है।
- (viii) ₹5000/- तक के पूंजीगत व्यय सीधे "खर्च खाता - मरम्मत एवं रखरखाव" में नामे लिखे जाते हैं।
- (ix) वर्ष के दौरान क्रय की गई/बेची गई/हटाई गई आस्तियों पर यथानुपात आधार पर अवक्षय का प्रावधान किया जाता है।
- (x) विदेशी शाखाओं की स्थिर आस्तियों पर अवक्षय की गणना उस देश में प्रचलित कानून के अनुसार की जाती है।
- (v) On Computers, Data Processing Machines, ALPMs, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method (SLM) so as to write down the asset value in three years as per RBI guidelines.
- (vi) Premium on Leasehold Land (including revalued amount) is amortized over the period of the lease on Straight Line Method.
- (vii) Premium on Leasehold Land is amortized over the period of the lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (viii) The Capital Expenditure up to ₹5000/- is debited directly to "Charges Account - Repairs & Maintenance".
- (ix) Pro-rata depreciation is provided on the assets purchased / sold / discarded during the year.
- (x) Depreciation on Fixed Assets of Foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

## 7. अमूर्त आस्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

- (i) कम्प्यूटर हेतु सॉफ्टवेयर, जिस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना कम्प्यूटर परिचालित नहीं हो सकता, संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, तथा अचल आस्ति माना जाता है। जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाता है।
- (ii) वेंडरों से प्राप्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तब अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब सॉफ्टवेयर का मूल्य/लागत ₹10 लाख से अधिक हो। इस प्रकार की अमूर्त आस्तियाँ उनकी क्रियाशील अवधि के दौरान अधिकतम दस वर्ष की अवधि तक परिशोधित की जाती है।

## 8. कर्मचारी लाभ

8.1 बैंक ने कर्मचारी लाभ के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित)- कर्मचारी लाभ लागू किया है।

### 8.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

दीर्घावधि परिभाषित कर्मचारी लाभों के प्रति देयता का निर्धारण तिमाही और वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांककों द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधियन संबंध बैंक की नीति में लिखित विधियों का पालन करते हुए है और नीचे उल्लिखित नीतियों के अनुसार परियोजित इकाई प्रणाली का प्रयोग करते हुए चुने गए विभिन्न बीमांकिक पूर्वानुमान द्वारा किया जाता है।

#### 8.2.1 ग्रेच्युटी

बैंक यथास्थिति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 /सेवा पंचाटों/ सेवा विनियमनों के प्रावधानों के संबंध में अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु अथवा सेवा समाप्ति आदि के मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक

## 7. Intangible Assets (Computer Software):

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed assets and is amortised along with the computer hardware. Where the software is not an integral part of the related hardware, computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than ₹10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

## 8. Employee Benefits:

8.1 The Bank has applied Accounting Standard 15 (Revised) - Employees Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.

### 8.2 Long term Employees Benefits:

Liability towards long term defined employee benefits is determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the quarter as well as in year-end by using various Actuarial Assumptions chosen following the modalities documented in the Bank's Policy on Funding Superannuation Schemes and the Projected Unit Credit method as per the policies mentioned herein below:

#### 8.2.1 Gratuity:

The Bank pays gratuity in case of retirement or death or resignation or termination etc. of its employees, having regard to the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 / Service Awards / Service Regulations, as the case may be. A fund created out of Bank's contribution is maintained

इस निधि में अपना अंशदान ग्रेच्युटी के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है।

#### 8.2.2 पेंशन (एबीईपीआर)

इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 (एबीईपीआर) के अंतर्गत बैंक उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करता है जिन्होंने इस विनियमन के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिया है और उन कर्मचारियों को भी जो बैंक सेवा में 29/09/1995 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान आए हैं। इस योजना में वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर, सेवा निवृत्ति/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, की स्थिति में इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। पेंशनर के लिखित अनुरोध पर मूल पेंशन के अधिकतम 1/3 को परिवर्तित करने का भी प्रावधान है। परिवर्तित मूल पेंशन 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पुनः चालू की जाती है। एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के पात्र नहीं हैं। पेंशन के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पी.एफ. की रैंकिंग हेतु शामिल कर्मचारियों के वेतन के 10% के सांविधिक मासिक अंशदान के अतिरिक्त बैंक इस निधि में अपना अंशदान पेंशन के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

#### 8.2.3 अवकाश किराया रियायत (एलएफसी)

यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जाती है और इसमें उद्योगवार समझौतों/अवार्ड के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित सेवा नियमों के अनुसार योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत अवकाश किराया रियायत देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। एलएफसी से संबंधित भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

#### 8.2.4 अवकाश नकदीकरण

बैंक एलएफसी सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को सेवा के चार वर्षों के ब्लाक में अधिकतम 30 दिनों के साधिकार अवकाश शेष के नकदीकरण की अनुमति प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा साधिकार अवकाश, अधिकतम 240 दिनों के नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है। कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने के मामले में नकदीकरण की राशि शेष साधिकार अवकाश के 50% और अधिकतम 120 दिनों तक सीमित है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इस योजना के अंतर्गत अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। ऐसे अवकाश नकदीकरण का भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

8.3 भविष्य निधि के संबंध में किसी अवधि हेतु निधि में किया गया अंशदान व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है तथा लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

by an in-house Trust for payment of gratuity. The Bank makes contribution to this fund on the basis of actuarial valuation of its liability.

#### 8.2.2 Pension (ABEPR):

The Bank pays pension under Allahabad Bank (Employees) Pension Regulations, 1995 (ABEPR-1995) to employees, who exercised option under the Regulations and also to Employees joining the Bank's Service during the period from 29.09.1995 to 31.03.2010. The plan provides for a pension / family pension on monthly basis in respect of these employees on their retirement / death, as the case may be, based on the salary and qualifying service of the respective employees. There is also provision for commutation of pension to a pensioner, against written request, to the maximum extent of 1/3rd of Basic Pension. The commuted basic pension is restored after completion of 15 years of commutation. Employees covered under ABEPR - 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of Pension. The bank makes contributions to this Fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of Pension, which is conducted by approved Actuary, in addition to the statutory monthly contribution of 10% of Pay of the covered employees, ranking for PF.

#### 8.2.3 Leave Fare Concession (LFC):

This facility is granted to the employees and extends to reimbursement of travelling expenses incurred for the family members of the employee concerned, as defined under the Scheme, in terms of service rules as amended from time to time as per Industry wide Settlements / Awards. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its liability in respect of Leave Fare Concession under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment in respect of LFC facility is debited/ charged to the Profit and Loss Account.

#### 8.2.4 Leave Encashment:

The Bank permits encashment of Privilege Leave balance to its employees availing LFC facility, up to the maximum limit of 30 days leave in a block of four years of service. Encashment of privilege leave standing to the credit of an employee is also permitted in case of retirement or death subject to a maximum of 240 days. In case of resignation from the service by an employee, such encashment is restricted to 50% of the balance of privilege leave subject to a maximum of 120 days. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its leave encashment liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment of such leave encashment is debited/ charged to the Profit and Loss Account.

8.3 In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to the Profit & Loss account.

8.4 दिनांक 27.04.2010 के उद्योग-वार समझौता/संयुक्त नोट के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को अथवा बाद में बैंक की सेवा में आए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना में शामिल हैं।

#### 8.5 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ हानि लेखा में अबट्टाकृत राशि में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

### 9. राजस्व अभिज्ञान

- (i) आय-व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय आधार पर किया जाता है जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो।
- (ii) अनुपयोज्य आस्तियों/निवेशों के मामले में आय, ब्याज और अन्य आय की वसूली में अनिश्चितता को देखते हुए इन्हें वसूली की मात्रा तक अभिज्ञात किया जाता है।
- (iii) अनुपयोज्य आस्तियों से वसूली के संबंध में संदिग्ध/हानिगत आस्तियों के मामले में पहले मूलधन और फिर ब्याज को विनियोजित किया जाएगा जबकि अवमानक आस्तियों के मामले में पहले ब्याज और फिर मूलधन को विनियोजित किया जाएगा।
- (iv) आय कर और ब्याज कर की वापसी पर ब्याज से प्राप्त आय को उस वर्ष हिसाब में लिया जाता है जिसमें इसे प्राप्त/समायोजित किया जाता है।

### 10. पट्टा

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

### 11. प्रति शेयर अर्जन

बैंक प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार करता है।

11.1 प्रति शेयर बेसिक अर्जन की गणना वर्ष हेतु इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

11.2 प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन संभावित डाइल्यूशन को प्रतिबिंबित करता है जो उस स्थिति में हो सकती है यदि इक्विटी शेयर जारी करने हेतु प्रतिभूतियां अथवा अन्य संविदाओं का वर्ष के दौरान प्रयोग किया जाता है अथवा संपरिवर्तित किया जाता है। प्रति शेयर मूल डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

### 12. आय पर कर

आयकर व्यय चालू कर और आस्थगित कर व्यय की राशि का सकल योग है।

- (i) कर योग्य आय पर चालू कर का प्रावधान, प्रयोज्य कर दर और कर नियमों का प्रयोग करके किया जाता है। लेखा मानक 22 के अनुपालन में : भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों हेतु लेखा", समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर

8.4 In terms of Industry wide Settlement/Joint Note dated 27.04.2010, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are covered by defined contribution retirement benefit scheme.

#### 8.5 Short term Employees Benefits

Short-term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

### 9. Revenue Recognition:

- (i) Income and Expenditure are generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- (ii) In view of uncertainty of collection of income, Interest and Other Income in cases of Non Performing Assets/ Investments are recognized to the extent realized.
- (iii) Recoveries from Non-Performing Assets (NPAs), in case of Doubtful/ Loss Assets is appropriated first against the Principal due and then interest, whereas in case of Substandard Assets, such recovery is appropriated first against the interest and then against the Principal.
- (iv) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year in which it is received/ adjusted.

### 10. Lease:

Rentals received by the Bank are recognized in the Profit and Loss Account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

### 11. Earnings Per Share:

The Bank reports Basic and Diluted Earnings per Equity Share in accordance with Accounting Standard 20 "Earnings per Share" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

11.1 Basic earnings per Share are computed by dividing the net profit after tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

11.2 Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share are computed using the weighted average number of equity shares and diluted potential equity shares outstanding at year end.

### 12. Taxes on Income :

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense.

- (i) Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. In compliance with Accounting Standard 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India,

आस्तियाँ और देयताएँ, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बन जाने वाले कर नियमों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं।

- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्ति के रूप में तभी माना जाएगा जब ऐसा पुष्ट प्रमाण हो कि बैंक आय-कर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर सामान्य कर का भुगतान कर देगी।

### 13. नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धन शामिल है।

### 14. आस्तियों में ह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर 'इम्पेयरमेंट लॉसेस' (यदि कोई हो) को अभिज्ञात किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 'आस्तियों का इम्पेयरमेंट' के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

### 15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक आस्तियाँ

- (i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ' के अनुरूप बैंक प्रावधान तभी अभिज्ञात करता है जब

- ए) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न होता है  
बी) यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा और  
सी) जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

- (ii) निम्नलिखित के लिए प्रावधान अभिज्ञात नहीं किया जाता;

- ए) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व उस घटना के होने अथवा न होने पर ही निर्भर करेगा अथवा भविष्य की ऐसी अनिश्चित घटनाएँ जो पूर्णतया बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं। अथवा,  
बी) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुआ है उसे अभिज्ञात नहीं किया गया क्योंकि :  
i. यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा अथवा  
ii. दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता है।

- (iii) आकस्मिक देयताओं का नियमित अंतराल पर निर्धारण किया जाता है और दायित्व के केवल उसी भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव हो, उन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो।

- (iv) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को अभिज्ञात नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिज्ञात हो सकता है जो कभी भी वसूली नहीं जा सकती।

Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

- (ii) Minimum Alternative Tax (MAT) credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

### 13. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATMs and balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

### 14. Impairment of Assets:

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to the Profit & Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

### 15. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:

- (i) In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when

- a. it has a present obligation as a result of a past event;  
b. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and  
c. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

- (ii) No provision is recognized for:

- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or  
b) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because:  
i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or  
ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

- (iii) Contingent Liabilities are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

- (iv) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

## अनुसूची - 18 लेखा टिप्पणियाँ / SCHEDULE - 18 NOTES ON ACCOUNTS

### 1. पूंजी अनुपात / Capital Ratio

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2017-18
i) सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी अनुपात (%) Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	9.65	5.57
ii) टियर-1 पूंजी अनुपात (%) / Tier 1 capital ratio (%)	9.68	6.69
iii) टियर-2 पूंजी अनुपात (%) / Tier 2 capital ratio (%)	2.83	2.00
iv) कुल पूंजी अनुपात(सीआरएआर) (%) / Total Capital ratio (CRAR) (%)	12.51	8.69
v) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता/ Percentage of the shareholding of the Government of India	85.82	64.78
vi) उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि / Amount of Equity Capital raised		
i. भारत सरकार को अधिमानी आबंटन/Preferential allotment to GOI	6344.00	418.00*
ii. एलआईसीआई को अधिमानी आबंटन /Preferential allotment to LIC	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii. ऑलबैंक-ईएसपीएस/AIIBank- ESPS	शून्य/NIL	315.22
कुल/Total	6344.00	733.22
	(प्रीमियम सहित) / (including premium)	(प्रीमियम सहित) / (including premium)
vii) उगाही गई अतिरिक्त टियर-1 पूंजी की राशि, जिसमें से/ Amount of additional Tier 1 capital raised; of which		
परपेचुअल नान कुमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (पीएनसीपीएस) / Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS):	शून्य/NIL	1200.00
परपेचुअल डेट इन्स्ट्रुमेंट्स (पीडीआई-एटी 1) / Perpetual Debt Instruments (PDI-AT1):	शून्य/NIL	1200.00
viii) उगाही गई अतिरिक्त टियर-2 पूंजी की राशि, जिसमें से/ Amount of Tier 2 capital raised; of which		
डेबिट पूंजी लिखत/Debt capital instrument:	शून्य/NIL	शून्य/NIL
अधिमानी शेयर पूंजी लिखत (परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (पीसीपीएस) / (रिडीमेबल नान-क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (आरएनसीपीएस) / (रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (आरसीपीएस)		
Preference Share Capital Instruments: (Perpetual Cumulative Preference Shares(PCPS)/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares(RCPS)	शून्य/NIL	शून्य/NIL

\* बैंक को 21.02.2019 को पूंजी अंतः प्रवाह के रूप में भारत सरकार से ₹6896 करोड़ (रुपए छह हजार आठ सौ छियानबे करोड़) की राशि प्राप्त हुई। बैंक इसका 31.03.2019 को यथास्थिति शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन के रूप में रखरखाव कर रहा है। बैंक ने भारत सरकार से प्राप्त से ₹6896.00 करोड़ (रुपए छह हजार आठ सौ छियानबे करोड़) की पूंजी अंतःप्रवाह की संपूर्ण राशि की गणना 31.03.2019 को यथास्थिति सीईटी 1 पूंजी के रूप में की है। शेयरों का आबंटन लेखावर्ष की समाप्ति के बाद 24.04.2019 को किया गया है।

\*The capital infusion fund of ₹6896.00 crore (Rupees Six thousands Eight Hundred Ninety Six crore only) was received by the Bank from GOI on 21.02.2019. The Bank is maintaining the same as "Share Application Money Pending Allotment" as on 31.03.2019. The Bank has reckoned the entire amount of capital infusion fund of ₹6896.00 crore (Rupees six thousand eight hundred ninety six crore) received from Government of India as CET 1 capital as on 31.03.2019. The Shares have been allotted after the close of the accounting year on 24.04.2019.



2. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
(1) निवेशों के मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(ए/अ)भारत में/In India	80995.60	68738.24
(बी/ब)भारत से बाहर/Outside India	321.86	297.88
(ii) अवक्षय हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation		
(ए/अ)भारत में/In India	1759.54	1322.09
(बी/ब)भारत से बाहर/Outside India	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iii) निवेशों का निवल मूल्य/Net Value of Investments		
(ए/अ)भारत में/In India	79236.06	67416.14
(बी/ब)भारत से बाहर/Outside India	321.86	297.88
(2) निवेशों पर अवक्षय के रूप में धारित प्रावधान का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
(i) अथ शेष/Opening balance	1322.09	575.89
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान/Add: Provisions made during the year	1031.80	1155.21
(iii) घटाएं: निवेश के अपलेखन के लिए उपयोग किया गया प्रावधान Less: Write off/ write back of excess provision during the year	594.35	409.01
(iv) घटाएं: प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग से अंतरित राशि Less amount transferred on account of sale to ARCs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(v) इति शेष/Closing balance	1759.54	1322.09

3. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में) / Repo Transactions (in face value terms):

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average Outstanding during the year	31.03.2019 को यथास्थिति बकाया Outstanding As on 31.03.2019		
	Previous Year	Minimum Outstanding during the year	Previous Year	Maximum outstanding during the year				
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां/ Securities sold under repo	300.00	200.00	8000.00	7000.00	605.00	1361.19	8000.00	5150.00
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Govt Securities	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां / Corporate Debt Securities								
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां/ Securities purchased under reverse repo	100.00	82.00	19750.00	11400.00	1269.31	1341.15	1500.00	1200.00
(i) सरकारी प्रतिभूतियां/Govt. Securities	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां / Corporate Debt Securities								

**4. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non-SLR Investment Portfolio**

i) दिनांक 31.3.2019 को यथास्थिति गैर-एसएलआर निवेश के जारीकर्तावार संघटन / Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2019

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र.सं. जारीकर्ता SI No Issuer	राशि Amount		निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement		“बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Below Investment Grade’ Securities		“अन रेटेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unrated’ Securities		“अन लिस्टेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unlisted’ Securities	
	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18
(1)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
(i) पीएसयू / PSUs	14088.08	2496.10	13871.72	2278.85	(5)	0.00	13971.73	1601.34	13871.72	2278.85
(ii) वित्तीय संस्थाएँ / FIs	3070.26	675.25	1527.68	106.65	0.00	49.03	498.22	160.88	380.97	106.65
(iii) बैंक / Banks	3653.47	47.94	3651.71	45.50	33.54	5.69	3648.47	36.76	3611.71	10.00
(iv) प्राइवेट कॉर्पोरेट/ Private Corporate	3805.63	4080.16	3395.87	3571.32	5.00	20.00	3587.37	4043.16	3099.40	3309.85
(v) अनुषंगी संस्थाएँ / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	156.27	156.27	156.27	156.27	209.26	0.00	156.27	156.27	156.27	156.27
(vi) अन्य/Others	3.57	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	5.33	3.57	5.33
<b>उपकुल/ Sub-total</b>	<b>24777.28</b>	<b>7461.05</b>	<b>22603.25</b>	<b>6158.59</b>	<b>247.80</b>	<b>74.72</b>	<b>21865.63</b>	<b>6003.74</b>	<b>21123.64</b>	<b>5866.95</b>
(vii) Provision held towards Depreciation	1368.53	1048.28								
<b>कुल /Total</b>	<b>23408.75</b>	<b>6412.77</b>								

नोट:/Note:

- कालम 4,5,6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर एकांतिक नहीं है/  
Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

i) शेयर / Shares	1318.80
ii) डिबेंचर एवं बॉण्ड / Debentures and Bonds	19190.01
iii) अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries /Joint Ventures	156.27
iv) अन्य / Others	4112.20
<b>कुल /Total</b>	<b>24777.28</b>

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश/Non performing Non-SLR investments

गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश में संचलन नीचे दिये गए हैं:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

The movement in Non performing Non SLR Investments is given below:

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y.	वित्तीय वर्ष/F.Y.
	2018-19	2017-18
अथ-शेष / Opening balance	709.24	98.87
वर्ष के दौरान परिवर्धन 1 अप्रैल से / Additions during the year since 1 <sup>st</sup> April	120.37	610.69
उक्त अविध के दौरान कमी / Reductions during the above period	189.11	0.32
इति-शेष / Closing balance	640.50	709.24
धारित कुल प्रावधान / Total provisions held	<b>607.85</b>	<b>406.52</b>

iii) **एच टी एम श्रेणी को/से विक्रय एवं अंतरण:** वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को विक्रय वर्ष के प्रारम्भ में बही मूल्य के 5% की सीमा के अंदर रहा। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा में कमी के फलस्वरूप बैंक ने एएफएस/एचएफटी को प्रतिभूतियों की बिक्री या अंतरण नहीं किया है। बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही के दौरान एचटीएम से एएफएस में ₹1857.54 करोड़ के बहीमूल्य की प्रतिभूतियां एकबारगी अंतरित की है जिसकी अनुमति भारिबैं के दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/97 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 द्वारा दी गई है।

iv) भारिबैं परिपत्र संदर्भ सं. आरबीआई/2017-18/147 दिनांक 02.04.2018 और परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी.113/21.04/048/2017-18 दिनांक 15 जून, 2018 के आधारे पर बैंक ने जून 2018 को समाप्त तिमाहियों हेतु एएफएस तथा एचएफटी में धारित निवेशों पर मार्केट टू मार्केट(एमटीएम) हानियों हेतु विस्तारित प्रावधान के विकल्प का प्रयोग किया है। इन प्रत्येक तिमाहियों हेतु प्रावधान को तिमाही के बाद आरंभ होने वाली उन चार तिमाहियों में समान रूप से विस्तारित किया जा सकता है जिनमें हानि हुई है। जून 2018 को समाप्त तिमाहियों हेतु निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यहास हेतु प्रावधान ₹2187.59 करोड़(स्प्रेडिंग रहित) और ₹1686.39 करोड़ (स्प्रेडिंग सहित) था।

#### 5. रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन:

बैंक ने परिप सं. आरबीआई/2016-17/एफएमडीओ, एमएओजी सं. 116/01.01.001/2016-17 दिनांक 10.11.2016 के तहत आरबीआई के साथ मार्केट रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ सहित) के लेखांकन हेतु भारिबैं द्वारा निर्धारित समरूप लेखा प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन को तय शर्तों पर पुर्नखरीद के करार सहित संपार्श्विकृत उधार/ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाना जारी है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां निवेशों में शामिल नहीं की जाती हैं। लागतों और राजस्व का लेखा यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है।

#### 6. डेरिवेटिव / Derivatives :

##### 6.1. फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप / Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

विवरण / Particulars*	वित्तीय वर्ष/F. Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F. Y. 2017-18
(i) स्वैप करारों का नोशनल मूलधन / Notional principal of swap agreements	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(ii) अगर करारों के अंतर्गत प्रतिपक्ष अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे तो उससे होने वाला घाटा Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iii) स्वैप में शामिल होने पर बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iv) स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम पर संकेन्द्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(v) स्वैप बुक का उचित मूल्य / Fair value of the swap book	शून्य /NIL	शून्य /NIL

\* घरेलू निवेश रूपए में / Domestic investment in Rupees

##### 6.2. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव : शून्य

(विगत वर्ष : शून्य)

##### 6.3. डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण

###### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की ट्रेजरी शाखा में परिचालन को तीन कार्यात्मक क्षेत्रों यथा, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस के रूप में विभक्त किया गया है जिनमें परिभाषित उत्तरदायित्वों एवं बैकअप भूमिका के साथ प्रशिक्षित अधिकारी प्रदान किये गये हैं।

iii) **Sale & Transfer to/from HTM category:** All sales and transfers to/from HTM category during the year are within the limit of 5% of book value at the beginning of the year. The Bank has not made any sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent upon reduction of ceiling on SLR Securities under HTM category. The Bank has one time shifted the securities having book value of ₹1857.54 crore from HTM to AFS category during the first quarter of FY 2018-19 with the approval of Board of Directors which is permitted by RBI in terms of Master Circular No.RBI/2015-16/97 DBR No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

iv) **On the basis of RBI Circular** ref, No. RBI/2017-18/147 dated 02.04.2018 & Circular No. DBR No. BP. BC. 113/21.04/048/2017-18 dated June 15, 2018, the Bank has utilized the option of spreading provisioning for mark to market (MTM) losses on investment held in AFS & HFT for the quarters ended June 2018. The provisioning for each of these quarters may be spread equally over up to four quarters commencing with the quarter in which the loss is incurred. The provision for depreciation of the investment portfolio for the quarters ended June 2018 was Rs 2187.59 Cr (without spreading) & Rs 1686.39 Cr (with spreading)

#### 5. Repo/Reverse Repo transactions:

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and reverse repo transaction (including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no.RBI/2016-17/FMDO,MAOG.No.116/01.01.001/2016-17 dated 10.11.2016).Repo and Reverse Repo Transaction are treated as Collateralised Borrowing/Lending Operation with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and securities purchased under reverse repo are not included in Investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure/income, as the case may be.

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

##### 6.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives: NIL (Previous year: NIL)

##### 6.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

###### Qualitative Disclosure:

Operation in the Treasury Branch of the Bank are segregated in three functional areas i.e. Front Office, Mid Office and Back Office, which are provided with trained officers with defined responsibilities and back up roles.

बैंक की ट्रेजरी नीति एवं डेरिवेटिव नीति में वित्तीय डेरिवेटिव लिखत, उपयोग का विषय क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया सहित ऋण सीमाएँ यथा ओपन पोजिशन सीमा, बिल आकार सीमा एवं स्टॉप लॉस सीमा के साथ ही अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग हेतु प्रत्यायोजित अधिकार वर्णित हैं। नीति में क्रॉस करेसी प्रोप्राइटी ट्रेडिंग हेतु पोजिशन की वायदा खरीद/बिक्री हेतु कॉल अथवा पुट ऑप्शन की खरीद/बिक्री एवं अपने ग्राहकों को बैंक द्वारा बैंक टू बैंक कवरिंग के अध्याधीन डेरिवेटिव उत्पाद प्रदान करने की भी अनुमति है।

फ्रंट ऑफिस पोजिशन लेकर डील निष्पादित करता है जबकि मिड ऑफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेन की निगरानी करता है तथा अगर अतिरिक्त विपथन होता है तो उसे उच्चतर प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है। मिड ऑफिस मापक उपकरणों यथा, एमटीएम, वीएआर, कन्वेक्सिटी एवं परिशोधित समय के माध्यम से दैनिक आधार पर लेनदेन हेतु वित्तीय जोखिम का भी माप करता है। ऑकड़ों की रिपोर्टिंग जोखिम प्रबंधन विभाग को की जाती है जो आस्ति एवं देयता प्रबंधन से संबंधित निदेशक की समिति को जोखिम प्रोफाइल से अवगत कराता है। बैंक ऑफिस प्रतिपक्षी पार्टियों से समस्त डील का निपटारा करता है।

किसी आस्ति अथवा देयता के रूप में नामोद्दिष्ट स्वैप, जिसे बाजार मूल्य अथवा लागत से कम अथवा वित्तीय विवरण में बाजार मूल्य पर किया जाता है, को छोड़कर ब्याज वाली आस्तियों अथवा देयताओं की प्रतिरक्षा करने वाली ब्याज दर स्वैप को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। स्वैप समाप्त होने पर लाभ अथवा घाटे को स्वैप के शेष संविदागत कार्यकाल अथवा आस्ति/देयताओं के शेष कार्यकाल से कम पर स्वीकृत किया जाता है। लेनदेनों की प्रतिपक्ष पार्टियाँ बैंक एवं कॉरपोरेट संस्थाएँ हैं तथा की जाने वाली डील अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंदर ही हैं। आय अभिज्ञान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, फेडरल एवं एफआईएमएडीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

The Treasury Policy & Derivative policy of the Bank lays down the type of financial derivatives instruments, scope of usages, approval processes as also the limits like the open position limits, deal size limits and stop loss limits besides delegated power for trading in the approved instruments. The policy also allows purchase / sale of call or put options to hedge cross currency proprietary trading positions and to offer derivative products to its customers subject to back to back covering by the Bank.

The Front Office takes positions and executes the deals while the Mid Office monitors the transactions in the trading book and deviations of excesses, if any, are brought to the notice of higher authorities. The Mid office also measures the financial risk for transactions on a daily basis through measurement tools such as MTM, VAR, Convexity and Modified Durations. The figures are reported to Risk Management division, which appraises the risk profile to the Assets and Liability Management committee. The Back office settles all the deals with counter parties.

Interest Rate Swaps which hedge interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements. Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/liabilities. Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. The counterparties to the transactions are Banks and corporate entities and deals undertaken are within the approved exposure limits only. The guidelines issued by RBI, FEDAI & FIMMDA from time to time for recognition of Income, Premium and Discount are followed.

\* परिमाणात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures :

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19		वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	
		करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
SI No	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि) / Derivatives (Notional Principal Amount)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए) हेजिंग के लिए / a) For hedging	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी) ट्रेडिंग के लिए / b) For trading	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii)	मार्केट टू मार्केट पोजिशन (1) / Marked to Market Positions (1)				
	ए) आस्ति (+) / a) Asset (+)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी) देयता / b) Liability (-)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iii)	ऋण एक्सपोजर (2) / Credit Exposure (2)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के संभाव्य परिवर्तन का प्रभाव (100*PV01)				
	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव पर / a) on hedging derivatives	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर / b) on trading derivatives	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*PV01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए) हेजिंग पर / a) on hedging	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
		अधिकतम/Maximum	न्यूनतम/Minimum	अधिकतम/Maximum	न्यूनतम/Minimum
	बी) ट्रेडिंग पर / b) on trading	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

\* घरेलू निवेश रूपए में / Domestic investment in Rupees

## 7. आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

### 7.1 अनर्जक आस्तियाँ / Non-Performing Assets

सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए), निवल अनर्जक आस्तियों तथा प्रावधानों के संचलन का विवरण नीचे दिया गया है :

The details of movement of Gross Non performing assets (NPAs), Net NPAs and provisions are given below:

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
(i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	5.22	8.04
(ii) एनपीए का संचलन (सकल) / Movement of NPAs (Gross)		
(ए) अथ शेष / (a) Opening balance	26562.79	20687.83
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	10726.32	12903.28
(सी) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	8584.33	7028.32
(डी) इति शेष / (d) Closing balance	28704.78	26562.79
(iii) निवल एनपीए का संचलन / Movement of Net NPAs		
(ए) अथ शेष / (a) Opening balance	12229.13	13433.51
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	10726.32	12903.28
(सी) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	15536.14	14107.66
(डी) इति शेष / (d) Closing balance	7419.31	12229.13
(iv) एनपीए के प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(ए) अथ शेष / (a) Opening balance	14308.11	7176.83
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / (b) Provisions made during the year	11761.13	10688.45
(सी) सीसीपीबी एवं अन्य से प्राप्त प्रावधान (c) Provisions received from CCPB & Others	0.00	0.00
(डी) अतिरिक्त प्रावधान का राइट ऑफ / राइट बैक / (d) Write-off / write-back of excess provisions	4807.79	3557.17
(ई) इति शेष (e) Closing balance	21261.45	14308.11



**Special Annexure**

**Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2019**

(₹ in Crore)

SL NO.	Type of Restructuring Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total			
		STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY 18-19 (Opening Fig)*	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amt O/s		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.41	0.00	0.00	44.41	900.61	0.00	0.00	0.00	900.61	8	
Provision there on		34.63	0.00	0.00	0.00	34.63	1.06	0.00	0.00	1.06	30.95	0.00	0.00	0.00	30.95	66.64	66.64
2	Fresh Restructuring during the FY 2018-19	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt O/s		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.45	0.00	0.00	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0
Provision there on		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.45	0.00
3	Upgradations to restructured STD Catg during the FY 2018-19	No. of Borrowers	-1	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-2	0
Amt O/s		-107.16	0.00	0.00	0.00	-107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.28	0.00	0.00	0.00	-65.28	-172.44	0.00
Provision there on		-4.97	0.00	0.00	0.00	-4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	0.00	0.00	0.00	-1.60	-6.57	0.00
4	Restructured STD advance which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured STD advance at the beginning of the next FY 19-20	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Amt O/s		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	262.50	262.50	0.00	262.50
Provision there on		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Downgradations of restructuring accounts during the FY 2018-19	No. of Borrowers	-1	0	0	-1	0	0	0	0	-3	0	0	0	-3	-4	0
Amt O/s		-107.16	0.00	0.00	0.00	-107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-283.93	0.00	0.00	0.00	-283.93	-391.09	0.00
Provision there on		-4.97	0.00	0.00	0.00	-4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	0.00	-1.94	-6.91	0.00
6	Write-Offs of Restructured accounts during the FY 18-19	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt O/s		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00	17.55	73.27	0.00	0.00	0.00	73.27	90.82	0.00
Provision there on		12.39	0.00	0.00	0.00	12.39	0.02	0.00	0.00	0.02	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19	18.60	0.00
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY 18-19 (Closing Figures)	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	727	0
Amt O/s		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.31	0.00	0.00	149.31	346.19	0.00	0.00	0.00	346.19	495.50	0.00
Provision there on		22.24	0.00	0.00	0.00	22.24	7.05	0.00	0.00	7.05	24.42	0.00	0.00	0.00	24.42	53.71	0.00

\*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).  
 Figures under Sr. No.2 represents balance increase & fresh/additional sanction in existing restructured accounts.  
 Figures under Sr. No.6 represents reduction from existing restructured accounts by way of sale/recovery.

7.3. ए. मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना संबंधी प्रकटीकरण/

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

7.3. A. Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

अवधि Period	लचीली संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की सं. / No. of borrowers taken up for flexible structuring	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि / Amount of loans taken up for flexible structuring			लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण का भारित औसत अवधि निवेश / Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली संरचना लागू करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली संरचना लागू करने के बाद After applying flexible structuring	
पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	1	शून्य/NIL	63.07	6.92	13.66	
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 18 से मार्च 19) Current Financial year (From April '18 to March'19)	शून्य/NIL	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	

बी. रणनीतिपरक ऋण पुनर्संरचना योजना संबंधी प्रकटीकरण / B. Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

खातों की संख्या जहां एसडीआर का आव्हान किया गया है No of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि Amount of outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहाँ इक्विटी पर ऋण का रूपांतरण लंबित है Amount of outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहाँ इक्विटी पर ऋण का रूपांत किया गया है Amount of outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place.	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
20	शून्य/NIL	2354.22	शून्य/NIL	972.23	शून्य/NIL	1381.99

नोट: दवाबग्रस्त आरिस्त-संशोधित ढांचा के संकल्प संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार रणनीतिपरक ऋण पुनर्संरचना योजना तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई है। अतः स्टैंड स्टिल खंड प्रयोज्य नहीं है।

Note: In terms of RBI guidelines on Resolution of Stressed Assets- Revised Framework dated 12.02.2018, Strategic Debt Restructuring Scheme stands withdrawn with immediate effect. Hence, stand still clause is not applicable.

सी. एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण/ C. Disclosures on change in Ownership outside SDR Scheme

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

खातों की संख्या जिन्हें बैंक ने प्रभावित करने का निर्णय लिया है No of accounts where banks have decided to effect	रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहाँ इक्विटी पर ऋण का रूपांतरण/इक्विटी शेयर की गिरवी का लागू किया जाना लंबित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity /invocation of pledge of equity shares is pending		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहाँ इक्विटी पर ऋण का रूपांतरण/ इक्विटी शेयर की गिरवी को लागू किया गया है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity /invocation of pledge of equity shares has taken place		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहाँ नए शेयरों के निर्गम अथवा प्रमोटर की इक्विटी को बेव कर स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters' equity.	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
8	शून्य/NIL	620.02	शून्य/NIL	376.75	शून्य/NIL	243.27	शून्य/NIL	शून्य/NIL

नोट: दवाबग्रस्त आरिस्त-संशोधित ढांचा के संकल्प संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। अतः स्टैंड स्टिल खंड प्रयोज्य नहीं है।

Note: In terms of RBI guidelines on Resolution of Stressed Assets- Revised Framework dated 12.02.2018, Change in Ownership outside SDR Scheme stands withdrawn with immediate effect. Hence, stand still clause is not applicable.



**डी. कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण**  
**D. Disclosures on change in Ownership of Projects under implementation**

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य/NIL	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA

नोट: दबावग्रस्त आस्ति-संशोधित ढांचा के संकल्प संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। अतः स्टैंड स्टिल खंड प्रयोज्य नहीं है।

Note: In terms of RBI guidelines on Resolution of Stressed Assets-Revised Framework dated 12.02.2018, Change in Ownership outside SDR Scheme stands withdrawn with immediate effect. Hence, stand still clause is not applicable.

**ई. 31.03.2019 को यथास्थिति दबावग्रस्त आस्तियों की सतत संरचना की योजना (एस4ए) संबंधी प्रकटीकरण**

**E. Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2019.**

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of accounts where S4A has been applied	सकल बकाया राशि Aggregate amount outstanding	संदर्भित तिथि को बकाया राशि Amount outstanding as on reference date		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग क में / In Part A	भाग ख में / In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	352.88	443.85	565.91	326.35
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	237.60	206.44	182.32	179.46

**7.4 आस्ति पुनर्गठन हेतु प्रतिभूतीकरण / पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण**

**Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction**

**ए/आ. विक्रय का विवरण/Details of Sales**

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

मद / Items	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
i) खातों की संख्या / No. of Accounts	42	217
ii) एससी/आरसी को बेचे गये खातों का सकल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	62.54	114.63
iii) कुल प्रतिफल/Aggregate consideration	116.16	652.18
iv) विगत वर्ष में अंतरित किये गये खातों के मामले में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	शून्य/NIL	शून्य/NIL
v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/(हानि) Aggregate gain/(loss) over net book value	53.62	537.55

**बी/बी. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बहीमूल्य का विवरण /Details of Book Value of Investments in Security Receipts**

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण Particulars	अंडरलाइंग के रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the bank as underlying		अंडरलाइंग के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		Total कुल	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बही मूल्य Book value of investments in security receipts	1705.75	1909.19	शून्य/NIL	शून्य/NIL	1705.75	1909.19

सी. प्रतिभूति रसीदों(एसआर) में निवेश का विवरण

C. Details of Investment in Security Receipts (SRs)

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	विगत 5 वर्षों के अंदर जारी एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्ष से पहले किंतु 8 वर्षों के अंदर जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्षों से अधिक पहले जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago
(i) अंडरलाइंग के रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPA s sold by the Bank as underlying	1196.31	439.52	69.92
(i) के सापेक्ष धारित प्रावधान Provision held against(i)	589.86	—	—
(ii) अंडरलाइंग के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non banking financial companies as underlying	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii) के सापेक्ष धारित प्रावधान Provision held against(ii)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल (i)+(ii) /Total (i)+(ii)	1196.31	439.52	69.92

7.5 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय संपत्तियों का विवरण

Details of non-performing financial assets purchased/ sold from/to Banks

ए. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियां/

A. Non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2017-18
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते/ (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) सकल बकाया/ (b) Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या/ (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) सकल बकाया/ (b) Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

बी. बैंकों को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण/

B. Details of non-performing financial assets sold to Banks:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2017-18
1. बेचे गए खातों की संख्या /No of accounts sold	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. कुल बकाया /Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. प्राप्त कुल प्रतिफल /Aggregate consideration received	शून्य/NIL	शून्य/NIL

**7.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान /  
Provisions on Standard Asset**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (संचयी) / Provisions towards Standard Assets (Cumulative)	584.40	686.40

**7.7 2018-19 के लिए आरबीआई की जोखिम निर्धारण रिपोर्ट (आरएआर) के अनुपालन में एनपीए हेतु रिपोर्ट की गई तथा आस्ति वर्गीकरण में विचलन नीचे दिया गया है:**

**7.7 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs in compliance with Risk Assessment Report (RAR) of RBI for the 2018-19 is reported as under;**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. SI No.	विवरण/ Particulars	राशि/ Amount
1	बैंक द्वारा यथारिपोर्टित 31 मार्च, 2018* को यथास्थिति सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2018* as reported by the Bank	26562.79
2	भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	27691.49
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs(2-1)	1128.70
4	बैंक द्वारा यथारिपोर्टित 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	12229.10
5	भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	12938.30
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	709.20
7	बैंक द्वारा यथारिपोर्टित 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति एनपीए हेतु प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	14308.10
8	भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति एनपीए हेतु प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	15330.50
9	प्रावधान में विचलन (8-7) Divergence in Provisioning (8-7)	1022.40
10	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट किया गया कर पश्चात निवल लाभ Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018	(4674.36)
11	प्रावधान में विचलन को हिसाब में लेने के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समायोजित (कल्पित) कर पश्चात निवल लाभ Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018 after taking into account the divergence in provisioning.	(5817.36*)

\* एनपीआई में ₹120.60 करोड़ के प्रावधान में विचलन शामिल है।

\* Including Divergence in provision of ₹120.60 Crore in NPI.

**8. व्यवसाय अनुपात / Business Ratios**

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
(i) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय Interest Income as a percentage to Working Funds	7.03	6.84
(ii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.71	1.13
(iii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालनगत लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.15	1.44
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Assets	-3.48%	-1.96%
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशि तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹in Crore)	16.28	15.86
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में) / Profit per employee (₹in Crore)	-0.359	-0.195

**9. आस्ति देयता प्रबंधन / Asset Liability Management:**

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता पैटर्न यथास्थिति 31.03.2019

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2019

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern (टाइम बकेट) (Time buckets)	जमाराशियाँ Deposits	अग्रिम Advances	निवेश Investments	उधार Borrowings	विदेशी मुद्रा Foreign Currency	
					आस्तियाँ Assets	देयताएँ Liabilities
1दिन / Day 1	2108.42	690.82	13465.16	27.17	80.37	221.80
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	6498.16	2090.81	1614.51	1550.00	166.35	18.08
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	6801.91	2143.33	1324.39	3600.00	50.61	7.33
15 से 30 दिन /15 to 30 days	1329.33	4907.47	512.40	0.00	86.56	9.06
31दिन से 2 माह तक 31 days and upto 2 months	2501.18	3678.80	2697.97	0.00	337.84	19.45
2 माह से अधिक और 3 माह तक More than 2 months and upto 3 months	2980.72	9099.72	2799.99	90.01	35.53	32.49
3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	5595.87	8888.38	1428.74	472.50	52.59	84.02
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	11302.10	12929.46	2745.57	749.91	806.59	3259.58
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	70726.20	34446.99	16137.11	2797.63	3530.89	2490.25
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	36345.09	17690.30	7821.40	701.73	1742.31	708.97
5 वर्ष से अधिक/Over 5 years	68145.09	45646.08	29010.67	2500.00	335.69	548.60
<b>कुल / Total</b>	<b>214334.07</b>	<b>142212.16</b>	<b>79557.91</b>	<b>12488.94</b>	<b>7225.32</b>	<b>7399.64</b>

**10. एक्सपोजर / Exposures :**

**10.1 अचल संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर / Exposure to Real Estate Sector**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

श्रेणी / Category	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
<b>(ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / (A) Direct exposure</b>		
(i) रिहायशी बंधक - / Residential Mortgages – उधार उन रिहायशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतया प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता के कब्जे में आने वाली है या किराये पर है। Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented - जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण अग्रिम में समावेशन हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण -of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advance	14828.18 10100.00	12644.83 8352.82
(ii) वाणिज्यिक अचल संपदा / Commercial Real Estate – - उधार वाणिज्यिक अचल संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापारिक स्थान, बहुदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपारिवारिक रिहायशी भवन, बहुकिरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत है। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ शामिल हैं। Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	2153.33	2916.71

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

श्रेणी / Category	वित्तीय वर्ष/F.Y.	वित्तीय वर्ष/F.Y.
	2018-19	2017-18
(iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures – ए. रिहायशी / a. Residential बी. वाणिज्यिक भू-संपदा / b. Commercial Real Estate.	शून्य/NIL शून्य/NIL	शून्य/NIL शून्य/NIL
<b>(बी) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर/B) Indirect Exposure</b> राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	7587.31	3203.43
<b>अचल संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Real Estate Sector</b>	<b>24614.87</b>	<b>18764.97</b>

**10.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर / Exposure to Capital Market**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. / Sl.No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
(I)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि अनन्यतः कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं की जाती। Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	926.19	1127.35
(ii)	इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को अप्रलेखी आधार पर अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा शेयर/बांड/डिबेंचर/के बदले अग्रिम Advances against shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares(including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual fund;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(III)	अन्य किसी प्रयोजन, जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट ली जाती है, हेतु अग्रिम Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual fund are taken as primary security;	0.81	1.15
(IV)	शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड द्वारा रक्षित सीमा तक के अन्य किसी प्रयोजन हेतु अर्थात् जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति को छोड़कर शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करते हैं; Advances for any other purposes to the extent secured by collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual fund does not fully cover the advances;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(V)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियाँ; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	100.25	100.25

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. / SI.No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
(VI)	संसाधन जुटाने की संभावना में नई कंपनियों की इक्विटी हेतु प्रवर्तक के अंशदान के लिए कॉरपोरेट को शेयर/बांड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष संस्वीकृत ऋण अथवा संस्वीकृत निर्बंध ऋण। Loans sanctioned to corporate against security of shares/ bonds/ debenture or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(VII)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लो/इश्यू के सापेक्ष कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(VIII)	शेयरों का प्राथमिक इश्यू अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनितों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धता Underwriting commitments taken up by Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(IX)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकर्स को वित्तपोषण Financing to stock brokers for margin trading;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(X)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	3.57	5.33
	<b>पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Capital Market</b>	<b>1030.83</b>	<b>1234.08</b>

**10.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31.03.2019 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2019	31.03.2019 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2019	31.03.2018 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2018	31.03.2018 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2018
नगण्य/Insignificant	2011.72	शून्य/NIL	1875.69	शून्य/NIL
कम/Low	253.77	शून्य/NIL	1038.10	शून्य/NIL
साधारणतया निम्न/Moderately Low	35.15	शून्य/NIL	8.14	शून्य/NIL
मध्यम/Moderate	11.05	शून्य/NIL	27.32	शून्य/NIL
साधारणतया अधिक/Moderately High	1.14	शून्य/NIL	0.81	शून्य/NIL
अधिक/High	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बहुत अधिक/Very High	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
प्रतिबंधित/Restricted	0.04	शून्य/NIL	16.39	शून्य/NIL
ऑफ-क्रेडिट/Off-credit	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल/Total</b>	<b>2312.87</b>	<b>शून्य/NIL</b>	<b>2966.99</b>	<b>शून्य/NIL</b>

**10.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण :****Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank:**

गत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017-18)/ Previous Year (FY 2017-18) ;

(₹ करोड़ में/₹ in crore)

उधारकर्ता का नाम Name of Borrower	एकल निवेश सीमा (मौजूदा) Single Exposure Limit (Existing)			संस्वीकृत सीमा Sanctioned Limit			यथास्थिति बकाया शेष 31.03.2018 को Outstanding Balance as on 31.03.2018		
	एफबी	एनएफबी	कुल	एफबी	एनएफबी	कुल	एफबी	एनएफबी	कुल
1. मे. ओएनजीसी पेट्रो एडीशंस लि. (10.08.17 और 16.11.17 को एमसीबीओडी द्वारा संस्वीकृत) 1. M/s ONGC Petro Additions Ltd. (Sanctioned by MCBOD on 10.08.17 & 16.11.17)	2680.00	0.00	2680.00	2582.73	200.00	2782.73	1516.53	169.09	1685.62
2. मे. एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लि. (29.08.2017 को एमसीबीओडी द्वारा संस्वीकृत) 2. M/s HPCL Mittal Energy Ltd. (Sanctioned by MCBOD on 29.08.17)	2680.00	0.00	2680.00	2430.00	400.00	2830.00	0.00	2.96	2.96

उधारकर्ता का नाम Name of Borrower	एकल निवेश सीमा (मौजूदा) Single Exposure Limit (Existing)			संस्वीकृत सीमा Sanctioned Limit			यथास्थिति बकाया शेष 31.03.2019 को Outstanding Balance as on 31.03.2019		
	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total
1. मे. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेव अथॉरिटी (28.09.2018 को एमसीबीओडी द्वारा संस्वीकृत) M/s Uttar Pradesh Expressways Industrial Dev Authority (Sanctioned by MCBOD on 28.09.18)	1980.00	0.00	1980.00	3150.00	0.00	3150.00	1489.80	0.00	1489.80
मे. एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लि. (19.03.2019 को एमसीबीओडी द्वारा संस्वीकृत) M/s HPCL Mittal Energy Ltd. (Sanctioned by MCBOD on 28.09.19)	1330.00	0.00	1330.00	1880.00	0.00	1880.00	336.00	0.00	336.00

**नोट:**

- वर्ष के दौरान एकल एक्सपोजर सीमा मे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेव. अथॉरिटी के खाते में एक बार भंग हुई थी। ₹3150.00 करोड़ का सकल एक्सपोजर भारिबैं द्वारा बैंक को दिए गए विवेकाधिकार के अंतर्गत है (विवेकपूर्ण सीमा से ऊपर पूंजीगत निधियों का अतिरिक्त 5%) एकल एक्सपोजर सीमा के भंग होने की रिपोर्ट ऋण विभाग द्वारा निदेशक मंडल को 12.11.2018 को आयोजित बैठक में दी गई थी।
- मे. एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लि. को ₹1880.00 करोड़ का सकल एक्सपोजर भारिबैं द्वारा बैंक को दिए गए विवेकाधिकार के अंतर्गत है (विवेकपूर्ण सीमा से ऊपर पूंजीगत निधियों का अतिरिक्त 5%)। एकल एक्सपोजर सीमा के भंग होने की रिपोर्ट ऋण विभाग द्वारा निदेशक मंडल को 26.03.2019 को आयोजित बैठक में दी गई थी।

**Note:**

- The single exposure limit was breached on one occasion during the year in the account M/s Uttar Pradesh Expressways Industrial Dev. Authority. The aggregate exposure of ₹3150.00 Crore is within the discretion given to Bank by RBI (additional 5% of the capital funds over prudential limit). The breach of single exposure limit was reported by Credit Department to BOD in its meeting dt. 12.11.2018.
- The aggregate exposure of ₹1880.00 Crore to M/s HPCL Mittal Energy Ltd is within the discretion given to Bank by RBI (additional 5% of the capital funds over prudential limit). The breach of single exposure limit was reported by Credit Department to BOD in its meeting dt. 26.03.2019.

**10.5 अप्रतिभूत अग्रिम/ Unsecured Advance**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
ए/अ) कुल अप्रतिभूत अग्रिम / Total Unsecured Advances	15014.08	27236.82
बी/ब) इसमें से अमूर्त प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित अग्रिम जैसे अधिकारों पर प्रभार, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि Of which advances backed by intangible securities such as charge over rights, licenses, authority etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

**11. विविध / Miscellaneous**

**11.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान की राशि / Amount of Provisions made for Income tax during the year :**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
आयकर हेतु प्रावधान / Provision for Income Tax	(767.47)	4.13
आस्थगित कर हेतु प्रावधान / Provision for Deferred Tax	(29.46)	(1321.04)

**11.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया अर्थदंड: / Penalties imposed by RBI:**

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित अर्थ दंड लगाया गया: /

Reserve Bank of India has imposed following penalties during the year.

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19
उधारखातों के संबंध में आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना Non adherence of internal guidelines relating to a borrowed accounts	1.50
टी+1 और टी+5 आधार पर नोस्ट्रो नामे और जमा का समाधान न करना Non reconciliation of NOSTRO debits and credits on T+1 and T+5 basis	2.00

लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण अपेक्षाएं / Disclosure Requirements as per Accounting Standards

12. लेखा मानक 5 'अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन':  
पूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय निम्नानुसार है:
12. Accounting Standard 5- Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:  
Income and Expenditure relating to prior period are as under: (₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
आय/Income	0.07	(0.55)
व्यय/Expenditure	0.52	1.48
निवल आय/(व्यय)/Net Income/(Expenditure)	(0.45)	(2.03)

13. एएस 9 राजस्व अभिज्ञान  
लेखा नीति सं. 09 के अनुसार आय की कतिपय मदों को वसूली आधार पर अभिज्ञात किया जाता है। तथापि एक आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।
13. AS 9 Revenue Recognition  
Certain items of Income are recognized on realization basis as per accounting policy No.09. However the said income is not considered to be material.
14. एएस 10 संपत्तियां, संयंत्र और उपकरण  
मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मूल्य ह्रास का विवरण।
14. AS 10 Properties ,plant and Equipment  
Breakup of total depreciation for the year ended March 2019 for each class of assets. (₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

आस्ति का वर्ग/Class of asset	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
परिसर/Premises	47.64	49.93
अन्य स्थिर आस्तियां/Other Fixed Assets	90.47	93.17
पट्टाकृत आस्तियां/Leased Assets	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कंप्यूटर साफ्टवेयर/Computer Software	9.59	9.78
कुल / Total	147.70	152.88

15. एएस 11 विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन  
विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व का संचलन
15. AS 11 Changes in foreign Exchange rates  
Movement of Foreign Currency Translation Reserve:

विवरण/Particulars	31.03.2019	31.03.2018
अथ शेष/Opening Balance	85.72	85.79
वर्ष के दौरान जमा/Credited during the Period	33.06	NIL
01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान नामे Debited during the period 01.04.2018 to 31.03.2019	0.00	0.07
इति शेष/Closing Balance	118.78	85.72

16. एस 15 कर्मचारी लाभ  
बैंक ने 1 अप्रैल 2007 से कर्मचारी लाभों यथा पेंशन, ग्रैच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, और एलएफसी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित)-कर्मचारी लाभ को अपनाया है।  
निधिक/गैर-निधिक कर्मचारी लाभों यथा, पेंशन (एबीपीईआर-1995), ग्रैच्युटी, अवकाश नकदीकरण और एलएफसी के संबंध में बैंक की देयता को निम्नानुसार अनुमोदित बीमांकक द्वारा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।
16. AS 15 Employees Benefits  
The Bank has adopted Accounting Standard 15 (Revised)-Employee Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension, Gratuity, Leave Encashment, LFC w.e.f. 1st April, 2007.  
Bank's liabilities in respect of the funded/non-funded employee benefits, viz., Pension(ABEPR-1995), Gratuity, Leave Encashment and LFC are recognized on the basis of actuarial valuation carried out by approved Actuary as per
- (ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित) में निर्धारित सिद्धांत और
- (बी) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश जीएन 26।
- a) Principles laid down in AS 15 (Revised) issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and
- b) Guidelines GN 26 issued by The Institute of Actuaries of India.



कर्मचारी लाभ के लेखा का प्रकटीकरण [ एएस-15 के अनुसार (समीक्षित)]

Disclosure on accounting of employee benefits [as per AS-15 (revised)]

बीमांकक अनुमान / Actuarial assumptions

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN							
	निधिबद्ध / Funded				गैर-निधिबद्ध / Non-funded			
	पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)		ग्रेच्युटी Gratuity		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी LFC	
	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2017-18
रियायती दर /Discount Rate	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
वेतन की बढ़ती दर Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	NA	NA
ह्रास दर (प्र.व.) / Attrition Rate (p.a.)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
योजना आस्तियों पर आय की प्रत्याशित दर Expected Rate of Return on Plan Assets	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	NA	NA	NA	NA

ए) बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

A) Changes in the present value of Obligation

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) वर्ष के आरंभ में पीवीओ	C.Y.	6035.37	981.92	510.66	161.54
a) PVO at the beginning of the year	P.Y.	5770.81	929.57	507.82	147.34
बी) ब्याज लागत	C.Y.	433.85	67.81	35.03	11.27
b) Interest cost	P.Y.	415.72	65.76	37.56	10.80
सी) चालू सेवा लागत	C.Y.	598.96	51.59	93.12	0.00
c) Current Service Cost	P.Y.	610.10	127.16	92.14	0.00
डी) प्रदत्त लाभ	C.Y.	501.34	155.53	87.18	22.66
d) Benefits Paid	P.Y.	455.82	105.46	13.93	6.77
ई) बाध्यता पर बीमांकक हानि/(लाभ)	C.Y.	(153.36)	(5.34)	(31.80)	18.16
e) Actuarial Loss/ (Gain) on Obligation	P.Y.	(305.44)	(35.11)	(112.93)	10.17
एफ) वर्ष के अंत में पीवीओ	C.Y.	6413.48	951.13	519.83	168.31
f) PVO at the close of the year	P.Y.	6035.37	981.92	510.66	161.54

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

**बी) योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन / B) Changes in the Fair Value of Plan Assets**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN		
		निधिबद्ध / Funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity
ए) वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य			
a) Fair Value of Plan Assets at the beginning of year	C.Y.	5938.53	938.21
	P.Y.	5769.63	965.79
बी) योजना आस्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल	C.Y.	445.39	70.37
b) Expected return of Plan Assets	P.Y.	432.72	72.43
सी) नियोक्ता का अंशदान	C.Y.	453.94	112.70
c) Employer's Contribution	P.Y.	131.16	0.00
डी) प्रदत्त लाभ	C.Y.	501.34	155.53
d) Benefits Paid	P.Y.	455.82	105.46
ई) बीमांकक (हानि)/लाभ	C.Y.	7.85	(20.52)
e) Actuarial (Loss)/Gain	P.Y.	57.96	6.06
एफ) वर्ष के अंत में आस्तियों का उचित मूल्य			
f) Fair Value of Plan Assets at the close of year (a+b+c+d+e=f)	C.Y.	6344.37	945.23
	P.Y.	5935.64	938.82
जी) योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	C.Y.	508.14	76.55
g) Actual return on Plan Assets	P.Y.	488.97	78.96

\* संबंधित न्यास निधि के लेखापरीक्षित आंकड़े/\*Audited Figure of the concerned Trust Fund

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

**सी) निवल बीमांकक हानि / (लाभ) / C) Net Actuarial Loss / (Gain)**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) बाध्यता पर बीमांकक हानि / (लाभ)					
a) Actuarial loss / (gain) on obligation (A)	C.Y.	(153.36)	(5.34)	(31.80)	18.16
	P.Y.	(305.44)	(35.11)	(112.93)	10.17
बी) योजना आस्तियों पर बीमांकक हानि/(लाभ)					
b) Actuarial loss / (gain) on Plan assets (B)	C.Y.	(7.85)	(20.52)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	(57.96)	(6.06)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
सी) निवल बीमांकक (हानि)/(लाभ)					
c) Net Actuarial loss / (gain)(a-b)	C.Y.	(161.21)	(25.86)	(31.80)	18.16
	P.Y.	(363.40)	(41.17)	(112.93)	10.17
डी) अवधि में अभिज्ञात बीमांकक (हानि)/लाभ					
d) Actuarial loss / (gain) recognized in the period	C.Y.	(161.21)	(25.86)	(31.80)	18.16
	P.Y.	(363.40)	(41.17)	(112.93)	10.17
ई) अनभिज्ञात बीमांकक हानि					
e) Unrecognised actuarial loss	C.Y.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

डी) तुलनपत्र में अभिज्ञात राशि / D) Amount recognized in Balance Sheet

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य a) Present value of defined benefit obligation at the end of the Year	C.Y.	6413.48	951.13	519.83	168.31
	P.Y.	6035.37	981.92	510.66	161.54
घटाएं :/Less:					
बी) वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य b) Fair value of Plan Assets at close of the Year	C.Y.	6344.37	945.23	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	5935.64	938.82	शून्य/Nil	शून्य/Nil
सी) तुलन पत्र में अभिज्ञात गैर-निधिबद्ध निवल देयता / (आस्ति) c) Unfunded Net Liability/ (Asset) recognized in Balance Sheet	C.Y.	69.11	5.90	519.83	168.31
	P.Y.	99.73	43.10	510.66	161.54

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

ई) लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञात व्यय

E) Expenses recognized in Profit & Loss account

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) चालू सेवा लागत a) Current service cost	C.Y.	598.96	51.59	93.12	शून्य/Nil
	P.Y.	610.10	127.16	92.14	शून्य/Nil
बी) ब्याज लागत b) Interest Cost	C.Y.	433.85	67.81	35.03	11.27
	P.Y.	415.72	65.76	37.56	10.80
सी) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय c) Expected return on Plan Assets	C.Y.	445.39	70.37	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	432.72	72.43	शून्य/Nil	शून्य/Nil
डी) वर्ष में अभिज्ञात निवल बीमांकक हानि/ (अभिलाभ) d) Net actuarial loss / (gain) recognized in the year	C.Y.	(161.21)	(25.86)	(31.80)	18.16
	P.Y.	(363.40)	(41.17)	(112.93)	10.17
ई) निवल लाभ व्यय e) Net Benefit Expense	C.Y.	426.21	74.89	96.35	29.43
	P.Y.	229.70	79.32	16.77	20.97

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

एफ) तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं का संचलन

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

**F) Movements in the Liability recognized in the Balance Sheet**

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) अथ निवल देयता	C.Y.	96.83	43.71	510.66	161.54
a) Opening Net Liability	P.Y.	1.18	(36.21)	507.82	147.34
बी) निवल लाभ व्यय	C.Y.	426.22	74.89	96.35	29.43
b) Net Benefit Expense	P.Y.	229.70	79.31	16.77	20.97
घटाएं / Less:					
सी) कर्मचारियों को भुगतान /अंशदान की गई राशि	C.Y.	453.94	112.70	87.18	22.66
c) Contribution paid / Amt. paid to employees	P.Y.	131.16	0.00	13.93	6.77
डी) इति निवल देयता (अतिरिक्त राशि यथाप्रावधान प्रतिधारित होगी)	C.Y.	69.11	5.90	519.83	168.31
d) Closing Net Liability (The excess amount may be retained as provision)	P.Y.	99.73	43.10	510.66	161.54

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

जी) ट्रस्ट द्वारा बनाए रखे गए निवेश का प्रतिशत

**G) Investment percentage maintained by the Trust**

(%में)/(in %)

विवरण Particulars	पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)		ग्रेच्युटी Gratuity	
	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Govt. Securities	10.01	11.70	40.63	35.60
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Govt. Securities	60.41	52.80	42.32	40.04
उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट बांड (पीएसयू/पीएफसी) High Quality Corporate Bonds (PSU/PFC)	29.33	35.23	16.88	24.23
विशेष जमा योजनाएँ / Special Deposit Schemes	0.25	0.27	0.17	0.13
अन्य निवेश / Other Investments	NA	NA	NA	NA

**17. सेगमेंट रिपोर्टिंग - लेखामानक (एएस) 17 " सेगमेंट रिपोर्टिंग"**

सेगमेंट सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरण में लेखा मानक -17 के पैरा 4 के अनुसार दी गई हैं।

**17. Segment Reporting - Accounting Standard (AS) 17 "Segment Reporting"**

Segment information is given in the Consolidated Financial Statement in terms of Para 4 of the AS-17.

**18. संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 18-**

संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन: संबंधित पक्षकारों के नाम, बैंक के साथ उनके संबंध और किए गए लेनदेन-

**18. Related Party Disclosures - Accounting Standard (AS) 18**

List of Related Parties and Transactions: The names of the related parties, their relationship with the bank and transactions effected-

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / a) Key Management Personnel :

(₹ लाख में) / (₹ in Lac)

	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियां Remuneration	
			वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
1.	श्री सी.एच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव Shri CH. S.S. Malikarjun Rao	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO (से/From 19.09.2018)	14.51	शून्य/NIL
2.	श्री के. रामचंद्रन Shri K Ramachandran	कार्यपालक निदेशक Executive Director (से/From 26.12.2018)	6.31	शून्य/NIL
3.	श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P. R. Rajagopal	कार्यपालक निदेशक Executive Director (से/From 01.03.2019)	1.98	शून्य/NIL
<b>भूतपूर्व निदेशक /Ex- Directors</b>				
1.	श्री एन. के. साहु Shri N.K.Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director (तक/Upto 28.02.2019)	44.73*	23.52
2.	श्री एस. हरिशंकर Shri S. Harisankar	कार्यपालक निदेशक Executive Director (तक/Upto 19.09.2018)	11.35	22.27
3.	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन Smt. Usha Ananthsubramanian	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO (तक/Upto 12.08.2018)	10.81	25.37

\* ₹21.64 लाख का अवकाश नकदीकरण शामिल है / Leave Encashment amount of ₹ 21.64 lakh

ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

**(बी) संयुक्त उद्यम**

**b) Joint Venture:**

- i) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि.  
बैंक युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि.के ₹105.00 करोड़ मूल्य के 28.52% शेयर धारित कर रहा है।
- ii) आसरेक (इंडिया) लि.  
बैंक एएसआरईसी (इंडिया) लि. के ₹26.50 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹26.50 करोड़) के 27.04% प्रतिशत शेयर धारित करता है।

- i. Universal Sampo General Insurance Company Limited.  
The Bank is holding 28.52% share in Universal Sampo General Insurance Company Limited amounting to ₹105.00 Crore.
- ii. ASREC (India) Ltd.  
The Bank is holding 27.04% share in ASREC (India) Ltd. amounting to ₹26.50 Crore (previous year ₹26.50 Crore)

**(सी) एसोसिएट्स**

**c) Associates:**

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक:  
बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ₹21.67 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹21.67 करोड़) के 35 प्रतिशत को धारित करता है।

Allahabad U.P. Gramin Bank:  
The Bank is holding 35% share in Allahabad U.P. Gramin Bank amounting to ₹21.67 Crore (previous year ₹21.67 Crore).

भारत सरकार ने दिनांक 25.01.2019 की अपनी अधिसूचना सं.7/8/2017-आरआरबी (उत्तर प्रदेश II) के तहत इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक और ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त (बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) को एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन हेतु अधिसूचित किया है जिसे 1 अप्रैल, 2019 से बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के अंतर्गत आर्यवर्त बैंक कहा जाएगा। तदनुसार, 01.04.2019 से हमारे द्वारा प्रायोजित आरआरबी इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

The Government of India vide their notification no. 7/8/2017-RRB (Uttar Pradesh II) dated 25.01.2019 has notified the amalgamation of Allahabad UP Gramin Bank and Gramin Bank of Aryawart (sponsored by Bank of India) into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Aryavart Bank under sponsorship of Bank of India effective from 01<sup>st</sup> April, 2019. Accordingly, with effect from the 01.04.2019, our sponsored RRB Allahabad UP Gramin Bank, ceases to be in existence.

(डी) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ के लेनदेन निम्नवत हैं :-

d) Transactions with Joint Venture Company namely Universal Sompo General Insurance Company Limited are as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
अर्जित आय / Income Earned	17.55	17.04
बैंक द्वारा प्रदत्त बीमा प्रिमियम / Insurance Premium Paid by the bank	1.51	1.48

संबंधित पक्षकारों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: /

Other Disclosures pertaining to related parties are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

मद/संबंधित पार्टी Items/Related Party	पेरेंट (स्वामित्व नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership control)	एसोसिएट एवं संयुक्त उद्यम Associate/joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्यात्मक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्यात्मक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
	1	2	3	4	2+3+4
उधार / Borrowings	-	1.35	-	-	1.35
जमाराशियां / Deposits	14.28	-	-	-	0.00
जमाराशियों का प्लेसमेंट / Placement of Deposits	-	14	0.20	-	14.20
अग्रिम / Advances	1.35	-	-	-	-
निवेश / Investments	0.11	-	-	-	0.00
गैर निधिगत प्रतिबद्धताएं/ Non-funded commitments	-	-	-	-	-
उपभोग की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था/ Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था/ Leasing/HP arrangements provided	-	--	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद/ Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री/ Sale of fixed assets	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज/Interest paid	76.00	15.81	-	-	15.81
प्राप्त ब्याज/Interest received	15.81	75.99	0.01	-	76.00
सेवा प्रदान करना/Rendering of Services	19.26	1.51	-	-	1.51
सेवा प्राप्त करना/Receiving of Services	1.51	19.26	-	-	19.26
प्रबंधन संविदा/Management contracts	2.36	2.36	-	-	2.36

#### 19. पट्टा (एस 19)

ए) बैंक के पास कार्यालयों/आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है :-

- i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग:

यथास्थिति 31.03.2019 को असमाप्त पट्टे अवधि हेतु देय किराया।

#### 19. Leases (AS 19)

A) The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

- i) Total of future minimum lease payments under non-cancellable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2019.

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period	देय राशि / Amount Payable	
	यथास्थिति/ As on 31.03.2019	यथास्थिति / As on 31.03.2018
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	127.28	130.58
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	429.83	495.89
पाँच वर्ष के बाद / Later than five years	372.32	377.13

- ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)
- iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टे भुगतान : ₹214.56 करोड़ (विगत वर्ष ₹201.08 करोड़)
- iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त (अथवा प्राप्य) उप-पट्टे के भुगतान : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)
- ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non- cancellable subleases at the balance sheet date: NIL(Previous Year: Nil).
- iii) Lease payments recognized in the statement of profit and loss for the period: ₹214.56 Crore (previous year ₹201.08 Crore)
- iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: NIL (Previous Year: Nil).
- बी) वित्तीय पट्टा :**
- बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है।
- B) Financial Lease:**
- Bank is not having any assets under Financial Lease.

## 20. प्रति शेयर अर्जन - (एएस) 20 / Earning Per Share – (AS) 20

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
ए. A	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (₹) Basic and Diluted Earning Per Share (₹)	(65.34)	(59.63)

## प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन की गणना / Calculation of Basic and Diluted Earning Per Share

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
ए. A	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष हेतु प्रदान किया जाने वाला निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit for the year attributable to Equity Share holders (₹ in Crores)	(8333.96)	(4674.37)
बी. B	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity Shares	1,27,55,58,495	78,38,74,547
सी. C	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (ए/बी) (₹) Basic and Diluted Earning per Share (A/B) (₹)	(65.34)	(59.63)
डी. D	प्रति शेयर नोमिनल मूल्य (₹) Nominal Value per share (₹)	10.00	10.00

21. आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एएस) 22 / Accounting for Taxes on Income:(AS) 22

तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत हैं:

The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the Year		समायोजन जोड़ें/(घटाएं) Adjustment Add / (Less)		वर्ष की समाप्ति पर At the close of the year	
	वित्तीय वर्ष/F.Y.		वित्तीय वर्ष/F.Y.		वित्तीय वर्ष/F.Y.	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
<b>आस्थगित कर आस्तियाँ</b>						
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान Deferred Tax Assets						
Provision for Leave Encashment	120.14	119.16	4.37	0.98	124.51	120.14
एफआईटीएल हेतु प्रावधान/ Provision For FITL	91.37	191.75	(59.99)	(100.38)	31.38	91.37
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान Provision For Bad & Doubtful Debts	2156.00	1939.03	(39.76)	216.97	2116.24	2156.00
आयकर के अनुसार हानि Loss as per Income tax	1118.19	शून्य/NIL	10.85	1118.19	1129.04	1118.19
<b>कुल /Total</b>	<b>3485.70</b>	<b>2249.94</b>	<b>(84.53)</b>	<b>1235.76</b>	<b>3401.17</b>	<b>3485.70</b>
<b>आस्थगित कर देयताएँ/ Deferred Tax Liabilities</b>						
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत कटौती के कारण विशेष प्रारक्षिती को अंतरित राशि Amount transferred to Special Reserve on account of deduction under Section 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961	494.94	494.94	4.80	शून्य/NIL	499.74	494.94
धोखाधड़ी हेतु अपरिशोधित प्रावधान/ Depreciation on Investment/ Securities	124.98	124.98	(124.98)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	124.98
निवेश/प्रतिभूतियों पर मूल्यहास/ Un amortised Fraud Provision	शून्य/NIL	85.28	शून्य/NIL	(85.28)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
मूल्यहास/Depreciation	शून्य/NIL	शून्य/NIL	6.19	शून्य/NIL	6.19	शून्य/NIL
<b>कुल /Total</b>	<b>619.92</b>	<b>705.20</b>	<b>(113.99)</b>	<b>(85.28)</b>	<b>505.93</b>	<b>619.92</b>
<b>आस्थगित कर देयताएँ (निवल) / Deferred Tax Liabilities (Net)</b>	<b>(2865.78)</b>	<b>(1544.74)</b>	<b>(29.46)</b>	<b>(1321.04)</b>	<b>(2895.24)</b>	<b>(2865.78)</b>

1. अशोध्य और संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान तथा पूर्ववर्ती वर्षों हेतु कराधान के लिए प्रावधान संबंधी आस्थगित कर आस्तियों की कर विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा की गई है और उनकी सलाह के आधार पर पूर्ववर्ती वर्षों में कर हेतु किए गए ₹746.82 करोड़ के प्रावधान को रिटर्न बैक किया गया है।

2. पर्याप्त भावी करयोग्य आय की आभासी निश्चितता के सिद्धांत पर विचार करते हुए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में आगे ले जाई गई हानियों पर ₹1118.19 करोड़ के डीटीए को अभिज्ञात किया है। वर्ष के दौरान हानियों हेतु कोई अतिरिक्त डीटीए सृजित नहीं किया गया है।

1. Deferred Tax Assets on provision for Bad and Doubtful Debts and Provision for Taxation for earlier years have been reviewed by tax expert and based on his advice provision for taxes made in earlier years ₹746.82 Crore has been written back.

2. Considering the principal of Virtual Certainty of sufficient future taxable income, the bank had recognised the DTA of ₹1118.19 Crore on carried forward losses in the F.Y. 2017-18. No further DTA has been created for losses during the year.



22. वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स' प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2019 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और अभिज्ञान हेतु अपेक्षित कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है।

22. A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which **Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets'** is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as on 31.03.2019 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

23. "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के संबंध में लेखा मानक (एएस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण।

23. Disclosure in terms of **Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"**:

**23.1. लाभ एवं हानि खाते में प्रावधान एवं आकस्मिक देयताओं हेतु नामे/Provisions & Contingencies debited to Profit & Loss Account**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a)निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	465.78	743.27
(i) निवेश पर मूल्यह्रास / Depreciation on Investment	264.45	364.43
(ii) एनपीए पर मूल्यह्रास / Depreciation on NPI	201.33	378.84
(बी)/(b)एनपीए हेतु प्रावधान / Provision towards NPA	11761.13	10326.45
(सी)/(c)मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/ Provision towards Standard Assets	(137.38)	(634.39)
(डी)/(d)आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	(767.47)	(595.61)
(ई)/(e)आस्थगित कर (आस्तियाँ)/देयताएं/Deferred Tax (Assets) Liabilities	(29.46)	(1321.04)
(एफ)/(f)आईआरएस हेतु प्रावधान/Provision for IRS	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(जी)/(g)अन्य /Others	(191.63)	(405.99)
<b>कुल/Total</b>	<b>11100.97</b>	<b>8112.69</b>

**23.2. प्रावधान और आकस्मिकताएं (इति शेष)**

**Provision and Contingencies (Closing balance)**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a)एनपीए हेतु प्रावधान / Provision toward NPA	21261.45	14308.11
(बी)/(b)निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	1759.54	1322.09
(सी)/(c)मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/ Provision towards Standard Assets	616.94	751.20
(डी)/(d)आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	3330.80	4100.64
(ई)/(e)आस्थगित कर (आस्तियाँ)/देयताएं/Deferred Tax (Assets) / Liabilities	(2895.24)	(2865.78)
(एफ)/(f)अन्य /Others	1771.91	1818.61
<b>कुल/Total</b>	<b>25845.40</b>	<b>19434.87</b>

**24. अस्थिर प्रावधान (प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर)/Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer):**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर / Counter cyclical Provision Buffer		अस्थिर प्रावधान / Floating Provision	
	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a) अथ शेष / Opening Balance	24.00	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(बी)/(b) वर्ष के दौरान किये गये अस्थिर प्रावधान का परिमाण Quantum of Provision made during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(सी)/(c) वर्ष के दौरान ड्रॉ डाउन की रकम एवं प्रयोजन Purpose and Amount of draw down during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(डी)/(d) इति शेष Closing Balance	24.00	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL

25. आरक्षित निधियों से ड्रॉ डाउन  
वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से किसी राशि को ड्रा डाउन नहीं किया गया है (विगत वर्ष शून्य)

25. Draw Down from Reserves:  
No amount has been drawn from the Reserve during the year. (Previous year Nil).

26. शिकायतों का प्रकटीकरण/Disclosure of Complaints :

ए/आ. ग्राहकों की शिकायतें/Customer Complaints :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the beginning of the year	134	211
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Received during the year	39081	14476
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Redressed during the year	35978	14553
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the end of the year	3237	134

बी/बी. शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतें/Shareholders/Investors Complaints :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the beginning of the year	शून्य/NIL	01
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या / No. of Complaints Received during the year	135	277
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या / No. of Complaints Redressed during the year	134	278
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या / No. of Complaints pending at the end of the year	01*	शून्य/NIL

\* निस्तारित की जा चुकी/ Since Resolved

सी/सी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड/Awards passed by the Banking Ombudsman :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(बी)/(b) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	शून्य/NIL	3
(सी)/(c) वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of awards implemented during the year	शून्य/NIL	3
(डी)/(d) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of unimplemented awards at the end of the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL

डी/डी. एटीएम से संबंधित शिकायतें/ATM Related Complaints :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the beginning of the year	1503	3452
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Received during the year	146755	95621
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Redressed during the year	144568	97570
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the end of the year	3690	1503

**27. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)**

31.03.2019 को यथास्थिति बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 79.85% है (विगत वर्ष 62.91%)

**28. वर्ष के दौरान बैंकाश्योरेंस व्यवसाय से आय:**

जीवन और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय से प्राप्त कमीशन : ₹17.55 करोड़ (विगत वर्ष ₹27.37 करोड़) रहा।

**29. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर और एनपीए का संकेन्द्रण :****27. Provisioning Coverage Ratio (PCR):**

The provision coverage ratio as on 31.03.2019: 79.85 % (Previous Year 62.91%)

**28. Income from Bancassurance business during the year:**

Commission received on life & non-life insurance business: ₹17.55 Crore (previous year ₹27.37 Crore).

**29. Concentration of Deposits, Advances, Exposures & NPAs:****29.1. जमाराशियों का संकेन्द्रण / Concentration of Deposits**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि Total deposit of twenty largest depositors	9258.82	11152.38
बैंक की कुल जमाराशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का प्रतिशत Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	4.32	5.22

**29.2. अग्रिमों का संकेन्द्रण /Concentration of Advances:**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम/ Total advances to twenty largest borrowers	27550.29	31455.05
बैंक के कुल अग्रिम में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	16.40	15.78

**29.3. एक्सपोजर का संकेन्द्रण / Concentration of Exposures**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total exposure to twenty largest borrowers/ customers	30155.60	34011.16
बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of exposure to twenty largest borrowers/ customers to total exposure of the bank on borrowers/customers	15.44	14.49

**29.4. एनपीए पर संकेन्द्रण /Concentration on NPAs**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर (सकल) Total Exposure to top four NPA accounts (Gross)	3301.94	4733.12

29.5. क्षेत्रवार एनपीए : संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत /

Sector-wise NPAs: Percentage of NPAs to Total Advances in that sector

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं. SI No	क्षेत्र/Sector	चालू वर्ष/Current year			विगत वर्ष/Previous year		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
<b>क/Α</b>	<b>प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector</b>						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां Agriculture and allied activities	26763.93	3128.45	11.69%	26713.01	1603.46	6.00
2	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण हेतु पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	9820.59	1694.84	17.26%	12930.87	3052.29	23.60
3	सेवाएं/Services	16144.20	1765.85	10.94%	17223.36	1651.25	9.59
4	वैयक्तिक ऋण/अन्य ऋण Personal Loans/Other Loan	11305.86	584.88	5.17%	9726.67	219.68	2.26
	उप जोड़(क)/Sub-Total (A)	64034.58	7174.02	11.20%	66593.91	6526.68	9.80
<b>ख/Β</b>	<b>गैर प्राथमिकता क्षेत्र/Non Priority Sector</b>						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां Agriculture and allied activities	171.75	138.81	80.82%	0.00	0.00	0.0
2	उद्योग/Industry	44463.50	16900.79	38.01%	38722.42	15715.93	40.59
3	सेवाएं/Services	37901.58	3591.21	11.84%	37595.05	2954.63	7.86
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	503.04	15.08	3.00%	0.00	0.00	0.00
5	अन्य/Others	16477.88	884.87	5.37%	23524.48	1365.55	5.80
	उप जोड़(ख)/Sub-Total (B)	99517.75	21530.76	21.63%	99841.95	20036.11	20.07
	<b>कुल (क+ख)/Total (A+B)</b>	<b>163552.33</b>	<b>28704.78</b>	<b>17.55%</b>	<b>166435.86</b>	<b>26562.79</b>	<b>15.96</b>

29.6. एनपीए का संचलन / Movement of NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
वर्ष के आरंभ में 1अप्रैल को सकल एनपीए (अथ शेष)/ Gross NPAs as on 1 <sup>st</sup> April-beginning of the year (Opening Balance)	26562.79	20687.83
वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)/Additions (Fresh NPAs) during the year	10726.32	12903.28
उप जोड़ (ए) / Sub- Total (A)	<b>37289.11</b>	<b>33591.11</b>
घटाएं / Less:-		
(i) उन्नयन / Upgradations	1462.12	1307.22
(ii) वसूली (अपग्रेड खातों में की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2826.71	2071.86
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण राइटऑफ Technical/Prudential Write-offs	2990.55	2723.78
(iv) उपर्युक्त (iii) में से इतर के अंतर्गत राइटऑफ Write-offs other than those under (iii) above	1292.44	925.46
उप जोड़ (बी) / Sub- Total (B)	<b>8584.33</b>	<b>7028.32</b>
31 मार्च को यथास्थिति सकल एनपीए (इति शेष) (ए-बी) Gross NPAs as on 31 <sup>st</sup> March of following year (Closing Balance) (A-B)	28704.78	26562.79

**Disclosure on Technical write –offs and the recoveries made thereon**

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
1 अप्रैल (वर्ष के आरंभ में) को यथास्थिति तकनीकी/विवेकपूर्ण रिटेन ऑफ खातों में अथ शेष		
Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1 (Beginning of the year)	6405.25	6235.76
वृद्धि: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट ऑफ		
Add: Technical/ Prudential write-off during the year	2990.55	2723.78
<b>उप जोड़ (ए) / Sub- Total(A)</b>	<b>9395.80</b>	<b>8959.54</b>
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण रिटेन ऑफ खातों में की गई वसूली (बी)		
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written- off accounts during the year (B)	1281.30	2554.29
31 मार्च को यथास्थिति इतिशेष (ए-बी)		
<b>Closing Balance as at March' 31 ( A-B)</b>	<b>8114.50</b>	<b>6405.25</b>

**29.7. विदेशी आस्तियां एनपीए और राजस्व / Overseas Assets, NPAs and Revenue**

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
कुल आस्तियां / Total Assets	3700.24	13125.03
कुल एनपीए /Total NPAs	6.45	143.39
कुल राजस्व /Total Revenue	275.11	358.50

भारत सरकार के निर्देशानुसार निदेशक मंडल ने 28जून, 2018 को विदेशी शाखा बंद करने हेतु अनुमति दी।

On 28<sup>th</sup> June 2018, the Board of Directors approved for the closure of Overseas Branch as per the Government of India directive.

**30. तुलन पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)-**

**30. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):**

शून्य (विगत वर्ष: शून्य)

NIL (Previous year: NIL).

**31. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन:**

**31. Disclosures relating to Securitization:**

चूंकि बैंक द्वारा किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया गया है अतः तुलनपत्र की तारीख को यथास्थिति प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि शून्य है (विगत वर्ष शून्य)

As there is no SPVs sponsored by the Bank, the outstanding amount of securitized assets of SPVs as on date of balance sheet is Nil (Previous year: Nil)

**32. ऋण चूक स्वैप: शून्य**

**32. Credit Default Swaps: Nil**

बैंक का ऋण चूक स्वैप में कोई एक्सपोजर नहीं है अतः यह ऋण चूक स्वैप हेतु कीमतों हेतु किसी आंतरिक मॉडल का प्रयोग नहीं कर रहा है।

Bank is not having any exposure in credit default swap and as such not using any internal model for pricing of credit default swaps.

**33. इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर/Intra-Group Exposures:**

बैंक के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व वाले संस्थाओं में बैंक का एक्सपोजर निम्नवत है;

Bank's exposure to the group entities that are owned by the bank fully or partly are as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
क/अ) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि /Total amount of Intra-group exposures	156.27	156.27
ख/ब) शीर्ष 20 इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि/Total amount of top-20 intra-group exposures	156.27	156.27
ग/स) उधारकर्ताओं/ग्राहकों में बैंक के कुल एक्सपोजर में इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	शून्य/NIL	शून्य/NIL
घ/द) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की सीमा तोड़ने और उस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो का विवरण Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य/NIL	शून्य/NIL

**34. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएफ) को अंतरण**

अदावी देयताएं जहां रकम देय है को वर्ष के दौरान निम्नानुसार डीईएफ में अंतरित किया गया है

**34. Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)**

Unclaimed liabilities where amount due has been transferred to DEAF during the year are as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
डीईएफ में अंतरित राशि का अथ शेष / Opening balance of amounts transferred to DEAF	128.57	19.29
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरित राशि / Add: Amounts transferred to DEAF during the year	302.78	109.30
घटाएं: दावों हेतु डीईएफ से प्रतिपूर्ति की गई राशि / Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	2.06	0.02
डीईएफ में अंतरित राशि का इति शेष / Closing balance of amounts transferred to DEAF	429.30	128.57

**35. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :**

उपलब्ध डेटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा, जहाँ से प्राप्त हुई है, के आधार पर बैंक ने 15 जनवरी 2014 के भारिबे के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 85/21.06.200/2013-14 और दिनांक 3 जून 2014 के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 में दिए गए परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार अपने ग्राहकों के लिए अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में 31 मार्च 2019 तक ₹0.67 करोड़ (विगत वर्ष ₹2.25 करोड़) की देयता का अनुमान लगाया है। समूची अनुमानित राशि का पूर्णतया प्रावधान किया गया है।

**35. Unhedged Foreign Currency Exposure:**

Based on the available data, available financial statements and declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹0.67 crore up to 31<sup>st</sup> March, 2019 (previous year ₹2.25 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15<sup>th</sup> January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3<sup>rd</sup> June, 2014. The entire estimated amount has been fully provided for.

**36. तरलता कवरेज अनुपात :**

31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही हेतु तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

**36. Liquidity Coverage Ratio:**

Liquidity Coverage Ratio (LCR) related information for the year ending March 31, 2019 is given as under;

**36.1. एलसीआर प्रकटन**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 की चारों तिमाहियों को शामिल करते हुए तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) निम्नानुसार है;

**36.1. LCR Disclosure:**

Liquidity Coverage Ratio (LCR)-covering all the four quarters of the FY 2018-19 for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2019 is given as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19		वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18	
	कुल अभांरित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भांरित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)	कुल अभांरित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भांरित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)
उच्च कोटि की तरल आस्तियां/ High Quality Liquid Assets				
1. कुल उच्च कोटि की तरल आस्तियां(एचक्यूएलए)/ Total High Quality Liquid Assets(HQLA)		47224		37198
नकदी बहिर्प्रवाह/Cash Outflows				
2. खुदरा जमाराशियाँ और छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियाँ जिनमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which	173436	17030	157757	15487
(i) स्थिर जमाराशियाँ/Stable deposits	6282	314	5779	289
(ii) कम स्थिर जमाराशियाँ/Less stable deposits	167154	16715	151978	15198
3. अप्रतिभूत थोक निधियन जिसमें से / Unsecured wholesale funding, of which:	13962	5802	16250	6545
(i) परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्ष) / Operational deposits(all counterparties)	-	-	-	-
(ii) गैर परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्ष)/ Non-operational deposits(all counterparties)	13962	5802	16250	6545
(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured debt	-	-	-	-
4. प्रतिभूत थोक निधियन/ Secured wholesale funding		101		-
5. अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें/ Additional requirements, of which	13120	1516	2190	553
(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्प्रवाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	345	345	431	431
(ii) ऋण उत्पादों संबंधी निधियन की हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-
(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	12775	1171	1759	122
6. अन्य संविदागत निधियन बाध्यताएं/ Other contractual funding obligations	617	617	576	576
7. अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं/ Other contingent funding obligations	21934	790	18119	544
8. कुल नकद बहिर्प्रवाह/Total cash Outflows		25855		23704

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19		वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18	
	कुल अभारित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भारित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)	कुल अभारित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भारित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)
नकद अंतःप्रवाह/Cash Inflows				
9. प्रतिभूत ऋण (अर्थात् रिवर्स रेपो)/ Secured lending (e.g. reverse repos)	-	-	-	-
10. पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतःप्रवाह/ Inflows from fully performing exposures	1972	986	2802	1401
11. अन्य नकदी अंतःप्रवाह/Other cash inflows	2402	2402	13114	13114
12. कुल नकदी अंतःप्रवाह/Total Cash Inflows	4374	3388	15915	14514
		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value
13. कुल एचक्यूएलए/TOTAL HQLA		47224		37198
14. कुल निवल नकदी अंतःप्रवाह/Total Net Cash Outflows		22467		9190
15. तरलता कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio (%)		210.19%		404.77%

भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने पूर्व के मासिक आधार के सापेक्ष एलसीआर की गणना 1 जनवरी, 2017 से दैनिक आधार पर करना शुरू कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19 हेतु उपर्युक्त आंकड़े 226 दिनों को कवर करते हुए (गेर-कार्य दिवस को छोड़कर) दैनिक औसत दर्शाते हैं। In accordance with RBI guidelines, the Bank has started computing LCR on a daily basis from 1<sup>st</sup> Jan 2017 as against on a monthly basis earlier. For the current fiscal year i.e. 2018-19, the above figures represent a daily average covering 266 days (i.e. excluding non-working days).

### 36.2 एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानकों का उद्देश्य है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर अभारित उच्च कोटि की तरल आस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट तरलता की अत्यधिक कमी होने के स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस के समय में अपनी तरलता जरूरतों को पूरा करने हेतु नकदी में बदला जा सकता है। एलसीआर बैंकों को संभावित तरलता घटने पर अल्पकालिक बल प्रदान करता है क्योंकि यह सुनिश्चित कराता है कि बैंकों के पास तरलता के अत्यधिक दबाव की स्थिति का सामना करने हेतु 30 दिनों हेतु पर्याप्त एचक्यूएलए हो।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) =

उच्च कोटि की तरल आस्तियों का स्टॉक (एचक्यूएलए)

अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिःप्रवाह

एलसीआर अपेक्षाएं बैंकों के लिए 1 जनवरी 2015 से प्रभावी हैं। बैंकों को ट्रांजिशन अवधि प्रदान करने के लिए आरंभ में न्यूनतम अपेक्षा 60% थी जिसे धीरे धीरे प्रतिवर्ष 10% निम्नानुसार बढ़ाया जाना है

समय अवधि/Time Period	2015	2016	2017	2018	2019
न्यूनतम एलसीआर अपेक्षा <b>Minimum LCR Requirement</b>	60%	70%	80%	90%	100%

कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान एलसीआर अपेक्षा 90% थी और अब 1 जनवरी, 2019 से बढ़कर 100% हो गई है। बैंक ने वर्ष भर एलसीआर की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा का पालन किया था।

### 36.2 Qualitative disclosure around LCR:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard aims to ensure that the Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors. The LCR promotes short-term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient HQLAs to survive an acute stress scenario lasting for 30 days.

**Liquidity Coverage Ratio (LCR) =**

Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

Total net cash outflows over the next 30 calendar days

The LCR requirement has become effective for Banks from January 1, 2015. With a view to provide a transition time for Banks, the requirement was a minimum of 60% initially, with gradual increase of 10% every year, as specified below.

The LCR requirement was 90% during the calendar year 2018 and has now increased to 100% since 01<sup>st</sup> January 2019. The Bank was in compliance with the minimum regulatory requirement for LCR throughout the year.



### अंतरा अवधि परिवर्तन और समय के साथ हुए परिवर्तन:

बैंक का एलसीआर वित्त वर्ष 2018-19 : के दौरान अनिवार्य आवश्यकताओं से बेहतर रहा है।

### एलसीआर के मुख्य कारक:

एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत हमारे बैंक में एलसीआर परिणामों हेतु मुख्य कारक इस प्रकार हैं,

- अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अतिरिक्त बनाए रखे गए उच्च कोटि की तरल सरकारी प्रतिभूतियों का अनुकूल स्तर जिन्हें सहज तरलता प्राप्त करने हेतु सेकेंडरी बाजार में बेचा या रेपो किया जा सकता है;
- नकदी का समुचित स्तर और अतिरिक्त सीआरआर शेष;
- बैंक के पास उपलब्ध अधिशेष तरल निधियां एक दिवसीय/मीयादी मुद्रा बाजार में उधार दी जाती हैं।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी (एमएसएफ) के अंतर्गत भारिबैं से उपलब्ध अतिरिक्त तरलता सुविधा और तरलता कवरेज अनुपात हेतु तरलता प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर);
- खुदरा ग्राहकों से उच्च स्तर की खुदरा जमाशियाँ जिनका दबाव की परिस्थिति में घटने की कम संभावना होती है।

### एचक्यूएलए का संघटन

बैंक के एचक्यूएलए में बड़ा भाग स्तर 1 की आस्तियाँ हैं अर्थात् अत्यंत तरल स्वरूप की आस्तियाँ। इन आस्तियों में नकदी, अतिरिक्त सीआरआर शेष, अतिरिक्त एसएलआर निवेश, भारिबैं से उपलब्ध तरलता सुविधाएं जैसे एमएसएफ, एफएलएलसीआर आदि। स्तर 2 आस्तियों में कठोर छंटाई करने के बाद उच्च ऋण दर वाले कारपोरेट बांड और इक्विटी निवेश शामिल हैं।

### निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

बैंक की निधियों के स्रोत का विस्तार अनुकूल रूप से छोटी जमाशियों पर निर्भर है बजाय बड़ी मात्रा में थोक निधियों के। निधियन स्रोतों के संकेन्द्रण के रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष नहीं था। अतः किसी एक स्रोत का अनुचित संकेन्द्रण नहीं है।

### डेरिवेटिव एक्सपोजर, संभाव्य कोलेटरल कॉल्स और करेंसी मिसमैच

वर्ष के दौरान बैंक का डेरिवेटिव में नगण्य अनकवर्ड निवेश था। विदेशी मुद्रा में भी निवेश महत्वपूर्ण नहीं है और करेंसी अंतराल आंतरिक विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर है और इसे एलसीआर की गणना में लिया गया है। इसके कारण तरलता पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की संभावना न के बराबर है।

### तरलता प्रबंधन

बैंक की तरल आस्तियों का प्रभार ट्रेजरी देखती है और यह बैंक की निधियों की स्थिति का प्रबंध करती है। आस्ति देयता प्रबंधन कक्ष जो कारपोरेट स्तर पर बैंक की तरलता की स्थिति की प्रबंध करती है ट्रेजरी के सतत संपर्क में रहती है। शीर्ष क्षेत्र कार्याधिकारियों द्वारा तरलता स्थिति की दैनिक मॉनिटरिंग के अलावा पृथक बोर्ड स्तरीय और कार्यपालक स्तरीय समितियां विशिष्ट तरलता पैरामीटरों को मॉनिटर करती हैं और अधिकारियों को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

### Intra period changes as well as changes over time:

The LCR of the Bank has been well above the mandatory requirements throughout the year FY: 2018-19.

### Main drivers of LCR:

In our Bank, the main drivers for LCR results are,

- The comfortable level of high quality liquid Govt. Securities maintained over the mandatory SLR requirement, which can be sold or repo in the secondary market to avail easy liquidity;
- Reasonable level of cash and excess CRR balances;
- Surplus liquid funds available with the Bank, lent in the overnight / term money market.
- Liquidity facilities available from RBI under Marginal Standing Facility (MSF) and Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR); as also surplus funds lent in the overnight/term money market;
- Majority of deposits from retail customers which are expected to have low run-offs under stressed conditions.

### Composition of HQLA:

Major portion of the Bank's HQLAs constitute of Level 1 Assets viz. most liquid in nature. Such assets include- Cash, excess CRR balances, excess SLR investments, liquidity facilities available from RBI such as MSF, FALLCR, etc. Level 2 Assets constitute of high credit rated Corporate Bonds and Equity Investments after considering stringent haircuts.

### Concentration of Funding Sources:

Bank's source of funding are comfortably spread with major reliance on small deposits rather than large wholesale funds. There were no significant counterparties in terms of concentration of funding sources. Thus, there is no undue concentration in any one source.

### Derivative Exposures, Potential Collateral Calls and Currency Mismatch:

The Bank has negligible uncovered exposure to Derivatives during the year. Exposure to foreign currencies is also not significant and currency gaps are within its internal prudential limits and have been accounted for in the LCR computation. Any significant impact on liquidity on account of this is least expected.

### Liquidity Management:

The Treasury is in charge of the liquid assets of the Bank and manages the fund position of the Bank. The Assets Liability Management Cell, which monitors the liquidity position of the Bank at the corporate level, remains in constant touch with the Treasury. Apart from day-to-day monitoring of liquidity position by the top functionaries, separate Board level and top executive level committees monitor distinct liquidity parameters and provide strategic guidance to the functionaries.

### अन्य प्रासंगिक प्रमुख नकदी प्रवाह:

बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं और कॉरपोरेट के बॉण्डों में पर्याप्त निवेश है जिन्हें वित्तीय क्षेत्र में होने के कारण एलसीआर की गणना से बाहर रखा गया है। बैंक का विश्वास है कि दबाव की स्थिति में भी ये निवेश समुचित छंटाई के बाद भी तरलता के विश्वासनीय स्रोत का कार्य कर सकती है। सभी बर्हिप्रवाह जिसे बैंक पर्याप्त मानती है अथवा जिनका इसकी तरलता पर प्रभाव है की गणना एलसीआर के लिए की गई है।

### 37. वेतन संशोधन के कारण प्रावधान

कर्मचारियों के वेतन संशोधन (11वां द्विपक्षीय समझौता) के कारण, जो आईबीए के साथ विचाराधीन है और नवम्बर, 2017 से देय है, बैंक पर संभावित भार को पूरा करने के लिए बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹292.52 करोड़ का प्रावधान किया है।

### 38. अन्य नोट

**38.1** राष्ट्रीय और स्थानीय समाशोधन खाते (एनएसीएच सहित), नोस्ट्रो खाते वोस्ट्रो खाते, शाखा प्रणाली उचंत खाता सहित विभिन्न अंतर शाखा, अंतर बैंक खाते और एटीएम लेनदेन का समाधान एक सतत प्रक्रिया है और प्रक्रियाधीन है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों पर उपर्युक्त का प्रभाव, यदि कोई है, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।

**38.2 (i)** पिछले वर्षों और चालू वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। 31.03.2019 तक ₹3025.03 करोड़ (चालू वर्ष हेतु ₹428.24 करोड़ सहित) की राशि के उध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन अरक्षित कोष में जमा किया गया। पुनर्मूल्यांकित अंश पर वर्ष हेतु ₹14.49 करोड़ का मूल्यहास पुनर्मूल्यन अरक्षित खाते से "राजस्व तथा अन्य अरक्षित निधियां" [अनुसूची सं. 2 मद (iv)] में अंतरित किया गया है।

(ii) जहाँ भूखंड की लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर निर्धारित किया गया है।

(iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।

(iv) निम्नलिखित संपत्तियों की पंजीकरण की औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं।

ए. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली 2 आवासीय संपत्तियां खरीदी गईं जिनकी मूल लागत ₹0.86 करोड़ है।

बी. हैदराबाद में ₹1.61 करोड़ की लागत की संपत्ति, जहाँ यूएलसी से स्वीकृति लंबित है और चेन्नै में ₹2.32 करोड़ की संपत्ति जहाँ डीआरटी द्वारा अंतरिम स्टे प्रदान किया गया है।

सी. पारादीप, ओडीशा में 02.04.2013 से 24 आवासीय फ्लैटों वाले 17520 वर्गफीट क्षेत्र वाले आवासीय प्लॉट के पट्टे का नवीकरण का मामला पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के साथ उठाया गया है और यह उनके विचाराधीन है।

### Other Relevant Major Cash Flows:

Bank has sizeable investments in bonds of Public Sector Entities and Corporate which are excluded from LCR computation on account of being in the financial sector. The Bank believes that, even under stressed conditions, these investments can serve as a reliable source of liquidity, albeit with appropriate haircuts. All outflows that the Bank considers to be sizeable or bearing an impact on its liquidity are accounted for in the LCR computation.

### 37. Provision on account of Wage Revision:

To meet the probable load on the Bank on account of wage revision of employees (11<sup>th</sup> bipartite settlement) which is under discussion with IBA and due from November, 2017, the Bank has made an adhoc provision of ₹292.52 Crore during the current financial year.

### 38. Other Notes

**38.1** The reconciliation of various inter-branches, inter-bank accounts, National and Local Clearing accounts (including NACH), Nostro accounts, Vostro accounts, Branch System Suspense account and ATM transactions is an ongoing process and is under progress. The impact of the above, if any, on the financial results for the year ended 31st March, 2019, in the opinion of the management will not be significant.

**38.2 (i)** Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers in earlier years and current year. An upward revision amounting to ₹3025.03 Crore (including ₹428.24 Crore for current year) upto 31.03.2019 had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation of ₹41.49 Crore for the year on Revalued portion has been transferred from the Revaluation Reserve Account to "Revenue & Other Reserves" [Schedule No.2 item (iv)].

(ii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.

(iii) Premium on leasehold land is amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.

(iv) Registration formalities are yet to be completed for the following properties:

a. Two (2) residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneswar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of ₹0.86 Crore.

b. Property at Hyderabad costing ₹1.61 crore, where Clearance is pending before ULC authority and at Chennai costing ₹2.32 crore, where interim stay has been granted by DRAT.

c. Renewal of lease of residential plots of land measuring 17520 sq.ft area at Paradeep, Odisha having 24 residential flats w.e.f. 02.04.2013 has been taken up with Paradeep Port Trust (PPT) and is under their consideration.

(v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(v) Other Assets include intangible Assets, details of which are as under;

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
अथ शेष / Opening Balance	39.45	49.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	20.39	0.01
वर्ष के दौरान परिशोधित / Amortized during the year	9.59	9.78
इति शेष / Closing Balance	50.25	39.45

**38.3** (i) ₹0.44 करोड़ (विगत वर्ष ₹0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।

(ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश ₹2093.13 करोड़ (विगत वर्ष ₹2298.42 करोड़) रहा।

(iii) वर्ष के दौरान बैंक ने परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत कतिपय प्रतिभूतियां बेची और ₹16.24 करोड़(विगत वर्ष ₹22.66 करोड़) का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान निवल हानि के कारण 'पूँजी आरक्षित खाता-निवेश' में कोई विनियोजन नहीं किया गया।

(iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 4 (iv) (क) में उल्लिखित है, 'हेल्ड टू मैच्यूरिटी' श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर ₹84.85 करोड़ (विगत वर्ष ₹98.64 करोड़) की राशि अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ एवं हानि खाते के 'अर्जित ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

#### 38.4. आकस्मिक देयताएँ

तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथा उल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर हैं।

**38.5.** पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल) ₹14.28 करोड़ (विगत वर्ष ₹82.36 करोड़)।

**38.6.** "अन्य आस्तियां" अनुसूची 11 के अंतर्गत उल्लिखित अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती में ₹3240.55 करोड़ शामिल है (पिछला वर्ष ₹1691.76 करोड़) विवादित राशि विभिन्न करनिर्धारण वर्षों हेतु कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा समायोजित चुकता कर दी गई है। ₹3240.55 करोड़ (पिछला वर्ष ₹1691.76 करोड़) की विवादित आयकर मांगों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि बैंक की राय में, विशेषज्ञ की राय द्वारा विधिवत समर्थित और/अथवा इन मुद्दों पर बैंक की खुद की अपीलों पर किए गए जोड़/डिसएलाउंस धारणीय नहीं हैं।

**38.7** अनुपयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है

**38.3** (i) In respect of Investments of face value of ₹0.44 Crore (Previous year ₹0.44 Crore), the Bank is yet to receive scrips/certificates.

(ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds/venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹2093.13 Crore (Previous year ₹2298.42 Crore).

(iii) During the year, the Bank sold certain securities under Held to Maturity category and earned profit of ₹16.24 Crore (Previous Year ₹22.66 Crore). Due to net loss during the year, no appropriation has been made to 'Capital Reserve Account-Investment'.

(iv) In respect of 'Held to Maturity' category as stated in significant Accounting Policy No. 4(iv)(a), the excess of acquisition cost over the face value of the security amortized during the year amounting to ₹84.85 Crore (Previous year ₹98.64 Crore) has been netted-off from Income on Investment shown under the head "Interest Earned" of Profit and Loss Account in terms of the RBI guidelines.

#### 38.4. Contingent Liabilities:

Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively.

**38.5.** Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of advance) is ₹14.28 Crore (Previous Year ₹82.36 Crore).

**38.6.** Tax paid in advance/ Tax deducted at source appearing under "other assets" schedule-11, includes ₹3240.55 Crore (previous year ₹1691.76 crore) disputed amount adjusted by department/ paid by bank in respect of tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed income tax demands of ₹3240.55 crore (previous year ₹1691.76 Crore) as in bank's view, duly supported by expert opinion and/or decisions in bank's own appeals on same issues, additions/ disallowances made are not sustainable (shown in Contingent Liability).

**38.7.** Sector wise break-up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis

ताकि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।

- 38.8** बासेल-III पूंजी विनियम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च 2015 के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.2/21.06.201/2015-16 दिनांक 01 जुलाई 2015 के अनुसार बैंकों को पूंजी पर्याप्तता और तरलता मानक संशोधन संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार बासेल-III संरचना के अंतर्गत लेवरेज अनुपात और तरलता कवरेज अनुपात सहित प्रयोज्य पिलर 3 प्रकटन करना अपेक्षित है। ये प्रकटन बैंक की वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध कराया गया है (<https://www.allahabadbank.in>)
- 38.9** वित्तीय वर्ष 2018-19 तक तीन सौ बाईस (322) परिचालनगत धोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट मिली है जिसमें ₹70.54 करोड़ की रकम शामिल है। इन खातों में से बैंक ने वर्ष के दौरान ₹13.68 करोड़ की कुल राशि वसूली की है और वर्ष के दौरान ₹8.53 करोड़ की शेष राशि का आरक्षित प्रावधान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीसी.83/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 अप्रैल, 2015 और डीबीआर.सं.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसरण में 'अन्य आरक्षितियां' से नामे लिखी गई अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा वर्ष के अंत में ₹शून्य करोड़ है क्योंकि धोखाधड़ी हेतु प्रावधान को चार तिमाहियों की अवधि में परिशोधित किया जाना है।
- 38.10** वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा समूचे एटी 1 शाश्वत बॉण्डों (सारीज I से IV) के कुल ₹1500 करोड़ को 07.05.2018 को (मूलधन और देय ब्याज) विनियामक कॉल (बैंक को भारिबैं के पीसीए ढांचे के अंतर्गत रखा गया है) के प्रयोग के माध्यम से चुकता कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने कुल ₹500 करोड़ के अपने अपर टियर 2 सीरीज बॉण्डों और कुल ₹150 करोड़ के आईपीडीआई बॉण्ड सीरीज I में भी कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है और मूलधन तथा देय ब्याज क्रमशः 19.03.2019 और 30.03.2019 को चुकता कर दिया है।
- 30.11** बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी (16.10.2006 को अंतःस्थापित) के उपबंधों और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2014 के पत्र सं. एफ. सं.7/93/2013- बीओए के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के बैंक के अदत्त और अदावी लाभांश को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया गया है।
- 38.12** वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने ₹62.54 करोड़ की निवल बही मूल्य की वित्तीय आस्तियां ₹116.16 करोड़ के प्रतिफल पर आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को समनुदेशित की हैं। इन वित्तीय आस्तियों को बिक्री की तिथि को निवल बही मूल्य से उच्चतर मूल्य पर बेचा गया है, अतिरिक्त प्रावधान को लाभ हानि खाते में नहीं लिया गया है, सिवाय उसके जहां प्रतिफल नकद प्राप्त हुआ है।
- 38.13** दीवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल खातों के संबंध में पत्र सं. डीबीआर सं. बीपी:15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून, 2017 के तहत दिवाला प्रक्रिया- प्रावधानीकरण मानदंड शुरू करने हेतु भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2018 को ₹749.51 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया। 31.03.2019 को समाप्त चालू वित्तीय
- from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule-9 of the Balance Sheet.
- 38.8** In accordance with RBI circular DBOD.No.BP.BC.2/21.06.201/2015-16 dated 1<sup>st</sup> July, 2015, on 'Basel III capital Regulation' read together with RBI circular DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31,2015 on 'Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standard Amendments' requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel III Framework. These disclosures are being made available on Bank's website [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in).
- 38.9** Up to the financial year 2018-19, three hundred twenty two (322) number of operational fraud cases were reported involving a total amount of ₹70.54 crore. Out of these accounts, the Bank has recovered a total amount of ₹13.68 crore and reverse provision for balance amount of ₹8.53 crore during the year. The quantum of unamortized provision debited from 'Other Reserves' as at the end of year amounts to ₹ NIL crore in pursuance to RBI circulars DBR.No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15 dated April 1, 2015 and DBR.No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 as the provision for fraud can be amortized over a period of four quarters.
- 38.10** During the financial year 2018-19, the entire outstanding AT1 perpetual Bonds (Series I to IV) aggregating to ₹1500 crore were repaid by the Bank on 07.05.2018 (both principal and due interest) through exercise of Regulatory Call (the Bank placed under PCA framework of RBI). Further, the Bank also exercised Call Option on its Upper Tier 2 Series I Bonds aggregating to ₹500.00 crore and IPDI Bonds Series I aggregating to ₹150.00 crore and repaid both principal and due interest on 19.03.2019 and 30.03.2019 respectively.
- 38.11** In terms of the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970(Inserted on 16.10.2006) and in terms of directives issued by the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013-BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividends of the Bank for the FY 2010-11 have been transferred to Investors Education & Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.
- 38.12** During the FY 2018-19, Bank has assigned financial assets having a net book value of ₹62.54 crore to Assets Reconstruction Companies for a consideration of ₹116.16 crore. These financial assets sold for value higher than Net Book value on the date of sale, the excess provision has not been taken to Profit and Loss account except where consideration received in cash.
- 38.13** As per RBI directions for initiating Insolvency Process - Provisioning Norms vide letter no. DBR.No. BP:15199/21.04.048/2016-17 dated 23<sup>rd</sup> June, 2017 in respect of accounts covered under provisions of insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank made additional provision of ₹749.51 crores as at 31<sup>st</sup> March 2018. During

वर्ष के दौरान भारिबैं के उक्त दिशानिर्देशों के कारण कोई अतिरिक्त प्रावधान करना अपेक्षित नहीं था। तथापि, प्रतिभूति की अवधि बढ़ने और प्रतिभूति मूल्य में परिवर्तन के कारण ₹666.48 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था।

the current year ended 31.03.2019, no additional provisioning was required to be made on account of above RBI guidelines. However, an amount of ₹666.48 crore was additionally provided on account of ageing and variation in security value.

**38.14** दीवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल खातों के संबंध में पत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.बीसी.1841/21.04.048/2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 के तहत भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2018 को 656.14 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया। 31.03.2019 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारिबैं के उक्त दिशानिर्देशों के कारण कोई अतिरिक्त प्रावधान करना अपेक्षित नहीं था। तथापि, प्रतिभूति की अवधि बढ़ने और प्रतिभूति मूल्य में परिवर्तन के कारण ₹1003.27 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था।

**38.14** In terms of RBI directions vide letter No. DBR.No.BP.BC.1841/21.04.048/2017-18 dated 28th August, 2017 in respect of accounts covered under provisions of insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank made additional provision of ₹656.14 crore as at 31st March 2018. During the current year ended 31.03.2019, no additional provisioning was required to be made on account of above RBI guidelines. However, an amount of ₹1003.27 crore was additionally provided on account of ageing and variation in security value.

**38.15** भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास की पुनः गणना की है और ₹12.30 करोड़ का प्रतिलिखित प्रावधान किया है।

**38.15** Pursuant to RBI guidelines the Bank has recalculated the diminution in the fair value of restructured advances and has written back provision of ₹12.30 crore during the year 2018-19.

**38.16** भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के अनुबंध III में दर्शाए गए खातों, जिनमें कार्यनिष्पादन मुद्दों अथवा कतिपय शर्तों का अनुपालन न करने के कारण पुनर्गठन विफल हो गया था और भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन खातों में आवश्यक प्रावधान किया गया था, की 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति समीक्षा की गई और अब इन्हें वर्गीकृत किया जा रहा है और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

**38.16** In compliance with RBI directives, accounts shown under Annex III of Asset Quality Review (AQR) wherein restructuring was failed due to performance issues or non fulfillment of certain conditions and necessary provisions was held in those accounts in terms of RBI directives, have been reviewed as on 31st March 2019 and has now being classified and provision has been made as per the IRAC norms.

**38.17** भारिबैं परिपत्र एफआईडीडी.सीओ.योजना.बीसी.23/04.09.01/15-16 दिनांक 7 अप्रैल 2016 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ने कुल ₹11705 करोड़ (विगत वर्ष ₹10283 करोड़) का पीएसएलसी बेचा है जिसमें से पीसीएलसी सामान्य, ₹5800 करोड़ (विगत वर्ष ₹5255 करोड़) पीएसएलसी माइक्रो, ₹1950 करोड़ (विगत वर्ष ₹1080 करोड़) पीएसएलसी एसएफ/एमएफ ₹3955 करोड़ (विगत वर्ष ₹3948 करोड़) है और पीएसएलसी कृषि ₹2555 (विगत वर्ष ₹4048 करोड़) ₹56.372 करोड़ की आय (विगत वर्ष ₹81.91 करोड़) के प्रतिफल पर खरीदा है।

**38.17** In terms of RBI circular FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09..01/2015-16 dated April 7, 2016 Bank has sold total PSLC to the tune of ₹11705 crore (₹10283 crore in previous year) out of which PSLC General to the tune of ₹5800 crore (₹5255 crore in previous year), PSLC Micro to the tune of ₹1950 crore (₹1080 crore in previous year), PSLC SF/MF to the tune of ₹3955 crore (₹3948 crore in previous year) and purchased PSLC Agril to the tune of ₹2555 crore (₹4048 crore in previous year) for a consideration of income of ₹56.372 crore (₹81.91 crore in previous year) for the year ended March 31, 2019.

**38.18** वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने ₹16.17 करोड़ के आबंटन के सापेक्ष सीएसआर पर ₹9.23 करोड़ खर्च किए हैं। किए गए विभिन्न कार्यक्रमलाप और उन पर व्यय की गई राशि निम्नानुसार प्रस्तुत है:

**38.18** During the year 2018-19, Bank has spent ₹9.23 crore on CSR as against allocation of ₹16.17 crore. The various activities undertaken and expenditure incurred there on has been furnished as under:-

- कन्या शिशु के कल्याण पर (स्कूलिंग हेतु कन्या शिशु को प्रदत्त वजीफा): ₹0.44 करोड़
- 21 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) और 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) और सीएफएल को वित्तीय सहायता: ₹8.72 करोड़
- अन्य ₹0.07 करोड़

- Welfare of the Girl Child (Stipend extended to girl child for schooling): ₹0.44 crore.
- Financial Assistance to 21 Rural Self Employment Training Institute (RSETIs) and 19 Financial Literacy Centre (FLCs) & CFL : ₹8.72 crore.
- Others ₹0.07 crore.

**38.19** भारिबैं के परिप सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी.108/21.04.048/2017-18 दिनांक 6 जून, 2018 के तहत बैंकों को एमएसएमई उधारकर्ताओं को किए गए एक्सपोजर को मानक आस्तियों के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई है जहां 1 सितम्बर, 2017 और 31 दिसम्बर, 2018 के बीच बकाया का भुगतान संबंधित मूल बकाया तिथियों से 180 दिनों से अनधिक अवधि में

**38.19** RBI vide circular No. DBR No. BP. BC. 108/21.04.048/2017-18 dated June 6, 2018 permitted banks to continue the exposures to MSME borrowers to be classified as standard assets where the dues between September 1, 2017 and December 31, 2018 are paid not later than 180 days from their respective original due dates.

कर दिया गया है। तदनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति ₹250.16 करोड़ का अग्रिम मानक आस्तियों के रूप में रखा है। परिपत्र के उपबंधों के अनुसार बैंक ने ₹7.62 करोड़ की ब्याज आय को अभिज्ञात नहीं किया है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति ₹12.13 करोड़ का मानक आस्ति प्रावधान कर रहा है।

39. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने हेतु पुनः समूहित अथवा पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

Accordingly, Bank has retained advances of ₹250.16 crore as standard asset as on March 31, 2019. In accordance with the provisions of the circular, the Bank has not recognized interest income of ₹7.62 crore and is maintaining a standard asset provision of ₹12.13 crore as on March 31, 2019 in respect of such borrowers.

39. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary to make them comparable with that figures of the current year.

(सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव)  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
(CH S. S. Mallikarjuna Rao)  
Managing Director & CEO

(बी.के. साहू)  
निदेशक  
(B.K.Sahoo)  
Director

(के. रामचंद्रन)  
कार्यपालक निदेशक  
(K. Ramachandran)  
Executive Director

(पी.आर. राजगोपाल)  
कार्यपालक निदेशक  
(P. R. Rajagopal)  
Executive Director

(एस. अग्रवाल)  
महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ  
(S. Aggarwal)  
General Manager (F & A)  
and CFO

(बी.के. साहू)  
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)  
(B. K. Sahoo)  
Asst General Manager  
(F & A)

(राम स्वरूप साकार)  
सहायक महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा)  
(Ram Swarup Sarkar)  
Asst General Manager  
(F & A)

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली  
For M/s Nandy Halder & Ganguli  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E

(सीए राणा प्रताप नंदी)  
(CA Rana Pratap Nandy)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. पी.एल. टंडन एंड कं.  
For M/s P L Tandon & Co.  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000186C

(सीए अनिल कुमार अग्रवाल)  
(CA Anil Kumar Aggarwal)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.071548

कृते मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स  
For M/s R. Gopal & Associates  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000846C

(सीए गोपाल दास अग्रवाल)  
(CA Gopal Das Agarwala)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051609

कृते मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स  
For M/s JBMT & Associates  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 320232E

(सीए बासुदेव ओझा)  
(CA Basudev Ojha)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.055193

कृते मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं.  
For M/s Prakash S. Jain & Co.  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 002423C

(सीए गौरव थपाडिया)  
(CA Gaurav Thepadia)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.405326

Place : Kolkata  
Date: 10.05.2019

**इ ला हा बा द बैं क**  
**ALLAHABAD BANK**

**नकदी प्रवाह विवरण**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

**Cash Flow Statement**

For the year ended 31<sup>st</sup> March, 2019

(₹ '000 omitted)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 2018-19		वित्तीय वर्ष/FY 2017-18	
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह A. Cash flow from operating activities		(158,061,852)		(25,660,796)
बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह B. Cash flow from investing activities		(1,160,406)		(833,440)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह C. Cash flow from financing activities		87,739,435		20,131,100
<b>नकदी एवं नकदी तुल्य में निवल परिवर्तन</b> <b>Net Change in cash and cash equivalents</b>		<b>(71,482,823)</b>		<b>(6,363,136)</b>
डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य D. Cash and cash equivalents at the beginning of the year		213,817,981		220,181,117
ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य E. Cash and cash equivalents at the end of the year (ए + बी + सी + डी) (A+B+C+D)		<u>142,335,158</u>		<u>213,817,981</u>
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह A. Cash flow from operating activities				
कर पूर्व निवल लाभ / Net Profit before Taxes	(91,308,905)		(65,910,211)	
समायोजन:/ Adujstment for:				
अवक्षय / Depreciation	1,381,095		1,431,018	
अचल आस्तियों (निवल) के विक्रय से (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (Net)	45		64	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण अल्पकालिक सहित हेतु प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts including floating	117,611,338		103,264,496	
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision for Standard Assets	(1,373,763)		(6,343,881)	
विनिधानों पर अवक्षय / Depreciation on Investments	4,657,765		7,432,688	
अन्य प्रावधान(निवल) / Other Provisions (Net)	(1,916,299)		(4,059,852)	
आईपीडीआई एवं गौण बॉण्ड्स पर ब्याज Interest on IPDI & Subordinate Bonds	4,160,565		5,021,138	
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>33,211,841</b>		<b>40,835,460</b>	
घटाएं: प्रत्यक्ष संदत्त कर / Less: Direct Taxes Paid	शून्य/NIL	<b>33,211,841</b>	(3,750,000)	<b>37,085,460</b>
<b>परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन</b> <b>Changes in Operating Assets &amp; Liabilities</b>				
जमा में वृद्धि/(कमी) / Increase/ (Decrease) in Deposits		7,302,397		117,336,120
उधार में वृद्धि/(कमी) / Increase/ (Decrease) in Borrowings		(63,615,746)		60,301,909
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी/(Increase)/Decrease in Investments		(123,096,653)		(132,638,620)
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/ Decrease in Advances		(19,002,526)		(115,276,546)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) Increase/ (Decrease) in Other Liabilities		13,411,195		28,588,255
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Assets		(6,272,360)		(21,057,374)
<b>परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी</b> <b>Net cash used in operating activities</b>		<u><b>(158,061,852)</b></u>		<u><b>(25,660,796)</b></u>

नकदी प्रवाह विवरण (जारी...) / Cash Flow Statement (Contd....)

(₹ '000 omitted)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 2018-19		वित्तीय वर्ष/FY 2017-18	
<b>बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b> <b>B. Cash flow from investing activities</b> अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/ Decrease in Fixed Assets		(1,160,406)		(833,440)
<b>विनिधान गतिविधियों से निवल नकदी</b> <b>Net cash used in investing activities</b>		<b>(1,160,406)</b>		<b>(833,440)</b>
<b>सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b> <b>C. Cash flow from financing activities</b> वर्ष के दौरान संदत्त लाभांश Dividend paid during the year लाभांश पर संदत्त कर / Tax Paid on dividend गौण बॉण्ड्स पर ब्याज Interest on Subordinate bonds अतिरिक्त टीयर 1 बॉण्ड्स का निर्गम Issue of Additional Tier 1 Bonds अतिरिक्त टीयर 1 ऋण (बॉण्ड्स) का प्रतिदान Redemption of Additional Tier 1 Bonds गौण ऋण (बॉण्ड्स) का प्रतिदान Redemption of Subordinated Debt (Bonds) गौण आईपीडीआई (बॉण्ड्स) का प्रतिदान Redemption of Subordinated IPDI (Bonds) शेयर पूंजी / Share Capital शेयर प्रीमियम / Share Premium शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन Fund infused by GOI for allotment of Capital		शून्य/NIL शून्य/NIL (4,160,565) शून्य/NIL (15,000,000) (9,000,000) (1,500,000) 10,420,581 38,019,419 <u>68,960,000</u>		शून्य/NIL शून्य/NIL (5,021,138) 12,000,000 शून्य/NIL (5,000,000) शून्य/NIL 438,298 2,713,940 <u>15,000,000</u>
<b>वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी</b> <b>Net cash from financing activities</b>		<b>87,739,435</b>		<b>20,131,100</b>
<b>डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य</b> <b>D. Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b> रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित) Cash in hand (including foreign currency notes & gold) भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice		5,787,987 86,720,768 <u>121,309,226</u>		5,448,126 80,037,802 <u>134,695,189</u>
		<b>213,817,981</b>		<b>220,181,117</b>
<b>ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य</b> <b>E. Cash and cash equivalents at the end of the year</b> रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित) Cash in hand (including foreign currency notes & gold) भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice		5,450,929 91,272,287 <u>45,611,942</u>		5,787,987 86,720,768 <u>121,309,226</u>
		<b>142,335,158</b>		<b>213,817,981</b>

टिप्पणी :/Notes:

- नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत तैयार किया गया है। Cash Flow statement has been prepared under the Indirect Method in accordance with the Accounting Standard- 3, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- नकदी एवं नकदी समतुल्य नकदी और बैंक में जमाशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। Cash and Cash equivalent represent Cash and Bank Balances.
- विगत वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं अपेक्षित हो, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं। Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.



## लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में

इलाहाबाद बैंक के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

- हमने इलाहाबाद बैंक ('बैंक') के स्टैंड एलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2019 को यथास्थिति तुलनपत्र, उस वर्ष को समाप्त अवधि हेतु लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट अन्य व्याख्यात्मक सूचना समाविष्ट है जिसमें उस तिथि को हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं और सांविधिक लेखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1893 शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। इसमें 1444 शाखाओं/कार्यालयों के तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं थे। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में बैंक के अग्रिमों का 8.38 प्रतिशत, जमाराशि का 24.50 प्रतिशत, ब्याज आय का 11.15 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 26.53 प्रतिशत शामिल है।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 द्वारा अपेक्षित बैंक के लिए अपेक्षित रूप में तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखानीतियों के अनुरूप अपेक्षित सूचना देता है और
  - 31 मार्च 2019 को यथास्थिति तुलनपत्र, बैंक के मामलों की सही और उचित स्थिति प्रकट करता।
  - उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ हानि लेखा के मामले में हानि का सही शेष दर्शाता है।
  - उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण के मामले में सही और उचित स्थिति दर्शाता है।

### अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एएस) के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का अतिरिक्त विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार साथ ही वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार भी, बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों एवं नैतिक आचार संहिता को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित हैं।

### मुख्य लेखापरीक्षा विषय

- मुख्य लेखापरीक्षा विषय, वे विषय हैं जो चालू अवधि हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में, हमारे व्यावसायिक निर्णय में, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये विषय समग्रतः समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में निपटाए जाते हैं और उन पर हमारा अभिमत तैयार करते हैं और हम इन विषयों पर अलग से अभिमत नहीं देते।

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Allahabad Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- We have audited the standalone financial statements of Allahabad Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2019, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches audited by us and 1893 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 1444 branches/offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.38 percent of advances, 24.50 per cent of deposits, 11.15 per cent of interest income and 26.53 per cent of interest expenses.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:
  - true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;
  - true balance of loss in case of Profit and Loss account for the year ended on that date; and
  - true and fair view in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

### Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### Key Audit Matters

- Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

क्रम सं. Sl. No.	मुख्य लेखापरीक्षा विषय Key Audit Matters	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया Auditor's Response
1	<p><b>आईटी प्रणाली का मूल्यांकन</b></p> <p>आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान हेतु बैंक की प्रणाली आधारित व्यवस्था है।</p> <p><b>Evaluations of IT systems</b></p> <p>The Bank has system based identification of non performing assets in accordance with IRAC Norms.</p>	<p><b>प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधि</b></p> <p>हमने प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हम संस्तुति करते हैं कि क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रणाली को और दुरुस्त किया जाए।</p> <p><b>Principal Audit Procedures</b></p> <p>We have assessed the efficacy of the system and we recommend that the system to be calibrated further to enhance the vigorousness.</p>
2	<p><b>अनिश्चित कर स्थिति का मूल्यांकन</b></p> <p>विवादास्पद मामलों सहित बैंक में अनिश्चित कर की स्थिति महत्वपूर्ण है जिसमें विवादों के संभावित परिणाम निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय आवश्यक हैं।</p> <p>स्टैंड एलोन वित्तीय विवरण के नोट सं. 41.6 का संदर्भ लें</p> <p><b>Evaluation of uncertain tax positions</b></p> <p>The bank has material uncertain tax positions including matters under dispute which involves significant judgement to determine the possible outcome of the disputes.</p> <p>Refer Note No. 41.6 to standalone financial statement .</p>	<p><b>प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधि</b></p> <p>पूरे किए गए कर निर्धारणों का विवरण प्राप्त करें, कर निर्धारण पूरा करने हेतु मांग करें और आदेश हेतु अपील करें। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों में प्रबंधन स्थिति के मूल्यांकन में विविध पूर्ववर्तिता और निर्णयों पर विचार किया है।</p> <p><b>Principal Audit Procedures</b></p> <p>Obtained details of completed tax assessments, demands and appeal orders for assessment completed. We considered legal precedence and rulings in evaluating management position on these uncertain tax positions.</p>
3	<p><b>अग्रिम का प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में वर्गीकरण</b></p> <p>बैंक ने लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान उधार खातों को प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में अत्यधिक पुनर्वर्गीकरण और गैरवर्गीकरण किया है</p> <p><b>Classification of Advance into Priority &amp; Non Priority Sector</b></p> <p>Bank has made numerous reclassification and declassifications of borrowers accounts between priority &amp; non -priority sectors during the year under audit.</p>	<p><b>प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधि</b></p> <p>हमने शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा जारी परिवर्तन ज्ञापन से पाया है और निष्कर्षों को मान्य ठहराने के लिए परीक्षण जांच की है तथा पर्याप्त प्रक्रियाविधियां अपनाई है।</p> <p>हमारी राय में भविष्य में इस प्रकार के गलत वर्गीकरण से बचने हेतु बैंक को अपनी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए।</p> <p><b>Principal Audit Procedures</b></p> <p>We have observed from Memorandum of Changes issued by Branch Auditors and have further performed test checks &amp; substantive procedures to validate the findings.</p> <p>We are of the opinion that Bank should further strengthen their system to avoid such type of misclassification in future.</p>

**प्रबंधन तथा समेकित वित्तीय विवरणों के गवर्नेंस के प्रभारी का उत्तरदायित्व**

5. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के उपबंधों और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करे। इस उत्तरदायित्व में आस्तियों की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनके बचाव करने हेतु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव करने, समुचित लेखनीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन करने, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तैयार करने, उसे कार्यान्वित करने और उसे बनाए रखने जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु परिचालित

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements**

5. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating

किए गए थे, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु प्रासंगिक हों जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हों और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हो, शामिल है। वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन का यह दायित्व होगा कि वे बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों में यथाप्रयोज्य, प्रकटन करें लेखा का कार्यशील संस्था आधार पर प्रयोग करें जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

#### समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का दायित्व

6. हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्रतः वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या चूक के कारण हो और अपनी राय सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी अथवा चूक का कारण हो सकता है और इसे महत्वपूर्ण तब समझा जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सकल रूप से, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करना समुचित रूप से अपेक्षित हो सके।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेहवाद को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटिवश, के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, इन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार और निष्पादित करना, और हमारी राय के आधार हेतु पर्याप्त और समुचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगने का जोखिम त्रुटिवश हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से अधिक होता है क्योंकि, धोखाधड़ी में साठ-गांठ, जालसाजी, इरातदन चूक, मिथ्या निरूपण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- प्रयुक्त लेखनीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलन और संबंधित प्रकटन की समुचितता का मूल्यांकन।
- लेखा के गतिशील संस्था के आधार पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के प्रयोग समुचितता का निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो गतिशील संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डालती है। यदि हम सह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है तो हमसे अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों में प्रकटन के संबंध में हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करें अथवा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां बैंक को गतिशील संस्था बने रहने से रोकने का कारण बन सकती हैं
- प्रकटन सहित, समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन और क्या समेकित वित्तीय विवरण मूल लेनदेनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार के हैं जिससे उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त होते हैं।

effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

#### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

हम गवर्नेस के प्रभारियों को, अन्य मामलों के संबंध में नियोजित संभावना और लेखापरीक्षा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण विसंगति सहित, जिसे हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा के संबंध में हमने पहचाना हो, सूचित करते हैं।

हम गवर्नेस के प्रभारी को स्वतंत्रता के संबंध में अपेक्षित प्रासंगिक नैतिकता के साथ हमारे द्वारा तैयार विवरण भी उपलब्ध कराते हैं और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो समुचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को वहन करता हो और जहां प्रयोज्य हो, संबंधित सुरक्षोपाय भी बताते हैं।

#### अन्य मामले

7. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों/सूचना में शामिल 1893 शाखाओं/कार्यालयों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति ₹108710.22 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु ₹6272.31 करोड़ का कुल राजस्व, जिस पर एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय, जहां तक संबंधित शाखाओं के संबंध में राशि और प्रकटन से संबंधित है, पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय के कोई संशोधन नहीं है।

#### मामले पर बल

8. हम 31.03.2018 तक सृजित ₹2156.00 करोड़ के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान संबंधी आस्थगित कर आस्तियों और ₹1118.19 करोड़ की आगे ले जाई गई हानि के संबंध में अनुसूची 18-वित्तीय लेखाओं पर नोट के पैरा 21 की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

9. तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

10. उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 7 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के आधार पर एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें प्रकट सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

(बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं।

(सी) बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

#### 11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमारी राय में, अब तक विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित खाता-बहियां बैंक द्वारा रखी गई हैं जो इन बहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है [और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

#### Other Matter

7. We did not audit the financial statements / information of 1893 branches/ offices included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹108710.22 crore as at 31<sup>st</sup> March 2019 and total revenue of ₹6272.31 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

#### Emphasis on matter

8. We draw attention to para no. 21 of Schedule 18- Notes to financial accounts regarding Deferred Tax Assets on provision for bad and doubtful debts ₹2156.00 crores and carried forward loss ₹1118.19 crores created upto 31.03.2018.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

#### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

#### 11. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books [and proper returns

समुचित विवरणियां शाखाओं से प्राप्त की गई हैं जिनका दौरा हमने नहीं किया है]

- ख) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण बहीखाते के अनुसार है [और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसार है जिनका दौरा हमने नहीं किया है]
- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इस पर समुचित ध्यान दिया गया है; और
- घ) हमारी राय में लेखापरीक्षा हेतु तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण उस सीमा तक प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप है, जहां तक वे भारिबे द्वारा निधारित लेखा नीतियों से असंगत नहीं हैं।

adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us]

- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account [and with the returns received from the branches not visited by us]
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

**सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors**

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली  
For M/s Nandy Halder & Ganguli  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E  
(सीए राणा प्रताप नंदी)  
(CA Rana Pratap Nandy)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. पी.एल. टंडन एंड कं.  
For M/s P L Tandon & Co.  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000186C  
(सीए अनिल कुमार अग्रवाल)  
(CA Anil Kumar Aggarwal)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.071548

कृते मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स  
For M/s R. Gopal & Associates  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000846C  
(सीए गोपाल दास अग्रवाल)  
(CA Gopal Das Agarwala)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051609

कृते मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स  
For M/s JBMT & Associates  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 320232E  
(सीए बासुदेव ओझा)  
(CA Basudev Ojha)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.055193

कृते मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं.  
For M/s Prakash S. Jain & Co.  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 002423C  
(सीए गौरव थपाडिया)  
(CA Gaurav Thepadia)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.405326

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata  
दिनांक / Date: 10.05.2019

**इ ला हा बा द बैंक**  
**ALLAHABAD BANK**

**31 मार्च, 2019 को यथास्थिति समेकित तुलन-पत्र**  
**Consolidated Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2019**

(₹ करोड़ में) (₹ In Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	यथास्थिति AS ON 31.03.2019	यथास्थिति AS ON 31.03.2018
<b>पूंजी और देयताएं / CAPITAL &amp; LIABILITIES</b>			
पूंजी/Capital	1	2096.84	844.04
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष/Reserves & Surplus	2	7298.86	9812.22
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन / Share Application Money Pending Allotment		6896.00	1500.00
जमाराशियां/Deposits	3	214330.08	213595.39
उधार/Borrowings	4	12495.68	21412.42
अन्य देयताएं और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	6459.20	6553.62
<b>कुल /Total</b>		<b>249576.66</b>	<b>253717.69</b>
<b>आस्तियां / ASSETS</b>			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष / Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	9672.46	9251.01
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	4577.49	12168.04
विनिधान/Investments	8	80237.69	68502.31
ऋण एवं अग्रिम /Loans & Advances	9	142212.17	152060.74
अचल आस्तियां /Fixed Assets	10	3552.32	3147.62
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	9324.53	8587.96
<b>कुल /Total</b>		<b>249576.66</b>	<b>253717.69</b>
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	176661.32	212168.59
समाहरण के लिए बिल / Bills for Collection		9452.05	12877.05
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां /Significant Accounting Policies	18		
लेखा टिप्पणी /Notes on Accounts	19		
ऊपर संदर्भित अनुसूचियां लेखे का अभिन्न अंग है/ The schedules referred to above form an integral part of the Accounts			

**सी.एच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव**  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
**CH. S. S. Mallikarjuna Rao**  
Managing Director & CEO

श्री के. रामचंद्रन  
कार्यपालक निदेशक  
**K. Ramachandran**  
Executive Director

श्री पी. आर. राजगोपाल  
कार्यपालक निदेशक  
**P. R. Rajagopal**  
Executive Director

एस. अग्रवाल  
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ)  
**S. Aggarwal**  
General Manager  
(Finance & Accounts and CFO)

बी. के. साहू  
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)  
**B. K. Sahoo**  
Asstt General Manager(F&A)

राम स्वरूप सरकार  
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)  
**Ram Swarup Sarkar**  
Asstt General Manager(F&A)

**निदेशक / Directors:**

श्री राजीव रंजन/Shri Rajeev Ranjan  
श्री विवेक दीप /Shri Vivek Deep  
श्री सारथ सूरा/Shri Sarath Sura  
डॉ. बिजय कुमार साहू/Dr. Bijaya Kumar Sahoo  
डॉ. पार्थप्रतिम पाल/Dr. Parthapratim Pal  
प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma

**कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली**  
**For M/s Nandy Halder & Ganguli**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E  
(सीए राणा प्रताप नंदी)  
(CA Rana Pratap Nandy)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051027

**कृते मे. पी.एल. टंडन एंड कं.**  
**For M/s P L Tandon & Co.**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000186C  
(सीए अनिल कुमार अग्रवाल)  
(CA Anil Kumar Aggarwal)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.071548

**कृते मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स**  
**For M/s R. Gopal & Associates**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000846C  
(सीए गोपाल दास अग्रवाल)  
(CA Gopal Das Agarwala)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051609

**कृते मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स**  
**For M/s JBMT & Associates**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 320232E  
(सीए बासुदेव ओझा)  
(CA Basudev Ojha)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.055193

**कृते मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं.**  
**For M/s Prakash S. Jain & Co.**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 002423C  
(सीए गौरव थपाडिया)  
(CA Gaurav Thepadia)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.405326

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata  
दिनांक / Date: 10.05.2019

**इ ला हा बा द बैंक**  
**ALLAHABAD BANK**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि लेखा  
Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2019

(₹ करोड़ में) (₹ In Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	वर्ष समाप्ति/Year Ended 31.03.2019	वर्ष समाप्ति/Year Ended 31.03.2018
<b>I. आय / Income</b>			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	16915.78	16398.44
अन्य आय / Other income	14	2053.71	3075.17
<b>कुल /Total</b>		<b>18969.49</b>	<b>19473.60</b>
<b>II. व्यय / EXPENDITURE</b>			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	11354.28	11626.74
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	4786.17	4281.47
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		11123.31	8153.50
<b>कुल /Total</b>		<b>27263.76</b>	<b>24061.72</b>
एसोसिएट्स से आय/हानि का अंश Share of earnings/loss in Associates	17	(163.10)	13.90
अल्पसंख्यक ब्याज घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		(8457.37)	(4574.21)
घटाएं : अल्पसंख्यक ब्याज समूह से संबद्ध वर्ष हेतु समेकित लाभ/(हानि) / Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		(8457.37)	(4574.21)
जोड़ें: समूह से संबद्ध समेकित लाभ/(हानि) अग्रानीत Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		(5016.81)	(439.13)
<b>कुल /Total</b>		<b>(13474.18)</b>	<b>(5013.34)</b>
<b>III. विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		शून्य/NIL	3.48
अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Other Reserves		शून्य/NIL	शून्य/NIL
अंतरिम / प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) Interim / Proposed Dividend (Including Tax on Dividend)		शून्य/NIL	शून्य/NIL
समेकित तुलन पत्र में अग्रणीत शेष Balance carried over to consolidated Balance Sheet		(13474.18)	(5016.81)
<b>कुल /Total</b>		<b>(13474.18)</b>	<b>(5013.34)</b>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies	18		
लेखा टिप्पणियां/Notes on Accounts	19		
प्रति शेयर अर्जन (बेसिक व डाइल्यूटेड) / Earnings per share (Basic and Diluted)		(66.30)	(58.35)

**सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव**  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
**CH. S. S. Mallikarjuna Rao**  
Managing Director & CEO

श्री के. रामचंद्रन  
कार्यपालक निदेशक  
**K. Ramachandran**  
Executive Director

श्री पी. आर. राजगोपाल  
कार्यपालक निदेशक  
**P. R. Rajagopal**  
Executive Director

एस. अग्रवाल  
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ)  
**S. Aggarwal**  
General Manager  
(Finance & Accounts and CFO)

बी. के. साहू  
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)  
**B. K. Sahoo**  
Asstt General Manager(F&A)

राम स्वरूप सरकार  
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)  
**Ram Swarup Sarkar**  
Asstt General Manager(F&A)

**निदेशक / Directors:**

श्री राजीव रंजन/Shri Rajeev Ranjan  
श्री विवेक दीप /Shri Vivek Deep  
श्री सारथ सुरा/Shri Sarath Sura  
डॉ. बिजय कुमार साहू/Dr. Bijaya Kumar Sahoo  
डॉ. पार्थप्रतिम पाल/Dr. Parthapratim Pal  
प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली  
**For M/s Nandy Halder & Ganguli**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E  
(सीए राणा प्रताप नंदी)  
(CA Rana Pratap Nandy)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. पी.एल. टंडन एंड कं.  
**For M/s P L Tandon & Co.**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000186C  
(सीए अनिल कुमार अग्रवाल)  
(CA Anil Kumar Aggarwal)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.071548

कृते मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स  
**For M/s R. Gopal & Associates**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000846C  
(सीए गोपाल दास अग्रवाल)  
(CA Gopal Das Agarwala)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051609

कृते मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स  
**For M/s JBMT & Associates**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 320232E  
(सीए बासुदेव ओझा)  
(CA Basudev Ojha)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.055193

कृते मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं.  
**For M/s Prakash S. Jain & Co.**  
सनदी लेखाकार  
**Chartered Accountants**  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 002423C  
(सीए गौरव थपाडिया)  
(CA Gaurav Thepadia)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.405326

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata  
दिनांक / Date: 10.05.2019

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2019 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
<b>अनुसूची 1 - पूँजी</b>		
<b>SCHEDULE 1 - CAPITAL</b>		
प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000.00	3000.00
निर्गमित पूँजी (209,68,35,805 शेयर, प्रत्येक ₹10)/ Issued Capital (209,68,35,805 Shares of ₹10.each)	2096.84	844.04
अभिदत्त पूँजी (209,68,35,805 शेयर, प्रत्येक ₹10)/ Subscribed Capital (209,68,35,805 Shares of Rs.10.each)	2096.84	844.04
मांगी गई पूँजी (209,68,35,805 शेयर, प्रत्येक ₹10) Called-up Capital (209,68,35,805 Shares of ₹10 each)	2096.84	844.04
घटाएँ: अदत्त मांगें / Less: Calls unpaid	शून्य/NIL	शून्य/NIL
जोड़ें: जब्त शेयर / Add: Forfeited shares	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल / Total</b>	<b>2096.84</b>	<b>844.04</b>
<b>अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष</b>		
<b>SCHEDULE 2 - RESERVES &amp; SURPLUS</b>		
<b>विवरण / Particulars</b>		
सांविधिक प्रारक्षितियां / Statutory Reserves	3226.14	3226.53
पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves	3367.62	2980.86
समेकन पर पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves on Consolidation	86.32	86.32
शेयर प्रीमियम / Share Premium	9188.14	4096.93
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां / Revenue and other Reserves	4904.82	4438.40
लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit and Loss Account	(13474.18)	(5016.81)
<b>कुल / Total</b>	<b>7298.86</b>	<b>9812.22</b>
<b>अनुसूची 3 - जमाराशियां</b>		
<b>SCHEDULE 3 - DEPOSITS</b>		
<b>विवरण / Particulars</b>		
ए/А. I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
(i) बैंक से / From banks	15.12	20.14
(ii) अन्य से / From others	11967.35	10373.90
II. बचत बैंक जमा / Savings Bank Deposits	94083.75	88016.84
III. मीयादी जमा / Term Deposits		
(i) बैंक से / From banks	11.49	1950.31
(ii) अन्य से / From others	108252.37	113234.20
<b>कुल / Total (I, II, III)</b>	<b>214330.08</b>	<b>213595.39</b>
बी/B. (i) भारत से स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches in India	214297.39	210833.26
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches outside India	32.69	2762.13
<b>कुल / Total (I and II)</b>	<b>214330.08</b>	<b>213595.39</b>



अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2019 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

#### अनुसूची 4 - उधार

#### SCHEDULE 4 - BORROWINGS

##### विवरण/Particulars

I. भारत में उधार / Borrowings in India		
(I) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	5150.00	7954.36
(ii) अन्य बैंक / Other banks	6.74	11.90
(iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण / Other institutions and agencies	626.96	501.66
(iv) गौण नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत/ Subordinated Innovative Perpetual Debt Instrument	150.00	300.00
(v) गौण ऋण-अपर टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Upper Tier II Capital	500.00	1000.00
(vi) गौण ऋण- टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital	450.00	850.00
(vii) गौण ऋण- बासेल III टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital Basel 3	2500.00	2500.00
(viii) गौण बेमीयादी ऋण : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी / Subordinated Perpetual Debt : Additional Tier I Capital	शून्य/NIL	1500.00
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	3111.98	6794.50
<b>कुल (I एवं II) / Total (I and II)</b>	<b>12495.68</b>	<b>21412.42</b>
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I and II above	शून्य/NIL	शून्य/NIL

#### अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान

#### SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

##### विवरण / Particulars

I. देय बिल / Bills payable	609.55	740.95
II. अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल) / Inter-office adjustments (Net)	24.57	142.77
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	318.82	465.33
IV. आस्थगित कर देयताएं (निवल) / Deferred Tax Liabilities (Net)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
V. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	5506.26	5204.57
<b>कुल / Total</b>	<b>6459.20</b>	<b>6553.62</b>

#### अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष

#### SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

##### विवरण / Particulars

I. रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट सहित)/ Cash in hand (including foreign currency notes)	545.23	578.93
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में / In Current Account	9127.23	8672.08
(ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल (I एवं II) / Total (I &amp; II)</b>	<b>9672.46</b>	<b>9251.01</b>

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2019 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
<b>अनुसूची - 7 बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन</b>		
<b>SCHEDULE-7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL &amp; SHORT NOTICE</b>		
<b>विवरण / Particulars</b>		
<b>I. भारत में / In India</b>		
<b>(i) बैंकों में शेष / Balances with banks</b>		
(ए)/(a) चालू खातों में / In Current accounts	31.47	61.61
(बी)/(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts	2975.05	4499.28
<b>(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call and short notice</b>		
(ए)/(a) बैंकों में / With banks	1200.00	3958.46
(बी)/(b) अन्य संस्थाओं में / With other institutions	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल / Total</b>	<b>4206.52</b>	<b>8519.35</b>
<b>II. भारत के बाहर / Outside India</b>		
(ए)/(a) चालू खातों में / In Current account	329.48	1015.61
(बी)/(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(सी)/(c) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call and short notice	41.49	2633.08
<b>कुल / Total</b>	<b>370.97</b>	<b>3648.69</b>
<b>कुल योग (I एवं II) / Grand Total (I &amp; II)</b>	<b>4577.49</b>	<b>12168.04</b>
<b>अनुसूची 8 - विनिधान</b>		
<b>SCHEDULE 8 - INVESTMENTS</b>		
<b>विवरण / Particulars</b>		
<b>I. भारत में विनिधान / Investment in India in</b>		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	69326.09	62746.24
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	शून्य/NIL	3.14
(iii) शेयर / Shares	547.07	823.51
(iv) डिबेंचर और बॉण्ड्स / Debentures and Bonds	5552.28	4016.97
(v) एसोसिएट्स में विनिधान / Investment in Associates	131.18	291.28
(vi) अन्य (म्युचुअल फंड्स यूटीआई आदि) / Others (Mutual Funds, UTI etc)	4359.22	323.28
<b>कुल(I) / Total (I)</b>	<b>79915.84</b>	<b>68204.43</b>
<b>II. भारत के बाहर विनिधान / Investments outside India in</b>		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / Government securities (including local authorities)	321.85	297.88
(ii) एसोसिएट्स में विनिधान / Investment in Associates	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iii) अन्य विनिधान / Other Investment	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल (II) / Total (II)</b>	<b>321.85</b>	<b>297.88</b>
<b>कुल योग / Grand Total (I) &amp; (II)</b>	<b>80237.69</b>	<b>68502.31</b>
<b>III. भारत में विनिधान / Investment in India</b>		
(i) विनिधान का सकल मूल्य / Gross value of Investments	81682.28	69532.82
(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation	1766.44	1328.40
(iii) निवल विनिधान / Net Investment	<b>79915.84</b>	<b>68204.43</b>
<b>IV. भारत के बाहर विनिधान / Investment outside India</b>		
(i) विनिधान का सकल मूल्य / Gross value of Investments	321.85	297.88
(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iii) निवल विनिधान / Net Investment	<b>321.85</b>	<b>297.88</b>
<b>कुल योग (III) एवं (IV) / Grand Total (III) &amp; (IV)</b>	<b>80237.69</b>	<b>68502.31</b>

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2019 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
<b>अनुसूची 9 - अग्रिम</b>		
<b>SCHEDULE 9 - ADVANCES</b>		
<b>विवरण / Particulars</b>		
ए/А. (i) क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	523.82	1395.28
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	65278.68	71987.76
(iii) मीयादी ऋण / Term loans	76409.67	78677.70
<b>कुल /Total</b>	<b>142212.17</b>	<b>152060.74</b>
बी/В. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ Secured by tangible assets (बही ऋण पर अग्रिम सहित/Includes advances against book debts)	124866.76	118639.18
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees	2331.33	6184.74
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	15014.08	27236.82
<b>कुल /Total</b>	<b>142212.17</b>	<b>152060.74</b>
सी/С. I. भारत में अग्रिम /Advances in India		
(I) प्राथमिकता क्षेत्र /Priority sector	56449.03	62265.20
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	12870.97	9801.39
(iii) बैंक / Banks	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iv) अन्य /Others	69632.48	69972.20
<b>कुल /Total</b>	<b>138952.48</b>	<b>142038.79</b>
सी/С. II. भारत के बाहर अग्रिम /Advances outside India		
(I) बैंकों से प्राप्य /Due from banks	2639.19	7369.67
(ii) अन्य से प्राप्य / Due from others		
(ए/а) क्रय किए गए और भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted	7.59	214.49
(बी/б) समूहित ऋण / Syndicated Loans	601.30	2225.91
(सी/с) अन्य /Others	11.61	211.88
<b>कुल /Total</b>	<b>3259.69</b>	<b>10021.95</b>
<b>कुल योग (सी I+ सी II) /Grand Total (C. I.+ C. II.)</b>	<b>142212.17</b>	<b>152060.74</b>

### अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

#### SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

##### विवरण / Particulars

##### I. परिसर /Premises

पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 <sup>st</sup> March of the preceding year	2948.74	2943.97
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0.12	4.76
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित / Revalued during the year	428.24	शून्य/NIL
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	262.28	214.58
<b>कुल /Total I</b>	<b>3114.82</b>	<b>2734.15</b>

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2019 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
I ए/ए. निर्माणाधीन परिसर / Premises under construction		
अथ शेष / Opening Balance	10.42	14.61
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0.32	0.01
वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	10.45	4.20
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल /Total I ए/ए</b>	<b>0.29</b>	<b>10.42</b>
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 <sup>st</sup> March of the preceding year	1544.02	1454.43
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	131.85	93.52
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	3.30	3.89
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	1235.86	1142.43
<b>कुल /Total II</b>	<b>436.71</b>	<b>401.60</b>
II ए/ए. पट्टे पर दी गई आस्तियां / Leased Assets		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 <sup>st</sup> March of the preceding year	4.57	4.55
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year including adjustments	0.03	0.01
प्रावधान सहित वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year including provisions	0.09	शून्य/NIL
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	4.47	4.38
<b>कुल /Total II ए/ए</b>	<b>0.04</b>	<b>0.18</b>
<b>कुल / Total ( I, I ए/ए, II &amp; II ए/ए )</b>	<b>3551.86</b>	<b>3146.35</b>
III. पूंजी - प्रगतिरत कार्य (लीज आस्तियां)/ Capital- Work - in - progress ( Leased Assets )		
अथ शेष /Opening Balance	1.27	0.87
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year including adjustments	शून्य/NIL	0.40
प्रावधान सहित वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year including provisions	0.81	शून्य/NIL
<b>कुल /Total III</b>	<b>0.46</b>	<b>1.27</b>
<b>कुल /Total ( I, I ए/ए, II, II ए/ए &amp; III )</b>	<b>3552.32</b>	<b>3147.62</b>

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2019 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
<b>अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां</b>		
<b>SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS</b>		
<b>विवरण /Particulars</b>		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter-Office Adjustments (Net)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
II. उपचित ब्याज /Interest accrued	1278.95	1157.73
III. अग्रिम रूप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (निवल)/ Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	2899.30	1880.23
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प / Stationery and stamps	22.31	23.44
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	35.55	35.55
VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/ Deferred Tax assets (Net)	2896.64	2867.52
VII. अन्य /Others	2191.78	2623.49
<b>कुल /Total</b>	<b>9324.53</b>	<b>8587.96</b>
<b>कुल योग /Grand Total</b>	<b>249576.66</b>	<b>253717.69</b>
<b>अनुसूची 12 - आकस्मिक</b>		
<b>SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES</b>		
<b>विवरण /Particulars</b>		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	3357.76	2016.71
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	0.16	0.16
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	158696.77	192590.51
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ / Guarantees given on behalf of constituents		
(ए/a) भारत में / In India	8990.40	8619.97
(बी/b) भारत के बाहर / Outside India	883.50	3033.99
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	4264.40	5674.96
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	468.33	232.29
<b>कुल /Total</b>	<b>176661.32</b>	<b>212168.59</b>

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2019 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

### अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज एवं लाभांश

#### SCHEDULE 13 - INTEREST AND DIVIDENDS EARNED

##### विवरण /Particulars

I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	11185.73	11028.53
II. निवेशों पर आय /Income on investments	4994.18	4137.20
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	413.78	968.75
IV. अन्य/Others	322.09	263.96
<b>कुल /Total</b>	<b>16915.78</b>	<b>16398.44</b>

### अनुसूची 14 - अन्य आय

#### SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

##### विवरण / Particulars

I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज / Commission, exchange and brokerage	917.24	1038.27
II. भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets घटाएं: भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	0.02 (0.02)	0.02 (0.03)
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ / Profit on exchange transactions घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि / Less: Loss on exchange transactions	154.67 (136.23)	257.86 (69.24)
IV. विनिधानों (निवल) के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of investments (net) घटाएं: विनिधानों के विक्रय से हानि / Less: Loss on sale of investments	117.82 (386.06)	772.84 (158.41)
V. विनिधानों के विक्रय पर लाभ / Profit on revaluation investments घटाएं: विनिधानों के विक्रय से हानि / Less: Loss on revaluation of investments	शून्य/NIL शून्य/NIL	शून्य/NIL शून्य/NIL
VI. (a) पट्टा वित्त आय/ Lease finance income (b) पट्टा प्रबंधन शुल्क/ Lease management fee (c) बकाया प्रभार/ Overdue charge (d) पट्टा किराया पर प्राप्य ब्याज/ Interest on lease rent receivable	शून्य/NIL शून्य/NIL शून्य/NIL शून्य/NIL	शून्य/NIL शून्य/NIL शून्य/NIL शून्य/NIL
VII. विविध आय / Miscellaneous income	1386.27	1233.85
<b>कुल / Total</b>	<b>2053.71</b>	<b>3075.17</b>
<b>कुल आय / Total Income</b>	<b>18969.49</b>	<b>19473.60</b>

### अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

#### SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

##### विवरण / Particulars

I. जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	10659.10	10860.03
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings	60.65	136.85
III. अन्य / Others	634.53	629.86
<b>कुल / Total</b>	<b>11354.28</b>	<b>11626.74</b>

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2019 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

### अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

#### SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

##### विवरण / Particulars

I. कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	2551.15	2178.63
II. भाड़ा, कर एवं रोशनी / Rent, taxes and lighting	445.83	442.00
III. मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	40.07	42.02
IV. विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	15.63	17.58
V. (ए/अ) पट्टा आस्तियों के अतिरिक्त बैंक की संपत्ति पर अवक्षण/ Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	141.27	143.47
V. (बी/ब) पट्टा आस्तियों पर अवक्षण/ Depreciation on Leased Assets	0.17	2.35
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	1.91	1.87
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय/ (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	26.41	26.20
VIII. विधि प्रभार / Law charges	24.37	26.26
IX. डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones, etc.	94.27	80.74
X. मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	139.94	129.03
XI. बीमा / Insurance	227.41	224.85
XII. साख का परिशोधन, यदि कोई हो / Amortisation of Goodwill, if any	शून्य/NIL	शून्य/NIL
XIII. अन्य व्यय / Other expenditure	1077.74	966.47
<b>कुल /Total</b>	<b>4786.17</b>	<b>4281.47</b>

### अनुसूची 17

#### SCHEDULE 17

##### एसोसिएट्स में अर्जन/ (हानि) का अंश / Share of Earnings/(Loss) in Associates

##### एसोसिएट्स का विवरण / Details of Associates

##### नाम / Name

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक / Allahabad UP Gramin Bank	(459.00)	39.72
इलाहाबाद बैंक का अंश / Allahabad Bank's share (35%)	(160.65)	13.90
पूर्व वर्षों हेतु समायोजन / Adjustment relating to earlier years	(2.45)	शून्य/NIL
<b>वर्ष के दौरान माना गया / Considered during the year</b>	<b>(163.10)</b>	<b>13.90</b>

**अनुसूची-18: 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित मुख्य लेखा नीतियां।**

## 1. तैयारी का आधार

बैंक और इसके संयुक्त उद्यमों एवं एसोसिएट्स के समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी निदेशानिर्देशों और सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

## 2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित है कि वह वित्तीय विवरण की तिथि को आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि पर विचार करते हुए प्राक्कलन करे एवं अनुमान लगाए। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं समुचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा प्राक्कलन में किसी संशोधन की, जब तक की अन्यथा उल्लिखित न हो चालू एवं भावी अवधि हेतु भविष्यप्रभावी रूप से पहचान की जाती है।

## 3. समेकन प्रक्रिया

- समेकित वित्तीय विवरणों में इलाहाबाद बैंक और इसके संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट्स के लेखे शामिल हैं।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 27 "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार बैंक और इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरणों को आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी समान मदों के बहीमूल्य को जोड़ते हुए इंद्रा ग्रुप शेष एवं इंद्रा ग्रुप लेनदेनों, को पूरी तरह हटाकर, जहां अन्यथा उल्लिखित है उसे छोड़कर, पंक्ति दर पंक्ति आधार पर समेकित किया गया है।
- एसोसिएट में निवेश का हिसाब लेखा मनक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा" के अनुसार इविटि पद्धति के अंतर्गत किया जाता है।

## 4. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटीकरण

उल्लिखित बैंकिंग नीतियां मुख्यतः बैंक संस्था से संबंधित हैं। बैंक की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में लगी है और एक संयुक्त उद्यम कंपनी आस्ति पुनर्गठन व्यवसाय में लगी है। एक एसोसिएट बैंकिंग व्यवसाय में है। संयुक्त उद्यम कंपनियां और एसोसिएट उनके शासी नियामकों द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों का पालन करते हैं। इन्हें अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि ये निवेश समग्रतः वित्तीय विवरणों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण नहीं हैं।

## 5. निवेश

### 5.1 वर्गीकरण

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'क' की अपेक्षा के अनुरूप निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित छह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है :
  - सरकारी प्रतिभूतियाँ,
  - अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
  - शेयर,
  - डिबेंचर एवं बॉण्ड,
  - अनुषंगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम तथा
  - अन्य

## **SCHEDULE-18: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2019.**

### 1. Basis of Preparation:

The Consolidated Financial Statements of the Bank and its Joint Ventures & Associate are prepared in accordance with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India and Guidelines issued by the respective Regulatory Authorities from time to time and Generally Accepted Accounting Principles.

### 2. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively unless otherwise stated.

### 3. Consolidation procedure:

- The Consolidated Financial Statements include the accounts of Allahabad Bank and its Joint Ventures & Associate.
- The financial statements of the Bank and its joint ventures are combined on a line to line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses after fully eliminating intra group balances and intra group transactions except wherever otherwise stated in accordance with accounting standard 27 "Financial Reporting of interest in joint Ventures" issued by the institute of Chartered accountants of India.
- The investment in associates are accounted for under the Equity method as per the Accounting Standard 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".

### 4. Disclosure of significant accounting policies:

The accounting policies mentioned primarily relate to the Bank entity. The Bank has one Joint Venture Company is in the business of non-life insurance and one Joint Venture Company is in asset reconstruction business. One Associate is in the banking business. The Joint Venture Companies and Associate follow accounting policies prescribed by their governing regulators. These have not been specified separately as these investments are not material in the context of the overall financial statements.

### 5. Investments:

#### 5.1 Classification

- In conformity with the requirements of Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, Investments are classified into the following six groups :
  - Government Securities,
  - Other Approved Securities,
  - Shares,
  - Debentures & Bonds,
  - Subsidiaries/ Joint Ventures and
  - Others



- (ii) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है
- (ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- (बी) विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- (सी) व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)

### 5.2 वर्गीकरण का आधार

- (ए) निवेश जिसे बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (बी) निवेश जिसे क्रय की तिथि से 90 दिनों भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनर्विक्रय हेतु धारित किया जाता है, को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (सी) निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (डी) निवेश के क्रय के समय उसे परिपक्वता तक धारित, व्यवसाय हेतु धारित अथवा विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं श्रेणियों में तत्पश्चात् शिफ्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।
- (ई) अनुषांगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्था में निवेश को परिपक्वता हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### 5.3 मूल्यांकन

- (i) भारिबैं के अनुसार मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया जाता है:
- (ए) (i) एचटीएम में धारित प्रतिभूति- अर्जन लागत पर अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुषांगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्यहास, अस्थायी से इतर, यदि कोई हो, ऐसे निवेश के मूल्यांकन हेतु प्रावधान किया जाता है।
- (बी) एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन स्क्रिपवार किया जाता है। वृद्धि/हास को प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी में जोड़ा जाता है और प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार लाभ-हानि खाते में निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है जबकि निवल वृद्धि को संज्ञान में नहीं लिया जाता है।
- (ii) अनुपयोज्य प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो) के मामलों में आय अभिज्ञात नहीं की जाती है तथा आस्ति वर्गीकरण का विवेकपूर्ण मानदण्ड अपनाते हुए प्रतिभूतियों के मूल्य में अवक्षय हेतु समुचित प्रावधान किया जाता है और ऐसे अवक्षय को अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में वृद्धि के बदले सेट-ऑफ नहीं किया जाता है।
- (iii) निवेशों के अर्जन की लागत
- सब्सक्राइब की गई प्रतिभूतियों के मामले में प्रोत्साहन तथा कमीशन और फ्रंट-एंड शुल्क का निवल है।
  - कमीशन, दलाली, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है।
- (iv) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ के मामले में समतुल्य राशि (कर का निवल और सांविधिक आरक्षितियों के अंतरण का निवल) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।

- (ii) The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,
- (a) Held to Maturity (HTM)
- (b) Available for Sale (AFS)
- (c) Held for Trading (HFT)

### 5.2 Basis of classification

- (a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- (b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- (c) Investments which are not classified in the above two categories are classified as Available for sale.
- (d) An investment is classified as Held to Maturity or Held for Trading or Available for sale at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
- (e) Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

### 5.3 Valuation

- (i) As per RBI guidelines, the following principles are adopted for the purpose of valuation;
- (a) (i) Securities held in 'HTM' - at acquisition cost  
The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity,
- (ii) Investments in Regional Rural Banks, Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.  
Diminution, other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- (b) Securities held in 'AFS' and 'HFT' categories are valued scrip-wise. Appreciation/Depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognized in the Profit and Loss Account, whereas net appreciation is ignored.
- (ii) In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of assets classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.
- (iii) Cost of acquisition of investments:
- is net of incentives/commission and front-end fee received in case of securities subscribed and
  - excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.
- (iv) Profit/Loss on sale of investments in any category is recognized in the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.

(v) निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन या एफआईएमएमडीए/पीडीएआई द्वारा प्रस्तुत दरों को अपनाया जाता है। ऐसे कोटेशनों/दरों के अभाव में बाजार मूल्य का निर्धारण एफआईएमएमडीए/पीडीएआई अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित परिपक्वता प्रतिफल दरों पर किया जाता है।

#### 5.4 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण

उपर्युक्त पैरा 4(ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के कमतर मूल्य पर निकाला जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है।

#### 5.5 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के स्वैप का मूल्यन निम्नानुसार किया जाता है।

- हेज स्वैप

ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है। स्वैप के निरसन पर होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

- ट्रेडिंग स्वैप

ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिन्हित किया जाता है।

#### 6. अग्रिम

- भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानिगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं में किए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों और जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं उनके स्थानीय कानूनों, जो अधिक कड़ा हो, के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।
- प्रकटित अग्रिम अनर्जक अग्रिमों हेतु किए गए प्रावधान और संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के बदले किए गए प्रावधानों का निवल होता है। संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के प्रावधान को भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।
- तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उपयोज्य) हेतु किए गए प्रावधान को "अन्य देयताएँ एवं प्रावधान" के तहत शामिल किया जाता है।

#### 7. विदेशी मुद्रा से संबद्ध लेन-देन

7.1 विदेशी मुद्रा वाले लेनदेनों का लेखा आईसीएआई द्वारा जारी एएस 11 के अनुसार किया जाता है।

7.2 बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को एएस 11 में यथानिर्धारित (क) इंटीग्रल परिचालनों और (ख) नॉन इंटीग्रल परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विदेशी शाखाओं को नॉन इंटीग्रल परिचालनों के रूप में माना जाता है और विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों और प्रतिनिधि कार्यालयों को इंटीग्रल परिचालन माना जाता है।

(i) नॉन इंटीग्रल परिचालनों के संबंध में ट्रांसलेशन:

(क) मौद्रिक और गैर मौद्रिक आस्तियों दोनों के साथ-साथ आकस्मिक देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (फेडाई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों पर आंका जाता है।

(v) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per the norms laid down by the Reserve Bank of India.

#### 5.4 Transfer of Securities between categories

The transfer of securities between categories specified at para 4 (ii) above are carried out at the lower of acquisition cost / book value /market value as on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

#### 5.5 As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:

- Hedge Swaps

Interest rate swap which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements.

Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

- Trading Swaps

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

#### 6. Advances:

- Advances in India are classified as Standard, Sub Standard, Doubtful or Loss Assets and provision for advances are made as per Prudential Norms of the RBI. In respect of advances made in overseas branches, advances are classified in accordance with prudential norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.
- Advances disclosed are net of provisions made for Non Performing Advances and provisions in lieu of diminution in the fair value of Restructured Advances. The provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.
- The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in "Other Liabilities and Provisions".

#### 7. Foreign Currency transactions:

7.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11 issued by ICAI .

7.2 The foreign currency operations of the bank are classified as (a) integral operations and (b) non integral operations as stipulated in AS 11. Overseas branches are treated as non Integral operations and domestic operations in foreign exchange and representative offices are treated as integral operation.

(i) Translation in respect of Non Integral operations;

(a) Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities are translated at the end of each quarter at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDA).

- (ख) राजस्व मदों को संबंधित तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत क्लोजिंग दर पर आंका जाता है।
- (ग) सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व' में रखा जाता है।
- (ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को "इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन" के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :
- (क) सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पॉट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती है।
- (ख) गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती है।
- (ग) राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
- (घ) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को लाभ-हानि लेखा में लिखा जाता है।
- (iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैं के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाएगा।

### 7.3 इंटीग्रल परिचालनों के संबंध में ट्रांसलेशन

- (i) विदेशी मुद्रा शेष भले ही आस्ति अथवा देयताएँ हों (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना इत्यादि के अंतर्गत संग्रह की गई जमा राशियों सहित) और बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा यथासूचित दरों पर संपरिवर्तित किया जाता है। फेडाई के दिशानिर्देशानुसार वायदा विनिमय करार के पुनर्मूल्यन से जनित लाभ/हानि तथा नोस्ट्रो खातों को राजस्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय तथा व्यय मदों को लेनदेन के दिन लागू विनियम दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- (iii) गारंटियों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा सूचित प्रचलित बाजार दर पर आंका जाता है।

### 8. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास

- (i) फ्रीहोल्ड भूमि और लीज होल्ड भूमि सहित परिसरों को उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि में दर्शाया गया है और अन्य स्थिर आस्तियों को उनकी परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है। जब कभी कतिपय आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो बैंक इस संबंध में भारिबैं द्वारा जारी दिशानिर्देशों को अपनाता है और लेखा मानकों का अनुपालन करता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन में किसी प्रकार की वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस-10 "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर प्रभारित अतिरिक्त मूल्यहास को सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व और अन्य रिजर्व में अंतरित किया जाता है।
- (ii) निर्माणाधीन परिसरों को पृथक शीर्ष "निर्माणाधीन परिसर" के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों को "अन्य आस्तियाँ" के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (iii) जहां जमीन की पृथक लागत उपलब्ध नहीं है वहां जमीन और भवन की संमिश्र लागत पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

- (b) Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
- (c) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve'.
- (ii) Operations of representative offices abroad are classified as "Integral Foreign Operations" and their financial statements are accounted for as follows:
- (a) All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian Rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
- (b) Non-monetary items are translated at exchange rates prevailing as on the date of transactions.
- (c) Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
- (d) All resulting exchange differences are accounted for in the Profit & Loss Account.
- (iii) Advances are classified under various categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances are made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

### 7.3 Translation in respect of integral operations;

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.
- (ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rates prevailing as on the date of transactions.
- (iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

### 8. Fixed Assets and Depreciation:

- (i) Premises including Freehold land and leasehold land are stated at their revalued amount and other Fixed Assets are stated at their historical cost. Whenever certain Assets are revalued, the Bank adopts the guidelines issued by RBI and compliances of Accounting Standards issued in this regard. Any upward revision on such revaluation is credited to Revaluation Reserve. As per Revised AS-10 "Property, Plant and Equipment" issued by ICAI, effective from 1<sup>st</sup> April 2018 additional depreciation charged on revalued assets is directly transferred from Revaluation Reserve to Revenue & Other Reserve.
- (ii) Premises under construction is shown under a separate heading "Premises under Construction". Advances to contractors is shown under the head "Other Assets".
- (iii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.

(iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान घटते शेष पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया जाता है जैसा कि प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 और आगे हेतु निर्णय लिया गया है।

(iv) Depreciation on Fixed Assets including revalued assets is provided as per the following rates on diminishing balance method as decided by the Management from the Financial year 2014-15 and onwards.

क्रम संख्या SI. No.	आस्तियों की श्रेणी / CATEGORY OF ASSET	मूल्यहास दर DEPRECIATION RATE [%]
1	भवन एवं परिसर /Building and Premises	5.00
2	सामान्य फर्नीचर मर्दे यथा मेज, कुर्सी, अलमारी, केबिनेट, स्ट्रॉंग रूम दरवाजे इत्यादि (सुरक्षित जमा लॉकर से इतर) / General Furniture items viz., Table, Chair, Almira, Cabinet, Strong room doors etc. (other than Safe Deposit Lockers).	18.10
3	इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, पंखे, लाइट, एयरकंडीशनिंग मशीनरी- रूम एयरकंडीशनर सहित / Electrical Installation, Fan, Light, Air-conditioning Machinery including- Room Air-conditioners etc.	13.91
4	फ्रैंकिंग मशीन, कार्यालय मशीनरी, भारोत्तोलन मशीन, टाइपराइटर, एडिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन और अन्य कार्यालयीन उपकरण / Franking machine, office machinery, weighing machine, typewriter, adding machine, Duplicating Machine & other office equipments.	13.91
5	सेफ डिपोजिट लाकर / Safe Deposit Lockers	13.91
6	मोटरकार / Motor Car	25.89
7	साइकिल/Cycle	20.00
8	मोटर वैन(कैश वैन) / Motor Van (Cash Van)	30.00

(v) कम्प्यूटरों, डाटा प्रोसेसिंग मशीनों एएलपीएम पर अवक्षय का प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीधी रेखा पद्धति आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है जिससे तीन वर्षों में आस्ति का मूल्य अवलिखित किया जा सके।

(v) On Computers, Data Processing Machines, ALPMs, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method (SLM) so as to write down the asset value in three years as per RBI guidelines.

(vi) लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित) को लीज की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

(vi) Premium on Leasehold Land (including revalued amount) is amortized over the period of the lease on Straight Line Method.

(vii) जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहां लीजहोल्ड भूमि के प्रीमियम को लागत अथवा अवलिखित मूल्य पर परिशोधित किया जाता है।

(vii) Premium on Leasehold Land is amortized over the period of the lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.

(viii) ₹5000/- तक के पूंजीगत व्यय सीधे "खर्च खाता - मरम्मत एवं रखरखाव" में नामे लिखे जाते हैं।

(viii) The Capital Expenditure up to ₹5000/- is debited directly to "Charges Account - Repairs & Maintenance".

(ix) वर्ष के दौरान क्रय की गई/बेची गई/हटाई गई आस्तियों पर यथानुपात आधार पर अवक्षय का प्रावधान किया जाता है।

(ix) Pro-rata depreciation is provided on the assets purchased / sold / discarded during the year.

(x) विदेशी शाखाओं की स्थिर आस्तियों पर अवक्षय की गणना उस देश में प्रचलित कानून के अनुसार की जाती है।

(x) Depreciation on Fixed Assets of Foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

#### 9. अमूर्त आस्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

#### 9. Intangible Assets (Computer Software):

(i) कम्प्यूटर हेतु सॉफ्टवेयर, जिस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना कम्प्यूटर परिचालित नहीं हो सकता, संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, तथा अचल आस्ति माना जाता है। जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाता है।

(i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed assets and is amortised along with the computer hardware. Where the software is not an integral part of the related hardware, computer software is recognised as an Intangible Asset.

(ii) वेंडरों से प्राप्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को तब अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब सॉफ्टवेयर का मूल्य/लागत ₹10 लाख से अधिक हो। इस प्रकार की अमूर्त आस्तियाँ उनकी क्रियाशील अवधि के दौरान अधिकतम दस वर्ष की अवधि तक परिशोधित की जाती है।

(ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than ₹10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

## 10. कर्मचारी लाभ

10.1 बैंक ने कर्मचारी लाभ के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित)- कर्मचारी लाभ लागू किया है।

## 10.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

दीर्घावधि परिभाषित कर्मचारी लाभों के प्रति देयता का निर्धारण तिमाही और वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांककों द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधियन संबंधी बैंक की नीति में लिखित विधियों का पालन करते हुए है और नीचे उल्लिखित नितियों के अनुसार परियोजित इकाई प्रणाली का प्रयोग करते हुए चुने गए विभिन्न बीमांकिक पूर्वानुमान द्वारा किया जाता है।

### 10.2.1 ग्रेच्युटी

बैंक यथास्थिति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972/सेवा पंचाटों/ सेवा विनियमनों के प्रावधानों के संबंध में अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु अथवा त्यागपत्र अथवा सेवा समाप्ति आदि के मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान ग्रेच्युटी के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है।

### 10.2.2 पेंशन (एबीईपीआर)

इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 (एबीईपीआर) के अंतर्गत बैंक उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करता है जिन्होंने इस विनियमन के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिया है और उन कर्मचारियों को भी जो बैंक सेवा में 29.09.1995 से 31.3.2010 की अवधि के दौरान आए हैं। इस योजना में वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर, सेवा निवृत्ति/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, की स्थिति में इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। पेंशनर के लिखित अनुरोध पर मूल पेंशन के अधिकतम 1/3 को परिवर्तित करने का भी प्रावधान है। परिवर्तित मूल पेंशन 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पुनः चालू की जाती है। एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के पात्र नहीं हैं। पेंशन के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पी.एफ. की रैंकिंग हेतु शामिल कर्मचारियों के वेतन के 10% के सांविधिक मासिक अंशदान के अतिरिक्त बैंक इस निधि में अपना अंशदान पेंशन के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

### 10.2.3 अवकाश किराया रियायत (एलएफसी)

यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जाती है और इसमें उद्योगवार समझौतों/अवार्ड के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित सेवा नियमों के अनुसार योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत अवकाश किराया रियायत देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। एलएफसी से संबंधित भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

### 10.2.4 अवकाश नकदीकरण

बैंक एलएफसी सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को सेवा के चार वर्षों के ब्लाक में अधिकतम 30 दिनों के साधिकार अवकाश शेष के नकदीकरण की अनुमति प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति

## 10. Employee Benefits:

10.1 The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.

## 10.2 Long term Employees Benefits;

Liability towards long term defined employee benefits is determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the quarter as well as in year-end by using various Actuarial Assumptions chosen following the modalities documented in the Bank's Policy on Funding Superannuation Schemes and the Projected Unit Credit method as per the policies mentioned herein below:

### 10.2.1 Gratuity:

The Bank pays gratuity in case of retirement or death or resignation or termination etc. of its employees, having regard to the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 / Service Awards / Service Regulations, as the case may be. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of gratuity. The Bank makes contribution to this fund on the basis of actuarial valuation of its liability.

### 10.2.2 Pension (ABEPR):

The Bank pays pension under Allahabad Bank (Employees) Pension Regulations, 1995(ABEPR-1995) to employees, who exercised option under the Regulations and also to Employees joining the Bank's Service during the period from 29.09.1995 to 31.03.2010. The plan provides for a pension / family pension on monthly basis in respect of these employees on their retirement / death, as the case may be, based on the salary and qualifying service of the respective employees. There is also provision for commutation of pension to a pensioner, against written request, to the maximum extent of 1/3rd of Basic Pension. The commuted basic pension is restored after completion of 15 years of commutation. Employees covered under ABEPR - 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of Pension. The bank makes contributions to this Fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of Pension, which is conducted by approved Actuary, in addition to the statutory monthly contribution of 10% of Pay of the covered employees, ranking for PF.

### 10.2.3 Leave Fare Concession (LFC):

This facility is granted to the employees and extends to reimbursement of travelling expenses incurred for the family members of the employee concerned, as defined under the Scheme, in terms of service rules as amended from time to time as per Industry wide Settlements / Awards. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its liability in respect of Leave Fare Concession under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment in respect of LFC facility is debited/ charged to the Profit and Loss Account.

### 10.2.4 Leave Encashment:

The Bank permits encashment of Privilege Leave balance to its employees availing LFC facility, up to the maximum limit of 30 days leave in a block of four years of service.

अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा साधिकार अवकाश, अधिकतम 240 दिना के नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है। कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने के मामले में नकदीकरण की राशि शेष साधिकार अवकाश के 50% और अधिकतम 120 दिनों तक सीमित है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इस योजना के अंतर्गत अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है यह मूल्यन किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। ऐसे अवकाश नकदीकरण का भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

- 10.3 भविष्य निधि के संबंध में किसी अवधि हेतु निधि में किया गया अंशदान व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है तथा लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।
- 10.4 दिनांक 27.04.2010 के उद्योग-वार समझौता/संयुक्त नोट के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को अथवा बाद में बैंक की सेवा में आए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना में शामिल हैं।
- 10.5 अल्पावधि कर्मचारी लाभ  
अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ हानि लेखा में अबट्टाकृत राशि में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती है।

## 11. राजस्व अभिज्ञान

- (i) आय-व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो।
- (ii) अनुपयोज्य आस्तियों/निवेशों के मामले में आय, ब्याज और अन्य आय की वसूली में अनिश्चितता को देखते हुए इन्हें वसूली की मात्रा तक अभिज्ञात किया जाता है।
- (iii) अनुपयोज्य आस्तियों से वसूली संदिग्ध/हानिगत आस्तियों के मामले में पहले मूलधन और बाद में ब्याज विनियोजित किया जाता है जबकि अवमानक आस्तियों के मामले में पहले ब्याज और बाद में मूलधन को विनियोजित किया जाता है।
- (iv) आय कर की वापसी पर ब्याज से प्राप्त आय और ब्याज कर की गणना उस वर्ष की जाती है जिसमें यह प्राप्त/समायोजित हुआ है।

## 12. पट्टा

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

## 13. प्रति शेयर अर्जन

बैंक प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार करता है।

- 13.1 प्रति शेयर बेसिक अर्जन की गणना वर्ष हेतु इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।
- 13.2 प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन संभावित डाइल्यूशन को प्रतिबिंबित करता है जो उस स्थिति में हो सकती है यदि इक्विटी शेयर जारी करने हेतु प्रतिभूतियां अथवा अन्य संविदाओं का वर्ष के दौरान प्रयोग किया जाता है अथवा संपरिवर्तित किया जाता है। प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

Encashment of privilege leave standing to the credit of an employee is also permitted in case of retirement or death subject to a maximum of 240 days. In case of resignation from the service by an employee, such encashment is restricted to 50% of the balance of privilege leave subject to a maximum of 120 days. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its leave encashment liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment of such leave encashment is debited/charged to the Profit and Loss Account.

- 10.3 In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to the Profit & Loss account.
- 10.4 In terms of Industry wide Settlement/Joint Note dated 27.04.2010, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are covered by defined contribution retirement benefit scheme.
- 10.5 Short term Employees Benefits

Short-term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

## 11.Revenue Recognition:

- (i) Income and Expenditure are generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- (ii) In view of uncertainty of collection of income, Interest and Other Income in cases of Non Performing Assets/ Investments are recognized to the extent realized.
- (iii) Recoveries from Non-Performing Assets (NPAs), in case of Doubtful/ Loss Assets is appropriated first against the Principal and then interest, whereas in case of Substandard Assets, such recovery is appropriated first against the interest and then against the Principal.
- (iv) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year in which it is received/ adjusted.

## 12. Lease:

Rentals received by the Bank are recognized in the Profit and Loss Account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

## 13. Earnings Per Share:

The Bank reports Basic and Diluted Earnings per Equity Share in accordance with Accounting Standard 20 "Earnings per Share" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

- 13.1 Basic earnings per Share are computed by dividing the net profit after tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.
- 13.2 Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share are computed using the weighted average number of equity shares and diluted potential equity shares outstanding at year end.

#### 14. आय पर कर

आयकर व्यय चालू कर और आस्थगित कर व्यय की राशि का सकल योग है।

- (i) कर योग्य आय पर चालू कर का प्रावधान, प्रयोज्य कर दर और कर नियमों का प्रयोग करके किया जाता है। लेखा मानक 22 के अनुपालन में : भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों हेतु लेखा", समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बन जाने वाले कर नियमों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं।
- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्ति के रूप में तभी माना जाएगा जब ऐसा पुष्ट प्रमाण हो कि बैंक आय-कर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर सामान्य कर का भुगतान कर देगी।

#### 15. नकदी एवं समतुल्य नकदी

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धन शामिल है।

#### 16. आस्तियों में ह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर "इम्पेयरमेंट लॉसेस", यदि कोई हा, को अभिज्ञात किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 "इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स" के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

#### 17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक आस्तियाँ

- (i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 प्रावधान, "आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुरूप बैंक प्रावधान तभी अभिज्ञात करता है जब
  - ए. किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न होता है
  - बी. यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा और
  - सी. जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।
- (ii) निम्नलिखित के लिए प्रावधान अभिज्ञात नहीं किया जाता
  - ए) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व उस घटना के होने अथवा न होने पर ही निर्भर करेगा अथवा भविष्य की ऐसी अनिश्चित घटनाएँ जो पूर्णतया बैंक के नियंत्रण में नहीं है।
  - बी) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुआ है उसे अभिज्ञात नहीं किया गया क्योंकि :
    - i. यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा अथवा
    - ii. दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता है।
- (iii) आकस्मिक देयताओं का नियमित अंतराल पर निर्धारण किया जाता है और दायित्व के केवल उसी भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव हो, उन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो।
- (iv) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को अभिज्ञात नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी भी वसूल नहीं की जा सकती।

#### 14. Taxes on Income :

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense.

- (i) Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. In compliance with Accounting Standard 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India, Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.
- (ii) Minimum Alternative Tax (MAT) credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

#### 15. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATMs and balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

#### 16. Impairment of Assets:

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to the Profit & Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

#### 17. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:

- (i) In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when
  - a. it has a present obligation as a result of a past event;
  - b. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
  - c. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- (ii) No provision is recognized for;
  - a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
  - b) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because;
    - i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
    - ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.
- (iii) Contingent Liabilities are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.
- (iv) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

**अनुसूची 19: 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा टिप्पणियाँ**

निम्नलिखित एसोसिएट और संयुक्त उद्यम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा" एवं लेखा मानक 27, "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार क्रमशः समेकित किए गए हैं:

**SCHEDULE 19: NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2019.**

The following Associate and Joint Ventures are consolidated as per the Accounting Standard 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27, "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by The Institute of Chartered Accountants of India respectively:

संस्था का नाम Name of the Entity	देश/निवास Country /Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक Allahabad UP Gramin Bank	भारत India	एसोसिएट (प्रायोजक बैंक) Associate (Sponsor Bank)	35.00%
युनिवर्सल सोम्पो जेनरल इश्योरेंस कं.लि. Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	28.52%
आसरेक (इंडिया) लि. ASREC (India) Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	27.04%

**1. निवेश:**

- ₹0.44 करोड़ (विगत वर्ष ₹0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।
- शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड की यूनितों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश ₹2093.13 करोड़ (विगत वर्ष ₹2298.42 करोड़) रहा।
- वर्ष के दौरान बैंक ने परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत कतिपय प्रतिभूतियां बेची और ₹16.24 करोड़(विगत वर्ष ₹2298.42 करोड़) का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान निवल हानि के कारण 'पूँजी आरक्षित खाता-निवेश' में कोई विनियोजन नहीं किया गया।
- जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति में उल्लिखित है, 'हेल्ड टू मैच्यूरिटी' श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर ₹84.85 करोड़ (विगत वर्ष ₹98.64 करोड़) की राशि अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैं के निर्देशानुसार लाभ एवं हानि खाते के 'अर्जित ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- परिपत्र सं. एफएमआरडी.डीआईआरडी.10/14.03.002/2015-16 दिनांक 19 मई, 2016 के अनुसार एलएएफ/एमएसएफ के अंतर्गत भारिबैं के साथ रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेनों को क्रमशः उधार लेने और ऋण देने के रूप में हिसाब में लिया गया है जबकि इसे पहले निवेशक के अंतर्गत शामिल करने की परिपाटी थी। पिछली अवधि के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतीकरण किया है।

**2. लेखा मानकों का अनुपालन**

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नोक्त लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन किया है तथा ऐसे लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार निम्नोक्त प्रकटीकरण किये जा रहे हैं।

**1. Investment:**

- In respect of Investments of face value of ₹0.44 Crore (Previous year ₹0.44 Crore) the Bank is yet to receive scrips / certificates.
- Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹2093.13 Crore (Previous year ₹2298.42 Crore).
- During the year the Bank sold certain securities under Held to Maturity category and earned profit of ₹16.24 Crore (Previous Year ₹2298.42 crore). Due to net loss during the year, no appropriation has been made to 'Capital Reserve Account-Investment'
- In respect of 'Held to Maturity' category as stated in significant Accounting Policy, the excess of acquisition cost over the face value of the security amortised during the year amounting to ₹84.85 Crore (Previous year ₹98.64 Crore) has been netted-off from income on investments and shown under the head "Interest Earned" in Profit and Loss Account in terms of RBI guidelines.
- In terms of circular No. FMRD.DIRD.10/14.03.002/2015-16 dated 19<sup>th</sup> May 2016, Repo and Reverse Repo transactions with RBI under LAF/MSF are accounted for as borrowing and lending respectively as against the earlier practice of including same under investments. Previous period figures have been regrouped and reclassified to conform to current period's classification.
- The Bank has not made any financing for margin trading and also not securitised any assets during the year.

**2. Compliance with Accounting Standards**

The Bank has complied with the following Accounting Standards (AS) issued by The Institute of Chartered Accountants of India and the following disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards.



2.1. लेखा मानक 5 : "अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन"।

पूर्व वर्ष से संबंधित आय और व्यय का विवरण निम्नानुसार है;

2.1. Accounting Standard 5 "Net Profit or Loss for the Period, Prior Period items and Changes in Accounting Policies".

Income and Expenditure relating to prior period are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
आय/Income	0.07	(0.55)
व्यय/Expenditure	0.52	1.48
निवल आय/(व्यय)/Net Income/(Expenditure)	(0.45)	(2.03)

2.2. बैंक ने कर्मचारी लाभों यथा पेंशन, ग्रैच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, और एलएफसी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित)-कर्मचारी लाभ को अपनाया है।

2.3. निधिक/गैर-निधिक कर्मचारी लाभों यथा, पेंशन (एबीपीईआर-1995), ग्रैच्युटी, अवकाश नकदीकरण और एलएफसी के संबंध में बैंक की देयता को निम्नानुसार अनुमोदित बीमांकक द्वारा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

(ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित) में निर्धारित सिद्धांत और

(बी) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश जीएन 26।

2.2. The Bank adopted Accounting Standard 15 (Revised)-Employee Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension, Gratuity, Leave Encashment and LFC.

2.3. Bank's liabilities in respect of the funded/ non-funded employee benefits, viz., Pension(ABEPR-1995), Gratuity, Leave Encashment and LFC Leave are recognised on the basis of actuarial valuation carried out by approved Actuary as per following:

(a) Principles laid down in AS 15 (Revised) issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and

(b) Guidelines GN 26 issued by Institutes of Actuaries of India.

2.4. सेगमेंट सूचना: लेखा मानक (एस) 17 / Segment Information: Accounting Standard (AS) 17

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

भाग ए : व्यवसायिक सेगमेंट / Part A: Business Segments

व्यवसाय खंड Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate/wholesale banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operation		कुल Total	
	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year
राजस्व/Revenue	5169.19	6012.18	5434.94	5227.20	6637.97	6762.32	1727.39	1485.81	18969.49	19487.51
परिणाम/Result	385.47	1794.16	-729.28	-1361.48	2037.81	2174.32	971.94	972.30	2665.94	3579.30
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									11899.51	10031.27
परिचालन लाभ Operating Profit									-9233.57	-6451.97
आय कर/Income taxes									-776.20	-1877.76
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ /Net Profit									-8457.37	-4574.21
अन्य सूचना: Other Information:										
खंडवार देयताएं Segment assets	82246.73	69849.90	95983.31	109376.09	65631.94	68987.92	2162.35	2356.15	246024.33	250570.07
गैर आबंटित आस्तियां Unallocated assets									3552.33	3147.62
<b>कुल आस्तियां Total assets</b>									249576.66	253717.69
खंडवार देयताएं Segment liabilities	80369.75	67852.28	93792.85	106248.04	64134.14	67014.93	1884.22	1946.18	240180.96	243061.43
गैर आबंटित देयताएं Unallocated liabilities									9395.70	10656.26
<b>कुल देयताएं Total liabilities</b>									249576.66	253717.69

भाग बी : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic Segments

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	घरेलू Domestic		अंतरराष्ट्रीय International		कुल Total	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
राजस्व/Revenue	18694.38	19129.01	275.11	358.50	18969.49	19487.51
आस्तियां/Assets	245876.42	240592.66	3700.24	13125.03	249576.66	253717.69

सेगमेंट सूचना पर नोट:

- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 17 और उस पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार सेगमेंट रिपोर्टिंग के प्रयोजन हेतु बैंक के व्यवसाय को चार सेगमेंट में वर्गीकृत किया गया है अर्थात्
  - ट्रेजरी परिचालन
  - कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग
  - खुदरा बैंकिंग
  - अन्य बैंकिंग व्यवसाय
- भौगोलिक सेगमेंट को (क) घरेलू और (ख) अंतरराष्ट्रीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सांविधिक अपेक्षा से अधिक एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश और गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश को ट्रेजरी परिचालन हेतु निवेश के रूप में माना गया है।
- किसी विशेष सेगमेंट से सीधे संबंधित व्यय, आस्तियों और देयताओं को उसी सेगमेंट को आबंटित किया जाता है और जहां कोई मद सीधे किसी विशिष्ट सेगमेंट से संबंधित नहीं है उसे प्रबंधित व्यवसाय के अनुपात में आबंटित किया गया है।

2.5. संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 18

संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन

संबंधित पार्टियों के नाम, बैंक के साथ उनका संबंध तथा किए गए लेनदेन।

Notes to Segment Information:

- For the purpose of segment reporting in terms of AS 17 issued by The Institute of Chartered Accountants of India and RBI guidelines thereon, the business of the bank has been classified into four segments, viz.
  - Treasury Operations,
  - Corporate / Wholesale Banking
  - Retail Banking
  - Other Banking business
- Geographical segment has been classified as (a) Domestic and (b) International.
- Investment in SLR securities in excess of statutory requirements and investment in non-SLR securities have been considered as investment for Treasury Operations.
- Expenses, assets and liabilities directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment and wherever the items are not directly attributable to specific segment the same has been allocated in proportion to business managed.

2.5. Related Party Disclosures - Accounting Standard (AS) 18

List of Related Parties and Transactions:

The names of the related parties, their relationship with the bank and transaction effected-

(ए) मुख्य प्रबंधन कार्मिक / (a) Key Management Personnel:

(₹ लाख में) / (₹ in Lac)

क्रं.सं. Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियाँ / Remuneration	
			वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
<b>31.03.2019 को यथास्थिति वर्तमान निदेशक / Existing Directors as on 31.03.2019</b>				
1	श्री सी.एच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव Shri CH. S.S.Mallikarjuna Rao	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO (से/from 19.09.2018)	14.51	शून्य/NIL
2	श्री के. रामचंद्रन Shri K. Ramachandran	कार्यपालक निदेशक Executive Director (से/from 26.12.2018)	6.31	शून्य/NIL
3	श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P.R.Rajagopal	कार्यपालक निदेशक Executive Director (से/from 01.03.2019)	1.98	शून्य/NIL
<b>भू. पू. निदेशक / Ex Directors</b>				
1	श्री एन. के. साहू Shri N. K.Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director (तक/upto 28.02.2019)	44.73*	23.52
2	श्री एस. हरिशंकर Shri S. Harisankar	कार्यपालक निदेशक Executive Director (तक/upto 19.09.2018)	11.35	22.27
3	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन Smt. Usha Ananthasubramanian	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO (तक/upto 12.08.2018)	10.81	25.37

\* ₹21.64 लाख का अवकाश नकदीकरण शामिल है /Includes leave Encashment amount of ₹21.64 lakh

ग्रेच्युटी तथा छुट्टी नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

**(बी) संयुक्त उद्यम**

i) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

बैंक युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.के ₹105 करोड़ मूल्य के 28.52% शेयर धारित कर रहा है।

ii) आसरेक (इंडिया) लि.

बैंक, आसरेक (इंडिया) लि. के ₹26.50 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹26.50 करोड़) के 27.04% प्रतिशत शेयर धारित कर रहा है।

**(सी) एसोसिएट्स :**

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक:

बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ₹21.67 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹21.67 करोड़) के 35% प्रतिशत को धारित करता है।

भारत सरकार ने दिनांक 25.01.2019 की अपनी अधिसूचना सं.7/8/2017-आरआरबी (उत्तर प्रदेश II) के तहत इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक और ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त (बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) को एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विलय हेतु अधिसूचित किया है जिसे 1 अप्रैल, 2019 से बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के अंतर्गत आर्यवर्त बैंक कहा जाएगा। तदनुसार, 01.04.2019 से हमारे द्वारा प्रायोजित आरआरबी इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

(डी) संयुक्त उद्यम कंपनी युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ किए गए लेनदेन निम्नानुसार हैं।

**(b) Joint Venture:**

i) Universal Sampo General Insurance Company Limited.

The Bank is holding 28.52% share in Universal Sampo General Insurance Company Limited amounting to ₹105.00 Crore.

ii) ASREC (India) Ltd.

The Bank is holding 27.04% share in ASREC (India) Ltd. amounting to ₹26.50 Crore (previous year ₹26.50 Crore)

**(c) Associates:**

Allahabad U.P. Gramin Bank:

The Bank is holding 35% share in Allahabad U.P. Gramin Bank amounting to ₹21.67 Crore (previous year ₹21.67 Crore).

The Government of India vide their notification no. 7/8/2017-RRB (Uttar Pradesh II) dated 25.01.2019 has notified the amalgamation of Allahabad UP Gramin Bank and Gramin Bank of Aryawart (sponsored by Bank of India) into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Aryavart Bank under sponsorship of Bank of India effective from April, 01, 2019. Accordingly, with effect from the 01.04.2019, our sponsored RRB Allahabad UP Gramin Bank, ceases to be in existence.

(d) Transactions with joint venture company Universal Sampo General Insurance Company Limited are as follows:

(₹ करोड़ में)/₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y.2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y.2017-18
अर्जित आय / Income Earned	17.55	17.04
प्रदत्त बीमा प्रीमियम / Insurance Premium Paid	1.51	1.48

संबंधित पक्षकारों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

Other Disclosures pertaining to related parties are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

मद/ संबंधित पक्षकार Items/Related Party	पेरेंट (स्वामित्व नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership control)	एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम Associate/ Joint Ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
	1	2	3	4	2+3+4
उधार/Borrowings	-	1.35	-	-	1.35
जमाराशियां/Deposits	14.28	-	-	-	0.00
जमाराशियां का स्थानन/Placement of Deposits	-	14	0.20	-	14.20
अग्रिम / Advances	1.35	-	-	-	-
निवेश / Investments	0.11	-	-	-	-
गैर निधिक प्रतिबद्धताएं / Non-funded commitments	-	-	-	-	-
उपभोग की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज / Interest paid	76.00	15.81	-	-	15.81
प्राप्त ब्याज / Interest received	15.81	75.99	0.01	-	76.00
सेवा प्रदान करना / Rendering of Services	19.26	1.51	-	-	1.51
सेवा प्राप्त करना / Receiving of Services	1.51	19.26	-	-	19.26
प्रबंधन संविदाएं / Management contracts	2.36	2.36	-	-	2.36

## 2.6. पट्टा (एएस) 19 :

ए) बैंक के पास कार्यालयों / आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न परिचालन पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है:

- i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न किए जा सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का योग:

असमाप्त पट्टा अवधि हेतु देय किराया

## 2.6. Leases (AS) 19:

A) The Bank has various operating leases for offices/residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

- i) The total of future minimum lease payments under non-cancelable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period	देय राशि / Amount Payable	
	को यथास्थिति /As on 31.03.2019	को यथास्थिति /As on 31.03.2018
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	127.28	130.58
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	429.83	495.89
पाँच वर्ष के बाद /Later than five years	372.32	377.13

संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि विवरण में अभिज्ञात पट्टा भुगतान :  
₹214.56 करोड़ (पिछला वर्ष ₹201.08 करोड़)

Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period: ₹214.56 Crore (Previous Year: ₹201.08 Crore)

**बी) वित्तीय पट्टा**

बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है।

**2.7 प्रति शेयर अर्जन (ए एस) 20:**

क्रम सं. SI No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
1.	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन Basic and Diluted Earning Per Share (₹)	(66.30)	(58.35)

**B) Financial Lease:**

Bank is not having any assets under Financial Lease.

**2.7 Earning Per Share (AS) 20:****प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन की गणना / Calculation of Basic and Diluted Earning Per Share:**

क्रम सं. SI No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
ए/A	वर्ष हेतु इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit for the year attributable to Equity Share holders (₹ In Crores)	(8457.37)	(4574.22)
बी/B	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity Shares	1,27,55,58,495	78,38,74,547
सी/C	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन(ए/बी) (₹) Basic and Diluted Earning per Share (A/B) (₹)	(66.30)	(58.35)
डी/D	प्रति शेयर नॉमिनल मूल्य (₹) Nominal Value per share (₹)	10.00	10.00

**2.8. आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एएस) 22**

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में ₹28.67 करोड़ (विगत वर्ष ₹1321.20 करोड़ (निवल) को लाभ एवं हानि खाते में जमा लिखा गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की

**2.8. Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22**

During the year, an amount of ₹28.67 Crore has been credited (Previous year ₹1321.20 Crore (Net) to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities

तिथि के अनुसार निम्नवत है:

as on Balance Sheet date are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण / Particulars	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the Year		समायोजन जोड़/ (घटाव) Adjustment Add/(Less)		वर्ष के अंत में At the close of the Year	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
<b>आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets</b>						
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान / Provision for Leave Encashment	120.14	119.51	4.43	0.63	124.57	120.14
एफआईटीएल हेतु प्रावधान / Provision for FITL	91.37	191.75	(59.98)	(100.38)	31.39	91.37
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान Prov. For Bad & Doubtful Debts	2156.00	1939.03	(39.77)	216.97	2116.23	2156.00
धारा 32 के अनुसार मूल्यहास Depreciation as per Sec.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आयकर के अनुसार हानि Loss as per Income Tax	1118.19	0.00	10.85	1118.19	1129.04	1118.19
अन्य /Others	2.19	1.26	(0.03)	0.93	2.22	2.19
<b>कुल /Total</b>	<b>3487.89</b>	<b>2251.55</b>	<b>(84.44)</b>	<b>1236.34</b>	<b>3403.45</b>	<b>3487.89</b>
<b>आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities</b>						
अचल आस्तियों का मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	0.45	0.03	6.62	0.42	7.07	0.45
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
धारा 36(1) (viii)के अंतर्गत कटौती के कारण विशेष रिजर्व में अंतरित राशि Amount transferred to Special Reserve on account of deduction under Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961.						
निवेश/प्रतिभूतियों पर मूल्यहास Depreciation on Investment / Securities	494.94	494.94	4.80	शून्य/NIL	499.74	494.94
अपरिशोधित धोखाधड़ी प्रावधान Un amortised Fraud Provision	0.00	85.28	0.00	(85.28)	0.00	0.00
अन्य /Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल /Total</b>	<b>620.37</b>	<b>705.23</b>	<b>(113.56)</b>	<b>(84.86)</b>	<b>506.81</b>	<b>620.37</b>
<b>आस्थगित कर देयताएँ (निवल) / Deferred Tax Liability (Net)</b>	<b>(2867.52)</b>	<b>(1546.32)</b>	<b>(29.12)</b>	<b>(1321.20)</b>	<b>(2896.64)</b>	<b>(2867.52)</b>

1. अशोध्य और संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान तथा पूर्ववर्ती वर्षों हेतु कराधान के लिए प्रावधान संबंधी आस्थगित कर आस्तियों की कर विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा की गई है और उनकी सलाह के आधार पर पूर्ववर्ती वर्षों में कर हेतु किए गए ₹746.82 करोड़ के प्रावधान को रिटर्न बैक किया गया है।

2. पर्याप्त भावी कर योग्य आय की आभासी निश्चितता के सिद्धांत पर विचार करते हुए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में आगे ले जाई गई हानियों पर ₹1118.19 करोड़ के डीटीए को अभिज्ञात किया है। वर्ष के दौरान हानियों हेतु कोई अतिरिक्त डीटीए सृजित नहीं किया गया है।

1. Deferred Tax Assets on provision for Bad and Doubtful Debts and Provision for Taxation for earlier years have been reviewed by tax expert and based on his advice provision for taxes made in earlier years ₹746.82 Crore has been written back.

2. Considering the principal of Virtual Certainty of sufficient future taxable income, the bank had recognised the DTA of ₹1118.19 Crore on carried forward losses in the F.Y. 2017-18. No further DTA has been created for losses during the year.

**2.9. एसोसिएट में निवेश हेतु लेखा (एएस-23):**

निम्नलिखित एसोसिएट को लेखा मानक (एएस) 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखा" के अनुसार समेकित किया गया है।

**2.9. Accounting for Investment in Associates (AS) 23:**

The following Associate has been consolidated as per the Accounting Standard (AS)-23 "Accounting for investments in Associates in Consolidated financial statements."

संस्था का नाम Name of the entity	देश/निवास Country/ residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest	शेयरधारिता की राशि Amount of Shareholding (₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक Allahabad U.P. Gramin Bank	भारत India	एसोसिएट (प्रायोजक बैंक) Associate (Sponsor Bank)	35.00%	21.67

**2.10. संयुक्त उद्यम में निवेश हेतु लेखा(एएस) 27 :**

निम्नलिखित संयुक्त उद्यम को लेखा मानक (एएस) 27 "समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम में निवेश हेतु लेखा" के अनुसार समेकित किया गया है।

**2.10. Accounting for Investment in Joint Ventures (AS) 27:**

The following Joint Venture has been consolidated as per the Accounting Standard (AS) 27 "Accounting for investments in Joint Ventures in consolidated financial statements"

संस्था का नाम Name of the entity	देश/निवास Country/ residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest	शेयरधारिता की राशि Amount of Shareholding (₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)
युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं.लि. Universal Sampo General Insurance Company Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	28.52%	105.00
एसएसआरईसी(इंडिया)लि. ASREC(India) Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	27.04%	26.50

**2.11.** वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स' प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2019 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और उक्त मानक के अनुसार अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है

**2.11.** A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets' is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as at 31.03.2019 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

**2.12.** 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ' के संबंध में लेखा मानक (एएस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण

**2.12.** Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

**देयताओं हेतु प्रावधान (इति शेष)****Provision for Liabilities (Closing Balance)**

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण / Particulars	को यथास्थिति As on 31.03.2019	को यथास्थिति As on 31.03.2018
(ए/a) एनपीए हेतु प्रावधान/Provision toward NPA	21261.45	14308.11
(बी/b) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान/Provision for Depreciation on Investment	1766.44	1328.40
(सी/c) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision towards Standard Assets	616.94	751.20
(डी/d) आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	3330.80	4117.62
(ई/e) आस्थगित कर आस्ति/ देयता/Deferred Tax (Assets) / Liabilities	(2896.64)	(2867.52)
(एफ/f) अन्य/Others	1772.13	1818.91
<b>कुल/Total</b>	<b>25851.12</b>	<b>19456.72</b>

### 3. आकस्मिक देयताएँ

समेकित तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथाउल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर है।

- पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) ₹14.28 करोड़ (विगत वर्ष ₹82.36 करोड़) है।
- अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलनपत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।
- उपलब्ध डेटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा, जहां से प्राप्त हुई है, के आधार पर बैंक ने 15 जनवरी 2014 के भारिबैं के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 और दिनांक 3 जून 2014 के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 में दिए गए परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार अपने ग्राहकों के लिए अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में 31 मार्च 2019 तक ₹0.67 करोड़ (पिछला वर्ष ₹2.25) करोड़ की देयता का अनुमान लगाया है। समूची अनुमानित राशि का पूर्णतया प्रावधान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा समूचे एटी 1 शाश्वत बॉण्डों (सारीज I से IV) के कुल ₹1500 करोड़ को 07.05.2018 को (मूलधन और देय ब्याज) विनियामक काल (बैंक को भारिबैं के पीसीए ढांचे के अंतर्गत रखा गया है) के प्रयोग के माध्यम से चुकता कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने कुल ₹500 करोड़ के अपने अपर टियर 2 सीरीज I बॉण्ड और कुल ₹150 करोड़ के आईपीडीआई बॉण्ड सीरीज I में भी कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है और मूलधन तथा देय ब्याज क्रमशः 19.03.2019 और 30.03.2019 को चुकता कर दिया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास की पुनः गणना की है और ₹12.30 करोड़ का प्रतिलिखित प्रावधान किया है।

### 9. अस्थिर प्रावधान (प्रतिचक्रिय प्रावधान बफर) / Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer):

ए./A.

(₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)

विवरण Particulars	प्रतिचक्रिय प्रावधान बफर Counter cyclical Provision Buffer		अस्थिर प्रावधान Floating Provisions	
	वित्तीय वर्ष F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष F.Y. 2017-18
(ए/अ) अथ शेष / Opening Balance	24.00	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(बी/ब) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान का परिमाण Quantum of Provision made during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(सी/स) वर्ष के दौरान ड्रॉ डाउन की रकम एवं प्रयोजन Purpose & Amount of draw down during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(डी/द) इति शेष/Closing Balance	24.00	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL

### 3. Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Consolidated Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively.

- Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advance) ₹14.28 Crore (Previous Year ₹82.36 Crore).
- Sector wise break up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule 9 of the Balance Sheet.
- Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹0.67 crore upto 31<sup>st</sup> March, 2019 (previous year ₹2.25 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15<sup>th</sup> January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD. No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3<sup>rd</sup> June, 2014. The entire estimated amount has been fully provided for.
- During the financial year 2018-19, the entire outstanding AT1 perpetual Bonds (Series I to IV) aggregating to ₹1500 crore were repaid by the Bank on 07.05.2018 (both principal and due interest) through exercise of Regulatory Call (the Bank placed under PCA framework of RBI). Further, the Bank also exercised Call Option on its Upper Tier 2 Series I Bonds aggregating to ₹500.00 crore and IPDI Bonds Series I aggregating to ₹150.00 crore and repaid both principal and due interest on 19.03.2019 and 30.03.2019 respectively.
- Pursuant to RBI guidelines the Bank has recalculated the diminution in the fair value of restructured advances and has written back provision of ₹12.30 crore during the year 2018-19.



**वी. आरक्षित निधियों से ड्रॉ डाउन:**

वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई ड्रॉ डाउन नहीं किया गया है (विगत वर्ष शून्य)।

10. अदावी देयताएं जहां रकम देय है को वर्ष के दौरान निम्नानुसार जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित किया गया है:

**B. Draw Down from Reserves:**

No amount has been drawn from the Reserve during the year (Previous year Nil).

10. Unclaimed liabilities where amount due has been transferred to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF) during the year are as under:

(₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
डीईएएफ में अंतरित राशि का अथ शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	132.08	22.41
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि Add: Amounts transferred to DEAF during the year	303.41	109.74
घटाएं: दावों हेतु डीईएएफ से प्रतिपूर्ति की गई राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	2.15	0.07
डीईएएफ में अंतरित राशि का इति शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	433.34	132.08

11. कर्मचारियों के वेतन संशोधन (11वां द्विपक्षीय समझौता) के कारण, जो आईबीए के साथ विचाराधीन है और नवम्बर, 2017 से देय है, बैंक पर संभावित भार को पूरा करने के लिए बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹292.52 करोड़ का प्रावधान किया है।
11. To meet the probable load on the Bank on account of wage revision of employees (11<sup>th</sup> bipartite settlement) which is under discussion with IBA and due from November, 2017, the Bank has made an adhoc provision of ₹292.52 Crore during the current financial year.
12. वित्तीय वर्ष 2018-19 तक तीन सौ बाईस (322) परिचालित धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट मिली है जिसमें ₹70.54 करोड़ की रकम शामिल है। इन खातों में से बैंक ने वर्ष के दौरान ₹13.68 करोड़ की कुल राशि की वसूली की है और वर्ष के दौरान ₹8.53 करोड़ की शेष राशि का आरक्षित प्रावधान किया है।
12. Upto the financial year 2018-19, three hundred twenty two (322) number of operational fraud cases were reported involving a total amount of ₹70.54 crore. Out of these accounts, the Bank has recovered a total amount of ₹13.68 crore and reversed provision for balance amount of ₹8.53 crore during the year.
13. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के अनुबंध III में दर्शाए गए खातों, जिनमें कार्यनिष्पादन मुद्दों अथवा कतिपय शर्तों का अनुपालन न करने के कारण पुनर्गठन विफल हो गया था और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार इन खातों में आवश्यक प्रावधान किया गया था, की 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति समीक्षा की गई और अब इन्हें वर्गीकृत किया जा रहा है और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
13. In compliance with RBI directives, accounts shown under Annex III of Asset Quality Review (AQR) wherein restructuring was failed due to performance issues or non fulfillment of certain conditions and necessary provisions was held in those accounts in terms of RBI directives, have been reviewed as on 31<sup>st</sup> March 2019 and has now being classified and provision has been made as per the IRAC norms.
14. "अन्य आस्तियां" अनुसूची 11 के अंतर्गत उल्लिखित अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती में ₹3240.55 करोड़ शामिल है (पिछला वर्ष ₹1691.76 करोड़) विवादित राशि विभिन्न कर निर्धारण वर्षों हेतु कर मांगों के संबंध में विभाग द्वारा समायोजित/बैंक द्वारा चुकता कर दी गई है। ₹3240.55 करोड़ (पिछला वर्ष ₹1691.76 करोड़) की विवादित आयकर मांगों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि बैंक की राय में, विशेषज्ञ की राय द्वारा विधिवत समर्थित और/अथवा इन मुद्दों पर बैंक की खुद की अपीलों पर किए गए जोड़/डिसएलाउंस धारणीय नहीं हैं (आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है)।
14. Tax paid in advance/ Tax deducted at source appearing under "other assets" schedule 11 Includes ₹3240.55 Crore (previous year ₹1691.76 crore) disputed amount adjusted by department/ paid by bank in respect of tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed income tax demands of ₹3240.55 crores (previous year ₹1691.76 Crore) as in bank's view, duly supported by expert opinion and/or decisions in bank's own appeals on same issues, additions/ disallowances made are not sustainable (shown in contingent liability).
15. (i) पिछले वर्षों और चालू वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। 31.03.2019 तक ₹3025.03 करोड़ (चालू वर्ष हेतु ₹428.24 करोड़ सहित) की राशि के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। पुनर्मूल्यांकित अंश पर वर्ष हेतु ₹41.49 करोड़ का मूल्यहास पुनर्मूल्यन आरक्षित खाते से "राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियां" [अनुसूची सं. 2 मद (iv)] में अंतरित किया गया है।
15. (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers in earlier years and current year. An upward revision amounting to ₹3025.03 Crore (including ₹428.24 Crore for current year) upto 31.03.2019 had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation of ₹41.49 Crore for the year on Revalued portion has been transferred from the Revaluation Reserve Account to "Revenue & Other Reserves" [Schedule No.2 item (iv)].

(ii) जहाँ भूखंड की लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर निर्धारित किया गया है।

(iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।

(iv) निम्नलिखित संपत्तियों की पंजीकरण की औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं।

ए. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली 2 आवासीय संपत्तियाँ खरीदी गईं जिनकी मूल लागत ₹0.86 करोड़ है।

बी. हैदराबाद में ₹1.61 करोड़ की लागत की संपत्ति, जहां यूएलसी से स्वीकृति लंबित है और चेन्नै में ₹2.32 करोड़ की संपत्ति जहां डीआरएटी द्वारा अंतरिम स्टे प्रदान किया गया है।

सी. पारादीप, ओडीशा में 02.04.2013 से 24 आवासीय फ्लैट वाले 17520 वर्गफीट क्षेत्र वाले आवासीय प्लॉट के पट्टे का नवीकरण का मामला पारादीप पोर्ट ट्रस्ट(पीपीटी) के साथ उठाया गया है और यह उनके विचाराधीन है।

(v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(ii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.

(iii) Premium on leasehold land is amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.

(iv) Registration formalities are yet to be completed for the following properties:

a. Two (2) residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneswar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of ₹0.86 Crore.

b. Property at Hyderabad costing ₹1.61 crore, where Clearance is pending before ULC authority and at Chennai costing ₹2.32 crore, where interim stay has been granted by DRAT.

c. Renewal of lease of residential plots of land measuring 17520 sq.ft area at Paradeep, Odisha having 24 residential flats w.e.f. 02.04.2013 has been taken up with Paradeep Port Trust (PPT) and is under their consideration.

(v) Other Assets include intangible Assets, details of which are as under;

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
अथ शेष / Opening Balance	40.57	50.19
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	20.46	0.64
वर्ष के दौरान परिशोधित / Amortized during the year	10.05	10.26
इति शेष / Closing Balance	50.97	40.57

16. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत में निगमित हर बैंकिंग कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह प्रति वर्ष अपने लाभ का विनिर्दिष्ट अंश रिज़र्व फंड में डाले। तथापि वर्तमान वर्ष में हानि की स्थिति को देखते हुए सांविधिक आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई।

17. भारिखें परिपत्र एफआईडीडी.सीओ.योजना.बीसी.23/04.09.01/2015-16 दिनांक 7 अप्रैल 2016 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ने कुल ₹11705 करोड़ (विगत वर्ष ₹10283 करोड़) का पीएसएलसी बेचा है जिसमें से पीसीएलसी सामान्य, ₹5800 करोड़(विगत वर्ष ₹5255 करोड़) पीएसएलसी माइक्रो, ₹1950 करोड़ (विगत वर्ष ₹1080 करोड़) पीएसएलसी एसएफ/एमएफ ₹3955 करोड़ (विगत वर्ष ₹3948 करोड़) है और पीएसएलसी कृषि ₹2555 (विगत वर्ष ₹4048 करोड़) ₹56.372 करोड़ की आय (विगत वर्ष ₹81.91 करोड़) के प्रतिफल पर खरीदा है।

18. बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी (16.10.2006 को अंतःस्थापित) के उपबंधों और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2014 के पत्र सं. एफ. सं.7/93/2013- बीओए के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के बैंक के अदत्त और अदावी लाभांश को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया गया है।

16. Under sub section (1) of section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 every Banking company incorporated in India is required to transfer specified percentage of its Profits to its Reserve Fund each year. However, in view of Loss position in the current year no amount has been transferred to Statutory Reserve.

17. In terms of RBI circular FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09..01/2015-16 dated April 7, 2016 Bank has sold total PSLC to the tune of ₹11705 crore (₹10283 crore in previous year) out of which PSLC General to the tune of ₹5800 crore (₹5255 crore in previous year), PSLC Micro to the tune of ₹1950 crore (₹1080 crore in previous year), PSLC SF/MF to the tune of ₹3955 crore (₹3948 crore in previous year) and purchased PSLC Agril to the tune of ₹2555 crore (₹4048 crore in previous year) for a consideration of income of ₹56.372 crore (₹81.91 crore in previous year) for the year ended March 31, 2019

18. In terms of the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(Inserted on 16.10.2006) and in terms of directives issued by Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013-BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividends of the Bank for the FY 2010-11 have been transferred to Investors Education & Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.

19. पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना भारिबैं दिशानिर्देशों के आधार पर प्रयोज्य रिपोर्टिंग तिथियों को की जाती है और पिछली सदृश्य अवधि के अनुपात को परवर्ती परिवर्तनों, यदि कोई हो, के प्रभाव पर विचार करने हेतु इसे समायोजित नहीं किया जाता।
20. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने ₹62.54 करोड़ की निवल बही मूल्य की वित्तीय आस्तियां ₹116.16 करोड़ के प्रतिफल पर आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को समनुदेशित की हैं। इन वित्तीय आस्तियों को बिक्री की तिथि को निवल बही मूल्य से उच्चतर मूल्य पर बेचा गया है, अतिरिक्त प्रावधान को लाभ हानि खाते में नहीं लिया गया है, सिवाय उसके जहां प्रतिफल नकद प्राप्त हुआ है।
21. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने हेतु पुनः समूहित अथवा पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
19. The Capital Adequacy Ratio is computed on the basis of RBI guidelines applicable on the relevant reporting dates and the ratio for the corresponding previous period is not adjusted to consider the impact of subsequent changes if any, in the guidelines.
20. During the FY 2018-19, Bank has assigned financial assets having a net book value of ₹62.54 crore to Assets Reconstruction Companies for a consideration of ₹116.16 crore. These financial assets sold for value higher than Net Book value on the date of sale, the excess provision has not been taken to Profit and Loss account except where consideration received in cash.
21. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary to make them comparable with that figures of the current year.

(सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव)  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
(CH S. S. Mallikarjuna Rao)  
Managing Director & CEO

(बी.के. साहू)  
निदेशक  
(B.K.Sahoo)  
Director

(के. रामचंद्रन)  
कार्यपालक निदेशक  
(K.Ramachandran)  
Executive Director

(पी.आर. राजगोपाल)  
कार्यपालक निदेशक  
(P. R. Rajagopal)  
Executive Director

(एस. अग्रवाल)  
महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ  
(S. Aggarwal)  
General Manager (F & A) and CFO

(बी.के. साहू)  
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)  
(B. K. Sahoo)  
Asst General Manager (F&A)

(राम स्वरूप सरकार)  
सहायक महाप्रबंधक(वित्त एवं लेख)  
(Ram Swarup Sarkar)  
Asst General Manager (F&A)

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक  
(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार)  
Statutory Central Auditors  
(In terms of our report of even date)

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली  
For M/s Nandy Halder & Ganguli  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E  
(सीए राणा प्रताप नंदी)  
(CA Rana Pratap Nandy)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. पी.एल. टंडन एंड कं.  
For M/s P L Tandon & Co.  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000186C  
(सीए अनिल कुमार अग्रवाल)  
(CA Anil Kumar Aggarwal)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.071548

कृते मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स  
For M/s R. Gopal & Associates  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000846C  
(सीए गोपाल दास अग्रवाल)  
(CA Gopal Das Agarwala)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051609

कृते मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स  
For M/s JBMT & Associates  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 320232E  
(सीए बासुदेव ओझा)  
(CA Basudev Ojha)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.055193

कृते मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं.  
For M/s Prakash S. Jain & Co.  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 002423C  
(सीए गौरव थपाडिया)  
(CA Gaurav Thepadia)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.405326

**इ ला हा बा द बैं क**  
**ALLAHABAD BANK**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

**Consolidated Cash Flow Statement**

For the year ended 31<sup>st</sup> March, 2019

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 2018-19		वित्तीय वर्ष/FY 2017-18	
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह A. Cash flow from operating activities		(15,825.14)		(2,552.99)
बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह B. Cash flow from investing activities		(117.90)		(90.38)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह C. Cash flow from financing activities		8,773.94		2,013.11
<b>नकदी एवं नकदी तुल्य में निवल परिवर्तन</b> <b>Net Change in cash and cash equivalents</b>		<b>(7,169.10)</b>		<b>(630.26)</b>
डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य D. Cash and cash equivalents at the beginning of the year		21,419.05		22,049.31
ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य E. Cash and cash equivalents at the end of the year (ए+बी+सी+डी)/(A+B+C+D) "		<u>14,249.95</u>		<u>21,419.05</u>
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह A. Cash flow from operating activities				
कर पूर्व निवल लाभ / Net Profit before Taxes		<b>(9,233.57)</b>		<b>(6,451.97)</b>
समायोजन:/Adjustment for:				
अवक्षय/Depreciation		141.44		145.82
अचल आस्तियों (निवल) के विक्रय से (लाभ)/हानि (Profit)/ Loss on sale of Fixed Assets (Net)		शून्य/NIL		0.01
अशोधय एवं संदिग्ध ऋण अल्पकालिक सहित हेतु प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts including floating		11,761.13		10,326.45
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision for Standard Assets		(137.38)		(634.39)
विनिधानों पर अवक्षय/Depreciation on Investments		467.38		745.20
अन्य प्रावधान(निवल)/Other Provisions (Net)		(191.63)		(405.99)
आईपीडीआई एवं गौण बॉण्ड्स पर ब्याज Interest on IPDI & Subordinate Bonds		416.06		502.11
<b>Total</b>		<u>3,223.43</u>		<u>4,227.23</u>
घटाएं: प्रत्यक्ष संदत्त कर/ Less: Direct Taxes		(18.59)	3,204.84	(375.00)
				3,852.23

नकदी प्रवाह विवरण (जारी...) / Cash Flow Statement (Contd....)

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 2018-19		वित्तीय वर्ष/FY 2017-18	
समायोजन:/Adjustment for:				
जमा में वृद्धि/(कमी)/ Increase/ (Decrease) in Deposit		734.69		11,760.08
उधार में वृद्धि/(कमी)/ Increase/ (Decrease) in Borrowings		(6,366.74)		6,029.91
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी/(Increase)/ Decrease in Investments		(12,201.85)		(13,418.94)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी/(Increase)/Decrease in Advances		(1,900.25)		(11,527.66)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)/ Increase/ (Decrease) in Other Liabilities		1,389.07		2,858.34
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Assets		(684.92)		(2,106.95)
<b>परिचालन गतिविधियों पर खर्च निवल नकद</b> <b>Net cash used in operating activities</b>		<b>(15,825.14)</b>		<b>(2,552.99)</b>
<b>बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b> <b>B Cash flow from investing activities</b>				
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/ Decrease in Fixed Assets		(117.90)		(90.38)
<b>विनिधान गतिविधियों में निवल नकदी</b> <b>Net cash used in investing activities</b>		<b>(117.90)</b>		<b>(90.38)</b>
<b>सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b> <b>C Cash flow from financing activities</b>				
लाभांश पर संदत्त कर/ Dividend paid including tax		शून्य/NIL		शून्य/NIL
गौण बांड पर ब्याज/ Interest on Subordinate bonds		(416.06)		(502.11)
गौण स्थायी ऋण:टीयर 1 पूंजी के अतिरिक्त Subordinated Perpetual Debt:Additional Tier 1 capital		शून्य/NIL		1,200.00
अतिरिक्त टीयर 1 बांड से छूट Redemption of Additional Tier 1 Bonds		(1,500.00)		शून्य/NIL
गौण ऋण (बॉण्ड्स) का निर्गम Redemption of Subordinated Debt (Bonds)		(900.00)		शून्य/NIL
गौण आईपीडीआई (बॉण्ड्स) का निर्गम Redemption of Subordinated IPDI (Bonds)		(150.00)		(500.00)
शेयर पूंजी/Share Capital		1,042.06		43.83

नकदी प्रवाह विवरण (जारी...) / Cash Flow Statement (Contd....)

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 2018-19		वित्तीय वर्ष/FY 2017-18	
	शेयर प्रीमियम/Share Premium	3,801.94		271.39
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन				
Fund infused by GOI for allotment of Capital	6,896.00		1,500.00	
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी				
<b>Net cash from financing activities</b>		<b>8,773.94</b>		<b>2,013.11</b>
<b>डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य</b>				
<b>D Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>				
रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)				
Cash in hand (including foreign currency notes & gold)	578.93		544.99	
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष				
Balances with Reserve Bank of India	8,672.08		8,003.78	
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन				
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	12,168.04		13,500.54	
		<b>21,419.05</b>		<b>22,049.31</b>
<b>ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य</b>				
<b>E Cash and cash equivalents at the end of the year</b>				
रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)				
Cash in hand (including foreign currency notes & gold)	545.23		578.93	
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष				
Balances with Reserve Bank of India	9,127.23		8,672.08	
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन				
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	4,577.49		12,168.04	
		<b>14,249.95</b>		<b>21,419.05</b>

टिप्पणी :/Notes:

- समेकित नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत तैयार किया गया है। Consolidated Cash Flow has been prepared under the Indirect Method in accordance with the Accounting Standards-3, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- नकदी एवं नकदी समतुल्य नकदी और बैंक में जमाशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। Cash and cash equivalent represent cash and Bank balance.
- विगत वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं अपेक्षित हो, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं। Previous year's figures have ben regrouped/reclassified wherever applicable.

## लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में

इलाहाबाद बैंक के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने इलाहाबाद बैंक ("बैंक") के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों इसके एसोसिएट्स और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं, जो 31, मार्च 2019 को यथास्थिति समेकित तुलनात्मक पत्र बनता है और समेकित लाभ-हानि खाता तथा उस वर्ष को समाप्त अवधि हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण कहा गया है") की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित रूप में तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखनीतियों के अनुरूप अपेक्षित सूचना देता है और

क. 31 मार्च 2019 को यथास्थिति तुलनात्मक पत्र, बैंक के मामलों की सही और उचित स्थिति प्रकट करता;

ख. उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ हानि लेखा के मामले में हानि का सही शेष दर्शाता है; और

ग. उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण के मामले में सही और उचित स्थिति दर्शाता है।

**अभिमत का आधार**

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों(एएस) के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का अतिरिक्त विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित हैं।

**मुख्य लेखापरीक्षा विषय**

मुख्य लेखापरीक्षा विषय, वे विषय हैं जो चालू अवधि हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में, हमारे व्यावसायिक निर्णय में, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये विषय समग्रतः समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में निपटाए जाते हैं और उन पर हमारा अभिमत तैयार करते हैं और हम इन विषयों पर अलग से अभिमत नहीं देते।

[एसए 701 के अनुसार प्रत्येक मुख्य लेखापरीक्षा विषय का विवरण]

क्रम सं.	मुख्य लेखापरीक्षा विषय	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1	<b>आईटी प्रणाली का मूल्यांकन</b> आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान हेतु बैंक की प्रणाली आधारित व्यवस्था है।	<b>प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधि</b> हमने प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हम संस्तुति करते हैं कि क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रणाली को और दुरुस्त किया जाए।
2	<b>अनिश्चित कर स्थिति का मूल्यांकन</b> विवादास्पद मामलों सहित बैंक में अनिश्चित कर की स्थिति महत्वपूर्ण है जिसमें विवादों के संभावित परिणाम निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय आवश्यक हैं स्टैंड एलोन वित्तीय विवरण के नोट सं. 41.6 का संदर्भ लें	<b>प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधि</b> पूरे किए गए कर निर्धारणों का विवरण प्राप्त करें, कर निर्धारण पूरा करने हेतु मांग करें और आदेश हेतु अपील करें। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों में प्रबंधन स्थिति के मूल्यांकन में पूर्वोदाहरणों और निर्णयों पर विचार किया है।
3	<b>अग्रिम का प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में वर्गीकरण</b> बैंक ने लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान उधार खातों को प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में अत्यधिक पुनर्वर्गीकरण और गैर-वर्गीकरण किया है।	<b>प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधि</b> <i>हमने शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा जारी परिवर्तन ज्ञापन से पाया है और निष्कर्षों को मान्य ठहराने के लिए परीक्षण जांच की है तथा पर्याप्त प्रक्रियाविधियां अपनाई है।</i> हमारी राय में भविष्य में इस प्रकार के गलत वर्गीकरण से बचने हेतु बैंक को अपनी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए।

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**To**  
**The Members of Allahabad Bank**  
**Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements**  
**Opinion**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Allahabad Bank ('the Bank') and its associates and jointly controlled entities, which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2019, and the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required in the manner so required by the Act and in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give

- a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31<sup>st</sup> March, 2019;
- b. true balance of loss in case of Profit and Loss account for the year ended on that date; and
- c. true and fair view in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

### **Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### **Key Audit Matters**

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

[Description of each key audit matter in accordance with SA 701.]

<b>Sl. No.</b>	<b>Key Audit Matters</b>	<b>Auditor's Response</b>
1	<b>Evaluations of IT systems</b> The Bank has system based identification of non performing assets in accordance with IRAC Norms.	<b>Principal Audit Procedures</b> We have assessed the efficacy of the system and we recommend that the system to be calibrated further to enhance the vigorousness.
2	<b>Evaluation of uncertain tax positions</b> The bank has material uncertain tax positions including matters under dispute which involves significant judgement to determine the possible outcome of the disputes. Refer Note No. 41.6 to standalone financial statement .	<b>Principal Audit Procedures</b> Obtained details of completed tax assessments, demands and appeal orders for assessment completed. We considered legal precedence and rulings in evaluating management position on these uncertain tax positions.
3	<b>Classification of Advance into Priority &amp; Non Priority Sector</b> Bank has made numerous reclassification and declassifications of borrowers accounts between priority & non -priority sectors during the year under audit.	<b>Principal Audit Procedures</b> <i>We have observed from Memorandum of Changes issued by Branch Auditors and have further performed test checks &amp; substantive procedures to validate the findings.</i> We are of the opinion that Bank should further strengthen their system to avoid such type of misclassification in future.



## प्रबंधन तथा समेकित वित्तीय विवरणों के गवर्नेंस के प्रभारी का उत्तरदायित्व

2. बैंक का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के उपबंधों और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, इसके एसोसिएट्स और संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं सहित बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करे। बैंक और इसके एसोसिएट्स और संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल का यह दायित्व होगा कि वे समूह की आस्तियों की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनके बचाव करने हेतु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव करें, समुचित लेखानीतियों का चयन करें और उन्हें लागू करें, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन करें, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तैयार करें, उसे कार्यान्वित करें और उसे बनाए रखें जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु परिचालित किए गए थे, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु प्रासंगिक हों जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हों और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हों जिनका प्रयोग उपर्युक्त बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु किया गया हो। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, बैंक और इसके एसोसिएट्स और संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं के कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों में यथाप्रयोज्य, प्रकटन करें लेखा का कार्यशील संस्था अधार पर प्रयोग करें जबतक कि प्रबंधन का इरादा बैंक के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

बैंक और इसके एसोसिएट्स और संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल का यह उत्तरदायित्व है कि वह बैंक इसके एसोसिएट्स और संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखे।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्रतः समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या चूक के कारण हो और अपनी राय सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी अथवा चूक का कारण हो सकता है और इसे महत्वपूर्ण तब समझा जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सकल रूप से, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करना समुचित रूप से अपेक्षित हो सके।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं। पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेहवाद को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटिवश, के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, इन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार और निष्पादित करना और हमारी राय के आधार हेतु पर्याप्त और समुचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगने का जोखिम त्रुटिवश हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से अधिक होता है क्योंकि, धोखाधड़ी में साठ-गांठ, जालसाजी, इरातदन चूक, मिथ्या निरूपण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- प्रयुक्त लेखानीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलन और संबंधित प्रकटन की समुचितता का मूल्यांकन।
- प्रकटन सहित, समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन और क्या समेकित वित्तीय विवरण मूल लेनदेनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार के हैं जिससे उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त होते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने हेतु बैंक और इसके एसोसिएट्स और संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं के अंदर संस्थाओं की वित्तीय सूचना अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त समुचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन हेतु उत्तरदायी रहेंगे। हम केवल अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए उत्तरदायी रहेंगे।

हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल बैंक और ऐसी अन्य संस्थाओं के गवर्नेंस के प्रभारियों को, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं अन्य मामलों के संबंध में नियोजित संभावना और लेखापरीक्षा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण विसंगति सहित, जिसे हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचाना हो, सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस के प्रभारी को स्वतंत्रता के संबंध में अपेक्षित प्रासंगिक नैतिकता के साथ हमारे द्वारा तैयार विवरण भी उपलब्ध कराते हैं और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो समुचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को वहन करता हो और जहां प्रयोज्य हो संबंधित सुरक्षोपाय भी बताते हैं।

## **Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements**

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements in term of the requirements of the Companies Act, 2013 that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank including its Associates and Jointly controlled entities in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the companies included in the Bank and of its associates and jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Bank and of its associates and jointly controlled entities are responsible for assessing the ability of the Bank and of its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the Bank and of its associates and jointly controlled entities are responsible for overseeing the financial reporting process of the Bank and of its associates and jointly controlled entities.

### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Bank and its associates and jointly controlled entities to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

## अन्य मामले

- क) हमने समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल एक संयुक्त नियंत्रण वाली संस्था के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति ₹985.46 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु ₹405.31 करोड़ का कुल राजस्व, ₹38.66 करोड़ का कुल निवल कर पश्चात लाभ, ₹22.08 करोड़ का नकदी प्रवाह(निवल) दर्शाते हैं जिस पर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक संयुक्त नियंत्रण वाली संस्था के संबंध में राशि और प्रकटन से संबंधित है, पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- ख) हमने समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल एक संयुक्त नियंत्रण वाली संस्था के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति ₹45.11 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु ₹5.48 करोड़ का कुल राजस्व, ₹1.03 करोड़ का कुल निवल कर पश्चात लाभ, ₹3.15 करोड़ का नकदी प्रवाह दर्शाते हैं, जिस पर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में एक एसोसिएट्स के संबंध में, जिसकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु ₹163.10 करोड़ की निवल हानि का अंश शामिल है, जिस पर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन संयुक्त नियंत्रण वाली संस्था और एसोसिएट के संबंध में राशि और प्रकटन का संबंध है, पूर्णतया इन अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ये वित्तीय विवरण बैंक के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

## मामले पर बल

हम 31.03.2018 तक सृजित ₹2156.00 करोड़ के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान संबंधी आस्थगित कर आस्तियों और ₹1118.19 करोड़ की आगे ले जाई गई हानि के संबंध में अनुसूची 19-वित्तीय लेखाओं पर नोट के पैरा 2.8 की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

## अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

- (क) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुपालन में हैं।
- (ख) इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु रखे गए प्रासंगिक बहीखातों के अनुरूप हैं।

## Other Matters

- a) We did not audit the financial statements of one jointly controlled entity included in the consolidated financial results, whose financial statements reflect total assets of ₹985.46 Crore as at 31<sup>st</sup> March, 2019, total revenues of ₹405.31 Crore, total net profit after tax of ₹38.66 Crore and cash outflow (net) of ₹22.08 Crore for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial results. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial results, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the jointly controlled entity, is based solely on the reports of the other auditors.
- b) We did not audit the financial statements of one jointly controlled entity included in the consolidated financial results, whose financial statements reflect total assets of ₹45.11 Crore as at 31<sup>st</sup> March, 2019, total revenues of ₹5.48 Crore, total net profit after tax of ₹1.03 Crore and cash outflow of ₹ 3.15 Crore for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial results. The consolidated financial results also include the Bank's share of net loss of ₹163.10 Crore for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2019, as considered in the consolidated financial results, in respect of one associate, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the Statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these jointly controlled entity and associate, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Bank.

## Emphasis on matter

We draw attention to para no. 2.8 of Schedule 19- Notes to financial accounts regarding Deferred Tax Assets on provision for bad and doubtful debts ₹2156.00 crores and carried forward loss ₹1118.19 crores created upto 31.03.2018.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

## Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- (a) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- (b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss, and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

## सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली  
For M/s Nandy Halder & Ganguli  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No. 302017E  
(सीए राणा प्रताप नंदी)  
(CA Rana Pratap Nandy)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. पी.एल. टंडन एंड कं.  
For M/s P L Tandon & Co.  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं. / FRN : 000186C  
(सीए अनिल कुमार अग्रवाल)  
(CA Anil Kumar Aggarwal)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.071548

कृते मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स  
For M/s R. Gopal & Associates  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं. / FRN : 000846C  
(सीए गोपाल दास अग्रवाल)  
(CA Gopal Das Agarwala)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.051609

कृते मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स  
For M/s JBMT & Associates  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं. / FRN : 320232E  
(सीए बासुदेव ओझा)  
(CA Basudev Ojha)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.055193

कृते मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं.  
For M/s Prakash S. Jain & Co.  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं. / FRN : 002423C  
(सीए गौरव थपाडिया)  
(CA Gaurav Thepadia)  
पार्टनर / Partner  
सदस्यता सं. / Membership No.405326





*You are smart*  
**Go Digital**



**FEATURES AVAILABLE**

- mPassbook – an Electronic Passbook with search, sort and download facility
- Locking/Unlocking of Debit Card and Internet Banking transactions.
- Fund transfer (NEFT, IMPS, UPI)
- Mobile and DTH Recharge
- Blocking of Debit Card
- Internet Banking Registration
- Cheque Book, Debit Card request
- Opening/Closure of Fixed/Recurring Deposit
- Online Nomination facility for deposit accounts
- Standing Instructions for Fund transfer

*and many more...*



*Beyond Mobile Banking*

Download emPower from:



Download BHIM app for Android & IOS



*Har Kadam  
 aur Ke Saath*

Follow us on :  

**Call us at 1800 57 22 000**

Conditions apply

**इलाहाबाद बैंक**  **ALLAHABAD BANK**  
 विश्वास की परंपरा *A tradition of trust*

[www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in)